त्रयोदश माला, खंड 26, अंक 7

मंगलवार, 23 जुलाई, 2002
1 श्रावण, 1924 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3...53...
Date 2/7/03

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 7, मंगलवार, 23 जुलाई, 2002/1 श्रावण, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख		1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या 121, 123 और 125		4-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या 122 और 126 से 140		31-72
अतारांकित प्रश्न संख्या 1218 से 1398		72-456
सभा पटल पर रखे गए पत्र		459-463
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति		463
(एक)	नब्बेवां, इक्यानवेवां और बानवेवां प्रतिवेदन	463
(दो)	साक्ष्य	463
नियम 377 के अधीन मामले		465-472
(एक)	मध्य प्रदेश में रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता श्री प्रहलाद सिंह पटेल	465
(दो)	मनमाड और इन्दौर के बीच रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता श्री रामदास रुपला गावीत	465-466
(तीन)	मध्य प्रदेश में मक्सी और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को चार लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता श्री थावरचन्द गेहलोत	466
(चार)	राजस्थान में चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल परियोजना के दूसरे चरण का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता श्री राम सिंह कस्वां	466
(पांच)	हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता डा. अशोक पटेल	467
(छह)	पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में फुलहर नदी द्वारा हो रहे भू-क्षरण को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता श्री प्रियरंजन दासमुंशी	467
(सात)	विदेशी डिग्री प्राप्त मेडिकल के छात्रों के पंजीकरण के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा को अनिवार्य किए जाने संबंधी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के आदेश को वापस लिए जाने की आवश्यकता श्री राजो सिंह	467-468

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(आठ) केरल में त्रिवेन्द्रम में एक नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री वी.एस. शिवकुमार 468–469

(नौ) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में क्षयरोग के मामलों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी 469

(दस) त्रिपुरा में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास 469–470

(ग्यारह) कुप्पम और बंगलौर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला 470

(बारह) उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य 470

(तेरह) महाराष्ट्र के परभनी क्षेत्र में डाक विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव 471

(चौदह) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान 471

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के नासिक जिले में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 471–472

नियम 193 के अधीन चर्चा

गुजरात में दंगा पीड़ितों के लिए राहत और उनका पुनर्वास 472–614

श्री बसुदेव आचार्य 472–483

श्री किरीट सोमैया 483–499

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 499–514

श्री के. येरननायडू 514–517

श्री रामजीलाल सुमन 517–524

श्री सुरेश रामराव जाधव 524–528

श्री कमलनाथ	528–538
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया	539–546
श्री सोमनाथ चटर्जी	546–551
श्री प्रभुनाथ सिंह	552–557
श्री राशिद अलवी	557–562
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	562–568
श्री पी.एच पांडियन	568–571
श्रीमती कृष्णा बोस	571–576
श्री जोवाकिम बखला	576–577
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	577–580
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	580–583
श्री प्रबोध पण्डा	583–584
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	584–586
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	586–592
श्री रामदास आठवले	592–594
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	594–596
श्री मधुसूदन मिस्त्री	596–600
श्री जी.एम. बनातवाला	600–603
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	603–614

लोक सभा

मंगलवार, 23 जुलाई, 2002/1 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तीन भूतपूर्व सहयोगी अर्थात् सर्वश्री शरद दिघे, विश्व नारायण शास्त्री तथा वैरागी जैना अब हमारे बीच नहीं रहे।

श्री शरद दिघे महाराष्ट्र के मुम्बई उत्तर मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 1985 से 1989 तक तथा 1991 से 1996 तक आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व श्री दिघे 1972 से 1978 तक तथा 1980 से 1985 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य भी थे। वे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति रहे तथा वे महाराष्ट्र विधान सभा की सभापति तालिका के सदस्य भी थे। बाद में श्री दिघे महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष बने और 2 जुलाई, 1980 से 11 जनवरी, 1985 तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया।

एक कुशल संसदविद, श्री दिघे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे। आठवीं लोक सभा के दौरान भी वे सभापति तालिका के सदस्य रहे।

व्यवसाय से वे एक अधिवक्ता थे। श्री दिघे 1977 से 1980 तक महाराष्ट्र विधि आयोग के सदस्य भी रहे।

वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन में भी भाग लिया था। श्री दिघे एक विद्वान थे तथा उन्होंने ला आन प्रोटेक्टेड लाइसेंसिस, एलेक्शन सिस्टम आफ अमेरिकन प्रेसीडेंट, ''ला आन पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस एंड द प्रैस'' और पार्लियामैंटरी प्रिविलेजेस आफ पार्लियामैंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की थी।

श्री दिघे ने विदेशों का व्यापक भ्रमण किया तथा वे 1984 में ब्रिटेन के आईल आफ मैन, लंदन में हुए तीसवें राष्ट्र मंडल संसदीय सम्मेलन के सदस्य रहे। वे फिनलैंड की यात्रा पर गये संसदीय शिष्टमंडल, 1984 से 1989 तक चीन की यात्रा पर गये थे जनसंख्या नियंत्रण अध्ययन दल तथा आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा पर गये, जातीय विरोधी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे थे।

श्री शरद दिघे का निधन 18 अप्रैल, 2002 को महाराष्ट्र के मुम्बई शहर में 78 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री वर्ष 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने असम के लखीमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल संसदविद् श्री शास्त्री विभिन्न संसदीय तथा सलाहकार समितियों के सदस्य भी थे।

श्री शास्त्री एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

श्री शास्त्री ने असमी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकों का संपादन तथा प्रकाशन किया उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और हिन्दी में लिखी अनेक पुस्तकों का असमी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने असम सरकार के लिए ''असमी परिभाषा'' (प्रशासनिक शब्दकोष) का संकलन भी किया।

श्री शास्त्री असम के शैक्षणिक, साहित्यक और शोध संस्थानों से भी घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे।

श्री शास्त्री एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् थे तथा उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक और साहित्यिक निकायों में विभिन्न पदों को सुशोभित किया। वह अनेक उच्च विद्यालयों तथा दो महाविद्यालयों के संस्थापक भी रहे। वे समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान तथा बाल कल्याण से निरन्तर सम्बद्ध रहे।

बहु प्रतिभा सम्पन्न श्री शास्त्री की भारतीय, इतिहास तथा संस्कृति, बौद्ध शिक्षा, सामाजिक मानव शास्त्र तथा पुरातत्व में गहरी रुचि थी।

श्री विश्वनारायण शास्त्री का निधन 9 जुलाई, 2002 को 79 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री बैरागी जैना 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उड़ीसा के भद्रक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री जैना 1961, 1974 और पुन: 1990 में उड़ीसा विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे तथा विधान सभा के सदस्य के रूप में अपनी तीसरी अवधि के दौरान वह उड़ीसा विधान सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी समिति के सभापति भी रहे।

श्री जैना ने राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तथा सूचना और जनसंपर्क मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1996 से 1999 तक भारतीय खाद्य निगम के सदस्य भी रहे।

श्री जैना एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे तथा श्रम आन्दोलन में उनकी गहरी रुचि थी।

श्री बैरागी जैना का निधन थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् 9 जुलाई, 2002 को उड़ीसा के कटक शहर में 73 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदनायें प्रकट करने में पूरी सभा मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन

*121. डा.+ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कोयला खानों में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्रमश: कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को रायल्टी के रूप में वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की कोयले के उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन राज्यों में कोई कोयला आधारित उद्योग स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (च) सदन-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों में तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में, कोयले का उत्पादन निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन में)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अप्रैल-जून)
1. मध्य प्रदेश	87.90	69.94	44.16	9.38
2. छत्तीसगढ़	-	22.79	53.62	13.12
कुल 1 + 2	87.90	92.73	97.78	22.50
समग्र भारत	304.10	313.70	327.64	75.70

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अदा की गई राज्य-वार रायल्टी निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

राज्य	2002-2003 (जून तक)	2001-2002	2000-2001	1999-2000
पश्चिम बंगाल	2.96	10.70	10.07	9.89
बिहार	–	–	392.79	591.65
झारखंड	112.06	570.99	194.24	–
छत्तीसगढ़	85.44	352.34	139.07	–
उड़ीसा	55.03	260.72	253.95	226.58
मध्य प्रदेश	67.48	393.48	574.95	688.10
महाराष्ट्र	59.77	229.45	220.79	183.13
उत्तर प्रदेश	25.70	135.59	131.48	108.30
असम	2.21	9.05	7.80	13.27
आंध्र प्रदेश	57.73	225.73	227.34	223.06
कुल	468.38	2188.05	2152.48	2043.98

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) सरकार, कोयला तथा खान मंत्रालय में, देश के किसी भी भाग में कोयला आधारित उद्योग लगाने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न के उत्तर में जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है, उसमें स्वीकार किया गया है कि मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन घटा है। मैं जानना चाहता हूं कि कोयले का उत्पादन मुख्यत: मध्य प्रदेश में छिन्दवाड़ा जिले में, उमरिया, शहडोल और सीधी में होता है और उसमें लगातार गत वर्षों की अपेक्षा गिरावट आ रही है। क्या इस गिरावट का कारण संगठन से संबंधित समस्याएं हैं अथवा वहां पर हमारे जो डिपाजिट्स थे, उन डिपाजिट्स में कमी आई है या प्रबंधन की खामी है? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वर्तमान में छिन्दवाड़ा जिले के अन्दर हमारी तीन कोयला खानें कार्यरत हैं, वहां पर दो खानों के और डिपाजिट्स हैं, उनके बारे में सरकार क्या करने जा रही है? क्या उन दो डिपाजिट्स को खोलने जा रही है अथवा अभी उसको ड्राप करके रखा है? इन तीनों खानों का जो उत्पादन घटा है, इन तीनों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर आदरणीय पाण्डेय जी उत्तर के खण्ड 'क' को देखें और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ को जोड़कर टोटल प्रोडक्शन देखें तो वह आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ 1999-2000 में नहीं था, छत्तीसगढ़ बाद में बना है। मैं आपको बता दूं कि 1999-2000 में 87.90 मि. टन उत्पादन था, 2000-2001 में 92.73 मि. टन प्रोडक्शन हुआ है और 2001-2002 में 97.78 मि. टन हुआ है। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के उत्पादन को देखें तो यह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ नया प्रदेश बना है, इसलिए पहले उसका कम्पोनेंट इसमें नहीं था। आपने जो छिन्दवाड़ा की विशेष बात कही है छिन्दवाड़ा में अभी कोई डिपाजिट्स घटने की बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताता

हूं कि हमने काफी ये प्लान्स को सैंक्शन किया है। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अभी देश में पब्लिक सैक्टर में 543 माइन्स हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में 50 हैं और मध्य प्रदेश में 77 हैं। अभी छत्तीसगढ़ में 11 नई योजनाएं और मध्य प्रदेश में 11 नई योजनाएं एप्रूवल में हैं, जिनकी क्रियान्विति हो रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमने छत्तीसगढ़ के लिए 12 और मध्य प्रदेश के लिए सात नई योजनाएं ली हैं। इसलिए इन दोनों प्रदेशों की कोयला विभाग की ओर से हम विशेष चिन्ता कर रहे हैं और छिन्दवाड़ा में उत्पादन घटने की बात नहीं है। आपने जो तीन नई माइन्स का विशेष उल्लेख किया है, उसका विस्तार मुझे दे देंगे तो उसका उत्तर में आपको भिजवा दूंगा।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी चतुराई से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिलाकर अपना उत्तर दिया है।

मैंने मध्य प्रदेश के बारे में अलग से पूछा था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने हुए दो साल होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कोयले का उत्पादन घटा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 11 नई योजनाएं के अप्रूवल के लिए कहा है, जहां पर कोल डिपाजिट है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके बारे में कोई नीति या कार्य योजना बनाकर सरकार वहां कार्य शुरू करने की स्थिति में है या नहीं? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग रायल्टी से संबंधित है। क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश ने भारत सरकार को बार-बार रायल्टी बढ़ाने की मांग की है? यदि हां, तो यह रायल्टी कब निर्धारित की गई थी और इसका पुनरीक्षण कितने समय के बाद होना चाहिए? जहां तक मुझे जानकारी है कि रायल्टी के पुनरीक्षण के लिए नियम बने हुए हैं कि रायल्टी का निर्धारण तीन वर्ष में हो जाना चाहिए। लेकिन वहां रायल्टी का निर्धारण बहुत समय पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को और अन्य सरकारों को, जहां कोयले की रायल्टी दी जाती है, उसकी बहुत कम दर मिल रही है। उसके कारण राज्यों के राजस्व पर विपरीत असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ निजी फर्मों को भी कोयला खनन की अनुमति दी गई थी, जिसमें जिंदल फर्म भी एक है। इन फर्मों के ऊपर न तो कोल इंडिया का और न ही कोल मिनिस्टरी का कोई नियंत्रण है। इस कारण ये फर्में मनमाने तौर पर काम कर रही हैं। क्या मंत्री जी को इस प्रकार की शिकायत मिली है कि जिन फर्मों को आपने कोयला खनन की अनुमति दी है, उनमें से कौन-कौन से निजी फर्में अनुचित रूप से कोयला बेच रही हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद: अध्यक्ष जी, पांडेय जी के पहले प्रश्न के बारे में मैं पुन: अपने लिखित उत्तर का उल्लेख करना चाहूंगा। अगर रायल्टी को देखेंगे, तो जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे, वहां 688.10 करोड़ रुपए रायल्टी दी जाती थी। 2000-01 में दोनों राज्यों को जोड़ कर देखें तो 714 करोड़ रुपए रायल्टी के दिए गए, 2001-02 में 745 करोड़ रुपए रायल्टी के दिए गए। एक्जीस्टिंग रेट के मुताबिक यह रायल्टी रेट बढ़ रहा है। जहां तक उसके पुनरीक्षण की बात है, आप सही कहते हैं कि एम.एम.डी.एम.आर. की धारा 9 में पुनरीक्षण का प्रावधान है। इस रेट का पूर्व में 1994 में रिवीजन हुआ था। 1997 में रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की गई, रिपोर्ट भी आई, लेकिन तत्कालीन सरकार ने विचार किया कि अभी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जो रिसैशन चल रहा है, उसके आलोक में यदि रिवीजन पर तुरंत अमल करेंगे तो अर्थव्यवस्था की गति में अवरोध आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इसे पुनरीक्षण को दोबारा हाथ में लिया है। इसके लिए एडीशनल सेक्रेट्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। उस समिति ने सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए, सभी मानदंडों का अनुसरण करते हुए अपनी अनुशंसा सरकार को भेजी है। यह अनुशंसा सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिए लम्बित है। इस समिति के निर्णय के अनुसार हम उचित कार्यवाही करेंगे।

जहां तक आपके प्रश्न के दूसरे भाग की बात है, हमने सात निजी फर्मों को कोयले के खनन की अनुमति दी है। नियमों के अनुसार हम कोर सेक्टर में केपटिव कोल माइन्स दे सकते हैं। कोर सेक्टर का मतलब है कि जहां पावर, स्टील, सीमेंट आदि बनती हैं। जिंदल फर्म के बारे में हमें रिपोर्ट मिली थी। उसमें था कि यह फर्म अनधिकृत रूप से कोयला बेचने की कोशिश कर रही है। हमने मामले की जांच कराई। अगर वह रीजेक्ट कोल कोल मिनिस्ट्री की अनुमति से बेचना चाहे तो उसका प्रावधान है। हमने इस बारे में फिजीकल वैरीफिकेशन भी कराया था, इंस्पैक्शन भी कराई थी। हमारी जानकारी के मुताबिक यह पाया गया है कि उसने जो भी कोयला बेचने की कोशिश की है, वह हमारी अनुमति से की है। इस मामले में पूरी जांच हो रही है।

श्री शिवराजसिंह चौहान: हमारे देश में कोयले के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं कि हम अपनी घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति लगभग 250 वर्षों तक इससे कर सकते हैं। मैं अभी कोल विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें मैंने देखा कि हमारी कई उपभोक्ता कम्पनीज कोयले का आयात भी करती हैं और यह बढ़ता जा रहा है। 1998-99 में हमने 18 मिलियन टन कोयले का आयात किया। 1999-2000 में हमने 22 मिलियन टन और 2000-01 में 23 मिलियन टन से भी ज्यादा कोयले का आयात किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में पर्याप्त भंडार मौजूद होने के बावजूद भी उपभोक्ता कम्पनीज

कोयले का आयात करने को क्यों बाध्य होती हैं? क्या हमारे यहां पर्याप्त उत्पादन नहीं है, या गुणवत्ता में कमी है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भविष्य में कोयले का आयात न करना पड़े, हमारा देश कोयले का निर्यात करने लगे, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? हालांकि मैं मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि लगातार तीन वर्षों के जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, उसके मुताबिक देश में कोयले का उत्पादन बढ़ा है। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य क्या था और उसकी तुलना में उत्पादन कितना हुआ?

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इम्पोर्ट की बात है, विश्व व्यापार संगठन आब्लिगेशन के अंतर्गत जो नियम बने हैं, उसमें हमें कोयले का इम्पोर्ट करना ही है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। नए नियम कैसे बने, यह एक अलग विषय है। आज की तारीख में हम कोयले के इम्पोर्ट को रोक नहीं सकते हैं। यह सही है कि बहुत सारे पावर प्लान्ट्स जो प्राइवेट सैक्टर में हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, उनको ऐसा लगता है कि विदेशी कोयले की गुणवत्ता अच्छी है। अत: हम भी अपने कोयले की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कोयला विभाग की यह कोशिश है कि देश में मिलने वाले कोयले का स्तर, गुणवत्ता और वाशिंग कैपेसिटी बढ़े और एश-कन्टैन्ट घटे। आपने भी महसूस किया है कि यह और आगे की ओर बढ़ रहा है। हम आज भी सिर्फ 23 मिलियन टन कोयला इम्पोर्ट करते हैं जबकि कोल इंडिया 280 मिलियन टन प्रोडयूस करता है। सिंगरौली कोल फील्ड और प्राइवेट उत्पादन को अगर जोड़ लें, तो लगभग 330 मिलियन टन कोयला आज भी देश में प्रोड्युस होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप देश में कोयला का उत्पादन है और विभाग इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आपका यह प्रश्न सही है कि आने वाले दसवें प्लान में, सन् 2011 तक देश में जो कोयले की आवश्यकता होगी, उसमें और डिमांड तथा सप्लाई के बीच में कुछ कमी आने की संभावना है। इसके लिए हम नए तंत्र ढूंढने होंगे। प्राइवेट सैक्टर को एन्क्रेज करना होगा और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में खनिज सम्पदा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में खनिज सम्पदा अत्यधिक है और प्रदेश की आर्थिक तथा राजस्व की स्थिति खनिज पर आधारित है। आपने यह स्वीकार किया है कि 1994 से आज तक रायल्टी की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। रायल्टी की दर स्थायी रूप से वही चल रही है, जो पहले थी, वही आज भी है। आपने यह भी कहा है कि धारा-9 में इस तरह का प्रोवीजन है कि तीन साल में रायल्टी को रिवाइज करना चाहिए, पुनरीक्षित करना चाहिए। मेरा कहना है कि हर प्रदेश की राजस्व की वसूली अलग-अलग सम्पदाओं पर आधारित है। कोई राज्य आई.टी. के क्षेत्र में राजस्व वसूल करता है और कोई राज्य खनिज में। लेकिन जिस प्रकार से दरें बढ़ाई जा रही हैं, उनसे राजस्व इकट्ठा नहीं हो पा रहा है और राजस्व इकट्ठा न होने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। मंत्री महोदय क्या इस पर विचार करेंगे?

महोदय, मेरा दूसरा कहना कोयले की रायल्टी के संबंध में है। रायल्टी को लाभ मानकर आयकर विभाग प्रदेश सरकार से आयकर प्राप्त करता है और वह आयकर पिछले 8-9 सालों में 20 गुना बढ़ गया है। माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि क्या वे आयकर विभाग को लिखेंगे कि हमने रायल्टी नहीं बढ़ाई है, इसलिए आयकर विभाग रायल्टी के मामले में मध्य प्रदेश पर जो आयकर लगाता है, उसमें छूट दे? मैं चाहता हूं कि आपका विभाग, आयकर विभाग को यह लिखे, क्योंकि इस कारण मध्य प्रदेश पर दोहरी मार पड़ रही है। रायल्टी बढ़ नहीं रही है और आयकर निरन्तर 20 गुना बढ़ गया है। इस दोहरी मार से मध्य प्रदेश को बचाया जा सके। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी किसी व्यवस्था पर विचार करेंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खनिज की बात कही है और यह प्रश्न कोयले के संबंध में हैं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: मैंने कोयले की रायल्टी के बारे में पूछा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयले के अलावा खनिज भी उपलब्ध है, जिसके संबंध में रायल्टी की अलग से व्यवस्था है। मैंने पहले भी कहा था कि राज्य सरकारों से रायल्टी के रिवीजन के बारे में बात हुई थी, लेकिन जब हम केन्द्र सरकार की ओर से स्थिति को देखते हैं, तो हमें यह विचार करना पड़ता है कि रायल्टी के पुनरीक्षण से बिजली की दरों, सीमेंट की दरों और कोर-सैक्टर के विभिन्न उत्पादनों की दरों पर असर पड़ता है। अत: हमें दोनों, मांग और व्यवस्था, के बीच में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना होता है। आपने ठीक कहा है कि 1997-98 में हमने प्रयास किया था, लेकिन उस समय की सरकार को यह असंभव लगा, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में मंदी का दौर थी - इसलिए हमने विचार किया कि अभी रिवीजन नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में रायल्टी की दरों में पिछले तीन सालों से उगाही बढ़ रही है। हमने यह भी आपको बताया

कि हमारा प्रस्ताव तैयार हो चुका है। हमारी कमेटी ने अनुशंसा कर दी है। जब उस पर सरकार का निर्णय हो जाएगा, तो रायल्टी की समस्या से उत्पन्न चिन्ताओं से आप मुक्त हो पायेंगे।

जहां तक आपने इंकम टैक्स की बात कही, उसमें मेरा इतना ही आग्रह है कि इस मामले की डिटेल्स मुझे अभी मालूम नहीं है। अगर वहां सरकार की ओर से, कोयला विभाग से कोई स्ट्रक्चर्ड रेस्पोंस आएगा तो मैं इस बारे में अवश्य चिन्ता करूंगा - अभी इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने उत्तर में बिहार के संबंध में जो लिखा है कि 1999-2000 में 591.65 करोड़ रुपए, 2000-2001 में 392.79 करोड़ रुपए, 2001-2002 में शून्य और 2002-2003 में शून्य रायल्टी अदा की गई, इसका कारण बिहार और झारखंड का बंटवारा है। मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राज्य बंटवारे के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है और कोई आर्थिक संसाधन का जुटान नहीं हो पाया है। फिर केन्द्र सरकार ने कहा था कि हम बिहार को पैकेज देंगे, वैसी स्थिति में क्या बिहार को दी जाने वाली रायल्टी में कोई प्रतिशत फिक्स करके, जब तक पैकेज की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, मंत्री जी, बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए रायल्टी का हिस्सा किसी समय-सीमा के लिए तय करेंगे। हमने अखबार में पढ़ा था कि बंगाल के एक मंत्री कोयला चाइना से खरीदने के लिए गए थे। देश एक संघ है, हम जानना चाहते हैं कि क्या किसी राज्य को सीधे अधिकार दिया गया है कि विदेशों में जाकर कोयला आयात कर सके, क्या ऐसी स्थिति में राष्ट्र की एकता पर असर नहीं पड़ेगा? अगर ऐसा कोई संविधान में या कानून है तो मंत्री जी आप स्पष्ट तौर पर बताएं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह सही है कि आज बिहार से कोयला झारखंड चला गया है, लेकिन जो रायल्टी के बंटवारे की बात है, रायल्टी का पेमेंट राज्य सरकार को होता है, क्योंकि उनके यहां से खनिज निकलते हैं। यह नीतिगत विषय है, इसलिए इस बारे में सरकार को और शायद सदन को भी विचार करना पड़ेगा। अत: अभी उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता। मैं प्रभुनाथ सिंह जी से इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने बिहार की खनिज संपदा को नये तरीके से ढूंढने का प्रयास किया है। जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने सर्वे किया था, जिसमें बिहार में 4000 करोड़ रुपए मूल्य ग्रेनाइट के 19 प्रोस्पेक्ट्स मिले हैं, जिनमें 15 कलर्ड हैं और तीन काले हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय मानक के हैं। मैंने आपको भी पत्र लिखा था और सारे बिहार के सांसदों को भी लिखा है। आज नियमों के मुताबिक लीज देने का अधिकार ग्रेनाइट के संबंध में बिहार सरकार को है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए हम चिन्ता नहीं कर रहे हैं। जहां तक पैकेज की बात है उसके बारे में समय-समय पर बात की गई है। बिहार के संबंध में रायल्टी के बंटवारे का मामला एक बहुत ही नीतिगत मामला है अभी जो वैधानिक प्रावधान है, उसके संबंध में चिन्ता करनी पड़ेगी। आपने जो बंगाल के विषय में पूछा है, मुझे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप हमें विस्तृत जानकारी देंगे तो मैं उत्तर दूंगा। अब कोयला को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत होने के कारण लोग आपस में तालमेल रख सकते हैं...*(व्यवधान)*

अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: चौबीस मिलियन टन कोयले का आयात किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह समस्या पूरे देश में है। राज्यों में भेजे जा रहे कोयले में राख की मात्रा बहुत ज्यादा है। किन्हीं राज्यों में तो यह 40 प्रतिशत से अधिक है। जो राज्य कोयला खानों से दूर स्थित हैं जैसे पंजाब, वहां कोयले में राख की मात्रा अधिक होने के कारण तापीय संयंत्रों का संयंत्र भार कारक दिन प्रतिदिन घट रहा है।

क्या सरकार की कोयला खानों पर कोयला धोवनशाला शुरू करने की कोई नीति है अथवा निजी क्षेत्र में कोयला धोवनशाला पहले से ही चल रही है? जानकारी के अनुसार चीन और अमरीका के लोग बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में कार्यरत है। मैं कोयला धोवनशाला की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।

महोदय, मेरा तीसरा अनुपूरक प्रश्न बहुत छोटा है। क्या कोयला माफिया पर किसी प्रकार कोई नियंत्रण है? इसमें क्या सुधार हुआ है? हमें पता चला है कि यह पूर्णत: कोयला माफिया के नियंत्रण में है और इसके कारण देश को नुकसान हो रहा है? माननीय मंत्री ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं?...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं दस सैकेंड के लिए इस मुद्दे में हस्तक्षेप कर सकता हूं? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

कुछ वर्षों पूर्व एक निर्णय लिया गया था कि विश्व बैंक की सहायता से कोयला खानों पर सामान्यत: कोयला धोवनशालाएं बनाई जाएं लेकिन यह निर्णय किसी न किसी कारण से विलम्बित होता जा रहा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप संक्षेप में अपनी बात कहिये। अपवाद के रूप में मैंने आपको अनुमति दे दी है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: जी हां, महोदय। विश्व बैंक की सहायता से प्रत्येक कोयला खान पर कोयला धोवनशाला बनाने का निर्णय लिया गया था।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मैं एक साथ दोनों प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मेरे विचार से मेरे विद्वान मित्र, माननीय सदस्य इस बात को समझ पाएंगे कि कोयले में राख की मात्रा उस भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है जहां इसका उत्पादन होता है। दुर्भाग्य से, चीन अथवा आस्ट्रेलिया अथवा इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में भारत में भौगोलिक स्थितियों के कारण राख की मात्रा अधिक होती है। हमें इस बात को समझना होगा। जी हां, हमने धोवनशालाओं की स्थापना के लिए समग्र प्रणाली का उदारीकरण करके विभिन्न धोवनशालाएं लगाकर उस कोयले को साफ करने के लिए ठोस कार्यवाही की है। आज धोवनशालाएं खोलने के लिए निजी क्षेत्र का सर्वाधिक स्वागत है। अनेक कम्पनियों ने संपर्क किया है और अनेक विचाराधीन है। मैं आपको सही ब्यौरा दूंगा। लेकिन इसके साथ एक और समस्या है जिसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। जब हम कोयले को साफ करते हैं तो इसका मूल्य अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। उपभोक्ता सोचता है कि यदि भारत में साफ कोयले का मूल्य इतना है तो क्यों न कोयला विदेशों से मंगा लिया जाए। यह बहुत जटिल स्थिति है हमें इसमें उचित रूप से तालमेल बिठाना है...*(व्यवधान)* अत: हम दोनों बातों में सामंजस्य बिठा रहे हैं। पहला विचार है कि योजनाओं का उदारीकरण करके बड़ी संख्या में धोवनशाला लगाने को प्रोत्साहित किया जाए और हम यही कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आपको धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण करना होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उत्तर जारी रखिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं आपको बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में ही निजी क्षेत्र की दो धोवनशालाएं लगाई जाने वाली हैं। महानदी कोयला क्षेत्र में दो कोयला धोवनशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। अन्य कम्पनियां भी ऐसा कर रही हैं क्योंकि महानदी कोयला क्षेत्र की धोवनशाला का काफी कोयला विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है।

जहां तक चोरी का संबंध है, मैं आपको केवल यह बता सकता हूं कि हमने इसे रोकने हेतु संस्थागत तथा ढांचागत रूप से भी सोच समझ कर निर्णय लिया है। हमने 700 से अधिक उन अधिकारियों का तबादला कर दिया है जो एक ही कोयला कम्पनी में 20 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे थे। हमने 500 से अधिक दुलाई अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया है जो एक ही दुलाई केन्द्र पर पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे। ऐसे झूठी कम्पनियों, जो केवल कागजों पर बनी थी और कोयला उठा रही थी, का गठजोड़ रोकने के उद्देश्य से हमने देशभर में समीक्षा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 से अधिक ऐसी कोयला कम्पनियों को इस मायने में अनुत्पादक पाया गया कि उन्होंने तीन वर्ष से अधिक समय से कोयला नहीं लिया था। हम इसे अवहेलना मानते हैं। लगभग 350 कम्पनियों को कागज पर फर्जी पाया गया। अत:, प्रत्येक स्तर पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी और संरचना चल रही है। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि कोल इंडिया की स्थिति बदल गई है और वह लाभ कमाने लगी है। उसने 1,400 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। इस वर्ष लेखा परीक्षा के बाद यह लाभ अधिक भी हो सकता है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार कोयले को लाभप्रद, प्रतिस्पर्धात्मक आधुनिक तथा समय के अनुरूप बनाने हेतु सभी उपाय करेगी...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: कोयला माफिया के मुद्दे का क्या हुआ?

श्री रवि शंकर प्रसाद: मेरे विचार से जब मैंने यह कहा कि हमने 350 कम्पनियों के साथ संबंध तोड़ दिया है तो यह इस बात का संकेत है कि माफिया की पकड़ कमजोर हुई है। सभी के सहयोग से अन्य पुलिस कार्यवाही भी की जा रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कोयले के वितरण का मामला दो सैक्टर्स में बंटा है। बड़े उद्योग को कोर सैक्टर और छोटे उद्योग को नान कोर सैक्टर कहते हैं। बड़े उद्योगों को कोयला लोडिंग प्वाइंट पर ज्यौंट सैम्पलिंग द्वारा दिया जाता है। जिन को प्रायरिटी के आधार पर कोयला दिया जाता है, वहां मूवमैंट पहले होता है लेकिन देखने में आया है कि चूना उद्योग को नान कोर सैक्टर से कोयला दिया जाता है। बड़े उद्योगों को कोयला देने के बाद जो कोयला बचता है वह उन्हें दे दिया जाता है। इसलिए यह उद्योग प्राय: बंद होने के कगार पर है। क्या आप ज्यौंट सैम्पलिंग के आधार पर, नान सैम्पलिंग को रोक कर पैसे वसूल करेंगे? क्या इन चूने-भट्टे वालों को अच्छा कोयला कम दर पर देने का प्रयास करेंगे ताकि वे जीवित रह सकें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रद्धामना श्रीमती बैनर्जी को इतना बताना चाहता हूं कि कोल सैम्पलिंग एक अपनी तरह की व्यवस्था है। अगर कंज्यूमर और सप्लायर के बीच

कोयले की क्वालिटी के बारे में विवाद होता है तो उसके माध्यम से हम उसका निराकरण करते हैं। हमें इसके लिए टाइम टैस्टिड मकैनिज्म चलाना पड़ेगा। जहां तक आपने चूने-भट्टे वालों की बात कही, मैं इस बारे में इतना बताना चाहूंगा कि सभी भट्टों के विषय में हम नीतिगत निर्णय लेने वाले हैं, जिनमें ईंटों के भी भट्टे हैं क्योंकि ये स्माल मैन्यूफैक्चरर्स हैं और उन्हें कोयले की जरूरत पड़ती है। हमने ब्रिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन से भी सम्पर्क किया है और कहा कि डिटेल्स दे दीजिए कि आपके इतने मैम्बर्स हैं। हम इस बारे में जल्दी ट्रेड पालिसी बनाने वाले हैं जिसके अनुसार भट्टा आपरेटर्स को प्राथमिकता के आधार पर कोयला मिले, इसका पूरा प्रयास हम करेंगे लेकिन किसी का काटेंगे तो कोर सैक्टर में देश के लिये लोहा भी जरूरी है, देश के लिये पावर भी जरूरी है, देश के लिये सीमेंट भी जरूरी है। इसलिये इन दोनों के बीच में हमें संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छे उत्तर दिये हैं, धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रश्न सं. 122 - श्री गंता श्रीनिवास राव - उपस्थित नहीं हैं।

अब हम तारांकित प्रश्न सं. 123 को लेंगे।

सीमा पार से होने वाला आतंकवाद

+

***123. श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश की पश्चिम सीमा से लगे क्षेत्रों में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद की स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक माह-वार कितने आतंकवादी घुसपैठिए पकड़े गए और कितने ऐसे आतंकवादी मारे गए और इनकी राष्ट्रीयता क्या थी;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारत में घुसपैठिए भेजने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अन्य पड़ोसी देशों को चुनना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए निवारक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद की समस्या से निपटने हेतु क्या कूटनीतिक और सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार के पास सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ लगातार विचार-विमर्श करने हेतु कोई तंत्र है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और ऐसे विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस वर्ष विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, समर्थित तथा वित्त पोषित आतंकवादी गतिविधियां सीमा पार से जारी रही। विशेष तौर पर पाकिस्तान में रह रहे* आतंकवादियों पर भारत में आतंकवादी कार्रवाइयां करने के लिए पाकिस्तान दबाव डालता रहा है। तोड़-फोड़, विध्वंसकारी तथा जासूसी गतिविधियां चलाने के लिए विभिन्न आतंकवादी ग्रुपों को समर्थन देकर अन्य क्षेत्रों में अस्थायित्व उत्पन्न करना पाकिस्तान की चाल है। राजस्थान, गुजरात तथा पंजाब सहित अनेक राज्यों में निष्प्रभावी किए गए मोड्यूलों से इस योजना का पर्दाफाश हुआ है।

(ख) किसी निश्चित समय के दौरान घुसपैठ के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध कराना कठिन है। तथापि, यह प्रवृत्ति देखने में आई है कि देश की पश्चिमी सीमा, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में अब तक घुसपैठ का स्तर पिछले वर्षों की तुलना में कम हुआ है। घुसपैठ में स्पष्ट तौर पर हुई इस कमी के लिए यह जरूरी नहीं है कि इसका श्रेय पाकिस्तान द्वारा किए गए नियंत्रण को जाता हो। बल्कि इसके कई कारण हैं जिसमें जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा सहित पश्चिमी सीमा पार हमारे सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी शामिल है।

भारत में घुसपैठ करते समय मारे गए आतंकवादियों का ब्यौरा केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, जम्मू और कश्मीर में मारे गए भाड़े के विदेशी आतंकवादियों में अधिकांश पाक अधिकृत कश्मीर/पाकिस्तान के नागरिक तथा अफगानी हैं। जम्मू-कश्मीर में जो अन्य आतंकवादी मारे गए उनमें भी घुसपैठ

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

करने वालों की संख्या अधिक है। जम्मू और कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मारे गए भाड़े के विदेशी आतंकवादी	मारे गए कुल आतंकवादी
2000	439	1520
2001	630	2020
2002 (15.7.02 तक)	283	917

(ग) प्राप्त सूचना से यह संकेत मिलता है कि पाक आई.एस.आई. बंगला देश तथा नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के रास्ते घुसपैठ कराने के मंसूबे बनाती है और उसके लिए प्रयास करती रहती है।

(घ) सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पर गश्त तेज करना, सीमा की प्रभावी निगरानी के लिए साज-समान की पूर्ति करना, राज्य सरकारों को आतंकवादियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा विद्रोहियों की आवा-जाही के संबध में सुग्राही तथा सचेत बनाना शामिल हैं।

(ङ) विभिन्न स्तरों पर निरंतर कूटनीतिक पहल करते रहने, सीमाओं/नियंत्रण रेखा पर सेना को पुन: तैनात करने तथा राज्य के अंदर आतंकवादियों के ऊपर दबाव बनाए रखने के अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है ताकि पाक समर्थित आतंकवादी गुटों/पाक आई एस आई द्वारा जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। इस रणनीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सभी स्तरों पर संस्थागत ढांचे के तहत यू.एच.क्यू. के आपरेशन ग्रुपों तथा आसूचना ग्रुपों के कार्य को बड़े पैमाने पर संगठित करना, केन्द्र तथा राज्यों, दोनों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत तकनोलोजी, हथियारों और उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आतंकवादियों के सक्रिय समर्थकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना।

आतंकवादियों का सामना करने के लिए रणनीति, दांव-पेंच और सुरक्षा बलों की सुक्रिय तैनाती की राज्य में "यूनिफाइड हैडक्वार्टर्स" तथा केन्द्र तथा संबंधित राज्य में आपरेशन ग्रुपों में विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा की जाती है, उसमें सुधार किया जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है।

(च) और (छ) संसदीय स्थायी समिति, गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति जैसी संस्थाओं के जरिए तथा समय-समय पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से सरकार भारत विशेषकर जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के विचार जानने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में विस्तृत वक्तव्य दिया है जिसमें सीमापार आतंकवाद को रोकने और उस नियंत्रण रखने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। माननीय मंत्री द्वारा अपने उत्तर में बताए गए उपायों के बावजूद विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में सीमापार आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: माननीय मंत्री ने यह बताया है: "यह जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा सहित पश्चिमी सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों की बढ़ी हुई सतर्कता सहित कई कारकों के परिणामस्वरूप हुआ है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में मारे गए आंतकवादियों का वर्षवार ब्यौरा भी दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री ने बताया है, विशेषरूप से सीमावर्ती राज्यों में सीमावर्ती राज्यों में सीमापार आतंकवाद देखा गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर कदम उठाए हैं। और क्या भारत सरकार ने उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान की है ताकि राज्य सरकारें सीमापार आतंकवाद का मुकाबला कर सकें और इससे निपट सकें और यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए हैं और सीमा पार आतंकवाद में रोकने हेतु राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार में बीच समन्वय तंत्र क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़: अध्यक्ष महोदय, इसमें एक कमी है। उन्होंने धर्म के नाम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने***.....'आतंकवादियों' का उल्लेख किया है। यह सरकार किसी धर्म के नाम का इस्तेमाल कैसे कर सकती है?...*(व्यवधान)*

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री ए. सी. जोस: महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये।

श्री जे. एस. बराड़ : यह निर्णय पहले ही ले लिया गया है कि आतंकवादियों का उल्लेख करते समय कभी भी 'सिक्ख' अथवा 'ईसाई' अथवा 'मुसलमान' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी आतंकवादी एक आतंकवादी ही होता है...*(व्यवधान)* यह बहुत बड़ी कमी है। मुझे इस पर आपत्ति है। मेरे विचार से इसे हटाया जाये...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, यह सरकार की ओर से गम्भीर चूक है। आपको इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है: ''पाकिस्तान द्वारा ***आतंकवादियों पर दबाव जारी है।'' इस उत्तर में इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? इस हिस्से पर हमें आपत्ति है।...*(व्यवधान)* यही मेरा प्रश्न है। इसे हटा दिया जाये। मेरे विचार से यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री जे.एस. बराड़: मेरे विचार से पूरी सभा इस बात से सहमत होगी कि इस संबंध में किसी विशिष्ट समुदाय का उल्लेख नहीं किया जाये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसी विशिष्ट समुदाय का उल्लेख न किया जाये।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, कोई भी आतंकवादी एक आतंकवादी ही होता है। आतंकवादियों का कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: माननीय अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: उन्होंने किसी विशिष्ट समुदाय नामत:....***का उल्लेख क्यों किया...*(व्यवधान)* सभी आतंकवादी तो आतंकवादी ही होते हैं।...*(व्यवधान)* वे आतंकवादियों में भी साम्प्रदायिकता क्यों फैला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, जितनी भी मार्शल कौमे हैं, यह सरकार उन्हें लांछित करके समाज को तोड़ने का काम कर रही है। हमारे साथियों ने अभी इस पर जो आपत्ति उठाई है, उससे हम और हमारी पार्टी अपने को सम्बद्ध करती है और उत्तर में जो ***आतंकवादी शब्द लिखा गया है उस शब्द को निकाला जाए।...*(व्यवधान)* आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, श्री बराड़ ने यह मुद्दा उठाया है और मैं उनसे सहमत हूं कि धर्म का नाम हटा दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, सरकार का वास्तविक साम्प्रदायिक चरित्र इससे दिखाई देता है। जान-बूझकर एक वर्ग विशेष का अपमान करने के लिए यहां उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर प्रतिबंध लगा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं। उन्हें इस मुद्दे पर अपनी बात बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: अध्यक्ष महोदय, यह इस देश के सिक्ख समुदाय अथवा किसी अन्य पर टिप्पणी नहीं है। महोदय, यह तो पाकिस्तान की चाल है कि वे कुछ आतंकवादी समूहों को कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस संदर्भ में यह स्पष्टतया बताया गया है: ''पाकिस्तान की योजना, जैसाकि सूचनाओं से पता चला है, विभिन्न आतंकवादी समूहों को समर्थन देकर उनसे गड़बड़ी, विध्वंसकारी और जासूसी कार्यकलाप कराकर अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाना है।'' इसमें उन अतिवादियों के बारे में उल्लेख किया गया है जो विशेषरूप से पाकिस्तान में रहते हुए भारत में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं।

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, माननीय मंत्री पुनः...अतिवादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)* यह क्या है?...*(व्यवधान)* हमें इस पर कड़ी आपत्ति है...*(व्यवधान)* हम यह नहीं चाहते कि किसी आतंकवादी का उल्लेख***आतंकवादी अथवा इसाई आतंकवादी के रूप में किया जाये।...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब जम्मू एवं कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे सिख भाईयों का नरसंहार हुआ था तो वहां कई...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, आपने इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है फिर भी, वे धर्म विशेष का नाम ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं माननीय अध्यक्ष के विनिर्णय को स्वीकार करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब यह शब्द उत्तर में देखा गया तो माननीय सदस्य, श्री बराड़ ने आपत्ति उठायी थी और मैंने तत्काल यह विनिर्णय दिया था कि इस शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए। अतः, यह शब्द अब संसद के कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार की मंशा सिखों और अन्य के बीच मतभेद पैदा करने की है। अतः, वे ऐसा कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वे इस शब्द का बार-बार प्रयोग कर रहे हैं। जब मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत से पहले ही निकाल दिया है तो उनसे इसका इस्तेमाल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि एक कोई भी आतंकवादी एक आतंकवादी ही होता है। वह किसी समुदाय अथवा जाति का नहीं होता है। अतः, सभी आतंकवादी एक जैसे है और इसलिए...

...(व्यवधान)

श्री जे.एस. बराड़: इससे सिक्खों और अन्य लोगों के बीच मतभेद पैदा होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अतः, अब, माननीय मंत्री अपने उत्तर में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: सर, सरकार की तरफ से ऐसे साम्प्रदायिक वक्तव्य का ऐलान करना बिल्कुल गलत है।...*(व्यवधान)*

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के संबंध में कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों अर्थात् राजस्थान, गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर की किस प्रकार सहायता की जा रही है और वे जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिस्सों पर नियंत्रण कैसे रख रहे हैं...*(व्यवधान)*

केन्द्र सरकार, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहुपक्षीय नीति पर कार्य कर रही है। इस नीति का पहला पहलू यह है कि जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद से अधिक सक्रिय होकर निपटा जाए।

दूसरी, हम जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आर्थिक विकास में तेजी ला रहे हैं। तीसरा, हम राज्य में लोगों के किसी भी समूह के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है जो हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहते हों और जिनकी कोई वैध शिकायतें हों। हमें उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए तैयार हैं और उनके लिए हमारे पास कई योजनाएं हैं।

जहां तक राज्य सरकार की सहायता का प्रश्न है, हम विभिन्न सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं। हम पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर रहे हैं। उन्हें, विश्व में और देश में बढ़ते हुए अपराध से निपटना होगा। हम प्रत्येक राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं और इन राज्यों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए, कई हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हम सतर्कता बरत रहे हैं और हम घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि उपलब्ध सूचनाओं से, बांगलादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में पाक-आई.एस.आई. के षडयंत्र और प्रयासों का संकेत मिलता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने इस मामले को बांग्लादेश और नेपाल की सरकारों के साथ उठाया है ताकि इन दोनों देशों से आतंकवादियों के घुसपैठ को रोका और नियंत्रित किया जा सके। यदि हां, तो भारत सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमने दोनों देशों की सरकारों के साथ बातचीत की है और उन्होंने भारत सरकार की सहायता करना स्वीकार किया है। सीमा के उस पार का नियंत्रण उनके हाथ में है। यह नियमित और निरन्तर प्रक्रिया है। इस प्रकार के राजनयिक उपाय किए जा रहे हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, प्रधानमंत्री ने 2000 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए बजटीय आबंटन 150 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया था। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन विभिन्न राज्यों से इस धनराशि के बराबर अनुदान मिल रहा था। जिन्हें यह धनराशि आबंटित की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इन आधुनिकीकरण योजनाओं की अवधारणा बनाए जाने तथा सम्मेलन में इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर तथा बिहार जैसे राज्यों में किस तरह का आधुनिकीकरण है?

मैं बिहार की हूं और वर्ष 2000 से मैंने वहां कोई आधुनिकीकरण नहीं देखा है। वस्तुत: नक्सलवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए जो वाहन उपलब्ध होने चाहिए वे भी उपलब्ध नहीं है। हमारे पास रेडियो संचालित सेवाएं नहीं है। हमारे पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि सरकार इन राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण करने का तथा इन नक्सलवादियों के आंदोलन को रोकने हेतु विचार कर रही है। जिसमें तत्काल सहायता की आवश्यकता है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: माननीय सदस्य ने अर्द्धसैनिक बलों पर खर्च की गई राशि के बारे में पूछा था लेकिन यह एक अलग विषय है। यह धनराशि स्थानीय पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए दी जा रही है न कि अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए। इससे पहले जो धनराशि दी गई थी वह बहुत कम थी; पिछले 20 वर्षों से बहुत कम धनराशि दी जा रही थी। केवल 200 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। इस धनराशि को बढ़ा बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये किया गया है। यह धनराशि स्थानीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए है।

श्रीमती श्यामा सिंह: मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमने 1000 करोड़ रुपये अथवा 100 करोड़ रुपये का कोई आधुनिकीकरण नहीं देखा है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: राज्य सरकारों के अनुदान के बराबर एक बड़ी धनराशि अर्थात् 2000 करोड़ रुपये सभी राज्यों के पास अपने पुलिस बलों में आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह: राज्यों से बराबर का अनुदान नहीं आ रहा है। आप किस तरह आशा करते हैं कि धनराशि का उपयोग किए बिना आधुनिकीकरण होगा?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: इस धनराशि का उपयोग आधुनिक हथियार जैसे ए.के.-47, एल.एस.आर., वायरलैस सैट, जिप्सी जीप तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए किया जा रहा है। कुछ धनराशि पुलिस अधिकारियों के कल्याण के लिए खर्च की जा रही है। लगभग सभी राज्य धनराशि खर्च कर रहे हैं। वे बराबर का अनुदान भी दे रहे हैं। हम भी बराबर का अनुदान जारी कर रहे हैं और वे आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं।

विद्वान सदस्य नक्सलवादियों की गतिविधियों को रोकने के बारे में कह रही थीं। नक्सलवाद प्रभावित राज्यों को अलग से धनराशि दी जा रही है और यह सुरक्षा संबंधी व्यय है। उन राज्यों को 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति की जा रही हैं जो हिंसा के संकट को रोकने के लिए धनराशि खर्च करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में मारे गए अधिकांश आतंकवादी किराये के विदेशी सैनिक पाक अधिकृत कश्मीर/पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के नागरिक थे।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अखबारों में समाचार छपा है कि अफगानिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हरकत-उल-अंसार आदि आतंकवादी संगठन के अनेक आतंकवादी पी.ओ.के. में भारत की सीमा पर हमला करने की दृष्टि से इकट्ठे हो रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है, यदि है, तो आप क्या कर रहे हैं?

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में मात खाए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के आतंकवादी भारत पर हमला करने की मंशा से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इकट्ठे हो रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आप पी.ओ.के पर हमला क्यों नहीं करते?

हमारे शिव सेना प्रधान, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे बार-बार कह रहे हैं कि पी.ओ.के. पर हमला करो क्योंकि अब तक हमारे देश के 24-25 हजार निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवादी आ रहे हैं और हमारे देश में बेकसूर लोगों को मार रहे हैं।...*(व्यवधान)* पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं हो रहा है बल्कि हमारे देश में वे आतंकवाद फैला रहे हैं। उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, अमरीका ने साफ-साफ कह दिया है कि हम आतंकवादी देशों का साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब हमने कहा कि पाकिस्तान को टैररिस्ट कंट्री घोषित करो, परन्तु अमरीका उसे आतंकवादी राष्ट्र घोषित नहीं कर रहा है।

महोदय 1988 में आई रिपोर्ट से स्पष्ट है कि शून्य प्रतिशत आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें 60 प्रतिशत आतंकवादी मारे गए लिखा है और जो जानकारी आपने अब दी है उसमें बताया गया है कि 917 यानी 30 प्रतिशत आतंकवादी मारे गए हैं। इस प्रकार से हमारे देश में आतंकवादी आते चले जा रहे हैं और देश की आम जनता और मिलिस्ट्री के लोगों को मार रहे हैं। आपको यह भी मालूम है कि यह सारा काम पाकिस्तान द्वारा कराया जा रहा है। जब इतना स्पष्ट है, तो फिर आप पी.ओ.के. पर क्यों हमला नहीं करते हैं?

महोदय, जब अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया तो अमरीका ने साफ-साफ घोषणा की थी कि हमें लादेन चाहिए जिन्दा या मुर्दा। उसी प्रकार से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा भारत के लोगों को बराबर मारा जाता रहा है इसलिए आप ऐसी घोषणा क्यों नहीं करते कि हमें मुशर्रफ चाहिए-जिन्दा या मुर्दा?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के समक्ष आपने अपना प्रश्न प्रस्तुत कर दिया है। अब आप उन्हें उत्तर देने दीजिए। वे उत्तर देंगे नहीं तो हमला करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 जनवरी और 27 मई, 2002 को जनरल मुशर्रफ द्वारा की गई घोषणाओं के बावजूद घुसपैठ बंद नहीं हुई है क्योंकि आतंकवादियों की सीमा पार से घुसपैठ कमोवेश अभी भी जारी है। 1 जनवरी, 2002 से 9 जुलाई, 2002 तक सीमा पार से 194 विदेशी किराये के सैनिकों सहित 695 आतंकवादी देश में घुसे जबकि वर्ष 2001 में 649 विदेशी किराये के सैनिकों सहित 1835 आतंकवादी देश में घुसे थे।

महोदय, जहां तक मेरे मित्र के प्रश्न का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों को धनराशि और प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सीमापार से इस देश में भेजा जाता है। जनरल मुशर्रफ द्वारा किए गए वायदे तथा अनेक भाषणों के बावजूद घुसपैठ जारी है। नि:संदेह, कुछ समय के लिए घुसपैठ कम हो गई थी।

महोदय, पाक अधिकृत कश्मीर में शिविरों पर हमला करने के इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र को ध्यान में रखते हुए भारत बातचीत और समझौते के प्रति दृढ़ रूप से वचनबद्ध है। भारत ने बार-बार पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह भारत में आतंकवाद को इस तरह की सहायता देना बंद कर दे ताकि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने का माहौल बन सके ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं, मिलिट्री के लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोहन रावले जी, मंत्री को जवाब देने दीजिए।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं। उसके लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर की इस समस्या के समाधान हेतु अब तक कई बार अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने इस समस्या का इंसानियत के तरीके से समाधान करने का निर्णय लिया है जिसके परिणामस्वरूप लाहौर बस यात्रा हुई थी। जनरल मुशर्रफ ने अपनी पत्नी के साथ इस देश का दौरा किया था। अनेक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु कि जम्मू और कश्मीर में रमजान का त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हो जाए, इस दौरान संघर्ष कार्यवाही शुरू न करने हेतु भी कदम उठाया गया था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य में रमजान का त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ था। ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं क्योंकि हम इस समस्या का समाधान दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श से करना चाहते हैं और हम किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते है और इसी के साथ हम इस समय पाक अधिकृत कश्मीर के शिविरों पर भी हमला नहीं करना चाहते हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि गुजरात एक सीमान्त राज्य है जो देश के दुश्मन के लिए भूमि तथा समुद्र मार्गों से खुला हुआ है। गुजरात में 1600 कि.मी. का समुद्र तट है। यह गुजरात और देश के लिए बहुत खतरनाक है। मेरे जिले अर्थात् पाटन को भारत सरकार ने सीमान्त जिला घोषित कर दिया है। तथापि, पाटन सीमान्त जिले हेतु केवल 1 करोड़ रुपये की नाममात्र राशि स्वीकृत की गई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कच्छ मरुस्थल, सामी की भू सीमा से, राधनपुर तथा सनतालपुर सीमापार और समुद्र मार्ग आतंकवाद को रोकने हेतु गुजरात सरकार को क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस देश को दुश्मन देश से सबसे अधिक खतरा समुद्र मार्ग से हो सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका उत्तर दें।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: घुसपैठ रोकने हेतु सरकार द्वारा सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने की बात कही गई है। जहां तक पंजाब की सीमा का संबंध है, कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। पंजाब की 554 किलोमीटर की पूरी सीमा पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। राजस्थान की 1035 किलोमीटर की पूरी सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है। जम्मू और कश्मीर में सीमा पर बाड़ लगाने का काम लंबित है और आशा है कि यह वर्ष 2005 में पूरा हो जाएगा।

माननीय सदस्य विशेषरूप से गुजरात के बारे में पूछ रहे थे। गुजरात में भी बाढ़ लगाने का कार्य प्रगति पर है। गुजरात की समग्र सीमा की लम्बाई 408 किलोमीटर है। इसमें से जिस सीमा पर बाड़ लगाने का चयन किया गया है वह 380 किमी. लम्बी है। अब तक 54 किलोमीटर सीमा पर बाढ़ लगा दी गई है। शेष 256 कि.मी. लम्बाई सीमा पर बाढ़ लगाने का विचार है। इस पर पहले ही 68.20 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। हम इसे पूरा करने की योजना बना रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं तटीय क्षेत्र के बारे में चिंतित हूं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: हम 2005 तक बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर देंगे। जब बाड़ लगाने का काम पूरा हो जाएगा तो हम घुसपैठ रोक सकते हैं।

जहां तक तटीय और नदी तट क्षेत्रों का संबंध है, कतिपय स्थान ऐसे हैं जहां बाड लगाना बहुत कठिन है और ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे तटरक्षक और चल दल यहां मौजूद हैं। इन क्षेत्रों पर हमारे कार्मिक दूरबीन तथा अन्य उपकरणों से निरंतर चौकसी करते रहते हैं। इस सीमा की चौकसी करने हेतु हमारे अर्द्धसैनिक बलों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: तटरक्षक मुख्यालय मुम्बई में स्थानांतरित हो गया है। यह गुजरात में होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 24–डा. वी. सरोजा।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें अब काफी समय लगेगा। हमने कई बार आतंकवादियों के मुद्दे पर चर्चा की है। यदि कोई विशेष चर्चा चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा. सरोजा सभा में नहीं है। अब हम प्रश्न सं. 125 पर आते हैं। श्री रामजीवन सिंह।

गुजरात में पाठ्य पुस्तकें

***125. श्री रामजीवन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के विद्यालयों में पढ़ाई जा रही पाठ्य पुस्तकों ने राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच घृणा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गुजरात राज्य में सामाजिक सद्भाव एवं सौहार्द में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार आपत्तिजनक अंशों की पहचान के लिए विद्यालय पाठ्य पुस्तकों का विवेचनात्मक अध्ययन करवाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

श्री रामजीवन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया है कि इस संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। मैं मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि गुजरात की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे अंश, जिससे सामाजिक और धार्मिक सद्भाव एवं सौहार्द पर बाधा पड़ती हो, उस तरह के आपत्तिजनक अंश प्राप्त होने पर क्या मंत्री जी उन्हें पाठ्य पुस्तकों से हटाने के लिए कार्य करेंगे? मैं मंत्री जी से केवल इतना ही आश्वासन चाहता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, एन.सी.ई.आर.टी. की जो पुस्तकें होंगी, उनमें से ऐसे अंश हम सीधे निकालने के लिए आदेश दे सकते हैं लेकिन अगर कोई पुस्तक किसी प्राइवेट व्यक्ति की या राज्य सरकार की होगी, तो उसके लिए हम सलाह दे सकते हैं।

उनको बता सकते हैं कि ये अंश हमारे नीति के विरुद्ध हैं। लेकिन उसमें राज्य सरकारों को काफी स्वायत्तता है।...*(व्यवधान)* दूसरी बात है कि कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं, उनका समीक्षण कराने में भी बहुत समय लगेगा। मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार की नीति यह है कि यदि किसी भी सम्प्रदाय, जाति, समूह और भाषा के बारे में दुर्भावना फैलाने वाले आपत्तिजनक अंश किसी पुस्तक में होंगे तो हम उनसे सहमत नहीं हैं, हम उनको निकालने के पक्ष में हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चूंकि दिनेश चन्द्र यादव सभा में उपस्थित नहीं है इसलिए मैं श्री मधुसूदन मिस्त्री को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं माननीय मंत्री के उत्तर से बहुत संतुष्ट नहीं हूं। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि गुजरात सरकार उस पाठ्यक्रम को जारी रखना चाहती है जिसमें हिटलर की प्रशंसा की गई है तो वह ऐसा कर सकती है? वस्तुत: उसमें एक ऐसा पैरा है जिसमें हिटलर द्वारा यहूदियों को समाप्त करने की उसकी रणनीति का उल्लेख है। इस बात का लिखित प्रमाण मिला है।

क्या इसका यह अर्थ है कि माननीय मंत्री गुजरात सरकार को केवल यह सलाह देंगे कि उसे पाठ्यक्रम से यह पैरा हटा देना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार अपनी अनिवार्य शक्तियों के अंतर्गत पूरे भाग का लोप करने के लिए कहेगी।

मैं इस पर माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: यदि मुझे ऐसा करने का अधिकार दिया जाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य से मामला यह नहीं है। मैं किसी राज्य सरकार को निर्देश नहीं दे सकता हूं कि वह ऐसा करे और ऐसा नहीं। मैं उन्हें केवल सलाह दे सकता हूं क्योंकि ये स्वायत्तशासी है। यह विषय समवर्ती सूची में आता है। उनकी अपनी पुस्तकें हैं। लेकिन हम उन्हें सलाह दे सकते हैं कि अमुक बातें संविधान अथवा विधि अथवा हमारी नीति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसलिए हम उन्हें इसका लोप करने की सलाह देंगे।

जहां पुस्तकें केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित होती है, वहां हम स्वयं इसका लोप कर देंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: इसे किस तरह पूरा किया जा सकता है? यह संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। लेकिन आपको ऐसा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: स्थिति यही है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह स्टैंड कि हम ऐडवाइज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वह कनकरैंट लिस्ट में है, करैक्ट नहीं है। यदि कनकरैंट लिस्ट में है तब भी आप जो निर्णय करते हैं, उसके मुताबिक ही स्टेट गवर्नमैंट को करना जरूरी है। अगर उन्होंने कानून बनाए, ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स ईशू किए और आपके कानून और ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स उनके खिलाफ हैं तो आपका कानून और ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर चलेगा। यदि राज्य सरकार कोई ऐसा काम कर रही है, जिसकी वजह से समाज में सामाजिक दुर्भावना फैलने जा रही है, उसमें सरकार का यह स्टैंड लेना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऐडवाइज़ कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जांच-पड़ताल करके इसके बारे में सही स्टैंड लेगी?

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, पहली बात है कि यह पता लगना चाहिए कि वे कौन से अंश हैं। कोई सज्जन कहते हैं कि ये अंश ऐसे हैं तो उनकी समीक्षा होनी चाहिए, जांच-पड़ताल होनी चाहिए। जांच-पड़ताल होने के बाद जैसा मैंने पहले कहा, अगर वे संविधान या हमारी घोषित नीतियों के विरुद्ध हैं तब हम उनको कहते हैं कि इसे निकालिए, इसे हटाइए। लेकिन सामान्य तौर पर वे क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब तक हमारे नोटिस में यह नहीं लाया जाता, हम नहीं कहते। हम शुरू में सलाह देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हमारे ध्यान में लाया जाता है कि कोई पाठ ऐसा है और इसका यह अर्थ निकलता है, हम उसकी जांच कराते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि इसे निकालिए, परन्तु उसके पहले हम नहीं कह सकते। मेरा उत्तर था कि जब तक ऐसा न कहा जाए कि ये अंश हमारे नीति के खिलाफ हैं, अन्यथा हम केवल उनको घोषित सूचना देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर कोई हमारे ध्यान में लाता है कि ऐसा हो रहा है तब हम एक्शन लेते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: जैनोसाइड जैसी अगर कोई चीज किसी किताब में लिखी हुई है तो क्या उसको औब्जैक्शनेबल नहीं माना जाएगा?

डा. मुरली मनोहर जोशी: अगर उतने अंश से मतलब है तो उस पाठ की समीक्षा पहले की जा चुकी है। इफैन फॉरैस्टर का एक लेख है जिसमें उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति की निन्दा करते हुए एक लेख लिखा है। उसे पढ़ा गया है। सदन में यह सवाल

पहले भी आ चुका है। केवल चार लाइनों के आधार पर उसका निर्णय नहीं हो सकता। यह किसी भारतवासी का या आज की परिस्थिति में लिखा हुआ लेख नहीं है। पुराने जमाने में इटली या अन्य स्थानों पर जो हो रहा था, उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि वहां यह नीति थी और यह गलत है। इस रूप में वह लेख लिखा गया है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हम लोग गुजरात के सरकारी विद्यालयों से पढ़ कर यहां तक आए हैं। वहां ऐसी कोई सामाजिक असमानता पैदा करने वाली चीज हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जो सरकारी स्कूल नहीं हैं, वहां सामाजिक असमानता और भेदभाव फैलाने वाली पुस्तकें छापी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। क्या ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी? साथ ही जो किताबें सामाजिक सौहार्द बढ़ाती हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सामाजिक सद्भाव बढ़ाना प्रत्येक पाठ्यक्रम की पुस्तक का उद्देश्य है और इसमें पुरस्कार देने जैसी बहुत महत्त्वपूर्ण चीज नहीं है, जब कि ऐसा पाठ न हो कि वे सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए बहुत नये और बहुत कारगर उपाय बताते हों, उनको हम अवश्य पुरस्कृत कर सकते हैं, लेकिन यह सामान्य तौर पर हमारे उसूलों से, हमारे पाठ्यक्रम से यह अपेक्षा है, हमारी नीति है कि वे सामाजिक सद्भाव बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम पढ़ाये जाएंगे। हमने इसका नीति निर्देश किया है कि कोई भी पाठ, कोई भी विषय, चाहे वह सामाजिक विज्ञान का हो या साहित्य का हो, भाषा, लिंग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र अथवा जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं फैलाएगा, यह हमारी नीति है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कम्प्यूटर शिक्षा

*122. **श्री गंता श्रीनिवास राव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आई मंदी ने देश में कम्प्यूटर शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कम्प्यूटर शिक्षा के स्तर में आने वाली भारी गिरावट से बचाए रखने हेतु संबंधित एजेंसियों को सहायता देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई मंदी का देश में कम्प्यूटर शिक्षा पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव महसूस नहीं किया गया है।

(ख) लागू नहीं होता।

विस्थापित कश्मीरी पंडितों की सम्पत्ति

*126. **डा. बलिराम:**
श्री रामरती बिन्द:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने कश्मीरी पंडितों की विभिन्न सम्पत्तियों और उनके धार्मिक संस्थानों को उनकी सहमति के बिना ही स्थायी/अस्थायी रूप से अपने कब्जे में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके मालिकों को मुआवजे/किराए आदि के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मुआवजे की राशि का शीघ्र भुगतान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) यह सच है कि केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने राज्य में सुरक्षा स्थिति के कारण विस्थापित कश्मीरी आप्रवासियों की सम्पत्ति पर उनकी सहमति के बिना कब्जा किया हुआ है। जैसा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है, सरकार के विभिन्न विभागों और सुरक्षा बलों के कब्जे में कश्मीरी आप्रवासियों की सम्पत्ति के ब्योरे निम्न प्रकार से हैं:-

	कब्जा किए गए मकान/भूमि	जितनों का किराया आंकलित कर लिया गया है	प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या
मकान	1201	819	382
भूमि	9717.57 (कनाल)	6276.22 (कनाल)	120

जम्मू और कश्मीर सरकार के सभी मामलों में किराए के आंकलन/रिलीज के कार्य को तेज करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

जाली मुद्रा/स्टाम्प पेपरों की जब्ती

*127. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य-वार कितने मूल्य की जाली मुद्रा/जाली स्टाम्प पेपर्स/जाली गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर/जाली डालर जब्त किए गए एवं ऐसे कितने मामले पकड़े गए;

(ख) सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(घ) क्या जाली मुद्रा/जाली स्टाम्प पेपर के मामलों में पकड़े गए व्यक्ति आतंकवादी संगठनों और नशीली दवाओं के अवैध तस्करों से जुड़े हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में ऐसी जाली मुद्रा/स्टाम्प पेपर की छपाई/परिचलन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों (1999-2001 तक) के दौरान जाली मुद्रा नोटों की जब्ती के मामलों कुल मूल्य और उनमें संलिप्त अभियुक्तों की संख्या का एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जाली स्टाम्प पेपरों और जाली गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों की सूचना ब्यूरो द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

डालर सहित जाली विदेशी मुद्रा के बारे में सूचना एकत्र करना वर्ष 2001 में ही शुरु किया गया था और यह ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है

सरकार को हुई राजस्व की हानि की सूचना सलंग्न विवरण-III पर दी गई है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा, जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को सूचित किया गया है, परिचालन में जाली नोटों की बरामदगी भी सम्मिलित है। वर्ष 2002 के बारे में सूचना राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों में प्राप्त नहीं हुई है।

अपराध का पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और रोकने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है और अपराध कृत्यों के बारे में मामले-वार ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। सरकार के ध्यान में कुछ मामले आए हैं जिनमें उग्रवादियों और अपराध जगत के सदस्यों से जाली मुद्रा नोट बरामद किए गए हैं।

जाली भारतीय मुद्रा के परिचालन से संबंधित मामलों की सम्पूर्णता में जांच करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रतिनिधियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल जाली मुद्रा नोटों की ही जांच-पड़ताल करने के लिए एक विशेष यूनिट का सृजन किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को और अधिक सावधान किया है। ताकि इस प्रकार के नोटों को तस्करी करके देश में न लाया जा सके। जाली मुद्रा बनाने के काम को रोकने के लिए, मुद्रा नोटों को अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ भी छापा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में जन-जागरण अभियान शुरु किया है। जाली मुद्रा नोटों के परिचालन के खतरे से निपटने के लिए समुचित उपाय करने हेतु सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान जाली मुद्रा नोटों की जब्ती की घटनाओं, मूल्य और उसमें संलिप्त अभियुक्तों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दर्शाने वाला विवरण

क्रम	राज्य/संघ	1999			2000			2001		
सं.	शासित क्षेत्र	मामले	मूल्य (रुपये में)	अभियुक्त	मामले	मूल्य (रुपये में)	अभियुक्त	मामले	मूल्य (रुपये में)	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	27	47950	67	117	692910	294	110	2121945	237
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	26000	0	3	200	0	04	9540	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	61	158320	49	40	281270	70	45	637300	77
4.	बिहार	अनु.	0	0	अनु.	0	0	अनु.	अनु.	अनु.
5.	गोवा	6	700	1	36	12400	10	03	6200	01
6.	गुजरात	173	833230	87	42	4706740	18	51	2871720	अनु.
7.	हरियाणा	53	353020	63	18	377890	33	51	350200	72
8.	हिमाचल प्रदेश	2	11000	1	1	1300	1	03	60100	04
9.	जम्मू-कश्मीर	29	55000	14	12	208400	20	15	1094750	27
10.	कर्नाटक	98	793280	70	668	1353990	207	110	1471300	448
11.	केरल	65	501900	60	51	368930	85	69	736440	73
12.	मध्य प्रदेश	51	0	0	5	19900	3	4	1300	10
13.	महाराष्ट्र	329	184620	54	83	1053910	72	98	10629285	109
14.	मणिपुर	16	131900	10	13	159600	17	15	258420	28
15.	मेघालय	3	14400	1	2	1900	5	02	17400	06
16.	मिजोरम	55	1168120	27	11	388500	14	11	867900	15
17.	नागालैंड	7	1200	4	4	5400	6	09	209150	14
18.	उड़ीसा	1	0	0	4	800	4	04	36800	06
19.	पंजाब	4	298620	45	43	1959820	32	46	1154050	64
20.	राजस्थान	42	153150	19	53	584700	20	46	3642620	20
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	01	600	0
22.	तमिलनाडु	61	322470	9	84	1043210	0	65	727230	23
23.	त्रिपुरा	1	500	1	8	10500	11	05	67200	07
24.	उत्तर प्रदेश	141	3838760	151	134	21856705	144	116	2209851	197
25.	पश्चिम प्रदेश	26	940010	38	59	124020	89	14	29100	21
	कुल (राज्य)	1253	9834150	771	1491	35132995	1155	897	29210401	1462
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	02	750	0
27.	चंडीगढ़	1	500	1	7	8600	5	02	1000	02
28.	दा. और न. हवेली	0	0	0	0	0	0	अनु.	अनु.	अनु.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	दमन और दीव	0	0	0	1	500	0	01	1000	05
30.	दिल्ली	86	700	70	10	49710	9	02	244000	03
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	9	2900	2	5	167500	10	03	3850	2
	कुल (संघ शासित)	96	4100	73	23	226310	24	10	250600	12
	कुल (अखिल भारत)	1349	9838258	844	1514	35359305	1179	907	29461001	1474

नोट: 1. आंकडे अस्थाई हैं।

2. अनु.-अनुपलब्ध

विवरण-II

वर्ष 2001 के दौरान विदेशी मुद्रा की जब्ती दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	जिला	पुलिस स्टेशन	प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. और दिनांक	मूल्य वर्ग	जब्ती की संख्या	अभियुक्तों की संख्या	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद शहर	आसिफनगर	46/2001 02.03.01	अमेरिकी डालर	1	3	
2.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	वी के पुरम	53/2001 08.03.01	अमेरिकी डालर	1 मिलीयन	उ.न.	मूल्यवर्ग वास्तविक दस्तावेजों में दिए गए अनुसार दर्शाया गया है।
3.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	मुन्नेरोपाल्लम	123/2001 10.06.01	100 अमेरिकी डालर	190	उ.न.	
4.	केरल	कोझीकोड	कास्बा	85/2001 23.02.01	रीयाल (100) सउदी अरब	2	3	
5.	केरल	त्रिवेन्द्रम	अंटीगल	26/2001 11.01.01	अमेरिकी डालर	41	3	
6.	केरल	कोल्लाम	पूर्वी कोल्लाम	491/2001 10.06.01	अमेरिकी डालर	100	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	केरल	पालघाट	अगाली	37/2001 22.02.01	रीयाल (500 रीयाल (50) यू.ए.ई. डेरम 100	1 1 1	3	

नोट: उपर्युक्त विदेशी मुद्रा भारतीय जाली मुद्रा के साथ उसी मामले में जब्ती की गई।

विवरण-III

वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान जाली मुद्रा (भारतीय) के कारण सरकार को हुई राजस्व हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	वर्ष	कुल जब्ती (रुपये)	भारतीय रिजर्व बैंक शाखा द्वारा सूचित की गई वसूली	कुल राजस्व हानि (रुपये)
1.	1999	9838250	8497065	18335315
2.	2000	35359305	24087760	59447065
3.	2001	29461001	26982980	56443981
	कुल	74658556	59567805	134226361

एड्स को नियंत्रित करने वाली औषधियों का मूल्य

***128. श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बाजार में एड्स को नियंत्रित करने वाली औषधियों के मूल्य अत्यधिक हैं और यह आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कार्यरत कुछ प्रमुख कंपनियों से एड्स के उपचार हेतु हाल ही में नई औषधियां विकसित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बाजार में इन औषधियों के मूल्य कम करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) एड्स को नियंत्रित करने वाली औषधियां औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों के तहत और अनुसूचीबद्ध श्रेणी में आती हैं और इसलिए ये मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं। गैर अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य सूत्रयोगों में प्रयुक्त बल्क औषधियों की लागत, अन्य इनपुट सामग्री की लागत, अनुसंधान एवं विकास पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। एड्स को नियंत्रित करने के लिए सूत्रयोगों में प्रयुक्त बल्क औषधियां अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके विनिर्मित की जाती हैं, जिससे वे मंहगी हो जाती हैं। तथापि, एड्स को नियंत्रित करने वाली औषधियों के प्रमुख विनिर्माताओं ने 2001 में स्वेच्छा से मूल्य कम कर दिए थे और तत्पश्चात् इनके मूल्य स्थिर बने हुए हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार डिनेक्स (बल्क औषध डिडेनोसाइन पर आधारित) और डुओविर-एन (बल्क औषध लेमिव्युडाइन, जिडोव्युडाइन, निविरेपाइन पर आधारित) एड्स के

उपचार हेतु भारतीय बाजार में मैसर्स सिपला लिमिटेड द्वारा हाल ही प्रारंभ किए गए नए सूत्रयोग हैं।

(घ) और (ङ) समय-समय पर यथा संशोधित औषध नीति का उद्देश्य गुणवत्ता वाले औषधियों की उचित मूल्य पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सड़कों के विकास हेतु डीजल उपकर से प्राप्त धनराशि

*129. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर उपकर के रूप में कितनी राशि एकत्र की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु राज्य सरकारों को इस राशि में से राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार को सड़कों के विकास और आवंटित धनराशि के उपयोग के बारे में राज्य सरकारों से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा राज्यों को उक्त धनराशि का समय पर उपयोग करने हेतु निर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (छ) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 (अप्रैल-नवम्बर, 2001) के दौरान पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) तथा डीजल (हाई स्पीड डीजल) पर उपकर के रूप में संग्रहित की गयी राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 7553.28 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है और कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, वर्ष 2000-2001 में शुरू किए गए 12867 सड़क कार्यों में से अब तक 7221 पूर्ण हो चुके हैं तथा अन्य के दिसम्बर, 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है। वर्ष 2001-2002 में मंजूर किए गए सड़क कार्य अधिकांश राज्यों में शुरू हो चुके हैं और वर्तमान वर्ष के दौरान अधिकांशत: इनके भी पूरा हो जाने की आशा है। इन कार्यों के समय पर पूरा हो जाने के हित में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ नियमित रूप से कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक किए गए राज्यवार आबंटन, व्यय तथा पूर्ण हो चुके सड़क कार्यों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

मुख्य शीर्ष	1999-2000	2000-01	2001-02* (अप्रैल-नवम्बर, 2001)
	सीमा शुल्क		
मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त शुल्क** (मोटर स्पिरिट पर 1 रु./ली.)	0	2	1
हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त शुल्क # (हाई स्पीड डीजल पर 1 रु./ली.)	662	68	2
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त शुल्क (मोटर स्पिरिट पर 1 रु./ली.)	845	1135	764
हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त शुल्क (हाई स्पीड डीजल पर 1 रु./ली.)	3716	3964	2631
कुल	5223	5169	3398

* मात्र अप्रैल-नवम्बर, 2001 की अवधि के ही आंकड़े तत्काल उपलब्ध हैं।

** एमएस-मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)

\# एच एस डी-हाई स्पीड डीजल।

विवरण-II

(करोड़ रुपये)

#	राज्य	वार्षिक आबंटन	जून, 2002 के अंत तक किया गया संचयी व्यय	पूर्ण हो चुके सड़क कार्यों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	190.00	214.21	930
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	71.51	122
3.	असम	75.00	77.48*	13
4.	बिहार	150.00	12.00*	0
5.	छत्तीसगढ़	87.00	86.61*	2
6.	गोवा	5.00	5.00	57
7.	गुजरात	50.00	61.00	148
8.	हरियाणा	20.00	17.28	14
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	62.30	119
10.	जम्मू-कश्मीर	20.00	7.37	0
11.	झारखंड	110.00	75.00	5
12.	कर्नाटक	95.00	82.15	227
13.	केरल	20.00	13.10	0
14.	मध्य प्रदेश	213.00	93.89*	60
15.	महाराष्ट्र	130.00	116.21	757
16.	मणिपुर	40.00	31.33*	404
17.	मेघालय	35.00	35.39	109
18.	मिजोरम	20.00	34.16	9
19.	नागालैंड	20.00	26.21	114
20.	उड़ीसा	175.00	93.78	19
21.	पंजाब	25.00	42.25	92
22.	राजस्थान	130.00	143.94	281
23.	सिक्किम	20.00	26.86	30
24.	तमिलनाडु	80.00	79.48	155

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	25.00	24.62	193
26.	उत्तर प्रदेश	315.00	247.83	3246
27.	उत्तरांचल	60.00	30.45	12
28.	पश्चिम बंगाल	135.00	73.10	53
	कुल		1884.61	7171

* किए गए कार्य का मूल्य

टिप्पणी: इसके अलावा, पांडिचेरी तथा दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2.63 करोड़ रुपये के खर्च की सूचना दी गई है तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 50 सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं।

पनधारा (वाटरशेड) कार्यक्रमों के विकास हेतु साफ्टवेयर

*130. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पनधाराओं के प्रबंधन और विकास हेतु नए साफ्टवेयर विकसित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश को अब तक आपूर्ति किए गए "पैकेजों" का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) के जरिए "वाटरशेड प्रबन्धन, सूचना तथा प्रशिक्षण प्रणाली (डब्ल्यू.आई.टी.एस.)" के संबंध में एक सी.डी. रोम तैयार किया गया था, जिसकी सी.डी. आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों सरकारों, राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों को मई/जून, 2001 में भेज दी गई थी।

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और गुणता का पता लगाने के लिए परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2002-03 से एक अनुपूरक पर्यवेक्षण तंत्र लागू किया गया है। यह तंत्र प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के स्वरुप का होगा और इससे कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में नियमित रूप से वांछित समय पर ऑनलाइन सूचना उपलब्ध होगी। बंजरभूमि विकास परियोजनाओं के लिए आंकडा आधार/मॉडल तैयार करने तथा भूमि और जल संसाधनों के लिए दूरसंवेदी एवं जी.आई.एस. के जरिए कार्य योजना तैयार करने हेतु दूरसंवेदी/जी.आई.एस. के आधार पर कई परियोजनाएँ भी स्वीकृत की गई हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) मई, 2000 में भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस (वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया) जारी किया गया था। इसमें जिला स्तर पर बंजर भूमि की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में सूचना दी गई है।

(ii) 500 हैक्टेयर तक के वाटरशेड की परिसीमाएं निर्धारित करने सहित बंजर भूमि के आँकड़ों को अंकीकृत करने संबंधी परियोजना पूरी हो चुकी है।

(iii) भूमि तथा जल संसाधनों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु, दूरसंवेदी तथा जी.आई.एस. का प्रयोग करने के संबंध में परियोजनाएं राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद, राज्य दूरसंवेदी अनुप्रयोग केन्द्र, जोधपुर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली को स्वीकृत की गयी हैं।

(iv) परियोजना क्षेत्रों के संबंध में स्थानिक तथा गैर स्थानिक सूचना शामिल करते हुए एटा (उत्तर प्रदेश), उदयपुर (राजस्थान), सलेम (तमिलनाडु), पुणे (महाराष्ट्र), गंगटोक (सिकिक्म) और रायपुर (छत्तीसगढ़) के जिलों में छः प्रायोगिक वाटरशेडों के लिए वाटरशेड विकास हेतु जी.आई.एस. आधारित एक मॉडल तैयार किया गया है। इस प्रकार विकसित अनुप्रयोग पैकेज को विशेष वाटरशेडों में प्रयोग किए जाने हेतु संबंधित जिला ग्रामीण अभिकरणों को भेज दिया गया था।

संवेदनशील और प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति

*131. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई वर्षों के दौरान दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों से कुछ फर्मों द्वारा टाइटेनियम वेसेल्स, एटोमाइज्ड अल्युमीनियम पाउडर, टाइटेनियम सेंट्रीफ्यूगल पंपों आदि जैसी संवेदनशील और प्रतिबंधित सामग्री इराक को आपूर्ति करने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो ये फर्में इराक को इन सामग्रियों की आपूर्ति कब से कर रही हैं;

(ग) इन सामग्रियों के खेप को इतने लम्बे समय से आवश्यक स्वीकृति कैसे मिलती रही है;

(घ) क्या ऐसी खेपों को स्वीकृति देने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) लाइसेंसिंग अपेक्षाओं, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 सहित घरेलू निर्यात नियंत्रण विनियमनों का तथाकथित रूप से उल्लंघन करने के लिए कतिपय फर्मों की जांच-पड़ताल की गई है।

एक व्यक्ति, जिसे इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है, की जमानत की अर्जी न्यायालय के समक्ष लंबित है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन चल रही प्रयोगशालाओं का कार्य-निष्पादन

***132. श्री सुरेश रामराव जाधव:**
डा. बी.बी. रमैया:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) के अधीन आने वाली प्रत्येक प्रयोगशालाओं के कार्य-निष्पादन का हाल ही में मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) देश की बदलती विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में आमूल-चूल परिवर्तन करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सी.एस.आई.आर. के मौजूदा नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रत्येक प्रयोगशाला के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन इस विशिष्ट उद्देश्यार्थ गठित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन बोर्ड (पीएबी) द्वारा हर तीन वर्षों में कम से कम एक बार किया जाना होता है। तदनुसार, सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं के मूल्यांकन के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन बोर्डों (पीएबीज) का गठन किया गया। सी.एस.आई.आर. की समग्र रणनीति तैयार करने हेतु इन निष्कर्षों का विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।

(ग) सी.एस.आई.आर. ने अपने अनुसंधान कार्यक्रमों और इन प्रयोगशालाओं की प्रबंधन शैली एवं संरचना का अभिमुखीकरण करके बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहने का संगत प्रयास किया है। आगे के कदम (क) और (ख) में शामिल प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद उठाए जाएंगे।

इंदिरा आवास योजना के कार्यकरण पर निगरानी हेतु केन्द्रीय दल

***133. श्री सुरेश कुरूप:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा आवास योजना के कार्यकरण की निगरानी हेतु विभिन्न राज्यों में कोई केन्द्रीय दल/अन्य एजेंसियां भेजा गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार, विशेषकर केरल के संदर्भ में उक्त दल/एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई) को कार्यान्वित कर रहा है, क्षेत्र अध्ययनों, क्षेत्र अधिकारियों की योजना और आवधिक रिपोर्टों जैसे निगरानी के तरीकों के अलावा, समय-समय पर कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन भी करता है। हाल ही में कार्यक्रम का एक अखिल भारतीय समवर्ती मूल्यांकन कराया गया था जिसके निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य थे:-

* कार्यक्रम के कार्यान्वयन और नीतिगत माहौल का मूल्यांकन करना;
* लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को समझना और योजना के अंतर्गत सहायता हेतु उनके चयन की प्रक्रिया का पता लगाना; और
* लाभार्थियों पर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

यह मूल्यांकन 25 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में कराया गया था। प्रत्येक जिले से 2 ब्लॉकों को चुना गया था। मूल्यांकन में राज्यों में 53,153 एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 590 आई.ए.वाई. लाभार्थियों को कवर किया गया था।

2. रिपोर्ट के सकारात्मक निष्कर्ष निम्नानुसार हैं-

(i) अनुसूचित जाति के लाभार्थी 57% अंश के साथ समग्र प्रतिदर्श पर वर्चस्व रखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का अंश 22% है। इसलिए, अखिल भारतीय स्तर पर योजना के आवासीय लाभों का लगभग तीन चौथाई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राप्त हुआ है। तीन चौथाई से अधिक के मामलों में, लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया गया है,

(ii) अखिल भारतीय स्तर पर, राज्यों में 83% तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 91% आवास लाभार्थियों के प्लॉटों पर बनाए गए हैं।

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों में 95% की तुलना में, राज्यों में 98% निर्मित आवासों का अधिग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 96% आवासों का अधिग्रहण किया गया था।

(iv) जहां तक पेयजल का संबंध है, सर्वे रिपोर्ट में शामिल किए गए 95% आवासों में हैंड पंप, नल या बसावट के दायरे के अंदर स्थित ग्रामीण कुंओं जैसी पेयजल की आसान सुविधा है।

(v) 80% लाभार्थियों ने निर्मित आवासों के संबंध में संतोष व्यक्त किया है।

(vi) यह योजना अधिकांश राज्यों में सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित आबादी के खास हिस्सों को आवास का लाभ प्रदान करने में समर्थ रही है।

(vii) अधिकांश आई ए वाई आवासों के निर्माण में स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया गया है।

(viii) राज्यों में निर्मित आवासों का औसत कुरसी क्षेत्र 28.14 वर्ग मी. है।

3. विचारणीय मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) आवासों का स्वामित्व मुख्य रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों के नाम होता है, जिससे महिलाओं को बहुमूल्य पारिवारिक परिसंपत्तियों पर दावा करने का अवसर नहीं मिल पाता है।

(ii) कुल मिलाकर, आई ए वाई लाभार्थियों को आवासों के निर्माण में सही ढंग से शामिल नहीं किया गया है; यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां पंचायतों ने निर्माण कार्य शुरू किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि लाभार्थियों को अलग रखा गया है।

(iii) ढांचागत सुविधाओं के संबंध में, निष्कर्षों से पता चलता है कि लगभग 71.5% मामलों में आई.ए.वाई. आवासों में धुंआरहित चूल्हे लगाए गए हैं।

4. केरल में लगभग 1400 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है जिसके संबंध में समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष (खासकर राज्य के लिए) निम्नलिखित हैं-

* 77.43% लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया गया था।

* आवासों का औसत कुरसी क्षेत्र 41.40 वर्ग मी. है।

* 62.21% आवासों में शौचालय का सुविधा प्रदान की गई है।

* 75.86% आवासों का निर्माण स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया गया है।

* 36.86% आवास महिलाओं के नाम हैं (प्राय: परिवार के मुखिया की पत्नी)।

उच्च विद्यालयों के बच्चों हेतु जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला

*134. **श्री के.ए. सांगतम:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर नागालैंड में, उच्च विद्यालयों (हाई स्कूल) के बच्चों के लिए जागरुकता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) 'शिक्षा' संविधान की समवर्ती सूची में है और संबंधित

राज्यों में अध्ययनरत उच्च विद्यालय के बच्चों के लिए जागरुकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करना राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित गैर-सरकारी संगठनों को स्कूल शिक्षा में पर्यावरण प्रबोधन योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं के लिए अनुदान दिए गए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भी नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अध्ययनरत उच्च विद्यालय के बच्चों के लिए जनसंख्या तथा किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया है। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों द्वारा भी अपने विद्यार्थियों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

विवरण-I

विद्यालय शिक्षा में पर्यावरण प्रबोधन

राज्य का नाम	संस्वीकृति वर्ष	एजेंसी/जिला	कार्यकलाप
नागालैंड	2000-01	एक्मे ग्रामीण कल्याण सोसायटी कुमलोंग वार्ड, जिला मोकोकचुंग	(i) शिक्षक प्रशिक्षण (ii) स्कूलों में जागरुकता शिविर
असम	2000-01	पथारी व्यावसायिक संस्थान, नौगांव	(i) नवाचारी कार्यक्रम (ii) सर्वेक्षण/कार्यशालाएं आदि
	2000-01	बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नूर नगर (नौगांव)	(i) शिक्षक प्रशिक्षण (ii) विद्यार्थियों के लिए जागरुकता शिविर
	2000-01	सामाजिक-आर्थिक विकास संगठन, गुवाहाटी	(i) शिक्षक प्रशिक्षण (ii) सेमिनारों का आयोजन (iii) प्रचार सामग्री (iv) चित्रकला प्रतियोगिताएं
माणिपुर	2000-01	अशुफीमी डेवलपमेंट सोसायटी, ग्राम चौवेनी मऊ, सेनापति	(i) प्रचार सामग्री (ii) सेमिनार (iii) शिक्षक प्रशिक्षण
त्रिपुरा	2000-01	वालंटरी हेल्थ एशोसिएशन ऑफ त्रिपुरा, कुंजाबन, अगरतल्ला, त्रिपुरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण	(i) विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (i) पर्यावरण पर ग्रीष्म शिविर

विवरण-II

जनसंख्या शिक्षा सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप

राज्य का नाम	जिलों का नाम		
	1999	2000	2001
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग	चांगलांग, पूर्व कमांग, तमांग	चांगलांग, तीरप, पश्चिम कमांग
मिजोरम	आइजोल	आइजोल, लुंगली	आइजोल, लुंगली, छिमुतुईपुई

1	2	3	4
नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर	कोहिमा, दीमापुर, वखा	कोहिमा, दीमापुर, फेक, वखा, जुन्हेबोटो
त्रिपुरा	अगरतला	अगरतला, उदयपुर	अगरतला, कैलाशहर
सिक्किम	पूर्व जिला, पश्चिम जिला	पूर्व जिला, दक्षिण जिला	पूर्व जिला, दक्षिण जिला, पश्चिम जिला
असम	बारपेटा, कचर, गोलाघाट	बारपेटा, कचर, गोलाघाट, जोरहाट, मोरीगाँव, नौगाँव, उत्तर लखीमपुर, तिनसुकिया	बारपेटा, कचर, दारंग, डिबुगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, मोरीगाँव, नौगाँव, उत्तर लखीमपुर, सोनीपुर, तिनसुकिया

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आई.एस.आई. की गतिविधियां

***135. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों विशेषकर राजधानी शहर भोपाल में जारी आई.एस.आई. की गतिविधियों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में की जा रही बड़ी आतंकवादी कार्रवाइयों के दोषी वर्ष 1992 से ही मध्य प्रदेश में शरण ले रहे हैं:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को सहायता देने, भड़काने और समर्थन देने में आई.एस.आई. संलिप्त है। हालांकि, मध्य प्रदेश में अभी तक, आतंकवाद की कोई प्रमुख घटना नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों से, समय-समय पर पंजाब ने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं।

पाकिस्तान स्थित हैंडलर को रक्षा संबंधी संवेदनशील सूचना उपलब्ध कराने में संलिप्त एक सुशील शर्मा की 11 जून, 2002 को हुई गिरफ्तारी के साथ, हाल ही में ग्लालियर में एक आई.एस.आई. जासूसी नेटवर्क का पता लगा। अभियुक्त से पूछताछ करने पर, आन्ध्र प्रदेश में दो सेवारत वायु सेना कार्मिकों को और दिल्ली और राजस्थान में उनके सम्पर्क सूत्रों को गिरफ्तार किया गया।

जासूसी मामलों में, गिरफ्तारी व्यक्तियों के खिलाफ, शासकीय गुप्त-बात अधिनियम सहित कानून के संगत उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। केन्द्र सरकार भी, देश में खतरे की सम्भावना और आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आसूचना का आदान-प्रदान करने और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीतियां बनाने हेतु राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समन्वय बैठकें भी करती हैं। पाकिस्तानी आई.एस.आई. के नापाक इरादों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियां मिलकर कार्य करती रही है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर को और अधिक अधिकार

***136. श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग संबंधी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) यद्यपि कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथापि जम्मू और कश्मीर के लिए शक्तियों के हस्तांतरण के मामले पर दिनांक 24.6.2002 को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री का प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श हुआ जिसमें तय हुआ कि केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि जम्मू और कश्मीर सरकार से विचार-विमर्श

करेगा। तदोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री अरुण जैटली, सांसद तथा भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विचार-विमर्श करेंगे।

[हिन्दी]

अनुच्छेद 370 का निरस्त किया जाना

***137. योगी आदित्यनाथ:** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविधान में अनुच्छेद 370 को बनाए रखने के अभिप्रेतार्थ का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या राय है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने या उसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही हैं। अत: इस अनुच्छेद को बनाए रखने के लिए अभिप्रेतार्थ की जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा आवंटित धनराशि का न लिया जाना

***138. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:**
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं विशेषकर ई.ए.एस. के अंतर्गत राज्यों को आवंटित धनराशि के अपने केन्द्रीय हिस्से की राशि लेने में कुछ राज्य असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं और उन योजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं जिसके अंतर्गत वे अपने हिस्से की राशि को निकालने में असफल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी धनराशि को लेने हेतु ऐसे राज्यों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्यों द्वारा न निकाली गई धनराशि को व्यपगत समझ लिया जाएगा;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (छ) कुछ राज्य विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत समस्त केन्द्रीय आबंटन प्राप्त नहीं कर सके हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजनाओं (सुनिश्चित रोजगार योजना सहित) के अंतर्गत आबंटनों के लिए केन्द्रीय रिलीज का राज्यवार अनुपात संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। वर्ष 2001-2002 के दौरान सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय निधियां 28 फरवरी, 2002 तक प्राप्त करने की सलाह दी गई थी।

विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित निधियां उनके द्वारा उसी वर्ष में प्राप्त करनी होती हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कतिपय जिलों के लिए निधियां रिलीज न करने के फलस्वरूप हुई बचत पर वित्तीय वर्ष के अंत में बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले जिलों के लिए पुन: आबंटन पर विचार किया जा सकता है।

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से मंत्रालय के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखने के लिए कहा गया है ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निधियों का विधिवत दावा तथा इनका समय पर खर्च सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणत्ता पर भी जोर डाला गया है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता सृजन, पारदर्शिता, जन-भागीदारी और ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा के जरिए जवाबदेही की चार सूत्री प्रणाली को तत्काल कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है। प्रभावी कार्यान्वयन और उपलब्ध निधियों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन की ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा समीक्षाओं, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारी योजना, प्रगति रिपोर्टों और जिला स्तरीय निगरानी सहित निगरानी तंत्रों के जरिए समय समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

1999-2000 से 2002-03 के दौरान केन्द्रीय आवंटन के लिए केन्द्रीय रिलीज का राज्यवार और योजनावार प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) केन्द्रीय आवंटन में से % केन्द्रीय रिलीज				त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) केन्द्रीय आवंटन में से % केन्द्रीय रिलीज				प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) केन्द्रीय आवंटन में से % केन्द्रीय रिलीज		
		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03*	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	100.54	99.69	153.35	38.14	135.02	100.00	102.79	30.92	100.00	118.24	असूचित
2.	अरुणाचल प्रदेश	111.60	71.53	95.05	50.00	83.07	50.27	54.87	26.98	99.88	128.57	असूचित
3.	असम	88.26	50.00	69.03	0.00	59.40	74.06	70.86	26.98	100.00	106.67	असूचित
4.	बिहार	76.50	59.89	62.34	40.08	50.00	0.00	0.00	0.00	99.93	0.00	असूचित
5.	छत्तीसगढ़	एनए	91.66	102.51	37.01	एनए	100.00	102.58	47.61	100.45	113.36	असूचित
6.	गोवा	91.56	40.00	69.59	27.17	0.00	63.29	50.00	0.00	100.00	100.00	असूचित
7.	गुजरात	99.95	251.09	180.70	75.33	114.43	207.98	118.69	37.75	99.68	120.00	असूचित
8.	हरियाणा	123.65	98.37	121.48	50.00	112.97	97.09	111.81	46.58	125.90	150.00	असूचित
9.	हिमाचल प्रदेश	87.26	86.19	168.28	47.89	127.53	94.83	116.15	29.60	100.00	120.60	असूचित
10.	जम्मू-कश्मीर	20.07	21.51	168.71	0.00	58.49	40.73	62.26	24.09	100.00	0.00	असूचित
11.	झारखंड	एनए	47.95	40.93	21.62	एनए	50.00	50.00	0.00	100.05	118.18	असूचित
12.	कर्नाटक	73.54	71.27	86.53	50.00	116.11	77.54	102.32	36.50	105.86	114.07	असूचित
13.	केरल	86.85	68.84	100.94	42.18	106.05	70.04	79.69	51.36	98.55	138.25	असूचित
14.	मध्य प्रदेश	99.84	93.46	106.13	47.15	126.80	100.00	102.25	37.20	99.83	116.43	असूचित
15.	महाराष्ट्र	98.59	92.14	100.63	0.00	121.10	100.00	102.61	34.15	100.16	103.46	असूचित
16.	मणिपुर	25.61	37.67	50.52	9.12	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	असूचित
17.	मेघालय	61.64	43.31	50.21	17.74	80.00	96.15	69.06	0.00	99.86	130.63	असूचित
18.	मिजोरम	114.25	91.15	82.59	50.00	100.00	94.78	130.00	26.97	99.65	132.65	असूचित
19.	नागालैंड	118.42	88.83	102.85	0.00	83.74	64.52	130.00	26.99	98.75	127.65	असूचित
20.	उड़ीसा	143.71	342.21	489.61	15.69	100.00	50.00	74.40	31.43	99.83	100.00	असूचित
21.	पंजाब	91.10	95.11	113.55	50.00	129.60	74.82	87.21	26.47	98.64	220.00	असूचित
22.	राजस्थान	83.70	121.39	103.68	50.00	90.80	100.00	84.45	35.45	100.06	115.38	असूचित
23.	सिक्किम	101.56	100.00	87.94	50.00	154.71	50.00	130.00	26.93	65.80	100.00	असूचित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	तमिलनाडु	106.69	100.00	119.53	50.00	124.48	100.00	112.57	37.54	64.45	110.71	असूचित
25.	त्रिपुरा	101.56	100.00	130.00	50.00	149.02	100.00	130.00	26.97	65.80	107.40	असूचित
26.	उत्तर प्रदेश	92.01	87.34	108.95	49.61	100.34	87.27	98.45	30.57	100.35	110.51	असूचित
27.	उत्तरांचल	एनए	64.28	60.84	37.77	एनए	100.00	102.74	32.66	101.05	116.67	असूचित
28.	प. बंगाल	68.05	82.12	84.09	46.70	80.00	99.59	101.99	30.80	100.00	110.85	असूचित
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	0.00	100.00	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90	0.00	असूचित
30.	चंडीगढ़	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0.00	असूचित
31.	दा. व न. हवेली	50.00	0.00	66.01	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	असूचित
32.	दमन व द्वीव	0.00	41.30	50.00	0.00	0.00	0.00	एनए	0.00	100.00	0.00	असूचित
33.	दिल्ली	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0.00	एनए	असूचित
34.	लक्षद्वीप	50.00	100.00	66.39	50.00	0.00	0.00	एनए	0.00	0.00	97.80	असूचित
35.	पांडिचेरी	50.00	50.00	32.73	50.00	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	असूचित
	अखिल भारत	89.90	94.31	115.56	36.07	102.62	89.56	89.83	30.18	97.40	105.49	

एनए - लागू नहीं

1999-2000 से 2002-03 के दौरान केन्द्रीय आवंटन के लिए केन्द्रीय रिलीज का राज्यवार और योजनावार प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) केन्द्रीय आवंटन में से % केन्द्रीय रिलीज				सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) केन्द्रीय आवंटन में से % केन्द्रीय रिलीज				स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार (एस.जी.एस.वाई.) केन्द्रीय आवंटन में से % केन्द्रीय रिलीज			
		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03*	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03*	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	103.20	102.49	100.59	50.00	100.00	98.43	100.00	50.00	134.62	99.64	100.00	50.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.65	80.47	107.15	50.00	317.97	199.84	114.08	50.00	67.28	35.85	64.54	26.79
3.	असम	71.13	0.00	100.00	0.00	79.98	50.00	100.00	0.00	102.92	0.00	77.75	0.00
4.	बिहार	93.30	83.19	100.00	0.00	75.32	73.68	98.70	34.77	58.74	23.61	45.87	12.84
5.	छत्तीसगढ़	एनए	70.75	100.00	50.00	एनए	100.00	117.21	49.37	एनए	40.63	90.54	45.89
6.	गोवा	90.51	104.67	100.00	50.00	231.87	100.00	100.00	50.00	100.00	50.00	50.00	0.00
7.	गुजरात	100.00	190.95	100.00	50.00	111.07	119.96	96.21	47.43	124.00	60.95	77.27	49.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हरियाणा	100.00	96.42	135.84	50.00	86.97	137.61	131.76	50.00	129.54	92.70	100.00	50.00
9.	हिमाचल प्रदेश	201.62	90.44	100.00	43.69	98.49	85.40	100.00	50.00	124.08	49.71	100.00	49.97
10.	जम्मू-कश्मीर	83.46	71.50	123.28	45.78	231.98	296.14	126.11	43.12	57.35	31.90	96.80	45.13
11.	झारखंड	एनए	79.61	100.00	50.00	एनए	81.94	92.32	47.91	एनए	17.01	43.47	17.50
12.	कर्नाटक	100.00	78.38	101.03	50.00	85.85	112.13	100.07	49.73	50.00	39.97	71.62	38.28
13.	केरल	100.00	92.17	100.00	50.00	100.00	98.62	100.00	50.00	98.86	51.18	100.00	50.00
14.	मध्य प्रदेश	109.38	113.06	100.00	50.00	102.22	104.87	112.35	49.91	105.62	56.97	98.59	48.24
15.	महाराष्ट्र	100.00	74.26	100.00	50.00	71.54	75.22	95.12	50.00	100.00	72.90	83.89	45.08
16.	मणिपुर	32.37	66.66	44.15	18.41	78.13	67.67	57.91	27.76	50.00	5.17	4.54	0.00
17.	मेघालय	33.05	85.64	82.43	50.00	50.00	63.19	82.29	40.45	49.28	4.42	25.93	0.00
18.	मिजोरम	99.83	100.00	130.00	50.00	393.66	100.00	142.65	50.00	94.17	50.02	86.24	50.00
19.	नागालैंड	81.63	74.30	108.01	40.22	91.17	74.27	100.00	50.00	55.77	47.19	31.73	11.54
20.	उड़ीसा	149.86	95.06	100.00	50.00	149.73	125.87	108.49	50.00	102.23	71.78	18.19	50.00
21.	पंजाब	97.22	127.86	100.00	50.00	73.51	86.84	97.87	50.00	99.34	79.63	98.53	50.00
22.	राजस्थान	100.00	98.21	100.00	50.00	116.76	96.93	100.00	50.00	100.00	85.32	100.00	48.52
23.	सिक्किम	100.00	100.00	130.00	0.00	276.83	198.12	100.00	50.00	100.00	98.83	100.00	50.01
24.	तमिलनाडु	111.20	106.99	113.62	50.00	116.49	125.76	115.15	50.00	137.26	98.66	100.00	50.00
25.	त्रिपुरा	75.72	100.00	127.08	50.00	100.00	100.00	98.27	50.00	113.50	98.80	120.05	50.00
26.	उत्तर प्रदेश	99.98	85.80	100.03	50.00	97.47	83.31	101.09	50.00	64.71	42.60	60.10	21.32
27.	उत्तरांचल	एनए	77.19	100.00	50.00	एनए	76.53	98.86	50.00	एनए	36.07	89.97	50.00
28.	प. बंगाल	91.17	85.36	100.00	50.00	72.52	79.20	92.23	44.42	50.00	0.00	2.01	2.35
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	13.85	63.85	100.00	50.00	49.99	0.00	0.00	0.00	50.02	0.00	25.00	0.00
30.	चंडीगढ़	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
31.	दा. व न. हवेली	50.00	97.06	100.00	50.01	49.99	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
34.	लक्षद्वीप	50.00	0.00	50.01	0.00	49.86	0.00	50.14	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	50.01	77.40	100.00	50.00	50.00	0.00	100.00	50.01	50.00	50.00	57.86	50.00
	अखिल भारत	101.83	83.96	101.25	41.05	95.19	93.49	101.26	43.92	84.37	46.21	68.99	30.17

एन ए-लागू नहीं

*मई 2002 तक

महिला और बाल विकास योजना के अंतर्गत धनराशि का आंवटन

*139. **श्री भान सिंह भौरा:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महिला और बाल विकास कार्यक्रम के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राज्य-वार कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया/जारी की गई;

(ख) क्या अब तक जारी की गई धनराशि लक्ष्य प्राप्ति के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न महिला एवं बाल विकास स्कीमों के अन्तर्गत 6555.95 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था, जिसमें से 6249.72 करोड़ रुपए व्यय किए गए। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख स्कीमों के लिए आबंटन, व्यय और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। आई.सी.डी.एस., जो विभाग की प्रमुख स्कीम है, के अन्तर्गत राज्य-वार आबंटन विवरण-III में दिया गया है।

दसवीं योजना के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 13,600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2002-03 के लिए आबंटन 2200 करोड़ रुपए है।

इन कार्यक्रमों के लिए स्कीम-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटन तथा व्यय का और अधिक ब्यौरा महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है।

विवरण-I

नौवीं योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर आबंटन एवं व्यय

(रुपए करोड़ों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	आबंटन	व्यय
1.	समेकित बाल विकास सेवा स्कीम	5463.75	5583.39
2.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्कीमें	140.80	88.73
3.	राष्ट्रीय महिला आयोग	16.50	16.17
4.	राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	13.10	11.26
5.	खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड	14.97	8.62
6.	शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	31.95	29.50
7.	बालिका समृद्धि योजना	152.00	176.00
8.	कामकाजी महिला होस्टल	39.27	34.57
9.	स्वयंसिद्धा (ई.म.यो.)	57.50	8.96
10.	स्व-शक्ति परियोजना	81.41	36.00
11.	अल्पावास गृह	48.27	25.53
12.	महिला आर्थिक कार्यक्रम	82.00	76.54
13.	प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)	78.00	77.47
14.	अनुसंधान, प्रकाशन और प्रबोधन	3.45	2.43

विवरण–II

नौवीं योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियाँ

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वास्तविक उपलब्धियां	
1.	समेकित बाल विकास स्कीम	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या	5614 4915
2.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्कीमें	आयोजित किए गए जागरुकता शिविर आयोजित किए गए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	4000 3753
3.	राष्ट्रीय महिला आयोग	परिमाणात्मक नहीं	
4.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	आयोजित किए गए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	371
5.	खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड	निदर्शन कार्यक्रमों की संख्या	11380
6.	शिशु गृह/दिवस देखभाल केन्द्र	शुरू किए गए शिशु गृहों की संख्या लाभार्थियों की संख्या	12470 3.12 लाख
7.	बालिका समृद्धि योजना	लाभान्वित लड़कियों की संख्या	45.53 लाख
8.	कामकाजी महिला हॉस्टल	कामकाजी महिला हॉस्टलों की संख्या लाभान्वित महिलाओं की संख्या	106 9102
9.	स्वयंसिद्धा	शामिल किए गए ब्लॉकों की संख्या	75
10.	स्व-शक्ति परियोजना	गठित स्व-सहायता समूहों की संख्या	20750
11.	अल्पावास गृह	खोले गए अल्पावास गृहों की संख्या	153
12.	महिला आर्थिक कार्यक्रम	लाभान्वित महिलाओं की संख्या	193380
13.	प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता	लाभान्वित महिलाओं की संख्या	251995
14.	शोध, प्रकाशन एवं प्रबोधन	पूरी की गई शोध परियोजनाओं की संख्या	92

विवरण–III

वर्ष 1996-97 से 2001-02 के दौरान आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार विवरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	1996-97 निर्मुक्त	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त	2000-2001 निर्मुक्त	2001-2002 निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	29.51	31.36	31.85	54.03	62.29	65.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.03	4.07	6.61	8.17	6.81	18.95

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	17.41	16.34	19.12	22.11	50.71	61.89
4.	बिहार	24.50	14.69	36.91	49.19	37.56	21.45
5.	गोवा	1.66	1.89	3.26	2.84	2.84	3.39
6.	गुजरात	43.55	53.12	47.88	53.70	37.26	80.70
7.	हरियाणा	14.73	22.04	26.33	27.54	25.94	36.61
8.	हिमाचल प्रदेश	7.04	9.04	10.45	16.40	17.64	19.84
9.	जम्मू-कश्मीर	15.32	5.12	14.32	19.63	22.66	27.39
10.	कर्नाटक	41.32	51.58	57.10	51.11	74.66	76.61
11.	केरल	23.90	23.81	31.21	26.42	31.02	35.16
12.	मध्य प्रदेश	38.98	48.40	51.31	43.68	55.90	37.71
13.	महाराष्ट्र	56.82	69.26	67.92	65.85	66.89	101.93
14.	मणिपुर	4.73	7.95	8.47	8.40	12.55	9.01
15.	मेघालय	1.21	5.25	3.51	5.35	6.65	10.60
16.	मिजोरम	3.83	4.13	5.42	5.36	8.69	5.73
17.	नागालैण्ड	7.36	5.44	13.21	12.45	19.42	19.07
18.	उड़ीसा	16.29	21.58	66.41	40.43	61.34	68.82
19.	पंजाब	12.89	15.26	23.83	24.13	37.59	37.31
20.	राजस्थान	32.39	33.74	35.12	41.98	59.54	59.47
21.	सिक्किम	0.40	0.63	2.42	1.30	1.56	1.92
22.	तमिलनाडु	11.41	25.13	72.97	107.05	102.87	92.90
23.	त्रिपुरा	3.83	4.48	4.64	6.46	6.31	14.81
24.	उत्तर प्रदेश	57.98	74.02	72.66	113.49	115.19	126.96
25.	पश्चिम बंगाल	47.05	51.51	64.56	60.88	80.47	126.50
26.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	18.01
27.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	19.62
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	12.47
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	दिल्ली	6.01	5.66	12.48	8.18	8.08	7.96
2.	पाण्डिचेरी	0.51	1.06	1.52	1.82	1.55	1.55

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	आ. व नि. द्वीप समूह	0.67	0.63	1.12	1.30	1.08	1.55
4.	चण्डीगढ़	0.57	0.96	0.78	0.78	0.88	0.93
5.	दादर व नगर हवेली	0.19	0.22	0.29	0.27	0.27	0.32
6.	दमन व दीव	0.31	0.27	0.28	0.42	0.53	0.37
7.	लक्षदीप	0.15	0.09	0.25	0.26	0.25	0.32
	कुल	526.55	608.73	794.21	880.98	1046.55	1223.64

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

***140. श्री राजो सिंह:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कितने नवोदय विद्यालयों को, राज्यवार विशेषत: बिहार और झारखंड में, भवन निर्माण हेतु धनराशि दी गयी है;

(ख) उन विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ग) निर्माण कार्य के कब तक शुरु/पूर्ण होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) पिछले पांच वर्ष के दौरान बिहार और झारखंड में 40 नवोदय विद्यालयों सहित 408 जवाहर नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य के लिए 698.47 करोड़ रु की राशि प्रदान की गई। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 69 नवोदय विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। इनमें से 57 जवाहर नवोदय विद्यालयों के मामलों में निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी तक अपेक्षित भूखण्ड अंतरित नहीं किये गये। शेष 12 विद्यालय, जिनके लिये भूखण्ड अंतरित किये जा चुके हैं, उनके भवनों के निर्माण के लिये संस्वीकृतियां जारी की जा रही हैं।

(ग) सामान्य समय सीमा के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य संस्वीकृति जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना होता है।

(घ) से (च) जी, नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालय 6 से 12 कक्षा तक की सैकेन्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

विवरण

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 1997-98 से 2001-2002) के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	उन जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या जिन्हें निधियां प्रदान की गई	भवनों के निर्माण के पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई राशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4
1.	अ. नि. द्वीप समूह	2	1.58
2.	आन्ध्र प्रदेश	22	17.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	18.42

1	2	3	4
4.	असम	19	74.97
5.	बिहार	29	45.76
6.	चंडीगढ़	1	1.55
7.	छत्तीसगढ़	8	14.14
8.	दादरा और नगर हवेली	1	0.34
9.	दमन और दीव	2	1.02
10.	दिल्ली	2	1.40
11.	गोवा	2	4.38
12.	गुजरात	15	28.07
13.	हिमाचल प्रदेश	9	21.88
14.	हरियाणा	13	21.00
15.	जम्मू-कश्मीर	14	10.39
16.	झारखंड	11	20.56
17.	कर्नाटक	25	28.16
18.	केरल	13	20.71
19.	लक्षद्वीप	1	5.44
20.	मध्य प्रदेश	40	68.00
21.	महाराष्ट्र	29	53.70
22.	मणिपुर	8	14.89
23.	मेघालय	6	8.41
24.	मिजोरम	3	0.01
25.	नगालैंड	4	2.93
26.	उड़ीसा	14	27.66
27.	पांडिचेरी	4	10.50
28.	पंजाब	12	19.52
29.	राजस्थान	30	46.74
30.	सिक्किम	2	1.58
31.	त्रिपुरा	3	14.72
32.	उत्तर प्रदेश	49	75.11
33.	उत्तरांचल	6	17.13
	कुल	408	698.47

[अनुवाद]

स्थानीय निकायों द्वारा सम्पत्ति करों का संग्रहण

1218. श्री सुबोध राय: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार की परिसम्पत्तियों से सम्पत्ति कर एकत्र करने में स्थानीय निकायों को अनुमति देने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केरल में बाढ़ की स्थिति

1219. श्री टी. गोविन्दन: क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को केरल सरकार से राज्य से बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) केरल राज्य सरकार से वर्ष 1999-2000 के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान एन.सी.सी.एफ. से बाढ़ से क्षति के लिए तथा समुद्र-क्षरण रोधी कार्यों के लिए 200.00 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। पुन: वर्ष 2001-2002 में राज्य सरकार ने एन.सी.एफ. से बाढ़ से क्षति के लिए 551.76 करोड़ रु. की राशि सहायता के तौर पर मांगी थी। केन्द्रीय टीमों की रिपोर्टों, अन्तर्मंत्रालय ग्रुप की सिफारिशों तथा आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ) के तहत राज्य के पास निधि की उपलब्धता पर विचार करने के बाद एन.सी.एफ. से किसी सहायता पर विचार

नहीं किया गया तथा राज्य सरकार को समुचित रूप से सूचित कर दिया गया। तथापि, विशेष वितरण के रूप में वर्ष 2001-2002 के लिए आपदा राहत निधि का समग्र केन्द्रीय भाग 86.0361 करोड़ रुपये जुलाई 2001 में राज्य को अग्रिम तौर पर जारी किया गया।

असम में बाढ़ की समस्या

1220. श्री एम.के. सुब्बा: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा असम में बारहमासी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कोई व्यापक कार्य-योजना निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान बाढ़ से कितनी क्षति हुई; और

(ग) चालू वर्ष 2002-2003 के दौरान किस प्रकार इस नुकसान से बचने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जल संसाधन मंत्रालय, जो बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए नोडल मंत्रालय है, बाढ़ से निपटने के राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

(ख) असम में पिछले तीन सालों के दौरान बाढ़ के कारण हुए हानि निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रभावित जिलों की संख्या	मारे गए व्यक्ति	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1999-00	12	3	1.06
2000-01	19	32	2.24
2001-02	12	-	0.13

(ग) गृह मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकार को समुचित निवारक उपाय करने की सलाह दी है ताकि बाढ़ से होने वाली हानि के प्रभाव को कम किया जा सके। इनमें बाढ़ संबंधी सभी सुरक्षा कार्यों की समय पर अनुरक्षण और प्रबोधन, आपदा के न्यूनीकरण के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाएं तैयार करना, बाढ़ प्रवण जनसंख्या के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, बंद पड़ी नालियों और पुलियों आदि को खोलना, जलाशय स्तरों का प्रबोधन और बाढ़ से लड़ने तथा आपदा राहत तंत्र को सामान्य रूप से सक्रिय बनाना शामिल है।

[हिन्दी]

मरुस्थल-विकास कार्यक्रम

1221. श्री कैलाश मेघवाल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख के अनुसार जल संचयन और बंजर भूमि के विकास कार्यक्रम के तहत जिले-वार मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ वर्ष-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या निर्धारित अवधि के भीतर मंजूर की गई योजनाएं पूरी की गई हैं और उन पर आबंटित धनराशि खर्च की गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) 7 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान के 40 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 से लेकर आगे की अवधि के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई वाटरशेड परियोजनाओं का उनकी कुल लागत सहित वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I है।

(ख) से (घ) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत वाटरशेड परियोजना को 5 वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित करना होता है और कार्यान्वयन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए निधियां 7 किस्तों में जारी की जाती हैं। इस प्रकार वर्ष 1999-2000 के दौरान और उसके बाद स्वीकृत की गई परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) के अन्तर्गत कार्यक्रम वाले राज्यों को चल रही तथा नई परियोजनाओं के लिए (वर्ष-वार और राज्य-वार) जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण–I

राज्य	मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों की संख्या	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	1	96	21.600	60	18.000	80	24.000	110	33.00
गुजरात	6	250	58.575	400	120.000	304	91.200	277	83.100
हरियाणा	7	76	18.200	144	43.200	100	30.000	121	36.300
हिमाचल प्रदेश	2	48	12.000	75	22.500	95	28.500	73	21.900
जम्मू-कश्मीर	2	96	24.000	73	21.900	111	33.300	77	23.100
कर्नाटक	6	51	11.475	226	67.800	160	48.000	165	49.500
राजस्थान	16	883	220.750	681	204.300	509	152.700	779	233.700
योग	40	1500	366.600	1659	497.700	1359	407.700	1602	480.600

विवरण–II

मरूभूमि कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत जारी निधियाँ

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002	20002-2003 (आज की तिथि के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	4.37	6.51	9.99	6.41
2.	गुजरात	27.51	24.45	22.58	19.38
3.	हरियाणा	4.54	8.11	14.83	5.80
4.	हिमाचल प्रदेश	2.55	4.51	5.14	4.23
5.	जम्मू-कश्मीर	4.86	7.84	5.75	4.35
6.	कर्नाटक	2.15	5.03	9.95	6.40
7.	राजस्थान	39.01	78.54	81.64	53.69
	योग	84.99	134.99	149.88	100.26

[अनुवाद]

मंत्रालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1222. श्री अमर राय प्रधान: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उनके मंत्रालय के श्रेणी-वार/पद-वार कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है;

(ख) ऐसे अधिकारियों को दिए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार कितने अधिकारियों के आवेदन पत्र ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए लंबित है;

(घ) क्या ऐसी सेवानिवृत्तियों से उनके मंत्रालय के सुचारु कार्यकरण पर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो कितना प्रभाव पड़ा है; और

(च) सरकार का विचार ऐसी सभी रिक्तियों को भरने के लिए किस ढंग से प्रबंध करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय (मुख्य) के जिन अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

ग्रुप	पद	वर्ष 1999	2000	2001
क	अपर सचिव	1	–	–
ख	अनुभाग अधिकारी	–	1	–
	सहायक	2	2	–
ग	उच्च श्रेणी लिपिक	–	1	–
	कांस्टेबल	1	–	6
घ	जूनियर गेस्टेटनर आपरेटर	–	1	–
	अनुचर (फलोअर)	–	–	1

(ख) पेंशन/परिवार पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, छुट्टियों के बदले नगद भुगतान, पेंशन का संराशीकरण और केन्द्र सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा जैसे सामान्य लाभों के अलावा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारी पेंशन के प्रयोजनार्थ अर्हक सेवा में 5 वर्षों की अवधि तक अधिमानता और सेवानिवृत्ति उपदान, के भी पात्र होते हैं बशर्ते कि उसके द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा, किसी भी हालत में 33 वर्ष से अधिक न हो और इससे उसकी कुल सेवा अवधि, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से अधिक न हो जाय।

(ग) आज की तारीख को, गृह मंत्रालय (मुख्य) के किसी अधिकारी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन लम्बित नहीं है।

(घ) और (ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों को तीन महीने का नोटिस देना होता है। इससे मंत्रालय समय पर उपयुक्त प्रबंध कर सकता है। इसके अलावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों की संख्या बहुत कम और कभी-कभी होती है और अत: इस प्रकार की सेवानिवृत्ति से मंत्रालय के सुचारु कार्यकारण पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है।

(च) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों को, सामान्य विधियों, जैसे पदोन्नति/सीधी भर्ती इत्यादि से, अन्य रिक्तियों के साथ भरा जाता है।

[हिन्दी]

मानद विश्वविद्यालय

1223. श्री सुरेश चन्देल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानद विश्वविद्यालयों और सामान्य विश्वविद्यालयों के मध्य बुनियादी अंतर क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संस्थाओं की मानद विश्वविद्यालयों के रूप में घोषणा करने हेतु अपनाए गए दिशानिर्देशों में छूट दी है; और

(ग) यही हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना अथवा निगमन केन्द्रीय अधिनियम/राज्य अधिनियम द्वारा किया जाता है जबकि किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत दिया जाता है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में अपने

दिशा-निर्देशों का संशोधित और सरलीकृत किया है। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान भी है :-

1. उदीयमान क्षेत्रों में उत्कृष्टता की सम्भावना वाले नये संस्थान जो अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को पूरा नहीं करते हों, को पांच वर्ष के बाद पुष्टि की शर्त के अधीन सम विश्वविद्यालय का अंतिम दर्जा देने के संबंध में विचार किया जा सकता है।

2. सम विश्वविद्यालय को अपने परिसर के बाहर केवल पूरे भारत में ही नहीं बल्कि किसी भी देश में अपने केन्द्र खोलने की अनुमति, बशर्ते वह कुछ शर्तें पूरी करता हो।

[अनुवाद]

पुस्तकों को चोरी से छापने की घटनाओं (बुक पाइरेसी) में वृद्धि

1224. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पुस्तकों को चोरी से छापने की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने मूल्य की पुस्तकें पकड़ी गई;

(ग) क्या सरकार ने पुस्तकों को चोरी से छापने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या चोरी से पुस्तकों के मुद्रण के इस रुझान से भारत में विश्व स्तर की पठन सामाग्री की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) कापीराईट अधिनियम, 1957 के अध्याय-XII में कापीराईट अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है और यह अधिनियम पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। पुलिस बल के माध्यम से कानून का वास्तविक प्रवर्तन राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, गत कुछ वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार ने पाइरेसी को रोकने के लिए कापीराईट अधिनियम को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें शामिल हैं-पाइरेसी निवारण प्रावधानों सहित कापीराईट अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए कापीराईट प्रवर्तन सलाहकार परिषद की स्थापना जिसके सदस्य सभी संबंधित विभागों से और उद्योग के प्रतिनिधि हैं। केन्द्र सरकार द्वारा किये गए कई अन्य उपायों में निम्नलिखित भी शामिल है जिनमें राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे (1) कापीराईट कानूनों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों में विशेष कक्षों की स्थापना करें, (2) उद्योग संगठनों और प्रवर्तन एजेन्सियों के मध्य समुचित समन्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें, (3) जनता को कापीराईट कानूनों के प्रति जागरूक बनाने के लिए सेमिनारों/कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन करें।

[हिन्दी]

वेनेजुएला में अमोनिया यूरिया संयंत्र

1225. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमोनिया यूरिया संयंत्र शुरू करने के लिए एन.एफ.एल. के विशेषज्ञों को वेनेजुएला भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.एफ.एल. द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हाँ। इटली के मैसर्स स्नेमप्रोगेती द्वारा वेनेजुएला में स्थापित किए जा रहे यूरिया-अमोनिया संयंत्र के प्रारम्भण के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन.एफ.एल) के आठ इंजीनियरों का चयन जून, 2000 से दिसम्बर, 2001 की अवधि के लिए किया गया था।

(ग) एन.एफ.एल. ने जून, 2000 से दिसम्बर, 2001 की अवधि के दौरान 3.97 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा

1226. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना करने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) शिक्षा समवर्ती सूची में है और विद्यालय शिक्षा बुनियादी रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। जबकि केन्द्र सरकार इसे सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ सलाहकार और समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करती है तथापि वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकार करती है।

उच्चतर शिक्षा के स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान सहित पूरे देश में उच्चतर शिक्षा को और सुलभ बनाने तथा उसमें समानता बरतने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न शीर्षों के तहत उपगत व्यय

1227. श्री रामदास आठवले: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में प्रचार, विज्ञापन, अतिथि सत्कार खानपान, उद्घाटन, समारोह, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, यात्राओं (विदेशी यात्राओं समेत) एसटीडी और आईएसडी टेलिफोन बिलों, बिजली के बिलों (एयरकंडीशनरों और कूलरों के बिजली के बिलों समेत) जैसे विभिन्न शीर्षों के तहत वर्ष-वार कितना खर्च हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत किए जा रहे व्यय में कटौती करने के लिए कोई अभियान शुरु करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) महासागर विकास विभाग के अंतर्गत कोई दूसरा विभाग या लोक उपक्रम नहीं है। उपलब्ध रिकार्डों एवं सूचनाओं के अनुसार, महासागर विकास विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रचार एवं विज्ञापन, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों, दौरों (विदेश दौरों सहित) एवं कार्यालय व्यय (आतिथ्य, भोजन प्रबंध, एसटीडी/आईएसडी फोन, विद्युत बिलों इत्यादि व अन्य कार्यालय व्ययों सहित) पर किया गया व्यय निम्ननलिखित है:

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	मदें	1999-2000	2000-01	2001-02 (अनन्तिम)
1.	प्रचार एवं विज्ञापन	4.00	37.93	29.62
2.	संगोष्ठियों एवं सम्मेलन (विभाग द्वारा आयोजित)	1.13	1.26	0.92
3.	दौरे (घरेलू एवं विदेशी)	63.90	43.67	70.25
4.	कार्यालय व्यय इत्यादि	96.26	102.36	122.07

(ख) से (घ) वित्त मंत्रालय द्वारा समय पर जारी किए गये मितव्ययिता अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1228. श्री महबूब जाहेदी: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का उत्पादन वर्ष 1998-99 में 27.16 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 28.02 मिलियन टन हो गया है;

(ख) क्या भूमिगत खानों में कोयले के उत्कर्षण में सुधार की अधिक संभावना है;

(ग) क्या कामगारों और मशीनरी की वर्तमान संख्या से इसकी उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है; और

(घ) इस समय भूमिगत खानों में उपयोगिता क्षमता कितनी है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि. (ई.सी.एल.) की भूमिगत खानों से होने वाले उत्पादन में सुधार किए जाने की गुंजाइश है।

(ग) ई.सी.एल. की उत्पादकता में उपयुक्त मशीनीकरण तथा श्रमशक्ति का पुनर्नियोजन प्रारंभ करके सुधार किया जा सकता है।

(घ) वर्ष 2001-02 में ई.सी.एल. की भूमिगत खानों का प्रणाली क्षमता उपयोग लगभग 75% (अनंतिम) रहा है।

दिल्ली पुलिस में भर्ती

1229. श्री जय प्रकाश: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस 'गढ़वाली' लोगों को ही दिल्ली पुलिस में भर्ती हेतु शरीर की लम्बाई में रियायत देने के प्रयोजन से उत्तरांचल के पहाड़ी लोगों को मान्यता देती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कुमाऊनी लोगों को अलग करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ दिल्ली कुमाऊनी जैसी कुछ और श्रेणियों को मान्यता दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के नियम 9 के अन्तर्गत छूट, सभी पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों पर सक्षम जिला अधिकारियों से निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर समान रूप से लागू होती है।

एम.एल.सी. रिपोर्टें

1230. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **उप-प्रधान मंत्री** दिनांक 7.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस स्टेशनों द्वारा जुलाई, 2001 से सफदरजंग अस्पताल से एम.एल.सी. रिपोर्टें अभी तक एकत्र नहीं की गई हैं;

(ख) यहि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये रिपोर्टें एकत्र करने और बिना किसी विलम्ब के इन पर कार्रवाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अनुसुलझे शेष 131 मामलों को सुलझाने में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। सफदरजंग अस्पताल में 1 जुलाई, 2001 से 30 जून, 2002 के बीच दर्ज किए गए सभी चिकित्सा-विधिक (मेडिको-लीगल) मामलों, केवल तीन मामलों को छोड़कर, जिनमें डॉक्टरों ने अपने मत को अभी अंतिम रूप में नहीं दिया है, रिपोर्टें एकत्र कर ली गई हैं।

(ग) 131 मामलों में से, जोकि 7 अगस्त, 2001 तक सुलझाने हेतु शेष थे, 46 मामले सुलझा लिए गए है, 1 मामला रद्द कर दिया गया तथा 84 मामले पता न लगे के रूप में भेज दिए गए हैं।

चंडीगढ़ प्रशासन

1231. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी पंजाब की सेवा शर्तों द्वारा शासित होते हैं;

(ख) क्या पंजाब में विभिन्न पदों के लिए अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की भर्ती हेतु ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है जबकि संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन ने यह आयु 30 वर्ष निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) केन्द्रीय सिविल सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों और चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पदों पर वही सेवा शर्तें लागू होती हैं जो पंजाब सिविल सेवाओं में समतुल्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें हैं। तथापि, ये प्रावधान चण्डीगढ़ प्रशासन के उन कर्मचारियों के लिए विस्तारित नहीं किए गए हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का विकल्प चुना है।

(ख) और (ग) चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों पर वही सेवा शर्तें, जो पंजाब राज्य सरकार के कर्मचारियों की समतुल्य श्रेणियों पर लागू होने से चंडीगढ़ प्रशासन के लिए यह जरुरी नहीं

हो जाता है कि वह भर्ती की वही निधि निर्धारित करें जो पंजाब राज्य सरकार के अन्तर्गत लागू हैं। सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के ऊपर 5 वर्षों की छूट, तथापि, चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन सिविल पदों पर नियुक्ति चाहने वाले अनुसूचित जातियों के उम्मीदावारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाए जा रहे मार्ग-निर्देशनों के अनुसार उपलब्ध है।

[हिन्दी]

झारखंड में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

1232. श्री राम टहल चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान और आज तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है और राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और कितनी धनराशि वापिस की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) झारखंड में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई-एस.जी.आर.वाई-2) के अंतर्गत वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है:-

वर्ष	पूरे किए गए कार्य	कार्य, जो प्रगति पर है	कुल
2000-01	31687	17604	49291
2001-02	29034	14392	43426

(ग) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत, झारखंड राज्य को केन्द्रीय आबंटन और निधियों की रिलीज और केन्द्रीय और राज्य आबंटनों के साथ-साथ झारखंड द्वारा निधियों के उपयोग का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	उपयोग
2000-01	12113.79	15000.54
2001-02	13771.01	14094.22
2002-03	12114.60 (तदर्थ)	2217.46 (जून 2002 तक)

किसी वर्ष में योजना की निधियां, जो उपयोग में नहीं लायी गयी हों, राज्य सरकार के पास रहती हैं, और उन्हें अगले वित्त वर्ष में योजना के अंतर्गत उपयोग हेतु ले जाया जाता है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान

1233. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्ष के दौरान देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा दिए गए अतिरिक्त अनुदान का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान योजनागत और योजनेतर के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को (राज्य-वार) संस्वीकृत किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। 2001-2002 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत किए गए अनुदानों के ब्यौरे से संबंधित सूचना अभी संकलित नहीं की गई है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान योजनागत और योजनेतर के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे संलगन विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

योजनागत और योजनेतर स्कीमों के तहत वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को (राज्यवार) भुगतान किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		(लाख रुपये में)
1.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	1127.84	1107.98

1	2	3	4
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	285.28	410.76
3.	श्री सत्य साईं उच्चतर अधिगम संस्थान, अनन्तपुर	65.00	58.30
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3017.87	4208.77
5.	उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	400.00	406.50
6.	ए०पी० स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा	–	–
7.	आंध्र प्रदेश कृषि, हैदराबाद	–	–
8.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्नम	457.63	451.43
9.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	–	–
10.	जवाहर लाल नेहरू तकनीकी, हैदराबाद	38.75	164.15
11.	काकातिया, वारंगल	121.62	122.51
12.	नागार्जुन, गुण्टुर	87.87	100.85
13.	उस्मानिया, हैदराबाद	436.31	387.07
14.	श्री कृष्ण देवराय, अनन्तपुर	101.81	'101.72
15.	श्री वेंकटेश्वर, तिरुपति	337.52	304.05
16.	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	61.00	75.98
17.	तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद	70.63	55.19
18.	आचार्य एन०जी० राजे कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	0.10	–
	कुल	6609.01	7955.26
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	अरुणाचल विश्वविद्यालय, ईटानगर	84.64	130.18
	असम		
1.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	2166.96	921.88
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	1705.75	692.01
3.	असम कृषि, जोरहाट	–	–
4.	डिबूगढ़ विश्वविद्यालय, डिबूगढ़	157.98	70.51
5.	गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	147.79	165.06
	कुल	4178.48	1849.46

1	2	3	4
	बिहार		
1.	तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	56.13	58.70
2.	बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	94.83	101.16
3.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत, दरभंगा	66.06	42.00
4.	मगंध विश्वविद्यालय, बोधगया	78.17	47.16
5.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	–	–
6.	ललित नारायण मिथिला, दरभंगा	52.10	60.90
7.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	155.26	80.36
8.	राजेन्द्र कृषि, समस्तीपुर	–	–
	कुल	502.55	390.28
	छत्तीसगढ़		
1.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर	82.97	61.14
2.	इन्दिरा कला संगीत, खैरागढ़	59.98	40.44
3.	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	–	–
4.	पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	95.88	57.01
	कुल	238.83	158.59
	दिल्ली		
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	11138.24	11665.87
2.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	–
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	3680.51	4196.06
4.	जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	5070.34	6592.78
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	4.43	10.21
6.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	416.52	707.95
7.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	–	–
8.	श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	393.23	4795.35
9.	राष्ट्रीय कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान इतिहास संस्थान, नई दिल्ली	10.44	6.68
	कुल	20713.71	27974.90

1	2	3	4
	हरियाणा		
1.	हरियाणा कृषि, हिसार	1.77	0.70
2.	कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र	190.46	148.52
3.	महर्षि दयानन्द, रोहतक	77.52	99.21
4.	गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	40.96	105.22
5.	राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, करनाल	–	0.67
	कुल	310.71	354.32
	गुजरात		
1.	भावनगर, भावनगर	69.00	431.23
2.	गुजरात, अहमदाबाद	165.13	1654.31
3.	गुजरात कृषि, दांडीवाडा	–	–
4.	गुजरात आयुर्वेद जामनगर	3.00	–
5.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	644.97	830.41
6.	एम०एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बडोदरा	191.40	497.27
7.	नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	42.28	80.73
8.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ विद्यानगर	266.69	150.12
9.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	134.91	367.93
10.	साउथ गुजरात विद्यालय, सूरत	99.51	454.39
	कुल	1616.89	4466.39
	गोवा		
1.	गोआ विश्वविद्यालय, गोवा	123.90	86.36
	हिमाचल प्रदेश		
1.	हिमाचल प्रदेश, शिमला	142.88	170.15
2.	हिमाचल प्रदेश कृषि, पालमपुर	–	–
3.	डॉ० वाई० एस० पी० यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री, सोलन	–	–
	कुल	142.88	170.15

1	2	3	4
	जम्मू व कश्मीर		
1.	जम्मू, जम्मू	94.06	126.90
2.	कश्मीर, श्रीनगर	134.24	140.99
3.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	0.72	0.66
	कुल	229.02	268.55
	झारखंड		
1.	बिरसा कृषि, रांची	–	–
2.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	96.83	72.05
3.	बी०आई०टी० मेसरा, रांची	98.20	181.87
4.	इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	20.81	12.06
5.	विनोबा भावे, हजारी बाग	–	–
	कुल	215.84	265.98
	कर्नाटक		
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	235.22	120.07
2.	केन्द्रीय भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	416.73	120.50
3.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	–	–
4.	गुलबर्ग, गुलबर्ग	84.95	62.27
5.	कन्नड, हम्पी	54.00	29.00
6.	कर्नाटक, धारवाड	291.51	170.67
7.	कोवेम्पू, शिमोगा	77.92	63.35
8.	मंगलौर, मंगलौर	121.84	94.57
9.	मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल	–	0.61
10.	मैसूर, मैसूर	291.78	209.01
11.	भारतीय राष्ट्रीय विधि संस्थान, बंगलौर	106.10	66.22
12.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर	9.05	–
13.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	–	1.00
14.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	–	–
	कुल	1689.10	937.27

1	2	3	4
	केरल		
1.	कालीकट, कोझीकोड	174.53	166.39
2.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोचीन विश्वविद्यालय, कोच्वी	140.78	165.58
3.	केरल, तिरुवनन्तपुरम	147.01	265.25
4.	केरल कृषि, त्रिशूर	–	–
5.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	163.27	60.75
6.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालाडी	–	20.67
7.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर	–	0.18
	कुल	625.59	678.82
	मणिपुर		
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	142.32	95.84
	मध्य प्रदेश		
1.	अवधेश पी० सिंह, रीवा	58.47	95.84
2.	बरखतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	284.84	126.83
3.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	31.42	50.17
4.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	336.19	133.81
5.	डॉ० एच०एस० गौड विश्वविद्यालय, सागर	153.58	239.76
6.	जवाहरलाल कृषि, जबलपुर	–	–
7.	जिवाजी, ग्लालियर	95.09	72.18
8.	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	42.34	5.26
9.	माखनलाल सी०आर०पी० विश्वविद्यालय, भोपाल	–	–
10.	प्राच निकेतन सेंटर ऑफ एडवान्स स्टडी फॉर इंडोलोजी एंज म्यूजियालॉजी	0.87	–
11.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	143.67	144.11
12.	विक्रम, उज्जैन	105.33	73.48
13.	एम०पी०भोज विश्वविद्यालय, भोपाल	–	9.71
	कुल	1251.80	951.15

1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
1.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	67.73	61.84
2.	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनियर	–	–
3.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	510.65	475.73
4.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	–	–
5.	महात्मा फूले कृषि, राहूरी	–	–
6.	मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभनी	–	–
7.	डॉ० भीम राव अम्बेडकर, मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	99.78	133.57
8.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	80.57	129.11
9.	नार्थ महाराष्ट्र, जलगांव	54.75	59.92
10.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	387.75	1078.50
11.	पंजाब राव कृषि, अकोला	4.05	–
12.	एस०एन०डी०टी० महिला, मुम्बई	114.40	93.75
13.	शिवाजी, कोल्हापुर	195.17	123.38
14.	यशवन्त राव चाव्हाण, नासिक	–	–
15.	एस०आर०टी० मराठवाडा, नांदेड	32.45	42.34
16.	केन्द्रीय मछली पालन शिक्षा संस्थान, मुम्बई	–	–
17.	दक्खन स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान कॉलेज	22.78	3.75
18.	गोखले नागारिक शास्त्र और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	55.02	31.03
19.	अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	9.35	2.97
20.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई	821.09	859.12
21.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	23.30	23.21
22.	एम०जी० अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	50.00	–
23.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे	6.40	9.82
24.	हाफकिन्स प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान	–	–
	कुल	2535.24	3131.04

1	2	3	4
	मेघालय		
1.	पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग	4095.19	3840.83
	नागालैण्ड		
1.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	1755.57	1669.15
	उड़ीसा		
1.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	205.62	119.35
2.	उड़ीसा ग्रामीण और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	–	–
3.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	112.57	111.86
4.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी	111.91	34.76
5.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	372.44	248.35
	कुल	802.54	514.32
	पाण्डिचेरी		
1.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी	1710.99	1043.62
	पंजाब		
1.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	192.53	219.42
2.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	388.11	399.49
3.	पंजाब एग्रीकल्चरल, लुधियाना	0.75	2.89
4.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	174.69	123.59
5.	थापर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, संस्थान, पटियाला	–	107.98
	कुल	756.08	853.37
	राजस्थान		
1.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	99.06	370.42
2.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	22.25	104.70
3.	कोटा ओपर विश्वविद्यालय, कोटा	–	2.34
4.	जे०एन० व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुरा	227.28	156.64

1	2	3	4
5.	जे०वी० भारती संस्थान, लादौन	27.02	65.35
6.	एम०डी०एस० विश्वविद्यालय अजमेर	78.72	49.88
7.	एम०एल० सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	102.77	60.89
8.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	44.81	42.16
9.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	–	–
10.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	285.82	281.90
	कुल	887.73	1134.28
	तमिलनाडु		
1.	अलागप्पा विश्वविद्यालय, करायकुद्दी	66.31	59.51
2.	अन्नामलाई, अन्नमलाई नगर	83.51	102.80
3.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	266.81	281.72
4.	भरतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	85.31	94.68
5.	भारतीयदासन विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली	167.41	134.77
6.	डॉ० एम०जी०आर० मेडिकल, चेन्नई	0.53	–
7.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	313.81	965.80
8.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई	242.89	154.70
9.	मदर टैरेसा महिला विश्वविद्यालय कोड्डिकनाल	40.17	50.60
10.	एम. सुन्दरनर विश्वविद्यालय, तिरुनेलविले	50.19	52.32
11.	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल, कोयम्बटूर	2.91	4.33
12.	तमिलनाडु विश्वविद्यालय, तंजावूर	64.64	40.09
13.	टी०एन०वी० एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	–	–
14.	सी०एल०आर०आई० चेन्नई	0.30	–
15.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	0.13	–
16.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	753.18	821.48
17.	श्री चन्द्रशेखरानन्द सरस्वती न्यायशास्त्र महाविद्यालय, कांचीपुरम	22.02	67.00
18.	श्री अविनाशलिंग गृह विज्ञान एवं उच्चतर शिक्षा महिला संस्थान, कोयम्बोम्टूर	630.36	726.96
19.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	1.11	1.48
20.	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम	–	0.22
	कुल	2791.59	3558.46

1	2	3	4
	त्रिपुरा		
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	69.05	56.70
	उत्तरांचल		
1.	जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर	6.19	9.68
2.	एच०एन०बी० (गढ़वाल) विश्वविद्यालय, श्रीनगर	111.05	111.83
3.	कुमाउँ विश्वविद्यालय नैनीताल	78.37	91.63
4.	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	464.35	535.22
5.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	2.15	3.84
6.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	482.32	610.83
	कुल	1144.43	1363.03
	उत्तर प्रदेश		
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	338.10	289.90
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	15747.16	15790.24
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	16241.26	16179.12
4.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	–	2.09
5.	चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	177.75	90.89
6.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	–	–
7.	डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा	72.07	59.88
8.	डॉ० राम मनोहर लोहिया (अवध) विश्वविद्यालय, फैजाबाद	51.40	47.87
9.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	159.21	100.15
10.	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	60.40	39.82
11.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	220.79	259.61
12.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	69.09	57.99
13.	एम०जे०पी० रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	89.52	52.58
14.	नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद	–	–
15.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	–	–

1	2	3	4
16.	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	47.18	45.88
17.	डॉ० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	370.00	51.50
18.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	11.90	34.00
19.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	360.55	466.87
	कुल	34016.38	33568.29
	पश्चिम बंगाल		
1.	बर्द्धवान विश्वविद्यालय, वर्द्धवान	287.85	133.25
2.	बी०सी० कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	1.19	–
3.	बंगाल इंजीनियरी कॉलेज, हावडा	17.38	60.75
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	348.87	828.12
5.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	433.45	228.85
6.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	75.10	84.41
7.	नॉर्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	110.13	71.44
8.	रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता	154.22	74.57
9.	विद्या सागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	66.99	64.71
10.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन	4046.13	4712.63
	कुल	5541.31	6258.73
	गैर विश्वविद्यालय/संस्थाओं को दिए गए अनुदान		
	आंध्र प्रदेश		
1.	नेशनल प्लांट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद	0.22	–
	महाराष्ट्र		
1.	कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	–	0.68
	तमिलनाडु		
1.	बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोयम्बटूर	0.22	–

विवरण–I

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान योजनागत और योजनेतर के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को भुगतान किए गए अनुदानों को दर्शानेवाला विवरण

(करोड़ रु० में)

वर्ष	योजनागत	योजनेतर	कुल
1999-2000	30.00	5.50	35.50
2000-2001	42.00	3.75	45.75
2001-2002	52.56	1.50	54.06

[हिन्दी]

महिला दहेज प्रकोष्ठ

1234. श्री भीम दाहाल: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में महिला दहेज प्रकोष्ठ खुले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनवरी, 2001 से आज की तारीख तक विभिन्न पुलिस थानों में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक इनमें से कितने मामलों का निपटान कर लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित केन्द्रीय एकक और 9 पुलिस जिलों, प्रत्येक में एक-एक जिला अपराध (महिला) एकक हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों की सुरक्षा

1235. सरदार सिमरनजीत सिंह मान: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीमती फूलन देवी हत्याकांड मामले की जांच में सुरक्षा खामियां प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो जांच में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) संसद सदस्यों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या सुरक्षा उपाय किए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) इस मामले में जांच पड़ताल पूरी हो गई है और इस समय मामला न्यायाधीन है।

(ग) खतरे की आशंका वाले व्यक्तियों, जिनमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, को सुरक्षा केन्द्रीय सुरक्षा अभिकरणों द्वारा आंकी गई वर्तमान खतरे की आशंका के आधार पर प्रदान की जाती है। दिल्ली पुलिस ने भी नई दिल्ली विशेषतया उस क्षेत्र में जहाँ संसद सदस्य रहते हैं, में चौकियों की संख्या बढ़ाकर, पैदल और मोटर साईकिल पैट्रोलिंग को गहन करके; और महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त पी.सी.आर. वैनों की तैनाती करके समग्र सुरक्षा परिवेश को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के ग्राउंड स्टोर में अनियमितताएं

1236. श्री ब्रजमोहन राम: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक/अनुषंगी कंपनियों के ग्राउंड स्टोर में पाई गई अनियमितताओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) ग्राउंड स्टोर जैसे कोई शब्दावली कोल इंडिया लि. या सहायक कंपनी में नहीं है। तथापि, कोल इंडिया कोयले के बुक-स्टाक तथा वास्तविक स्टाक के मध्य कमी की जांच के लिए वार्षिक रूप से कोयला स्टाक इन्वैन्टरी मापन करता है। सहायक कंपनियां इकाई स्तर पर मासिक, क्षेत्र स्तर पर त्रैमासिक तथा सहायक कंमनी स्तर पर अर्द्ध-वार्षिक नियमित कोयला स्टाक मापन करती हैं। उपर्युक्त

के अतिरिक्त, कोल इंडिया द्वारा खान के लगभग 10% को जांच इन्वैन्टरी बनाया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों में कच्चे कोयले के ग्राउंड स्टाक में कमी के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए कोयला इन्वैन्टरी का मापन प्रगति पर है।

(ख) कोयला स्टाक में कमी के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करने हेतु जांच तब की जाती है जब बुक स्टाक तथा मापित वास्तविक स्टाक के मध्य अंतर जमा/घटा 5% तथा/अथवा 1000 टन होता है। गत तीन वर्षों के दौरान इन मामलों पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

1989-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान कम्पनी-वार, बुक-स्टॉक, वास्तविक स्टॉक तथा स्टॉक में कमी

कम्पनी	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	बुक स्टाक	वास्तविक स्टाक	कमी (सांख्यिकीय) 5% और/ अथवा 1000 टन से अधिक	बुक स्टॉक	वास्तविक स्टाक	कमी (सांख्यिकीय) 5% और/ अथवा 1000 टन से अधिक	बुक स्टाक	वास्तविक स्टाक	कमी (साख्यिकीय) 5% और/ अथवा 1000 टन से अधिक
ई.सी.एल.	42.91	42.00	शून्य	28.72	26.93	1.19	24.08	22.09	0.96
बी.सी.सी.एल.	51.15	41.19	9.34	28.49	25.64	2.12	22.97	21.55	0.76
सी.सी.एल.	47.23	46.84	शून्य	45.84	45.13	शून्य	31.86	31.78	शून्य
एन.सी.एल.	22.87	22.88	शून्य	14.31	14.31	शून्य	7.73	7.66	शून्य
डब्ल्यू.सी.एल.	33.07	32.74	शून्य	23.17	23.02	शून्य	21.85	21.81	शून्य
एस.ई.सी.एल.	62.65	61.59	शून्य	70.94	69.85	शून्य	66.56	65.19	शून्य
एम.सी.एल.	40.65	39.81	शून्य	54.62	53.74	शून्य	29.28	28.93	शून्य
एन.ई.सी.	8.44	8.42	शून्य	5.74	5.54	शून्य	4.64	4.52	शून्य
सी.आई.एल.	308.97	295.47	9.34	271.83	264.16	3.31	208.97	204.43	1.72

विवरण-II

ग्राउंड स्टॉक में कमी के संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण

विवरण	ई.सी.एल.			बी.सी.सी.एल.		
	1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-1999	1999-2000	2000-2001
अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की संख्या	शून्य	25	27	39	22	1
की गई कार्रवाई का ब्यौरा						
(क) बरी/चेतावनी	–	7	0	8	0	0
(ख) हटा लिए गए/बन्द कर दी गई	–	1	2	9	2	0
(ग) दण्ड दिया गया	–	14	0	13	5	0
उप जोड़	–	22	2	30	7	0
लम्बित मामले	–	3	25	9	15	1

[अनुवाद]

मानवाधिकार

1237. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पुलिस और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) गैर-सरकारी संगठनों और जन कार्यकर्त्ता समूहों के वित्तपोषण द्वारा जनता, विशेषत: आदिवासियों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार मानवाधिकार नीतियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय पत्रकारों, राजनयिकों और मानवाधिकार समूहों को सुलभ पहुंच प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अर्द्ध सैनिक बलों सहित सभी संबंधितों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं तथा उन्हें दोहराया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि वे मानवीय ढंग से आचरण करें तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लें, जांच तत्परता से की जाए तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशिक्षण पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों ने मानवाधिकारों के शिक्षण और प्रशिक्षण को प्रशिक्षण का अभिन्न तथा आवश्यक अंग बना लिया है। सीमा सुरक्षा बल में मानवाधिकारों को विषय वस्तु और आगे कांस्टेबल के स्तर पर पहुंचाने के लिए सरल भाषा में ''क्या करें'' और ''क्या न करें'' दर्शाते हुए एक पुस्तिका सभा क्षेत्रीय फार्मेशनों को जारी की गई है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानवाधिकारों से संबंधित मामलों की जानकारी समाविष्ट करके तथा मानवाधिकारों के बारे में सेमिनार, विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद आयोजित करके मानवाधिकारों तथा हिरासती अपराधों के मुद्दे पर सभी स्तरों के पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहा है।

(ख) सरकार ने मानवाधिकार शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई है जो चालू वर्ष में लागू की जाएगी। इस योजना में गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों, जो समाज के सभी वर्गों के बीच मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों की शिक्षा फैलाने में संलग्न हैं, का वित्त पोषण शामिल हैं।

(ग) और (घ) मानवाधिकारों के मामलों के प्रति सरकार की नीति खुली रही है तथा इसे मद्देनजर रखते हुए सांसदों तथा संसदविदों सहित विदेशी नागरिकों को देश के विभिन्न भागों का दौरा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित मानवाधिकार तंत्र से पूरी तरह सहयोग किया है तथा यह इन तंत्रों की मार्फत प्राप्त मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों की विशिष्ट शिकायतों के संबंध में तुरन्त जानकारी उपलब्ध करती रही है।

कश्मीर में सिविल सुधार

1238. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर में सिविल सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तैयार किए नए सिविल सुधार पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में सिविल सुधारों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के साथ मिलकर, राज्य में शांति और सामान्य हालत बहाल करने के लिए एक बहु-आयामी नीति जारी रखे हुए हैं। इस नीति के तीन मुख्य आयाम हैं (i) जम्मू और कश्मीर के अंदर सीमा पार से आतंकवाद से प्रतिकारी रूप से निपटना; (ii) राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ाना, (iii) राज्य में हिंसा के मार्ग को त्याग देने वाले किसी भी समुदाय के लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार रहना। उपर्युक्त नीति में जरूरत के अनुसार समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जाते रहते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी छात्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र

1239. डॉ. अशोक पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी छात्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में ढील देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत और ईरान की संयुक्त परियोजनाएं

1240. श्री के. येरननायडू:
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ईरान को तहरान जैसे बड़े शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) ईरान सरकार के आमंत्रण पर 9-11 अप्रैल, 2002 के बीच भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के दौरे के दौरान आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए कुछ व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई है। तथापि आपसी सहयोग के लिए शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों को दोनों देशों के बीच ड्राफ्ट अनुबंध में शामिल करना होगा। यह ड्राफ्ट अनुबंध, जिसे ईरानी पक्ष द्वारा शुरू किया जाना है, ईरान सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

चुने गए व्यापक क्षेत्र इस प्रकार है:

(क) एन बी सी सी तथा ईरानी पक्षों के बीच संयुक्त उद्यम ईरान, भारत तथा तीसरे देशों जैसे अफगानिस्तान में निर्माण परियोजनाओं का कार्य करेंगे।

(ख) तकनीकी अनुभव बांटकर तथा तकनीकी विशेषज्ञों की एक दूसरे के देशों में दौरा के जरिए दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन तथा तेहरान मैट्रो के बीच निकट सहयोग।

(ग) तेहरान नगर पालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा द्विपक्षीय सहयोग से तेहरान और नई दिल्ली में निर्धारित हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास।

(घ) भारत और ईरान में प्रत्येक में एक मैट्रो शहर को म्यूनिसिपल शासन के क्षेत्र में परस्पर लाभ के लिए "सिस्टर सिटीज" अभिनामित करना है।

(ङ) तकनीकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के जरिए भारत की भवन सामग्री और शिल्प विकास परिषद तथा ईरान के भवन तथा आवास अनुसंधान केन्द्र के बीच निकट तकनीकी सहयोग।

आगे की कार्रवाई, ईरान सरकार द्वारा ड्राफ्ट अनुबंध भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करेगी।

पका-पकाया मध्याह्न भोजन योजना

1241. श्री रामजी मांझी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महीने में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति रखने वाले छात्रों को 100 ग्राम गेहूँ/चावल से प्राप्त कैलोरियों के बराबर 3 किलोग्राम पोषक और पका-पकाया भोजन/प्रसंस्कृत भोजन वितरित किया जाना था और इस योजना का पर्यवेक्षण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकायों और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को भोजन वितरित किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हाँ। मध्याह्न भोजन योजना नाम से जाना जाने वाला प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में कम से कम 80% उपस्थित वाले छात्रों को नि:शुल्क खाद्यान्न (गेहूँ तथा चावल) वितरित किए जाते हैं। जहाँ पका-पकाया प्रसंस्कृत गर्म भोजन दिया जाता है, वहाँ 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस और जहाँ खाद्यान्न वितरित किया जाता है वहाँ 3 किग्रा. प्रति छात्र प्रति मास खाद्यान्न दिया जाता है। इस योजना में विधि स्तरीय पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग तंत्र की व्यवस्था है जिसमें पंचायती राज संस्थाएँ तथा स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों द्वारा स्थापित ग्राम शिक्षा समितियाँ भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी पका-पकाया भोजन प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 89 आदिवासी ब्लाकों में बच्चों को पका-पकाया भोजन प्रदान किया जा रहा है। उड़ीसा में 8 के.बी.के. जिलों (बोलंगीर, कालाहांडी, कोरापुट,

मलकांगिरी, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़ तथा सोनेपुर) में और गैर के.बी.के. जिलों के 74 आईटीडीए ब्लाकों में पका-पकाया भोजन प्रदान किया जा रहा है। कर्नाटक, बेल्लारी, बिदर, बीजापुर, बगलकोट, गुलबर्ग, कोपाला तथा रायचुर जिले में भोजन प्रदान कर रहा है जबकि बंगलौर ग्रामीण जिलों के लगभग 6000 बच्चों को इस्कान नामक एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से पका-पकाया भोजन प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली तथा राजस्थान में तत्काल खाने लायक भोजन वितरित किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जो इस समय कच्चा राशन प्रदान कर रहे हैं, से कहा है कि वे इसे पके-पकाये भोजन के रूप में प्रदान करें। तथापि कुछ राज्य-संघ राज्य क्षेत्र अभी भी कच्चा राशन वितरित कर रहे हैं। राज्यों ने इसका कारण वित्तीय दबाव बताया है।

वैज्ञानिकों की कार्य स्थितियों का अध्ययन करने वाली समिति

1242. श्री मोहन रावले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत वैज्ञानिकों की कार्य स्थितियों का अध्ययन करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स में सरकार की हिस्सेदारी

1243. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में अपनी सौ फीसदी हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार इस उपक्रम पर विभिन्न बैंकों की ब्याज सहित कितनी राशि बकाया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस उपक्रम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) एच ए एल, रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत एक कंपनी है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (बी आई एफ आर) बोर्ड को संदर्भित है। सरकार ने मार्च, 2002 में बी आई एफ आर को सूचित किया है कि वह कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए सहमत है।

(ख) 1.3.2002 की स्थिति के अनुसार एच ए एल से बैंकों की बकाया राशि

(लाख रु. में)

बैंक	ऋण	ब्याज	कुल
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	356.23	-	356.23
ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	205.03	-	205.03
पंजाब नेशनल बैंक	799.11	-	799.11
विजया बैंक	154.76	-	154.76
स्टेट बैंक आफ इंडिया	2657.49	3098.66	5756.15
बैंक आफ महाराष्ट्र	235.21	543.79	779.00
यूको बैंक	339.52	156.90	496.42
केनरा बैंक	3500.00	2831.25	6331.25
कुल	8247.35	6630.60	14877.95

(ग) उद्यम के कार्यकरण में सुधार के लिए वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 की अवधि में कंपनी द्वारा किए गए उपाय:

(1) कठोर लागत नियंत्रण उपाय, परिणामस्वरूप कच्चे माल की लागत आदि में बचत।

(2) 1996 से वी आर एस लागू करने के परिणामस्वरूप 622 कर्मचारियों को कम किया गया।

(3) स्ट्रेप्टोमाइसिन औषध सुविधाओं को पट्टे पर देने के परिणामस्वरूप 4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की शुद्ध आय हुआ।

(4) विपणन विभाग और वितरण चैनल का पुनर्गठन किया गया जिसके परिणामस्वरूप बेहतर निष्पादन हुआ और व्यय में कटौती हुई।

(5) कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स को चुस्त-दुरूस्त किया गया और नई उत्पाद व्यवस्था शुरू की गई, परिणामस्वरूप बेहतर लाभ हुआ।

(6) प्रबंधन ने कंपनी को और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए ढांचे में क्रमिक और कार्य व्यवस्था में परिवर्तन लागू किया है।

बाल विवाह

1244. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाल विवाह के मामलों में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए देश भर में बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या बाल विवाहों पर रोक लगाने के लिए देश में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि उसने कुछ चयनित राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान छेड़ा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला शक्ति-संपन्नता नीति, 2001 के पैरा 6.3 में कहा गया है कि विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया जाएगा। तथापि, कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैं:

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत संपन्न विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार की राज्य में ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित हो तो वह इस बात की व्यवस्था कर सकती है कि सभी मामलों और विनिर्दिष्ट मामलों में राज्य अथवा राज्य के किसी भाग में हिंदू विवाहों के ब्यौरों की प्रविष्टि हिंदू विवाह रजिस्टर में करना अनिवार्य होगा। कतिपय राज्य सरकारों, नामत: महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्य अधिनियम हैं, जिनमें इन राज्यों में विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। विशेष अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत विवाहों के अलावा संपन्न अन्य विवाहों का पंजीकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत अनुमेय है, यदि ऐसे विवाह उस अधिनियम के अध्याय-III के अंतर्गत निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। हिन्दू विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

एस. जी. एस. वाई. के लिए डीआरडीए द्वारा आवेदित ऋण

1245. श्री जी.एस. बसवराज: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान एसजीएसवाई योजना का कार्यान्वयन धीमा रहा है,

(ख) यदि हां, तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) ने ऋण के लिए कितने आवेदन प्रस्तुत किए हैं और 2000-2001 के दौरान कितना ऋण स्वीकृत और वितरित किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भागीदार राज्यों ने बुनियादी सुविधाओं के लिए कितनी निधियों का उपयोग किया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को 1.4.99 से शुरू किया गया है। मार्च 2002 तक 901,630 स्व. सहायता समूहों (एस एच जी) का गठन किया गया है और 29,15,255 स्वरोजगारियों की सहायता की गयी है। कुल लाभार्थियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा क्रमश: 44.81% और 42.18% रहा।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गयी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000-01 में ऋण के लिए 13.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 7.56 लाख आवेदनों को मंजूरी दी गई और 6.77 लाख आवेदनों के लिए ऋण वितरित किया गया।

(ग) वर्ष 2000-01 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ढांचागत विकास एवं प्रशिक्षण के लिए क्रमश: 271.69 करोड़ रुपये और 47.73 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को अल्पावधि ऋण

1246. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषत: छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आसान अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए एक समेकित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार सहित ऐसे परिवारों के शिक्षित बेरोजगार युवा और महिलाएं कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित समूह हैं। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

एस जी एस वाई का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी दोनों के जरिए आय सृजित परिसंपत्तियां मुहैया कराकर सहायता प्राप्त परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एस जी एस वाई ऋण से जुड़ी योजना है जबकि ऋण एक मुख्य घटक है। एस जी एस वाई के सभी ऋण न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि में अदा किए जाने वाले मध्यावधि ऋण हैं।

(ख) चालू वर्ष (2002-03) के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ऋण लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8112.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	680.22
3.	असम	9244.94
4.	बिहार	37040.00
5.	छत्तीसगढ़	6542.33
6.	गोवा	230.35
7.	गुजरात	4544.28
8.	हरियाणा	3537.27
9.	हिमाचल प्रदेश	2244.90
10.	जम्मू व कश्मीर	3113.25
11.	झारखण्ड	12896.49
12.	कनार्टक	12521.30
13.	केरल	3219.66
14.	मध्य प्रदेश	14377.03
15.	महाराष्ट्र	19739.86
16.	मणिपुर	531.36
17.	मेघालय	1254.92
18.	मिजोरम	184.41
19.	नागालैण्ड	642.83
20.	उड़ीसा	11121.59
21.	पंजाब	1539.49
22.	राजस्थान	11271.87
23.	सिक्किम	237.08
24.	तमिलनाडु	7332.16
25.	त्रिपुरा	1462.07
26.	उत्तर प्रदेश	56500.15
27.	उत्तरांचल	3436.29
28.	प. बंगाल	20000.00
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	181.76
30.	दादरा व नगर हवेली	90.00
31.	दमन व द्वीव	206.30
32.	लक्षद्वीप	170.42
33.	पांडिचेरी	175.37
	जोड़	254382.48

बिहार और झारखंड में मरूभूमि विकास प्राधिकरण द्वारा लागू की गई योजनाएं

1247. श्री राजो सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान बिहार और झारखंड के सूखा प्रवण जिलों में मरूभूमि विकास प्राधिकरण द्वारा लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसका क्या निष्कर्ष निकला है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) बिहार और झारखण्ड राज्यों में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। तथापि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं तथा जारी की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
बिहार	0	2.30*	28	1.00	46	2.42
झारखण्ड	19	–	200	6.87	173	8.82

* बिहार और झारखण्ड के लिए संयुक्त आंकड़े

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत वाटरशेड परियोजना 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती है तथा निधियां 7 किस्तों में जारी की जाती हैं। छः किस्ते 15% की होती हैं तथा अंतिम किस्त 10% की होती है। इस प्रकार विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति

1248. श्री चिंतामन वनगा: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र विशेषकर थाणे जिले में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य के लिए जारी की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 25, 26 और 27 जून, 2002 को हुई मूसलाधार वर्षा के कारण 97 लोगों की जानें गई, 10,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए और 14,025 हैक्टयर में फसल प्रभावित हुई।

(ग) और (घ) बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकार की है और बताया जाता है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राहत उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है और बाढ़ से हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 4-6 जुलाई, 2002 को महाराष्ट्र का दौरा किया। केन्द्रीय सहायता, यदि कोई हो, पर केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, अन्तरमंत्रालयीय ग्रुप की सिफारिशों और मानदण्डों के अनुसार सहायता की ग्राह्यता तथा राज्य के पास सी.आर.एफ. के अन्तर्गत उपलब्ध धन को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, पप्पनमकोड

1249. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इरादा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, पप्पनमकोड, त्रिवेन्द्रम में नये अनुसंधान स्कंधों को शुरू करने और शोध छात्रों के लिए छात्रावास भवनों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सीएसआईआर की एक घटक इकाई क्षेत्रीय अनुसंधान

प्रयोगशाला (आरआरएल), त्रिवेन्द्रम में नई औषध खोज विषयक अनुसंधान की शुरूआत परिकल्पित है। इसकी अपने रिसर्च स्कॉलरों रिसर्च एसोसिएटों आदि के लिए होस्टल बिल्डिंग्स का निर्माण करने की भी योजना है।

जैवचिकित्सकीय अनुसंधान और पशु अधिकार संबंधी गतिविधियां

1250. **श्रीमती डी. एम. विजयाकुमारी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुओं के अधिकारों हेतु कार्य करने वालों के अत्यधिक उत्साह के कारण जैव चिकित्सकीय अनुसंधान कार्य में बाधा पड़ रही है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कारण राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे को बन्द कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके बन्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार के तुच्छ आधारों का मानव जाति को बचाने हेतु किए जाने वाले जैव चिकित्सकीय अनुसंधान कार्यों में बाधा न पड़े यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां, जैव चिकित्सकीय अनुसंधान में पशुओं पर परीक्षण करने वाले प्रमुख संस्थानों को पशु प्रयोग पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजन से गठित समिति (सी पी सी एस ई ए) द्वारा तैयार किए गए पशु प्रजनन एवं प्रयोग (नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण) नियम, 1998 के विभिन्न प्रावधानों के कारण और सी. पी. सी. एस. ई. के द्वारा विविध निर्णयों को लागू किए जाने के तरीके की वजह से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) से (घ) यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एन आई वी), पुणे (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत) को बन्द कर दिया गया था। तथापि, 16 मई, 2002 को 31 बंदरों को योजना के अनुसार उन पर प्रयोग पूरे हो जाने पर पुनर्वास के लिए सी. पी. सी. एस. ई. ए. के प्रतिनिधि को सौंप दिया गया था।

(ङ) चिकित्सकीय अनुसंधान और आवश्यकतानुसार नियमों, प्रक्रियाओं आदि के संशोधन के बारे में सी. पी. सी. एस. ई. ए. की भूमिका से संबंधित सभी मुद्दों को सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उग्रवादियों की गिरफ्तारी और पेन पिस्तौलों की जब्ती

1251. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब उग्रवादी देश में पेन, खिलौनों, आदि के आकार के अत्यन्त छोटे हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर घाटी में कुछ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पेन पिस्तौलों को जब्त किया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार के छोटे हथियारों के प्रयोग से मुकाबला करने के लिए सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान! केवल एक मामला ऐसा है जिसमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा 16 जुलाई, 2002 को नायकबाग, पुलिस स्टेशन-नौगांम, बडगाम, जम्मू और कश्मीर में एक खाली पड़े घर से ईंटों के ढेर के अंदर छिपा कर रखा गया एक पेन पिस्तौल तथा कुछ गोला बारूद बरामद किया गया है।

(घ) उग्रवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा प्रतिकारक उपाय किए गए हैं जिसमें यदाकदा तलाशी और जाम: तलाशी शामिल हैं।

[हिन्दी]

दवाओं के मूल्य में कमी

1252. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ दवा उत्पादक कंपनियों ने सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बावजूद दवाओं के मूल्यों में कमी नहीं की है,

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं और मूल्यों में कमी न करने के लिए उनके द्वारा क्या कारण बताए गए हैं, और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है जहां विनिर्माता कंपनियों ने सरकार द्वारा उन्हें दी गई रियायतों के बावजूद दवाइयों की कीमतें कम नहीं की हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

आवास मेला

1253. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास मेले का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या उद्देश्य था; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कार्य संचालन को आधुनिक बनाने और ग्राहकों एवं संभावित ग्राहकों के प्रति अपने दृष्टिकोण को सुधारने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हाँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में दिनांक 25.12.2001 तथा 29.6.2002 को 'आवास मेलों' का आयोजन किया था।

(ख) इस प्रकार के "आवास मेलों" के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आबंटी तक समयबद्ध एवं संतोषजनक ढंग से पहुँच बनाना है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यकलाप को आधुनिक बनाने तथा कार्यार्थियों/संभावित ग्राहकों के प्रति अपने रुख में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले-संदिग्ध क्षेत्रों का पता लगाने के बाद समग्र जन सम्पर्क एवं जन शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

(2) स्वागत कक्ष में 13 सलाहकार तैनात किए गए हैं जो न केवल विभिन्न नीतियों, मुद्दों, प्रक्रियाओं, नियमों आदि के बारे में जानकारी देते हैं अपितु दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ विभिन्न प्रकार के लेन-देन के दस्तावेज तैयार करने में भी आबंटी की मदद भी करते हैं।

(3) स्वागत कक्ष में एक सुझाव-पुस्तक रखी गयी है जिसमें कोई भी आगन्तुक सलाहकारों द्वारा दी गई सहायता/ सेवाओं के बारे में अपनी टिप्पणियों/सुझावों की प्रविष्टि कर सकता है।

(4) आवास, भूमि और भवनों में विभिन्न लेन-देन के बारे में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों/प्रक्रियाओं, के बारे में जानकारी देने वाली मार्गदर्शी पुस्तिकाएं दि.वि.प्रा. के बिक्री केन्द्रों पर तथा आम जनता के मार्गदर्शन के लिए सलाहकारों को उपलब्ध कराई गई हैं।

(5) स्वागत कक्ष में एक आन-लाइन काउन्टर खोला गया है, जिस पर आवास विभाग के साथ विभिन्न लेन-देन बाबत जानकारी चन्द मिनटों में प्रदर्शित कर दी जाती है।

(6) स्वागत कक्ष के कार्यकरण की नियमित निगरानी तथा देख-रेख के लिए दि.वि.प्रा. के वरिष्ठ अधिकारियों की बारी-बारी से रोस्टर ड्यूटी तय की गई है।

(7) जनता सभी आयुक्तों एवं निदेशकों से प्रत्येक सोमवार व गुरुवार अपराह्न में तथा अन्य कार्य दिवसों में पूर्व अनुमति लेकर मिल सकती है।

(8) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, से जनता के मिलने का समय बुधवार को अपराह्न में रखा गया है।

(9) मुख्य स्वागत हाल में एक सुझाव पेटिका रखी गई है जिसे निदेशक (जन सम्पर्क) द्वारा हर सप्ताह खोला जाता है तथा उसमें प्राप्त होने वाली शिकायतों/सुझावों पर कार्रवाई की जाती है।

(10) प्राप्ति एवं प्रेषण की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली शुरू की गई है तथा दि.वि.प्रा. में प्राप्त सभी पत्रों की कम्प्यूटरीकृत रसीद दी जाती है। सभी प्राप्त रसीदों की सूची आगे की कार्रवाई मानीटरिंग के लिए रोजाना सम्बन्धित विभाग को भेज दी जाती है।

(11) सभी महत्वपूर्ण पत्रों को स्पीडपोस्ट से भेजा जाता है। इन सभी पत्रों के वितरण का सबूत डॉकघर से लिया जाता है और उसे सम्बद्ध फाइलों में लगाया जाता है।

(12) कार्यार्थियों की कम से कम परेशानी के लिए ग्राउंड रेट/सेवा प्रभारों के पूंजीकरण जैसी वित्तीय प्रक्रियाओ में सुधार किया गया है।

(13) फ्लैटों के मानक लागत मूल्य प्रदर्शन की शुरूआत की गई है, ताकि ड्रा की तारीख तथा मांग-सह-आबंटन पत्र भेजने की तारीख के बीच विलम्ब से बचा जा सके।

(14) आवास विभाग के सभी दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

[हिन्दी]

हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन

1254. श्री रामानन्द सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान हिन्दी भाषा के शिक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों ने उपर्युक्त धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) (i) "गैर हिन्दी भाषा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण" नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन विभिन्न श्रेणी के स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई थी। इस वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस योजना के अनुसार निधियों का उपयोग नियुक्त किये गये शिक्षकों को वेतन देने तथा हिन्दी प्रशिक्षण कॉलेज (आईजोल, मिजोरम में) के निर्माण के लिए किया गया था।

(ii) इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय जो इस विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है, हिन्दी के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को निधियाँ देता है। ये निधियाँ सीधे राज्य सरकारों को नहीं दी जाती। पिछले 3 वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को दी गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन निधियों का उपयोग हिन्दी कक्षाओं, सेमिनारों, आशुलिपि तथा टंकण कक्षाओं, वक्तृता और वाद-विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद आदि के लिए किया जाता है।

(iii) इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग, जो इस विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है विश्वविद्यालय स्तर की तकनीकी पुस्तकों के हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशन और लेखन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों तथा विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को निधियाँ प्रदान करता है। यह कार्य के शिक्षा के उच्च स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से किया जाता है। हिन्दी में पाठ्यपुस्तकों के संवर्धन के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान दिये गये अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

विवरण-I

गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त हिन्दी शिक्षकों को वेतन देने तथा हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए "हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण" नामक योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	असम	428.30	538.40	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	48.50	151.86
3.	मिजोरम	145.21	288.09	336.17
4.	मणिपुर	–	100.00	133.62
5.	कर्नाटक	416.49	–	378.35
	कुल रु.	990.00	974.99	1000.00

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई निधियों का राज्यवार वितरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	असम	37.13	56.45	57.29
2.	मणिपुर	7.75	12.79	12.29
3.	मेघालय	1.42	2.23	2.10
4.	मिजोरम	1.39	3.53	2.51
5.	नागालैंड	0.45	0.31	2.37
6.	आंध्र प्रदेश	24.21	38.64	35.80
7.	कर्नाटक	69.64	98.63	96.13
8.	केरल	23.43	36.33	35.19
9.	तमिलनाडु	61.35	65.64	67.63
10.	प. बंगाल	6.01	8.07	8.04
11.	उड़ीसा	3.55	4.73	5.56
12.	महाराष्ट्र	21.37	38.03	32.42
13.	गोवा	3.93	5.34	4.99
14.	गुजरात	2.98	4.19	3.38
15.	पंजाब	0.30	0.30	0.35
16.	त्रिपुरा	–	–	0.40
17.	पांडिचेरी	0.80	1.00	1.00
18.	दिल्ली	13.58	16.38	13.48
19.	उत्तर प्रदेश	3.45	5.36	3.19
20.	बिहार/झारखंड	3.66	5.05	3.66
21.	राजस्थान	0.31	–	0.35
22.	मध्यप्रदेश	–	–	0.40
	कुल रुपये	286.71	403.00	388.53

विवरण-III

हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालीय स्तरीय पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों तथा विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई राज्यवार निधियां

(लाख रु.)

क्र. स.	हिन्दी ग्रन्थ अकादमी/विश्वविद्यालय सैल का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, राजस्थान सरकार	1.00	–	5.00
2.	बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, बिहार सरकार	2.50	8.00	11.00
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली सरकार	2.00	6.00	5.00
4.	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, मध्य प्रदेश सरकार	1.00	5.00	5.00
5.	गोविंदबल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर, उत्तरांचल	2.00	4.00	5.00
6.	उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (लखनऊ) उ.प्र.	–	–	2.00
7.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार), हरियाणा	–	5.00	–
	कुल रुपये	8.50	28.00	33.00

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय की जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र

1255. श्री नरेश पुगलिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की इस वर्ष की विधि पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों के चार सेटों में से दो सेटों के अंग्रेजी भाग में त्रुटियां थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उपर्युक्त परीक्षा में बैठने वाले उन विद्यार्थियों को जिन्हें त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र मिले उनकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार किए आने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30.6.2002 को आयोजित एल.एल.बी. प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा पुस्तिकाओं की दो सीरिज के अंग्रेजी भाग में एक प्रश्न में गलती थी। यह गलती दो पुस्तिकाओं को मिलाने की प्रक्रिया में हुई थी और परीक्षा समाप्त होने के बाद ही विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी मिली।

यह बात सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से कि इस गलती की वजह से किसी अभ्यर्थी का कोई नुकसान नहीं हो, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान सभी अभ्यर्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्नों की अनदेखी कर दी गई थी।

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय होटल परिसरों का निर्माण

1256. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय होटल परिसरों के निर्माण हेतु कोई महत्वाकांक्षी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इन होटलों के निर्माण के लिए अधिगृहित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और उसमें कितने कमरे बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उस पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) उपर्युक्त परिसरों का निर्माण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने वर्ष 1995-96 में लगभग 315 हेक्टेयर में 'वसंत विहार' में अन्तर्राष्ट्रीय होटल परिसर फेज-II" नामक एक स्कीम शुरू की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के कारण परियोजना क्षेत्र को घटाकर 223 हेक्टेयर कर दिया गया। पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण वर्ष 1999 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 5 के तहत 223 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय होटल परिसर का विकास करने संबंधी दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ।

(ग) चूँकि पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण ने परियोजना के लिए सहमति नहीं दी थी, वहाँ होटल/कमरे बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) को देखते हुए 223 हेक्टेयर परियोजना भूमि पर कोई खर्च होने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि शेष 92 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि का विकास किया तथा यूनियन होटल, कुछ संस्थानों तथा शापिंग केन्द्र (माल) को आवंटन किया है।

[हिन्दी]

जम्मू एवं कश्मीर में एसटीडी/आईएसडी और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध

1257. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में एसटीडी/आईएसडी एवं इंटरनेट सेवा पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण थे और उस पर से प्रतिबंध हटाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) दिसम्बर, 2001 में संसद पर हुए हमले के पश्चात भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने और उग्रवादियों द्वारा अपनी हिंसक गतिविधियों के लिए इन नेटवर्कों के इस्तेमाल की आशंका की दृष्टि से, इन पर पाबंदियां लगा दी गई थीं। तथापि, स्थिति की समीक्षा की गई तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में आई. एस. डी./एस.टी.डी. पी.सी.ओ. बूथों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया।

[अनुवाद]

जिनेटिक दवाओं की बाजार में ऊंचे मूल्यों पर बिक्री

1258. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री रामपाल सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 2002 के 'नवभारत टाइम्स' में जिनेटिक दवाओं की उसी तरह की ब्राडेड दवाओं और यौगिकों की तरह, खुदरा बाजार में उसके थोक बाजार की दर से 10 गुने ऊंचे मूल्यों पर बिक्री से संबंधित समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिनेटिक दवाएं विशेषकर टी.बी. एवं मलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाएं रोगियों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें, क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिनेटिक दवाओं को निम्न वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए ब्रांडेड दवाओं एवं जिनेटिक दवाओं के मूल्यों के बहुत अधिक अंतर को कम करने हेतु दवाओं की मूल्य नियंत्रण नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ङ) किसी अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग के लिए विनिर्माता को सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत का अनुपालन करना होता है। गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों की कीमतें विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती हैं। तथापि, सरकार, यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग सहित किसी सूत्रयोग की खुदरा कीमत निर्धारित अथवा संशोधित कर सकती है।

सरकार ने फरवरी, 2002 में "भेषज नीति-2002" की घोषणा की है। अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं-जन साधारण की अधिक मात्रा में खपत होने वाली अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक भेषजों की उचित कीमत पर देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना और लागत प्रभावी गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए स्वदेशी सक्षमता को सुदृढ़ करना। इस नीति की प्रति संसद ग्रंथागार में उपलब्ध है।

[हिन्दी]

यूरिया की कीमत वृद्धि

1259. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में यूरिया की कीमत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है एवं उसका क्या औचित्य है; और

(ग) इसका किसानों, विशेषकर सीमान्त किसानों के ऊपर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दिनांक 28-2-2002 से यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 4600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4830 रुपये प्रति टन कर दिया गया था।

(ख) राजकोषीय सुस्थिरता एवं संतुलित पोषक उपयोग से संबोधित सभी पक्षों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् मूल्यों में वृद्धि की गई थी।

(ग) सीमान्त किसानों सहित किसानों की कृषि लागत पर इस मूल्य वृद्धि का नाममात्र का प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

स्ववित्तपोषित इंजीनियरी कालेज

1260. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्ववित्तपोषित इंजीनियरी कालेजों की व्यवस्था किस तरीके से चल रही है; और

(ख) आज की तारीख में गुजरात राज्य से प्राप्त, स्ववित्त पोषित इंजीनियरी कालेज खोलने संबंधी स्थान वार, कितने आवेदन लंबित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त कालेजों की स्थापना, इनमें छात्रों के दाखिले, परीक्षाएं, शुल्क वसूलने, सीटों की आबंटन प्रक्रिया आदि से संबंधित शर्तें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित विनियमों के तहत आती हैं।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शैक्षिक वर्ष 2002-03 के दौरान गुजरात राज्य में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हेतु 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त 6 प्रस्तावों में से जूनागढ़, भांदू (महसाना), पिपाहिया (वदोदरा), सीतापुर (वदोदरा), भारूच तथा रंघवाड़ (पोरबंदर) के लिए एक-एक प्रस्ताव था। शैक्षिक सत्र 2002-2003 के लिए भांदू (महसाना) से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। शेष 5 प्रस्तावों पर वर्ष 2003-04 के लिए विचार किया जाएगा।

स्नातकोत्तर टेक्नोक्रैट और इंजीनियरों की आवश्यकता

1261. श्री जे. एस. बराड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश में स्नातकोत्तर टेक्नोक्रैट और इंजीनियरों की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकोत्तर टेक्नोक्रैट और इंजीनियरों आदि की देश हित में नियुक्ति किस प्रकार करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) अगले पांच वर्षों के लिए देश में स्नातकोत्तर टेक्नोक्रेटों, इंजीनियरों की जन शक्ति संबंधी आवश्यकता आदि का आंकलन करने के लिए अब तक कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। डिग्री स्तर पर शिक्षा का तीव्र विस्तार होने से तकनीकी संस्थाओं में स्नातकोत्तर योग्यता वाले शिक्षकों की सामान्य कमी है। इसी तरह उद्योगों, रक्षा अनुसंधान संगठनों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च तकनीकी क्षेत्रों के लिए और अधिक टेक्नोक्रैटों की आवश्यकता है। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा की समीक्षा करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा गठित की गई समिति ने स्नातकोत्तर

योग्यता वाली जनशक्ति की कमी तथा आवश्यकता की अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जनशक्ति में वृद्धि करने की सिफारिश की है। अतः मंत्रालय ने दिसम्बर 2001 में एक नीतिगत कार्य ढांचे की घोषणा की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्नातकोत्तर छात्रों/पीएचडी धारकों की संख्या में वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर अपने निर्धारित मानदण्डों तथा स्तरों के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। मंत्रालय तकनीकी विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं को सीधे सहायता प्रदान करता है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आधुनिकीकरण करने तथा अप्रचलन को दूर करने, तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्र कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रबन्धन विकास, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, अर्ली फैकल्टी इन्डक्शन कार्यक्रम, युवा शिक्षकों के लिए कैरियर अवार्ड आदि जैसी विभिन्न योजनाओं को संचालित करती है। अधिकांश टेक्नोक्रेट और इंजीनियर शैक्षिक संस्थाओं, निजी क्षेत्र, सरकारी अनुसंधान एवं विकास तथा सामरिक क्षेत्रों में कार्य प्राप्त कर लेते हैं।

[हिन्दी]

विद्यालयों में नामांकन

1262. श्री नवल किशोर रायः
डा. सुशील कुमार इन्दौराः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 6 से 14 वर्ष की आयु-वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु देश के शिक्षा शीर्ष के अन्तर्गत कितना अतिरिक्त वार्षिक खर्च आने का अनुमान है;

(ख) आवश्यक निधियां किन स्रोतों से जुटाई जाएंगी; और

(ग) प्रत्येक स्रोत से कितनी निधियां उपलब्ध होने का अनुमान है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए अनुमानित आवश्यकता दस वर्ष के लिए लगभग 98,000 करोड़ रु. है। जिसमें से लगभग 63,000 करोड़ रु. केन्द्रीय हिस्सा होगा और 35,000 करोड़ रुपये राज्यों का हिस्सा होगा। यह अनुमान मात्र है तथा वास्तविक आवश्यकता योजना के आधार पर इन जिला योजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।

यह निधि केन्द्र एवं राज्य सरकारों की योजना निधि से प्रदान की जाएगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए 28,750 करोड़ रु. का आबंटन किया है।

[अनुवाद]

पंचायतों को धन देना

1263. श्रीमती कान्ति सिंहः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवी और दसवीं योजनावधि के दौरान आज तक पंचायती राज संस्थानों को योजना-वार और राज्य-वार कितना धन दिया गया;

(ख) प्रत्येक योजनावधि के दौरान आबंटित किए गए धन के मुकाबले बिहार को कुल कितना धन दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने योजनावधि के धन देने पर अब तक रोक लगा रखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) नौवीं और दसवीं योजना के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गयी निधियां संलग्न विवरण-I और II में दर्शायी गयी हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को सितम्बर, 2001 में शुरू किया गया था। तथापि, चालू जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना वर्ष 2001-2002 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के भाग के रूप में जारी रही। चालू वित्त वर्ष में ये दोनों योजनाएं (अर्थात् सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में पूरी तरह मिला दी गयी है। दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निधियों को संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

(ख) नौवीं योजना के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत, दसवीं योजना के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार को जारी की गयी कुल निधियों और दसवें वित्त आयोग और ग्यारहवें वित्त आयोग

की सिफारिशों पर जारी की गयी निधियों को संलग्न विवरण-IV में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप स्थानीय निकाय अनुदानों को जारी करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियां उन राज्यों को जारी की जाएगी जिन्होंने पंचायतों के चुनाव करा लिए हैं। चूंकि बिहार में पंचायतों के चुनाव अप्रैल, 2001 में सम्पन्न हुए हैं इसलिए दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग संबंधी अनुदान वर्ष 1997-98 से 2000-2001 के दौरान जारी नहीं किए जा सके।

विवरण-I

नौवीं योजना के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) तथा दसवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-II के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	नौवीं योजना					दसवीं योजना (आज तक)
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	16685.84	11702.49	9617.32	8224.23	9980.37	4364.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	102.06	475.26	142.71	367.68	556.49	228.45
3.	असम	5524.15	15112.28	3787.01	0.00	13495.28	0.00
4.	बिहार*	29322.77	28733.82	28484.06	13707.02	18730.78	7883.02
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	3604.68	4197.63	1846.37
6.	गोवा	104.38	103.32	124.11	128.41	145.98	64.21
7.	गुजरात	5747.72	4449.43	3508.03	3237.12	3734.65	1642.72
8.	हरियाणा	1624.75	2591.88	2063.87	1863.61	2884.54	966.44
9.	हिमाचल प्रदेश	403.46	1022.15	1752.41	661.34	925.31	355.66
10.	जम्मू व कश्मीर	974.62	1094.62	897.74	720.25	1411.76	461.23
11.	झारखण्ड*	–	–	–	9644.14	13711.01	6057.30
12.	कर्नाटक	10353.99	10838.13	7037.56	5165.38	7569.95	3295.50
13.	केरल	3734.12	3965.65	3157.72	2725.50	3361.70	1478.67
14.	मध्य प्रदेश*	18977.15	18314.14	16926.38	10574.87	12276.62	5399.99
15.	महाराष्ट्र	16816.09	17180.81	13911.47	9673.91	14810.16	6514.38
16.	मणिपुर	248.52	501.64	115.54	530.58	399.45	146.52
17.	मेघालय	159.58	951.75	132.18	763.61	835.53	445.85
18.	मिजोरम	102.87	296.89	92.37	206..33	304.90	103.16
19.	नागालैण्ड	243.13	775.99	223.90	454.48	750.98	246.01

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	13421.32	13443.31	15974.14	8971.67	11348.19	4991.60
21.	पंजाब	892.79	1559.63	975.08	901.02	1067.80	469.68
22.	राजस्थान	8351.86	6008.50	5343.85	4781.45	5689.05	2502.37
23.	सिक्किम	96.78	280.00	102.45	228.45	337.59	0.00
24.	तमिलनाडु	14564.38	10348.85	9163.14	7716.72	9967.89	3858.38
25.	त्रिपुरा	476.35	1824.38	487.95	1437.02	2075.78	718.51
26.	उत्तर प्रदेश*	35894.15	42235.90	33593.14	25274.21	33551.39	14752.93
27.	उत्तरांचल*				1513.13	2228.37	980.17
28.	पश्चिम बंगाल	9066.99	10061.21	10800.26	9469.13	12611.24	5547.17
29.	अण्डमान निकोबार	50.50	39.70	13.00	54.04	96.21	42.32
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	50.22	48.94	30.98	54.23	63.51	27.94
32.	दमन व द्वीव	16.21	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	25.41	35.46	23.53	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	74.37	82.14	45.96	66.56	97.76	43.00
	कुल	194106.73	205096.33	168527.86	132756.77	189277.47	75434.04

*राज्य के पुनर्गठन के कारण निर्धारित अंश

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) तथा दसवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-I के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को रिलीज की गई निधियां

(एस.जी.आर.वाई.-I)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	नौवीं योजना					दसवीं योजना (मई 2002 तक)
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1		2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	16740.00	16740.00	10288.76	6483.22	9952.70	4698.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	1890.00	2140.00	719.87	812.95	592.30	246.88
3.	असम	8592.00	11018.00	4701.11	5273.31	13490.97	–

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार*	18234.00	18596.00	25388.02	9714.15	19671.60	6542.74
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	3725.40	6583.59	2618.14
6.	गोवा	140.00	180.00	55.00	15.18	22.94	10.83
7.	गुजरात	4320.00	4410.00	4301.49	3779.32	3604.51	1677.45
8.	हरियाणा	2670.00	1660.00	1981.53	2007.25	2904.06	1040.41
9.	हिमाचल प्रदेश	2550.00	2050.00	945.06	429.28	928.21	438.16
10.	जम्मू व कश्मीर	4760.00	4760.00	2755.00	2251.46	1448.80	467.62
11.	झारखण्ड*	–	–	–	6870.60	11700.79	5732.51
12.	कर्नाटक	10600.00	10350.00	6670.05	5577.10	7520.70	3528.24
13.	केरल	3989.00	3861.00	3486.12	2200.90	3371.26	1591.86
14.	मध्य प्रदेश*	21507.85	22033.00	17464.11	7711.15	12256.71	5140.66
15.	महाराष्ट्र	11334.51	8167.17	11002.98	7285.68	14131.25	7012.95
16.	मणिपुर	810.00	890.00	307.87	478.58	523.72	238.78
17.	मेघालय	220.00	610.00	220.74	500.88	833.84	389.79
18.	मिजोरम	800.00	800.00	402.16	183.36	334.48	111.50
19.	नागालैण्ड	2100.00	2100.00	276.09	403.52	695.06	330.48
20.	उड़ीसा	14721.58	12752.00	17621.12	10866.23	12350.52	5373.68
21.	पंजाब	1840.00	2720.00	813.98	615.60	1048.38	505.63
22.	राजस्थान	9263.00	8935.00	6888.13	3509.96	5706.92	2693.91
23.	सिक्किम	220.00	320.00	313.10	403.84	259.60	123.44
24.	तमिलनाडु	18720.00	18720.00	10597.49	7324.00	10134.03	4154.10
25.	त्रिपुरा	1440.00	1440.00	711.46	1276.22	1604.69	776.61
26.	उत्तर प्रदेश*	31448.06	35153.65	36155.49	18544.23	34002.10	15876.88
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	1135.06	2220.90	1060.41
28.	पश्चिम बंगाल	7790.00	8270.00	9483.71	6631.13	11668.23	5305.30
29.	अण्डमान निकोबार	80.00	40.00	27.36	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दादर व नगर हवेली	30.00	30.00	27.36	17.52	26.47	0.00
31.	दमन व द्वीप	0.00	0.00	0.91	0.00	000	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	100.00	1.82	0.00	1.77	0.00
33.	पांडिचेरी	60.00	0.00	34.66	0.00	67.06	31.66
	कुल	19682.00	198845.82	173641.95	116027.00	189658.16	77718.71

* राज्य के पुनर्गठन के कारण निर्धारित अंश

विवरण-III

दसवें एवं ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती संस्थाओं को रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	दसवां वित्त आयोग			ग्यारहवां वित्त आयोग		
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1		2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6581.25	–	18237.96	0.00	15204.83	7602.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.25	–	–	278.42	0.00	0.00
3.	असम	833.50	–	–	0.00	4668.95	2334.47
4.	बिहार*	–	–	–	0.00	10875.00	5437.50
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	2100.00	6300.79	2100.19
6.	गोवा	37.00	–	73.50	92.72	278.19	0.00
7.	गुजरात	1200.00	–	13201.00	0.00	6960.87	3480.43
8.	हरियाणा	516.50	–	5681.50	1470.88	4412.63	1470.87
9.	हिमाचल प्रदेश	805.00	–	1206.00	658.68	1970.08	656.69
10.	जम्मू व कश्मीर	235.00	–	2584.00	744.06	744.08	0.00
11.	झारखण्ड*	–	–	–	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	1386.00	4158.00	11089.00	3941.18	11823.53	3941.17
13.	केरल	4470.00	4470.00	4471.00	3296.28	9888.88	3296.20
14.	मध्य प्रदेश*	2179.25	12304.25	11085.07	5054.70	15163.30	5054.50
15.	महाराष्ट्र	8675.00	–	4338.00	8587.28	19701.88	6567.29
16.	मणिपुर	58.25	–	116.00	187.72	563.15	0.00

1		2	3	4	5	6	7
17.	मेघालय	54.00	–	108.00	256.08	768.24	256.08
18.	मिजोरम	18.50	128.50	73.00	78.56	235.67	78.53
19.	नागालैण्ड	29.00	–	58.50	128.66	386.01	128.66
20.	उड़ीसा	2512.50	–	12561.50	3455.88	10387.64	3455.88
21.	पंजाब	646.00	–	1291.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	3978.00	5327.00	6612.00	4909.48	14728.44	4909.48
23.	सिक्किम	12.00	24.00	106.00	52.92	158.79	52.92
24.	तमिलनाडु	7183.00	7184.00	7184.00	4661.18	13983.54	4681.18
25.	त्रिपुरा	348.00	–	174.50	284.60	853.79	284.39
26.	उत्तर प्रदेश*	14241.00	23735.00	9494.00	11671.34	35014.01	11671.33
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	1520.00	4580.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	2084.00	–	22925.00	5777.30	17331.89	5777.29
	कुल	58111.00	57330.75	132671.03	57185.92	206944.18	73217.77

* राज्य के पुनर्गठन के कारण निर्धारित अंश

विवरण-IV

नौवीं एवं दसवीं योजना के दौरान आबंटन में से बिहार को रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना	नौवीं योजना		दसवीं योजना	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1.	जे.जी.एस.वाई.	121601.47	119978.45	16477.80 (2002-03 के लिए)	7883.02
2.	ई.ए.एस.	103649.74	91603.77	18815.61 (2002-03 के लिए)	6542.74 (मई 2002 तक)

दसवें एवं ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बिहार को रिलीज की गई निधियां

दसवां वित्त आयोग

1997-98		1998-99		1999-2000	
आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
12680.00	–	12679.00	–	12680.00	–

दसवां वित्त आयोग

2000-01		2001-02		2002-03	
आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
10875.00	0.00	10875.00	10875.00	10875.00	5437.50

किराए के मकानो3 के बारे में सूचना

1264. श्री ए. नरेन्द्र: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में किराए के मकानों के बारे में सूचना देने संबंधी कोई आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को दिल्ली के कितने मकानों के बारे में अब तक सूचना मिली है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने भारत सरकार को दिनांक 1.7.1978 की अधिसूचना के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि आदेश में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मकानों/संपत्तियों के मकान मालिक/स्वामी किसी भी व्यक्ति को कोई आवास तब तक किराए/उप-किराए पर नहीं देगें जब तक कि वे कथित किराएदार का ब्यौरा संबंधित पुलिस थानों को नहीं दे देंगे। उक्त आदेश के तहत यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वे सभी व्यक्ति जो किराए पर आवास लेना चाहते हों उस क्षेत्र के स्टेशन हाऊस आफीसर को इसके बारे में लिखित जानकारी देंगे जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त मकान/सम्पत्ति पड़ती है। संपत्तियों का कारोबार करने वाले व्यक्तियों से अपेक्षित है कि वे ऐसे किराएदारों का ब्यौरा लिखित रूप में संबंधित स्टेशन हाउस आफीसर को सूचित करें।

(ख) वर्ष 2001 तथा 2002 (30 जून, 2002, तक) दिल्ली पुलिस को 2,68,066 मामलों की जानकारी मिली है।

(ग) से (ङ) यह जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य इन रिहायशों का आतंकवादियों/समाज विरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकना है। ऐसे तत्वों के ठौर ठिकाने का पता चलने पर उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

प्रभावी संचार के लिए एक अलग चैनल की स्थापना

1265. श्री अरुण कुमार: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपात स्थितियों में नाव से तट और नाव से नाव तक प्रभावी ढंग से संचार स्थापित करने के लिए 16 केन्द्रों पर एक अलग चैनल स्थापित किए जाने पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पर 3.40 करोड़ रुपए के व्यय होने तथा 4 से 8 वर्षों का समय बीत जाने के बावजूद भी इनमें से कोई भी केन्द्र चालू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या परियोजना के असफल होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां, "तटीय मछुआरों को तट से जलयान संचार प्रणाली का प्रदर्शन" पर एक कार्यक्रम 1991 में प्रारम्भ किया गया। प्रथम चरण में, 5 राज्यों में 9 तट केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। मछुआरों को सीमित संख्या में वाकी-टाकी वितरित करना भी प्रस्तावित था। प्रथम चरण में तट केन्द्रों की अवस्थिति के साथ राज्यों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र. सं.	राज्य का नाम	केन्द्र का स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	मछलीपत्तनम कलिंगपत्तनम
2.	तमिलनाडु	नागपत्तनम तूतीकोरीन
3.	कर्नाटक	मालवे हन्नोवर
4.	केरल	नीनदाकर किलेंडी
5.	गोवा	बेतुल

केरल सरकार बाद में परियोजना से हट गई।

1996-97 में प्रारम्भ किए गये कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत समुद्र में मछुआरों के लिए संचार सुविधा प्रदर्शित करने के लिए 4 अन्य राज्यों एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों में 10 और तट केन्द्र स्थापित करने का विचार है। दूसरे चरण में तट केन्द्रों की स्थिति के साथ राज्यों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्र का स्थान
1	2	3
1.	पश्चिम बंगाल	1. फ्रेजरगंज, साउथ 24 परगना जिला 2. शंकरपुर, मिदनापुर जिला
2.	उड़ीसा	1. चांदीपुर, गंजम जिला 2. पारादीप बंदरगाह, पारादीप जिला
3.	पांडिचेरी	पेरिया-वीरमपट्टिनम
4.	गोवा	सालेगाँव, उत्तरी गोवा

1	2	3
5.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	मरीन हिल, पोर्ट ब्लेयर
6.	महाराष्ट्र	1. सासून डॉक मुम्बई 2. मिरकारवाडा, रत्नगिरि जिला
7.	लक्षद्वीप	मिनिकाय द्वीप

महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना से हट गई एवं प्रचालनात्मक बाधाओं के कारण लक्षद्वीप में प्रस्तावित स्थान को छोड़ दिया गया।

(ख) चरण 1 से चार राज्यों के 7 तट केन्द्रों को परिचालित किया गया और उन्हें आरम्भ करने की तारीखें इस प्रकार थी:

क्र. सं.	राज्य का नाम	केन्द्र का स्थान	आरम्भ होने की तिथि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	मछलीपत्तनम	31.1.1994
		कलिंगपत्तनम्	29.03.1994
2.	तमिलनाडु	नागपत्तनम	05.06.1994
		तूतीकोरीन	10.03.1994
3.	कर्नाटक	मालपे	30.11.1993
		हनोवर	10.06.1994
4.	गोवा	बेतूल	17.02.1995

इन स्टेशनों की स्थापना पर किए गए व्यय की कुल लागत 1.25 करोड़ रुपए थी।

महासागर विकास विभाग ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि महासागर विकास विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजना एक प्रारम्भिक परियोजना थी एवं इसका उद्देश्य बढ़ावा देना था। समझौता ज्ञापन के अनुसार महासागर विकास विभाग का उत्तरदायित्व टावर का निर्माण करने एवं वाकी-टाकी सेटों की आपूर्ति करने तक सीमित था। संबंधित राज्य सरकारें इस परियोजना हेतु अवसंरचना उपलब्ध कराने एवं समझौता ज्ञापन में यथाउल्लिखित तरीके से उपकरण के प्रबंध रखरखाव हेतु उत्तरदायी थी। विभाग ने इसके प्रचालन के प्रथम वर्ष में इस प्रणाली के सतत रखरखाव व प्रचालन हेतु वार्षिक रखरखाव संविदा किया। तत्पश्चात, समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों को इस प्रणाली का प्रबंध एवं रखरखाव करना था।

तट केन्द्रों की अवस्थिति सहित चरण-II में राज्यों का ब्यौरा तथा उनके प्रकार्य/क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति और पूरा होने की संभावित तिथि इस प्रकार है:

क्रम. सं.	राज्य का नाम	केन्द्र का स्थान	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	1. फ्रेजरगंज, दक्षिण जिला साउथ परगना 2. शंकरपुर, जिला मिदनापुर	मात्स्यिकी कार्मिकों और चुनिंदा मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया। आमतौर पर आधार केन्द्र और अन्य उपकरणों का निष्पादन सही पाया गया। राज्य सरकार ने शेष कार्य करने और उसे पूरा करने के लिए एक अनुमान तैयार किया है। अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी और अनुसंधान सोसायटी ने प्रस्ताव की जांच की तथा कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है।
2.	उड़ीसा	1. चांदीपुर, जिला-गंजम 2. पारादीप पत्तन, जिला-पारादीप	पिछले महाचक्रवात के दौरान पारादीप का टावर गिर गया। आधार केन्द्र इकाई को कुछ मरम्मत के लिए भेजा गया है। चांदीपुर में आधार केन्द्र सक्रिय हालत में पाया गया। हालांकि तट केन्द्र के पूरे प्रकार्य के लिए कुछ मरम्मत की जानी है। कार्य को शीघ्र ही पूरी कर लिए जाने की उम्मीद है।
3.	पांडिचेरी	पेरिया-वीरमपट्टिनम	केन्द्र स्थापना के लिए सिविल कार्य तथा टावर की आर.सी.सी. नींव का कार्य पूरा किया गया है। संचार टावर का वैद्युत कार्य और अधिष्ठापन बाकी है। इसके बाद, सभी उपकरणों के परीक्षण के पश्चात केन्द्र चालू किया जाना है। स्थानीय मछुआरा समुदाय को प्रशिक्षण देना इस कार्यक्रम का भाग है। प्रणाली के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है।

1	2	3	4
4.	गोवा	सालगाव, उत्तरी गोवा	तट केन्द्र का भवन तैयार हो गया है। टावर चालू किया जाना है। वीएचएफ सेटों के अलावा तट केन्द्र उपकरणों का परीक्षण भी किया जाना है। प्रणाली के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है।
5.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	मेरीन हिल, पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र में पत्तन प्रबंधन बोर्ड ने इस परियोजना को क्रियान्वित करने का दायित्व लिया है। प्रणालियों को 08.1.2001 को अंडमान और निकोबार प्रशासन को सौंपा गया है। मछुआरों को दिए जाने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन को वाकी-टाकी भी सौंपे गए हैं।

चरण-II का अनुमानित व्यय 2.13 करोड़ रुपए का है। इस कार्यक्रम के तहत किया गया कुल व्यय 3.38 करोड़ रुपए है।

(ग) से (ङ) परियोजना के प्रथम चरण का कार्य आंध्र प्रदेश सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स मेरीन एंड कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम को सौंपा गया था। चूंकि मैसर्स मेरीन एंड कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स को बन्द कर दिया गया है इसलिए परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मेसर्स पंजाब वायरलेस सिस्टम (पनवायर) लिमिटेड को सौंप दिया गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पांडिचेरी, गोवा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सात तट केन्द्र स्थापित किए जाने थे। वित्तीय समस्या के कारण पनवायर कार्य पूरा नहीं कर सका इसलिए इसे अब राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान को सौंपा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत मेसर्स अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी और अनुसंधान सोसायटी को भी परामर्शदाता के रूप में लगाया गया है। इस कार्य में विलंब के स्पष्ट कारणों को ध्यान में रखकर कोई जांच नहीं की गई।

हुडको के कार्यकरण में आमूल परिवर्तन

1266. श्री सुबोध मोहिते: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हुडको का विचार आवास संबंधी लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से अपने कार्यकरण में आमूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण संबंधी आवेदनों को शीघ्र निपटाने हेतु हुडको द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। आवास तथा नगर विकास निगम लि. (हडको) के कार्यकलापों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसकी कार्य-प्रणालियों में सुधार लाने हेतु आवास तथा नगर विकास निगम लि. (हडको) के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप हडको क्षेत्रीय कार्यालयों और जोनल कार्यालयों की भूमिकाओं तथा दायित्वों को पुन: परिभाषित किया गया है। कारोबार बढ़ाने में अधिकतम पहल करने, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर तत्परता से स्वीकृतियां तथा राशियां जारी करने में क्षेत्रीय कार्यालयों को समर्थ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हडको के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों को अनुसार यथोचित उद्यमिता से स्कीमें स्वीकृत करने और राशियां जारी करने के लिए प्रादेशिक प्रमुखों को और ज्यादा शक्तियां दी गई हैं।

प्रतिधारण मूल्य योजना

1267. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रतिधारण मूल्य योजना में परिवर्तन के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप उर्वरक कम्पनियों द्वारा करोड़ों रुपये वापिस करने पड़ेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा उनसे कोई धनराशि वसूली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) वर्तमान प्रतिधारण मूल्य योजना (आर पी एस) के अन्तर्गत 7वीं एवं 8वीं मूल्य निर्धारण अवधियों के नीति मानदण्डों को सक्षम अधिकारी द्वारा 16-5-2002 को अनुमोदित किया है और इसे 4-6-2002 को सभी यूरिया कम्पनियों को प्रेषित भी किया जा चुका है। अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर इकाई-वार प्रतिधारण मूल्य के अन्तिम निर्धारण में वेतन एवं मजदूरी उपयोगिताओं, मरम्मत एवं रख-रखाव, खपत मानक, संयंत्र क्षमता, पूँजी संवर्द्धन, विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव इत्यादि, जिन्हें 1-7-1997 से अद्यतित नहीं किया गया था, से संबंद्ध विभिन्न इकाईयों को अद्यतन बनाना भी शामिल है जिससे कुछ मामलों में वसूली और कुछ अन्य मामलों में भुगतान करना होगा।

(ग) और (घ) 7वीं एवं 8वीं मूल्य निर्धारण अवधियों के आधार पर प्रतिधारण मूल्य की गणना का कार्य अन्तिम चरण में है किन्तु 7वीं एवं 8वीं मूल्य निर्धारण अवधियों के अन्तिम मानदण्डों की अधिसूचना के कारण यूरिया कम्पनियों से अभी तक कोई वसूली/भुगतान नहीं किया गया है। तथापि सरकार ने 1-4-2000 से क्षमता का अन्तरिम पुनः मूल्यांकन एवं खपत मानकों का अन्तरिम संशोधन किया है जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः 450 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष एवं 769 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अनुमानित वसूलियाँ हुई है।

भोपाल गैस त्रासदी

1268. प्रो. ए.के. प्रेमाजमः
श्री सुनील खांः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि 'भोपाल गैस त्रासदी' के संबंध में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन वारेन एन्डरसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 35 के साथ धारा 304 (दो), 324, 326, 429 के अंतर्गत गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे;

(ख) क्या यह भी सही है कि यह वारंट श्री एन्डरसन को नहीं दिए जा सके;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) की धारा 35 के साथ आईपीसी की धारा 304क, 336, 337, 338 के अंतर्गत श्री एन्डरसन के खिलाफ नए सिरे से वारंट जारी करने के लिए आवेदन किया था;

(ङ) क्या आईपीसी की धारा में परिवर्तन के सीबीआई के निर्णय से मामला कमजोर पड़ जाएगा; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनशाला

1269. श्री राम मोहन गाड्डेः
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्तिः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की पांच एजेंसियों के सहयोग से वर्ष 1998 में जनशाला (एक सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रम) शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में राज्य-वार कितने विद्यालय खोले गए; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष राज्यों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हाँ।

(ख) इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश इन 9 राज्यों को शामिल किया गया है।

(ग) जनशाला कार्यक्रम में 3387 वैकल्पिक स्कूल खोले गए हैं, जिसमें से 312 आंध्र प्रदेश में, 15 छत्तीसगढ़ में, 247 झारखण्ड में, 543 मध्य प्रदेश में, 1965 महाराष्ट्र में, 206 राजस्थान में तथा 99 उड़ीसा में खोले गए हैं।

(घ) इस कार्यक्रम के तहत शेष राज्यों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

युद्धविराम समझौता

1270. डा. जयन्त रंगपीः क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किन-किन आतंकवादी संगठनों ने सरकार के साथ 'युद्धविराम समझौते' पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) क्या सरकार उनके कैडरों को बनाए रखने के लिए ऐसे संगठनों को वित्तीय समर्थन देती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन पर हुए ऐसे व्यय या अन्य व्यय का संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या युद्धविराम समझौता के अन्तर्गत ऐसे आतंकवादी संगठनों के कैडरों के आचरण और व्यवहार के संचालन संबंधी कोई नियम है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) केन्द्र सरकार ने नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैंड (आई/एम गुट) [एन एस सी एन (आई/एम)] के साथ 25 जुलाई, 1997 को और खपलांग गुट [एन एस सी एन (के)] के साथ 28 अप्रैल, 2001 को संघर्ष विराम समझौता किया। असम में बोड़ों लिब्रेशन टाइगर (बी एल टी) ने 14 जुलाई, 1999 से सुरक्षा बलों के खिलाफ अपने अभियानों को स्थगित करने की एकतरफा घोषणा की और बी एल टी के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को स्थगित करने की घोषणा केन्द्रीय गृह मंत्री ने 15 मार्च, 2000 को संसद में की थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। सहमति आधार नियमों के ब्यौरे संलग्न विवरण I से IV में है।

विवरण-I

भारत सरकार और एन एम सी एन (आई एम) के बीच युद्धविराम हेतु सहमत आधार नियम

युद्ध विराम को और ज्यादा कारगर बनाने की दृष्टि से तथा शांतिपूर्ण एवं अर्थपूर्ण राजनीति वार्ता हेतु उपयुक्त और अनुकुल वातावरण बनाने के लिए भारत सरकार तथा नेशनल सोशियेलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड के प्रतिनिधियों के बीच हाल में और आगे बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने यह नोट किया कि 12 दिसम्बर, 1997 को अंतिम रूप दिए गए सहमत आधार नियमों के साथ 25 जुलाई, 1997 को हुआ संघर्ष विराम 31.7.2001 तक वैध है।

संघर्ष विराम के लिए 13 जनवरी, 2001 को जिन संशोधित सहमत आधार नियमों को अंतिम रूप दिया गया उनकी मुख्य बातें निम्न प्रकार है:

(क) एन ए सी एन घात लगाकर हमला, छिपकर गोली चलाना और हमले जिनसे मृत्यु/जख्म संपत्ति की क्षति या नुकसान हो, जैसे आक्रामक अभियान नहीं करेगा। एन ए सी एन इस प्रकार कार्य करेगा कि जिससे सिविलियन आबादी का उत्पीड़न न हो/ सम्पत्ति को क्षति या नुकसान न पहुंचे या चोट न पहुंचे। एन एस सी एन सड़कों और संचार माध्यमों, आर्थिक या विकासात्मक गतिविधियों और आवश्यक सेवाओं में व्यवधान नहीं डालेगा।

(ख) एन एस सी एन, अपने शिविरों की सूची सी एफ एम जी को देगा, जो कि उचित विचार-विमर्श के पश्चात उन्हें नामोद्दिष्ट शिविर घोषित करेगा। शांति प्रक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से, एन एस सी एन केडर की वर्दी और/या शस्त्रों के साथ कोई परेड (या ग्रुपों में या व्यक्तिगत रूप से) नहीं होगी। वर्तमान में, इसके अन्तर्गत सभी आबादी वाले क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन और राजमार्ग कवर होंगे।

(ग) एन एस सी एन सशस्त्र काडरों का एक नामोद्दिष्ट शिविर से दूसरे में से जाने के बारे में संबंधित सेना/ अर्द्ध सैनिक बलों की चौकी को पूर्व सूचना दी जाएगी। गांव से जाते हुए शस्त्र छिपा दिए जाएंगे। इसकी रूपरेखा को सी. एफ. एम. जी. में अंतिम रूप दिया जाएगा। एन. एस. सी. एन. के लोग, जो अक्सर आते-जाते रहते हैं, को पहचान पत्र रखना होगा, जिसे आपसी सहमति से बने फार्मेट में जारी किए जाएंगे। ये पहचान पत्र, फिलहाल 60 से ज्यादा नहीं होंगे, जो एन एस सी एन द्वारा जारी किए जाएंगे और चेयरमेन, सी एफ एम जी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होंगे। ये पहचान पत्र धारक अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु, हर समय अपने साथ एक सशस्त्र एन एस सी एन काडर को रखने का पात्र होगा। हथियार छुपाकर ले जाए जाएंगे।

(घ) यह चिंता कि आवश्यक आपूर्ति पर धन की जबरन वसूली और सरकारी अधिकारियों समेत व्यक्ति विशेष को उत्पीड़ित किए जाने के आरोपों से एन एस सी एन ने इन्कार किया। तथापि, शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दृष्टि से, एन एस सी एन के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि उक्त गतिविधियों को रोका जाएगा।

(ङ) सशस्त्र काडरों की जबरन भर्ती की रिपोर्ट के संबंध में, एन एस सी एन के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने जबरन भर्ती नहीं की हैं और वे जबरन भर्ती नहीं करते हैं। तथापि, शांति प्रक्रिया का बढ़ावा देने के हित में, यह सहमति हुई कि यदि जबरन भर्ती की कोई रिपोर्टें हैं, तो उस पर मॉनीटरिंग ग्रुप में विचार-विमर्श किया जाएगा।

(च) दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए कि किसी भी सशस्त्र ग्रुप या तत्वों को कोई भी सुरक्षित जगत या शरणगाह या सहायता किसी के भी द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। नामोद्दिष्ट शिविर के दो कि.मी. के अंतर्गत कोई नई सशस्त्र बल चौकी स्थापित नहीं की जाएगी।

(छ) एन. एस. सी. एन. के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा कोई भी आक्रामक अभियान नहीं किए जाएंगे और सुरक्षा बल इस प्रकार से कार्य करने जिससे कि सिविलियन आबादी का उत्पीड़न न हो/संपत्ति को क्षति या नुकसान न पहुंचे अथवा कोई जख्मी न हों, तथापि, उग्रवादियों/शस्त्रों की घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर गश्त की जाएगी जैसे कि अभी तक होती रही है लेकिन एन एस सी एन के नामोद्दिष्ट शिविरों के 1 कि.मी. के अंतर्गत गश्त आबादी वाले क्षेत्रों, और/या राजमार्गों के नजदीक, सुरक्षा बलों की चौकियों पर की जाएगी। सुरक्षा बलों द्वारा कॉनवॉइ की सुरक्षा और सड़कों पर गश्त लगाना जारी रहेगा।

(ज) आधार नियमों के क्रियान्वयन हेतु, यह सहमति हुई थी कि रूपरेखा का प्रबोधन इस प्रयोजनार्थ गठित ग्रुप जिसमें एन एस सी एन, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि होंगे, द्वारा किया जाएगा। तथापि, यह भी सहमति हुई थी कि किसी भी आकस्मिक मुठभेड़ या उल्लंघन से शांति प्रक्रिया में बाधा नहीं आने दी जाएगी तथा ऐसे किसी भी घटना के परिणाम को आपसी परामर्श के माध्यम से स्थानिकृत किया जाएगा। इन आधार नियमों की उल्लंघन के सभी मामले मॉनीटरिंग ग्रुप्स को भेजे जाएंगे, ताकि उल्लंघन के कारणों की पहचान हो सके एवं भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए किए जाने वाले कदमों पर सुझाव दिए जा सकें। उपर्युक्त के होते हुए भी, सुरक्षा बल, सार्वजनिक उपद्रव करने वाले किसी भी ग्रुप के विरुद्ध या जन-सुरक्षा शांति को आसन्न खतरे के समय पर निष्पक्ष और भेदभाव रहित ढंग से कार्रवाई करेंगे।

विवरण-II

भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) बीच हुए संघर्ष विराम सहमति के आधार नियम का मूल

भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन एस सी एन) के प्रतिनिधियों के बीच 10 और 11 अप्रैल, 2001 को दिल्ली में विचार-विमर्श हुआ। डॉ. पी.डी. शिनाय की अध्यक्षता में भारत सरकार के प्रतिनिधियों और श्री टोंगमेथ वांगनाव कोनयक की अध्यक्षता में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के प्रतिनिधियों के बीच हुए इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप यह सहमति बनी कि स्थाई शांति के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित आधार नियमों का पालन करेंगे:

(क) ये आधार नियम केवल नागालैंड राज्य के लिए वैध होंगे।

(ख) आधार नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी। भारत सरकार और एन एस सी एन संयुक्त रूप से आधार नियमों को कार्यान्वित करेंगे। आधार नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित विवादास्पद मुद्दों को संघर्ष पर्यवेक्षी बोर्ड (सी एफ एस बी), जिसमें भारत सरकार और एन एस सी एन प्रत्येक के पांच-पांच प्रतिनिधि होंगे और भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष होगा, द्वारा हल किया जाएगा।

(ग) एन एस सी एन सिविलियन आबादी पर घात लगाना, छापा मारना कत्लेआम और मौत/घायल/क्षति करने वाले आक्रमण या सम्पत्ति को नुकसान या घायल करने जैसे आक्रामक अभियान नहीं चलाएगा।

(घ) एन एस सी एन के विरुद्ध भारतीय सेना, अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस द्वारा घात लगाने, छापा मारने और हत्या/घायल/क्षति करने वाले आक्रमण या सम्पत्ति को नुकसान करने जैसा कोई आक्रामक अभियान नहीं चलाए जाएंगे। तथापि, भारत सरकार अन्य सभी उग्रवादी ग्रुपों के विरुद्ध अभियान जारी रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है जो संघर्ष-विराम में शामिल नहीं है।

(ङ) एन एस सी एन संघर्ष विराम पर्यवेक्षी बोर्ड (सी एफ एस बी) अपने सभी शिविरों की सूची अधिसूचित करेगा। सी एफ एस बी उचित समीक्षा के बाद "निर्दिष्ट कैम्पों" की सूची को अंतिम रूप देगा जहां एन एस सी एन के सभी सशस्त्र केडरों को तीन महीने के भीतर अवस्थित किया जाएगा।

(च) शांति प्रक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्दीधारियों या ''निर्दिष्ट कैम्पों'' के बाहर वर्दी में या शस्त्रों के साथ आवागमन नहीं होगा।

(छ) एक ''निर्दिष्ट कैम्प'' से दूसरे कैम्प तक एन एस सी एन केडर का आवागमन आपसी सहमत उद्देश्यों के लिए और सुरक्षा बलों और सी एफ एस बी को सूचित कर किया जाएगा। इसकी रूपरेखा को सी एफ एस बी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ज) एन एस सी एन सड़कों और संचार व्यवस्था को अवरुद्ध करने और ऐसी कार्रवाई जो स्थानीय और राज्य सरकारों के कार्यकरण में और आर्थिक या विकास कार्यों तथा आवश्यक सेवाओं में बाधा पैदा करती हो, से दूर रहेगा।

(झ) एन एस सी एन अन्य उग्रवादी ग्रुपों को किसी भी प्रकार का समर्थन या सहायता देने से बचेगा।

(ञ) संघर्ष विराम के दौरान एन एस सी एन अतिरिक्त हथियार/गोला बारूद/सैन्य उपस्कर एकत्र नहीं करेगा।

(ट) एन एस सी एन लूट-खसोट, जबरन धन एकत्र करना और उसकी आपूर्तियों और सरकारी कर्मचारियों सहित व्यक्तियों को धमकियां देने से बाज आएगा।

(ठ) एन एस सी एन जबरन सशस्त्र बलों की भर्ती नहीं करेगा।

(ड) उग्रवादियों/शस्त्रों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना, अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस पहले की तरह गश्त जारी रखेगी। तथापि ''निर्दिष्ट कैम्पों'' के एक कि.मी. की दूरी में गश्त लगाने पर निर्णय, संघर्ष विराम पर्यवेक्षी बोर्ड (सी एफ एस बी) के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, उन्हें सूचित करने के बाद लिया जाएगा। यह ध्यान रहे कि इस प्रकार का कोई कैम्प आबादी वाले क्षेत्रों, और/या राजमार्गों भारतीय सेना/अर्द्ध सैनिक बल चौकियों, पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकियों आदि के पास स्थित नहीं है/नहीं होंगे।

(ढ) मोटर गाड़ियों के कारवां सुरक्षा और सड़कों पर गश्त लगाना भारतीय सेना, अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस द्वारा जारी रखा जाएगा।

(ण) सुरक्षा बल देश के कानून बनाये रखने को सुनिश्चित करने और शांति को भंग करने को रोकने के बारे में अपने अधिकार को बरकरार रखेगी।

विवरण-III

सुरक्षा बलों एवं बोडो लिब्रेशन टाइगर्स (बी एल टी) के बीच अभियानों को स्थगित करने के लिए सहमत आधार नियम

केन्द्रीय गृह मंत्री ने 15 मार्च, 2000 को संसद के दोनों सदनों में सुरक्षा बोर्डों द्वारा बोडो लिब्रेशन टाइगर्स के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को स्थगित करने की घोषणा की। केन्द्रीय सरकार द्वारा असम सरकार से विचार-विमर्श के उपरान्त लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार, असम सरकार एवं बोडो लिब्रेशन टाईगर्स के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय बैठक 28-29 मार्च, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। सरकारी टीम का नेतृत्व भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अपर सचिव (गृह) डा. पी.डी. शिनाय द्वारा चिमांग ब्रह्मा उर्फ चन्दन उर्फ कमल मुशाहरे, उपाध्यक्ष बी एल टी के नेतृत्व वाले बी एल टी के प्रतिनिधियों से अखंड शांति का रास्ता तैयार करने और बोडो समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान खोजने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के संबंध में बातचीत की।

2. दोनों पक्ष 15 मार्च, 2000 से अभियानों को स्थगित करने पर सहमत हो गए।

3. आपसी सहमति से तैयार आधार नियम निम्नलिखित हैं:

(1) बोडो लिबरेशन टाइगर्स (क) हिंसा का मार्ग पूर्ण रूप से छोड़ देगी (ख) हिंसात्मक एवं गैर कानूनी गतिविधियों जैसे हत्याएं, घायल करना, अपहरण लूट-खसोट, धमकाना, जनता के बीच हथियार लेकर जाना आदि जैसे कार्य नहीं करेगा; और (ग) भारत के संविधान एवं देश के कानूनों का पालन करेगा।

(2) सुरक्षा बल (सेना, अर्ध सैनिक बल और राज्य पुलिस) बी एल टी के विरुद्ध अभियान नहीं चलाएंगे।

(3) अभियान स्थगन की निगरानी करने के लिए दोनों पक्ष एक संयुक्त मानीटरिंग ग्रुप, जिसमें भारत सरकार, असम सरकार और बी एल टी के प्रतिनिधि होंगे, बनाने पर सहमत हुए।

(4) संयुक्त मानीटरिंग ग्रुप की संरचना संलग्न है।

(5) अभियानों को प्राम्भ में 6 महीने अर्थात 15 मार्च, 2000 तक स्थगित रखने पर सहमति हुई है। इसके बाद आपसी सहमति से कार्रवाईयां स्थगित करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

विवरण-IV

सहमत आधार नियमों में संयुक्त मानीटरिंग ग्रुप की संरचना पर विचार किया गया है। संयुक्त मानीटरिंग ग्रुप की संरचना निम्न प्रकार से है:

(क) संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय-अध्यक्ष एवं संयोजक

(ख) गृह मंत्रालय के दो प्रतिनिधि।

(ग) सेना मुख्यालय द्वारा सूचित सेना के प्रतिनिधि।

(घ) के.रि.पु. बल के प्रतिनिधि, महानिदेशक (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) द्वारा सूचित।

(ङ) असम के मुख्य सचिव द्वारा सूचित असम सरकार के दो प्रतिनिधि।

(च) बोडो लिब्रेशन टाईगर्स के दो प्रतिनिधि।

सामान्यतया जे. एम. जी. की बैठक दो माह में एक बार होगी और यदि आवश्यकता हो तो पहले भी की जा सकती है। बैठक का स्थान अध्यक्ष निर्धारित करेंगे।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां

1271. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री खगेन दास:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी संगठन फिरौती के माध्यम से धन वसूल रहे हैं और उन्हें विभिन्न गैर-कानूनी क्षेत्रों में भी सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस तरह प्राप्त होने वाले धन का कुछ भाग आतंकवादियों द्वारा अवैध चैनलों के माध्यम से विभिन्न विदेशी खातों में जमा कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सरकार को पूर्वोत्तर में उन आतंकवादी संगठनों की जानकारी है जो लूट-खसोट में लगे हुए हैं और विभिन्न माध्यमों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। बताया जाता है कि उनमें से कुछ के, विदेशों में गैर-सरकारी संगठनों के साथ सम्पर्क है, जो अपनी आड़ में और मित्रवत संगठनों के माध्यम से भी धन उपलब्ध कराते हैं। कुछेक आतंकवादी संगठनों के विदेशों में बैंक खाते भी हैं। आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार ने यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा), और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.) जैसे कुछेक संगठनों को "विधि विरुद्ध" भी घोषित किया है।

[अनुवाद]

ओपन स्कूल सोसाइटी के अन्तर्गत केन्द्रों को बंद किया जाना

1272. श्री वाई. वी. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार की अनुदान सहायता समिति ने आंध्र प्रदेश के नौ जिलों में ओपन स्कूल सोसाइटी के अन्तर्गत 2700 केन्द्रों को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है/लिया जाना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ख) 1 जुलाई, 1997 को हुई बैठक में इस मंत्रालय की सहायता अनुदान समिति ने आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय सोसायटी, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत सततता प्रस्ताव पर विचार किया था। समिति ने परियोजना की प्रगति को संतोषजनक नहीं पाया तथा इसने इसे बंद करने व खर्च न की गई राशि को जमा करने के लिए समिति से अनुरोध करने का निर्णय लिया।

(ग) आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय सोसायटी ने अब 2000-2001 तक उनके द्वारा खर्च न की गई राशि के उपयोग को नियमित करने तथा अगली निधियां संस्वीकृत करने के लिए इस मंत्रालय से अनुरोध किया है। सहायता अनुदान समिति द्वारा अभी मामले की समीक्षा की जानी है।

उर्वरक कम्पनियों द्वारा यूरिया की पैकिंग के लिए पटसन बैगों का प्रयोग

1273. श्री सुनील खां: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरिया का उत्पादन करने वाली कम्पनियां अपने उत्पादों की पैकिंग के लिए पटसन के बैगों के प्रयोग संबंधी अनिवार्य-मानदंडों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पटसन उद्योग को इस कारण हुए व्यवसाय घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें संशोधन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) यूरिया को दिनांक 1.9.2001 से जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के उपबन्धों से छूट प्राप्त है।

1.9.2001 से पूर्व गत तीन वर्षों अर्थात 1998-99 से 2000-01 के दौरान यूरिया क्षेत्र द्वारा उपयोग किए गए जूट के बोरों की डिफाल्ट मात्रा और जूट के सामानों के कुल उत्पादन की डिफाल्ट मात्रा की प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	आर्डर के पूर्ण अनुपालन हेतु जूट के बोरों की आवश्यकता	जूट के बोरो की वास्तविक खरीद	डिफाल्ट की मात्रा		जूट के बोरों का कुल उत्पादन प्रतिशत का	कुल उत्पादन की तुलना में डिफाल्ट मात्रा
	000 टन	000 टन	000 टन	प्रतिशतता	000 टन	प्रतिशतत
1998-99	88.80	47.00	41.80	47.0	1596.2	2.62
1999-2000	34.20	24.80	9.40	27.5	1590.20	0.59
2000-01	24.30	15.80	8.50	35.0	1624.90	0.52

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है आर्डर के पूर्ण अनुपालन हेतु जूट के बोरों की आवश्यकता के संबंध में डिफाल्ट अधिक प्रतीत होता है परन्तु जूट के कुल उत्पादन की तुलना में डिफाल्ट की प्रतिशतता नगण्य है।

इन वर्षों के दौरान जूट के सामानों की आन्तरिक खपत क्रमश: 14-04 लाख टन, 14.27 लाख टन और 14.34 लाख टन रही है। अत: जूट उद्योग को कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि जूट के सामानों के उत्पादन की तुलना में जूट के सामानों की खपत में कोई खास कमी होने का रुझान प्रतीत नहीं होता।

(ग) जब तक उर्वरक उद्योग पर जूट पैकेज सामग्री अधिनियम 1987 लागू था, जूट के बोरों के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा की जाती थी। तथापि, 1-9-2001 से यूरिया को जूट पैकेज सामग्री अधिनियम, 1987 के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

1274. श्री पी. डी. एलानगोवन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय और उनके सभी स्वायत्त निकायों/कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को प्रथम श्रेणी के पदों या राजपत्रित पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संवर्गवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रथम श्रेणी के पदों या राजपत्रित पदों में ऐसी कई रिक्तियां हैं जिन्हें अभी भरा जाना शेष है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) कितने पदों को भरा जाना है और इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) मंत्रालय और उनके सभी स्वायत्त निकायों/कार्यालयों में कार्यरत आई.ए.एस., प्रथम श्रेणी या राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान इन अधिकारियों के वेतन, भत्ते, परिवहन भत्ते और अन्य लाभ पर कितना वार्षिक व्यय हुआ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मल्टी कैम्पस विश्वविद्यालय

1275. श्री ए. कृष्णैया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले से विद्यमान विश्वविद्यालयों को 'मल्टी कैम्पस' विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करने की योजना को अनुमोदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों द्वारा इस तरह का दर्जा प्राप्त करने के लिए यू.जी.सी. द्वारा क्या मानदंड स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या वर्ष 2001-2002 में किसी विश्वविद्यालय ने मल्टी कैम्पस विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मल्टी कैम्पस आधार पर कार्य शुरू करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. द्वारा दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ख) कोई विश्वविद्यालय एकल परिसर अथवा बहुपरिसर संस्था हो सकता है और उसके परिसरों की संख्या उसके अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और उच्च शिक्षा के लिए सम्बंधित क्षेत्र की आवश्यकताओं पर निर्भर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में सम-विश्वविद्यालयों को देश अथवा विदेशी में कहीं पर भी अपने अकादमिक केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी हैं। सम-विश्वविद्यालयों द्वारा अकादमिक केन्द्र खोलने संबंधी शर्तें इस प्रकार है:

(1) ये केन्द्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उस राज्य सरकार जहां केन्द्र/(केन्द्रों) के खोलने का प्रस्ताव है, के पूर्व अनुमोदन से स्थापित किए जाएंगे।

(2) विभिन्न अकादमिक पाठ्यक्रमों को शुरू करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।

(3) विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों/ नियमों के अनुसार होगा।

(4) केन्द्र के समूचे कार्य निष्पादन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वार्षिक मानीटरी की जाएगी और प्रबंधन, अकादमिक विकास तथा स्तरोन्नयन संबंधी आयोग के निदेश सम-विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

(5) यदि केन्द्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश और सिफारिशों को पूरा नहीं करता और उसका कार्य-निष्पादन तीन वर्षों तक असंतोषजनक रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानीटरी समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सम विश्वविद्यालय को उस केन्द्र को बंद करने का निदेश दे सकता है और ऐसा होने पर ऐसे केन्द्र की देयताओं का वहन सम्बंधित सम विश्वविद्यालय करेगा।

(6) सम विश्वविद्यालय को अपने अकादमिक केन्द्र न केवल पूरे भारत में अपितु विदेशों में भी खोलने की अनुमति होगी। विदेशों में शैक्षिक केन्द्र भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मेजबान देश की सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही खोले जाएंगे।

(7) विदेशी परिसर/परिसरों के मामले में निधियों का प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक नियमों द्वारा अभिशासित होगा।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग को अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए निम्नलिखित पांच विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे-

(1) दुबई में अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी (राजस्थान) से।

(2) बहरीन में अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची (बिहार) से।

(3) विदेशों में मलेशिया, दुबई और ओमान में और भारत के बंगलौर, सूरत (गुजरात), सतना (मध्य प्रदेश), गोआ, दिल्ली और तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए उच्चतर शिक्षा अकादमी मणिपाल, कर्नाटक से।

(4) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से।

(5) मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई से।

बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी और बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा के प्रस्तावों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुमोदित कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मलेशिया, दुबई, ओमान तथा बंगलौर में अध्ययन केन्द्र शुरू करने के लिए मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी के प्रस्तावों को भी अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

यूरिया की बिक्री के संबंध में नए मानदंड

1276. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया की बिक्री के संबंध में नए मानदंड स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए मानदंडों के इस्तेमाल से यूरिया के क्षेत्र में सुधार होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

1277. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के पास कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पीसीआर वैन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजधानी में अपराध से निपटने के लिए और पीसीआर वैन मुहैया कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अपराधी डकैती करने, पशुओं का वध कर उनके मांस आदि का निर्यात करने हेतु पशुओं को चुराने के लिए रात के अंधेरे में झुंड बनाकर निकलते हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) दिल्ली पुलिस के बेड़े में इस समय 338 पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के औसतन प्रति उत्तर समय के आधार पर इस बेड़े की वर्तमान संख्या की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में बड़ा क्षेत्र आता है या जिसे अधिक जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है उसके क्षेत्राधिकार में पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहनों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए और अतिरिक्त वाहनों का प्रापण, यदि आवश्यक पाया जाता है तो चरणबद्ध रूप से किया जाय जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान (30 जून, 2002 तक) दिल्ली पुलिस को इस प्रकार की केवल एक घटना सूचित की गई।

(च) दिल्ली पुलिस ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अत्यधिक अपराध बहुल क्षेत्रों की शिनाख्त की है और इन क्षेत्रों में सतर्कता और गश्त में बढ़ोत्तरी करने के लिए अतिरिक्त कार्मिक और वाहन उपलब्ध कराए हैं।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों द्वारा निधियों का उपयोग

1278. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्थापित नवोदय विद्यालयों ने गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से ग) नवोदय विद्यालय समिति को जारी की गई धनराशि तथा वास्तव में उसके द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि नवोदय विद्यालय समिति प्रति वर्ष उसे जारी की गई राशि का संपूर्ण उपयोग करती है। किसी विशेष वित्त वर्ष के अंत में कुछ धनराशि नवोदय विद्यालय समिति के पास रख दी जाती है ताकि इस धनराशि का उपयोग विद्यालयों द्वारा अगले वित्त वर्ष के प्रथम दो माह में वेतन तथा छात्रों के आवासीय व्यय में किया जा सके।

विवरण

राशि करोड़ में

योजनागत

वर्ष	पिछले वर्ष से अंतिम शेष	समिति की आंतरिक प्राप्तियां	उस वर्ष में अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय
1999-2000	15.77	0.46	304.00	305.06
2000-2001	15.17	0.90	344.99	333.99
2001-2002	27.07	0.99	350.49	355.45

योजनेत्तर

वर्ष	पिछले वर्ष से अंतिम शेष	समिति की आंतरिक प्राप्तियाँ	उस वर्ष में अंतिम अनुदान	वास्तविक आय
1999-2000	9.29	4.23	84.33	88.37
2000-2001	9.48	4.53	88.00	90.77
2001-2002	11.24	3.65	93.14	95.98

[अनुवाद]

क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाएं

1279. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक वित्त नियमावली प्रकाशित की है,

(ख) यदि हां, तो इस नियमावली का लक्ष्य क्या है, और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कितने जिले चुने गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब एम. के. पाटील): (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय नियम पुस्तक का उद्देश्य क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं को अत्यधिक प्रभावी, निपुण और पारदर्शी तरीके से कार्यान्वित करने में राज्यों, जिलों एवं ग्रामीण स्तरों के कर्मियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस नियम पुस्तक में समस्त पणधारियों को सहायता प्रदान करने के लिए चार मुख्य सिद्धांतों यथा, जागरुकता, सहभागिता, पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी की व्याख्या की गयी है। यह नियम पुस्तक कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान वित्तीय प्रणालियों और लेखों पर संदर्भ के लिए एक प्रभावी साधन होगी। यह नियम पुस्तक कार्यान्वयन के दौरान आने वाली संभावित विभिन्न परेशानियों एवं मामलों को स्पष्ट करने का कार्य भी करती है।

(ग) राज्य सरकारों के अनुरोध पर 26 राज्यों में कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा क्षेत्र सुधार परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चुने गए जिलों का राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चुने गए राज्यवार जिलों की सूची

क्रम.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
2.	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी
3.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर

1	2	3
4.	आंध्र प्रदेश	खम्माम
5.	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा
6.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर
7.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम
8.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित
9.	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग
10.	असम	जोरहट
11.	असम	कामरुप
12.	असम	सोनीतपुर
13.	बिहार	वैशाली
14.	छत्तीसगढ़	दुर्ग
15.	गुजरात	मेहसाना
16.	गुजरात	राजकोट
17.	गुजरात	सूरत
18.	हरियाणा	करनाल
19.	हरियाणा	यमुना नगर
20.	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
21.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
22.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर
23.	झारखंड	धनबाद
24.	कर्नाटक	बेल्लारी
25.	कर्नाटक	मंगलोर
26.	कर्नाटक	मैसूर
27.	केरल	कासरगौड
28.	केरल	कोलम
29.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
30.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद
31.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
32.	मध्य प्रदेश	रायसेन
33.	मध्य प्रदेश	सिहोर
34.	महाराष्ट्र	अमरावती
35.	महाराष्ट	धुले
36.	महाराष्ट्र	नांदेड
37.	महाराष्ट्र	रायगढ़
38.	मेघालय	रि-भोई
39.	मिजोरम	सेरचिप
40.	नागालैंड	दीमापुर
41.	उड़ीसा	बालासोर
42.	उड़ीसा	गंजम
43.	उड़ीसा	सुन्दरगढ़
44.	पंजाब	भटिंडा
45.	पंजाब	मोगा
46.	पंजाब	मुक्सतर
47.	राजस्थान	अलवर
48.	राजस्थान	जयपुर
49.	राजस्थान	राजसमंद
50.	राजस्थान	सिकर
51.	सिक्किम	सिक्किम पश्चिम
52.	सिक्किम	सिक्किम पश्चिम
53.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
54.	तमिलनाडु	कुडालोर
55.	तमिलनाडु	कांचीपुरम
56.	तमिलनाडु	पेरामबलूर
57.	तमिलनाडु	वेल्लोर
58.	तमिलनाडु	विरुधूनगर
59.	त्रिपुरा	प. त्रिपुरा

1	2	3
60.	उत्तर प्रदेश	आगरा
61.	उत्तर प्रदेश	चंदौली
62.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
63.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर
64.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
65.	उत्तरांचल	हरिद्वार
66.	प. बंगाल	मिदनापुर
67.	प. बंगाल	उत्तरी 24 परगना

संगठनों पर प्रतिबंध

1280. श्री पी. सी. थामस: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आतंकवाद निवारण अध्यादेश और आतंकवाद निवारण अधिनियम के अन्तर्गत देश में आज तक राज्यवार कितनी गिरफ्तारियां की गयीं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001, 24.10.2001 को प्रख्यापित किया गया था तथा इसे दिनांक 30.12.2001 को आतंकवाद निवारण (द्वितीय) अध्यादेश, 2001 के रूप में पुनर्प्रख्यापित किया गया था। इसे आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है अत: देश में उक्त अध्यादेशों/अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा अन्य ब्यौरों के संबंध में जानकारी केन्द्रीय तौर पर इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में अपराध

1281. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने मंत्रालय को आतंकवादी गतिविधियों की गणना करने और स्टेशन परिसरों और रेलडिब्बों के भीतर यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व वहन करने का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करने और स्टेशन परिसरों और रेलगाड़ियों आदि में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को सरकार द्वारा कब तक अधिकार प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु आर. पी. एफ. को शक्तियां प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तथापि, रेलवे परिसरों और चलती गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आर.पी.एफ. कार्मिकों को कुछ जिम्मेवारियां सौंपने के बारे में रेल मंत्रालय द्वारा एक केबिनेट नोट तैयार किया गया है और विभिन्न मत्रालयों के साथ इस पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में रसायनों और उर्वरकों का उपयोग

1282. श्री खगेन दास: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अन्य सभी राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में रसायनों और उर्वरकों का उपयोग बहुत कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन राज्यों में उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) चूंकि रसायन क्षेत्र पूरी तरह से नियंत्रणमुक्त है, इसलिए राज्यवार खपत संबंधी आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है। हालांकि देश के अन्य राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर को छोड़कर) में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम है।

(ख) उर्वरकों की कम खपत के निम्नलिखित कारण हैं:

1. पोषकों की कम जरूरत वाली परम्परागत कृषि प्रणाली का प्रमुखतया प्रयोग।
2. भूमि एवं जल क्षरण के कारण पोषकों की हानि
3. पोषकों के कार्बनिक स्रोतों का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग होने के परिणामस्वरूप उर्वरक पोषकों की कम जरूरत।

उर्वरक की खपत बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

1. अधिसूचित मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन राज्यों को विशेष परिवहन राज सहायता प्रदान की जाती है।

2. राज्य सरकारों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

3. उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में राज्य के अधिकारियों के प्रशिक्षण के जरिए उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।

4. पौधों के पोषकों के पूरक स्रोत के रूप में स्थानिक रूप में उपलब्ध कार्बनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्षेत्रीय जैव-उर्वरक विकास केन्द्र, इम्फाल पूर्वोत्तर राज्यों में जैव उर्वरकों के उत्पादन, संवर्धन और विस्तार में लगा हुआ है।

5. कार्बनिक उर्वरकों और जैव-उर्वरकों के संयोजन में रासायनिक उर्वरकों की मृदा जांच पर आधारित अनुप्रयोग को इस राज्यों में स्थापित मृदा जांच मूलक प्रयोगशालाओं के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

इन उपायों से पूर्वोत्तर राज्यों में उर्वरकों का प्रयोग सतत रूप से बढ़ जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय का औषधि निर्माता कंपनियों को मूल्य संबंधी निर्देश

1283 श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर औषधियां बेचने वाली औषधि-विनिर्माता कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वे वसूली गयी अतिरिक्त राशि वापिस करे;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस तिथि को दिया गया था और कौन-कौन सी कंपनियों ने उक्त धनराशि लौटा दी है;

(ग) कौन-कौन सी कंपनियों ने उक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया है; और

(घ) सरकार द्वारा वसूली गयी अधिक धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

यूरिया घोटाले में शामिल धनराशि की वसूली

1284. श्री बीर सिंह महतो:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया घोटाले में शामिल 133 करोड़ रुपये की धनराशि की अभी तक पूरी वसूली नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के सामने इस संबंध में क्या-क्या समस्याएं आ रही है;

(ग) पूरी की पूरी धनराशि की वसूली के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध माध्यस्थम् कार्रवाई आरम्भ करने के लिए प्रयास न करने के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा माध्यस्थम् कार्रवाई आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हाँ। विभिन्न देशों के व्यक्तियों के विरुद्ध लम्बित वसूली की कानूनी प्रक्रिया और स्थान स्थिति के कारण समय लग रहा है। इसके अलावा खातों का पता लगाने और उन्हें फ्रीज करने के लिए यू.ए.ई. ग्रीस एवं कजाखिस्तान को भेजे गये अनुरोध पत्र पर अभी कार्रवाई का जानी है।

(ग) और (घ) मैं कर्सन लिमिटेड से अग्रिम भुगतान की वसूली के लिए मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आई.सी.सी) पेरिस में मध्यस्थता प्रक्रिया प्रारम्भ की थी। इन्टरनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (आई.सी.सी.) ने एन.एफ.एल के पक्ष में 41 मिलियन अमेरिकी डालर का निर्णय दिया था। तथापि आई.सी.सी. के निर्णय को एम्सटर्डम के जिला न्यायालय में मैसर्स कर्सन द्वारा चुनौती दी गई है। डच न्यायालय ने दिनांक 10-12-2001 के अपने निर्णय द्वारा कर्सन की चुनौती को खारीज कर दिया और निर्णय के कार्यान्वयन का आदेश दिया। अब मैसर्स कर्सन ने इस आदेश के विरुद्ध डच उच्च न्यायालय में अपील की है।

व्यावसायिक विद्यालयों और महाविद्यालयों की कमी

1285. श्री मानसिंह पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में व्यावसायिक विद्यालयों और महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या व्यावसायिक विद्यालयों और महाविद्यालयों की आवश्यकता की तुलना में इनकी संख्या कम है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में आवश्यकता के अनुसार ऐसे और अधिक विद्यालय और महाविद्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या सफलता प्राप्त की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) मंत्रालय में उपलब्ध तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, देश में व्यावसायिक स्कूलों तथा कॉलेजों की राज्यवार संख्या, क्रमशः संलग्न-I तथा II में दी गई है।

(ख) से (घ) चूंकि शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची में है अतएव शिक्षा जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है, प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 1988 में माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सैक्शन खोलने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कॉलेज स्तर पर भी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। आयोग ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 से 2001-2002 के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए 1841 कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की तथा चालू वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 277 संस्थाओं का अभिनिर्धारण किया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1.4.2001 की स्थिति के अनुसार विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	668
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	225
4.	बिहार	251
5.	गोवा	43
6.	गुजरात	364
7.	हरियाणा	98
8.	हिमाचल प्रदेश	40
9.	जम्मू एवं कश्मीर	38
10.	कर्नाटक	564
11.	केरल	363
12.	मध्य प्रदेश	465
13.	महाराष्ट्र	1141
14.	मणिपुर	19
15.	मेघालय	10
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैंड	8
18.	उड़ीसा	231
19.	पंजाब	282
20.	राजस्थान	155
21.	सिक्किम	7
22.	तमिलनाडु	700
23.	त्रिपुरा	12
24.	उत्तर प्रदेश	910
25.	पश्चिम बंगाल	39
26.	अंडमान एवं निकोबार	3
27.	चंडीगढ़	17
28.	दादरा एवं नगर हवेली	2
29.	दमन एवं दीव	2
30.	दिल्ली	38
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पांडिचेरी	12
	कुल	6728

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कॉलेजों की संख्या (1994-95 से 2001-02 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	138
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	65
4.	बिहार/झारखंड	111
5.	गोवा/दादरा एवं नगर हवेली	12
6.	गुजरात/दमन एवं दीव	73
7.	हरियाणा	85
8.	हिमाचल प्रदेश	17
9.	जम्मू एवं कश्मीर	24
10.	कर्नाटक	154
11.	केरल/लक्षद्वीप	89
12.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	118
13.	महाराष्ट्र	257
14.	मणिपुर	31
15.	मेघालय/मिजोरम	3
16.	नागालैंड	2
17.	उड़ीसा	74
18.	पंजाब	121
19.	राजस्थान	56
20.	तमिलनाडु	129
21.	त्रिपुरा	3
22.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	150
23.	पश्चिम बंगाल/सिक्किम	92
24.	चंडीगढ़	6
25.	दिल्ली	24
26.	पांडिचेरी	5
	कुल	1841

[अनुवाद]

कोयले की रायल्टी दरें

1286. श्री प्रसन्न आचार्य: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयले की रायल्टी दरें कब से संशोधित नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का विचार भूतलक्षी प्रभाव से कोयले की रायल्टी दरों में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कोयले की रायल्टी में संशोधन न होने के कारण अंतिम संशोधन तक कोयले की रायल्टी की सामान्य वृद्धि के मद्देनजर कोयला उत्पादक राज्यों को राज्य-वार कितना घाटा हुआ है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन राज्यों को मुआवजा प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) 4 कोयले पर रायल्टी की दरों में अंतिम बार संशोधन 11.10.1994 को किया गया था। खान और खनिज विनियम एवं विकास (एम.एम.आर.डी.) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (3) केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा रायल्टी दर में वृद्धि या कमी करने का अधिकार प्रदान करती है। तथापि, यह धारा यह भी प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार किसी भी तीन वर्ष की अवधि के दौरान रायल्टी दर में एक बार से अधिक वृद्धि नहीं करेगी। अगली वृद्धि 10.10.1997 के पश्चात् ही की जा सकती थी। 1997 में रायल्टी दरों में वृद्धि न करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत जैसे प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्र मंदी के दौर से गुजर रहे थे। यह महसूस किया गया कि उस स्तर पर कोयले पर रायल्टी में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने से विद्युत, इस्पात तथा समग्र अर्थव्यवस्था के लिए संकट गहरा जाएगा।

(ख) से (घ) जी, नहीं। पूर्वव्यापी प्रभाव से रायल्टी में संशोधन करने के लिए परिणामस्वरूप पहले से बिक चुके कोयले के संबंध में उपभोक्ताओं की ओर रायल्टी देयों के बकायों की वसूली कठिन होगी। ऐसी स्थिति में पूर्वव्यापी प्रभाव से रायल्टी का भुगतान कोयला कंपनियों के लिए देयता उत्पन्न कर देगा जिन्हें इस तथ्य के बावजूद राज्य सरकारों को इस रायल्टी का भुगतान करना होता है कि वे इस देय राशि की वसूली शायद उपभोक्ताओं से न कर पाएं। ऐसी स्थिति में कई कोयला कंपनियां और अधिक रुग्ण हो सकती हैं।

(ङ) कोयले पर रायल्टी के आवश्यक संशोधन के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। कोयले पर रायल्टी का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राज्य सरकार को किया जाना होता है तथा देय रायल्टी का भुगतान नियमित रूप से संबंधित कोयला उत्पादक राज्य को किया जा रहा है और अभी तक इस कारण से राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई है।

(च) और (छ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

1287. श्री कोलूर बसवनागौड:
श्री आर.एल. जालप्पा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में केन्द्रीय सहायता प्राप्त वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना आरंभ की गयी है;

(ख) यही हां, तो राज्यवार मलिन बस्तियों में कितनी आवासीय और शौचालय परिसरों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान मकानों के निर्माण के लिए राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) हुडको ने इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी की है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) राज्यवार इस योजना के अंतर्गत कितने मकानों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है; और

(ज) इन मकानों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हाँ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ङ) और (च) स्कीम के तहत लाभार्थियों की पहचान/चुनाव करना राज्यों/संघ शासित प्रदेश का काम है और मंत्रालय उसका कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

(छ) ब्यौरे संलग्न विवरण-III में हैं।

(ज) मकानों का निर्माण अगले वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

विवरण-I

दिनांक 30.6.2002 को वाम्वे स्कीमों के राज्यवार संचयी ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	स्कूलों की संख्या	आवासीय इकाईयों की संख्या	शौचालयों की सं.	परियोजना लागत	ऋण राशि	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी	भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी	हुडको द्वारा इस तिथि तक जारी राशि	
									सब्सिडी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दक्षिण क्षेत्र										
1.	कर्नाटक	5	13679	2790	7416.98	3556.00	2882.60	1446.89	1446.89	1446.89
2.	आंध्र प्रदेश	4	4000	392	2732.71	57.88	1257.88	1200.00	1200.00	0.00
3.	तमिलनाडु	5	33764	14880	9415.06	106.53	3388.13	1624.70	1624.70	454.90
4.	पांडिचेरी	1	170	40	72.25	अपेक्षित नहीं	33.50	33.50	33.50	अपेक्षित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	केरल	1	1330	0	532.00	अपेक्षित नहीं	266.00	266.00	266.00	अपेक्षित नहीं
		16	52943	18102	20169.00	4620.41	7828.41	4571.09	4571.09	1901.79
उत्तर क्षेत्र										
6.	राजस्थान	3	8280	0	3885.73	1982.25	1256.00	300.00	300.00	0.00
7.	दिल्ली	1	2016	0	4032.00	अपेक्षित नहीं	365.00	50.00	50.00	अपेक्षित नहीं
8.	उत्तरांचल	1	2167	130	918.80	459.40	459.40	38.00	38.00	0.00
9.	उत्तर प्रदेश	1	125000	0	50000.00	25000.00	831.00	831.00	831.00	0.00
		6	137483	130	58838.53	27441.65	2911.40	1217.00	1217.00	0.00
उत्तर-पश्चिम क्षेत्र										
10.	जम्मू व कश्मीर	1	557	0	312.42	अपेक्षित नहीं	125.32	125.32	125.32	अपेक्षित नहीं
11.	पंजाब	1	10000	0	4000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2	10557	0	4312.42	2000.00	125.32	125.32	125.32	0.00
पश्चिम क्षेत्र										
12.	गुजरात	2	20152	440	4133.00	अपेक्षित नहीं	3269.00	3269.00	3269.00	अपेक्षित नहीं
13.	मध्य प्रदेश	1	2200	0	1101.87	550.00	550.00	246.00	246.00	0.00
14.	छत्तीसगढ़	1	10000	0	4462.50	2000.00	2000.00	231.26	231.26	270.75
15.	महाराष्ट्र	3	4989	597	2638.37	अपेक्षित नहीं	1263.60	1263.60	1263.60	अपेक्षित नहीं
		7	37341	1037	12335.74	2560.00	7082.60	5009.86	5009.86	270.75
पूर्वी क्षेत्र										
16.	उड़ीसा	1	905	0	362.00	अपेक्षित नहीं	181.00	0.00	0.00	अपेक्षित नहीं
17.	झारखण्ड	1	500	0	235.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	प. बंगाल	4	8866	632	3309.22	871.90	1536.80	842.80	842.80	0.00
		6	10263	632	3906.22	972.90	1717.80	842.80	842.80	0.00
उत्तर पूर्वी क्षेत्र										
19.	त्रिपुरा	1	62	0	27.90	अपेक्षित नहीं	13.95	10.05	10.05	अपेक्षित नहीं
20.	नागालैण्ड	1	40	0	19.00	अपेक्षित नहीं	9.00	0.00	0.00	अपेक्षित नहीं
21.	मणिपुर	1	80	0	36.00	अपेक्षित नहीं	18.00	0.00	0.00	अपेक्षित नहीं
22.	अरुणाचल	1	1600	0	720.00	अपेक्षित नहीं	360.00	0.00	0.00	अपेक्षित नहीं
		4	1782	0	802.90	0.00	400.95	10.05	10.05	0.00
	सकल योग	41	250349	19901	100362.81	37583.96	20066.18	11776.12	11776.12	2172.54

नोट : हडको द्वारा जारी ऋण दिनांक 31.05.2002 की स्थिति अनुसार है।

विवरण–II

वाम्वे के तहत वर्ष 2001-2002 के लिए धन का राज्यवार नियतन

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यवार नियतन (2001-2002)
1	2
आंध्र प्रदेश	671.37
अंडमान निकोबार	5.52
अरुणाचल प्रदेश	3.86
असम	64.86
बिहार	263.37
चंडीगढ़	22.15
छत्तीसगढ़	65.00
दादर व नगर हवेली	0.41
दमन व दीव	1.52
दिल्ली	363.63
गोवा	10.42
गुजरात	383.64
हरियाणा	112.47
हिमाचल प्रदेश	16.94
जम्मू एवं कश्मीर	87.00
झारखंड	132.00
कर्नाटक	198.03
केरल	181.54
लक्षद्वीप	0.83
मध्य प्रदेश	247.00
महाराष्ट्र	1198.40
मणिपुर	12.20
मेघालय	13.11
मिजोरम	13.11
नागालैंड	6.21
उड़ीसा	124.89
पांडिचेरी	33.50
पंजाब	211.14
राजस्थान	364.12
सिक्किम	0.69
तमिलनाडु	486.45
त्रिपुरा	9.66
उत्तर प्रदेश	824.00
उत्तरांचल	36.00
पश्चिम बंगाल	734.16

विवरण–III

दिनांक 30.6.2002 की स्थिति अनुसार वाम्वे स्कीमों के तहत मंजूर किये गये आवासों/शौचालयों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	स्कीम सं.	एजेंसी	स्कीम का नाम	नगर/कस्बा/ जिला	रिहायशी इकाइयों की सं.	शौचालयों की सं.	प्रगति की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कर्नाटक	17444	के.एस.सी.बी.	वाम्वे के तहत आवास स्कीम, फेज–I बंगलौर	बंगलौर	794	240	250 रिहायशी इकाइयों का कार्य चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	कर्नाटक	17446	के.एस.सी.बी.	वाम्वे के तहत आवास स्कीम, फेज-II श्रेणी-I शहर	तुमकुर	217	60	250 रिहायशी इकाईयों का कार्य चल रहा है।
					मैसूर	265	90	
					मंडया	500	40	
					हसन	365	100	
					रायचूर	378	60	
					गुलबर्ग	708	170	
					गदाग	482	150	
					कुल	2915	670	
3.	कर्नाटक	17445	के.एस.सी.बी.	वाम्वे के तहत आवास स्कीम, फेज-III, बंगलौर	बंगलौर	1828	680	282 रिहायशी इकाइयों का कार्य चल रहा है।
4.	कर्नाटक	17447	के.एस.सी.बी.	वाम्वे के तहत आवास स्कीम, फेज-IV, श्रेणी-I शहर	कोलार	320	80	1287 रिहायशी इकाइयों का कार्य चल रहा है।
					के.जी.एफ.	196	100	
					चित्रदुर्ग	415	80	
					सिमोगा	312	90	
					भद्रावती	279	90	
					देवनगिरी	551	80	
					बेल्लारी	544	80	
					होसपेट	555	90	
					बिदर	280	120	
					बीजापुर	292	60	
					बेलगांव	259	120	
					हुबली	514	130	
					धारवाड़	258	80	
					कुल	4775	1200	
5.	कर्नाटक	17537	आरजीआर एच.सी.एल.	वाम्वे के तहत आवास स्कीम, गदाग कर्नाटक	गदाग	3367	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	आंध्र प्रदेश	17543	ए.पी.एस. एच.सी.	वाम्वे के तहत हैदराबाद और सिकदराबाद के विभिन्न स्लम स्थानों में ईडब्ल्यूएम (यू) आवास स्कीम (श्रे-I)	मुशीराबाद	301	0	
					खैरताबाद	786	0	
					हिमायतनगर	216	0	
					सिकंदराबाद	510	0	
					कारवान	122	0	
					चारमीनार	27	0	
					मलकपेट	87	0	
					सनतनगर	154	0	
					महाराजगंज	99	0	
					कुल	2302	0	
7.	आंध्र प्रदेश	17544	ए.पी.एस. एच.सी.	वाम्वे के तहत हैदराबाद और सिकंदाबाद के विभिन्न स्लम स्थानों में ईडब्ल्यूएस (यू) आवास स्कीम, (श्रे-I)	मुसीराबाद	391	0	
					एलबी नगर	338	0	
					उप्पल	826	0	
					कुल	1555	0	
8.	आंध्र प्रदेश	17545	ए.पी.एस. एच.सी.	वाम्वे के तहत हैदराबाद और सिकंदराबाद के विभिन्न स्लम स्थानों में ईडब्ल्यूएस (यू) आवास स्कीम (श्रे-III)	गोलकुंडा	46	0	
					आसिफनगर	48	0	
					मरेडपल्ली	21	0	
					नामपटली	28	0	
					कुल	143	0	
9.	आंध्र प्रदेश	17456	बी.एम.सी.	विशाखापट्टनम, आ.प्र. में वाम्वे स्कीम के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण	विशाखापट्टनम	0	392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	तमिलनाडु	17546	सी.एम.ए.	तमिलनाडु वाम्वे के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय निकायों में समुदाय सफाई परिसरों का निर्माण	मदुरै	0	2128	
					तिरुनेलवेली	0	240	
					त्रिची	0	336	
					कोयमबटूर	0	400	
					सलेम	0	1088	
					तंजावूर	0	832	
					वेल्लौर	0	816	
					चेंगलपट्टू	0	960	
					तिरुपुर	0	1600	
					कुल	0	8400	
11.	तमिलनाडु	17656	डी.टी.पी.	तमिलनाडु वाम्वे के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय निकायों में समुदाय सफाई परिसरों का निर्माण	कांचीपुरम	0	306	
					तिरुवेल्लूर	0	261	
					वेल्लोर	0	297	
					तिरुवन्नामलाई	0	117	
					धरमपुरी	0	189	
					सलेम	0	378	
					नम्मकल्ल	0	198	
					ईरोड	0	657	
					कोयमबटूर	0	666	
					नीलगीरी	0	171	
					कुड्डालोर	0	198	
					विल्लुपुरम	0	198	
					तंजावूर	0	252	
					नागापट्टीनम	0	99	
					तिरुवरुर	0	72	
					त्रिची	0	216	
					पेरमवलूर	0	72	
					अरियालूर	0	54	
					पुडुकोट्टई	0	90	
					डिंडीगुल	0	279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					करुर	0	153	
					मदुरै	0	153	
					थेनी	0	234	
					रामनाथपुरम	0	81	
					विरुधुनगर	0	108	
					शिवगंगई	0	108	
					तिरुनेवलवेली	0	351	
					टूटीकौरिन	0	153	
					कन्याकुमारी	0	369	
					कुल	0	6480	
12.	तमिलनाडु	17522	टी.एन.सी.एच.एफ.	वाम्वे के अंतर्गत सहकारी समितियां के मार्फत तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस, सी.एल.एच.एस.	मदुरै	409	0	
					कोयमबटूर	561	0	
					तिरुवेनवली	180	0	
					सलेम	300	0	
					तिरुचिरापल्ली	300	0	
					चेन्नई	500	0	
					कुल	2250	0	
13.	तमिलनाडु	17454	टी.एन.एस.सी.बी	तमिलाडु में वाम्वे स्कीम के अंतर्गत 168 स्थानों में टी.एन.एस.सी.बी. का सुधार	चेन्नई	29614	0	
					सलेम	400	0	
					मदुरै	250	0	
					त्रिची	250	0	
					कुल	30514	0	
14.	तमिलनाडु	17455	टी.एन.एस.सी.बी.	तमिलनाडु में वाम्वे स्कीम के अंतर्गत टी.एन.एस.सी.बी. के मार्फत चेन्नई, सलेम, कोयमबटूर त्रिची, मदुरै व तिरुनेलवेली में	चेन्नई	250	0	
					वडोपट्टी	50	0	
					अलंगानलूर	56	0	
					तमर्कुलम	97	0	
					डिंडीगुल	55	0	
					परमाकुडी	42	0	
					तिरुनेलवली	30	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण	तेनकसी	20	0	
					सलेम	100	0	
					तिरुवन्नामलई	50	0	
					पुडुकोट्टई	100	0	
					कोयमबटूर	150	0	
					कुल	1000	0	
15.	पांडिचेरी	17547	पी.एस.सी.बी.	वाम्वे के तहत पांडिचेरी के शहरी स्लम क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस मकानों सफाई परिसरों का निर्माण	पांडिचेरी	123	32	
					करईकल	47	8	
					कुल	170	40	
16.	केरल		सूडा	केरल में वाम्वे स्कीम	त्रिवेन्द्रम	160	0	
					पुनालूर	300	0	
					कोचीन	870	0	
					कुल	1330	0	
दक्षिणी जोन का योग						**52943**	**18102**	
उत्तरी जोन								
17.	राजस्थान	17524	यू.आई.टी. जोधपुर	जोधपुर में वाम्वे के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 300 रिहायशी मकानों का निर्माण	जोधपुर	3000	0	
18.	राजस्थान	17525	यू.आई.टी. कोटा	कोटा में वाम्वे के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस के लिए 3280 रिहायशी मकानों का निर्माण	कोटा	3280	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	राजस्थान	17523	जे.डी.ए.	जयपुर में वाम्वे के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 2000 रिहायशी मकानों का निर्माण	जयपुर	2000	0	
20.	दिल्ली	17652	डी.डी.ए.	वाम्वे के तहत दिल्ली में मोतिया खान जे.जे. निवासियों के लिए पुनर्वास स्कीम	दिल्ली	2016	0	
21.	उत्तरांचल	17453	सूडा	देहरादून उत्तरांचल में स्लम क्षेत्रों में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना	देहरादून	2167	130	
22.	उत्तर प्रदेश	17349	सूडा	वाम्वे के तहत 125000 ई.डब्ल्यू. एस. निर्माण	अनुलग्नक अनुसार	125000	0	
उत्तरी जोन का योग						**137463**	**130**	
उत्तर पश्चिम जोन								
23.	जम्मू व कश्मीर	17551	जे.डी.ए.	वाम्वे के तहत जम्मू में स्लमों का पुनर्वास	जम्मू	557	0	
24.	पंजाब	17378	सूडा	वाम्वे के तहत शहरी क्षेत्रों में 1000 ई.डब्ल्यू.एस. का निर्माण	लुधियाना	4000	0	
					जालंधर	1200	0	
					अमृतसर	1400	0	
					पटियाला	1000	0	
					राजपुरा	300	0	
					पठानकोट	300	0	
					मुकेरिया	300	0	
					भटिंडा	300	0	
					मुक्तसर	300	0	
					मोगा	300	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					फिरोजपुर	300	0	
					मलोट	300	0	
					कुल	10000	0	
उत्तर पश्चिमी जोन का योग							**10557**	**0**
पश्चिमी जोन								
25.	गुजरात	17649	ए.यू.डी.ए.	अहमदाबाद में वाम्वे स्कीम	अहमदाबाद	2016	440	
26.	गुजरात	17661	जी.ओ.जी.	दंगा पीड़तों के लिए वाम्वे स्कीम		18136	0	आंशिक क्षतिग्रस्त 6680 मकानों के लिए 389.11 लाख रु. तथा पूर्णतया क्षतिग्रस्त 1398 मकानों के लिए 97.78 लाख रु. वितरित किये।
27.	मध्य प्रदेश	17583	एम.पी.एच.बी.	अमरावती, साउथ बाग सेवानियां, भोपाल में वाम्वे स्कीम	भोपाल	2200	0	
28.	छत्तीसगढ़	17448	सूडा	छत्तीसगढ़ के 9 कस्बों में वाम्वे के तहत 10000 रिहायशी मकानों का निर्माण	विलासपुर	1500	0	
					भिलाई	2000	0	
					कोरबा	1000	0	
					राजनंदगांव	1000	0	
					दुर्ग	1000	0	
					रायगढ़	500	0	
					धमतरी	500	0	
					भिलाईचरोड़ा	500	0	
					रायपुर	2000	0	
					कुल	10000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	महाराष्ट्र	17548	एम.एच.ए.डी.ए.	वाम्वे के तहत मुम्बई और सब अर्बन जिलों में स्लम वासियों के लिए शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	मुम्बई सिटी	0	45	
					मुम्बई सबअर्बन	0	552	
					कुल	0	597	
30.	महाराष्ट्र	17549	एम.एच.ए.डी.ए.	वाम्वे के तहत पुणे क्षेत्र में स्लम वासियों के लिए मकानों का निर्माण	पुणे	2328	0	
31.	महाराष्ट्र	17550	एम.एच.ए.डी.ए.	नासिक क्षेत्र में स्लम वासियों के लिए वाम्वे आवास परियोजना	नासिक	600	0	
					मालेगांव	325	0	
					मनमाड	357	0	
					धुले	650	0	
					ननदरबार	200	0	
					अमालनेर	297	0	
					श्रीरामपुरा	322	0	
					कुल	2661	0	
पश्चिमी जोन का योग						**37341**	**1037**	
पूर्वी जोन								
32.	उड़ीसा	17655	सूडा	भुवनेश्वर, बरहामपुर, पुरी, पारादीप व कटक में वाम्वे के तहत 905 रिहायशी मकानों का निर्माण	भुवनेश्वर	250	0	
					बरहामपुर	100	0	
					पुरी	200	0	
					पारादीप	105	0	
					कटक	250	0	
					कुल	905	0	
33.	झारखंड	17501	आर.आर.डी.ए.	वाम्वे के तहत रांची में स्लम सुधार	रांची	500	0	
34.	पश्चिम बंगाल	17527	हल्दिया विकास प्रा.	हल्दिया में वाम्वे के तहत आवास स्कीम	हल्दिया	3777	393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	पश्चिम बंगाल	17648	के.एम.डी.ए.	कोलकाता में वाम्वे के तहत आवास स्कीम	कोलकाता	1062	0	
36.	पश्चिम बंगाल	17528	सूडा	पश्चिम बंगाल के विभिन्न नगर पालिका कस्बों में वाम्वे के तहत आवास स्कीम	जलपाईगुड़ी	300	35	
					चंदन नगर	0	80	
					सिलीगुड़ी	3059	114	
					कलना	500	10	
					कुल	3859	239	
37.	पश्चिम बंगाल	17526	एस.जे.डी.ए	सिलीगुड़ी में वाम्वे के तहत आवास स्कीम	सिलीगुड़ी	160	0	
पूर्वी जोन का योग						**10263**	**632**	
पूर्वोत्तर जोन								
38.	त्रिपुरा	17552	अगरतला म्युनि. कौ.	वाम्वे के तहत अगरतला, त्रिपुरा में मकानों का निर्माण	अगरतला	62	0	
39.	नागालैंड	17654	डूडा	वाम्वे के तहत दीमापुर और कोहिमा में बी.पी.एल. परिवारों के लिए मकानों का निर्माण	दीमापुर	20	0	
					कोहिमा	20	0	
					कुल	40	0	
40.	मणिपुर	17653	एम.यू.डी.ए.	वाम्वे के तहत मणिपुर में शहरी स्लम वासियों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण	इम्फाल थोबाल विष्णुपुर चंदेल			
					कुल	80	0	
41.	अरुणाचल	17651	सूडा	वाम्वे के तहत अरुणाचल प्रदेश के 16 कस्बों में शहरी गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस मकान	डपोरजियो	100	0	
					पसीघाट	100	0	
					अलोंग	100	0	
					त्वाग	100	0	
					शेप्पा	100	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					रेजू	100	0	
					रोईंग	100	0	
					बोमडिला	100	0	
					डियोमाली	100	0	
					जीरो	100	0	
					नामसाई	100	0	
					चंगलांग	100	0	
					यिनकियोंग	100	0	
					खोनसा	100	0	
					जयरामपुर	100	0	
					बसर	100	0	
					कुल	1600	0	
पूर्वोत्तर जोन का योग						**1782**	**0**	
सकल योग						**250349**	**19901**	

स्पांज आयरन इंडिया लिमिटेड का विनिवेश

1288. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय स्पांज आयरन इंडिया लिमिटेड, खम्मम के विनिवेश के मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए विधि मंत्रालय और महान्यायवादी से परामर्श कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विधि मंत्रालय और महान्यायवादी की टिप्पणियां क्या हैं; और

(ग) निजीकरण के पश्चात सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम/उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हाँ। इस संबंध में विधिक कार्य विभाग और महान्यायवादी से परामर्श किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की इस विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुए कि प्रबंधन अथवा शेयरधारिता में परिवर्तन का अर्थ एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को भूमि का हस्तांतरण नहीं है, महान्यायवादी का यह मत है कि किसी निजी हस्ती के पक्ष में स्पॉंज आयरन इण्डिया लि. के शेयरधारिता प्रतिमान में परिवर्तन होने से, आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भू-हस्तांतरण विनियमन 1959 (ए.पी.एस.एल.टी.आर.) के उल्लघंन में भूमि का हस्तांतरण नहीं होगा।

(ग) कर्मचारियों को हित संरक्षण प्रदान करना विनिवेश नीति का एक अभिन्न अंग है। यह संबंधित अनुकूल क्रेता के साथ सम्पन्न शेयरधारक/शेयर खरीद करार में उपयुक्त उपबंध करके सुनिश्चित किया जाता है। हिन्दुस्तान जिंक लि. में विनिवेश के समय सम्पन्न सौदा दस्तावेज में कर्मचारियों को हित संरक्षण प्रदान करने वाले उपबंधों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हिन्दुस्तान जिंक लि. में विनिवेश के लिए शेयरधारक करार में शामिल संगत उपबंध इस प्रकार हैं:

विधिक अंश का विवरण

(छ) खण्ड 6.1.2 (ख) एवं (ग) के अध्ययीन, पार्टियां इस बात को दृष्टिगत रखती हैं कि कंपनी के सभी कर्मचारी, इस तारीख के बाद कंपनी के रोजगार में बने रहेंगे।

(ज) अनुकूल साझीदार इस बात को मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धान्तों का अनुकरण करती है और यह कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की छंटनी अन्त में हो।

अनुच्छेद - 5.4

(झ) इस अनुच्छेद 5 में प्रतिकूल किसी भी बात के रहते हुए, सरकार किसी भी समय अपने ही विवेक पर कंपनी के कर्मचारियों को इस करार की तारीख को मौजूद ईक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अनधिक को दर्शाते हुए कंपनी में अपनी शेयरधारिता में से शेयरों (''कर्मचारियों को बेचे जाने वाले शेयर'') को बेचने का विकल्प अपने पास रखेगी। सरकार द्वारा अपने शेयरों के किसी अंश को कर्मचारियों को बेचने के विकल्प का प्रयोग करने की दिशा में, कर्मचारियों को हस्तान्तरित शेयरों के लिए, कर्मचारियों को खण्ड 5.3 (ख) में प्रदान किए गए आख्यान को पृष्ठांकित किए बिना, नए शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। शेयरधारक इस बात से सहमत हैं कि हस्तान्तरण पूरा हो जाने पर इस उप-खण्ड (झ) के अनुसरण में कर्मचारियों को हस्तान्तरित शेयर इस करार में किन्हीं प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं होंगे चाहे मत-व्यवस्था के द्वारा हो अथवा प्रथम नामंजूर के अधिकार से।

अनुच्छेद-6.1.2

अनुच्छेद साझीदार सरकार के साथ यह प्रतिज्ञा-पत्र सम्पन्न करता है कि

(क) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए वह अन्तिम तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रकार की पदच्युति अथवा लागू कर्मचारी विनियमन तथा कंपनी के स्थायी आदेशों अथवा लागू कानून के अनुसरण में अपने रोजगार से कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति को छोड़कर, कंपनी के कार्य-बल के किसी भाग की छंटनी नहीं करेगा।

(ख) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए, परन्तु उपरोक्त उप-खण्ड (क) के अध्यधीन कंपनी के श्रम बल की किसी भी प्रकार की पुनर्संरचना, बोर्ड द्वारा की गई संस्तुति के तरीके तथा सभी लागू कानूनों के अनुसरण में क्रियान्वित की जाएगी।

(ग) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए परन्तु उप-खण्ड (क) के अध्यधीन कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कटौती करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उन शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प की पेशकश करेगी जो किसी भी तरह से अधिकतम लाभ, यदि कोई हों, से कम अनुकूल नहीं होंगी।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) द्वारा नीरा परिरक्षण प्रौद्योगिकी

1289. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) मैसूर और रक्षा अनुसंधान संस्थान से नीरा के परिरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) ने नीरा के परिरक्षण के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां। नारियल पानी (नीरा) की निधानी आयु (शैल्फ लाइफ) बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास नामक एक परियोजना केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान (सी.एफ.टी.आर.आई.) मैसूर और रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर को संयुक्त रूप से सौंपी गई है।

(ख) और (ग) सी.एफ.टी.आर.आई. में इस नारियल पानी (नीरा) के घटकों, विकारीयता, सूक्ष्मजैविकीय प्रोफाइल और डिग्रेडेबल शर्करा की तुलना में संभावी भंडारण विधि के विकास पर अध्ययन आरम्भ करके इसकी निधानी आयु बढ़ाने के लिए इस परियोजना के तहत विकासात्मक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

गौ-मूत्र के लिए अमरीकी पेटेन्ट

1290. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'द यूनाइटेड स्टेट्स पेटेन्ट एंड ट्रेड ऑफिस' ने हाल ही में कुछ भारतीय आविष्कारों के लिए पेटेन्ट प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गौ-मूत्र के पेटेन्ट के लिए आवेदन से पूर्व कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कौन-कौन सी संस्थाओं ने नयी औषधियों का आविष्कार किया है; और

(च) बाजार में इन औषधियों को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) को 25 जून, 2002 को गौ मूत्र आसुत और प्रतिजैविक युक्त भेषजीय नुस्खे हेतु अमरीकी पेटेन्ट नं. 6,410,059 प्रदान किया गया।

(ग) और (घ) गौ मूत्र आसुत के विभिन्न अंशों की जैव अभिवृद्धिक क्रिया विषयक क्रमशः विभिन्न जीवाणु संवर्धनों और कैंसर सैल लाइनों पर पात्रे (इन विट्रो) परीक्षण के माध्यम से प्रतिजैविकों और टैक्सोल के संयोजन से अध्ययन किए गए।

(ङ) किसी नई औषधि की खोज नहीं की गई। गौ मूत्र आसुत के अंश की जैव अभिवृद्धक क्रिया को दर्शाने वाला केवल एक भेषजीय नुस्खा पाया गया है। इस नवोन्मेष में सी.एस.आई.आर. की एक घटक प्रयोगशाला केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सी.आई.एम.ए.पी.), लखनऊ और गौ-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, नागपुर शामिल थे।

(च) इस भेषजीय नुस्खे को मौजूदा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार पशु और मानवीय परीक्षणों से गुजरना होगा। इस परीक्षणों के सफल होने के बाद ही यह नुस्खा उपलब्ध कराया जाएगा।

भोपाल गैस पीड़ित

1291. श्री सईदुज्जमा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 6 जुलाई, 2002 को इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर में भोपाल गैस पीड़ितों के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों की एक बैठक आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बैठक में कौन-कौन से मुद्दे उठाये गये; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 'नवदन्य' नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने 6 जुलाई, 2002 को इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर में एक बैठक आयोजित की थी। यह बैठक भोपाल गैस पीड़ितों से संबंधित नहीं थी। यह बैठक मुख्य रूप से बगैर किसी स्वतंत्र मानिटरिंग प्रणाली या दायित्व प्रणाली तथा कार्पोरेट दायित्व प्रणाली स्थापित किए आनुवंशिकी रूप से विकसित बीज तथा फसलों के घातक प्रभाव पर केन्द्रित थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रयोगात्मक फील्ड परीक्षण सहित मानिटरिंग, मूल्यांकन तथा आनुवंशिकी रूप से विकसित अवयवों तथा उत्पादों को पर्यावरण में छोड़ने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय संबंधित मंत्रालय हैं।

मानदंडों में ढील

1292. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों को केन्द्रीय निधि प्रदान करने के लिए गांवों को योजनाओं में शामिल करने संबंधी मानदंडों में ढील देने का प्रस्ताव किया है और आबंटन के मानदंडों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) परिवर्तित मानदंडों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है और इस कदम से देश के ग्रामीण लोगों की प्यास किसी सीमा तक बुझा दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात में चूना पत्थर की उपलब्धता

1293. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में हर कोटि का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो चूना पत्थर के भण्डारों के अन्वेषण तथा उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार ने किसी योजना का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां। गुजरात राज्य में सीमेन्ट, स्टील स्मेलटिंग शाप तथा चूना-पत्थर के रसायनिक ग्रेडों के पर्याप्त संसाधन हैं।

(ख) चूना पत्थर सहित किसी खनिज के अन्वेषण और उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है अथवा न ही दिए जाने का कोई प्रस्ताव है।

(ग) गुजरात राज्य सरकार द्वारा किसी योजना विशेष का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार

1294. श्री रामशकल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान और आज तक विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान महिला लाभार्थियों के संबंध में योजनावार तथा राज्यवार क्या-क्या उपलब्धियां रहीं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.), इंदिरा अवास योजना (आई.ए.वाई.), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई), राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) के तहत लाभार्थियों और महिलाओं के संबंध में हुई उपलब्धि का राज्य-वार और योजनावार विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों और महिला लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जे.जी.एस.वाई.		एस.जी.एस.वाई.		ई.ए.एस.		आई.ए.वाई.		एन.एफ.बी.एस.	
		कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	156.37	50.14	0.00	56960.00	111.32	42.51	83912.00	44500.00	31477.00	9443.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.59	2.23	0.00	607.00	20.10	4.88	4515.00	1742.00	85.00	19.00
3.	असम	132.86	16.09	0.00	4717.00	78.04	11.99	65089.00	25035.00	7357.00	4819.00
4.	बिहार	184.73	111.94	0.00	34726.00	211.65	49.94	161199.00	43527.00	13725.00	2074.00
5.	छत्तीसगढ़	68.96	25.75	0.00	3544.00	83.32	26.49	17777.00	3869.00	9283.00	3728.00
6.	गोवा	2.61	1.17	0.00	7.00	0.86	0.37	368.00	107.00	193.00	188.00
7.	गुजरात	46.72	11.36	0.00	8803.00	80.00	22.13	28193.00	12307.00	2309.00	104.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	हरियाणा	18.84	3.82	0.00	13130.00	20.19	4.85	13309.00	5556.00	559.00	41.00
9.	हिमाचल प्रदेश	13.89	0.90	0.00	6033.00	11.51	0.67	3716.00	1528.00	307.00	116.00
10.	जम्मू व कश्मीर	10.68	0.00	0.00	4700.00	2575.00	0.01	4082.00	0.00	389.00	53.00
11.	झारखण्ड	113.45	0.00	0.00	12970.00	100.31	33.82	56233.00	3984.00	2664.00	796.00
12.	कर्नाटक	129.95	39.97	0.00	17174.00	103.56	32.40	42675.00	12533.00	4542.00	831.00
13.	केरल	27.93	9.35	0.00	20790.00	30.49	9.02	19092.00	9249.00	3389.00	176.00
14.	मध्य प्रदेश	208.44	75.74	0.00	19124.00	159.37	57.23	61773.00	18368.00	31465.00	17405.00
15.	महाराष्ट्र	316.43	103.66	0.00	33897.00	216.82	71.95	81111.00	30852.00	11073.00	6309.00
16.	मणिपुर	1.86	0.00	एन.ए.	एन.ए.	3.97	1.13	552.00	202.00	307.00	15.00
17.	मेघालय	11.21	0.00	0.00	1339.00	5.87	1.96	4368.00	3953.00	527.00	443.00
18.	मिजोरम	3.95	1.37	0.00	437.00	5.97	2.06	2290.00	1241.00	194.00	154.00
19.	नागालैण्ड	14.17	8.69	0.00	464.00	17.40	5.26	4906.00	0.00	310.00	166.00
20.	उड़ीसा	248.51	73.31	0.00	21347.00	195.20	57.40	139561.00	46174.00	16073.00	7661.00
21.	पंजाब	12.31	0.27	0.00	4512.00	15.72	0.54	6606.00	3146.00	1451.00	1451.00
22.	राजस्थान	96.71	33.53	0.00	17888.00	76.38	28.68	41766.00	21572.00	2495.00	425.00
23.	सिक्किम	3.80	0.00	0.00	439.00	9.15	3.00	1539.00	542.00	125.00	51.00
24.	तमिलनाडु	131.19	0.00	0.00	73384.00	110.38	36.89	49914.00	15794.00	16876.00	7663.00
25.	त्रिपुरा	24.84	5.11	0.00	5421.00	19.53	6.05	11640.00	2403.00	916.00	714.00
26.	उत्तर प्रदेश	412.59	73.13	0.00	28865.00	333.02	50.45	159680.00	91166.00	25640.00	16294.00
27.	उत्तरांचल	10.39	0.00	0.00	15203.00	11.07	4.42	13775.00	9640.00	6932.00	3697.00
28.	पश्चिम बंगाल	136.65	0.00	0.00	15317.00	116.27	27.13	90783.00	31291.00	9756.00	1850.00
29.	अण्ड.निकोबार द्वीपसमूह	0.49	10.54	0.00	119.00	0.39	0.01	52.00	20.00	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	29.00	29.00
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.13	0.00	62.00	20.00	0.00
32.	दमन व द्वीप	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	7.00
33.	दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	40.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	लक्षद्वीप	0.33	0.00	0.00	0.00	0.34	0.10	22.00	20.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.16	0.00	0.00	24.00	0.76	0.21	428.00	108.00	0.00	0.00

एन.ए. : लागू नहीं होता।

इकाइयां

-जे.जी.एस.वाई. : सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस)

-एस.जी.एस.वाई : सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी (संख्या)

-ई.ए. : सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस)

-आई.ए.वाई : आवासीय इकाइयां (संख्या)

-एन.एफ.बी.एस : सहायता प्राप्त परिवार (संख्या)

वर्ष 2001-2001 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों और महिला लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा

क्र.	राज्य/संघ	एन.एम.बी.एस.		एन.ओ.ए.पी.एस.		अन्नपूर्णा		ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.		सी.आर.एस.पी.	
सं.	राज्य क्षेत्र	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	305021.00	305021.00	46601.00	149029.00	93200.00	0.00	3000.00	0.00	42840.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.00	40.00	1205.00	617.00	0.00	0.00	126.00	0.00	182.00	0.00
3.	असम	27085.00	27085.00	262719.00	135912.00	0.00	0.00	2826.00	0.00	1345.00	0.00
4.	बिहार	136085.00	136085.00	509938.00	89391.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	20928.00	20928.00	146519.00	61337.00	0.00	0.00	7294.00	0.00	एन.ए.	एन.ए.
6.	गोवा	21.00	21.00	2122.00	1187.00	0.00	0.00	8.00	0.00	11866.00	0.00
7.	गुजरात	14335.00	14335.00	68108.00	2997.00	0.00	0.00	995.00	0.00	35449.00	0.00
8.	हरियाणा	6088.00	6088.00	27021.00	1033.00	0.00	0.00	570.00	0.00	1340.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3434.00	3234.00	25250.00	11305.00	3426.00	0.00	2448.00	0.00	1334.00	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	5403.00	5403.00	33620.00	1094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	23152.00	23152.00	175437.00	53609.00	0.00	0.00	99.00	0.00	एन.ए.	एन.ए.
12.	कर्नाटक	30035.00	30035.00	258402.00	21985.00	0.00	0.00	5506.00	0.00	94104.00	0.00
13.	केरल	15144.00	15144.00	114698.00	0.00	44980.00	0.00	235.00	0.00	34429.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	93961.00	93961.00	429490.00	220107.00	0.00	0.00	8246.00	0.00	863.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	87225.00	87225.00	319144.00	13441.00	0.00	0.00	5608.00	0.00	1916.00	0.00
16.	मणिपुर	4571.00	4571.00	25972.00	5090.00	0.00	0.00	20.00	0.00	339.00	0.00
17.	मेघालय	4807.00	4807.00	18743.00	7810.00	0.00	0.00	340.00	0.00	653.00	0.00
18.	मिजोरम	2905.00	2905.00	10523.00	7087.00	1000.00	0.00	202.00	0.00	20.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	नागालैण्ड	4757.00	4757.00	18045.00	4394.00	2600.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	113094.00	113094.00	384174.00	183223.00	51176.00	0.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
21.	पंजाब	8197.00	8197.00	40283.00	22227.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	13513.00	13513.00	148815.00	0.00	53869.00	0.00	10254.00	0.00	27061.00	0.00
23.	सिक्किम	2721.00	2721.00	10104.00	4771.00	2411.00	0.00	130.00	0.00	856.00	0.00
24.	तमिलनाडु	129272.00	129272.00	2767095.00	298362.00	0.00	0.00	6617.00	0.00	52629.00	0.00
25.	त्रिपुरा	10300.00	10300.00	57912.00	27070.00	11480.00	0.00	995.00	0.00	10067.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	267957.00	267957.00	841340.00	297227.00	206870.00	0.00	3473.00	0.00	33149.00	0.00
27.	उत्तरांचल	10109.00	10109.00	50097.00	25779.00	12609.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	112107.00	112107.00	352016.00	67826.00	0.00	0.00	6317.00	0.00	272567.00	0.00
29.	अण्ड.निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	14.00	8.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	2532.00	1973.00	0.00	0.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
31.	दादर व नगर हवेली	180.00	180.00	895.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	4.00	0.00
32.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	229.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	23.00	16.00	0.00	0.00	3.00	0.00	एन.ए.	एन.ए.
35.	पांडिचेरी	438.00	438.00	4179.00	000	0.00	0.00	7.00	0.00	11.00	0.00

एन.ए. : लागू नहीं होता

इकाइयां

-एन.एम.बी.एस. : सहायता प्राप्त परिवार (संख्या)

-एन.ओ.ए.पी.एस. : सहायता प्राप्त व्यक्ति (संख्या)

-अन्नपूर्णा : लाभार्थियों की संख्या

-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. : कवर की गई बसावट (संख्या)

-सी.आर.एस.पी. : निर्मित स्वच्छ शौचालय (संख्या)

वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों और महिला लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जे.जी.एस वाई		एस.जी.एस.वाई.		ई.ए.एस.		आई.ए.आई.		एन.एफ.बी.एस	
		कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	87.10	30.21	69101.00	56997.00	42.71	0.00	42157.00	8899.00	31507.00	6454.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.51	0.80	436.00	150.00	3.98	1.33	2437.00	1049.00	54.00	29.00
3.	असम	1.93	0.00	7889.00	3266.00	3.95	0.54	16131.00	7006.00	7613.00	2811.00
4.	बिहार	156.17	36.84	121285.00	26222.00	88.16	20.59	97421.00	31282.00	3955.00	717.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	छत्तीसगढ़	48.63	16.99	14601.00	1728.00	175.54	64.71	12987.00	3235.00	5570.00	2432.00
6.	गोवा	0.57	0.25	977.00	569.00	0.08	0.02	300.00	191.00	22.00	22.00
7.	गुजरात	23.20	5.92	17822.00	4800.00	19.86	5.28	13416.00	4954.00	2007.00	1218.00
8.	हरियाणा	27.72	5.82	12616.00	6556.00	4.50	0.91	5669.00	3075.00	751.00	23.00
9.	हिमाचल प्रदेश	10.03	0.81	6987.00	3898.00	7.42	0.40	2102.00	854.00	545.00	306.00
10.	जम्मू व कश्मीर	6.78	0.00	10372.00	5974.00	7.58	0.00	4135.00	0.00	118.00	45.00
11.	झारखण्ड	42.06	11.32	38596.00	10273.00	31.82	12.27	23452.00	6295.00	2190.00	306.00
12.	कर्नाटक	84.36	26.37	24105.00	15066.00	69.52	22.11	30874.00	11686.00	1449.00	281.00
13.	केरल	12.94	4.60	14961.00	10070.00	11.02	3.24	13493.00	6401.00	1391.00	106.00
14.	मध्य प्रदेश	185.95	65.02	41967.00	11604.00	94.89	33.78	34202.00	10399.00	11981.00	6710.00
15.	महाराष्ट्र	134.76	45.61	48813.00	19971.00	88.24	32.09	42693.00	13891.00	2411.00	478.00
16.	मणिपुर	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7619.00	0.00
17.	मेघालय	7.05	0.31	8950.00	3339.00	0.48	0.14	1800.00	1079.00	500.00	26.00
18.	मिजोरम	1.52	0.59	2383.00	796.00	2.72	0.99	655.00	361.00	170.00	152.00
19.	नागालैण्ड	4.28	1.49	1056.00	683.00	4.00	0.88	4441.00	0.00	109.00	25.00
20.	उड़ीसा	120.94	33.91	36797.00	12130.00	92.47	24.77	101443.00	36972.00	7664.00	883.00
21.	पंजाब	6.21	0.22	5019.00	1745.00	3.75	0.11	5317.00	2574.00	254.00	0.00
22.	राजस्थान	62.59	22.10	27777.00	12071.00	37.10	15.46	24926.00	16684.00	2358.00	142.00
23.	सिक्किम	1.43	0.49	1233.00	234.00	2.10	0.69	1482.00	671.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	89.08	30.25	41211.00	38270.00	44.35	14.66	20794.00	10661.00	5814.00	2259.00
25.	त्रिपुरा	11.85	3.34	11566.00	5060.00	8.42	2.71	1879.00	0.00	317.00	253.00
26.	उत्तर प्रदेश	261.08	43.60	108985.00	23300.00	60.60	7.26	95950.00	50650.00	12645.00	5297.00
27.	उत्तरांचल	17.73	3.24	85548.00	29885.00	8.73	1.37	7642.00	5249.00	812.00	642.00
28.	पश्चिम बंगाल	65.21	0.35	9460.00	2695.00	40.15	9.13	49933.00	18304.00	4387.00	94.00
29.	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	16.03	2.73	462.00	127.00	0.05	0.00	84.00	17.00	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	77.00	20.00	9.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.21	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	11.00	8.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.05	0.00	259.00	29.00	0.06	0.00	132.00	50.00	44.00	0.00

इकाइयाँ

-जे.जी.एस.वाई : सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस)
-एस.जी.एस.वाई. : सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी (संख्या)
-ई.एस.एस. : सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस)
-आई.ए.एस. : सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस)
-एन.एफ.बी.एस. : सहायता प्राप्त परिवार (संख्या)

वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों और महिला लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एन.ओ.ए.पी.एस.		अन्नपूर्णा		ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.		सी.आर.एस.पी.	
		कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला	कुल उपलब्धि	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	466000.00	149119.00	93200.00	0.00	2560.00	0.00	47523.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1631.00	808.00	4442.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	280317.00	121142.00	26052.00	0.00	2746.00	0.00	751.00	0.00
4.	बिहार	445201.00	106733.00	166601.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	133727.00	57577.00	29740.00	0.00	3055.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	2480.00	1341.00	753.00	0.00	4.00	0.00	4912.00	0.00
7.	गुजरात	47110.00	20159.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	50769.00	3500.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	24490.00	10622.00	6373.00	0.00	1925.00	0.00	728.00	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	12025.00	470.00	10220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	156112.00	31652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	183265.00	13310.00	0.00	0.00	1633.00	0.00	62619.00	0.00
13.	केरल	91790.00	0.00	31859.00	0.00	247.00	0.00	10496.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	437387.00	228693.00	119800.00	0.00	2365.00	0.00	1811.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	387568.00	50359.00	229.00	0.00	2811.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मणिपुर	27475.00	1574.00	4831.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	30904.00	8749.00	0.00	0.00	11.00	0.00	17.00	0.00
18.	मिजोरम	10523.00	6245.00	2587.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	8106.00	2830.00	6787.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	464425.00	166719.00	64800.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	38618.00	19402.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	101030.00	0.00	61402.00	0.00	9016.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	10104.00	0.00	2411.00	0.00	104.00	0.00	318.00	0.00
24.	तमिलनाडु	314362.00	0.00	80000.00	0.00	5517.00	0.00	16488.00	0.00
25.	त्रिपुरा	59312.00	26985.00	11480.00	5623.00	260.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	886134.00	379699.00	344756.00	0.00	156.00	0.00	43517.00	0.00
27.	उत्तरांचल	43627.00	20022.00	10624.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	331343.00	49745.00	40237.00	0.00	6078.00	0.00	46205.00	0.00
29.	अण्ड.निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	23.00	17.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	2714.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	380.00	221.00	13.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व द्वीव	241.00	192.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	183.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	15.00	0.00	58.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	4180.00	0.00	23.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00

इकाइयां

-एन.ओ.ए.पी.एस. : सहायता प्राप्त व्यक्ति (संख्या)

-अन्नपूर्णा : लाभार्थियों की संख्या

-ए.आर.डब्ल्यू.ए.पी. : कवर की गई बसावट (संख्या)

-सी.आर.एस.पी. : निर्मित स्वच्छ शौचालय (संख्या)

[अनुवाद]

एस.वी.पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

1295. श्री राजैया मल्याला: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद स्थित एस.वी.पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में विदेशी पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान किए जा रहे ऐसे कार्य-कलापों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

बुनियादी व्यावसायिक प्रशिक्षण

वर्ष	देश	भागीदारों की संख्या
1999-2000	फलीस्तीनी	3
2000-2001	मालदीवी	2
	फलीस्तीनी	5
2001-2002	फलीस्तीनी	2

उपमहानिरीक्षक और उससे ऊपर के पदाधिकारियों हेतु सेवाकालीन पाठ्यक्रम।

वर्ष	देश	भागीदारों की संख्या
13 से 22 दिसम्बर, 1999	नेपाल	1

भारत-ओमान उर्वरक परियोजना

1296. श्री अनन्त नायक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-ओमान उर्वरक परियोजना के 'यूरिया ऑफसेट एग्रीमेंट' (यू.ओ.टी.ए.) तथा यू.ओ.टी.ए. प्रत्यक्ष समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उर्वरक-संयंत्र का अधिष्ठापन कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, हां।

(ख) ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कम्पनी (ओ एम आई एफ सी ओ) तथा भारत सरकार के बीच यूरिया खरीद अनुबंध (यू.ओ.टी.ए.) और ओ.एम.आई.एफ.सी.ओ. भारत सरकार और परियोजना के ऋणदाताओं के बीच यू.ओ.टी.टी.ए. प्रत्यक्ष अनुबन्ध ओ.एम.आई.एफ.सी.ओ. द्वारा उत्पादित यूरिया को पूर्व निर्धारित दीर्घावधि मूल्यों पर 15 वर्ष तक खरीदने की भारत सरकार की वचनबद्धता से सम्बन्धित हैं।

(ग) और (घ) अधिकांश परियोजना सम्बद्ध अनुबन्धों पर सम्बन्धित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं और परियोजना का निर्माण कार्य 15 अगस्त, 2002 तक शुरू होने की आशा है तथा इसके 35 माह पश्चात् संयंत्र का प्रारम्भण निर्धारित है।

काली सूची में डाले गये पूर्वोत्तर के गैर-सरकारी संगठन

1297. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्यवार ऐसे कितने गैर-सरकारी संगठन हैं, जिन्हें सरकार द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है;

(ख) इन्हें काली सूची में डाल देने के क्या कारण हैं;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में रखने के लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं और ऐसे मामलों का फैसला किसके द्वारा किया जाता है; और

(घ) काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत किसी भी गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में नहीं डाला है। तथापि, दिसम्बर, 2000 में गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह अनुदेश जारी किए थे कि मणिपुर के गैर-सरकारी संगठनों को निधियों के और आवंटन को तब तक निलंबित रखें जब तक कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निधियों के उपयोग का पूर्णतया व्यक्तिगत रूप से सत्यापन नहीं कर लिया जाता। गृह मंत्रालय ने फरवरी, 2001 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट किया था कि अगर सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि

निधियों का उपयोग ठीक प्रकार से हुआ है तो, केन्द्रीय मंत्रालय/ केन्द्रीय एजेन्सियां अनुमोदित योजनाओं के अनुसार आगे निधियां जारी कर सकती हैं। इसलिए, ऐसे वास्तविक गैर-सरकारी संगठन, जो निधियों का ठीक से उपयोग करते हुए पाये गये हैं, मंत्रालयों से और निधियां पाने के पात्र हैं। यदि निधियों का उपयोग न किया गया हो, अथवा दुरुपयोग किया गया हो, तो केन्द्रीय मंत्रालय/ एजेन्सियां, गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाले और कानून के अनुसार आगे कार्रवाई करें।

मध्य प्रदेश में 'यूनिसेफ' की सहायता वाली परियोजना

1298. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में 'यूनिसेफ' से सहायता प्राप्त किसी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार, इस परियोजना पर कितना काम हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) भारत सरकार-यूनीसेफ कार्यक्रम 1999-2002 अवधि हेतु वृहत् कार्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है:

बच्चों का वातावरण: चिकित्सा कर्मियों को अतिसार रोग प्रबन्धन का प्रशिक्षण तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाले अतिसार रोग का भागीदारी परक प्रबोधक; विद्यालय में स्वच्छता तथा उत्तम स्वास्थ्यकारी आदतों के विकास में सामुदायिक भागीदारी का संवर्द्धन; सामुदायिक स्तर पर सुकर उपलब्धता हेतु ग्रामीण स्वच्छता बाजार तंत्र का सुदृढ़ीकरण; ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु विकल्पों का संवर्द्धन; जल आपूर्ति सुविधाओं के समुदाय आधारित प्रबंधन तथा स्वच्छ पानी के प्रबंधन हेतु क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

प्राथमिक शिक्षा: अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की भागीदारी से सामुदायिक भागीदारी तथा विद्यालय सुधारों के माध्यम से जनशाला कार्यक्रम का संवर्द्धन; सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा हेतु सहायता; अध्यापन एवं पठन सामग्री सहित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

सूखे के मुकाबले की तैयारी: जल प्रबंधन संरचनाओं के निर्माण हेतु सहायता।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य: सीमांत जिला समूह कार्यनीति के अंतर्गत उन स्वास्थ्य केन्द्रों के पुनरुज्जीवन, नेमी टीकाकरण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण तथा आपात प्रासविक देखभाल और स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना; पोलियों के पूर्ण उन्मूलन तथा प्रसवोत्तर टेटनस की समाप्ति की दिशा में कार्य करना; टीकाकरण अभियानों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में खसरे के मामलों को नियंत्रित करना; सुरक्षित मातृत्व हेतु दाइयों को सुरक्षित प्रसव कराने का प्रशिक्षण।

पोषाहार: संदर्भ एवं वजन प्रबोधन तंत्र के सुदृढ़ीकरण और सेवा में सुधार हेतु अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता विकास द्वारा कुपोषण की दरों में कमी लाने में सहायता करना; आयरन फोलिक एसिड की उपलब्धता सुनिश्चित करके विद्यालयों तथा आंगवाड़ियों में किशोरी लड़कियों में पोषाहारीय रक्ताल्पता में कमी लाना; अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण तथा प्रबोधन तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना; महिलाओं एवं बच्चों में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को प्रारंभ में ही अभिज्ञात करके इन रोगों के उन्मूलन हेतु सहायता तथा जागरूकता विकास हेतु संचार पैकेजों का वितरण।

विश्व बाल सम्मेलन

1299. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि भारत ने किसी बाल सुरक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल करने के लिए 1990 में हुए विश्व बाल सम्मेलन में तय किए गए उद्देश्यों के प्रति कटिबद्धता जाहिर की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण कम करने का भी निश्चय किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) बच्चों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) 1990 में आयोजित विश्व बाल शिखर सम्मेलन में एक घोषणा-पत्र को अंगीकार किया गया था, जिसमें बच्चों की उत्तर-जीविता, वृद्धि और विकास के लक्ष्य शामिल थे।

(ख) जी, हाँ।

(ग) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजनी बच्चों

का प्रतिशत 53.4 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-1, 1992-93) से घटकर 47 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2, 1998-99) हो गया है।

(घ) अनेक मंत्रालय और विभाग बच्चों के कल्याण और विकास के विभिन्न कार्यक्रम और स्कीमें चला रहे हैं। कुछ कार्यक्रम और स्कीमें हैं: समेकित बाल विकास सेवा; बालिका समृद्धि योजना; प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम; निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम; किशोर अपराध न्याय हेतु समेकित कार्यक्रम; बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम, आदि।

कोकराझार में विस्थापित व्यक्तियों को सहायता

1300. श्री एम.के. सुब्बा: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने 1996 और 1998 के दौरान वहां के कोकराझार जिले में हुए जातीय दंगों के कारण बेघरबार हो गये लोगों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की गुजारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार कोकराझार शिविरों में रह रहे शरणार्थी परिवारों को आनुग्रहिक राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने के लिए असम सरकार को अपेक्षित निधियां जारी करती रही है।

इस प्रयोजनार्थ, केन्द्र सरकार ने 1996-97 से 2001-2002 तक की अवधि के दौरान असम सरकार को 103.29 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में निरर्थक व्यय

1301. श्री अमर राय प्रधान: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरकारी विभागों में निरर्थक व्यय को कम से कम रखने के लिए कदम उठाए हैं और यह पाया है कि विभिन्न सरकारी विभागों के कतिपय क्षेत्रकों में निरर्थक व्यय की मात्रा अत्यधिक है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत उक्त प्रयोजनार्थ शिनाख्तशुदा क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और (31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान किसी मात्रा में निरर्थक व्यय होना पाया गया है; और

(ग) ऐसे निरर्थक व्यय को कम करने/रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा अभी तक क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के लिए प्लान खर्च निश्चित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इन दिशानिर्देशों में अनुदानों के रिलीज और अन्य खर्च के संबंध में मानदंड और शर्त निर्धारित हैं।

प्लान के अंतर्गत आने वाले व्यय प्रस्तावों को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुमोदित किया जाता है जबकि नॉन-प्लान के अंतर्गत व्यय का विनियमन समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययिता संबंधी निर्देशों से होता है। पिछले तीन वर्ष में नॉन प्लान से संबंधित व्यय प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस का विनिवेश

1302. श्री टी. गोविन्दन: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अभी भी इंडियन एअरलाइंस और एअर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को जारी रखे हुए है, हालांकि इनके शेयरों को बेचने का प्रथम प्रयास पूरा नहीं हो सका था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस दोनों में विनिवेश की प्रक्रिया, अन्तर-मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से किसी उपयुक्त समय पर पुन: आरम्भ की जा सकती है।

'अनिवासी भारतीय योजना' के अन्तर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

1303. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'अनिवासी भारतीय योजना' के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मापदंडों को परिवर्तित और पुन: परिभाषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नये नियमों से वर्ष 2002-2003 के दौरान अनिवासी भारतीयों के प्रवेश लेने पर असर पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों ने इन नियमों का विरोध किया है;

(ङ) क्या इन पाठ्क्रमों में विदेशी छात्र/छात्राओं के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार का अनिवासी भारतीयों के लिए नये नियमों में कुछ छूट देने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (छ) सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में अप्रवासी भारतीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदंडों में न तो कोई परिवर्तन किया है और न ही उन्हें पुन: परिभाषित किया है। तथापि, तकनीकी संस्थाओं के संबंध में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने अप्रैल, 2002 में अप्रवासी भारतीयों/विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के लोगों के निमित्त कोटे के अन्तर्गत प्रवेश के संबंध में अपनायी जाने वाली कार्यविधियों के ब्यौरे को समेकित करते हुए एक विनियम अधिसूचित किया है। तकनीकी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रवेश देने हेतु अनुमोदित दाखिला क्षमता के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों का प्रावधान पहले ही कर दिया गया है।

[हिन्दी]

शिक्षा परियोजनाओं को अनुदान

1304. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सरकार के कितने शिक्षा-प्रस्ताव और शिक्षा परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) इन पर निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है;

(ग) राज्य सरकार को विभिन्न शिक्षा-परियोजनाओं हेतु कितनी अनुदान-राशि दी गई है तथा इन परियोजनाओं के नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार इस अनुदान के उपयोग की निगरानी करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मितव्ययिता-उपाय

1305. श्री रामदास आठवले: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में विभिन्न शीर्षों पर कितनी राशि का व्यय किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, मनोरंजन, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, देश-विदेश में यात्राओं, एस.टी.डी./आई.एस.टी.डी. कॉलों तथा विद्युत के खर्चे-विशेषकर एअरकंडीशनर तथा कूलर आदि और अन्य ऐसे खर्चे को कम करने के लिए कोई मितव्ययिता उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा सचिवालय बजट के तहत विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए खर्च की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) व्यय को नियंत्रित करने के लिए मितव्यय के उपायों की सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इन मितव्ययिता उपायों को यथा संभव गृह मंत्रालय द्वारा भी कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	वस्तु शीर्ष	खर्च की गई धन राशि		
		1999-2000	2000-01	2001-02 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	वेतन	3052.75	3267.58	3346.28
2.	मजदूरी	73.12	73.68	138.83

1	2	3	4	5
3.	समयोपरि भत्ता	48.71	47.09	49.74
4.	घरेलू यात्रा व्यय	101.31	88.89	105.26
5.	विदेश यात्रा व्यय	29.97	43.25	47.45
6.	कार्यालय व्यय	1005.44	1120.31	1206.50
7.	किराया, दरें व कर	251.12	68.68	68.55
8.	प्रकाशन	11.49	62.46	25.43
9.	अन्य प्रशासनिक व्यय	43.82	42.18	57.07
10.	विज्ञापन एवं प्रचार	–	–	–
11.	लघु कार्य	120.95	109.35	128.08
12.	व्यावसायिक सेवाएं:			
	दत्तमत	22.74	34.57	43.66
	प्रभारित	0.04	–	–
13.	अनुदान सहायता	0.73	0.35	0.43
14.	अन्य प्रभार:			
	दत्तमत	616.24	825.25	895.81
	प्रभारित	2.76	0.29	0.14
15.	मशीनरी एवं उपकरण	21.97	7.56	7.55
	योग: दत्तमत	5400.36	5791.20	6120.64
	प्रभारित	2.80	0.29	0.14
	कुल योग	5403.16	5791.49	6120.78

विद्यालयों का समय

1306. श्री जय प्रकाश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का, भारत में मौसम की स्थिति के अनुकूल, विद्यालयों के समय में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) शिक्षा समवर्ती सूची में है और विद्यालय शिक्षा बुनियादी रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का दायित्व है। विद्यालयों का समय तय करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति जैसी अन्य विद्यालय प्रणालियों के अधिकार क्षेत्र में है।

एन.सी.एल. सिंगरौली में पी. एण्ड. एच. शावेल मशीन का क्षतिग्रस्त होना

1307. डॉ. बलिराम: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड" सिंगरौली की "जयंत" परियोजना में लगी पी. एण्ड. एच. शावेल मशीन, जिसकी कीमत 8 करोड़ रु. है, अगस्त, 2001 में ओ.बी. फालिंग की

वजह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अभी तक उसे प्रचालन में नहीं लाया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त मशीन की मरम्मत में कितना खर्च हुआ;

(घ) आज की स्थिति में, इस शावेल मशीन के क्षतिग्रस्त होने की वजह से उत्पादन पर कितना असर पड़ा है;

(ङ) क्या "जयंत" परियोजना द्वारा "ओ.बी." का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) यह सच नहीं है कि जयंत परियोजना का पी.एण्ड एच. शावेल ऊपरी मलबे (ओ.बी.) के खिसकने से पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गया था। 25 अगस्त, 2001 को ओ.बी. के अचानक खिसने की एक घटना हुई थी जब पी.एण्ड एच. शावेल सं. 8 एक पहाड़ी के निकट प्रचालनरत था जिसमें एक दरार छुपी हुई थी (जिसका नियमित खान निरीक्षण के दौरान पता नहीं लगाया जा सका)। शावेल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और इसे घटना के तीसरे दिन मरम्मत/पुन: चालू करने के लिए बाहर निकाला गया था। इस मॉडल के शावेल का वर्तमान मूल्य लगभग 16 करोड़ रु. है। शावेल का मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

(ग) प्रचालक केबिन, मशीन हाउस, प्लैनम चैम्बर असेम्बली, राइट हैंड काउन्टर वेट बाक्स, हैच कवर, सेन्टर बाक्स आदि की मरम्मत तथा फिटमैन्ट के लिए मरम्मत का कार्य 20.8 लाख रु. की लागत पर मूल उपकरण विनिर्माता (ओ.ई.एम.) के भारतीय प्रतिनिधि, मेसर्स वोल्टास लिमिटेड को दिया गया है। पुन: चालू करने के लिए आवश्यक कलपुर्जों की खरीद का आर्डर ओ.ई.एम. को 26810664.00 रु. (शुल्क सहित) पर दिया गया है।

(घ) दुर्घटना की तिथि से 30.6.2002 तक इस शावेल की अनुपलब्धता के कारण ओ.बी. उत्पादन पर अनुमानित प्रभार लगभग 0.627 मिलियन क्यूबिक मीटर का पड़ा है।

(ङ) और (च) वर्ष 2001-2002 हेतु जयंत परियोजना के लिए ओ.बी. उत्पादन लक्ष्य 28.50 मिलियन क्यूबिक मीटर है। प्राप्त किया गया वास्तविक ओ.बी. उत्पादन 27.6 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

[अनुवाद]

ट्रकों द्वारा वायु प्रदूषण

1308. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 6 दिसम्बर, 2001 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद उच्च सल्फर युक्त डीजल वाली करीब 60,000 ट्रक अब भी प्रतिदिन दिल्ली से होकर गुजरते हैं जिससे भारी वायु प्रदूषण होता है, हालांकि न्यायालय ने इसके लिए 15 जनवरी, 2002 की समय सीमा तय की थी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं कि ऐसे ट्रक जिनका गन्तव्य स्थल दिल्ली न हो, उन्हें दिल्ली से गुजरने की अनुमति न दी जाये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 के आदेश के तहत पुलिस आयुक्त, दिल्ली को एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया जिससे अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले माल वाहन, जिनका गंतव्य स्थान दिल्ली नहीं है, दिल्ली से होकर न गुजरें और दिल्ली के अंदर मात्र उन्हीं माल वाहनों को चलने की अनुमति दी जाए जो दिल्ली माल लाने अथवा ले जाने के लिए चुंगी/पथकर का भुगतान करते हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन में दिल्ली पुलिस के सामने आ रही समस्याएं हैं : (1) विकल्प मार्ग बनाई जाने वाली सड़कों का अभाव जहां से इस बड़े यातायात को मोड़ा जा सके; (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रवेश बिन्दुओं पर नॉन डिस्टाइन माल वाहनों को "यू" मोड़ की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त ज्यामितीय जंक्शन; (3) यदि शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक माल वाहन को रोंके और उसकी जांच करें तो प्रवेश बिन्दुओं पर बड़ा यातायात जाम होने की संभावना हो सकती है।

दिल्ली पुलिस मूलभूत संरचना के उन्नयन और संभारिकी सहायता के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ सम्पर्क में हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके द्वारा न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन में अनुभव की जा रही कठिनाईयों से माननीय उच्चतम न्यायालय को भी अवगत कराया है।

जहां तक हाई सल्फर डीजल से चलने वाले ट्रकों से होने वाले प्रदूषण का संबंध है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का

यातायात विभाग नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सड़कों पर चलने वाले सभी मोटर वाहन, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और उत्सर्जन मानकों के संबंध में इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करते हैं।

जम्मू और कश्मीर में विकास कार्य

1309. श्री विनय कुमार सोराके: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में चल रही उग्रवादी/आतंकवादी गतिविधियों के कारण राज्य में रेल, विद्युत और राजमार्ग क्षेत्रों में विकास कार्य अत्यधिक विलंबित हो गये हैं जिससे लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में विकासात्मक परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) कारगिल क्षेत्र में दीर्घावधि विकास और क्षतिग्रस्त आधार संरचना को पुन: बहाल/ठीक करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में जारी आतंकवादी गतिविधियों के कारण राज्य में विभिन्न विकास कार्यों में विलम्ब और उनकी लागत में बढ़ोत्तरी हुई है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के बारे में सभी सुरक्षा पहलुओं की राज्य में एकीकृत मुख्यालय और आपरेशनल ग्रुप और आसूचना ग्रुपों में, विभिन्न स्तरों पर और भारत सरकार में पुनरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर में विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, विभिन्न जारी परियोजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। बेहतर समन्वय और सुधारात्मक कार्रवाई जहां कहीं आवश्यक हो, सुनिश्चित करने हेतु परियोजनाओं के गहन प्रबोधन के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों और राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उप-ग्रुप भी बनाए गए हैं।

(ग) करगिल क्षेत्र में, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध किए गए 3 करोड़ रु. की लागत से क्षतिग्रस्त मूल-संरचनाओं अर्थात स्कूल सरकारी इमारतों, पुलों, सड़कों, बिजली की लाईनों इत्यादि को बहाल किया गया है। राज्य सरकार ने कारगिल के लिए तीन-वर्षीय विकास योजना तैयार की है। योजना आयोग ने वर्ष 2001-02 के लिए 2050 करोड़ रु. के राज्य वार्षिक योजना परिव्यय के तहत अतिरित केन्द्रीय सहायता के रूप में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 6 करोड़ रु. की धन राशि आवंटित की है।

[हिन्दी]

एम.सी.सी. की गतिविधियां

1310. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड में एम.सी.सी. कार्यकर्त्ताओं द्वारा जन प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों के अपहरण और जनअदालत आयोजित करने के बाद उन्हें छोड़ने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) झारखंड सरकार ने सूचित किया है कि श्री लोकनाथ महत्तो, विधान सभा के सदस्य, मो. काजमी, जिला व अधिकारी, जिनके साथ वन विभाग के अनेक अधिकारी थे, 16.5.2002 को कोटीनला चैक डैम के पर्यवेक्षण और हजारी बाग के केरीदारी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गाँव-बुन्दू में एक कालोनी का उद्घाटन करने गए। चैक डैम के पर्यवेक्षण के बाद वापस लौटते समय, एम.सी.सी. के कार्यकर्त्ताओं के एक ग्रुप द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया और उनसे विकास कार्यों के कार्यान्वयन में लापरवाही और गैर-कानूनी कमीशन लेने के बारे में पूछा। लगभग पांच घंटे बाद, उन्हें उनके गन्तव्य स्थान को जाने की अनुमति दी गई।

(ग) झारखंड की सरकार ने राज्य में सभी संबंधित प्राधिकारियों को अधिक सर्तक रहने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

केन्द्र सरकार भी राज्यों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखती है और इस प्रकार के मुद्दों को उच्च स्तरीय समन्वय केन्द्र की बैठकों में उठाया जाता है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव और अनेक प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सदस्य होते हैं।

सी.पी.एम.एल. पीपुल्स वार (पी.डब्ल्यू.) और माओवादी कम्यूनिट सेन्टर (एम.सी.सी.) और उनके फारमेशनों और अग्रणी संगठनों को आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के उपबन्धों के अन्तर्गत आतंकवादी संगठन अधिसूचित किया गया है ताकि राज्य प्रभावी कार्रवाई कर सके।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय स्थानीय निकाय कामगार परिसंघ से प्राप्त ज्ञापन

1311. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय स्थानीय निकाय कामगार परिसंघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उठाई गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मांगों पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हाँ।

(ख) ऑल इंडिया लोकल बाडीज बर्कमैन्स फेडरेशन ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित मांगे उठाई हैं:-

1. स्थानीय निकायों का निजीकरण, ठेकेदारी और कार्यों की अनियमितता को रोका जाए।
2. शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाए तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से समर्थ बनाने के लिए, अपने बजट से पर्याप्त धन आबंटित करें।
3. राज्य सरकारों द्वारा भी स्थानीय निकायों को उनकी कार्य प्रणाली के दक्ष संचालन के लिए पर्याप्त धन दिया जाए तथा उन्हें आबंटित धन का यथोचित व पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
4. पदों के सृजन और भर्ती पर लगी रोक हटायी जाए।
5. कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किया जाए।
6. मानव द्वारा मैला उठाने के घृणित पुश्तैनी धन्धे पर तत्काल रोक लगायी जाए।
7. स्थानीय काम के कामगारों के वेतन और अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान किये जाएं, जिसमें पेंशन और अन्य सेवान्त (टर्मिनल) लाभों की समानता भी शामिल है।
8. 1998 की विशेष अनुमति याचिका सं. 12797 में दिनांक 8.3.2000 को उच्चतम न्यायालय के दिये गये निर्णय के अनुसरण में सभी स्त्री कार्मिकों को मातृत्व लाभ दिया जाए।
9. कामगारों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की राशि संबंधित कार्यालय में शीघ्र जमा की जाए।
10. जहां चुंगी कर खत्म कर दिया गया है वहां स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाए।
11. पेंशन सुविधाओं में कटौती को रोका जाए।
12. सभी कामगारों को बिना किसी प्रतिबंध के बोनस दिया जाए।
13. श्रम कानूनों में कामगार विरोधी संशोधनों पर रोक लगायी जाए।

(ग) चूंकि फेडरेशन द्वारा उठाई गई ये मांगें राज्य सरकार के दायरे में आती हैं, अत: राज्य सरकारों से आवश्यक कार्रवाई किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

विज्ञान संस्थाओं की स्थिति

1312. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री सुबोध राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में देश के विज्ञान संस्थानों के बारे में चिंता जताई गई है क्योंकि आज कल विज्ञान में बहुत कम युवाओं की रुचि के कारण ये संस्थान पर्याप्त जनशक्ति आकर्षित करने में विफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को आकृष्ट करने तथा जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सरकार द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संचालन समिति ने

स्वीकार किया है कि प्रतिभाशाली छात्र सामान्यत: विज्ञान के क्षेत्र में सेवा प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि वे इसे कैरियर के रूप में लाभप्रद और सन्तोषप्रद नहीं पाते हैं। भारत में विज्ञान ने बुनियादी अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास दोनों में विशेषकर परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि, जैव-प्रौद्योगिकी, औषध और भेषज संहिता, औद्योगिक उत्प्रेरक, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण सामग्रियों, चमड़ा प्रसंस्करण इत्यादि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है।

सरकार ने हमेशा से अनुसंधान और विकास के स्तरों में लगातार सुधार करने पर अत्यधिक बल दिया है और छात्रों को विज्ञान को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्सहित किया है। विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक प्रवृत्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं जैसे—राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, युवा वैज्ञानियों के लिए स्वर्ण जयन्ती शिक्षावृत्ति, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालों में प्रशिक्षण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए उत्तम अवसर, युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रैक कार्यक्रम, युवा छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए जैव-प्रौद्योगिकी शिक्षावृत्ति, विज्ञान में नेतृत्व करने के लिए युवा पर सी.एस.आई.आर. कार्यक्रम, नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों के साथ सम्पर्क करने के लिए विज्ञान के युवा छात्रों को अवसर देना, विजिटिंग शिक्षावृत्ति, ग्रीष्म स्कूल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षावृत्ति योजना, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के साथ छात्रों को सम्पर्क करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि। युवाओं में विज्ञान के प्रति रुझान उत्पन्न करने के लिए नवाचारी कार्यक्रम शुरू करने हेतु सरकार ''स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार योजना'' के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को भी सहयोग देती है।

पत्रकार को पूछताछ के लिए बुलाया जाना

1313. श्री पवन कुमार बंसल: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाइम पत्रिका के एशिया ब्यूरो प्रमुख को हाल ही में विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक पाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई भारत में उनके कार्य से संबंधित थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, दिल्ली ने श्री एलेक्स पैरी को उनके पास बहुप्रयोजनीय यात्रा दस्तावेज होने और भारत दौरे के उद्देश्य संबंधी पूछताछ हेतु बुलाया था।

(ग) और (घ) मामले की जांच चल रही है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

तिहाड़ जेल में कैदी

1314. श्री सुरेश कुरूप: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिहाड़ जेल, दिल्ली में कैदियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने सजायाफ्ता हैं;

(ग) कितने कैदियों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है;

(घ) क्या सरकार के पास कैदियों के मामलों की त्वरित सुनवाई के संबंध में कोई ठोस योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) 16 जुलाई, 2002 की स्थिति के अनुसार तिहाड़ जेल में 11,587 कैदी थे, जिनमें से 2433 दोषसिद्ध, 70 नजरबंदी और 9084 विचारणाधीन हैं।

(घ) और (ङ) भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सम्बोधित अपने 29 नवम्बर, 1999 के पत्र में सुझाव दिया था कि प्रत्येक चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या उस क्षेत्र का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्र में जिला जेल पड़ता है, मामूली अपराधों में संलिप्त विचारणाधीन कैदियों के मामलों की जेल में ही सुनवाई करने के लिए महीने में एक दो बार, अपना न्यायालय लगा सकते हैं। विचारणाधीन कैदियों, जो मामूली अपराधों में अपनी संलिप्ता को स्वीकार करते हैं, के मामलों की सुनवाई के लिए केन्द्रीय जेल, तिहाड़ परिसर में नियमित आधार पर विशेष न्याायालय लगाये जाते हैं।

जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना

1315. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में लगे सीमा सुरक्षा बल ने विशेष बुलडोजरों की आपूर्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा पार से, पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रही गोलीबारी के परिप्रेक्ष्य में खुदाई करने, समतल करने और मेड़ बनाने के लिए विशेष तरह के बुलडोजर जरूरी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सीमा पर कितनी दूरी में बाड़ लगाने का कार्य कर लिया गया है और कितनी दूरी में यह काम अभी किया जाना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सीमा सुरक्षा बल, सीमा पर बाड़ लगाने और संरक्षी बांधों का निर्माण करने के लिए ऊबड़-खाबड़ जमीन की खुदाई करने और उसे समतल बनाने के लिए विशेष प्रकार के उत्खनकों और बुलडोजरों का प्रयोग कर रहा है। उन उत्खनकों और बुलडोजरों को बुलेट प्रूफ बनाया जा रहा है, ताकि काम में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की ओर से अकारण और लगातार होने वाली फायरिंग से मजदूरों की रक्षा की जा सके।

जम्मू सेक्टर में कुल 180 किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में बाड़ लगाने का काम किया जाना है इसमें अब तक 30 किलोमीटर सीमा में बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है।

कपार्ट द्वारा धनराशि का आबंटन

1316. श्री जी.एस. बसवराज: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 में कपार्ट द्वारा वितरण के लिए राज्यवार और योजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या देश के कई हिस्सों विशेषकर कर्नाटक में सूखे की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए कपार्ट का विचार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपने आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महिरया): (क) कपार्ट राज्य-वार वितरण के लिए निधियों का आबंटन नहीं करता है। कपार्ट द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिए आंतरिक रूप से योजनावार और क्षेत्रीय समितिवार आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्षेत्रीय समितियों को योजना-वार बजट आबंटन

(राशि: लाख रु. में)

योजना का नाम	अहमदाबाद	भुवनेश्वर	चंडीगढ़	धारवाड़	गुवाहाटी	हैदराबाद	जयपुर	लखनऊ	पटना	कुल
पी.सी.	180.00	300.00	250.00	70.00	100.00	500.00	50.00	300.00	500.00	2250.00
ओ.बी.	20.00	10.00	30.00	50.00	20.00	60.00	20.00	40.00	50.00	300.00
आर्टस	45.00	55.00	160.00	50.00	50.00	50.00	20.00	70.00	50.00	550.00
जी.एस. मेला	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00
प्रशासनिक खर्च	25.00	25.00	30.00	20.00	20.00	30.00	20.00	30.00	40.00	240.00
कुल	280.00	400.00	480.00	200.00	200.00	650.00	120.00	450.00	650.00	3430.00

[हिन्दी]

बाढ़ राहत हेतु बिहार को धनराशि का आवंटन

1317. श्री राजो सिंह: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बाढ़ राहत सहायता हेतु बिहार सरकार को अब तक आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रयुक्त और अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को रिलीज की गई आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) का केन्द्रीय हिस्सा वर्ष 1999-2000 के दौरान 33.79 करोड़ रुपये, 2000-01 में 50.22 करोड़ रुपये और 2001-02 में 26.365 करोड़ रुपये था। इस राज्य को 1999-2000 के दौरान 35.18 करोड़ रुपये और 2000-01 के दौरान 29.67 करोड़ रुपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी जारी की गई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान निधियों के केन्द्रीय हिस्से और एन.सी.सी.एफ. से जारी 29.67 करोड़ रुपये के मिलने सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और इसके परिणामस्वरूप 2001-02 के लिए केन्द्रीय आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंशदान की द्वितीय किस्त, आपदा राहत निधि योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार जारी नहीं की गई।

[अनुवाद]

एन.सी.एल. में कार्यरत अधिकारी

1318. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारी एक ही परियोजना में 10 या 15 वर्षों से अधिक समय तक कार्य करते हैं, जिससे निहित स्वार्थ पैदा होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन.सी.एल. की परियोजनाओं में जनशक्ति की तैनाती को तर्कसंगत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) यद्यपि, यह एक तथ्य है कि एन.सी.एल. के कुछ अधिकारी एक ही परियोजना में पिछले 10 से 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है कि इनके कारण किसी प्रकार का निहित स्वार्थ बढ़ा है।

(ख) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत कुल 1438 अधिकारियों में से 236 अधिकारी ऐसे हैं जो 10 वर्षों से अधिक समय से एक परियोजना में तैनात हैं और 5 अधिकारी 15 वर्षों से अधिक समय से एक परियोजना में तैनात हैं।

(ग) परियोजना में जनशक्ति का नियोजन कंपनी की स्थानान्तरण नीति के अनुसार विनियमित किया जा रहा है।

कोयले का उत्पादन/मांग/खपत

1319. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयले का श्रेणीवार और कंपनीवार उत्पादन और मांग क्या थी तथा कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों के कोयले में राख की मात्रा कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोयले का श्रेणीवार भंडार और उत्पादन कितना था; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी समेत प्रत्येक कंपनी के थोक उपभोक्ताओं के नाम क्या हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोयले की मांग को ग्रेड-वार तथा सहायक कंपनी-वार आंकलित नहीं किया गया है। पिछले पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा आकलित कोयले की मांग निम्नानुसार है :-

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग
1997-98	323.38
1998-99	325.38
1999-00	311.83
2000-01	333.85
2001-02	354.29
2002-03	363.30

कोयला कंपनियों के कोयले का ग्रेड-वार तथा सहायक कंपनी-वार उत्पादन, कोयले के भंडार तथा विभिन्न ग्रेडों के कोयले में राख तत्वों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिया गया है।

(ग) विद्युत, सीमेंट, इस्पात तथा उर्वरक क्षेत्र कोयला कंपनियों के थोक उपभोक्ता हैं।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 के दौरान ग्रेड-वार और कंपनी-वार कोयले का उत्पादन

(मिलियन टन में)

	कोकिंग कोयले का उत्पादन							
कंपनियां	एस-1	एस-2	डब्ल्यू-1	डब्ल्यू-2	डब्ल्यू-3	डब्ल्यू-4	एससी-1	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएल	–	–	–	0.049	0.042	0.117	0.090	0.298
बीसीसीएल	0.255	0.488	1.305	2.080	4.970	15.220	–	24.318
सीसीएल	–	–	0.005	0.948	5.311	5.966	–	12.230
डब्ल्यूसीएल	–	–	–	0.737	–	–	–	0.737
एसईसीएल	–	–	–	–	–	0.294	0.179	0.473
एनसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
एमसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
एनईसी	–	–	–	–	–	–	–	0.000
सीआईएल	0.255	0.488	1.310	3.814	10.323	21.597	0.269	38.056
एससीसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
जेकेएमएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
डीवीसी	–	–	–	–	–	–	–	0.000
बीएसएमडीसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
इस्को	–	0.50	–	–	0.214	0.298	–	0.562
टिस्को	–	0.117	–	0.698	0.291	4.119	–	5.225
बीईसीएमएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
भारत	0.255	0.655	1.310	4.512	10.828	26.014	0.269	43.843

	नॉन-कोकिंग कोयले का उत्पादन										
कंपनियां	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एसएल वीएफ	अवर्गीकृत	जोड़	कुल जोड़
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ईसीएल	1.040	10.222	4.872	1.018	0.851	9.138	–	–	–	27.141	27.439
बीसीसीएल	0.001	0.146	2.843	3.311	–	–	–	0.300	–	6.601	30.919

1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
सीसीएल	0.200	1.578	1.387	1.203	14.554	1.805	–	–	0.145	20.872	33.102
डब्ल्यूसीएल	0.159	2.051	8.296	18.935	1.771	0.563	–	–	–	31.775	32.512
एसईसीएल	1.737	9.113	7.933	3.840	0.462	33.074	–	–	–	56.159	56.632
एनसीएल	–	–	16.653	4.244	16.664	–	–	–	–	37.561	57.561
एमसीएल	0.126	0.219	0.929	1.665	0.837	38.386	–	–	–	41.162	41.162
एनईसी	0.426	0.074	–	–	–	–	–	–	0.187	0.687	0.687
सीआईएल	3.689	23.403	42.913	34.216	35.139	82.996	0.000	0.300	0.332	222.958	261.014
एससीएल	–	0.159	6.432	9.422	6.916	5.679	0.333	–	–	28.941	28.941
जेकेएमएल	–	–	–	–	–	–	–	–	0.005	0.005	0.005
डीवीसी	–	–	–	–	0.360	–	–	–	–	0.360	0.360
बीएसएमडीसीएल	–	–	–	–	–	0.197	–	–	–	0.197	0.197
इस्को	–	0.031	–	–	–	–	–	–	0.125	0.156	0.718
टिस्को	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.000	5.225
बीईसीएमएल	–	–	0.709	–	–	–	–	–	–	0.709	0.709
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	3.234	3.234	3.234
भारत	3.689	23.593	50.054	43.638	42.415	88.842	0.333	0.300	3.696	256.560	300.403

वर्ष 1998-99 के दौरान ग्रेड-वार और कंपनी-वार कोयले का उत्पादन

(मिलियन टन में)

	कोकिंग कोयले का उत्पादन							
कंपनियां	एस-1	एस-2	डब्ल्यू-1	डब्ल्यू-2	डब्ल्यू-3	डब्ल्यू-4	एससी-1	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएल	0.000	0.000	0.000	0.020	0.109	0.078	0.076	0.283
बीसीसीएल	0.269	0.565	1.333	1.675	4.753	13.104	0.000	21.699
सीसीएल	0.000	0.000	0.002	0.640	5.091	4.297	0.00	10.030
डब्ल्यूसीएल	0.000	0.000	0.000	0.654	0.000	0.000	0.000	0.654
एसईसीएल	0.170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.292	0.000	0.462
एनसीएल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एमसीएल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
एनईसी	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
सीआईएल	0.439	0.565	1.335	2.989	9.953	17.,771	0.076	33.128
एससीसीएल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
जेकेएमएल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
डीवीसी	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.367	0.000	0.367
बीएसएमडीसीएल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
इस्को	0.000	0.008	0.000	0.000	0.230	0.303	0.000	0.541
निजी	0.439	0.573	1.335	2.989	10.183	18.441	0.076	34.036
टिस्को	0.000	0.065	0.000	0.919	0.279	3.877	0.00	5.140
बीईसीएमएल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
जिन्दल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
निजी	0.000	0.065	0.000	0.919	0.279	3.877	0.000	5.140
भारत	0.439	0.638	1.335	3.908	10.462	22.318	0.076	39.176

कंपनियां	नॉन-कोकिंग कोयले का उत्पादन									कुल जोड़
	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एसएल वीएफ	अवर्गीकृत	
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ईसीएल	1.176	11.489	3.827	1.367	0.752	8.269	0.000	0.000	26.880	27.163
बीसीसीएल	0.002	0.000	2.662	2.400	0.083	0.000	0.329	0.000	5.476	27.175
सीसीएल	0.119	1.201	1.885	0.229	9.906	8.806	0.000	0.000	22.146	32.176
डब्ल्यूसीएल	0.000	1.191	3.168	14.684	11.535	0.513	0.000	0.000	31.091	31.745
एसईसीएल	1.812	8.880	8.508	3.530	0.292	34.078	0.000	0.000	57.100	57.562
एनसीएल	0.000	0.000	17.021	3.860	15.637	0.000	0.000	0.000	36.518	36.518
एमसीएल	0.009	0.297	0.322	2.179	1.274	39.431	0.000	0.000	43.512	43.512
एनईसी	0.557	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.637	0.637
सीआईएल	3.675	23.138	37.393	28.249	39.479	91.097	0.329	0.000	223.360	256.488
एससीसीएल	0.000	0.512	6.090	6.624	8.587	5.513	0.00	0.00	27.326	27.326

1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
जेकेएमएल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010
डीवीसी	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.367
बीएसएमडीसीएल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.194	0.000	0.000	0.194	0.194
इस्को	0.000	0.016	0.000	0.017	0.000	0.006	0.000	0.166	0.295	0.836
निजी	3.675	23.756	43.483	34.890	48.066	96.810	0.329	0.176	251.185	285.221
टिस्को	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.080	0.000	0.010	0.080	5.220
बीईसीएमएल	0.000	0.000	1.792	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.792	1.792
जिन्दल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	0.037
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	4.238	4.238	4.238
निजी	0.000	0.000	1.792	0.000	0.000	0.117	0.000	4.238	6.147	11.287
भारत	3.675	23.756	45.275	34.890	48.066	96.927	0.329	4.414	257.332	296.508

वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रेड-वार और कंपनी-वार कोयले का उत्पादन

(मिलियन टन में)

	कोकिंग कोयले का उत्पादन							
कंपनियां	इस्पात-1	इस्पात-2	एस.सी.-1	डब्ल्यू-1	डब्ल्यू-2	डब्ल्यू-3	डब्ल्यू-4	कुल कोकिंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएल	0	0	0.064	0	0.002	0.103	0.063	0.232
बीसीसीएल	0.224	0.462	0	1.357	1.935	4.682	7.962	16.622
सीसीएल	0	0	0	0	0.333	3.895	4.757	8.985
एसईसीएल	0	0	0.145	0	0	0	0.333	0.478
डब्ल्यूसीएल	0	0	0	0	0.632	0	0	0.632
एनसीएल	0	0	0	0	0	0	0	0
एमसीएल	0	0	0	0	0	0	0	0
एनईसी	0	0	0	0	0	0	0	0
सीआईएल	0.224	0.462	0.209	1.357	2.902	8.680	13.115	26.949
एससीसीएल	0	0	0	0	0	0	0	0
बीएसएमडीसीएल	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
डीवीसी	0	0	0	0	0	0	0.371	0.371
जेकेएमएल	0	0	0	0	0	0	0	0
इस्को	0	0.019	0	0	0	0.189	0.299	0.507
बीईसीएमएल	0	0	0	0	0	0	0	0
जेएसपीएल	0	0	0	0	0	0	0	0
टिस्को	0	0.08	0	0	1.049	0.215	3.812	5.156
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
समग्र भारत	0.224	0.561	0.209	1.357	3.951	9.084	17.597	32.983

	नॉन-कोकिंग कोयले का उत्पादन								कुल	कुल
कंपनियां	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	एस.एल.बी	अवर्गीकृत	नान-कोकिंग	कोयला
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ईसीएल	1.146	10.524	3.165	1.381	0.606	8.070	0	0	24.892	25.124
बीसीसीएल	0.001	0.099	2.772	6.377	1.693	0.034	0.298	0	11.274	27.896
सीसीएल	0.196	0.846	1.772	0.208	10.467	9.928	0	0	23.417	32.402
एसईसीएल	1.665	7.772	9.419	3.653	0	35.673	0	0	58.272	58.75
डब्ल्यूसीएल	0	0.863	3.266	16.025	12.538	0.536	0	0	33.228	33.86
एनसीएल	0	0	18	3.306	17.122	0	0	0	38.428	38.428
एमसीएल	0	0.272	0.339	1.804	2.595	38.544	0	0	43.554	43.554
एनईसी	0.551	0.021	0	0	0	0	0	0	0.572	0.572
सीआईएल	3.559	20.397	38.733	32.754	45.021	92.875	0.298	0	233.637	260.586
एससीसीएल	0	0.441	6.703	6.667	11.135	4.610	0	0	29.556	29.556
बीएसएमडीसीएल	0	0	0	0	0	0.286	0	0	0.286	0.286
डीवीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.371
जेकेएमएल	0	0	0	0	0	0	0	0.028	0.028	0.028
इस्को	0.258	0	0	0	0	0.011	0	0.258	0.527	1.034
बीईसीएमएल	0	0	2.165	0	0	0	0	0	2.165	2.165
जेएसपीएल	0	0	0	0	0	0.781	0	0	0.781	0.781

1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
टिस्को	0	0	0	0	0	0.008	0	0	0.080	5.236
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	4.06	4.060	4.06
समग्र भारत	3.817	20.838	47.601	39.421	56.156	98.643	0.298	4.346	271.120	304.103

वर्ष 2000-01 के दौरान ग्रेड-वार और कंपनी-वार कोयले का उत्पादन

(मिलियन टन में)

कंपनियां	कोकिंग कोयले का उत्पादन							
	इस्पात-1	इस्पात-2	एस.सी.-1	डब्ल्यू-1	डब्ल्यू-2	डब्ल्यू-3	डब्ल्यू-4	कुल कोकिंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएल	–	–	0.066	–	–	–	0.037	0.169
बीसीसीएल	0.195	0.553	–	1.035	1.647	3.368	8.068	14.866
सीसीएल	–	–	–	–	0.407	2.765	5.475	8.647
एनसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
डब्ल्यूसीएल	–	–	–	–	0.593	–	–	0.593
एसईसीएल	–	–	0.149	–	–	–	0.358	0.507
एमसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
एनईसी	–	–	–	–	–	–	–	0.000
सीआईएल	0.195	0.553	0.215	1.035	2.647	6.119	13.938	24.782
एससीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
बीएसएमडीसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
डीवीसी	–	–	–	–	–	–	0.374	0.374
इस्को	–	0.022	–	–	–	0.167	0.274	0.463
जेकेएमएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
निजी	0.195	0.575	0.215	1.035	2.647	6.366	14.586	25.619
बीईसीएमएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
जेएसपीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
टिस्को	–	0.100	–	–	0.727	0.533	3.921	5.281
निजी	0.000	0.100	0.000	0.000	0.727	0.533	3.921	5.281
भारत (00-01)	0.195	0.675	0.215	1.035	3.374	6.899	18.507	30.900

कंपनियां	नॉन-कोकिंग कोयले का उत्पादन									कुल अवर्गीकृत	कुल नान-कोकिंग कोयला
	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एस.एल. वी			
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ईसीएल	1.105	11.174	3.901	1.231	0.488	9.962	–	–	–	27.861	28.030
बीसीसीएल	–	0.054	2.769	6.281	1.814	0.007	–	0.178	–	11.103	25.969
सीसीएल	0.207	0.761	1.798	0.150	10.636	9.547	–	–	–	23.099	31.746
एनसीएल	–	–	19.427	3.155	18.818	–	–	–	–	41.400	41.400
डब्ल्यूसीएल	–	0.583	3.379	16.077	14.568	–	–	–	–	34.607	35.200
एसईसीएल	1.576	7.360	9.599	3.610	–	37.679	–	–	–	59.824	60.331
एमसीएल	–	0.301	0.291	1.832	4.939	37.440	–	–	–	44.803	44.803
एनईसी	0.660	–	–	–	–	–	–	–	–	0.660	0.660
सीआईएल	3.548	20.233	41.164	32.336	51.263	94.635	0.000	0.178	0.000	243.357	268.139
एससीएल	0.000	0.269	8.024	4.561	11.445	5.302	0.673	–	–	30.274	30.274
बीएसएमडीसीएल	–	–	–	–	–	0.400	–	–	–	0.400	0.400
डीवीसी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.000	0.374
इस्को	–	0.192	0.129	0.170	–	0.10	–	0.278	–	0.779	1.242
जेकेएमएल	–	–	–	–	–	–	–	–	0.033	0.033	0.033
निजी	3.548	20.694	49.317	37.067	62.708	100.347	0.673	0.456	0.033	274.843	300.462
बीईसीएमएल	–	–	2.411	–	–	–	–	–	–	2.411	2.411
जेएसपीएल	–	–	–	–	–	1.416	–	–	–	1.416	1.416
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	4.065	4.065	4.065

1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
टिस्को	–	–	–	–	–	0.061	–	–	–	0.061	5.342
निजी	0.000	0.000	2.411	0.000	0.000	1.477	0.000	0.000	0.000	7.953	13.234
भारत (00-01)	3.548	20.694	51.728	37.067	62.708	101.824	0.673	0.456	4.098	282.796	313.696

नोट : कोयला नियंत्रक द्वारा मेघालय कोयले को ग्रेड नहीं दिया गया है। सही वर्गीकरण "बिना ग्रेड का" होगा।

वर्ष 2001-02 (अनंतिम) के दौरान ग्रेड-वार कोकिंग कोल तथा नान-कोकिंग कोयले का उत्पादन

(मिलियन टन में)

कंपनियां	कोकिंग कोयले का उत्पादन							
	इस्पात-1	इस्पात-2	एस.सी.-1	डब्ल्यू-1	डब्ल्यू-2	डब्ल्यू-3	डब्ल्यू-4	कुल कोयला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएल	–	–	0.065	–	–	0.127	0.025	0.217
बीसीसीएल	0.213	0.395	–	0.462	1.802	2.431	7.061	12.364
सीसीएल	–	–	–	–	0.392	2.415	5.877	8.684
एसईसीएल	–	–	0.146	–	–	–	–	0.146
डब्ल्यूसीएल	–	–	–	–	0.538	–	–	0.538
एनसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
एमसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
एनईसी	–	–	–	–	–	–	–	0.000
सीआईएल	0.213	0.395	0.211	0.462	2.732	4.973	12.963	21.949
एससीसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
बीएसएमडीसीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
डीवीसी	–	–	–	–	–	–	0.335	0.335
जेकेएमएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
इस्को	–	0.087	–	–	–	0.168	0.366	0.621
बीईसीएमएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
जेएसपीएल	–	–	–	–	–	–	–	0.000
टिस्को	–	0.083	–	–	0.817	0.574	4.162	5.636
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	0.000
समग्र भारत	0.213	0.565	0.211	0.462	3.549	5.715	17.826	28.541

कंपनियां	नॉन-कोकिंग कोयले का उत्पादन									कुल नान-कोकिंग	कुल कोयला
	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एस.एल.वी	अवर्गीकृत		
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ईसीएल	1.015	11.867	3.771	1.892	0.526	9.264	–	–	–	28.335	28.552
बीसीसीएल	–	0.032	2.994	6.699	2.986	0.007	–	0.170	–	12.888	25.252
सीसीएल	0.191	0.862	1.560	0.179	13.551	8.780	–	–	–	25.123	33.807
एसईसीएल	1.565	7.190	9.367	4.069	–	41.063	–	–	–	63.974	64.120
डब्ल्यूसीएल	–	0.805	1.806	16.412	17.448	–	–	–	–	36.471	37.009
एनसीएल	–	–	17.479	3.280	21.703	–	–	–	–	42.462	42.462
एमसीएल	–	0.375	0.248	1.525	1.559	44.098	–	–	–	47.850	47.805
एनईसी	0.640	–	–	–	–	–	–	–	–	0.640	0.0640
सीआईएल	3.411	21.851	37.225	34.056	57.773	103.212	0.000	0.170	0.000	257.698	279.647
एससीएल	–	0.267	8.031	5.640	11.974	2.608	2.291	–	–	30.811	30.811
बीएसएमडीसीएल	–	–	–	–	–	0.558	–	–	–	0.558	0.558
डीवीसी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	0.335
जेकेएमएल	–	–	–	–	–	–	–	–	0.035	0.035	0.035
इस्को	–	0.301	–	–	–	0.005	–	–	0.212	0.518	1.139
बीईसीएमएल	–	–	2.911	–	–	–	–	–	–	2.911	2.911
जेएसपीएल	–	–	–	–	–	1.549	–	–	–	1.549	1.549
टिस्को	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	5.636
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	5.015	50.15	5.015
समग्र भारत	3.411	22.419	48.167	39.696	69.747	107.932	2.291	0.170	5.262	299.095	327.636

विवरण-II

1 जनवरी, 1998, 1999, 2000, 2001 तथा 2002 की स्थिति के अनुसार कोयले के ग्रेड-वार भू-गर्भीय भंडारों की सूची

कोयले की किस्म	की स्थिति के अनुसार	भंडार (मिलियन टन में)			
1	2	3			
प्राइम कोकिंग	1.1.1998	4,509	804	0	5,313
	1.1.1999	4,614	699	0	5,313
	1.1.2000	4,614	699	0	5,313

1	2	3			
	1.1.2001	4,614	699	0	5,313
	1.1.2002	4,614	699	0	5,313
मध्यम कोकिंग	1.1.1998	11,111	10,885	1,215	23,211
	1.1.1999	11,251	10,692	1,215	23,158
	1.1.2000	11,267	10,133	1,106	23,506
	1.1.2001	11,060	10,522	1,106	24,688
	1.1.2002	11,294	10,749	1,866	24,609
मिश्रण योग्य/अर्द्ध कोकिंग	1.1.1998	482	904	222	1,608
	1.1.1999	482	904	222	1,608
	1.1.2000	482	904	222	1,608
	1.1.2001	482	904	222	1,608
	1.1.2002	482	907	222	1,608
नोन कोकिंग (उच्च सफर सहित)	1.1.1998	59,016	76,486	40,606	176,108
	1.1.1999	62,759	76,132	39,783	178,673
	1.1.2000	66,032	76,765	38,369	181,167
	1.1.2001	67,258	77,118	37,922	182,297
	1.1.2002	70,929	96,024	35,329	202,282
जोड़	1.1.1998	75,118	89078	42,043	206,240
	1.1.1999	79,106	88,427	41,200	208,752
	1.1.2000	82,396	89,501	39,697	211,594
	1.1.2001	84,414	90,242	39,250	213,906
	1.1.2002	87,320	109,378	37,417	234,114

विवरण-III

विभिन्न ग्रेड के कोयले के राख तत्व

क्र.सं.	वर्ग	ग्रेड	ग्रेड वर्गीकरण (राख तत्व)
1	2	3	4
(1)	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड के अतिरिक्त सभी राज्यों में उत्पादित	ए	राख तत्व 19% से अधिक नहीं

1	2	3	4
	नान-कोकिंग कोयला (5% आर्द्रता मानी जाती है)	बी	राख तत्व 19% से अधिक लेकिन 23% से अधिक नहीं
		सी	राख तत्व 23% से अधिक लेकिन 27% से अधिक नहीं
		डी	राख तत्व 27% से अधिक लेकिन 32% से अधिक नहीं
		ई	राख तत्व 32% से अधिक लेकिन 38% से अधिक नहीं
		एफ	राख तत्व 38% से अधिक लेकिन 45% से अधिक नहीं
		जी	राख तत्व 45% से अधिक लेकिन 52% से अधिक नहीं

नोट : उपर्युक्त राख तत्व का परिकलन

एच.यू.वी. : 8900-138 (ए + एम) सूत्र का प्रयोग करके किया गया है और यह माना गया है कि एम. (आर्द्रता) 5% है।

(2)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा नागालैंड राज्यों में उत्पादित नान-कोकिंग कोयला	बिना ग्रेड का	
(3)	कोकिंग कोयला	इस्पात ग्रेड-1	राख तत्व 15% से अधिक नहीं
		इस्पात ग्रेड-2	राख तत्व 15% से अधिक लेकिन 18% से अधिक नहीं
		वाशरी ग्रेड-1	राख तत्व 18% से अधिक लेकिन 21% से अधिक नहीं
		वाशरी ग्रेड-2	राख तत्व 21% से अधिक लेकिन 24% से अधिक नहीं
		वाशरी ग्रेड-3	राख तत्व 24% से अधिक लेकिन 28% से अधिक नहीं
		वाशरी ग्रेड-4	राख तत्व 28% से अधिक लेकिन 35% से अधिक नहीं
(4)	अर्द्ध कोकिंग और	अर्द्ध कोकिंग ग्रेड-1	राख जमा नमी तत्व 19% से अधिक नहीं
	निम्न कोकिंग कोयला	अर्द्ध कोकिंग ग्रेड-2	राख जमा नमी तत्व 19% से अधिक लेकिन 24% से अधिक नहीं
(5)	हार्ड कोक	प्रीमियम उत्पाद द्वारा	राख तत्व 25% से अधिक नहीं
		साधारण उत्पाद द्वारा	राख तत्व 25% से अधिक किन्तु 30% से अधिक नहीं
		प्रीमियम बीहाइव	राख तत्व 27% से अधिक नहीं
		सुपीरियर बीहाइव	राख तत्व 27% से अधिक किन्तु 31% से अधिक नहीं
		साधारण बीहाइव	राख तत्व 31% से अधिक किन्तु 36% से अधिक नहीं

आई.आई.टी. की स्थापना

1320. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश में अधिक से अधिक बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिये नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये बनाई गयी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) भारत सरकार का प्रयास देश में अधिकाधिक छात्रों को, जहां तक संभव हो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के समान ही कोटिपरक तकनीकी शिक्षा का लाभ प्रदान करना है। चूंकि नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को खोलने में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए इस समय भारत सरकार देश में किसी नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने पर विचार नहीं कर रही है। इसलिए विद्यमान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले में वृद्धि करना तथा क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों तथा अन्य प्रमुख संस्थानों को स्तरोन्नयन करने जैसे लागत प्रभावी विकल्पों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

1321. डा. वी. सरोजा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अंतर्गत कुल कितने मूल्य की सामुदायिक संपत्ति का सृजन किया गया है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत से इसके अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितना व्यय किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में जनवरी, 2001 में शुरू किया गया था और यह 31 मार्च, 2002 तक चालू रहा था। यह कार्यक्रम 11 राज्यों में कार्यान्वित किया गया था। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित "प्राकृतिक आपदा प्रभावित" जिलों में मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही किसी भी चालू योजना का भाग बन सकता था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के मूल्य की केन्द्र स्तर पर अलग से निगरानी नहीं की गई थी।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान, कार्यक्रम के अंतर्गत 300 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई थी, जिसमें से संबंधित राज्यों को 6 लाख टन खाद्यान्न (गेहूं और चावल) रिलीज किया गया था। वर्ष 2001-02 में 1738.37 करोड़ रु. के मूल्य का लगभग 34.32 लाख टन खाद्यान्न (गेहूं और चावल) रिलीज किया गया था। इसमें से संबंधित राज्यों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा उठाए गए खाद्यान्न के एवज में भारतीय खाद्य निगम को 1400 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है।

ग्रामीण स्वच्छता

1322. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और महिलाओं को गोपनीयता तथा सम्मान दिलाने के लिये 1986 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना का कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो जानकारी में आई कमियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का अब तक पूरा उपयोग नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा धनराशि का समय से उपयोग करने तथा इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के संबंध में ज्ञान, अभिरुचि और व्यवहार, (के.ए.पी.) पर आधारभूत सर्वेक्षण वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा किया

गया था। कम स्वच्छता कवरेज के मुख्य कारण इस प्रकार है (1) शौचालयों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता और सूचना, शिक्षा तथा संचार के लिए निम्न प्राथमिकता (2) सिंगल माडल को प्रोत्साहन यथा-स्टैंडर्ड ट्विन पिट पोर फ्लश लैट्रिन, (3) सबसिडी पर अधिक विश्वास (4) लाभार्थियों, एन.जी.ओ. और निजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी (5) समुदाय आधारित संस्थानों को शामिल नहीं किया जाना आदि। कार्यान्वयन से प्राप्त निष्कर्षों और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 1999 में कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का उपयोग नहीं कर पाने वाले राज्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) राज्यों को वित्तीय वर्ष के अन्दर निधियों का उपयोग करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा, मासिक/तिमाही/वार्षिक रिपोर्टों के जरिए कार्यक्रम की निगरानी करने के साथ-साथ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए क्षेत्र अधिकारी राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान रिलीज की गई निधियों का उपयोग नहीं करने वाले राज्य

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 31.3.2002 को शेष निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	149.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.70
3.	असम	143.09
4.	बिहार	259.75
5.	गोवा	9.91
6.	गुजरात	0.30
7.	जम्मू व कश्मीर	16.04
8.	केरल	267.70
9.	मध्य प्रदेश	125.68
10.	मणिपुर	22.25
11.	मेघालय	1.14
12.	मिजोरम	3.24
13.	नागालैंड	21.00
14.	उड़ीसा	1096.02
15.	पंजाब	111.43
16.	राजस्थान	165.87
17.	तमिलनाडु	387.40
18.	उत्तर प्रदेश	293.60
19.	दादर एवं नगर हवेली	0.57
20.	दमन व दीव	5.87
21.	लक्षद्वीप	3.50
	कुल	3084.18

साक्षरता उपरांत अभियान

1323. श्री वी. वेद्रिसेलवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में विशेषकर तमिलनाडु के किन-किन जिलों में अब तक साक्षरता उपरांत अभियान शुरू किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम ने किस सीमा तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) शेष जिलों में कार्यक्रम के शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में उपरोक्त कार्यक्रम को शुरू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम के क्या लक्ष्य हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) तमिलनाडु सहित उत्तर साक्षरता अभियान के तहत शामिल जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह कार्यक्रम तमिलनाडु के सभी 29 जिलों में चलाया जा रहा है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 504.45 लाख नव-साक्षर नामांकित हुए हैं और 314.80 लाख ने उत्तर साक्षरता प्रतिमान को प्राप्त कर लिया है।

(ग) और (घ) शेष जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत अध्ययन/अध्यापन कार्यकलापों की समाप्ति और पहले से जारी निधियों के लेखाओं का निपटान हो जाने के बाद उत्तर साक्षरता अभियान को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जा रहा है।

(ङ) दसवीं योजना के अंत तक सभी जिले शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

विवरण

उत्तर साक्षरता अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जिलों की संख्या	उत्तर साक्षरता अभियान के तहत शामिल जिलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	0
3.	असम	23	10
4.	बिहार	38	12
5.	छत्तीसगढ़	16	7
6.	दिल्ली	9	0
7.	गोवा	2	0
8.	गुजरात	25	25
9.	हरियाणा	19	8
10.	हिमाचल प्रदेश	12	12
11.	जम्मू और कश्मीर	14	0
12.	झारखंड	22	7
13.	कर्नाटक	27	27
14.	केरल	14	14
15.	मध्य प्रदेश	45	27
16.	महाराष्ट्र	35	30
17.	मणिपुर	9	0
18.	मेघाल	7	0
19.	मिजोरम	8	0
20.	नागालैंड	8	0
21.	उड़ीसा	30	15
22.	पंजाब	17	8
23.	राजस्थान	32	32
24.	सिक्किम	4	0
25.	तमिलनाडु	29	29
26.	त्रिपुरा	4	4
27.	उत्तरांचल	13	12
28.	उत्तर प्रदेश	70	54
29.	पश्चिम बंगाल	18	16
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0
31.	चंडीगढ़	1	1
32.	दादरा और नगर हवेली	1	0
33.	दमन और दीव	2	1
34.	लक्षद्वीप	1	0
35.	पांडिचेरी	4	4
	कुल	599	378

औषधि मूल्य नियंत्रण संबंधी केन्द्रीयकृत अपीलीय न्यायाधिकरण

1324. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औषधि मूल्य नियंत्रण संबंधी एक केन्द्रीयकृत अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यायाधिकरण के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके क्या अधिकार क्षेत्र हैं;

(घ) न्यायाधिकरण कब तक अस्तित्व में आ जाएगा; और

(ङ) मौजूदा प्रणाली की तुलना में इस व्यवस्था की क्या-क्या विशिष्टताएं हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण विकास योजनाओं का विलय

1325. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं का विलय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं,

(ग) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को एक संपूर्ण योजना में विलय किये जाने से ग्रामीण विकास योजना के कार्य-निष्पादन में किस सीमा तक सुधार हुआ है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिये दिये धन का अन्यत्र उपयोग किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, गंगा कल्याण योजना, दस लाख कुँओं की योजना, और ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार-किटों की आपूर्ति योजना को दिनांक 1.4.1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक नए कार्यक्रम में मिला दिया है। जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना नामक मजदूरी रोजगार योजनाओं को दिनांक 1.4.1999 से पुनर्गठित किया गया और बाद में इन योजनाओं को दिनांक 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक नई मजदूरी रोजगार योजना में मिला दिया गया। ये योजनाएं दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर समस्त राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) ग्रामीण विकास के लिए कोई अम्ब्रेला स्कीम नहीं है। हालांकि, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वरोजगार का एक अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण निर्धनों का स्व-सहायता समूहों में संगठन और उनका क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, क्रियाकलाप समूहों की आयोजना, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी एवं विपणन सहायता शामिल हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से अच्छी पारदर्शिता, प्रोन्नत लक्ष्यांकन, अधिक मजदूरी रोजगार सृजन तथा अनाज सुरक्षा जैसे परिणाम मिले हैं।

(घ) और (ङ) कुछेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में जो तथाकथित अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं, उनमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हेतु निधियों का अस्थायी रूप से दूसरी योजना में प्रयोग शामिल है। इन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

सेना के लिए आधुनिक हथियार

1326. श्री के.ए. सांगतम: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जून, 2002 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में "आर्मी सीक्स माडर्न आमर्स फॉर वी.डी.सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) वी.डी.सी. को आधुनिक स्वचालित हथियारों से सुसज्जित नहीं किये जाने के कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सरकार को इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट की जानकारी है। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस उद्देश्य से ग्राम सुरक्षा समिति स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है, कि आम जनता में विशेष रूप से दूर-दराज और अलग-थलग पड़ी जनता में सुरक्षा की भावना पैदा की जाये। ग्राम सुरक्षा समिति में ग्रामीण स्वयंसेवक होते हैं और प्रत्येक ग्राम सुरक्षा समिति को 3 विशेष पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम सुरक्षा समिति में शामिल विशेष पुलिस अधिकारी को अर्थ-स्वचालित हथियारों, इत्यादि से लैस किया गया है। ग्राम सुरक्षा समिति के स्वयंसेवकों को हथियार इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं और उनके शस्त्रों का कुछ उन्नयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। तथापि, आपरेशनल और सुरक्षा कारणों से प्रत्येक ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को स्वचालित हथियारों से लैस करना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1327. श्री सनत कुमार मंडल: क्या विनिवेश मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विनिवेश प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं के बारे में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार

1328. योगी आदित्यनाथ: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों के मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है। अल्संख्यकों सहित, राज्य के लोगों की रक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के पास पर्याप्त संख्या में अर्ध-सैनिक और पुलिस बल उपलब्ध हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के बारे में किसी वैयक्तिक शिकायत की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा की जाती है तथा कुछ मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जाती है जो न्याय देने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करता है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

1329. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:
श्री रामानन्द सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सड़कों का निर्माण-कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे घटिया कार्य-निष्पादन के बारे में जानकारी है;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारें इस योजना के अंतर्गत धनराशि के उपयोग में विलंब कर रही हैं जैसा कि दिनांक 22 जून, 2002 के "दि हिन्दू" में उल्लेख किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या चालू वर्ष में सड़कों के निर्माण हेतु राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) प्रत्येक राज्य में इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ज) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 7553.28 करोड़ रु. के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और ये निर्माण कार्य निष्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं; वर्ष 2000-01 में शुरू किए गए 12867 सड़क निर्माण कार्यों में से 7221 कार्य अब तक पूरे हो चुके हैं और दिसंबर 2002 तक अन्य कार्यों के पूरे होने की संभावना है। वर्ष 2001-02 में मंजूर किए गए सड़क निर्माण कार्यों के कुल मिलाकर चालू वर्ष के दौरान पूरे होने की संभावना है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित रूप से कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है ताकि इन्हें समय पर पूरा किया जा सके। स्वीकृत प्रस्तावों की लागत तथा किए गए संचयी खर्च का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अब तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कें अच्छी गुणवत्ता वाली हैं। कुछ सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में ध्यान में आई कुछ कमियों के बारे में संबंधित राज्य प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया है ताकि इन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत प्रस्तावों की लागत (2000-01 एवं 2001-02)	जून, 2002 तक किया गया संचयी खर्च
1.	आंध्र प्रदेश	659.97	214.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	120.95	71.51
3.	असम	229.92	77.48*
4.	बिहार	452.87	12.00*
5.	छत्तीसगढ़	276.44	86.61*
6.	गोवा	15.16	5.00
7.	गुजरात	162.91	61.10
8.	हरियाणा	85.57	17.28
9.	हिमाचल प्रदेश	192.36	62.30
10.	जम्मू और कश्मीर	80.42	7.37
11.	झारखण्ड	336.18	75.00
12.	कर्नाटक	306.29	82.15
13.	केरल	64.63	13.10
14.	मध्य प्रदेश	720.81	93.89*
15.	महाराष्ट्र	394.11	116.21
16.	मणिपुर	120.71	31.33*
17.	मेघालय	115.67	35.39
18.	मिजोरम	69.65	34.16
19.	नागालैण्ड	65.28	26.21
20.	उड़ीसा	520.88	93.78
21.	पंजाब	102.22	42.25
22.	राजस्थान	403.14	143.94
23.	सिक्किम	50.97	26.86
24.	तमिलनाडु	267.82	79.48
25.	त्रिपुरा	76.60	24.62
26.	उत्तर प्रदेश	963.05	247.83
27.	उत्तरांचल	199.40	30.45
28.	पश्चिम बंगाल	419.65	73.10

* किए गए कार्य की लागत

मारुति उद्योग का विनिवेश

1330. श्री अधीर चौधरी: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मारुति उद्योग लिमिटेड को जापानी ऑटोमोबाइल, सुजुकी मोटर कंपनी को बेचने को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड के विनिवेश हेतु कितना आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है; और

(घ) उनके शेयरों का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) सरकार ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ एक संशोधित संयुक्त उद्यम करार 15 मई, 2002 को सम्पन्न किया है। संशोधित संयुक्त उद्यम करार में सरकार द्वारा धारित मारुति उद्योग लि. के शेयरों का दो चरण में विनिवेश करने की व्यवस्था है।

(1) सरकार ने अपने राइट्स इश्यु का परित्याग करने के साथ, प्रत्येक 100 रुपये के 400 करोड़ रुपए की धनराशि के 12,19,512 इक्विटी शेयर के राइट्स इश्यु मारुति उद्योग लिं. द्वारा सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को देने का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने नियंत्रण प्रीमियम के रूप में सरकार को 1000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। राइट्स इश्यु में प्रत्येक 100 रुपए के शेयर के लिए सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को 3280 रुपए का भुगतान करना पड़ा। यह प्रति शेयर मूल्य सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन द्वारा नियुक्त तीन मूल्य निर्धारकों द्वारा निकाले गए मूल्यों के औसत पर आधारित था।

(2) दूसरे चरण में, विधि द्वारा यथा-अनुमत्य भारतीय और सार्वभौमिक निवेशकों की भागीदारी के साथ, स्वदेशी बाजार में सार्वजनिक इश्यु के माध्यम से सरकार के मौजूदा (लगभग 65.80 लाख) शेयरों की बिक्री शामिल है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन भारत सरकार द्वारा धारित लगभग 36.12 लाख शेयरों के पहले सार्वजनिक इश्यु को खरीदने के लिए सहमत हो गई है। इसके अलावा, संशोधित संयुक्त उद्यम करार में विभिन्न चरणों पर भारत सरकार द्वारा "विक्रय-विकल्प" की भी व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

1331. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को एक से ज्यादा केम्पस वाले सम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने संबंधी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय के केम्पस के स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य विषयों को शामिल कर उक्त विश्वविद्यालय के पाठ्क्रम का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केवल एक भाषा के शिक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु विशाल धनराशि निवेश की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाये गए विषयों और पाठ्क्रमों के विस्तार की संभावना की जांच करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली सहित इलाहाबाद, गारली (हिमाचल प्रदेश), जयपुर, जम्मू, लखनऊ, पुरी, श्रंगेरी तथा त्रिचुर स्थित इसके आठ संघटक विद्यापीठों को 7 मई, 2002 से सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पाठ्यचर्या ढांचे के अनुसार व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि जैसे 18 परम्परागत विषय और 13 से अधिक आधुनिक विषय इसकी संस्थाओं में पढ़ाये जाते हैं। आधुनिक विषयों में सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, कला, संगीत, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग शामिल हैं। संस्थान की पाठ्यचर्या विभिन्न प्रकार की तथा व्यापक है। अन्य विषयों को शामिल किया जाना मांग, व्यवहार्यता, संसाधन और अन्य संगत पहलुओं पर निर्भर है।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि

1332. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रसायन और उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रसायन और उर्वरकों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) रसायन नियंत्रणमुक्त हैं और सरकार उनका मूल्य निर्धारित नहीं करती है। राजकोषीय सुस्थिरता एवं देश में पोषकों के संतुलित उपयोग से सबद्ध सभी पक्षों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् रसायनिक उर्वरकों का मूल्य दिनांक 28-2-2002 से बढ़ाया गया था।

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों में हुई मूल्य वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

रु. प्रति मी. टन

क्रम सं.	उर्वरक का नाम	बिक्री मूल्य में वृद्धि					
		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		बिक्री मूल्य	से प्रभावी	बिक्री मूल्य	से प्रभावी	बिक्री मूल्य	से प्रभावी
1.	यूरिया	4600	29.2.2000	2000-2001 के		4830	28.2.2002
2.	डीएपी	8900	29.2.2000	दौरान कोई मूल्य		9350	28.2.2002
3.	एमओपी	4255	29.2.2000	वृद्धि नहीं		4455	28.2.2002

यूरिया को नियंत्रण मुक्त करना

1333. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फर्टिलाइजर्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया ने यूरिया क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

मेगा सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सहायता

1334. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री प्रकाश वी. पाटील:
डॉ. रामचन्द्र डोम:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को विशेषकर महाराष्ट्र को मेगा सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेगा सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य स्तरीय स्वीकृति प्रदान करने वाली समितियों द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान अधूरी पड़ी हैं और वापस ले ली गई हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) वित्तीय वर्ष अर्थात् 2002-2003 के दौरान केवल कोलकाता को चालू वर्ष के नियतन में पहली किस्त के रूप में अभी तक 13.16 करोड़ रु. की राशि जारी को गयी है।

(ख) से (घ) मंजूर की गयी, पूरी हो चुकी, चल रही तथा बंद हो चुकी स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान बंगलौर में केवल एक नयी परियोजना को मंजूर किये जाने की रिपोर्ट है।

(च) मंजूर की गयी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य संस्कार/नोडल एजेंसी की है। तथापि, राज्य सरकार/नोडल एजेंसी से कार्यक्रम के तहत मंजूर की गयी परियोजनाओं/स्कीमों को शीघ्रता से पूरा करने हेतु अनुरोध किया गया था।

विवरण

राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, नौवीं योजना के दौरान मंजूर की गयी परियोजनाओं के ब्यौरे

मेगा सिटी का नाम	मंजूर की गयी परियोजनाओं/ स्कीमों की सं.	पूरी हो चुकी परियोजनाओं/ स्कीमों की सं.	शुरू की जाने वाली परियोजनाओं/ स्कीमों की सं.	चालू परियोजनाओं/ स्कीमों की सं.	बंद हो चुकी परियोजनाओं/ स्कीमों की सं.
1	2	3	4	5	6
हैदराबाद	126	83	–	43	–
मुम्बई	39	10	6	18	5*

1	2	3	4	5	6
बंगलौर	9	4	–	4	1*
चेन्नई	88	38	13	20	17*
कोलकता	50	12	8	30	–

* परियोजनाओं, मुख्यत: राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा मंजूरी के बाद होने वाली घटनाओं के कारण बंद किया गया।

बच्चों का अवैध व्यापार

1335. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल राष्ट्रीय आयोग ने बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना अब तक नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1924

1336. **श्रीमती कान्ति सिंह:**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्राप्त करने तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1924 को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार किसी अन्य विधान के न होने की स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा किस प्रकार करने की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट

1337. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण लोगों के लिए वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण जनसंख्या हेतु भी प्रौद्योगिकी की उपयोगिता और लाभ का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी सुविधा के कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य् मंत्री (श्री अन्ना साहेब एम.के. पाटील): (क) से (ङ) गांवों में कम्प्यूटरीकरण और टेलीफोन सेवा के विस्तार का एक प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास विचाराधीन है। प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक कार्यबल और संचालन समिति गठित की गई है। कार्यबल और संचालन समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रौद्योगिकी प्रतिबंध

1338. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
डॉ. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सच है कि 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के आलोक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों के कारण मंत्रालय की कुछ परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी समस्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजमा को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) संयुक्त राज्य द्वारा लगाए गए प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों के आलोक में प्रभावित अकेली परियोजना वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की एक घटक प्रयोगशाला नेशनल एयरोस्पेस लेबारेटरी (एन.ए.एल.), बंगलौर में कार्यान्वित बहु-भूमिका लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (एल.टी.ए.) के विकास की परियोजना है। एन.ए.एल. संयुक्त राज्य के वाणिज्य विभाग की सामान सूची में है और इसलिए एल.टी.ए. के कुछ अवयवों/भागों को प्राप्त करने के लिए लाइसेन्स नहीं दिया गया। सी.एस.आई. आर/एन.ए.एल. ने इन अवयवों के लिए वैकल्पिक ब्रिटिश/यूरोपीय स्रोतों की पहचान की है जिसके फलस्वरूप परियोजना पूरा करने में अधिक लागत और समय लगेगा। आशा की जाती है कि 2003 के मध्य तक एयरक्राफ्ट का प्रारूप प्रमाणित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

नवीन राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रम

1339. श्री रामजी लाल सुमन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने देश के विद्यालयों के लिए एक नवीन राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्क्रम तैयार किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्क्रम को तैयार करने में सरकार द्वारा किन-किन विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया था;

(ग) इस पाठ्क्रम को तैयार करने में कितना समय लगा; और

(घ) इस पाठ्क्रम को तैयार करने में सरकार ने कुल कितना व्यय किया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने एक नई राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्क्रम कार्य सरंचना तैयार की थी जो नवम्बर, 2000 में जारी की गई थी।

(ख) राष्ट्रव्यापी बहुस्तरीय परामर्श, विचार-विमर्श, परिचर्चा प्रक्रिया के बाद अंतिम दस्तावेज प्रकाशित किया गया था जिसमें शिक्षा के क्षेत्र के सभी वर्गों के महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे। इसमें ये शामिल थे-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सभी संघटक इकाइयों के आंतरिक संकाय सदस्य, कुछ लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिक, समाज विज्ञानी, इतिहासकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक और चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और इनसे संबद्ध डिमान्स्ट्रेशन मल्टीपर्पस स्कूलों के शिक्षक। सभी केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों, राज्य स्तर के शैक्षिक पदाधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, संसद सदस्यों, शिक्षाविदों, शिक्षकों और शिक्षकों को शिक्षा प्रदान करने वालों, स्वैच्छिक संगठनों, प्रमुख पत्रकारों और समाजिक कार्यकर्ताओं से भी इस मामले में उनकी टिप्पणियां, विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए संपर्क किया गया था।

नवम्बर और दिसम्बर, 1999 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यचर्या दल के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किए गए कुछ लब्ध प्रतिष्ठ विशेषज्ञों के नाम इस प्रकार हैं:- (1) प्रो. यशपाल; (2) प्रो. एम. मुखोपाध्याय; (3) प्रो. जे.एन. कपूर; (4) डॉ. अरविन्द कुमार; (5) श्री एम. वरदाराजन; (6) डॉ. सुजाता मित्रा; (7) डॉ. रवीन्द्र कुमार; (8) प्रो. योगेन्द्र सिंह; (9) डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्स्यान; (10) डॉ. एस.जैड. कासीम।

(ग) पाठ्यचर्या नवीकरण की प्रक्रिया मार्च, 1997 में शुरू की गयी थी और नवम्बर, 2000 में पाठ्यचर्या संरचना जारी किए जाने के साथ पूरी हुई।

(घ) सरकार ने इस उद्देश्यार्थ कोई अतिरिक्त निधि नहीं दी थी। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के भीतर परामर्श के आयोजन के लिए अपने बजट से लगभग 35 लाख रु. खर्च किये थे।

[अनुवाद]

राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

1340. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय और उसके सभी स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों में प्रथम श्रेणी के पदों अथवा राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों तथा राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों, यात्रा भत्तों और अन्य दी गयी सुविधाओं पर वर्षवार कितना वार्षिक व्यय हुआ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

साक्षरता कार्यक्रम हेतु वर्ष में दो बार पुरस्कार प्रदान करना

1341. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का देश में साक्षरता कार्यक्रम हेतु वर्ष में दो बार पुरस्कार प्रदान करने का इरादा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जनहित में मांग की जा रही है कि पुरस्कार-वितरण का समूचा प्रारूप बदला जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समस्त प्रक्रिया की समीक्षा करने हेतु यदि कोई हो, क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा वर्ष में दो बार पुरस्कार प्रारंभ नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) सरकार मौजूदा वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने संबंधी पैरामीटर तैयार करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करती है। इस फार्मेट की समीक्षा करने अथवा उसमें परिवर्तन करने संबंधी मांगों पर इन पैरामीटरों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

अनुकंपा आधार पर रोजगार

1342. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों में अनुकंपा आधार पर अनुषंगी कंपनी-वार कितने आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ख) आज की तिथि के अनुसार अनुषंगी कंपनी-वार लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों में अनुकंपा आधार पर रोजगार दिए गए आश्रितों की संख्या निम्नानुसार है:-

कम्पनी	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-03 मई 02 तक
ई.सी.एल.	60	855	347	117
बी.सी.सी.एल.	582	829	808	69
सी.सी.एल.	482	482	209	36
डब्ल्यू.सी.एल.	150	202	216	21
एस.ई.सी.एल.	449	424	391	66
एन.सी.एल.	33	56	75	06
एम.सी.एल.	35	43	33	18
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	08	03	17	–
एन.ई.सी.	–	01	02	–
डी.सी.सी.	02	01	01	–
सी.आई.एल. मुख्यालय	01	01	03	–
जोड़	1802	2897	2102	333

(ख) विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न कारणों से सहायक कंपनी-वार लंबित मामलों (9.5.2002 की स्थिति के अनुसार) की संख्या नीचे दी गयी है:-

ई.सी.एल.	1412
बी.सी.सी.एल.	72
सी.सी.एल.	673
डब्ल्यू.सी.एल.	477
एस.ई.सी.एल.	53
एन.सी.एल.	11
एम.सी.एल.	66
एन.ई.सी.	121
जोड़	2885

(ग) इन मामलों के निपटान में विलम्ब के मुख्य कारण- अधूरे आवेदन की प्राप्ति, नाम, आयु तथा संबंध में भिन्नता, एक से अधिक आश्रित द्वारा दावा करना, आश्रित का समिति के समक्ष उपस्थित न होना, आदि हैं। सहायक कंपनियां उन मामलों से निपटने के लिए समुचित कार्रवाई कर रही हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुआ लाभ/हानि

1343. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा अर्जित किए गए लाभ/उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस अवधि के दौरान तमिलनाडु को लिग्नाइट खनन के संबंध में रायल्टी के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में राज्य को इस रायल्टी का भुगतान नियमित रूप से करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) द्वारा अर्जित कर पश्चात् लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	कर पश्चात् लाभ (करोड़ रु. में)
1999-2000	392.58
2000-2001	725.92
2001-2002	820.18 (सी.ए.जी. लेखा परीक्षा के अधीन)
2000-2002 (अप्रैल-जून, 2002)	191.80 (अनंतिम)

(ख) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एन.एल.सी. द्वारा तमिलनाडु सरकार को लिग्नाइट पर अदा की गई रायल्टी की राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1999-2000	4.35
2000-2001	254.55 (मार्च, 2001 में अदा की गई 250.00 करोड़ रु. की अग्रिम रायल्टी शामिल है)
2001-2002	97.90 (मार्च, 2001 में अदा की गई 250.00 करोड़ रु. की राशि को अग्रिम रायल्टी के एवज में समायोजित कर लिया गया)
2002-2003 (अप्रैल-जून, 2002)	21.69 (मार्च, 2001 में अदा की गई 250.00 करोड़ रु. की राशि को अग्रिम रायल्टी के एवज में समायोजित कर लिया गया)

(ग) और (घ) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को रायल्टी देय नहीं है। उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार को खनिजों पर रायल्टी खनिज उत्पादक कंपनियां अदा करती हैं। एन.एल.सी. नियमित रूप से राज्य सरकार को रायल्टी का भुगतान कर रही है।

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में और पाठ्यक्रम

1344. श्री पी.सी. थामस: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में और पाठ्यक्रम शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में श्रेष्ठता गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) अखिल भारतीय शिक्षा परिषद प्रत्येक वर्ष नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करती है। तथापि, नए पाठ्यक्रम का शुरू किया जाना संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

(ग) तकनीकी शिक्षा की कोटि में समग्र सुधार के लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद अप्रचलित प्रणाली का आधुनिकीकरण और निराकरण; तकनीकी शिक्षा में विशेष महत्व के कार्यक्रम; अनुसंधान और विकास कार्यक्रम; उद्यम प्रबन्ध विकास; कोटि

सुधार कार्यक्रम; प्रारम्भिक संकाय प्रवेश कार्यक्रम, युवा शिक्षकों के लिए कैरियर पुरस्कार, अमीरात शिक्षावृत्ति आदि जैसी विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। तकनीकी संस्थाओं की गुणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के तत्वावधान में कार्य कर रहा है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति को आवश्यक निर्देश प्रदान करने के विचार से मंत्रालय ने दिसम्बर, 2001 में नीति कार्य ढांचे की घोषणा की है जिसमें एम. टेक कार्यक्रमों की अवधि को 18 माह से 24 माह तक बनाने, छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोत्तरी करने आदि का प्रावधान है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति

1345. श्री बीर सिंह महतो: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले कुछ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी पर कोई जवाबदेही निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड ने यह सूचित किया है कि विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 1999-2000 से जून, 2002 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. के प्रबंधन ने प्रत्येक विशिष्ट शिकायत की जांच करके तथा उपयुक्त निवारक उपाय करके इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई की है। सम्बद्ध व्यक्तियों को आरोप-पत्र/चेतावनी पत्र/स्थानान्तरण आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) शेल/पत्थर चुनने के कार्य को मजबूत बनाया गया है।

(2) उपयुक्त विस्फोटन उत्पादकों/तकनीकों के साथ चयनात्मक खनन किया जा रहा है।

(3) विवादों को दूर करने तथा आपूर्तित कोयले की गुणवत्ता का समय से समाधान करने के लिए बड़े उपभोक्ताओं हेतु तीसरे पक्ष/संयुक्त नमूनाकरण की पद्धति आरम्भ की गई है।

विवरण

1999-2000 से जून, 2002 तक प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

कंपनी	99-00	00-01	01-02	02-03 (जून, 02 तक)	जोड़	शिकायतों का स्वरूप
1	2	3	4	5	6	7
ई.सी.एल.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी.सी.सी.एल.	4	5	5	4	18	अधिक बड़े आकार का कोयला जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल हैं।
सी.सी.एल.	–	–	–	–	–	दिनांक 31.7.2000 को सी.सी.एल. के सतर्कता विभाग में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें सी.सी.एल. द्वारा 1998-2000 की अवधि के दौरान अपने उपभोक्ताओं को निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किए जाने का आरोप

1	2	3	4	5	6	7
						लगाया गया था जिसके कारण संबंधित उपभोक्ताओं ने सी.सी.एल. को कोयले की कीमत का भुगतान करने से मना कर दिया था और इससे लगभग 350 करोड़ रु. के भुगतान के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया था। इस मामले की जांच सी.आई.एल. प्रबंधन द्वारा की जा रही है और यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
एन.सी.एल.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डब्ल्यू.सी.एल.	5	5	7	3	20	ढेलेदार कोयला/गीला तथा कीचड़ से सना/चिपचिपा/निम्न गुणवत्ता वाला बाहरी पदार्थ/पत्थर आदि सहित।
एस.ई.सी.एल.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एम.सी.एल.	8	3	1	शून्य	12	ढेलेदार कोयला/गीला तथा कीचड़ से सना/चिपचिपा/बाहरी पदार्थ/पत्थर आदि सहित।
एन.ई.सी.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन को रद्द करना

1346. श्री मान सिंह पटेल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान शैक्षिक संस्थाओं द्वारा उन्हें आवंटित की गई भूमि का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें आवंटित भूमि को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के संबंध में क्या नियम निर्धारित किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) शैक्षिक संस्थानों सहित विभिन्न संस्थाओं, दि.वि.प्रा. द्वारा जमीन का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि) नियमावली, 1981 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है:-

(1) वह संस्था सीधे ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनता का हित साधन करती हो।

(2) वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी हो, अथवा एक ऐसी संस्था हो जो सरकार अथवा किसी स्थानीय सोसाइटी के स्वामित्व में हो और उसके द्वारा चलाई जाती हो अथवा वह तत्समय प्रवर्त्तमान किसी कानून के तहत गठित या स्थापित की गई हो।

(3) उसका स्वरूप लाभ कमाने वाला नहीं हो।

(4) उसके पास भूमि की खरीद तथा भवन निर्माण लागत को पूरी करने के लिए पर्याप्त धनराशि हो।

(5) ऐसी संस्थाओं को भूमि आबंटन की सिफारिश या संस्तुति दिल्ली सरकार के किसी विभाग द्वारा अथवा केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा की गई हो।

शहरी क्षेत्रों में किसानों का पलायन

1347. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्धन किसानों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु उनका कल्याण करने के लिए ग्राम्य स्तर पर कोई योजना बनाने का है ताकि शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाला उनका पलायन रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) देश के सबसे पिछड़े जिलों में बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने के लिए जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना (जे.पी.आर.जी.वाई.) नामक एक नई योजना बनाई जा रही है। इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष में शुरू करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कपार्ट के अधीन मानीटरों की नियुक्ति

1348. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री 17 अप्रैल, 2001 के प्रश्न सं. 4408 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

लोक सभा में 17.4.2001 को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4408 के संबंध में सूचना

(क) और (ख) कपार्ट ने 1996-97 से यह अनिवार्य कर दिया कि परियोजना का दौरा करने, मूल्यांकन करने और सिफारिश करने तथा परियोजनाओं के पूरा होने के बाद वित्तीय और तकनीकी निगरानी करने के लिए मानीटरों की नियुक्ति की जाए। 1996-97 से कपार्ट द्वारा नियुक्त मानीटरों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्रम सं.	वर्ष	मानीटरों की सं.
1.	1996-97	239
2.	1997-98	314
3.	1998-99	440
4.	1999-2000	459
5.	2000-01	477

(ग) वर्ष 1996-97 से प्रत्येक मानीटर को दिए गए कार्यों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या अनुबंध में दी गई है जिसमें कार्यों की न्यूनतम और अधिकतम दोनों संख्या दी गई है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, विभिन्न कारणों जैसे विषय में विशेषज्ञता वाले मानीटरों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने और किसी खास अवधि में मूल्यांकन कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता आदि से कुछ मानीटरों को अन्य मानीटरों की तुलना में अधिक कार्य दिए गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुबंध

मानीटरों को सौंपे गए कार्यों की संख्या (वर्ष-वार-राज्य-वार)

क्र.सं.	मानिटर का नाम	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
1.	सुश्री अरुणा कुमारी	–	–	–	–	4	4
2.	ए. हरिवेंकट लक्ष्मण	–	–	2	23	11	36
3.	ए. नागारेशन्ना	–	–	9	–	–	9

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	ए. नाथनियल	–	–	–	5	7	12
5.	ए. रघुनाथ राव	–	–	–	3	–	3
6.	ए. रविन्द्र	–	–	5	1	2	8
7.	ए. सतीश	–	–	5	15	4	24
8.	अब्दुल रजाक	5	–	6	7	1	19
9.	ए.वी.एस.एस.के. राव	–	–	1	–	–	1
10.	अनुराधा नायडू	–	–	–	–	1	1
11.	बी. जर्नादन रेड्डी	–	–	2	2	–	4
12.	बी.के. महालक्ष्मी	–	–	–	4	5	9
13.	बी. सरोजिनी देवी	–	–	4	9	10	23
14.	बी. शिवा रेड्डी	–	–	–	3	7	10
15.	सी. पद्मजा	–	–	1	–	–	1
16.	सी. सीता रामायण	–	–	4	–	3	7
17.	सी. सुधाकर	4	1	6	15	7	33
18.	सी.वी. रंगासे	–	–	3	2	2	8
19.	सी.वी. राव	–	–	1	1	0	2
20.	सी. वर्धिनी राजन	–	–	1	0	0	1
21.	च. कीर्ति	–	–	4	0	0	4
22.	च. रवि कुमार (वाई पी)	–	–	0	1	4	5
23.	च. वेमीगोपाल रेड्डी	–	–	0	0	15	15
24.	डी. एस. प्रसाद	–	–	0	2	–	2
25.	डी. वासुदेव राव	–	–	2	1	1	4
26.	डेविड सेम राव	–	–	4	15	2	21
27.	डा. बी.सी. मुथैय्या	–	–	1	0	0	1
28.	डा. डी. मांती	–	–	1	0	0	1
29.	डा. एच.जी. मनुमप्पा	–	–	2	0	0	2
30.	डा. जी. झांसी रानी	–	–	4	0	0	4
31.	डा. आई. रामाब्रह्म	–	–	1	6	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	डा. जे.बी.एस. मूर्ति	–	–	–	2	0	2
33.	डा. के.एम. नायडू	–	–	1	0	0	1
34.	डा. लीला प्रसाद	–	–	–	1	1	2
35.	डा. एम. मणिरत्नम	–	–	2	0	0	2
36.	डा. मूर्ति	–	–	1	0	0	1
37.	डा. पी. पुनीता सागर	–	–	3	0	0	3
38.	डा. रीता मेनन	–	–	0	1	0	1
39.	डा. सिंधी	–	–	0	1	0	1
40.	डा. श्रीधर सीतारमण	–	–	0	0	2	2
41.	डा. वी. रेडप्पा रेड्डी	–	–	3	0	0	3
42.	डा. वीणा शत्रुघ्न	–	–	1	1	0	2
43.	डा. वाई. गंगीरेड्डी	–	–	0	0	3	3
44.	ई. हरि बाबू	–	–	2	10	0	12
45.	ई. राघव राव	–	9	11	21	5	46
46.	जी.जी. गंगाधरन	–	1	0	5	1	7
47.	जी. के. भीमसेन	–	–	1	0	0	1
48.	जी. लक्ष्मैय्या नायडू	–	–	4	1	7	12
49.	जी. मोहन	–	–	0	0	1	1
50.	जी. मणिरत्नम	–	–	4	0	0	4
51.	जी. रामाकृष्ण रेड्डी	–	–	1	4	0	5
52.	जी. एस.आर. मूर्ति	–	–	0	3	0	3
53.	जी. सीतारामा राव	–	–	5	0	0	5
54.	जी. शिवनारायण राजू	–	–	1	0	0	1
55.	जी. सुब्बा राव	–	–	0	1	16	17
56.	जी. वी.जी.वी. कृष्णमराजू	–	–	4	0	0	4
57.	जी.वी. नागराज नायडू	–	–	0	0	1	1
58.	जी.वी.बी.एस.डी.एस. प्रसाद	–	–	1	8	0	9
59.	गाडफेरी जी.पी. जवाहर	–	–	0	4	21	25

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	गूंटी चूडामणि	–	–	0	3	11	14
61.	जे. रंगाराव	–	–	6	7	0	13
62.	जे. शेषाद्री नायडू	–	–	0	1	0	1
63.	जेनिफर मैथ्यू (वाई पी)	–	–	0	0	4	4
64.	के.ए. ज्योति	–	–	0	15	1	16
65.	के. अशोकराम (वाई पी)	–	–	15	2	2	19
66.	के.सी. नायक	–	–	0	0	1	1
67.	के.सी. रविन्द्र बाबू	–	–	0	0	1	1
68.	के. गंगाधरम	–	–	1	18	0	19
69.	के. मणिरत्न नायडू	–	–	1	6	0	7
70.	के. नरसैह नायडू	–	2	0	0	1	3
71.	के. रामाकृष्ण रेड्डी	–	–	1	5	5	11
72.	के. रविन्द्र बाबू	–	–	0	0	4	4
73.	के. एस. जगदीश	–	–	1	0	0	1
74.	के. एस. रमन	–	–	0	0	11	11
75.	के. शिवप्रसाद (एफप्रो)	–	–	1	4	7	12
76.	के. शिवसुब्रमण्यम	–	3	2	0	5	10
77.	के. सुरेश	–	–	0	0	2	2
78.	के. स्वर्ण कुमारी	–	–	2	0	0	2
79.	के.टी. श्रीनिवास रेड्डी	–	–	0	1	7	8
80.	के.वी. रमण मूर्ति	–	–	2	9	5	16
81.	के.वी. राव	–	–	0	2	0	2
82.	के.वी.एस. शास्त्री	–	–	0	1	0	1
83.	के. विश्वनाथन	–	–	0	1	0	1
84.	खान मुमताज अली	–	–	1	0	0	1
85.	कृष्ण मूर्ति	–	–	0	1	0	1
86.	एल.एस.एन. मूर्ति	–	–	0	11	4	15
87.	एम.ए. कयाम	–	–	1	1	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	एम. चंद्रशेखर राव	–	–	1	0	0	1
89.	एम.डी. रूक्मणि	–	–	1	0	0	1
90.	जी. गोपीनाथ	–	–	1	0	0	1
91.	एम. रंगाराजू	–	–	0	1	0	1
92.	एम. एस. पद्मनाभन	–	–	1	0	0	1
93.	एम.एस.एस. प्रेमकुमार	–	–	2	14	0	16
94.	एम.वी.एस. मूर्ति	–	–	0	2	8	10
95.	एम.वी. सुब्बा राव	–	–	4	0	0	4
96.	महेन्द्र नायक	–	–	0	0	2	2
97.	लियो फ्रांसिस सल्दान्हा	–	–	1	0	1	2
98.	कृष्ण पमार्थी	–	–	1	1	0	2
99.	नागमणि	–	–	1	0	0	1
100.	पी. अन्जैह	–	–	0	2	8	10
101.	पी. गंगी रेड्डी	–	–	4	0	0	4
102.	पी.एस. चंद्रशेखर राव	–	–	0	0	6	6
103.	प्रमोद कुमार मिश्रा	–	–	0	0	2	2
104.	पुष्णा वल्ली (वाई पी)	–	–	0	0	3	3
105.	आर.जी. नायडू	–	–	6	0	0	6
106.	आर. मुरली	–	–	6	11	2	19
107.	आर. मुरूगेसन	–	–	0	0	3	3
108.	आर. नरसिंह राव	–	–	2	0	0	2
109.	आर. रत्ना स्वामी	–	–	1	19	0	20
110.	आर. रवि कुमार राजू	–	–	0	3	13	16
111.	राजेन्द्र शा	–	–	1	0	0	1
112.	एस. पंडारीनाथ	–	–	0	0	1	1
113.	एस. सिद्धी राजू	–	–	0	3	14	17
114.	एस. सुब्बरामी रेड्डी	–	–	0	0	11	11
115.	साहित्य पुवनकृष्णन	–	–	7	1	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8
116.	शमा थामस	–	–	6	0	0	6
117.	श्रीमती पद्मजा गंगीरेड्डी	–	–	4	0	0	4
118.	श्री सुरेन्द्र सिंह	–	–	0	2	0	2
119.	सुरेन्द्र कुमार	–	–	1	4	4	9
120.	सुरेश कुमार	–	–	3	24	6	33
121.	टी. दत्ता	–	–	0	0	1	1
122.	टी. हरिणी	–	–	2	0	0	2
123.	टी. नरसिंहा रेड्डी	–	–	4	2	0	6
124.	यू.वी.एन. चरयूलू	–	–	1	2	1	4
125.	वी. अन्नमलाई	–	–	0	0	1	1
126.	वी.जे. नायडू	–	–	13	0	0	13
127.	वी. मयूरनाथ	–	–	1	5	0	6
128.	वी. मोहनरेड्डी	–	–	7	5	9	21
129.	वी. नगैय्या	–	–	4	0	12	16
130.	वी. पूरणचंद रेड्डी	–	–	3	0	0	3
131.	वी. सत्यअभुपाल रेड्डी	–	–	0	0	4	4
132.	वी. शिवशंकर राव	–	–	1	0	0	1
133.	वी. शिवलिंग प्रसाद	–	–	0	3	1	4
134.	वी.वी.पी. राव	–	–	0	1	0	1
135.	वसंत यादगिरकर	–	–	0	0	2	2
136.	वाई. नरसिंहैय्या	–	–	0	3	15	18
137.	वाई. श्रीनिवास राव	–	–	0	3	14	17
138.	ए.पी. घोष	1	–	1	–	–	2
139.	जी. पारन गौडा	2	–	9	3	1	15
140.	एम. डेविड सैम राय	3	–	–	–	–	3
141.	एम. रामामणि	3	–	7	1	–	11
142.	आर.एम. लमन	2	1	–	1	–	4
143.	आर. रत्ना स्वामी	1	6	5	4	–	16

1	2	3	4	5	6	7	8
144.	टी. सुरेश कुमार	1	1	–	4	–	6
145.	ए.बी. बालासुब्रह्मण्यम	–	2	–	–	–	2
146.	नरेन्द्र कु. जैन	–	1	–	–	–	1
147.	आर.आई. साक करूणाकर	–	3	1	2	1	7
148.	ए.के. भगवती	–	–	1	–	–	1
149.	भंवरलाल	–	–	5	–	–	5
150.	सी. अशोक कुमार	–	–	1	–	–	1
151.	गंगीरेड्डी पद्मजा	–	–	2	–	–	2
152.	एम. नारायण स्वाणी	–	–	1	–	–	1
153.	बी.एस. नागार्जन	–	–	–	1	–	1
154.	एल. कानन	–	–	–	1	–	1
155.	पी. हेगड़े	–	–	–	2	–	2
156.	उषा अबरोल	–	–	–	2	1	3
157.	जी.वी. रेड्डी	–	–	–	–	2	2
158.	डब्ल्यू.जी. (डा.) थामस वार्गीज	–	–	–	–	3	3
बिहार							
1.	श्री ए.पी. घोष	4	–	1	–	–	5
2.	आनंद दिनाकर करवे	1	–	–	–	–	1
3.	डी.पी. सिंह	1	3	–	–	–	4
4.	श्री डी.एन. शर्मा	3	–	–	–	–	3
5.	श्री जे.बी. राम	1	1	–	9	–	11
6.	श्री एम.एम. प्रसाद	1	1	–	4	–	6
7.	पी.एन. झा	9	–	–	2	1	12
8.	श्री आर.एन. सिंह	1	2	–	5	6	14

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	श्री आर.के. सिंहा	2	2	–	7	4	15
10.	श्री सतीश कुमार	22	–	–	10	11	43
11.	श्री शालिन्द्र कुमार श्रीवास्तव	6	2	2	9	1	20
12.	श्री सोलोमन प्रकाश	1	–	–	–	–	1
13.	टी. सरण	1	4	–	9	15	29
14.	सी. बलराम सिंह	–	1	–	–	–	1
15.	जी. सी. शुक्ला	–	1	–	–	–	1
16.	श्री एस. रथ	–	1	–	–	–	1
17.	श्री अनिल कुमार सिंह	–	–	1	11	13	25
18.	श्री अश्विनी कुमार सिंह	–	–	1	2	–	3
19.	बी.के. पांडे	–	–	1	–	–	1
20.	सी.एल. वर्मा	–	–	1	–	–	1
21.	ध्रुव नारायण राव	–	–	1	5	2	8
22.	द्वारकानाथ शर्मा	–	–	1	–	–	1
23.	जी. पवन गोयदा	–	–	3	5	3	11
24.	गोपाल चंद्र वर्मा	–	–	1	4	1	6
25.	कैलाश बिहारी	–	–	3	–	–	3
26.	श्री राजेन्द्र किशोर	–	–	1	15	–	16
27.	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	–	–	1	–	–	1
28.	श्री सतेंद्र नारायण	–	–	3	4	–	7
29.	श्री टी. दत्ता	–	–	2	–	–	2
30.	के.बी. गुप्ता	–	–	–	1	–	1
31.	श्री एम.के. डांगी	–	–	–	10	7	17
32.	श्री नृपेन्द्र नारायण	–	–	–	3	1	4
33.	श्री पुष्पा मार्टिन	–	–	–	2	1	3
34.	यू.के. सिंह	–	–	–	1	–	1
35.	वेणुगोपाल पिंगाली	–	–	–	3	–	3
36.	धावलेश्वर नंदा	–	–	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	रामबृक्ष मिश्रा	–	–	–	1	17	18
38.	शिव शर्मा	–	–	–	10	17	27
39.	प्रमोद कुमार सिंह	–	–	–	5	–	5
40.	श्री आर.पी. सिंह	–	–	–	1	4	5
41.	श्री कमलेश कुमार	–	–	–	5	1	6
42.	श्री अशोक कुमार पार्था	–	–	–	1	1	2
43.	श्री एल.डी. दयाल	–	–	–	1	1	2
44.	आर.एन. शुक्ला	–	–	–	3	7	10
45.	वी.के. पांडे	–	–	–	1	1	2
46.	कन्हैया ओहधर	–	–	–	3	4	7
47.	श्री यू.के. शर्मा	–	–	–	3	3	6
48.	राजी आलम	–	–	–	1	3	4
49.	श्री अरुण कुमार	–	–	–	1	4	5
50.	श्री एम.सी. सरकार	–	–	–	1	8	9
51.	श्री पृथुंजय कुमार	–	–	–	–	8	8
52.	श्री अखिलेश कुमार सिंह	–	–	–	–	6	6
53.	श्री विकास नाथ	–	–	–	–	2	2
54.	श्री एम.एच. अंसारी	–	–	–	–	6	6
55.	श्री ज्ञान प्रकाश	–	–	–	–	2	2
56.	श्री एस. मिश्रा	–	–	–	–	1	1
57.	श्री एच.एस. अहलुवालिया	–	–	–	–	2	2
58.	श्री परमानंद सिंह	–	–	–	–	2	2
59.	एम.बी. सरण	–	–	–	–	9	9
60.	श्री के. गोपीनाथ	–	–	–	–	1	1
61.	एम.के. सतपथी	–	–	–	–	4	4
62.	एम.के. राय	–	–	–	–	1	1
63.	श्री शमी अख्तर	–	–	–	–	1	1
64.	श्री ओम प्रकाश	–	–	–	–	1	1
65.	श्री टी. मिश्रा	–	–	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
असम							
1.	श्री हरि प्रसाद	11	4	–	–	–	15
2.	ए.के. गंगवार	3	–	1	–	–	4
3.	श्री आलोय कु. बराह	2	–	–	–	–	2
4.	असीम कुमार बरवा	–	–	7	1	–	8
5.	आशीष चक्रवर्ती	3	1	–	–	–	4
6.	ए.के. भगवती	1	1	–	–	–	2
7.	ए.के. भवगती	–	–	1	2	1	4
8.	भूपेन शर्मा	10	8	5	1	–	24
9.	बी.पी. बर्मा	–	1	–	–	–	1
10.	भास्कर भट्टाचार्य	–	1	–	–	–	1
11.	बी.जे. बसुरांतरी	–	–	–	–	3	3
12.	दिलीप शर्मा	8	–	–	–	1	9
13.	डी. फूकन	6	–	–	–	–	6
14.	बी.सी. भट्ट	2	–	–	–	–	2
15.	दीपेन कालिता	1	–	–	1	5	7
16.	डी. मोसाग्रहर	–	–	6	6	4	16
17.	एम.बी. राय	–	–	–	–	2	2
18.	जे. देवी	2	4	–	–	–	6
19.	जे. राघवियाह	2	1	–	1	1	5
20.	किरण एंगिया	10	9	6	3	–	28
21.	एम.एल. राय	–	–	–	–	1	1
22.	एम. चक्रवर्ती	–	–	–	–	1	1
23.	एन.एन. शर्मा	3	–	–	–	–	3
24.	प्रदीप कलिता	3	2	–	–	–	5
25.	प्रदीप कु. शर्मा	2	2	–	2	–	6
26.	पंकज कु. वर्मा	–	7	–	–	–	7
27.	प्रणव वर्मा	1	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	पी.सी. अचार्या	–	–	–	2	–	2
29.	रविन्द्र नाथ	12	1	–	–	–	13
30.	रचना यादव	2	7	–	–	5	14
31.	रमाणी कांता शर्मा	–	6	9	2	2	19
32.	शांति सैकिया	3	1	–	–	–	4
33.	सत्यश्री	1	2	–	–	–	3
34.	एस.के. बारकोलाई	4	–	–	–	–	4
35.	एस.एन. बोरठाकुर	–	–	–	2	3	5
36.	उद्दालक दत्ता	1	5	3	1	–	10
37.	यू.पी. धर	4	4	2	–	–	10
38.	वी.पी. सिंह	3	4	2	–	–	9
39.	देव प्रसाद चक्रवर्ती	–	–	1	–	–	1
अरुणाचल प्रदेश							
1.	ए. अरुणाचलम	–	–	3	1	–	4
2.	ए.के. साहू	–	–	–	–	1	1
3.	मखुर्ज्य कुण्दत्ता	–	–	–	3	–	3
4.	विजय कु. शर्मा	–	–	–	3	–	3
5.	वाई पी. राव	–	–	–	1	–	1
मणिपुर							
1.	अलबेंट जेड. एम.	4	2	1	–	–	7
2.	अशोक वाई. टिपनिस	2	–	1	–	–	2
3.	ब्रजेश्वरी देवी	–	4	6	5	3	18
4.	बी. देवेन शर्मा	2	2	–	–	–	4
5.	के. मेहरारी सिंह	–	3	–	1	3	7
6.	के.एम. सोमरेन्द्र सिंह	–	1	–	–	–	1
7.	मूमर फैगाक	–	1	–	2	–	3
8.	एन. गोपाल चंद्र	–	3	–	–	5	8
9.	एन. बाबूलीन	–	–	–	2	3	5
10.	आर.के. डायना देवी	1	3	–	–	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	सुशील कुमार सिंह	12	6	–	–	–	18
12.	एस. खुल्लर	–	1	–	–	–	1
13.	सुरजीत सिंह	10	10	1	–	–	21
14.	टी.एस. नगानियार	–	0	1	4	3	8
15.	वाई. लक्ष्मण सिंह	4	15	9	8	6	42
16.	अवधेश कुमार गंगवार	1	3	1	1	–	6
17.	जय प्रकाश राघविया	1	–	–	–	–	1
18.	ए.के. भगवती	–	2	–	–	–	2
19.	ए. लूना ओ	–	2	–	–	–	2
20.	ब्रज मोहन साहू	–	2	–	–	–	2
21.	एच. लक्षवमिलयाना	–	5	–	–	–	5
22.	मुमीन काक्ती	–	1	–	–	–	1
23.	अनुराधा टक्वार	–	–	–	1	–	1
24.	दलाल चंद्र बनर्जी	–	–	–	1	–	1
25.	डी. चब्रबर्ती	–	–	–	1	–	1
26.	गणेश चन्दर शर्मा	–	–	–	3	–	3
27.	जतिन्द्र एन. कलिता	–	–	–	1	–	1
28.	पी. के. गोस्वामी	–	–	–	2	–	2
29.	तपन कुमार मिश्रा	–	–	–	1	–	1
30.	अनुपुर्णा सान्याल	–	–	–	–	1	1
31.	पी.सी. आचार्य	–	–	–	–	1	1
32.	सतीश गिरजा	–	–	–	–	1	1
33.	स्वामी शोश	–	–	–	–	1	1
मेघालय							
1.	सी. नोरोफा	–	–	–	1	–	1
मिजोरम							
1.	एच. लालसावमिलियाना	2	5	1	–	–	8
2.	स्नागरा साइलो	3	–	–	–	–	3

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	तावनेंगा	–	1	–	–	–	1
4.	मिनिन कार्ती	–	1	–	–	–	1
5.	ए.के. गंगवार	–	–	–	2	–	2
नागालैंड							
1.	ए. लानु आव	2	1	1	–	–	4
2.	श्री आतोशी	–	2	–	–	–	2
3.	देव नक्कु	2	1	–	–	–	3
4.	के. विजो	10	–	1	–	2	13
5.	एल. विजो	–	5	1	–	–	6
6.	नेहेटो सोहे	2	1	–	2	–	5
7.	टी. पेन्सु	–	–	–	1	–	1
8.	वेलु शियो	–	1	–	–	–	1
सिक्किम							
1.	हुसैन सैकिया	3	6	–	–	–	9
त्रिपुरा							
1.	सी.एन. अनिल	–	1	5	1	–	7
2.	डी.के. सिंह	2	4	–	2	–	8
3.	चिट्टा रंजन पाल	–	–	–	1	–	1
गुजरात							
1.	अमृतभाई राम चन्द्र पटेल	–	2	–	–	1	3
2.	जी. पारन गौड़ा	–	1	1	–	1	3
3.	जे.एन. चोपड़ा	5	13	2	4	11	35
4.	बलवंत शंकर साठे	–	–	1	–	–	1
5.	एम.पी. श्रीनिवास	–	–	1	–	–	1
6.	एस.जी. कशिकर	–	–	1	–	–	1
7.	एस.एन. सिंह	–	–	1	–	–	1
8.	आनन्द शंकर दवे	–	–	–	3	–	3

9.	अनिल शिदोरे	–	–	–	1	–	1
10.	वसन्त एम. गुमास्ते	–	–	–	1	–	1
11.	अमिता शाह	–	–	–	1	1	2
12.	बाबु प्रकाश पाटिल	–	–	–	–	1	1
13.	छाया दतर	–	–	–	–	1	1
14.	दलीप आर. शाह	–	–	–	–	2	13
15.	दोआरका नाथ शर्मा	–	–	–	–	1	1
16.	एन.एम. जुंगनुरे	–	–	–	–	2	2
17.	एन. संजीव रावल	–	–	–	–	1	1
18.	एस. विट्ठल वामन	–	–	–	–	1	1
19.	सुप्रभा अग्रवाल	–	–	–	–	1	1
20.	श्री जे.जे. कुमार	–	–	–	–	1	1
21.	श्री आर.के. सामा	–	–	–	–	1	1
22.	पी. एन. भाटिया	21	19	9	25	9	83
23.	जे.एन. दवे	29	12	9	–	–	50
24.	श्री पी.बी. पाण्डया	11	18	6	4	1	40
25.	रोहित शुक्ला	4	4	1	–	–	9
26.	एम.के. अग्रवाल	12	16	19	1	–	48
27.	श्री एन. कुमार	–	–	–	–	1	1
28.	आर. बघेला	–	2	–	–	–	2
29.	नरिसा बरोत	–	1	–	–	–	1
30.	एम.एस. शाह	1	8	6	14	5	34
31.	एम.बी. मेहता	–	–	–	1	–	1
32.	श्रीमती अपेक्षा पटेल	–	–	–	–	–	1
महाराष्ट्र							
1.	श्री वी.एस. देशमुख	17	3	–	–	–	20
2.	श्री सतीश कुमार	–	–	–	–	–	1
3.	श्री सतीश कुलकर्णी	–	–	–	–	–	1
4.	बी.एस. साठे	–	–	–	2	1	3
5.	के.आर. सोनार	–	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	के.एस. देशपाण्डे	9	9	17	4	–	39
7.	के.एन. दण्डवाल	2	–	–	–	–	2
8.	के.एम. गेदाम	4	1	4	1	–	10
9.	विनय गणपति	4	–	1	–	–	5
10.	पी. कौशिक	–	1	–	–	–	1
11.	एम.ए. घरे	–	–	1	–	–	1
12.	एन.के. उमरानी	–	–	7	2	–	9
13.	एम.एम. कुलकर्णी	3	3	2	–	1	9
14.	डी.आर. नारंग	1	–	–	–	–	1
15.	पी.आर. महलकर	–	–	–	2	5	7
16.	तरन काटे	–	1	1	5	5	12
17.	पी.बी. पाटिल	–	–	–	10	1	11
18.	सी.जी. दंतर	–	–	–	3	2	5
19.	एस.एस. पुराणिक	–	–	1	2	–	3
20.	बिभा गुप्ता	–	–	–	5	–	5
21.	एम.एम. जंगनुरे	–	–	–	1	2	3
22.	डी.आर. बापत	–	–	1	4	3	8
23.	पी.एस. पाल	–	–	1	5	5	11
24.	बी.जी. कटपानल	–	–	1	2	–	3
25.	पी.आर. महाजन	–	–	–	–	3	3
26.	ए.आर. पटेल	1	3	–	1	–	5
27.	आनन्द दिनकर कर्वे	1	–	–	1	4	6
28.	एम.आर. साठे	1	–	–	–	–	1
29.	जी. पारन गौड़ा	–	1	1	–	–	2
30.	के. विजय लक्ष्मी	–	1	–	–	–	1
31.	नितियम परान्जपे	–	2	1	–	–	3
32.	एस.बी. गोखले	–	1	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	एस.एस. रथ	–	1	–	–	–	1
34.	शाजु वी. जोसफ	–	1	–	–	–	1
35.	वी.के. जैन	–	1	–	–	–	1
36.	वी. शेशाग्री राव	–	1	–	–	–	1
37.	अजीत ओक	–	–	1	–	–	1
38.	ए. फदनीस	–	–	3	2	2	7
39.	बी. आर. घरकर	–	–	3	–	–	3
40.	एस. विट्ठल वामन	–	–	3	1	3	7
41.	ए.वी. फड़के	–	–	–	1	–	1
42.	एच.जी. मनुमप्पा	–	–	–	1	–	1
43.	एम. प्रभाकर रघुनाथ	–	–	–	1	–	1
44.	एम.एस. रवि प्रकाश	–	–	–	1	–	1
45.	मधुकर रामचन्द्र साठे	–	–	–	1	–	1
46	पी. कमला मनोहर स्वामी	–	–	–	1	–	1
47.	पी.डी. अग्निहोत्री	–	–	–	1	–	1
48.	रामलाल कश्यप	–	–	–	2	–	2
49.	एस. अग्रवाल	–	–	–	1	–	1
50.	ए.एस.पी. मूर्ति	–	–	–	–	1	1
51.	सी.जी. दतर	–	–	–	–	3	3
52.	के. आर. कापसे	–	–	–	–	1	1
53.	लीना कश्यप	–	–	–	–	1	1
54.	एम.एस. रवि प्रकाश	–	–	–	–	1	1
55.	पी.पी.एस. गोसाईं	–	–	–	–	1	1
56.	एस.वाई. कुलकर्णी	–	–	–	–	2	2
57.	श्रीकान्त गुप्ता	–	–	–	–	2	2
58.	वी. गजन दण्डवते	–	–	–	–	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश							
1.	पी.जी. सोहनी	–	–	–	2	–	2
2.	एस.डी. शुक्ला	–	2	2	9	10	23
3.	पी.बी. अग्निहोत्री	–	–	–	1	–	1
4.	एस.पी. सतियग	–	–	–	25	1	26
5.	एच.के. जैन	2	2	–	–	–	4
6.	ए.के. वर्मा	–	–	–	–	6	6
7.	अवनीश तिवारी	33	19	27	7	11	97
8.	एल.के. चौबे	9	14	2	–	–	25
9.	टी.आर. गुप्ता	9	14	2	–	–	25
10.	पी.एस. दीक्षित	3	–	–	–	–	3
11.	जे.पी. शर्मा	1	–	–	–	–	1
12.	वी.के. जैन	–	2	–	1	–	3
13.	ए.एस. दवे	–	–	1	1	–	2
14.	एम.एल. नायक	–	–	1	–	–	1
15.	ललित मोहन सक्सेना	–	–	–	1	–	1
16.	रामलाल कश्यप	–	–	–	1	–	1
17.	अजित फणडिश	–	–	–	–	1	1
18.	सी.वी. रंगासाईं	–	–	–	–	2	2
19.	पी.पी.एस. गोसाईं	–	–	–	–	2	2
20.	आर.पी. सिंह	–	–	–	–	2	2
21.	तरोक काटे	–	–	–	–	1	1
हिमाचल प्रदेश							
1.	श्री अनिल कुमार	–	–	1	3	9	13
2.	श्री देवांशु चक्रवर्ती	–	–	–	1	–	1
3.	मिस नमवतारा	–	–	–	1	–	1
4.	मिस मिनाक्षी शर्मा	–	–	–	3	4	7
5.	डा. एम.के. आचार्य	–	–	1	–	–	1
6.	श्री हितेन्द्र कपूर	–	–	–	4	1	5
7.	श्री के. बिधि सिंह	–	–	–	–	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	श्री वी.के. अग्निहोत्री	–	–	–	3	–	3
9.	श्री वी.आर. रमेश	–	–	1	–	–	1
10.	श्री ओ.पी. सहगल	–	–	1	–	–	1
11.	श्री जोगिन्दर वालिया	–	–	2	–	2	4
12.	डा. आर.एस. चन्देल	–	–	4	–	2	6
13.	श्री के.एस. वर्मा	–	–	–	1	2	3
14.	डा. राजेश के. काले	–	–	–	1	–	1
15.	श्री जे.के. तोमर	–	–	2	–	1	3
16.	श्री जे.आर. रमोल	–	–	–	–	2	2
17.	श्री पूरन शर्मा	–	–	–	–	1	1
18.	श्री राजेश शर्मा	–	–	1	–	1	2
19.	श्री विजय ठाकुर	–	–	–	–	6	6
20.	श्री टी.सी. शर्मा	2	1	–	–	–	3
21.	श्री ए.पी. घोष	–	1	–	–	–	1
22.	श्री डी.एन. शर्मा	–	1	–	–	–	1
23.	श्री एम.सी. सक्सेना	–	1	–	–	–	1
24.	श्री बी.एस. राव	–	–	2	1	–	3
25.	श्री बकशेश सिंह	–	–	2	–	–	2
26.	श्री जे.सी. कौशिक	–	–	2	1	–	1
27.	श्री जे.एम. बालमुरूगन	–	–	1	–	–	1
28.	श्री आर.सी. मित्तल	–	–	1	1	–	2
29.	श्री के.वी. गुप्ता	–	–	–	1	–	1
30.	श्री डी.पी.एस. गोसाईं	–	–	–	3	–	3
31.	श्री आर. देवराय	–	–	–	1	–	1
32.	श्री एफ.ए. खुदसर	–	–	–	–	1	1
33.	श्री सुरेश सी. टिवान	–	–	–	–	1	1
34.	श्री धरमवीर	5	9	–	–	–	14
35.	श्री ओ.पी. सहगल	2	1	–	–	–	3
36.	श्री डी.पी. सिंह	3	1	–	–	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा							
1.	श्री ए.एल. भाटिया	–	–	1	–	–	1
2.	डा. अनिल शर्मा	–	–	1	8	7	16
3.	डा. मोहिन्दर शर्मा	–	–	1	1	6	8
4.	श्रीमती मरमिंदर कौर	–	–	–	2	1	3
5.	श्री राजपाल	–	–	–	4	–	4
6.	श्री इकबाल सिंह	–	–	–	4	7	11
7.	श्री नूर मोहम्मद	–	–	1	3	1	5
8.	श्री विशाल भारद्वाज	–	–	–	8	6	14
9.	श्री जे.सी. कौशिक	–	–	1	1	6	8
10.	श्री राज कुमार	–	–	1	–	2	3
11.	मिस पुर्णिमा चौहान	–	–	1	3	–	4
12.	विंग कमा. जगजीत सिंह	–	–	1	5	6	12
13.	श्री कुशवाहा	–	–	–	–	1	1
14.	श्री भूषण पाल	–	–	–	–	6	6
15.	श्री डी.डी. सागवाल	–	–	–	–	6	6
16.	श्री जगदीश मार्कण्डेय	–	–	–	–	2	2
17.	श्री आर.के. उपाध्याय	–	–	–	–	2	2
18.	मिस शबीना आरा	–	–	–	–	2	2
19.	श्री डी.एन. शर्मा	1	–	1	–	–	2
20.	श्री के.जी. बहल	1	2	–	–	–	3
21.	श्री एन.के. जैन	1	–	–	–	–	1
22.	श्री रामाश्रे सिंह	1	–	–	–	–	1
23.	श्री एस.के. सुन्दरियाल	1	–	–	–	–	1
24.	श्री पी.पी.एस. गोसाईं	–	2	1	–	1	4
25.	श्री बख्शीश सिंह	–	–	2	–	–	2
26.	श्री के.बी. गुप्ता	–	–	1	–	–	1
27.	श्री एल.एम. सक्सेना	–	–	1	–	–	1
28.	श्री एल. अरुण कुमार	–	–	–	–	1	1
29.	श्री सुन्दर लाल	2	–	–	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8
जम्मू-कश्मीर							
1.	श्री अली मोहम्मद मीर	–	–	1	–	–	1
2.	श्री मोह. अमीर डार	–	–	5	4	2	11
3.	श्री जी.एम. शेख	–	–	–	–	2	2
4.	डा. परन गौड़ा	–	–	1	–	–	1
5.	श्री आर.के. लुना	–	–	1	–	–	1
पंजाब							
1.	श्री धरम सिंह सहोता	–	–	1	–	–	1
2.	डा. अमृता कुमारी	–	–	1	–	–	1
3.	श्री एन.एस. सिंह	–	–	1	4	5	10
4.	श्री जी.जे. सिंह	–	–	1	–	–	1
5.	श्री जगरूप सिंह	–	–	1	–	–	1
6.	श्री लखबीर सिंह	–	–	1	3	2	6
7.	श्री राकेश सहगल	–	–	–	–	1	1
8.	श्री एल.आर. अग्रवाल	–	–	–	–	2	2
9.	मिस राजी वैद्य	–	–	–	–	3	3
10.	श्री एन.एस. संधु	–	–	–	–	6	6
11.	श्री जी.सी. शुक्ला	1	–	–	–	–	1
12.	श्री डी.एन. शर्मा	–	1	–	–	–	1
13.	श्री के.बी. गुप्ता	–	–	1	–	–	1
चंडीगढ़							
1.	कर्नल एच.जे. पुरी	–	–	1	1	–	2
2.	श्री अजायब सिंह	–	–	2	–	–	2
3.	श्री नरेश आनंद	–	–	–	4	7	11
4.	डा. चरणजीत सिंह	–	–	–	–	2	2
5.	डा. पी.डी. शर्मा	–	–	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली							
1.	श्री ए.पी. घोष	8	7	1	1	–	17
2.	श्री डी.के. दास	4	15	6	–	–	25
3.	श्री एच.एल. दानी	5	1	–	–	–	6
4.	श्री ओ.पी. गौड़	1	2	–	–	–	3
5.	श्री एन.एन. कपूर	19	4	1	1	–	25
6.	श्री डी.पी. शर्मा	5	9	1	1	–	16
7.	श्री आर.के. अग्रवाल	–	4	–	–	–	4
8.	श्री एन.के. जैन	–	2	–	–	–	2
9.	श्री ए. मैथ्यू	–	–	–	1	2	3
10.	श्री टी.सी. शर्मा	–	–	–	2	2	4
11.	श्री पी.पी.एस. शर्मा	–	–	–	–	2	2
राजस्थान							
1.	श्री जी.एल. सारस्वत	23	9	5	9	1	47
2.	श्री के.सी. मल्होत्रा	8	–	–	–	–	8
3.	श्री एन.एम. मेहता	21	12	8	4	–	45
4.	श्री अवध प्रसाद	11	2	6	1	–	20
5.	श्री एस.के. जैन	–	–	5	–	–	5
6.	श्री बी.सी. भण्डारी	9	16	4	2	–	31
7.	श्री बी.पी. जोशी	2	–	4	1	2	9
8.	श्री एस.एम. मेहता	3	9	–	–	–	12
9.	श्री जगदीश चन्द्रा	5	–	–	–	–	5
10.	श्री एस. गेहमवात	2	5	–	1	–	8
11.	श्री जी.एस. नरवानी	–	7	3	5	–	15
12.	श्री जे.सी. शर्मा	–	14	4	1	–	19
13.	श्री वी. विद्रोही	1	6	5	12	1	25
14.	श्री पी.सी. जैन	–	2	3	–	–	5
15.	श्री एस.एस. भत्ती	–	3	1	–	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	श्री जी. भमबानी	–	1	4	17	4	26
17.	श्री वी.सी. गुप्ता	–	–	–	2	6	8
18.	श्री जी.के. सिन्हा	–	–	–	2	–	2
19.	श्री आर.के. पाण्डेय	–	–	–	2	–	2
20.	श्री जी.एल. जैन	–	–	–	–	3	3
21.	श्री जी.आर. शर्मा	–	1	–	–	7	8
22.	श्री पी. सक्सेना	–	–	–	–	4	4
23.	श्री एस.एन. माथुर	–	–	–	–	4	4
24.	श्री भागीरथ शर्मा	–	–	1	–	–	1
25.	श्री जी. परान गोडवा	–	–	2	–	–	2
26.	श्री एस. मनहोत	–	–	1	–	3	4
27.	श्री डी.एन. शर्मा	–	1	–	–	–	1
28.	श्री जे.एन. चोपड़ा	–	1	–	–	–	1
29.	श्री जे.एन. कालिटा	–	–	–	1	–	1
30.	श्री पी.एस. देव	–	–	–	1	–	1
31.	श्री पी.पी.एस. गोसाईं	–	–	–	–	1	1
32.	श्री जे. मैथ्यू	–	–	–	–	1	1
33.	श्री अजीत पंदीस	–	–	–	–	1	1
34.	श्री अजीत ओएके	–	–	–	–	1	1
तमिलनाडु							
1.	श्री ए. जेया	–	–	–	2	–	2
2.	श्री ए. मधन कुमार	2	1	6	2	9	20
3.	श्री ए. वैद्यनाथन	–	–	1	1	–	2
4.	श्री अब्दुल भाई	–	–	–	1	–	1
5.	श्री आलोक गुहा	–	–	–	1	–	1
6.	श्री अन्थोनी स्वामी	–	–	–	2	–	2
7.	श्री बी. श्रीकुमार	–	–	–	5	–	5

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	श्री बी. सुब्रमण्यम रेड्डी	–	–	1	–	–	1
9.	श्री सी.आर. रामनारायणन	–	–	1	4	–	5
10.	श्री सी. विल्ली	–	–	–	–	2	2
11.	श्री डी.के. ओझा	–	1	1	4	–	6
12.	सुश्री डी.पी. इन्दिरा	–	–	–	1	–	1
13.	डा. आरती कौल्प्रा	–	–	1	2	–	3
14.	डा. डेजी धरमराज	–	3	4	4	–	11
15.	डा. एम.पी. बोरैन	–	–	2	15	–	17
16.	डा. एन. नारायणन स्वामी	2	–	–	1	–	3
17.	डा. राजम्मल पी. देवदास	–	–	1	1	–	2
18.	डा. एस. पोन्नुराज	4	1	2	5	1	13
19.	डा. टी.सी.ए. श्रीनिवास रामानुजन	–	–	–	8	2	10
20.	डा. टी. एम. वत्सला	–	–	–	4	1	5
21.	डा. टी. रंगनाथन	–	–	–	3	–	3
22.	डा. ए.वी. बालसुब्रमण्यम	–	2	2	4	–	8
23.	सुश्री जी कविता (वाई पी)	–	–	–	–	2	2
24.	श्री जी. परान गोवडा	13	5	6	9	13	46
25.	श्री जी.आर. श्रीनिवासन	–	–	–	3	7	10
26.	श्री जी. राजा	–	–	–	2	–	2
27.	श्री जे.जार्ज जोसेफ	–	–	–	3	2	5
28.	श्री जे. मारियादोस	–	–	–	1	–	1
29.	श्री जे. पाल अलेक्जेंडर	–	–	–	2	4	6
30.	श्री जोसेफ थामस	–	–	3	1	–	4
31.	श्री के. बालसुब्रमण्यम	–	–	–	1	–	1
32.	श्री के. गोविन्द राजू	–	–	–	1	–	1
33.	श्री के. जगन्नाथन	–	–	1	6	–	7
34.	श्री के. जनार्दन	–	–	–	1	–	1
35.	श्री के. जयरामन	–	–	1	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	श्री के. कन्नान	–	–	–	1	–	1
37.	श्री के. नरेन्दर	–	–	–	–	1	1
38.	श्री के. नटराजन	3	1	5	1	3	13
39.	श्री के.एस. गोविन्दन	–	–	2	–	–	2
40.	श्री के.वी. बोन्डाले	–	–	–	–	6	6
41.	सुश्री के. विजयलक्ष्मी	–	1	–	–	–	1
42.	श्री किरूपा करन	–	–	–	–	1	1
43.	श्री एल. कन्नान	–	–	1	4	–	5
44.	श्री डी. दिराविया राज	–	–	–	–	4	4
45.	सुश्री एम. पुष्पांजली (वाई पी)	–	–	–	–	1	1
46.	सुश्री अनबरासी	–	–	–	–	1	1
47.	श्री एन. अमुथासेखरन	–	–	–	–	8	8
48.	श्री एन.पी. पलानीसामी	2	–	1	17	8	28
49.	सुश्री एन. राधा	–	–	1	4	2	7
50.	श्री शिवा कुमार	–	–	–	2	–	2
51.	श्री पी. अन्नाकामु	–	–	3	2	–	5
52.	श्री पी. भगवतीस्वरन	–	–	–	1	6	7
53.	श्री पी. विवेकानन्दन	–	–	–	1	12	13
54.	श्री आ.एम. लक्ष्मणन	–	1	1	16	12	30
55.	श्री एस.के. कुमार	–	–	–	2	–	2
56.	श्री एस. कामराज	–	–	–	8	–	8
57.	श्री एस. पांडियान	–	–	1	7	–	8
58.	श्री एस. राजगोपालन	–	–	–	1	–	1
59.	श्री एस. सेतुनारायणन	3	–	–	–	2	5
60.	श्री एस. श्रीकुमार	–	–	–	3	–	3
61.	सुश्री एस. स्टेला मेरी	–	–	7	5	5	17
62.	सर्ड चेन्नाई	–	–	2	–	–	2
63.	श्री सुब्बारामा नायडू	–	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	श्री सुलतान अहमद इस्माईल	–	1	3	3	–	7
65.	श्री सुन्दर एग्बर्ट	–	–	1	2	–	3
66.	श्री टी. कन्नान	–	–	–	–	6	6
67.	श्री टी.एस. वैद्यनाथन	–	–	1	1	–	2
68.	श्री वी.एन. रामासुब्रमण्यम	–	–	2	1	1	4
69.	श्री वी. रामास्वामी	–	–	1	–	–	1
70.	श्री वी. सम्पथ	–	–	–	–	3	3
71.	श्री वी. शेषाग्री राव	2	4	1	–	1	8
72.	श्री बी.एस. नागराजन	5	–	–	–	–	5
73.	श्री के. नारासैटयाह नायडू	1	–	1	–	–	2
74.	श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति	1	–	–	–	–	1
75.	श्री आर. रामचन्द्रन	1	2	3	–	–	6
76.	श्री एस. चेल्लापंडी	14	–	–	–	–	14
77.	श्री ए. किल्लीवालवन	–	5	–	–	–	5
78.	श्री जी. जी. गंगाधरन	–	1	–	–	–	1
79.	श्री के. चाप्पल	1	2	2	–	–	5
80.	सुश्री ऊषा अबरोल	–	3	–	–	–	3
81.	श्री एम.आर. राजगोपालन	–	–	2	1	–	3
82.	श्री एस. शेषागिरी राव	–	–	2	1	–	3
83.	श्री एस. सुब्रमा राव	–	–	–	1	–	1
84.	श्री एस. थेकाक्कार	–	–	–	2	–	2
85.	श्री एम.जी. फ्रांसिस जेवियर	–	–	–	–	2	2
86.	सुश्री मारिया कमलम	–	–	–	–	1	1
87.	श्री आर. जयालक्षी	–	–	–	–	1	1
88.	श्री आर. नातेसन	–	–	–	–	1	1
89.	श्री एस.आर. सुब्रमण्यम	–	–	–	–	2	2
उड़ीसा							
1.	श्री अच्युत दास	1	–	–	–	1	2
2.	श्री ए.के. कालियामुड़ी	–	1	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	श्री ए.के. पात्रा	–	4	3	1	6	14
4.	श्री ए. साहू	–	–	2	–	–	2
5.	श्री ए.एन. कपूर	–	–	1	–	–	1
6.	श्री बी.एम. साहू	9	4	6	6	–	25
7.	श्री बी.एम. रथ	10	4	5	2	3	24
8.	श्री बी. मिश्रा	7	6	1	5	15	34
9.	श्री बी.के. मिश्रा	–	–	3	–	9	12
10.	श्री बी.पी. सामल	–	–	–	–	4	4
11.	श्री बी.बी. स्वैन	–	–	–	–	3	3
12.	श्री चरक मिश्रा	–	–	1	–	–	1
13.	श्री वी.वी. कृष्णा	–	–	–	–	7	7
14.	श्री डी. मिश्रा	6	–	8	–	–	14
15.	श्री डी. जगन्नाथ राजू	2	4	4	3	3	16
16.	श्री डी.के. जेना	2	4	–	–	–	6
17.	श्री दिवाकर प्रधान	3	–	–	–	–	3
18.	श्री देवेन्द्र नाथ दास	–	–	7	7	11	25
19.	श्री धारित्री द्विवेदी	–	–	–	2	4	6
20.	सुश्री गीतांजली मिश्रा	3	5	5	10	8	31
21.	श्री जी.एन. पण्डा	6	5	4	–	–	15
22.	श्री जी.के. पटनायक	2	2	1	–	–	5
23.	श्री गंगाधर नायक	6	2	1	1	3	13
24.	सुश्री गीतांजली पटनायक	4	5	12	11	9	41
25.	श्री जी. प्रधान	–	1	2	4	5	12
26.	श्री जी.पी. मिश्रा	–	–	1	–	–	1
27.	श्री गौड़ा पारन	–	–	–	3	1	4
28.	श्री जी.सी. मोहन्ती	–	–	6	3	9	18
29.	श्री जे. प्रधान	1	1	4	–	–	6
30.	श्री के.सी. दास	4	4	–	–	–	8

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	श्री के.सी. नायक	3	6	10	2	8	29
32.	श्री के. एम. सतपथी	14	3	2	–	–	19
33.	श्री के.आर. अग्रवाल	1	–	–	–	–	1
34.	श्री के.जे. पटनायक	–	1	–	–	–	1
35.	सुश्री कृष्णा चितन्या नायक	–	1	–	–	–	1
36.	श्री के.पी. मिश्रा	–	5	8	4	12	29
37.	श्री के. नरसिमा चारी	–	–	–	6	1	7
38.	सुश्री कुलजीत कौर मनोत	–	–	1	1	2	4
39.	श्री कुलमानी दास	–	–	2	–	9	11
40.	श्री खिरोद महापात्र	–	–	–	–	3	3
41.	श्री एम.एम. महापात्र	1	1	–	–	–	2
42.	श्री एम.के. महापात्र	2	–	–	–	–	2
43.	श्री महेन्द्र नाथ नायक	–	–	12	7	7	26
44.	श्री मानागोविन्द सांथा	–	–	–	–	3	3
45.	सुश्री मनोरमा पटनायक	–	–	–	–	1	1
46.	श्री निरंजन जेना	9	2	–	–	–	11
47.	सुश्री निरूपमा बडापंडा	1	2	–	1	1	5
48.	श्री एन.सी. कार	2	2	3	–	–	7
49.	श्री नारायण साहू	3	17	5	–	8	33
50.	श्री पी. रथ	1	3	–	–	–	4
51.	श्री पी.सी. कानूनगो	4	5	10	1	9	29
52.	श्री प्रफुल्ल चन्द पारिजा	1	1	–	–	–	2
53.	श्री प्रदीप महापात्र	–	1	–	–	2	3
54.	श्री प्रदीप कु. त्रिपाठी	–	–	3	1	4	8
55.	श्री पी.एस. मुखर्जी	–	–	1	2	3	6
56.	श्री प्रमोद कु. मिश्रा	–	–	1	3	13	17
57.	श्री प्रवु चरन लेनका	–	–	2	4	12	18
58.	श्री प्रदीप कु. भौमिक	–	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	श्री पी.के. मोहन्ती	–	–	–	–	3	3
60.	श्री पी.पी.एस. गुसाईं	–	–	–	2	4	6
61.	श्री आर.के. गौड़ा	2	2	7	1	–	12
62.	श्री आर.के. जेना	1	–	–	–	–	1
63.	श्री आर.एन. मोहन्ती	1	–	–	–	–	1
64.	श्री आर.आर. पात्र	–	–	–	–	1	1
65.	श्री राखल श्याम मिश्रा	–	–	–	–	1	1
66.	श्री एस.पी. पटनायक	1	3	4	–	1	9
67.	श्री एस.एन. दास	1	–	–	–	–	1
68.	श्री एस.एन. मोहन्ती	–	–	–	–	5	5
69.	श्री सुजीत वी. दास	–	–	–	2	5	7
70.	श्री एस.आर. पटनायक	10	2	–	–	–	12
71.	श्री सुच्चान्जन सिंह	–	–	–	1	1	2
72.	श्री एस.एस. महापात्र	–	–	–	–	2	2
73.	श्री सुभा जे. भराली	–	–	–	–	1	1
74.	श्री सुकान्त कु. रथ	–	2	–	–	2	4
75.	श्री एस. बिस्वाल	–	–	–	–	6	6
76.	श्री टी. दत्ता	23	23	7	6	9	68
77.	श्री टी. मिश्रा	14	3	4	–	–	21
78.	श्री टी.सी. शर्मा	–	–	–	–	21	21
79.	श्री ए.पी. घोष	1	–	–	–	–	1
80.	श्री एस.एन. सिंह	–	2	–	–	–	2
81.	श्री डी.एन. शर्मा	–	–	1	–	–	1
82.	श्री जी. राजा	–	–	1	–	–	1
83.	श्री जे.बी. राम	–	–	1	–	–	1
84.	श्री एस. रथ	2	–	1	–	–	3
85.	श्री ए.वी. फड़के	–	–	–	1	–	1
86.	श्री डी. नन्दा	–	–	–	2	4	6

1	2	3	4	5	6	7	8
87.	श्री एस. कपूर	–	–	–	3	1	4
88.	श्री सतीश गिरिजा	–	–	–	–	1	1
पश्चिम बंगाल							
1.	श्री ए.के. चाराबोरती	4	3	1	–	–	8
2.	श्री ए.के. मण्डल	4	4	2	–	–	10
3.	श्री असित कु. बसु	8	2	–	–	–	10
4.	श्री ए.के. पाटी	4	1	–	5	–	10
5.	श्री अब्दुल कलाम मोल्ला	2	5	1	1	–	9
6.	श्री अमलेन्दु डे	1	–	–	–	–	1
7.	श्री ए.के. राय	3	1	3	9	11	27
8.	श्री ए.के. भागबती	–	1	3	–	–	4
9.	श्री अमितव सन्याल	–	–	6	1	–	7
10.	श्री अमूल्य चरन सामन्त	–	–	5	3	4	12
11.	सुश्री अनुराधा तलवार	–	–	12	10	5	27
12.	श्री अरविन्द नंदी	–	–	4	3	–	7
13.	सुश्री अन्नपूर्णा सन्याल	–	–	8	4	6	18
14.	श्री बी.बी. ऐच	1	–	1	–	–	2
15.	श्री बी.बी. चक्रवर्ती	7	2	–	–	–	9
16.	श्री बी. मौलिक	4	–	–	–	–	4
17.	श्री बी.एन. घोष	12	15	9	–	–	36
18.	श्री बी. मिश्रा	–	–	1	1	3	5
19.	श्री बैद्यनाथ पाल	–	–	–	–	11	11
20.	श्री सी.जी. बनर्जी	2	7	3	–	–	12
21.	श्री डी.सी. बनर्जी	–	1	14	11	4	30
22.	श्री डी. पंडा	3	6	22	16	10	57
23.	श्री निदेश अग्रवाल	2	–	–	–	–	2
24.	श्री देबेन्द्र नाथ दास	–	–	9	3	6	18
25.	श्री दीपंकर दास गुप्ता	–	–	1	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	श्री बेबाब्रता देसगुप्ता	–	–	2	3	10	15
27.	श्री देबप्रसाद चक्रवर्ती	–	–	3	4	2	9
28.	श्री दुर्गापड़ा मण्डल	–	–	–	1	1	2
29.	श्री देबासी सरकार	–	–	5	5	6	16
30.	श्री जी. प्रधान	1	–	–	2	–	3
31.	श्री गौरीधर	2	–	–	–	–	2
32.	सुश्री गीतांजली मिश्रा	1	2	7	–	–	10
33.	सुश्री गीतांजली पटनायक	–	–	5	2	–	7
34.	श्री जी.सी. मोहन्ती	–	–	–	1	–	1
35.	श्री जे. मजूमदार	1	3	1	1	–	6
36.	श्री जे.एम. प्रधान	–	1	–	–	–	1
37.	श्री जे.बी. राम	2	–	3	1	–	6
38.	श्री के.सी. नायक	–	–	9	3	4	16
39.	श्री के.पी. मिश्रा	–	–	2	–	2	4
40.	श्री काली शंकर घोष	–	–	–	–	2	2
41.	श्री के.जे. नाथ	–	–	–	–	1	1
42.	श्री के.डी. बनर्जी	4	4	–	–	–	8
43.	श्री एम. दास महापात्र	7	–	–	–	–	7
44.	श्री एम.आर. दत्ता	6	4	–	–	–	10
45.	श्री मानस कुमार बनर्जी	8	5	–	–	13	26
46.	श्री एम.जी. सोम	1	–	–	–	–	1
47.	श्री एम.बी. काजी रहीम	–	–	7	–	1	8
48.	श्री महेन्द्र नाथ नायक	–	1	2	2	3	8
49.	श्री मानस मोहन अधिकारी	–	–	2	5	1	8
50.	श्री एन.सी. डे	1	1	1	–	–	3
51.	श्री एन.के. सिन्हा	11	5	1	–	–	17
52.	श्री एन. मुखर्जी	1	5	–	–	–	6
53.	श्री पी.पी.ए. गोसाईं	–	2	–	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	श्री प्रदीप महापात्र	–	1	–	–	–	1
55.	श्री पी.सी. कानूनगो	–	1	7	–	–	8
56.	श्री पी.के. घोष	–	–	12	1	–	13
57.	श्री पी.के. मुखोपाध्याय	–	–	3	3	1	7
58.	श्री प्रदीप कु. भौमिक	–	–	6	8	6	20
59.	श्री आर.एन. मण्डल	7	1	–	–	–	8
60.	श्री आर.पी. पाल	19	1	–	–	–	20
61.	श्री आर.आर. दासगुप्ता	11	11	8	–	–	30
62.	श्री आर. हसन	2	4	–	–	–	6
63.	श्री आर.के. भट्टाचार्य	1	1	1	–	–	3
64.	श्री शिखा सन्याल	1	2	–	–	–	3
65.	श्री एस.के. सन्याल	8	4	–	–	–	12
66.	श्री एस.एन. बोस	7	7	1	–	–	15
67.	श्री एस.एन. हलदर	11	24	4	1	–	40
68.	श्री एस.सी. राय	2	–	–	–	–	2
69.	श्री समुसुद्दीन अहमद	6	11	12	7	13	49
70.	श्री सुब्रसिल बसु	3	2	–	–	–	5
71.	श्री एस.एन. सिंह	22	52	19	7	9	109
72.	श्री एस.के. डे	3	4	3	–	1	11
73.	श्री सजाद इमाम	–	2	–	–	–	2
74.	श्री सुवेन्दु मित्रा	–	–	–	1	–	1
75.	श्री सत्यजीत गंगोपाध्या	–	–	–	–	11	11
76.	श्री संजीव भट्टाचार्य	–	–	–	–	20	20
77.	श्री सोम सुब्रा सेन शर्मा	–	–	3	6	10	19
78.	श्री सुधाकर बोस	–	–	–	–	1	1
79.	श्री संजीत कु. साहा	–	–	–	–	5	5
80.	श्री टी. भट्टाचार्य	1	6	3	–	–	10
81.	श्री यू.बी. सेन	2	2	5	11	11	31

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	श्री विश्वनाथ सिंह राय	–	–	–	–	2	2
83.	श्री ए.पी. घोष	2	–	–	–	–	2
84.	श्री बी.आर. घोष	1	4	–	1	1	7
85.	श्री सी.सी. सरकार	2	4	1	–	–	7
86.	श्री एम. काकाती	2	–	–	–	–	2
87.	श्री एन. साहू	2	2	1	3	–	8
88.	श्री एस. रथ	4	5	–	–	–	9
89.	श्री एस. गिरिजा	2	–	–	–	1	3
90.	श्री तराक काते	1	–	–	–	–	1
91.	श्री बी.एन. रथ	–	5	–	–	–	5
92.	श्री आर.एन. शुक्ला	–	2	–	–	–	2
93.	श्री एस.एन. मोहंती	–	3	2	–	1	6
94.	श्री टी. दत्ता	–	1	1	–	–	2
95.	श्री सी आर पाल	–	–	5	3	6	14
96.	श्री के. ओचधर	–	–	2	1	–	3
97.	सुश्री के.के. धनोट	–	–	2	–	–	2
98.	सुश्री पी. मार्टिन	–	–	1	–	–	1
99.	श्री तुलिका दास	–	–	2	–	–	2
100.	श्री ए.के. परया	–	–	–	2	–	2
101.	श्री सी.बी. प्रसाद	–	–	–	2	4	6
102.	श्री पी.एस. दास पटनायक	–	–	–	4	–	4
103.	श्री एस.के. मेती	–	–	–	2	–	2
104.	श्री एन.पी. नायक	–	–	–	–	2	2
105.	श्री सोयमी घोष	–	–	–	–	5	5
कर्नाटक							
1.	बी.सी. थिआगारागन	–	–	–	1	3	4
2.	एन. महेश्वर नायडु	1	–	1	1	1	4
3.	एच. जी. हनुमाप्पा	–	–	–	2	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	एस. डी. हिरिमथ	–	–	–	1	6	7
5.	आर. जी. कुलकर्णी	–	–	–	3	8	11
6.	एस.एम. सुब्रहमण्यम सेठी	–	–	–	1	–	1
7.	टी के कावन	–	–	–	1	–	1
8.	जी परन गोडा	–	–	2	5	11	18
9.	नासावा बी एम मैथ	–	–	–	–	2	2
10.	सी अशोक कुमार	–	1	–	–	3	4
11.	जी वेंकटेश रेड्डी	–	–	–	–	2	2
12.	जे सुदर्शन	–	–	–	–	1	1
13.	टी के कावरी	–	–	–	–	11	11
14.	केशव नरेशवाली	–	–	–	–	3	3
15.	आर श्रीकंथ	–	–	–	–	5	5
16.	के आर सूर्या प्रसाद राय	–	–	–	–	1	1
17.	एस आदित्य नारायण	–	–	2	–	2	4
18.	टी बी बी एस वीरामानाइच	–	–	–	–	4	4
19.	वी एल कलापुर	–	–	–	–	10	10
20.	आर इसा करूणा करन	1	–	1	–	–	2
21.	एस जी गिनमाजी	1	–	–	1	–	2
22.	ऊषा अबरोल	1	–	–	–	–	1
23.	वी नागेइच	1	3	–	–	–	4
24.	के नटराजन	–	1	–	–	–	1
25.	एम रामामणि	–	1	–	–	–	1
26.	एन नारायन स्वामी	–	1	–	–	–	1
27.	आर श्रीनिवास मूर्ति	–	1	–	–	–	1
28.	अब्दुल रजाक	–	–	1	–	–	1
29.	ई. राघव राव	–	–	–	2	–	2
30.	जे एम बालामुरूगन	–	–	1	–	–	1
31.	के नारासाइंच नायडू	–	–	1	2	–	3
32.	खासनाबिस चपल	–	–	2	–	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	एम आर साथी	–	–	1	–	–	1
34.	नितिन एम परांजपे	–	–	2	–	–	2
35.	पी ए देवरी	–	–	1	–	–	1
36.	आर रामाचन्द्रन	–	–	1	1	–	2
37.	आर रत्ना स्वामी	–	–	1	–	–	1
38.	एस एन सिंह	–	–	1	–	–	1
39.	वंजा राम प्रसाद	–	–	1	1	–	2
40.	विंग. काम. थामस वर्गीस	–	–	2	–	–	2
41.	एम पी श्रीनिवास	–	–	–	1	–	1
42.	एन एम जगंनुर	–	–	–	1	–	1
43.	ए एस मूर्ति	–	–	–	–	1	1
44.	पांडुरंग हेगड़े	–	–	–	–	1	1
45.	एस आर सुब्राणियम	–	–	–	–	1	1
46.	तारक काते	–	–	–	–	1	1
47.	यू वी एन चारूलू	–	–	–	–	1	1
48.	विनोद काले	–	–	–	–	1	1
केरल							
1.	रघुराम दास	4	1	–	8	7	20
2.	बी चन्द्रशेखरन	–	–	2	9	12	23
3.	जी कृष्णा प्रसाद	–	–	–	4	5	9
4.	जे सनथ दास	–	2	–	–	2	4
5.	जोस चाथु कुलम	–	–	–	–	8	8
6.	के बालाचन्द्र कुरूप	–	1	–	–	5	6
7.	के मामपिल्ले	1	–	–	1	5	7
8.	के राजशेखरन	–	–	–	–	11	11
9.	पी वी वरगीस	–	–	1	–	4	5
10.	थामस मैथ्यू	–	–	–	–	4	4
11.	जी परन गोडा	2	–	–	2	–	2
12.	पी.एम. देव	1	–	1	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	शाजु वी जोसफ	2	3	2	1	2	10
14.	ए.डी. कारवी	–	1	–	–	–	1
15.	ई.के. नारायण	–	1	2	–	–	3
16.	ए. मदन कुमार	–	–	1	–	–	1
17.	एन.पी. पालामस्वामी	–	–	1	–	–	1
18.	आर.एम. लक्ष्मण	–	–	1	–	–	1
19.	जी. राजा	–	–	–	1	–	1
20.	एम.आर. राजगोपालन	–	–	–	1	–	1
21.	एन. नारायण स्वामी	–	–	–	1	1	2
22.	आलोक गुहा	–	–	–	–	1	1
23.	आर नातीसन	–	–	–	–	2	2
24.	आर रामाचन्द्रन	–	–	–	–	1	1
25.	आर रवि कुमार राजू	–	–	–	–	1	1
26.	के. राजशेखरन	–	–	–	–	1	1
27.	ए. मदन कुमार	–	–	1	–	–	1
झारखंड							
1.	प्रसाद नारायण झा	1	–	1	–	–	2
2.	डी पी सिंह	–	1	1	–	–	2
3.	टी शरण	–	1	–	–	–	1
4.	राकेश कुमार	–	1	–	–	–	1
5.	वी के पांडे	–	–	1	–	–	1
6.	जी परन गोडा	–	–	3	–	–	3
7.	पी के त्रिपाठी	–	–	1	–	–	1
8.	सतीश गिरिजा	–	–	1	–	–	1
उत्तरांचल							
1.	श्री देवशीष सेन	–	–	–	–	7	7
2.	श्री राजेश कुमार	–	–	1	1	7	9
3.	श्री जे पी डबराल	–	–	–	–	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	श्री ए.एस. रातुरी	–	–	–	–	2	2
5.	ब्रि. के जी बहल	–	–	–	–	4	4
6.	श्री राकेश कुमार	–	–	–	–	6	6
7.	श्री रावीश जोशी	–	–	–	–	5	5
8.	श्री सुधीर चन्द्रा	–	–	–	–	1	1
9.	श्री पी सी तिवारी	–	–	–	–	4	4
10.	ए.पी. घोष	4	–	–	–	–	4
11.	डी एन शर्मा	1	–	1	–	–	2
12.	जी परन गोडा	–	–	1	–	–	1
13.	पी के श्रीवास्तव	–	–	1	–	–	1
14.	एच एन सिंह	–	–	–	1	–	1
उत्तर प्रदेश							
1.	श्री अक्षय भाई	–	17	3	–	–	20
2.	श्री ए.के. राज	–	14	3	14	5	36
3.	श्री ए.के. बनर्जी	–	26	7	–	7	40
4.	श्री बी बी बानिक	–	7	2	5	–	14
5.	श्री सी बी उपाध्याय	–	42	9	7	15	73
6.	श्री गोमती सिंह	–	5	1	8	2	16
7.	श्री आई पी सिंह	–	39	91	1	–	49
8.	श्री जे आर गौड़	–	17	1	–	–	18
9.	श्री के के जौहरी	–	34	7	–	–	41
10.	श्री के आर अग्रवाल	–	16	2	–	1	19
11.	श्री नवीन जोशी	–	–	2	–	–	2
12.	श्री ब्रि. के जी बहल	–	–	1	1	–	2
13.	श्री आर के गर्ग	–	8	3	2	–	13
14.	श्री पी पी एस गसाई	–	–	1	–	1	2
15.	श्री आर के बिश्नोई	–	6	7	12	7	32

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	श्री एस एन श्रीवास्तव	–	3	1	–	–	4
17.	श्री एस सी गुप्ता	–	23	2	–	–	25
18.	श्री आर बी दुबे	–	11	2	–	–	13
19.	श्री एस वेंकटारमन	–	33	2	–	–	35
20.	कर्नल आर एन सिंह	–	41	3	–	–	44
21.	मो. जमाल अहमद	1	5	16	–	8	30
22.	श्री निरंजन वर्मा	–	–	1	2	–	3
23.	श्री एस सी थालीदी	–	8	4	1	–	13
24.	श्री प्रभात कुमार	–	11	7	8	–	26
25.	श्री वी एन श्रीवास्तव	–	16	2	11	2	31
26.	श्री बी आर एस चौहान	–	–	4	–	6	10
27.	श्री जी एस सिंह	–	–	1	8	–	9
28.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	–	–	5	2	17	24
29.	श्री एस पी त्रिपाठी	–	11	2	–	–	13
30.	श्री एस के गौड़	–	–	2	6	–	8
31.	श्री प्रेम सिंह विष्ट	–	1	1	–	–	2
32.	कर्नल डी एन शर्मा	2	4	4	11	9	30
33.	श्री संदीप कुमार	–	–	1	–	–	1
34.	श्री बी बी गोयल	–	–	1	2	–	3
35.	श्री जी सी शुक्ला	–	–	1	2	5	8
36.	श्री आर के गुप्ता	–	8	2	1	–	11
37.	श्री बी के टंडन	–	1	1	3	–	5
38.	श्री जयभगवान शर्मा	–	–	1	–	–	1
39.	श्री ब्रिज खंडेलवाल	–	–	2	6	–	8
40.	श्री ओ पी शर्मा	–	–	1	1	–	2
41.	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	–	–	3	2	1	6
42.	श्री ए एन सिंह	–	–	1	–	–	1
43.	श्री सोलोमान प्रकाश	–	–	1	11	19	31
44.	श्री सी आई वर्मा	–	–	–	1	6	7
45.	श्री रमेश भाई	–	–	–	–	1	1
46.	श्री आर एल दीवान	–	15	–	–	–	15

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	श्री राजेश कुमार	–	–	–	3	–	3
48.	श्री आर एस द्विवेदी	–	–	–	–	4	4
49.	श्री वी एन द्विवेदी	–	–	3	7	21	31
50.	श्री नंदलाल	–	6	–	3	8	17
51.	श्री आर एस सिंह	–	–	–	–	1	1
52.	श्री विष्णु शरण	–	–	–	–	1	1
53.	श्री आर पी सिंह	–	–	–	5	–	5
54.	श्री रामशरे सिंह	5	36	–	–	3	44
55.	श्री एन के मिश्रा	–	–	–	–	1	1
56.	मो. सिद्दि अशरफ	–	–	–	–	1	1
57.	श्री आर पी शुक्ला	–	–	–	6	1	7
58.	श्री एन एन मल्होत्रा	–	1	–	–	2	3
59.	श्री एस के सुंदरीयाल	–	23	–	3	23	49
60.	श्री अक्षय कुमार	–	33	–	–	–	33
61.	श्री ए पी घोष	1	16	1	--	–	18
62.	डी. बी शर्मा	–	2	–	–	–	2
63.	श्री आई एन आर पांडे	–	2	–	–	–	2
64.	श्री जय देव	–	1	–	–	–	1
65.	श्री मितन प्रसाद	–	1	–	–	–	1
66.	श्री मुरली मनोहर प्रसाद	–	10	–	–	–	10
67.	श्री महादेव प्रसाद	–	3	–	–	–	3
68.	श्री एन एन त्रिवेदी	–	9	–	–	–	9
69.	श्री पी के शर्मा	–	5	–	–	–	5
70.	डा. पदमालय्यर	–	7	–	–	–	7
71.	श्री राम कलेवर सिंह	–	1	–	–	–	1
72.	श्री रघुवंश नारायण सिंह	–	11	–	–	–	11
73.	श्री आर पी गौतम	–	11	–	–	2	13
74.	श्री राम प्रावीश सिंह	–	25	–	–	–	25
75.	श्री सतीश गिरिजा	–	54	–	–	–	54
76.	श्री एस जे अहमद	1	27	3	44	5	80
77.	श्रीमती चंद्रकांती सिंह	–	2	–	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	श्री कामरूल हसन	–	18	–	–	–	18
79.	श्री एस पी साही	–	1	–	–	–	1
80.	श्री यू एस शुक्ला	–	3	–	–	–	3
81.	श्री त्रिपुरारी शरण	–	18	–	–	–	18
82.	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	–	2	–	–	11	13
83.	डा. वी. विनायक	–	2	–	1	–	3
84.	डा. गिरीश चन्द्र शुक्ला	–	1	–	–	–	1
85.	डा. बलराम सिंह चौहान	4	9	–	–	–	13
86.	श्री गिरीश कुमार	–	1	–	–	–	1
87.	श्री आलोक नारायण सिंह	–	–	–	10	3	13
88.	श्री ए के शर्मा	–	–	–	2	–	2
89.	श्री एस जी गुप्ता	–	–	–	1	–	1
90.	श्री वी के सिंह	–	–	–	21	–	21
91.	श्री आर ए सिंह	1	–	–	12	–	13
92.	श्री टी सी शर्मा	4	1	–	5	–	10
93.	श्री वी एन गुप्ता	–	–	–	3	–	3
94.	श्री डी पी सिंह	–	–	–	7	–	7
95.	श्री सुरेन्द्र शर्मा	–	–	–	2	–	2
96.	श्री नंद कुमार मिश्रा	–	–	2	4	9	15
97.	श्री राजबीर सिंह राठौड़	–	–	–	3	–	3
98.	श्री सुधीर कुमार	–	–	–	6	–	6
99.	श्री सोमदत्त शर्मा	–	–	–	2	–	2
100.	श्री वी के मिश्रा	–	–	–	1	–	1
101.	श्री अशोक कुमार गोयल	–	–	–	4	–	4
102.	श्री आर के राणा	–	–	–	1	–	1
103.	श्री ए के मिश्रा	–	–	–	1	–	1
104.	श्री एम एस अशरफ	–	–	–	1	–	1
105.	श्री एम पी गुप्ता	–	–	–	6	1	7
106.	सुश्री प्रभा वैष्णे	–	–	–	4	–	4
107.	श्री वी के दुबे	–	–	2	5	–	7
108.	श्री एस के शर्मा	–	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
109.	श्री आर एस विश्वाकना	–	–	–	1	–	1
110.	श्री एच आर यादव	–	–	–	2	16	18
111.	श्री अमिताभ वाजपेई	–	–	–	–	1	1
112.	श्री वी पी परिगुनायन	–	–	–	–	7	7
113.	डा. रतनलाल दीवान	–	–	–	–	1	1
114.	श्री एम सी सक्सेना	–	–	2	–	1	3
115.	डा. रश्मि गंगवार	–	–	–	–	2	2
116.	श्री सतीश कुमार गौड	–	–	–	–	2	2
117.	श्री विनय पालीवाल	–	–	–	–	6	6
118.	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	–	–	–	–	6	6
119.	डा आई एम जोशी	–	–	–	–	2	2
120.	श्री एस सी शर्मा	–	–	–	–	14	14
121.	श्री संतोष कुमार सिंह	–	–	–	–	7	7
122.	स्वामी दयाल सिंह घई	–	–	–	–	2	2
123.	श्री आर के शर्मा	–	–	–	–	1	1
124.	श्री ए.बी. सिंह	–	–	–	–	1	1
125.	श्री नंद किशोर श्रीवास्तव	–	–	–	–	3	3
126.	श्री दिनेश चन्द्र	–	–	–	–	1	1
127.	श्री ओ.पी. मखीजा	2	–	–	–	–	2
128.	श्री एस के सुंदरियाल	5	–	–	–	1	6
129.	श्री तरक गाते	–	1	–	–	–	1
130.	श्री परन गोडा	–	–	1	–	–	1
131.	श्री डी. पी. सिंह	–	–	–	2	3	5

अनुबंध-क

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	अंडमान-निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

जवाहर नवोदय विद्यालय में +2 प्रणाली का आरंभ किया जाना

1349. श्री राजैया मल्याला: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालयों में +2 स्तर पर आरंभ की गई/आरंभ की जाने वाली नवीन ''स्ट्रीम्स'' (वैकल्पिक) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान राज्य के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में छठी कक्षा में कुल कितने छात्रों का नामांकन किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए वैकल्पिक विषय शुरू करने का प्रस्ताव है:-

(i) बायो-टैक्नोलाजी

(ii) इनफोरमेटिक प्रेक्टिसेज

(iii) कम्प्यूटर साइंस

(ख) वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में कुल 1760 बच्चों ने दाखिला लिया।

अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों को केन्द्रीय राज्य सहायता की संस्वीकृति

1350. श्री अशोक रा. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2002 के ''द हिन्दू'' में ''सेन्टर फार बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन स्माल टाउन्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) वे राज्य कौन से हैं जिनको राज सहायता संस्वीकृत की गई है;

(घ) प्रत्येक राज्य को कितने धनराशि की संस्वीकृति की गई है;

(ङ) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा राज्य सहायता स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) शेष राज्यों को कब तक राज सहायता संस्वीकृत किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

(ग) और (घ) विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) वाम्बे एक मांग-मूलक स्कीम है और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने परियोजना प्रस्ताव तैयार करना होता है तथा केन्द्रीय सब्सिडी जारी करने के लिए उन्हें सरकार को प्रस्तुत करना होता है।

विवरण

वाम्बे के अंतर्गत वर्ष-वार जारी की गई राशियों का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2001-02 के दौरान राशि (रु.)	वर्ष 2002-03 के दौरान जारी राशि (रु.)	कुल जारी राशि (रु.)
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	1172.00	452.70	1624.70
2.	पांडिचेरी	33.50	-	33.50

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	65.00	166.26	231.26
4.	कर्नाटक	915.00	523.37 8.52	1446.89
5.	उत्तरांचल	36.00	–	36.00
6.	आंध्र प्रदेश	1200.00	–	1200.00
7.	उत्तर प्रदेश	743.45	87.55	831.00
8.	गुजरात	384.00	248.00	632.00
9.	केरल	182.00	84.00	266.00
10.	जम्मू व कश्मीर	87.00	38.32	125.32
11.	महाराष्ट्र	1198.00	65.60	1263.60
12.	त्रिपुरा	10.05	–	10.05
13.	मध्य प्रदेश	246.00	–	246.00
14.	राजस्थान	300.00	–	300.00
15.	पश्चिम बंगाल	734.00	108.80	842.80
16.	दिल्ली	50.00	–	50.00
	कुल	7356.00	1783.12	9139.12

*इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य को स्कीम के अंतर्गत दंगा पीड़ितों के अंशतः/पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में, 26.37 करोड़ रुपये जारी किए गये।

मंत्रालय के अधीन रिक्त पद

1351. श्री अमर राय प्रधान: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31.12.2001 से 31.3.2002 तक की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय के विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-वार कौन-कौन से पद रिक्त पड़े हैं और ये पद किस तिथि से लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) इन पदों के रिक्त रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

साक्षरता कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव

1352. श्री सुल्ताल सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री साक्षरता कार्यक्रम संबंधी प्रस्तावों के बारे में 30 अप्रैल, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5449 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त सूचना एकत्रित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) साक्षरता कार्यक्रम प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल खोलने, गांवों के प्राथमिक स्कूलों के स्तरोन्नयन हेतु भवन

प्रावधान तथा शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रावधान को सुप्रवाही बनाने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

आंध्र प्रदेश के कुल 23 जिलों में से 19 जिले जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल हैं तथा शेष चार जिले अर्थात् पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और हैदराबाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल हैं। इन 4 गैर डीपीईपी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए तैयारी संबंधी कार्यकलाप संचालित करने हेतु 2000-2001 के दौरान 63.30 लाख रु. की राशि जारी की गई है। सर्व शिक्षा अभियान की योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार से 2001-02 के दौरान पूर्वोक्त चार जिलों के संबंध में प्राथमिक स्कूल खोलने, प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन करने, स्कूल भवनों के निर्माण, शिक्षक वेतन, शौचालय, मरम्मत, पेयजल आदि के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए। परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा 4600.00 लाख रु. राशि अनुमोदित की गई जिसमें से 1955.00 लाख रु. की राशि 2001-02 के दौरान जारी की गई।

जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्वोक्त 4 जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001-2002 के दौरान अनुमोदित/जारी की गई निधियों का ब्यौरा तथा 2001-02 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की योजना के तहत उपर्युक्त चार जिलों के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या तथा अनुमोदित भवनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 2001-02 के दौरान 300.00 लाख रु. की राशि जारी की गई।

इसके अलावा, स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की संशोधित योजना के तहत 2001-02 के दौरान आंध्र प्रदेश में 1000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 76.43 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत करने से संबंधित प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया तथा (75 प्रतिशत केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में) 500 स्कूलों के लिए 140118750 रु. की राशि जारी की गई है। इसमें से 2001-02 के दौरान पहली किस्त के रूप में 70059375 रु. जारी किया गया है।

विवरण

(क) जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001-2002 के दौरान अनुमोदित/जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई राशि
1.	पूर्वी गोदावरी	1500.00	637.50
2.	पश्चिमी गोदावरी	1000.00	425.00
3.	कृष्णा	1200.00	510.00
4.	हैदराबाद	900.00	382.50
5.	डीपीईपी (19 जिले)	775.70	329.67

(ख) 2001-02 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की योजना के तहत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या तथा अनुमोदित भवनों का ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	नए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कूल के रूप में स्तरोन्नयन
1.	पूर्वी गोदावरी	275	310
2.	पश्चिमी गोदावरी	281	300
3.	कृष्णा	213	188
4.	हैदराबाद	583	56

राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान

1353. श्री रामदास आठवले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की एक संघटक स्थापना) एशियाई स्वास्थ्य, पर्यावरण और संबद्ध डाटाबेस (वर्ष 1994 की संख्या 2/26497) संबंधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था और इसने सितंबर 1999 तक इसके लेखों का रखरखाव किया;

(ख) यदि हां, तो 'निसकोम' के इलेक्ट्रोनिक प्रकाशन प्रभाग

प्रमुख ''इनवायरनमेंट एण्ड हैल्थ एशिया'' डिस्क डी आई-3 की बिक्री के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्षेत्रीय समन्वयक जोर्डन से पत्राचार किया करता था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रकाशन प्रभाग मलेशिया के माध्यम से अमरीकी डालर में देय अंशदान राशि को प्राप्त करता था; और

(घ) यदि हां, तो मलेशिया स्थित उस कार्यालय का ब्यौरा क्या है जिसके माध्यम से अंशदान का भुगतान किया जाता है और उक्त मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी हां।

(घ) मि. चिन सैक यून, पब्लिशर, साउथबाउंड एसडीएन, बीएचडी, 9 कालेज स्क्वेयर, 10250 पेनांग, मलेशिया।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों का आवंटन

1354. श्री जयप्रकाश: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाणिज्यक केन्द्रों में निर्मित दुकानों के आवंटन की नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवंटन की इस संशोधित नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त ''क'' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पहचान-पत्र

1355. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पहचान-पत्र प्रणाली की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस प्रयास और व्यय से केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान-पत्र के लिए पहले से ही आरंभ की गई परियोजना अतिव्याप्त हो जाएगी;

(घ) क्या राष्ट्रीय मतदाता पहचान-पत्र परियोजना बड़े पैमाने पर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के पास पहले से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग कर सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। विस्तृत व्यवहार्य रिपोर्ट में एक अरब से अधिक नागरिकों के लिए पहचान प्रणाली का सृजन, पंचायत स्तर पर जन्म व मृत्यु के पंजीकरण तंत्र को सुव्यवस्थित बनाना तथा निरंतर अद्यतन बनाई जा सकने वाली वैयक्तिक पहचानों के समेकित डाटा बेस के सृजन के लिए संस्थागत के साथ-साथ प्रौद्योगिकी विकल्प से संबंधित पहलू शामिल है। सरकार सभी संबद्ध मामलों की गहराई से जांच करने के बाद तथा योजना को कानूनी आधार प्रदान करने सहित आवश्यक तैयारी करने के बाद ही अपने निर्णय को अंतिम रूप देगी।

(ग) से (ङ) चूंकि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र, भारतीय नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण अथवा जन्म और मृत्यु के पंजीकरण पर आधारित पहचान की सार्वभौमिक प्रणाली नहीं है अत: भारतीय नागरिकों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने के प्रस्ताव को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। तथापि, योजना के कार्यान्वयन के तौर तरीके-तैयार करते समय भारत के निर्वाचन आयोग के पास पहले से मौजूदा डाटाबेस को ध्यान में रखा जाएगा।

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खराब गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति

1356. श्री टी. गोविन्दन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत भारतीय

खाद्य निगम को 11.62 रु. प्रति किलो की दर से मूल्य का भुगतान कर रही है अर्थात् इस मूल्य पर राज्य में खुले बाजार में अच्छी गुणवत्ता के चावल उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) जी हां, कोल्लम जिले में एफ सी आई द्वारा खराब गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति की शिकायत केरल सरकार से प्राप्त हुई थी। खराब गुणवत्ता के कारण खाद्यान्न उठाने से जिला अधिकारियों ने इनकार कर दिया।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत आर्थिक लागत पर एफ.सी.आई. को भुगतान कर रहा है जो 11.80 रु. प्रति किलो है।

(घ) खराब गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति के मुद्दे को एफ सी आई के अधिकारियों और केरल सरकार के साथ उठाया गया था। केरल सरकार ने बताया है कि एफ सी आई विचार-विमर्श कर प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक गुणवत्ता नियंत्रण समिति गठित की गई है जिसमें डी आर डी ए के प्रतिनिधि और एफ सी आई सदस्य हैं। विवाद की स्थिति में सिर्फ इस समिति द्वारा स्वीकृत खाद्यान्न उठाया जाएगा।

पेयजल के लिए उप मिशन परियोजना के लिए वित्तपोषण संबंधी विवरण

1357. श्री जी.एस. बसवराज: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उपमिशन परियोजना के लिए वित्तपोषण संबंधी विवरण क्या है और केन्द्र द्वारा अनुमत संसाधनों के आवंटन शीर्ष क्या हैं;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर कर्नाटक के संबंध में आवंटन क्या है और वर्ष 2001-2002 के लिए अब तक कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(ग) क्या देश के कतिपय भागों में विशेषकर कर्नाटक में व्याप्त सूखे की स्थिति के मद्देनजर सरकार का विचार चालू वर्ष के लिए अपने आवंटनों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उपमिशन परियोजनाओं पर किया गया खर्च भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात के आधार पर वहन किया जाता है।

(ख) राज्यों को उप-मिशन परियोजनाओं के लिए अलग से निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों के 20% तक का उपयोग राज्यों द्वारा उप-मिशन परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को निधियों के आबंटन और रिलीज के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों से उत्पन्न आकस्मिकताओं से निपटने के लिए ए आर डब्ल्यू एस पी निधियों के 5% का निर्धारण किया है। निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रभावित राज्यों को यह निधि आबंटित की जा सकती है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13044.00	13601.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	4476.00	2455.91
3.	असम	7561.00	5357.67
4.	बिहार	7274.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	3877.00	3977.00
6.	गोवा	1455.00	727.50
7.	गुजरात	7837.00	9376.30
8.	हरियाणा	2200.00	2200.00
9.	हिमाचल प्रदेश	5552.00	6452.00
10.	जम्मू व कश्मीर	9896.00	6292.10
11.	झारखंड	3619.00	1809.50

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	12414.00	12714.00
13.	केरल	6331.00	5045.00
14.	मध्य प्रदेश	8877.00	9077.00
15.	महाराष्ट्र	19159.00	19659.00
16.	मणिपुर	1643.00	821.50
17.	मेघालय	1760.00	1215.51
18.	मिजोरम	1257.00	1634.10
19.	नागालैण्ड	1308.00	1700.40
20.	उड़ीसा	6522.00	4852.09
21.	पंजाब	2277.00	1985.50
22.	राजस्थान	18705.00	14919.08
23.	सिक्किम	536.00	696.80
24.	तमिलनाडु	7956.00	8956.00
25.	त्रिपुरा	1559.00	2026.70
26.	उत्तर प्रदेश	13269.00	13063.35
27.	उत्तरांचल	3356.00	3447.88
28.	पश्चिम बंगाल	8773.00	8947.63
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	13.00	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	7.00	0.00
31.	दमन व दीव	0.00	0.00
32.	दिल्ली	5.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	5.00	0.00
	कुल	182523.00	163010.62

[हिन्दी]

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

1358. श्री राजो सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने विभिन्न राज्यों में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या निष्कर्ष निकले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

एफ.सी.आई. रामागुण्डम

1359. श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री वी.के. पार्थसारथी:
श्री वाई.वी. राव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एफ.सी.आई. रामागुण्डम में उपलब्ध सुविधाओं की व्यवहार्यता पर तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के एफ सी आई को बन्द करने के निर्णय के विरुद्ध अपना मत उच्च न्यायालय को अग्रेषित करने की एफ सी आई की अपील को, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण ने 9.4.2002 को खारिज कर दिया है। ऐसी स्थिति में कोई अध्ययन करना विवेकपूर्ण नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

1360. डा. बलिराम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं और इनमें से प्रत्येक विद्यालय में किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है;

(ख) 30 जून, 2002 की तिथि के अनुसार इन विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न विषयों की कितनी रिक्तियां हैं;

(ग) सरकार द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

(ग) और (घ) संगठन के उक्त पदों के लिए परीक्षा परिणाम के बाद स्नातकोत्तर शिक्षक तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों को बुलाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षक के पद से मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिका तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद पर पदोन्नति की पेशकश पहले से ही दे दी गई है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद से स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद पर पदोन्नति शीघ्र ही दी जाने वाली है और उक्त प्रक्रिया के पूरी होने पर उपलब्ध रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

विवरण-I

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालयों के नाम	किस कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाती है।
1	2	3
1.	आगरा कैंट सं. II	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
2.	आगरा कैंट सं. III (बैरक रोड)	I-XI(विज्ञान तथा वाणिज्य)
3.	आगरा सं. 1 (ए एफ एस)	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
4.	अलीगढ़	I-XII(विज्ञान)
5.	इलाहाबाद, समरौली	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
6.	इलाहाबाद, छेदीती	I-XII(विज्ञान)
7.	इलाहाबाद, मनौरी	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
8.	इलाहाबाद, नैनी	I-XII(विज्ञान)
9.	इलाहाबाद, न्यू कैंट	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी), XI-वाणिज्य·
10.	इलाहाबाद, पुराना कैंट	I-XII(विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य)
11.	इलाहाबाद, फूलपुर (आई एफ एफ सी ओ)	I-XII(विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य)
12.	अमहाट, सुल्तानपुर	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
13.	आजमगंज	I-XII(विज्ञान)
14.	बबीना कैंट	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
15.	बाबूगढ़ कैंट	I-XI(विज्ञान)
16.	बलिया	I-X
17.	बाराबंकी	I-X
18.	बरेली (ए एफ एस)	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
19.	बरेली (ए एस सी)	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)

1	2	3
20.	बरेली (जे आर सी)	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
21.	बरेली (ओनला) इफको	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
22.	बरेली, इज्जतनगर	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
23.	बरेली, इज्जतनगर (आईवीआरआई)	I-X
24.	बस्ती	I-XI (विज्ञान)
25.	बुलन्दशहर	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
26.	चौपान	I-X
27.	दादरी (एएफएस)	I-X
28.	दादरी (एनटीपीसी)	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
29.	दिव्यापुर (एनटीपीसी)	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
30.	फैजाबाद छावनी	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
31.	फतेहगढ़ (आरआरसी)	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी), XI-वाणिज्य
32.	गाजीपुर	I-XI(विज्ञान)
33.	गोण्डा	I-X
34.	गोरखपुर	I-XII(विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य)
35.	हजरतपुर (ओसीएफ)	I-XII(विज्ञान)
36.	हिंडन नं. 1	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
37.	हिंडनी नं. 2	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
38.	जगदीशपुर (बीएचईएल)	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
39.	झांसी छावनी नं. 1	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
40.	झांसी छावनी नं. 2	I-X
41.	झांसी छावनी नं. 3	I-XI(विज्ञान)
42.	कानपुर छावनी	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
43.	कानपुर नं. 3	I-XII(विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य)
44.	कानपुर, अरामपुर नं. 1 (कालपी रोड)	I-XII(विज्ञान)
45.	कानपुर, अरामपुर नं. 2	I-XII(विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य)
46.	कानपुर, चकेरी नं. 1	I-XII(विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य)
47.	कानपुर, चकेरी नं. 2	I-XII(विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य)

1	2	3
48.	कानपुर, चकेरी नं. 3	I-XII(विज्ञान)
49.	कानपुर, ओईएफ नं. 1	I-XII(विज्ञान)
50.	लखनऊ (एएमसी)	I-XII(विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य)
51.	लखनऊ (आईआईएम परिसर)	I-X
52.	लखनऊ (आरडीएसओ)	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
53.	लखनऊ (एसजीपीजीआई)	I-X
54.	लखनऊ, अलीगंज	I-XII(विज्ञान)
55.	लखनऊ, बक्शी का ताले (एएफएस)	I-X
56.	लखनऊ छावनी	I-X
57.	लखनऊ गोमती नगर	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
58.	मानकपुर (3)	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
59.	मथुरा रिफनाइनरी	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
60.	मथुरा बाग	I-XII(विज्ञान)
61.	मथुरा छावनी	I-XII(विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य)
62.	मऊ	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
63.	मेरठ छावनी (डीएल)	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
64.	मेरठ छावनी (पीएल)	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
65.	मेरठ छावनी (एसएल)	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
66.	मेरठ चांदी नगर (एएफएस)	I-X
67.	ममूरा	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
68.	मुरादाबाद	I-XII(विज्ञान)
69.	मुगलसराय	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
70.	मुरादनगर	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
71.	मुजफ्फरनगर	I-XI(विज्ञान)
72.	नोएडा	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
73.	रायबरेली नं. 1	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
74.	रामपुर, सीआरपीएफ	I-XII(विज्ञान)
75.	रिहन्दनगर, एनटीपीसी	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)

1	2	3
76.	सरसावा, एएफएस	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
77.	शाहजहांपुर नं. 1 (छावनी)	I-XII(वाणिज्य)
78.	शाहजहांपुर नं. 2 (ओसीएफ)	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
79.	शक्ति नगर, एनटीपीसी	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)
80.	सीतापुर	I-XII(विज्ञान)
81.	तालबेहात	I-XI(विज्ञान)
82.	उन्नाव	I-XII(विज्ञान)
83.	वाराणसी छावनी	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
84.	वाराणसी बीएचयू	I-XII(विज्ञान तथा मानविकी)
85.	वाराणसी (डीएलडब्ल्यू)	I-XII(विज्ञान तथा वाणिज्य)
86.	वी.के.वी., गाजियाबाद	I-XII(विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी)

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों की स्थिति

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर शिक्षक											प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक						मुख्य अध्यापक	प्राथमिक शिक्षक	विविध श्रेणी					कुल
		गणित	भौति-की	रसा-यन	जीव	अंग्रेजी	हिन्दी	इति-हास	भूगोल	अर्थ-शास्त्र	वाणि-ज्य	संस्-कृत	गणित	जीव विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	संस्-कृत	सामाजिक अध्ययन			शारीर	पीईटी	पेंटिंग	डब्ल्यू ईटी	संगीत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	आगरा छावनी, नं. 2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
2.	आगरा छावनी, नं. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3.	एएफएस आगरा नं. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	अलीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	बमरौली, इलाहाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6.	चियोकी, इलाहाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	मनौरी, इलाहाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.	नैनी, इलाहाबाद	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9.	नई छावनी, इलाहाबाद	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5
10.	पुरानी छावनी, इलाहाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11.	फूलपुर, इलाहाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12.	अमहत, सुल्तानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13.	आजमगढ़	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
14.	बबीना छावनी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15.	बाबूगढ़ छावनी	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16.	बलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17.	बाराबंकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
18.	एएफएस, बरेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19.	एएफएस, बरेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20.	जेआरसी, बरेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21.	अनौला, बरेली	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22.	एन ई आर इज्जतनगर, बरेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
23.	(आईवीआरआई), बरेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
24.	बस्ती	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25.	बुलन्दशहर	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
26.	चौपान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
27.	एएफएस, दादरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
28.	एनटीपीसी, दादरी	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
29.	एनटीपीसी, दिब्बापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
30.	फैजाबाद छावनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
31.	आर.आर.सी. फतेहगढ़	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
32.	गाजीपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33.	गोण्डा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34.	गोरखपुर	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
35.	ओसीएफ हजरतपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
36.	नं. 1 हिंडन	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
37.	नं. 2 हिंडन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
38.	बीएचईएल जगदीशपुर	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
39.	नं. 1 झांसी छावनी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40.	नं. 2 झांसी छावनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
41.	नं. 3 झांसी छावनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
42.	कानपुर छावनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
43.	आईआईटी कानपुर	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
44.	नं. 1 अमरापुर कानपुर	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
45.	नं. 2 अमरापुर कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
46.	चकेरी नं. 1 कानपुर	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
47.	चकेरी नं. 2 कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
48.	चकेरी नं. 3 कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
49.	ओईएफ नं. 1 कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
50.	एएमसी लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
51.	आईआईएम लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
52.	आरडीएसओ लखनऊ	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
53.	एसजीपीजीआई लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
54.	अलीगंज लखनऊ	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55.	बीकेटी एएफएस, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
56.	लखनऊ छावनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
57.	गोमती नगर, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
58.	आईआईटी, मनकापुर	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
59.	एनआरपी, मथुरा रिफाइनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
60.	बी ए डी मथुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
61.	मथुरा छावनी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5
62.	मऊ	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
63.	डीएल, मेरठ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
64.	पीएल, मेरठ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
65.	एसएल, मेरठ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
66.	एएफएस चांदी नगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
67.	एएफएस, मैमरा	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
68.	मुरादाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
69.	मुगलसराय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
70.	मुरादनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
71.	मुजफ्फरनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
72.	नोएडा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
73.	नं. 1, रायबरेली	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
74.	सीआरपीएफ, रामपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
75.	एनटीपीसी, रिहन्दनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
76.	एएफएस, सरसावा	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
77.	नं. 1 शाहजहांपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
78.	नं. 2 ओसीएफ शाहजहांपुर	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
79.	एनटीपीसी, शक्ति नगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
80.	सीतापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
81.	तालबेहात	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
82.	उन्नाव	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
83.	जीटीसी, वाराणसी छावनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
84.	बीएचयू, वाराणसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
85.	डीएलडब्ल्यू, वाराणसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
86.	बीकेवी, गाजियाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		2	6	9	9	10	4	2	3	7	8	0	6	3	7	1	0	3	16	4	0	2	1	4	1	108

[अनुवाद]

"गोल्डन राइस" परियोजना पर भारत-स्विटजरलैंड संयुक्त अनुसंधान

1361. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 15 मिलियन लोग विटामिन "ए" की कमी से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्विटजरलैंड सरकार के साथ "गोल्डन राइस" पर कोई संयुक्त अनुसंधान आरम्भ किया है;

(ग) क्या विटामिन "ए" की कमी पर अनुसंधान कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस अनुसंधान कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा"): (क) से (ङ) राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (एन एन एम बी) की वर्ष 2001-2002 की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार 0.8% छोटे बच्चे (शिशु) स्कूल जाने से पूर्व ही विटामिन "ए" की कमी से ग्रस्त हैं। बायोटेक्नोलाजी विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ संयुक्त रूप से बायोटेक्नोलाजी क्षेत्र में भारत-स्विस सहयोग के दूसरे चरण के अंतर्गत "गोल्डन राइस" पर एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैम्पस, नई दिल्ली; तमिलनाडु विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर; चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद जैसे संस्थान राष्ट्रीय जैवसुरक्षा दिशा-निर्देश तंत्र के तहत अनुसंधान क्रियाकलापों के साथ जुड़े हैं। यह कार्य अभी शुरू हुआ है। मौलिक अनुसंधान कार्य का संबंध हमारी जनता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले भारतीय चावल की किस्मों के रूपांतरण एवं प्रजनन से है। तदनुसार साधनहीन किसानों तथा अन्य के उपयोग के लिए विटामिन-ए से युक्त भारतीय चावल को उन्नत किस्में विकसित करने के संबंध में परिणाम 5-6 वर्षों के अन्दर प्राप्त हो जाने की आशा है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1362. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अर्द्ध-सैनिक बलों में रोजगार अवसरों के सृजन के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक राज्यवार कितने युवाओं को नौकरी दी गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए विकास का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निराश्रित लोग

1363. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने निराश्रय लोग हैं;

(ख) अब तक कितने परिवारों को आवास प्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद भी निराश्रय लोगों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कम निर्माण लागत की तकनीक और उद्यमशीलता के विकास में लगे संगठनों से सहायता लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण आवास की कमी 13.72 मिलियन थी। इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) की शुरूआत से लेकर अब तक लगभग 84 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। सरकार 10वीं योजना अवधि की समाप्ति तक गांवों की आवासहीनता (वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर) को समाप्त करने के प्रति वचनबद्ध है। इस लक्ष्य के अनुपालन में सरकार ग्रामीण आवास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना पर अमल कर रही है।

(ङ) और (च) जी, हां। यह मंत्रालय अन्य योजनाओं के साथ-साथ ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास के अभिनव चरण और ग्रामीण निर्मित केन्द्र नामक दो आवास योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती आवासों के लिए नवीन और प्रमाणित प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और सामग्रियों को प्रोत्साहित और प्रचारित करना है। ये योजनाएं परियोजना आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं। इस योजनाओं के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही संगठन सहायता पाने के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना

1364. श्री अधीर चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या दिशानिर्देश और मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन-किन जिलों की पहचान की गई है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी निधियां प्रदान की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (घ) जी, नहीं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2002-2003 में देश के सर्वाधिक गरीब जिलों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। योजना के दिशा निर्देशों को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीके और क्रियाविधि बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

1365. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **उप-प्रधान मंत्री** भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में 13.5.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6950 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की धनबाद कोयला खदान के 137 कर्मचारियों के आवेदन की सुनवाई हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त निर्णय का कार्यान्वयन न किए जाने के संबंध में धनबाद न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है और अधिकारियों के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के समक्ष रखा गया आवेदन अभी भी लंबित है।

(ग) इसे अभी तक बी.आई.एफ.आर. द्वारा उठाया नहीं जा सका है।

(घ) और (ङ) यह एक तथ्य है कि मामले में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। तथापि, प्रबंधन ने माननीय रांची उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 3901/2000 (आर) तथा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 3909/2000 (आर) के रूप में दर्ज किया गया। रिट याचिकाएं इस तथ्य के कारण दायर की गई थी कि सम्बद्ध व्यक्ति बी.सी.सी.एल. प्रबंधन के श्रमिक न होकर ठेकेदार के श्रमिक हैं। तदुपरान्त, रिट याचिकाओं को वापस ले लिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.2.2001 के औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के समक्ष मामले को उठाने की स्वतंत्रता प्रबंधन को दे दी। बी.आई.एफ.आर. के समक्ष प्रस्तुत याचिका अभी भी लम्बित है।

'फैक्ट' का विनिवेश

1366. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री रमेश चेन्नितला:
श्री पी.सी. थामस:
श्री जार्ज ईडन:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल त्रावनकोर लिमिटेड के विनिवेश के संबंध में केरल सरकार से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कम्पनी की आस्तियों का मूल्य क्या है; और

(घ) कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है और ऐसे कर्मचारियों को कितनी राशि दी जानी है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) केरल के मुख्यमंत्री को संबोधित विनिवेश मंत्री के दिनांक 1 जुलाई, 2002 के पत्र के माध्यम से केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारण अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह प्रक्रिया विनिवेश प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सलाहकारों/परिसंपत्ति मूल्य निर्धारकों द्वारा किसी बाद के चरण पर आरंभ की जाएगी।

(घ) फैक्ट ने मई, 2002 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना घोषित की थी। इसकी प्रतिक्रिया में 439 कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त हुए थे। कंपनी ने जुलाई, 2002 तक 295 कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के विकल्प स्वीकार किए हैं। पहले ही स्वीकृत 295 विकल्पों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन भुगतान योग्य देनदारियों के निपटारे का अनुमानित औसत व्यय लगभग 13.88 करोड़ रुपए है।

उग्रवादियों के लिए आई.एस.आई. पैकेज

1367. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:** क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाक आई.एस.आई. जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों के लिए लगभग 1.75 करोड़ के व्यय का एक अलग पैकेज चलाते हुए पायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) उपलब्ध जानकारियों के अनुसार, पाकिस्तान अपनी एजेंसी आई.एस.आई. के माध्यम से, जम्मू और कश्मीर सहित भारत में आतंकवादी तथा अलगाववादी संगठनों को वित्त पोषण का मुख्य स्त्रोत बताया जाता है। विदेशी धन का पता लगाने और उसके प्रवाह को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस संबंध में कई सफलताएं भी मिली हैं। इसके अतिरिक्त, भारत हमेशा इस बात को दृढ़तापूर्वक कहता रहा है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान राज्य नीति के अंग के रूप में अपनी एजेंसी आई.एस.आई. के माध्यम से सहायता देता है तथा उसे उकसाता है। भारत विश्व समुदाय से कहता रहा है कि पाकिस्तान, आतंकवाद को सहायता देने संबंधी अपनी अवसंरचना को तोड़ दे एवं सीमा पार से आतंकवाद फैलाने से बाज आए।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

1368. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1992-99 के दौरान बच्चों के विकास, उनके स्वास्थ्य और मातृत्व देख-रेख के लिए 8534 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी परन्तु उसके बावजूद मौजूदा दशाओं में कोई प्रशंसनीय बदलाव नहीं हुआ जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी 2000 की रिपोर्ट सं.-3 में पृष्ठ 127 पर दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो आई.सी.डी.एस. में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम पर वर्ष 1992-93 के दौरान 8534 करोड़ रुपए (लगभग) व्यय किये गये, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2000 की रिपोर्ट सं. 3 में उल्लिखित है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या हेतु निर्धारित 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं। लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषाहार, एवं शैक्षिक स्तर के क्षेत्र में स्कीम का काफी अधिक प्रभाव पड़ा है, जैसा कि आई.सी.डी.एस. के राष्ट्रीय मूल्यांकन (निपसिड-1992); आई.सी.डी.एस. सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान 1997-99 (सी.टी.सी. - आई.एम.सी.डी.-1995), आई.सी.डी.एस. के राष्ट्रीय समवर्ती मूल्यांकन (एन.सी.ए.ई.आर.-2000-01) आदि में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में मृत्यु-दर में कमी की धीमी गति अर्थात् 1996 में प्रति हजार 72, राज्य सरकारों द्वारा पूरक पोषाहार के वितरण में विसंगतियों, राज्य सरकारों द्वारा पूरक पोषाहार हेतु कम प्रावधान, कुछ राज्यों में अरोग्यकर आहार की व्यवस्था न किये जाने तथा स्वास्थ्य आगत सेवा में कमी, आदि जैसी कमियों का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) स्कीम के प्रभाव में सुधार लाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदमों में स्कीम का प्रसार; राज्यों से इस आशय का अनुरोध करना कि वे पूरक पोषाहार हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान करें और स्कीम के मापदंडों के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें; आई.सी.डी.एस. कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण का विकेन्द्रीकरण; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य आगत सेवा का सुदृढ़ीकरण, सेवा में स्तरीय सुधार आदि, शामिल हैं।

हुर्रियत के साथ वार्ता

1369. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान 6 जून, 2002 के 'दि हिन्दु' में हुर्रियत फार ट्रायंगुलर टाक्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को हुर्रियत नेताओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सरकार को इस संबंध में मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है। तथापि, हुर्रियत नेताओं से सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971

1370. श्री पवन कुमार बंसल:
श्री किरीट सोमैया:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र की कंपनियां और वित्तीय संगठन इस कानून के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन करके अपने किराएदारों से बेदखली करा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या अनेक संसद सदस्यों तथा मंत्रियों ने विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रावधानों का दुरूपयोग करने का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों और सरकारी क्षेत्र किराएदार कार्यवाही समिति और किराएदार संगठनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ज) क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले को वस्त्र, वित्त और अन्य मंत्रालयों के साथ उठाया है;

(झ) यदि हां, तो क्या हाल ही में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है; और

(ञ) इस मामले में इसके संभावित प्रभाव और अद्यतन स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। सरकार के दिनांक 8.6.2002 के संकल्प के तहत स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं।

(ग) से (ञ) मंत्रालय को माननीय मंत्रियों/सांसदों से तथा दखलकार संगठनों द्वारा अग्रेषित अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार तथा वित्तीय संगठनों से उनके मूल दखलकारों को बेदखल करने में लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के दुरूपयोग का आरोप है।

इस मंत्रालय में आयोजित बैठक का अनुसरण करते हुए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के किसी दुरूपयोग को रोकने के लिए की गयी शिकायतों की जांच करने तथा सिफारिश करने के लिए सम्पदा निदेशालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया समिति ने टैलेन्ट्स एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों तथा सरकारी एवं वित्तीय संगठनों सहित सभी प्रभावित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद एक सरकारी संकल्प के द्वारा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के प्रावधान के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों की अधिसूचना की सिफारिश की थी।

सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं तथा दिनांक 8.6.2002 के सरकारी संकल्प के माध्यम से दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया गया है। संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत का राजपत्र, 8 जून, 2002
(ज्येष्ठ 18, 1924)
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(संपदा निदेशालय)

संकल्प नई दिल्ली, 30 मई, 2002

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों के नियंत्रणाधीन लोक परिसरों से वास्तविक टेनेंट्स को बेदखल करने के अधिकार के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश।

सं. 21013/1/2000-नीति-1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों के नियंत्रणाधीन वास्तविक टेनेट्स को लोक परिसरों से बेदखल करने के अधिकार का मनमाने उपयोग रोकने के दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने का मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है।

2. लोक परिसरों से वास्तविक टेनेंट्स को बेदखल करने के अधिकार के मनमाने उपयोग पर रोक लगाने के लिए और पी.पी. (इ.) अधिनियम, 1971 की धारा 3 तहत नियुक्त किए गये संपदा अधिकारियों द्वारा अधिकारों के उपयोग को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया है:-

(1) लोक प्राधिकारियों के परिसरों के पूरी तरह अनधिकृत दखलकारों अथवा उपकिरायेदारों अथवा ऐसे कर्मचारी जो अब सेवा में नहीं हैं और इस प्रकार परिसर में बने रहने के पात्र नहीं हैं उन्हें बेदखल करने के लिए मुख्यत: लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 [पी.पी.(इ.) अधिनियम, 1971] के प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा।

(2) पी.पी.(इ.) अधिनियम 1971 के प्रावधानों का उपयोग न तो वाणिज्यिक प्रयोजनों से किया जाए और न ही अपने कर्मचारी को आवास देने हेतु परिसर का खाली कब्जा हासिल करने के लिए उपयोग किया जाए यदि मूल टेनेंट्स के कब्जे में था, जिसे वह परिसर या तो लोक प्राधिकारियों द्वारा आवंटित किया गया था या ऐसे व्यक्ति जिनसे परिसर हासिल किया गया था।

(3) किसी भी परिसर के रखने वाले किसी व्यक्ति को महज टेनेंसी समाप्ति की नोटिस देने के लिए अनधिकृत दखलकार न माना जाए अथवा घोषित न किया जाए बल्कि अनधिकृत दखल के तथ्यों का निर्णय यथोचित कानूनी प्रक्रिया अपनाकर किया जायेगा। इसके अलावा पी.पी. (इ.) अधिनियम, 1971 प्रावधानों का लाभ लेकर संविदाकारी करार को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। उसी समय प्रत्येक राज्य में किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किराये में आवधिक संशोधन करने अथवा कब्जा बनाये रखने के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत वास्तविक आधारों पर कार्रवाई करने का विकल्प सार्वजनिक प्राधिकारी के लिए खुला रहेगा। अन्य शब्दों में, सार्वजनिक प्राधिकारियों को वास्तविक कानूनी टेनेंटों पर कार्रवाई करने के लिए किराया नियंत्रण के अंतर्गत निजी भूस्वामियों के समान अधिकार होंगे।

(4) यह आवश्यक है कि ऐसे आरोपों के लिए कोई गुन्जाइश न रखी जाए कि किराया में अवांछित वृद्धि करने के लिए चुनिन्दा आधार पर बेदखली की गई अथवा किसी व्यक्ति विशेष या संस्थान को लाभ पहुंचाने के लिए किरायेदारी में परिवर्तन की अनुमति दी गयी। ऐसे आरोपों अथवा विवेकाधीन अधिकारों के दुरूपयोग से बचने के लिए परिसर दिये जाने अथवा किरायेदारी में परिवर्तन का निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निदेशक मण्डल स्तर पर लिया जाए।

(5) सभी सार्वजनिक उपक्रम सम्पदा अधिकारी अथवा न्यायालय में लम्बित सभी मामलों की इन दिशानिर्देशों के आलोक में तत्काल समीक्षा और इन दिशानिर्देशों में दिये गये आधारों से इतर आधारों पर वास्तविक किरायेदारों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई को वापस दिया जाए। पी पी(इ) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत प्रावधानों का उपयोग अब से केवल इन दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।

3. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

विनीता राय
अपर सचिव

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत पंचायतों को नकद पुरस्कार

1371. श्री ए. रहमनैया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता कार्य करने हेतु विभिन्न पंचायतों को नकद पुरस्कार देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पंचायतों को उनके प्रशंसनीय कार्य के लिए कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है;

(ग) ऐसे नकद पुरस्कारों के लिए पंचायतों की चयन प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ बाहरी मूल्यांकन एजेंसियों को बनाए रखा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

1372. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा जन प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विद्यमान मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सुरक्षा दो प्रकार के संरक्षितों को प्रदान की जाती है। प्रथमतः, ओहदे के अनुसार सुरक्षा, उनके ओहदे के अनुसार जैसे केन्द्रीय मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदान की जाती है। द्वितीय, खतरे पर आधारित सुरक्षा, केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा आकलित किए गए मौजूदा खतरे की आशंका के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) जी हां, श्रीमान्। गत तो वर्षों के दौरान अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अन्यों से सुरक्षा प्रदान करने के बारे में प्राप्त अनुरोधों की मानकों के अनुसार जांच की गई। मौजूदा खतरे की आशंका के आधार पर, वे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अन्य, जिन्हें खतरा है, के लिए समुचित सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति

1373. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान युवा प्रतिभाशाली छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई छात्रवृत्तियों तथा लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बढ़ावा देने हेतु ऐसी छात्रवृत्तियां शुरू करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा"): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने प्रतिभावान युवा विद्यार्थियों में विज्ञान की रुचि जगाने के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (के वी पी वाई) छात्रवृत्ति नामक एक अत्यंत आकर्षक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए खुली है जो दसवीं, बारहवीं कक्षा तथा बी.एस.सी., बी.टेक. एवं एम.बी.बी.एस. का प्रथम वर्ष कर चुके हैं। फैलोशिप की राशि 2000/- रुपये से 3000/- रुपये की सीमा में है।

सरकार की अन्य योजनाओं में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जैव प्रौद्योगिकी फैलोशिप, सी एस आई आर का विज्ञान में नेतृत्व हेतु युवा कार्यक्रम तथा एन सी ई आर टी की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

इन छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी देशभर के स्कूल एवं कालेज के युवा छात्र हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त छात्रवृत्तियां सभी विद्यार्थियों के लिए खुली हैं, इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धन का दुरूपयोग

1374. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान किए जाने वाले धन का राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई/क्रियान्वित की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जाती है।

जारी की गई धनराशियां योजना विशिष्ट होने के कारण, जारी की गई धनराशियों और उनके दुरूपयोग के संबंध में, यदि कोई सूचना हो, तो उसे केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय के दुरूपयोग के संबंध में जब कभी रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उनकी जांच-पड़ताल की जाती है तथा संबंधित संगठनों के विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई में, संगठन द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर रोक लगाना, इसके बैंक खातों को फ्रीज करना तथा न्यायालय में अभियोजन शामिल है।

[अनुवाद]

विपणन न किए गए यूरिया का भारी स्टाक

1375. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूरिया के भारी स्टाक जो कि अभी भी गोदामों में पड़ा हुआ है, विपणन करने में बहुत कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यूरिया के भारी स्टाक को बेचने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार यूरिया के भारी स्टाक का निपटारा करने हेतु राज्य सहायता प्राप्त दरों पर राज्यों को यूरिया की आपूर्ति कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में सभी राज्यों को की गई आपूर्ति का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी नहीं। देश में उत्पादकों के पास पड़ा यूरिया का स्टाक 1.4.2001 और 1.4.2000 को लगभग 23 लाख मी. टन था, जिसकी तुलना में 1.4.2002 को यह 16 लाख मी. टन था।

(ग) सरकार स्टाक का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों को कोई राजसहायता प्रदान नहीं कर रही है।

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को उपलब्ध (आपूर्ति) करायी गई यूरिया की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान यूरिया की राज्य-वार आपूर्ति

(000 टन)

क्र. सं.	राज्य	यूरिया की उपलब्धता (आपूर्ति) 2000-2001	2001-2002
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2474.52	2140.07
2.	कर्नाटक	1157.32	976.01
3.	केरल	123.40	117.41
4.	तमिलनाडु	992.82	976.18
5.	पांडिचेरी	22.55	24.30
6.	गुजरात	973.64	1100.50
7.	मध्य प्रदेश	1297.12	918.67
8.	छत्तीसगढ़	101.67	454.15
9.	महाराष्ट्र	1880.03	1867.10
10.	राजस्थान	1071.25	1274.71
11.	गोवा	5.27	3.27
12.	हरियाणा	1579.89	1726.06
13.	हिमाचल प्रदेश	47.94	46.81
14.	जम्मू और कश्मीर	125.50	95.54
15.	पंजाब	2349.22	2198.01
16.	उत्तर प्रदेश	5222.87	5478.13
17.	उत्तरांचल	77.90	212.11
18.	दिल्ली	22.63	11.23
19.	बिहार	1561.03	1400.46
20.	झारखण्ड	74.13	176.45
21.	उड़ीसा	528.86	540.18
22.	पश्चिम बंगाल	1235.34	1122.76
23.	असम	195.94	162.01
24.	मणिपुर	42.12	40.99
25.	मेघालय	4.46	5.93
26.	नागालैंड	1.42	1.28
27.	सिक्किम	1.40	1.40
28.	त्रिपुरा	25.56	22.06
29.	अरुणाचल प्रदेश	0.72	1.59
30.	मिजोरम	1.20	1.28
	अखिल भारत	23199.67	23099.07

पत्राचार और जनसंचार में अध्ययन

1376. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ जाली महाविद्यालय/संस्थाएं और विश्वविद्यालय पत्राचार और जनसंचार में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जाली महाविद्यालयों/संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के नाम एवं पते क्या हैं; और

(ग) उन यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थाओं, जो 10+2 और स्नातक उम्मीदवारों के लिए जनसंचार तथा पत्राचार में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, के अलग-अलग नाम और पते क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सूचना के अनुसार आयोग को किसी जाली कालेज/संस्था और विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं जनसंचार में अध्ययन के पाठ्यक्रम चलाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

जनसंचार और पत्रकारिता में पाठ्यक्रमों को चलाने वाले विश्वविद्यालयों/कालेजों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

जन संचार व पत्रकारिता पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और कालेजों की सूची

राज्य/विश्वविद्यालय का नाम

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर-530 003 (आं.प्र.)
2. नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुननगर-522 482 (आं.प्र.)
3. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500 007 (आं.प्र.)
4. श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनतंपुर-515 003 (आं.प्र.)
5. श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति-517 507 (आंध्र प्रदेश)
6. रचना कालेज आफ जर्नेलिज्म, हैदराबाद, जिला-हैदराबाद (आं.प्र.)

असम

7. असम विश्वविद्यालय, पो.बो. नं. 63, सिल्चर-788 001 (असम)
8. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बारडोलियो नगर, गोहाटी-781 014

बिहार

9. बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा-852 113 (बिहार)
10. एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा-846 004 (बिहार)
11. मगध विश्वविद्यालय, बोधगया-824 234 (बिहार)
12. नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, आदर्श कालोनी, पटना-800 001 (बिहार)

छत्तीसगढ़

13. राजकीय छत्तीसगढ़ कालेज, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
14. महंत लक्ष्मी नारायणदास महाविद्यालय, वी. राव लेखी स्कूल परिसर, गांधी चौक, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
15. पंडित हरिशंकर शुक्ला मेमोरियल महाविद्यालय, शंकर नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

गोवा

16. गोवा विश्वविद्यालय, तेलियोगाओ प्लेटियू, गोवा-403 203
17. आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पणजी, गोवा

गुजरात

18. 15, भावनगर विश्वविद्यालय, गौरी शंकर लेक रोड, भावनगर-364 002 (गुजरात)
19. 16, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-380 014 (गुजरात)
20. एम.एस. यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, वड़ोदरा-390 002 (गुजरात)
21. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, पो.बा. नं. 10, वल्लभ विद्यानगर-388 120 (गुजरात)
22. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, कलावड, राजकोट-360 005 (गुजरात)
23. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, सूरत-395 007 (गुजरात)
24. कालेज आफ जर्नेलिज्म एंड परफोर्मिंग आर्ट, राजकोट, जिला-राजकोट, गुजरात

हरियाणा

25. गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार-125 001 (हरियाणा)
26. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र-132 119 (हरियाणा)
27. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक-124 001 (हरियाणा)

हिमाचल प्रदेश

28. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला-171 005 (हि.प्र.)

जम्मू व कश्मीर

29. कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर-190 006 (जम्मू व कश्मीर)

झारखण्ड

30. रांची विश्वविद्यालय, रांची-834 008 (झारखण्ड)

कर्नाटक

31. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर-560 012 (कर्नाटक)

32. कर्नाटक विश्वविद्यालय, पावते नगर, धारवाड-580 003 (कर्नाटक)

33. कर्नाटक स्टेट मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर-570 006 (कर्नाटक)

34. मैसूर विश्वविद्यालय, काफोर्ड हाल, मैसूर-570 005 (कर्नाटक)

35. गुडविल क्रिश्चियन कालेज फार वूमेन नं. 10, प्रोमिनेड रोड, फ्रेजर टाउन, बंगलौर-560 005, जिला-बंगलौर (कर्नाटक)

36. कनका कालेज आफ आर्ट्स, साइंस एंड मेनेजमेंट स्टडीज, कनका काम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, बनाशंकारी फर्स्ट स्टेज, बंगलौर-560 050 (कर्नाटक)

केरल

37. कालीकट विश्वविद्यालय, पो.आ., कालीकट-673 735 (केरल)

38. केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनंतपुरम, त्रिवेन्द्रम-695 034 (केरल)

39. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम-685 560 (केरल)

40. एम एम एस एम राजकीय कालेज, कलपेट्टा, जिला-व्यानाड, केरल-673 121

मध्य प्रदेश

41. बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल-462 026 (म.प्र.)

42. डा. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर-470 003 (म.प्र.)

43. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, आई टी आई बैरक, कोनी बिलासपुर-495 009 (म.प्र.)

44. एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जिला-सतना, चित्रकूट-485 331 (म.प्र.)

45. एम.एल.सी. राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल-426 016 (म.प्र.)

46. पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर-492 010 (म.प्र.)

47. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर-482 001 (म.प्र.)

48. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन-456 010 (म.प्र.)

महाराष्ट्र

49. डा. बाबा साहिब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद-431 004 (महाराष्ट्र)

50. मुम्बई विश्वविद्यालय, एम.जी. रोड, फोर्ट मुम्बई-400 032 (महाराष्ट्र)

51. नागपुर विश्वविद्यालय, रवीन्द्र नाथ टैगोर मार्ग, नागपुर-440 001 (महाराष्ट्र)

52. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411 007 (महाराष्ट्र)

53. शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोल्हापुर-416 004 (महाराष्ट्र)

54. एस.आर.टी. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड़-431 603 (महाराष्ट्र)

55. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय, दियानगंगोत्री, गंगापुरदम, नासिक-422 005 (महाराष्ट्र)

56. अमोलकचंद महाविद्यालय, यवतमाल, जि.-यवतमाल, महाराष्ट्र

57. सर सी.वी. रामन पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा संस्थान, अमरावती, जि.-अमरावती, (महाराष्ट्र)

58. जौनीमैन कालेज आफ जर्नेलिज्म, रोजा बाग, जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र

59. एन.जी.एम. कालेज आफ जर्नेलिज्म, औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र

60. केन्द्रीय जन संचार संस्थान, नागपुर, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र

61. वी.डब्ल्यू. सभास आर्ट्स एंड कामर्स कालेज, धुले, ताल-धुले, जि.-धुले, महाराष्ट्र

62. एम.जे. आर्ट्स, साईंस एंड कामर्स कालेज, तहसील-जलगांव, जिला-जलगांव, महाराष्ट्र

63. एच.पी.टी. आर्ट्स एंड आर.वाई.के. साईंस कालेज, विद्यानगर, जिला-नासिक, महाराष्ट्र-422 004

64. गोखले एजूकेशन सोसाइटी कालेज आफ साईंस, औजर टाउनशिप, जिला-नासिक, महाराष्ट्र

उड़ीसा

65. बरहामपुर विश्वविद्यालय, बंजा बिहार, बरहामपुर-760 007 (उड़ीसा)

पंजाब

66. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141 004 (पंजाब)

67. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला-147 002 (पंजाब)

राजस्थान

68. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर-342 011 (राजस्थान)

69. कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, रखेलगढ़, कोटा-324 010 (राजस्थान)

70. एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर-313 001 (राजस्थान)

71. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302004 (राजस्थान)

72. रूपम नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रानिक कम्यूनिकेशन, कुंडा (आमेर) जि.-जयपुर, राजस्थान

तमिलनाडु

73. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर-608 001 (तमिलनाडु)

74. ए.वी. इंस्टीट्यूट फार होम साईंस एंड हायर एजूकेशन फार वूमेन, कोयम्बतूर-641 043 (तमिलनाडु)

75. भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली-620 024 (तमिलनाडु)

76. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागराज नगर, मद्रास-600 017 (तमिलनाडु)

77. मद्रास विश्वविद्यालय, चेपाक, मद्रास-600 005 (तमिलनाडु)

78. मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, पालकाइनगर, मदुरै-625 021 (तमिलनाडु)

79. मेननमणियम सुन्दरनर विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेल्ली-627 008 (तमिलनाडु)

80. मदर टेरेसो महिला विश्वविद्यालय, कोडईकनाल, मद्रास-624 102 (तमिलनाडु)

81. थनीनयगम आदिगल पत्रकारिता संस्थान, तमिल लिटरेचर सोसाइटी, 49, भारतीयार सलाई, तिरूचिरापल्ली-620 001 (तमिलनाडु)

उत्तरांचल

82. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तरांचल)

83. एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर-246 174 (उत्तरांचल)

उत्तर प्रदेश

84. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलगीढ़-202 002 (उ.प्र.)

85. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005 (उ.प्र.)

86. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी-284 001 (उ.प्र.)

87. डी.डी. उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273 009 (उ.प्र.)

88. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 007 (उ.प्र.)

89. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221 002 (उ.प्र.)

90. एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, डोरी लाल अग्रवाल मार्ग, बरेली-243 001 (उ.प्र.)

91. यू.पी. महर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, थोर्नहिल रोड, इलाहाबाद-221 001 (उ.प्र.)

92. वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222 002 (उ.प्र.)

93. श्री वार्ष्णेय कालेज, अलीगढ़, जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

प. बंगाल

94. बर्दवान विश्वविद्यालय, राजबती, बर्दवान-713 104 (प. बंगाल)

95. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता-700 073 (प. बंगाल)

96. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता-700 032 (प. बंगाल)

चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)

97. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-160 014

दिल्ली

98. दिल्ली विश्वविद्यालय, मौरिस नगर, दिल्ली-110 029

99. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110 068

100. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया नगर, नई दिल्ली-110 025

101. महाराज अग्रसेन कालेज, पाकेट-4, फेस-1, मयूर विहार, दिल्ली-91

102. दिल्ली कालेज आफ आर्ट्स एंड कामर्स, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110 023

103. कमला नेहरू कालेज, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली-110 049

104. कालिंदी कालेज, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008

105. लेडी श्रीराम कालेज, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110 024

106. मधु बाला इंस्टीट्यूट आफ कम्यूनिकेशन एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया, भारत स्काउट्ट एंड गाईड्स कैम्पिंग ग्रांउन्ड्स, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110 013।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

1377. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए बाह्य मूल्यांकन एजेंसियों की चयन प्रक्रिया क्या है;

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा वर्ष 2001-2002 हेतु चयन की गई ऐसी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2002-2003 के लिए नई मूल्यांकन एजेंसियों का चयन किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो मिशन बाह्य मूल्यांकन एजेंसियों के कार्य की किस प्रकार समीक्षा और जांच करेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों से पैनल तैयार करने हेतु प्राप्त आवेदनों की छानबीन करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। कोर ग्रुप की सिफारिशें पंजीकृत एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ किए गए साक्षात्कारों तथा अनुसंधान एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में उनके अनुभवों के आकलन पर आधारित थी।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान ऐसी किसी एजेंसी का चयन नहीं किया गया।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दिशा-निर्देश देता है जिसका अनुसरण करना विदेशी मूल्यांकन एजेंसियों के लिए आवश्यक है। उनके कार्य की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि:

(1) उनमें दिशा-निर्देशों के तहत अपेक्षित सभी अनिवार्य सांख्यिकीय सूचना शामिल है।

(2) जांच किए गए नमूने का आकार दिशा-निर्देशों में विहित मानदण्डों के अनुरूप है।

(3) रिपोर्ट में कार्य-निष्पादन सार तथा जिले की उपलब्धि स्थिति शामिल है।

(4) यदि आवश्यक हो, तो रिपोर्ट विशिष्ट जिले के लिए सुधारक उपाय संबंधी सुझाव देती है।

इसके अलावा, मूल्यांकन रिपोर्टों की खूबियों एवं खामियों के संबंध में एक विश्लेषण तैयार किया जाता है। विदेशी मूल्यांकन एजेंसियों हेतु संचालित प्रबोधन कार्यक्रमों में उनके द्वारा सुधारक उपाय करने के लिए इन पर चर्चा की जाती है।

[अनुवाद]

सीमा पर किसानों की खराब स्थिति

1378. श्री अमर राय प्रधान: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय की 1.1.2000 और 31.7.2002 की अवधि के दौरान कूचबिहार (प. बंगाल) के विभिन्न निवासियों तथा जन प्रतिनिधियों से भारत-बंग्लादेश सीमा पर गलत ढंग से लगाई गई बाड़ के कारण भूमिहीन कृषि श्रमिकों की खराब स्थिति और इन भारतीय नागरिकों का भारतीय क्षेत्र में पुनर्वास के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निवासियों/जन प्रतिनिधियों की मांगों पर आज तक क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। भारत-बंग्लादेश सीमा पर बाड़, सीमा अधिकरणों के लिए संयुक्त भारत-बांग्लादेश दिशा-निर्देश-1975 के अनुसार जीरो लाइन से लगभग 150 गज की निम्नतम दूरी पर लगाई गई है। जिसके फलस्वरूप, बननहाट ग्राम पंचायत पुलिस स्टेशन दिनहाटा, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल सहित बहुत से गांव, जोकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जीरो लाइन पर या उसके नजदीक स्थित हैं, सीमा पर लगाई गई बाड़ से आगे पड़ते हैं।

गांव वासियों की कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से, बाड़ के साथ नियमित अंतरालों पर गेटों का प्रावधान किया गया है। ये गेट स्थानीय जनता से परामर्श करके मौसम के साथ-साथ स्कूलों के समय को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों के अनुसार दिन में तीन बार खोले जाते हैं, ऐसे गांवों के निवासियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल दिन और रात दोनों समय बाड़ के आगे नियमित रूप से गश्त भी लगाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए धन

1379. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी गांवों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के कार्य की सरकार के एक प्राथमिकता वाले कार्य के रूप में पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के द्वारा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय आवंटन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त योजना की उपलब्धियों की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ङ) जी, हां। पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय होने की वजह से, पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, उन्हें मंजूरी देने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास है। सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसार देश में सभी ग्रामीण बसावटों को वर्ष 2004 तक पेयजल सुविधाएं मुहैया कराया जाना है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन राज्य सरकार की मांग/अनुरोध के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित अंतर्राज्य आबंटन मानदंडों के अनुसार वित्त वर्ष के प्रारंभ में किया जाता है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2000-01, 2001-2002, 2002-2003 में विभिन्न राज्यों को निधियों के आबंटन और उनके रिलीज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) प्रत्येक वर्ष निधियों की दूसरी किस्त के रिलीज के संबंध में राज्य सरकार के अनुरोध पर तभी विचार किया जाता है जब राज्य सभी कार्यक्रमों की प्रगति के साथ-साथ उपयोग प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र देते हैं। राज्य सरकार की आवधिक रिपोर्ट के जरिए भी कार्यक्रम की निगरानी की जाती है। राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु पेयजल आपूर्ति विभाग के क्षेत्र अधिकारी भी आवधिक दौरा करते हैं। 19-20 अक्तूबर, 2001 को आयोजित राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई थी। सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग भी राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन और रिलीज को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11600.00	11600.00	13044.00	13601.10	13477.00	6738.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	4365.00	2182.50	4476.00	2455.91	4977.00	1342.80
3.	असम	7372.00	5459.78	7561.67	5357.67	8407.00	2268.30
4.	बिहार	4661.00	0.00	7274.00	0.00	7406.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	1580.00	1580.00	3877.00	3977.00	2443.00	1221.50
6.	गोवा	1404.00	888.59	1455.00	727.50	122.00	0.00
7.	गुजरात	7085.00	16255.00	7837.00	9376.30	6546.00	3273.00
8.	हरियाणा	1943.00	1880.18	2200.00	2200.00	2002.00	1001.00
9.	हिमाचल प्रदेश	5091.00	5091.00	5552.00	6452.00	5635.00	2817.50
10.	जम्मू व कश्मीर	8788.00	3694.00	9896.00	6292.10	12324.00	6162.00
11.	झारखंड	4719.00	2359.50	3619.00	1809.50	3063.00	0.00
12.	कर्नाटक	10350.00	8165.12	12414.00	12714.00	11136.00	5568.00
13.	केरल	5746.00	4022.42	6331.00	5045.00	3698.00	1899.30
14.	मध्य प्रदेश	9529.00	9529.00	8877.00	9077.00	7159.00	3579.50
15.	महाराष्ट्र	16934.00	16934.00	19159.00	19659.00	16829 00	8414.50
16.	मणिपुर	1475.00	0.00	1643.00	821.50	1826.00	0.00
17.	मेघालय	1716.00	1644.08	1760.00	1215.51	1957.00	0.00
18.	मिजोरम	1226.00	1161.99	1257.00	1634.10	1398.00	377.10
19.	नागालैण्ड	1275.00	822.61	1308.00	1700.40	1454.00	392.40
20.	उड़ीसा	6213.00	3106.50	6522.00	4852.09	6225.00	3112.50
21.	पंजाब	2383.00	1783.00	2277.00	1985.50	2581.00	1290.50
22.	राजस्थान	16361.00	16361.00	18705.00	14919.08	20731.00	10365.50
23.	सिक्किम	650.00	325.00	536.00	696.80	597.00	160.80
24.	तमिलनाडु	7308.00	7308.00	7956.00	8956.00	6358.00	3179.00
25.	त्रिपुरा	1521.00	1521.00	1559.00	2026.70	1734.00	467.70
26.	उत्तर प्रदेश	12472.00	10884.83	13269.00	13063.35	13022.00	6511.50
27.	उत्तरांचल	2304.00	2304.00	3356.00	3447.88	3083.00	1541.50
28.	पश्चिम बंगाल	7895.00	7837.31	8773.00	8947.63	8545.00	4272.50
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	7.00	3.50	7.00	0.00	7.00	0.00
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	कुल	163996.00	144703.91	182523.00	163010.62	174765.00	75956.40

नोट 1 : छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्य 2000-2002 में अस्तित्व में आए।

* पहली किस्त

पंचायीत राज द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

1380. **श्री वी. वेन्निसेलवन:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को निष्पादित करने हेतु पंचायतों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए पंचायतों को कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है;

(ग) क्या उन योजनाओं के लिए, जिन्हें पंचायती राज द्वारा लागू किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से में से धन जुटाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने हेतु पंचायती राज को अलग निधियां आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ङ) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायतों को भूमिका सौंपने की सलाह भारत सरकार ने मंत्रालयों/विभागों को दी गई है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के जरिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कार्यान्वित करता है। जिला पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और ग्राम पंचायतों के बीच वितरण हेतु एस.जी.आर.वाई. की निधियां सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज की जाती हैं। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण का तरीका योजना के अनुसार बदलता है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपने हिस्से का योगदान करें जैसा कि इन योजनाओं में भारत सरकार द्वारा निर्धारित है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

1381. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राक्कलनों को तैयार करने और इस कार्य को पूरा करने तक इसके अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च किये जाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर होती है;

(ख) यदि हां, तो इसमें राज्य सरकारों का कितना योगदान होता है; और

(ग) इस महत्वपूर्ण योजना में विलम्ब के कारण व्यय में अनुमानत: कितनी लागत वृद्धि हुई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय ने गुणवत्ता और समय पर कार्यों के समापन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सड़क कार्यों के निष्पादन हेतु कतिपय आनुषंगिक लागत जैसे टेलीफोन, अन्य कार्यालय व्यय और यात्रा लागत के लिए प्रावधान किया है।

(ग) पी.एम.जी.एस.वाई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागत में यदि कोई वृद्धि हो तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसे वहन किया जाएगा। अब तक लागत में वृद्धि का कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों की घुसपैठ

1382. **श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आतंकवादियों की घुसपैठ के संबंध में कश्मीर में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के विचार अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच उचित समन्वय की कमी के कारण घाटी में आतंकवादियों की घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ के संबंध में विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों के बीच न तो कोई मदभेद है और न ही समन्वय में कोई कमी है। राज्य में आतंकवादियों की घुसपैठ की घटनाओं में घट-बढ़ विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जम्मू और कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेन्सियों के बीच समन्वय हेतु राज्य और केन्द्र स्तर पर आवश्यक तंत्र पहले से ही मौजूद है।

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान

1383. श्री राजो सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए साक्षरता अभियान इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लक्ष्य की तुलना में कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्यों में साक्षरता अभियान की निगरानी के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कार्यसाधक साक्षरता का स्तर ऊपर उठाने के लिए साक्षरता अभियान एवं आपरेशन रेस्टोरेशन तथा सतत शिक्षा की योजनाएं चला रहा है। 2001 की जनगणना की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों में साक्षरता उपलब्धि नीचे दी गई है:

उपलब्धि (प्रतिशत में)

	1999	2001	दसवार्षिक वृद्धि
बिहार	37.49	47.53	10.04
झारखंड	41.39	54.13	12.74
उत्तर प्रदेश	40.71	57.36	16.65

सभी जिलों में साक्षरता योजनाएं जिला साक्षरता समिति के समग्र प्रबंधन में स्वयंसेवी शिक्षकों/सहायताकर्मियों के माध्यम से लागू की जा रही हैं। साक्षरता योजनाओं के असर में अंतर के पीछे कुछेक प्रमुख कारक इस प्रकार हैं: निरक्षरों की संख्या, स्वयंसेवी शिक्षकों/सहायताकर्मियों की कम उपलब्धता, प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां तथा जिला साक्षरता समितियों की प्रबंधकीय क्षमता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पनधारा विकास कार्यक्रम पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1384. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 1999 की अपनी रिपोर्ट सं. 3 में पृष्ठ 98 से आगे पैरा 3.6 में सूखे के दुष्प्रभाव को कम करने तथा पर्यावरणीय रूप से अलाभकारी क्षेत्र के विकास के लिए किए गए मृदा संरक्षण भूमि, को आकार देना और उसका विकास, जल संसाधन संरक्षण और विकास, वनारोपण और चरागाह, चारा और घासवाली भूमि के विकास पर एक विस्तृत सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिक ध्यान देने और जिम्मेदारी तय करने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को समेकित करने और कार्यक्रमों में संशोधन लाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1995-96 से पूर्व सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रीय आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा था। क्षेत्रीय योजनाएं विक्षेपित रूप में कार्यान्वित की जा रही थी और ये योजनाएं एक-दूसरे से सम्बद्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप इनका कोई दृष्टिगोचर प्रभाव नहीं पड़ा। अत: कार्यक्रम की विषय-वस्तु और कार्य प्रणाली को संशोधित किया गया और 1.4.1995 से कार्यक्रम को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सामुदायिक भागीदारी के साथ कार्यक्रम वाले क्षेत्रों के समग्र और समेकित विकास के लिए वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस पद्धति के तहत वाटरशेड परियोजनाएं स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मृदा संरक्षण, भूमि को कृषि करने योग्य आकार देने तथा विकसित करने, जल संसाधन संरक्षण तथा उसका विकास करने, चरागाह, चारा और घास वाली भूमि का विकास एवं वनारोपण करने आदि जैसे कार्यकलापों पर जोर देते हुए आरंभ की जाती हैं। इन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों, आदि के अनुभव को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को वाटरशेड विकास में लक्ष्यबद्ध पद्धति को लागू करने, पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण गरीबों, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के स्व-सहायता समूहों की अधिक भूमिका, वित्तीय संस्थाओं के साथ ऋण सुविधा हेतु सम्बन्ध स्थापित करने, परियोजनाओं के लिए परिवीक्षा अवधि की व्यवस्था करने, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए बहिर्गमन व्यवस्था करने तथा अनुपूरक पर्यवेक्षण तंत्र आदि की व्यवस्था करने हेतु दिसम्बर, 2001 में पुन: संशोधित किया गया है।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों/झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवार/घरबार

1385. श्री रामदास आठवले:
श्री पवन कुमार बंसल:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मलिन बस्तियों/झोंपड़ियों में रहने वाले या गृहविहीन गरीब परिवारों/घरों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): स्लम सुधार राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में स्लमों का सर्वेक्षण एवं जायजा लेती है। तथापि, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टी.सी.पी.ओ.) ने वर्ष 1995-96 में स्लमों के बारे में एक बारगी अध्ययन करवाया था तथा "ए कम्पेंडियम आन इंडिया स्लम्स, 1996" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में राज्य-वार पहचान की गयी/अनुमानित शहरी स्लम आबादी संलग्न विवरण-I में है।

भारत की जनगणना, 2001 के दौरान भारत के महापंजीयक द्वारा पहली बार देश के स्लम क्षेत्रों, बल्कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 या उससे अधिक आबादी वाले नगरों/कस्बों, के बारे में विस्तृत आंकड़े जमा करने का प्रयास किया गया है। भारत की जनगणना, 2001 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की स्लम-आबादी संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

राज्य-वार पहचान की गयी/अनुमानित स्लम आबादी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरी आबादी	पहचान की गयी स्लम आबादी	उम्र	शहरी आबादी	अनुमानित आबादी	उम्र	शहरी आबादी	अनुमानित स्लम आबादी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	124.876	28.579	22.9	178.871	43.133*	24.1	249.654	60.165
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.414	–	–	1.106	0.221	20.00	1.879	0.375
3.	असम	17.824	1.236	6.9	24.878	4.483+	18.0	32.367	5.826
4.	बिहार	87.190	32.699	37.5	113.530	26.906	23.7	149.556	35.444
5.	गोवा	3.518	0.242	6.9	4.708	0.833	17.4	6.559	1.141
6.	गुजरात	106.017	15.316	14.5	142.461	25.814*	18.1	169.993	34.388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हरियाणा	28.274	2.742	9.7	40.547	6.843*	16.9	59.572	10.067
8.	हिमाचल प्रदेश	3.260	0.761	23.3	4.492	1.258+	28.0	5.765	1.614
9.	जम्मू व कश्मीर	12.604	6.270	49.7	18.394	5.922	32.2	24.173	7.783
10.	कर्नाटक	107.296	5.745	5.4	139.078	12.934	9.3	190.989	17.761
11.	केरल	47.713	4.101	8.6	76.803	12.218	15.9	103.474	16.452
12.	मध्य प्रदेश	105.865	10.749	10.2	153.388	21.209	13.7	204.050	27.954
13.	महाराष्ट्र	219.936	43.149	19.6	305.416	78.724	25.8	416.155	107.367
14.	मणिपुर	3.755	0.165	4.4	5.056	0.853	16.9	6.702	1.132
15.	मेघालय	2.413	0.660	27.4	3.300	0.833+	25.2	4.603	1.61
16.	मिजोरम	1.218	ला.न.	–	3.179	0.572	18.0	6.424	1.156
17.	नागालैण्ड	1.202	ला.न.	–	2.082	0.416	20.0	3.049	0.609
18.	उड़ीसा	31.103	2.820	9.1	42.350	8.432*	19.9	56.320	11.207
19.	पंजाब	46.478	11.668	25.1	59.932	14.144*	23.6	80.241	18.936
20.	राजस्थान	72.105	10.252	14.2	100.671	24.000+	23.8	137.193	32.651
21.	सिक्किम	0.511	0.024	4.7	0.370	0.095+	25.7	0.479	0.123
22.	तमिलनाडु	159.519	26.760	16.8	190.776	35.713*	18.7	233.080	43.585
23.	त्रिपुरा	2.256	0.184	8.2	4.217	0.744*	17.6	5.078	0.893
24.	उत्तर प्रदेश	198.991	25.800	13.0	276.059	58.391*	21.1	365.397	77.098
25.	पश्चिम बंगाल	144.467	30.280	21.0	187.076	51.949	27.8	236.620	65.780
	कुल राज्य	1528.805	260.202	17.0	2078.830	436.460	21.0	2769.377	580.669
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.496	–	–	0.750	0.349+	46.5	1.102	0.512
27.	चंडीगढ़	4.228	–	–	5.758	1.612	28.0	7.618	2.133
28.	दादरा व नगर हवेली	0.069	–	–	0.117	0.023	19.7	0.199	0.039
29.	दमन व दीव	–	–	–	0.475	0.095	20.0	0.698	0.139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	दिल्ली	57.682	18.00	31.2	84.716	22.480+	26.5	122.891	32.566
31.	लक्षद्वीप	0.186	–	–	0.291	0.058+	19.9	0.362	0.072
32.	पांडिचेरी	3.160	0.942	29.8	5.170	1.531	29.6	7.190	2.128
	कुल-संघशासित राज्य	65.821	18.942	28.8	97.277	26.148	26.9	140.060	37.589
	कुल	1594.626	279.114	17.5	2176.107	462.608	21.3	2909.437	618.258

नोट-

\+ पहचान की गई/अनुमानित स्लम आबादी के आंकड़े (संपूर्ण राज्य के लिए) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए गए हैं।

* स्लम आबादी के आकलन वर्ष 1991 के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से प्राप्त सूचना (श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 नगरों/कस्बों के लिए) पर आधारित है।

** गोवा में वर्ष 1981 के आंकड़े पहले ही शामिल कर लिए गये हैं।

स्रोत: ए काम्पेंडियम आन इंडियन स्लम्स, 1996 टी सी पी ओ, नई दिल्ली।

विवरण-II

कुल अंतरिम आबादी—भारत की जनसंख्या 2001

स्लम तथा स्लम आबादी वाले कस्बों की संख्या तथा आबादी—भारत तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2001

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्लम कस्बों की संख्या	स्लम कस्बों की आबादी	कुल स्लम आबादी
1	2	3	4	5
	भारत	607	178,393,941	40,297,341
1.	जम्मू और कश्मीर	5	1,451,995	270.084
2.	पंजाब	27	5,652,211	1,151,864
3.	चण्डीगढ़*	1	808.796	107098
4.	उत्तरांचल	6	1,030,720	195604
5.	हरियाणा	22	4,300,013	1421839
6.	दिल्ली*@	14	10,979,341	2025890
7.	राजस्थान	25	7,453,084	1206123
8.	उत्तर प्रदेश	65	18,791,750	4156020
9.	बिहार	23	4,817,624	507383
10.	त्रिपुरा	1	189,327	29378
11.	मेघालय	1	267,881	110714
12.	असम	7	1,347,111	84644
13.	प. बंगाल	51	14,250,720	3822309

1	2	3	4	5
14.	झारखण्ड	11	2,418,755	309557
15.	उड़ीसा	15	2,818,755	635150
16.	छत्तीसगढ़	12	2,692,612	788127
17.	मध्य प्रदेश	42	9,823,309	2388517
18.	गुजरात	28	11,427,259	1346709
19.	महाराष्ट्र	62	33,624,960	10644605
20.	आंध्र प्रदेश	76	15,752,946	5149272
21.	कर्नाटक	35	11,021,192	1267759
22.	गोवा	2	175,478	14529
23.	केरल	9	2,509,719	45337
24.	तमिलनाडु	63	14,175,792	2530269
25.	पांडिचेरी*	3	512,705	72275
26.	अन्डमान एवं निकोबार द्वीप	1	100,186	16265

नोट 1: भारत की जनगणना-2001 में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में कोई स्लम आबादी नहीं बतायी गयी है।

2. दिल्ली में 11 जनगणना कस्बों तथा उत्तर प्रदेश में एक कस्बे को शामिल किया गया है।

3. बिहार, महाराष्ट्र तथा मेघालय में एक-एक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में दो-दो, कुल सात कस्बों में अपवृद्धियों/शहरी समूह की आबादी शामिल है।

सीमा पर गोलाबारी

1386. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा/नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण गत छह महीनों के दौरान आज की तिथि तक कितने घर क्षतिग्रस्त हुए और जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त गोलाबारी के कारण कितने परिवार प्रभावित हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार, जम्मू और कश्मीर की सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ हुई गोलीबारी के परिणामस्वरूप 1.1.2002 और 30.6.2002 के बीच गत छह माह के दौरान जान-माल की हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

मारे गए सिविलियन	–	60
मारे गए सुरक्षा सुरक्षा बल कर्मी	–	31
घायल हुए सिविलियन	–	249
घायल हुए सुरक्षा बल कर्मी	–	130
नष्ट हुई संपत्ति:		
सरकारी इमारतें	–	5
स्कूल	–	3
घर	–	144
झोपड़ी/कोठे	–	19
धार्मिक स्थल	–	2
मारे गए पशु	–	187
घायल हुए पशु	–	133

अन्य राज्यों से जान-माल के नुकसान की कोई रिपोर्टें नहीं हैं।

(ख) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार की सूचनानुसार, 30771 परिवार, जिनमें 153131 व्यक्ति हैं, प्रभावित हुए हैं तथा वे जम्मू और कश्मीर के कठुआ, राजौरी, जम्मू एवं पुंछ जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के नजदीक अपने गांवों से पलायन कर गए हैं।

(ग) मारे गए सिविलियनों के निकट संबंधी को कुल एक लाख रु. की अनुग्रह राहत और स्थायी अपंगता, गंभीर चोट तथा छोटी-मोटी तथा छोटी चोट के लिए क्रमशः 75000 रु.; 5000 और 1000 रु. की राशि दी गई है। जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने सीमा प्रवासियों के लिए निम्न प्रकार के राहत पैकेज की घोषणा की है और उसे क्रियान्वित किया है:

(1) प्रति माह प्रति व्यक्ति को 11 किलो की दर से मुक्त राशन।

(2) प्रति माह प्रति परिवार 10 लीटर की दर से मुफ्त मिट्टी का तेल।

(3) प्रति माह प्रति व्यक्ति 400 रु. की दर से नकद सहायता लेकिन इसकी अधिकतम सीमा प्रति माह प्रति परिवार 1600 रु. हैं।

(4) सभी विस्थापित व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता।

(5) उन क्षेत्रों में, जहां सुरंगे बिछाई गई हैं, और जिनकी पहचान संबंधित उप आयुक्तों द्वारा की गई, प्रति पशु पालने वाले परिवार को चारे के लिए प्रति माह 300 रु. की दर से नकद सहायता, और

(6) किसी भी प्रवासी के वापस लौटने के मामले में निवास स्थान पर स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार मुफ्त राशन।

जम्मू और कश्मीर में सीमा प्रवासियों के लिए राहत पैकेज की मद (1) से (5) तक पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा की जाती है।

रक्षा मंत्रालय ने सीमा क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की रक्षा तैयारियों/आवाजाही की प्रारंभिक अवस्था के दौरान किसानों/लोगों को उनकी फसलों इत्यादि को हुए नुकसान के लिए अनुग्रहपूर्वक मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से एक राहत पैकेज की घोषणा की है। तदनुसार, पंजाब के प्रभावित लोगों/किसानों को कुल 21 करोड़ रु. की धनराशि संवितरित की गई है और इसके अलावा पंजाब की राज्य सरकार को आगे 30 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है। राजस्थान में प्रभावित लोगों/किसानों को कुल 10 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की गई है तथा जम्मू और कश्मीर सरकार को 3.75 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सी.आई.एल. का कार्यनिष्पादन

1387. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों का सहायक कंपनी-वार कार्यनिष्पादन क्या रहा;

(ख) क्या इन कंपनियों के लगातार बढ़ते प्रशासनिक और रख-रखाव संबंधी लागत के कारण कुछ कंपनियों के लिए लाभ अर्जित करने मुश्किल हो गया है और अन्य कंपनियों का लाभ खर्च की तुलना में अत्यन्त कम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1998-99 से 2000-01) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) का सहायक कम्पनी-वार कार्य-निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी	2000-01* (लाभ (+)/हानि(-)	1999-2000 (लाभ (+)/हानि(-)	1998-99 (लाभ (+)/हानि(-)
1	2	3	4
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	-917.19	-728.23	-472.47
भारत कोकिंग कोल लि.	-1276.70	-692.32	-442.34
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	-792.91	-121.24	-149.35

1	2	3	4
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	+1025.05	+936.87	+802.14
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	+28.23	+405.86	+476.58
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	+116.92	+455.34	+676.55
महानदी कोलफील्ड्स लि.	+641.35	+607.65	+601.31
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इन्स्टीट्यूट लि.	-3.81	+0.71	+0.63
सी.आई.एल./एन.ई.सी.	+280.21	+581.18	+606.20
उप-जोड़	-898.85	+1445.82	+2099.25
लाभांश घटाएं	515.62	+751.95	647.46
जोड़	-1414.47	+693.87	+1451.79

*वर्ष 2001-02 के वार्षिक लेखाओं को लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार कोयला क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करने तथा समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। वर्ष 2001-02 के दौरान सी.आई.एल. ने बढ़े हुए उत्पादन, उठान तथा उत्पादकता के कारण लगभग 1400 करोड़ रुपये (अनंतिम) का लाभ अर्जित किया।

साक्षरता अवार्ड

1388. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''सत्येन मित्र स्मारक राष्ट्रीय साक्षरता अवार्ड'' और साक्षरता और महिला साक्षरता के क्षेत्र में 'डेकाडल एचीवमेंट अवार्ड' देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार के अवार्ड की समीक्षा के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) 'सत्यैन मित्र स्मारक राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार' तथा ''साक्षरता एवं महिला साक्षरता के लिए दशकीय उपलब्धि पुरस्कार'' हेतु पात्रता का निर्धारण करने वाले मानदंड नीचे दिए गए हैं:

(1) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान तथा उत्कृष्ट निष्पादन

(2) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी की मात्रा तथा अवधि

(3) सामग्री विकास में योगदान

(4) प्रशिक्षण क्षेत्र में योगदान

(5) गुणवत्ता अंर्तवस्तु तथा कार्यक्रमों का प्रभाव

(6) साक्षरता के संबंध में जनगणना, 2001 में यथा प्रतिबिंबित प्रगति।

(ख) और (ग) पुरस्कार प्रदान करने के वास्ते मानदंड तैयार करने के लिए सरकार प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञों की समिति गठित करती है। इन पैरामीटरों के परिप्रेक्ष्य में ही अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है।

कोयला भण्डार के लेखांकन संबंधी प्रणाली

1389. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में कोयला भण्डार के लेखा मूल्य में और कोयला भण्डार के वास्तविक मूल्य के जांच के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन और भण्डार के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है जिससे चोरी के कारण डिपो में हुई कोयले की कमी को छुपाया जा सके या लक्षित कोयला उत्पादन में कमी को आंकड़ों में पूरा किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. अपनी प्रत्येक सहायक कम्पनी-वार, यूनिट-वार कोयले के बुक-स्टाक तथा वास्तविक स्टाक में दिए गए आंकड़ों की जांच करने के लिए वार्षिक रूप से कोयला मालसूची की जांच करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सहायक कम्पनी में यूनिट-स्तर पर माहवार, क्षेत्र स्तर पर तिमाही-वार तथा सहायक कम्पनी स्तर पर छमाही-वार नियमित कोयला स्टाक के मापन किए जा रहे हैं। यदि बुक स्टाक तथा मापे गए स्टाक में अंतर +/-5% तक का हो और 1000 टन से नीचे हो तो इस कमी अथवा अधिशेष को अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि इसे सर्वेक्षण की चूक माना जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी-वार बुक-स्टाक, वास्तविक स्टाक तथा कच्चे कोयले की कमी के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। वर्ष 2001-2002 के संबंध में कोयला स्टाक मापन कार्य प्रगति पर है।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया स्टाक और उत्पादन के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं रखता है। तथापि, जहां बुक स्टाक तथा वास्तविक स्टाक के बीच अन्तर 5% और 1000 टन से अधिक होता है ऐसी कमियों के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए जांच की जाती है। ग्राउंड स्टाक में कमी के संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1998-99, 1999-2000 तथा 2001-2002 के दौरान कम्पनी-वार बुक स्टाक, वास्तविक स्टाक तथा स्टाक में कमी

(आंकड़े लाख टन में)

कम्पनी	1998-1999			1999-2000			2000-2001		
	बुक स्टाक	वास्तविक स्टाक	कमी (सांख्यिकीय) 5% और/ अथवा 1000 टन से अधिक	बुक स्टाक	वास्तविक स्टाक	कमी (सांख्यिकीय) 5% और/ अथवा 1000 टन से अधिक	बुक स्टाक	वास्तविक स्टाक	कमी (सांख्यिकीय) 5% और/ अथवा 1000 टन से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ई.सी.एल.	42.91	42.00	शून्य	28.72	26.93	1.19	24.08	22.99	0.96
बी.सी.सी.एल.	51.15	41.19	9.34	28.49	25.64	2.12	22.97	21.55	0.76
सी.सी.एल.	47.23	46.84	शून्य	45.84	45.13	शून्य	31.86	31.78	शून्य
एन.सी.एल.	22.87	22.88	शून्य	14.31	14.31	शून्य	7.73	7.66	शून्य
डब्ल्यू.सी.एल.	33.07	32.74	शून्य	23.17	23.02	शून्य	21.85	21.81	शून्य
एस.ई.सी.एल.	62.65	61.59	शून्य	70.94	69.85	शून्य	66.56	65.19	शून्य
एम.सी.एल.	40.65	39.81	शून्य	54.62	53.74	शून्य	29.28	28.93	शून्य
एन.ई.सी.	8.44	8.42	शून्य	5.74	5.54	शून्य	4.64	4.52	शून्य
सी.आई.एल.	308.97	295.47	9.34	271.83	264.16	3.31	208.97	204.43	1.72

विवरण-II

ग्राउंड स्टाक में कमी के संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का विवरण

विवरण	ई.सी.एल.			बी.सी.सी.एल.		
	1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-1999	1999-2000	2000-2001
अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की संख्या	शून्य	25	27	39	22	1
की गई कार्रवाई का ब्यौरा:						
(क) बरी/चेतावनी	–	7	0	8	0	0
(ख) हटा ली गए/बन्द कर दी गई	–	1	2	9	2	0
(ग) दण्ड दिया गया	–	14	0	13	5	0
जोड़	–	22	2	30	7	0

घाटी में विदेशी आतंकवादी

1390. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 2002 के 'स्टेट्समैन' में 'फारेन अल्ट्राज फ्लड वैली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने घाटी में विदेशी आतंकवादियों को भेजा है और उनके द्वारा सेना/पुलिस अधिकारियों को मारने पर उनके लिए नकद इनाम घोषित किये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सरकार को इस आशय की रिपोर्टें मिलती रही हैं कि तालीबान और अन्य विदेशी आतंकवादियों, जो नवम्बर, 2001 से पहले अफगानिस्तान में थे, की हार के बाद काफी बड़ी संख्या में भूतपूर्व तालीबान और संबद्ध रूढ़ीवादी ग्रुप सीमा पार करके पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आ गए हैं। इन आतंकवादियों की जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, अल बदर, हिज्बुल मुजाहिद्दीन इत्यादि जैसे आतंकवादी गुटों में शामिल होने की संभावना है ताकि इनकी जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ कराई जाये और जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों में आतंकवादी हिंसा में बढ़ोत्तरी की जा सके। तथापि, कुछेक अलकायदा के जम्मू और कश्मीर में घुस आने की बात से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) यह सर्वविदित है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को पाक/पाक आई.एस.आई. द्वारा सहायता दी जाती है और भड़काया जाता है।

(घ) विभिन्न स्तरों पर निरंतर कूटनीतिक पहल करते रहने, सीमाओं/नियंत्रण रेखा पर सेना को पुन: तैनात करने तथा राज्य के अंदर आतंकवादियों के ऊपर दबाव बनाए रखने के अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है ताकि पाक समर्थित आतंकवादी गुटों/पाक आई.एस.आई. द्वारा जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। इस रणनीति में अन्य बातों के साथ-साथ घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सभी स्तरों पर यू.एच.क्यू. के आपरेशन ग्रुपों तथा आसूचना ग्रुपों के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियारों और उपस्करों की व्यवस्था करना तथा आतंकवादियों के सक्रिय समर्थकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना भी शामिल है।

आतंकवादियों का सामना करने के लिए रणनीति, दांव-पेंच और सुरक्षा बलों की सक्रिय तैनाती की राज्य में यूनिफाइड हैडक्वार्टर्स तथा आपरेशन ग्रुपों में विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा की जाती

है, उसमें सुधार किया जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

प्रायोगिक परियोजनाओं को पूरा करने से संबंधित परिणामों की जांच करने के लिए समिति

1391. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरी हो चुकी प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणामों की जांच करने और मानचित्रों के ''डिजीटाइजेशन'' के संबंध में आगे की कार्रवाई का सुझाव देने हेतु एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिए जाने के मामले में राज्यों को विशेषकर गुजरात के मामले में कैडस्ट्रौल मानचित्रों के डिजिटाइजेशन हेतु नवीन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी नहीं की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (च) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में पूरी हो चुकी प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणामों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है:

(1) अंकीकरण का कार्य करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की साक्षेप तकनीकी व्यवहार्यता;

(2) साफ्टवेयर की अनुकूलता की जांच करने का सर्वोत्तम तरीका;

(3) प्रयोग अवधि के दौरान प्रयोक्ता की कार्य क्षमता से ज्ञात हुए अनुसार वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए उपयोगिता को बढ़ाना;

(4) मूल वास्तविकताओं के संबंध में अंकीकृत भू-कर मानचित्रों की यथार्थता की प्रतिशतता के अपेक्षित स्तर को निर्धारित करना;

(5) भावी परियोजनाएं अभिकल्पित करने हेतु अत्यधिक किफायती क्रिया-विधि का पता लगाना और वित्त पोषण पद्धति सुझाना;

(6) वह पद्धति जिसमें अंकीकृत भू-कर मानचित्रों के लिए विधिक सत्यता सुनिश्चित की जा सकती है।

यह समिति कार्य योजना और समय-सूची के साथ-साथ उपर्युक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भू-कर मानचित्रों के अंकीकरण के संबंध में कार्रवाई का भी सुझाव देगी।

समिति के सदस्य पूरी हो चुकी परियोजनाओं से उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में सूचना का मूल्यांकन करने के लिए कुछेक राज्यों का दौरा भी करेगी। मंत्रालय द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जब तक समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है और इस समिति सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक कोई नई प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

कर मुक्त बांड जारी करने के लिए विधिमान्य अवधि का विस्तार करना

1392. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण हेतु उपयोग किए जाने वाले 1500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए हुडको द्वारा गुजरात पुनर्निर्माण कर मुक्त बांड जारी करने के लिए विधिमान्य अवधि का विस्तार करने हेतु वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने मामले पर अगली टिप्पणी वित्त मंत्रालय के पास भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां। 26 जनवरी, 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद वर्ष 2001-2002 के दौरान आबंटित 1500 करोड़

रुपए के गुजरात पुनर्निर्माण कर मुक्त बांडों के अंतर्गत उपलब्ध शेष धनराशि को जारी करने के लिए समय बढ़ाने हेतु गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। हडको 31 को मार्च, 2002 तक राशि जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया और गुजरात सरकार द्वारा रखी गई स्कीमों के आधार पर 430 करोड़ रुपए जुटाए गए।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार द्वारा किए गए अनुरोध और शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिश को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने 12.7.2002 को हडको को 1070 करोड़ रुपए की शेष राशि 31.3.2003 तक जुटाने की अनुमति दे दी।

एशियाई लोगों के प्रति नस्लभेद

1393. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में एशियाई विशेषकर भारतीय छात्रों के प्रति नस्लभेद के मामलों की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो 2001 और 2002 के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) हालांकि सरकार को एशियाई समुदाय के वर्गों के प्रति नस्लभेद के संबंध में समय-समय पर आने वाली मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है, लेकिन यू.के. स्थित उच्चायोग को ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रयोग में नहीं लाई जा रही कोयला खदानें

1394. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कितनी कोयले की खाने प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कोयला खानों को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) कोयला खानों के लिए निजी क्षेत्र द्वारा धारित कोयला खनन पट्टे, जिन्हें कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के माध्यम से अधिग्रहीत नहीं किया गया था, निजी रूप से स्वामित्व वाली इस्पात कम्पनियों द्वारा धारित पट्टों को छोड़कर, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 के अधिनियम के साथ समाप्त हो गए थे। ये खानें उचित भू-वैज्ञानिक अथवा खान प्लानों के बगैर और कोयले की क्वालिटी अथवा मात्रा के संबंध में भण्डार के किसी आंकलन के बगैर थी जी कि कोयले के वैज्ञानिक ढंग से दोहन के लिए अनिवार्य है। इसलिए केवल इन पट्टों को ही समाप्त किया गया था ताकि केन्द्र सरकार, सरकारी कम्पनी अथवा कारपोरेशन के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, कोयले के भण्डारों आदि की मात्रा का आवश्यक अन्वेषण करने के पश्चात् खनन करना संभव हो सके। इस प्रकार ये खानें परित्यक्त रहती हैं। ऐसे पट्टों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के लागू होने से पहले भूतपूर्व-जमीदारों/ राजाओं द्वारा मंजूर किए गए पट्टे।

(2) निजी पार्टियों के ऐसे वैध पट्टे जो राष्ट्रीयकरण के समय केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहीत किए जाने के लिए शिनाख्त किए जाने से रह गए थे।

(3) बन्द पड़ी अथवा परित्यक्त खानों को कवर करने वाले बेकार वा निष्क्रय पट्टे।

उपर्युक्त मामलों में पट्टों को उन खानों से सहबद्ध करना आसान नहीं था क्योंकि एकल पट्टे में एक से अधिक खानें हो सकती हैं और/अथवा एक से अधिक पट्टों को साथ शामिल करके एकल खान बनाई हुई हो सकती है। सरकार के रिकार्ड में ऐसी खानों के पूरे ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण परित्यक्त खानों के साथ कोई निश्चित संख्या सहबद्ध नहीं की जा सकती है।

(ख) और (ग) जी नहीं। कोयला खानों के लिए खनन पट्टे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिन्हें कुछ कारकों पर विचार करने के पश्चात्, जिनमें भण्डारों की उपलब्धता, उत्पादन प्लान, यह तथ्य

कि क्या खनन पट्टे के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली खान का पूर्वेक्षण किया गया है और क्या भण्डार की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में कोयला खनन करना संभाव्य और व्यवहार्य है, आदि शामिल है, विनिर्दिष्ट अन्त्य प्रयोग के लिए गृहीत खनन करने की अनुमति है।

तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में रिक्त पद

1395. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कोई निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक क्षेत्र में रिक्तियों के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसने तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों/कालेजों को रिक्त पद भरने संबंधी कोई अनुदेश नहीं दिया है तथापि, नौवीं योजना की विकास अनुदान स्कीम के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पदों को 31.3.2002 से पहले भरा जाना अपेक्षित था। राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर रिक्त पदों संबंधी आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

भारत-म्यांमार सीमा व्यापार वार्ता

1396. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 2002 के 'द हिन्दु' में भारत म्यांमार सीमा व्यापार वार्ता के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) सुरक्षा, सीमा व्यापार और आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत तथा म्यांमार के बीच आठवीं राष्ट्र स्तरीय बैठक का आयोजन 10-11 जुलाई, 2002 को नई दिल्ली में किया गया था। सुरक्षा संबंधी मामलों के अलावा, अन्य मुद्दे जिन पर चर्चा की गई, वे नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, बेरोकटोक आवाजाही प्रणाली, सीमा बुर्जों का संयुक्त निरीक्षण, सीमा व्यापार और बैंकिंग प्रबंध, काले-तामू सड़क का रखरखाव, कालादीन परियोजना, तामंथी एच ई परियोजना, रही झील पर पर्टयक केन्द्र का निर्माण तथा कैदियों की रिहाई है। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच मौजूदा मैत्री एवं सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जिलों में साक्षरता अभियान कार्य को बंद करना

1397. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन जिलों में साक्षरता अभियान कार्य को रोकने का है जिन्हें प्रशंसा-पत्र और अन्य अवार्ड प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके संबंध में प्रक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों संबंधी जांच आयोग

1398. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अम्बरीश:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें जांच आरम्भ की गयी, पूरी की गयी लेकिन आज की स्थिति के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गयी; और

(ख) इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिसमें उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई हो।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, हमने 17 तारीख को प्रिवलेज का नोटिस दिया था और नियम कहता है:....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का नोटिस दिया है। मैंने उस पर बोलने के लिए उनको कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आपके प्रिवलेज नोटिस के बारे में मैंने आपको कहा है कि हमने इन्फोर्मेशन इस विषय में गवर्नमेंट से मांगी है। इन्फोर्मेशन आने के बाद वह विषय आप यहां उठा सकते हैं। मुझे मालूम है कि इसमें टाइम ज्यादा हुआ है, हम उन्हें फिर रिमाइण्डर भेज रहे हैं। इन्फोर्मेशन आने के बाद मै आपको इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक बार में केवल एक ही माननीय सदस्य खड़ा होकर बोल सकता है। अब बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल एक माननीय सदस्य खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देखिए, हाउस में 10 लोग एक साथ खड़े होंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जब वे अपना भाषण समाप्त कर लें तो तब आपको जो कुछ कहना है कहें। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारी बात तो एक मिनट सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने निर्णय दे दिया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रिवलेज मोशन को सर्वोपरि प्राथमिकता है और ये लोग खड़े हो जाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये न। मैं इनके बाद आपको एक मिनट समय दूंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 17 तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक फ्लाई ओवर का उद्घाटन करने कोटा गये थे। वहां के लोगों का भारतीय जनता पार्टी और जनता का मिलकर एक प्रतिनिधिमण्डल बाइपास के निर्माण की मांग को लेकर उनसे मिलने के लिए वहां पर गया। वहां पर जाने के बाद पता चला कि मुख्यमंत्री जी अपना रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से फ्लाई ओवर का उद्घाटन करने चले गए। जो शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा था, लोग वहां रुके थे, वहां पुलिस ने बिना कोई चेतावनी दिये लाठीचार्ज किया। पुलिस द्वारा वहां पर महिलाओं को बुरी तरह से मारा गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रश्न है, इसे आप यहां कैसे उठा सकते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को बर्खास्त किया जाये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है, अत: आप इसे यहां नहीं उठा सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: वहां लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये फोटो देखकर आपको लगेगा कि वहां लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कोयला और खान मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (चिकित्सा अधिकारी संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002, जो 5 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 405(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2002, जो 6 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5844/2002]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदय मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002, जो 15 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 369(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5845/2002]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 63 के अंतर्गत समीक्षा समिति (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अर्हताएं और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2002, जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 352(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5846/2002]

(2) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 660(अ) जो 24 जून 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची में आतंकवादी संगठनों को जोड़े जाने के बारे में हैं।

(दो) का.आ. 682(अ) जो 1 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची में आतंकवादी संगठनों को जोड़े जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5847/2002]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सीमा सुरक्षा बल सामान्य ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 20 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 128 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल (समूह 'ग' योद्धक, पैरोमेडिकल स्टाफ) भर्ती नियम, 2002 जो 20 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2002 जो 23 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 544 में प्रकाशित हुए थे तथा 4 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1458 में प्रकाशित उसका एक शुद्धि पत्र।

(चार) सीमा सुरक्षा बल (समूह 'ग' अराजपत्रित योद्धक,

पैरामेडिकल स्टाफ) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2002 जो 25 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त मद संख्या (3) में (एक) से (तीन) तक उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5848/2002]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): महोदय मैं श्री तपन सिकदर की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं:

(1) फर्टिलाइजर एण्डर केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5849/2002]

(2) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुई समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या 5850/2002]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5851/2002]

(2) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी. 5852/2002]

(4) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5853/2002]

(6) (एक) कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5854/2002]

(8) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5855/2002]

(10) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5856/2002]

अपराह्न 12.06 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) नब्बेवां, इक्यानवेवां और बानवेवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय मैं, गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2001 संबंधी 90वां प्रतिवेदन।

(2) जम्मू और कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद और विद्रोह के संबंध में समिति के 75वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर गृह मंत्रालय के की गई कार्रवाई संबंधी उत्तरों के बारे में 91वां प्रतिवेदन।

(3) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 संबंधी 92वां प्रतिवेदन।

(दो) साक्ष्य

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय मैं निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(1) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2001; और

(2) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2001

अध्यक्ष महोदय: बैठक में कल निर्णय लिया गया कि सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद गुजरात के महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे।

इस बीच रघुवंश जी, मैंने आपके विषय में निर्णय दे दिया है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमने 17 मई को तीन मंत्रियों, तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा, कार्य योजना मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे तथा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री श्री वैंकेया नायडू, के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। आपने उस निर्णय अपने अधीन रखा था। कोल एंड शकधर के पृष्ठ 296 में नियम कहता है।

[अनुवाद]

"तथापि, ऐसे अवसर आये हैं जब अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न उठाने हेतु अपनी सहमति रोक दी, तो सदस्यों ने अगले दिन पुन: उस मामले को उठाने की मांग की।"

[हिन्दी]

17 मई को दिया था। आज मुझे बोलने का आपने मौका दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थानीय निकास के लिए बिहार को जो राशि मिली थी, उसको रोक दिया गया और इन मंत्रियों ने डैलिब्रेटली हाउस को मिसलीड किया। इसलिए ये लोग विशेषाधिकार हनन के कसूरवार हैं। मेरी प्रार्थना है कि श्री वैंकेया नायडू, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, इसलिए नियम और परम्परा के मुताबिक इस मामले को राज्य सभा में भेजे दिया जाए, बाकी दोनों मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार का मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाए। इस बात को दो महीने से अधिक हो गए हैं। मामला नियमानुसार है, ये लोग विशेषाधिकार हनन के कसूरवार हैं इसलिए विशेषाधिकार समिति के पास इस मामले को भेजा जाए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है कि आपने नोटिस दिया है। आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इन तीन मंत्रियों से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जब वह मिलेगा, तब इस मामले पर निर्णय दिया जाएगा। मैं इस मामले में इन लोगों को रिमाइंडर भेज रहा हूं।

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन प्राप्त नोटिसों को सभा पटल पर रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात के महत्वपूर्ण विषय को आज चर्चा के लिए श्री बसुदेव आचार्य उठायेंगे।

अपराह्न 12.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश में रानी अवन्तीबाई सागर परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के बीच जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी पर पश्चिमी देशों की नकल कर प्रगति के नाम पर बांधों की अनवरत शृंखला बनाई गई है। नर्मदा नदी की पौराणिक एवं भूगर्भीय स्थिति का पुन: अध्ययन आवश्यक हो गया है। क्योंकि नर्मदा नदी की क्षरण की गति मैदानी भागों में बहने वाली नदियों में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में विलम्ब से निर्मित होने वाली सिंचाई परियोजनायें अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेंगी, वहीं दूसरी ओर नर्मदा से मिलने वाली नदियों को आपस में जोड़ने की कार्य योजना सरकार को तत्काल बनाना चाहिए। बांधों की मुख्य नहरों को भी आपस में जोड़ने की योजना सरकार बनाये ताकि अधिक वर्षा तथा भूकम्प की स्थिति में बांधों पर पानी के दबाव को कम करने के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय प्राथमिकता से किए जायें।

नर्मदा के उद्गम के बाद पहले सबसे ऊंचे एवं बड़े बांध रानी अवंती बाई सागर परियोजना की दांयी तट नहर को तत्काल पूर्ण किया जाये क्योंकि दायीं तट नहर, बांध की सुरक्षा तथा नर्मदा घाटी परियोजना की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

(दो) मनमाड और इन्दौर के बीच रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री रामदास रुपला गावीत (धुले): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र धुले, महाराष्ट्र आदिवासी क्षेत्र व काफी पिछड़ा हुआ है और इसका प्रमुख कारण यातायात की सुविधा न होना है। इस क्षेत्र में रेल सेवा पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण यह क्षेत्र कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं कर पाया है। मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता तथा मेरे द्वारा अनेक बार मनमाड-मानेगांव धुले-शिरपुर-इंदौरा के लिए एक नई रेल लाईन बिछाये जाने की मांग की जाती रही है। लंबे समय बाद केवल अभी इस लाईन का सर्वे कार्य ही हो पाया है। इस नई रेल लाईन के बिछने से इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा। लोगों को यातायात की सुविधा होगी। साथ ही रेलवे की आय में वृद्धि होगी।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जनहित की मांग को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब मनमाड-इन्दौर रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू कराने के आदेश प्रदान करें। यदि पूर्ण रेल लाईन के लिए बजट में राशि का प्रावधान होने में कठिनाई हो तो धुले-नरडाना तथा नरडाना-शिरपुर का चरण शुरू किया जाये उसके पश्चात शिरपुर-इन्दौर और मनमाड-धुले रेल लाइन के लिए आगामी बजट में राशि आबंटित किया जाए।

(तीन) मध्य प्रदेश में मक्सी और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को चार लेनो वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3, जो आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है, की स्थिति मक्सी से देवास के बीच बहुत खराब है। रोड की चौड़ाई कम है। रोड की हालत जर्जर है, अनेक स्थानों पर रोड उखड़ा पड़ा है, रोड में गढ्ढे पड़े हैं। पुल-पुलिया सकरी होकर जर्जर है। इस मार्ग पर आवागमन का घनत्व बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश के आसपास के आठ-नौ राज्यों के वाहनों और लोगों के आवागमन हेतु यह मार्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मार्ग को मक्सी और देवास के बीच फोर लेन (चार लाईन) मार्ग बनाया जाए और इसको सुव्यवस्थित और मजबूत किया जाए।

(चार) राजस्थान में चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल परियोजना के दूसरे चरण का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामसिंह कस्वां (चुरू): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विशेष रूप से चुरू संसदीय क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या है। इसे हल करने व चुरू जिले को पेयजल प्रदान करने के लिए जर्मन सरकार की सहायता से आपणी योजना के तहत कार्य चालू है, जिसका प्रथम फेज लगभग पूरा हो गया है। दूसरा फेज, जिसमें श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र व लाड़नू विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर पूरा संसदीय क्षेत्र है, का कार्य आज तक चालू नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार व जर्मन सरकार के समझौते के अनुसार द्वितीय फेज का कार्य चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ।

अत: मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्स योजना चुरू जिले के लिए जीवनदायी योजना है इस योजना का द्वितीय फेज का कार्य अविलम्ब चालू करने का कष्ट करायें ताकि शेष बचे गांवों व कस्बों को राहत मिल सके।

---

* सभा पटल पर रखे माने गये।

(पांच) हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

डा. अशोक पटेल (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, गाड़ी संख्या 2307 एवं 2308 हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस की फतेहपुर स्टेशन पर ठहराव की दीर्घावधि से मांग की जा रही है। इस गाड़ी का ठहराव इटावा स्टेशन पर किया जा चुका है जबकि फतेहपुर स्टेशन पर इसका ठहराव नितांत आवश्यक है। फतेहपुर स्टेशन पर इस गाड़ी का ठहराव न होने के कारण यहां से जयपुर और जोधपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: सरकार से अनुरोध है कि फतेहपुर से चढ़ने वाले यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए इस गाड़ी का ठहराव फतेहपुर स्टेशन पर किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

(छह) पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में फुलहर नदी द्वारा हो रहे भू-क्षरण को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मालदा जिले में रतुवा ब्लाक के बिलाइमारी, जी.पी. में पिछले दो-ढाई वर्षों से फलहर नदी का कटाव लगभग गांव के गांव तबाह कर रहा है। 1,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रहने का स्थान बदल लिया है। रामायणपुर, रूबीमोरी और जनजैतोला गांव तबाह होने के कगार पर हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार ने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने तथा कटाव को रोकने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कोई व्यापक कदम नहीं उठाये हैं।

मैं सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं साथ ही मैं, सरकार का ध्यान मुर्शीदाबाद जिले में पद्मा नदी से हो रहे कटाव और उसके कारण सीमा में हो रहे बदलाव के गम्भीर खतरे की ओर आकर्षित करता हूं। जब तक मालदा जिला प्रशासन को धनराशि और तकनीकी सहायता प्रदान नहीं की जाती है तब तक बिलाइमारी जी.पी. को नहीं बचाया जा सकता है। अत: महानन्दा मंडल के मालदा जिले को बिना किसी देरी के केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय से सहायता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

(सात) विदेशी डिग्री प्राप्त मेडिकल के छात्रों के पंजीकरण के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा को अनिवार्य किए जाने संबंधी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के आदेश को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): अध्यक्ष महोदय, भारतीय चिकित्सा परिषद ने विदेश से डाक्टरी पढ़कर आये छात्रों का पंजीकरण करने हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से विदेश में लाखों रुपये खर्च कर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लौटे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। एक तरफ भारत में डाक्टरी पढ़ने वाले लोग विदेश भागने की ओर उद्यत हैं और दूसरी ओर चिकित्सा परिषद विदेश में अध्ययन करके लौटे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ इस व्यवहार का कारण समझ नहीं आता है। नेपाल और बंगलादेश से आए ऐसे छात्रों को यह टेस्ट नहीं देना होगा। अपने देश के छोटे-छोटे कालेजों के छात्रों को इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि रूस और अन्य उन्नत देशों के अच्छे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त लोगों को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर आग्रह करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को चिकित्सा परिषद का यह आदेश अविलम्ब वापस लेना चाहिए और पूर्व स्थिति बहाल होनी चाहिए। साथ ही 15 मार्च से पूर्व जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें भी इस प्रकार के टेस्ट पास करने की कोई शर्त नहीं लगाना चाहिए।

[अनुवाद]

(आठ) केरल में त्रिवेन्द्रम में एक नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री वी.एस. शिवकुमार (तिरुअनन्तपुरम): भावी यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा त्रिवेन्द्रम में एक नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया था। तत्कालीन नागर विमानन मंत्री द्वारा जून 2000 में इस परियोजना के लिए आधारशिला रखी गई थी। तथापि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निधियों के अभाव के कारण इस कार्य को आरम्भ करने में अपनी असमर्थता जाहिर की गयी थी। तदनुसार राज्य सरकार ने आंतरिक संसाधनों का सृजन करके इस कार्य को करने के लिए तैयार हो गयी। केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली है। लेकिन अब केरल सरकार वित्तीय संकट में है अत: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस परियोजना का कार्य बिना किसी देरी से सौंपा जाए। केरल सरकार, नागर विमानन मंत्रालय से इस संबंध में पहले ही निवेदन कर चुकी है। जैसे ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस परियोजना को आरम्भ करेगी, भूमि अधिग्रहण का कार्य राज्य सरकार द्वारा पूरा कर लिया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सिद्धान्तत: इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। केरल सरकार ने अब इस परियोजना को

[श्री वी.एस. शिवकुमार]

पारित करने की अंतिम मंजूरी मांगी है। अत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान की जाये।

[हिन्दी]

(नौ) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में क्षयरोग के मामलों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में क्षय रोग का अत्यधिक प्रकोप है। केन्द्र सरकार द्वारा क्षय उन्मूलन योजना के अधीन रोगियों को मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं, किन्तु रीवा जिले में अभी यह सभी रोगियों को नहीं दी जा रही हैं, जिसके कारण क्षय रोग में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। यह बीमारी गरीब व्यक्तियों में ज्यादा है, क्योंकि वह महंगी दवायें और लम्बी चिकित्सा का बोझ नहीं झेल पाता है। रीवा जिले में बीड़ी श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है और उनमें अधिकांश क्षय रोग से पीड़ित हैं। उन्हें नियमानुसार जो शासकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए और वह उन्हें उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही डाट स्कीम को वहां पर भी लागू किया जाए।

[अनुवाद]

(दस) त्रिपुरा में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): केन्द्रीय सरकार इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि त्रिपुरा, जिसकी बाग्लादेश के साथ लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है लम्बे समय से आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहा है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.) और आल त्रिपुरा टाइगर्सर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.) दोनों अवैध घोषित संघठन त्रिपुरा में सक्रिय हैं तथा वे क्रूर हत्या, अपहरण, पैसा ऐंठने आदि जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं। आतंकवादियों ने बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार जिसमें ए.के. श्रेणी के हथियार शामिल हैं, तथा संचार उपकरण हासिल कर लिए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय है अनेक संगठनों से इन्हें प्रशिक्षण तथा समर्थन मिल रहा है। आई.एस.आई. तथा अन्य विदेशी एजेंसियां भी इनकी सहायता कर रही हैं। आतंकवादियों से निपटने हेतु राज्य सरकार पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास अनेक प्रस्ताव भेजे। इन प्रस्तावों में, आधुनिक हथियार, बुलेटप्रूफ जैकेट तथा विभिन्न प्रकार की बुलेटप्रूफ गाड़ियां शामिल हैं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं। कि त्रिपुरा पुलिस बल का आधुनिकीकरण तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को तुरंत पूरा किया जाए।

(ग्यारह) कुप्पम और बंगलौर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट): कुप्पम शहर बड़ी तेजी से एक प्रमुख विकास केन्द्र बनता जा रहा है, और वर्तमान में यह बंगलौर और मद्रास के मध्य स्थित है। कुप्पम और बंगलौर तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में दिन-प्रतिदिन मंत्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के कारण इन जगहों तथा इनके आस-पास विकास गतिविधियों जैसे द्राविड़ विश्वविद्यालय, चिकित्सा कालेज, इंजिनियरिंग कालेज, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, फूड पार्क की स्थापना, इन्फ्राइली प्रौद्योगिकी के अंतरण आदि के मद्देनजर सुबह के समय करीब 8.00 बजे कुप्पम से बंगलौर तक रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि अन्य रेलगाड़ियां कुप्पम से सुबह-सुबह चलती है। इसी तरह एक ऐसी रेलगाड़ी की आवश्यकता है। जो सायं 5.00 बजे बंगलौर से चलकर सायं 7.00 बजे कुप्पम पहुंचे। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि कुप्पम और बंगलौर के बीच एक नई रेलगाड़ी उपर्युक्त समयानुसार, विशेषकर एम.ई.एम.यू. (मेमू) सेवा प्रारम्भ करायें। कृपया शीघ्र कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

(बारह) उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र इटावा, उत्तर प्रदेश के मूलभूत समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि इटावा, औरेया जिलों में जहां भूमिगत जलस्तर काफी नीचे चला गया है, सिंचाई एवं पेयजल की समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आम जनता साधन जुटाने में असमर्थ है, जिससे आम जनता की जीविका प्रभावित हो रही है।

अस्तु माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि समस्या के समाधान हेतु हमारे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के निदान के लिए हैंडपंप एवं नलकूपों की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त धन के पैकेज सुनिश्चित करने की कृपा करें, जिससे इस क्षेत्र में रह रहे निवासियों को राहत मिले।

(तेरह) महाराष्ट्र के परभनी क्षेत्र में डाक विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, इस समय डाक विभाग का नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नांदेड जिले के साथ ही साथ हिंगोली और परभणी जिलों में भी डाक व्यवस्था का भार संभालता है। परभणी तथा हिंगोली बहुत बड़े जिले हैं। केवल परभणी जिले की आबादी इस समय 20 लाख है। इसमें 9-10 तालुके हैं तथा लगभग इतनी ही नगर पालिकायें हैं। यही स्थिति हिंगोली जिले में भी है नांदेड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को इस पूरे इलाके की डाक व्यवस्था संभाल पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र की जनता की भी यह काफी समय से मांग रही है कि हिंगोली और परभणी जिलों के डाक विभाग का एक अलग क्षेत्रीय कार्यालय परभणी में स्थापित किया जाये।

अत: इस माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह जनता की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हिंगोली और परभणी जिलों के लिए डाक विभाग का एक अलग क्षेत्रीय कार्यालय परभणी में स्थापित करने हेतु तुरंत कदम उठाये।

(चौदह) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वकांक्षी योजना, "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" की निरर्थकता की ओर दिलाना चाहता हूं। इस योजना में देश के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु हजारों करोड़ रुपये आबंटित किये जाते हैं, जबकि देश के अधिकांश जिलों में कार्यदायी संस्थायें ठेकेदारों के माध्यम से ट्रैक्टर द्वारा कच्चे मार्गों पर नाम मात्र की मिट्टी डालकर सरकार का हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार के हजारों करोड़ रुपये अपव्यय से बचाने हेतु तथा योजना के उद्देश्य के वास्तविक पूर्ति हेतु उक्त योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" को साफ ढंग से लागू करने के लिए कच्चे कार्य पर रोक लगाये तथा किये गये कार्य की जांच की व्यवस्था करे।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के नासिक जिले में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में विशेषत: नासिक जिले में शुरू शुरू में बारिश अच्छी हो गई। किसानों द्वारा अनाज खेत में बोया गया लेकिन 15-20 दिन बारिश न होने की वजह से बोया गया अनाज उगा नहीं और जो उगा वह सब नष्ट हो गया। इसलिए नासिक जिले के पन्द्रह तहसील सूखे के चपेट में हैं। जानवर को पीने का पानी नहीं, चारा नहीं, मजदूरों को काम नहीं। इसलिए मजदूर लोग भूखे मर रहे हैं। किसानों की हालत बहुत खराब हो गयी है।

मेरी आपके माध्यम से विनती है कि भारत सरकार कृषि मंत्रियों को एक कमेटी भेजनी चाहिए और आर्थिक मदद देनी चाहिए, यही मेरी विनती है।

अपराह्न 12.09 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

गुजरात में दंगा पीड़ितों के लिए राहत और उनका पुनर्वास

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इस सभा में हम गुजरात की स्थिति पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। गुजरात में क्या हुआ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं आपका आभारी हूंगा यदि आप सभा को यह पहले ही सूचित कर दें कि प्रत्येक दल को कितना समय आबंटित किया गया है और यह भी कि क्या गृह मंत्री चर्चा का उत्तर देंगें क्योंकि हम चाहते हैं कि चर्चा में वह भी भाग लें और चर्चा का उत्तर भी दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको पांच मिनट में बताऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: गुजरात में जो हुआ वह सांप्रदायिक दंगा नहीं था। यह हत्याकांड, मारकाट और जातीय नरसंहार है। यह सब घटनाएं छिटपुट या स्वत: प्रेरित नहीं थी। गुजरात सरकार और भारत सरकार दोनों ने यह स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न किया है कि गोधरा कांड के परिणामस्वरूप ही यह हत्याकांड और मारकाट हुई। वहां एक समुदाय विशेष का सफाया किया गया। गोधरा में जो कुछ भी हुआ हमने उसकी निंदा की है।

महोदय, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में यही कहा है कि कोच संख्या एस-छ: में ज्वलनशील पदार्थ था जिसके कारण उसमें आग लगी। बाहर से पेट्रोल नहीं डाला गया। भारत सरकार ने फौरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। महोदय, 27 तारीख को गोधरा में और 28 तारीख को गुजरात के अन्य भागों में जो कुछ भी हुआ वह पूर्वनियोजित था। वह सब छिटपुट या भयानक घटी

घटनाएं नहीं थी। यदि गोधरा कांड न भी हुआ होता तो भी यह मारकाट तो गुजरात में होनी ही थी। महोदय, यदि वह पूर्वनियोजित था पूर्वनिर्धारित नहीं होता तो लोगों को तीन लाख त्रिशूल क्यों बांटे गए? गुजरात में लोगों को सशस्त्र प्रशिक्षण क्यों दिया गया? यदि यह सब पूर्व निर्धारित या पूर्व नियोजित न होता तो राज्य के संपूर्ण तंत्र-पुलिस बल और राज्य प्रशासन का राजनीतिकरण और साम्प्रदायीकरण कैसे हो गया?

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक बहुत से सांप्रदायिक दंगे देख चुके हैं। किंतु हमने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा नहीं देखा है। राज्य सरकार के मंत्री सांप्रदायिक दंगों, लूट, हत्याओं और फिरौतियों में खुलकर भाग ले रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह पूर्व नियोजित था चूंकि इसमें दो प्रचारक भी थे। एक प्रचारक तो राज्य का राज्यपाल है और दूसरा है वहां का मुख्यमंत्री। यह सब पूर्व नियोजित और पूर्व निर्धारित जातीय नरसंहार था ताकि एक समुदाय विशेष को मिटाया जा सके। हमने यहां कई बार यह कहा कि गुजरात हिन्दुत्व की प्रयोगशाला है।

आज गुजरात में आर.एस.एस., बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद् और भाजपा जो कुछ करा रही है वह कल देश के अन्य भागों में फैल जाएगा। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 1998 और फिर 1999 में सत्ता में आकर यह पाया कि उनका जनाधार गिरता जा रहा है। इस दौरान विभिन्न राज्य विधान सभाओं और लोक सभा के 22 उप चुनाव हुए। इन 22 उप चुनावों में से 19 में भाजपा की हार हुई है। यहां तक कि जिन स्थानों पर भाजपा पहले चुनावों में विजयी हुई थी, उपचुनावों में उसे यहां हार का सामना करना पड़ा। इसलिए, सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने, वीर सावरकर द्वारा अपनी पुस्तक 'द फ्यूचर ऑफ इंडिया' में प्रतिपादित हिन्दू राष्ट्रवाद की अवधारणा को सत्य करने के लिए योजनाएं इत्यादि बनाई। यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है और अपने देश में सावरकर के 'हिन्दू राष्ट्र' के स्वप्न को गुजरात में साकार किया जा रहा है। इसीलिए यह हत्याएं, मारकाट और जातीय नरसंहार हुआ।

घटना के तुरंत बाद समयपूर्व चुनाव की योजना बनाई। हम यह मांग करते रहे हैं कि जातीय नरसंहार को प्रायोजित करने वाली सरकार, सांप्रदायिक दंगों में खुलकर भाग लेने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विपक्ष में बैठे केवल हम लोग ही यह मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि स्वयं उनके अपने घटक दल तेलगु देशम ने यह स्पष्ट मांग की है कि श्री नरेन्द्र मोदी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि वे अभी भी मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं या नहीं। राज्य विधान सभा भंग होने और चुनावों की घोषणा होने पर वे अब मौन है। सरकार ने निर्वाचन आयोग के अक्तूबर से पहले चुनाव कराने के लिए कहा है किंतु टी.डी.पी. द्वारा सरकार के इस कदम का विरोध नहीं किया गया है शायद वे दस लाख टन खाद्यान्न की एक और खेप प्राप्त करने के लिए इसका विरोध करेंगे।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय यह टिप्पणी रिकार्ड से हटा दी जानी चाहिए। यदि आंध्र प्रदेश ने खाद्यान्न देने के लिए कहा था तो यह संपूर्ण समाज के लाभार्थ किया गया, यह राज्य के कल्याण के लिए था और यह बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए था। यह बात केवल आंध्र प्रदेश पर ही लागू नहीं होती बल्कि कोई भी राज्य ऐसा कर सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। इन्हें बोलने का अवसर मिलेगा। वह उत्तर दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): यह चर्चा पीड़ितों को राहत व पुनर्वास उपलब्ध कराने से संबंधित है। यह चर्चा दंगा पीड़ितों को राहत व पुनर्वास उपलब्ध कराने तक की सीमित रहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: सरकार तथा विपक्ष ने यह तय किया था कि अन्य मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गुजरात में दंगा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास पर चर्चा कराने की मांग की थी लेकिन यह अभी तक इस विषय पर नहीं बोले हैं। उन्हें पहले यह विषय उठाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गोवा में हुई थी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कल इस विषय पर चर्चा हुई थी। गवर्नमैंट और आपोजिशन के बीच यह तय हुआ कि इसके साथ दूसरे विषय भी उठाए जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: वक्तव्य यह था कि श्री अरुण जेटली अहमदाबाद में श्री नरेन्द्र मोदी से मिले और यह निर्धारित किया गया कि वे त्यागपत्र देंगे किंतु राष्ट्रीय कारिकारिणी उसे मंजूर नहीं

[श्री बसुदेव आचार्य]

करेगी। ऐसा किया गया तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें विधानसभा भंग करने की तथा यथाशीघ्र चुनाव कराने की सलाह दी। महोदय, ऐसे दंगों के तुरंत बाद वे तुरंत चुनाव कराना चाहते हैं जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, ऐसा सांप्रदायिक दंगों जिसमें गर्भवती महिलाओं की कोख चीर कर भ्रूण को आग में झोंक दिया गया। ऐसी स्थिति में भाजपा लाभ उठाना चाहता है। वे लाशों पर चुनाव कराना चाहते हैं। यह मेरा वक्तव्य नहीं हैं। यह वक्तव्य आपके एक मंत्री श्री शांता कुमार ने दिया था।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): ये 'हजारों' की संख्या कह रहे हैं। ये इस प्रकार सभा को गुमराह नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: अध्यक्ष महोदय, क्या इन्हें सौ और एक हजार में कोई फर्क दिखायी नहीं देता?' ऐसे सीनियर लीडर इस तरह से बोलेंगे तो यह ठीक नहीं होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उत्तर देते समय आप यह मुद्दा उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: श्री शान्ता कुमार इंकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने वह वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि श्री नरेन्द्र मोदी लाशों पर चुनाव कराना चाहते हैं। ऐसा वक्तव्य विरोधी पक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष से आया था। वे इससे इंकार नहीं कर रहे हैं। वे इसके लिए भाजपा अध्यक्ष से खेद भी प्रकट कर चुके हैं किन्तु उन्होंने इससे इंकार नहीं किया कि उन्होंने यह वक्तव्य दिया है।

ऐसी स्थिति में वे चुनाव कराना चाहते हैं कि क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के कारण विधान सभा पहले भंग नहीं हुई थी। वे राष्ट्रपति चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। राष्ट्रपति का चुनाव होते ही श्री नरेन्द्र मोदी ने विधान सभा भंग कर दी या उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर उसे राज्यपाल की भेज दिया और राज्यपाल बहुत तत्पर हैं। राज्यपाल को यह स्वीकार करने में कितना समय लगा? मात्र तीन घण्टे राज्यपाल को राज्य विधानसभा भंग करने की सिफारिश स्वीकार करने में मात्र तीन घण्टे का समय लगा और केन्द्र सरकार ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने के लिए कह दिया।

बहस का मुद्दा तो यह है कि विधान सभा के दो सत्रों में छः माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। वे अनुच्छेद 174 का सहारा ले रहे हैं। वे कहते हैं कि दो सत्रों में छः माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 174 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि: "राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान मंडल के किसी सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।"

इस अनुच्छेद की व्याख्या ऐसे की जा रही है। कि छः महीनों से अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। किंतु यदि सभा विघटित होती है और यदि छः माह के भीतर चुनाव नहीं हुए तो क्या यह अनुच्छेद लागू होगा? कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने व्याख्या की है कि यदि सभा विघटित होती है और चुनाव छः माह के भीतर नहीं कराए जाते तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा। वे कहते हैं कि यह अनुच्छेद इस मामले में लागू नहीं होगा। किन्तु सरकार इस अनुच्छेद का सहारा ले रही है। दोहरे मानक कैसे हो सकते हैं? गुजरात में अनुच्छेद 356 लगाने के लिए हम क्यों कह रहे हैं? गुजरात राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हम क्यों कह रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

मेरी पार्टी अनुच्छेद 356 के खिलाफ है क्योंकि हम ही इसके सबसे पहले शिकार हुए थे जब 1958-59 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व में पहली बार बनी सरकार को अनुच्छेद 356 लगाकर हटा दिया गया था। वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार को भी अनुच्छेद 356 लगाकर हटा दिया गया था। हमने अनुच्छेद 356 लगाने की पहली बार मांग 1992 में उस समय की जब बाबरी मस्जिद ढहायी गई थी। बाबरी मस्जिद को ढहाने में भाजपा के नेतृत्व वाली चार राज्य सरकारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस तरह भाजपा के नेतृत्व वाली इन चार राज्य सरकारों ने भारत के संविधान का उल्लंघन किया। हमारे संविधान का आधार धर्म निरपेक्ष है। इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। बाहरी मस्जिद को ढहाकर भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को गिराया गया था। वे उच्चतम न्यायालय में गये। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 लगाने का और चारों राज्य सरकारों को हटाने का समर्थन किया।

हमारी पार्टी यह मांग करती रही है कि श्री नरेन्द्र मोदी को हटाया जाये। हमने यह मांग क्यों की है कि नरेन्द्र मोदी जी को हटाया जाये और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाये? हमने यह मांग क्यों की है कि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत वहां चुनाव कराये जायें? वो इसलिए क्योंकि यदि नरेन्द्र मोदी सत्ता में रहते हैं तो

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराये जा सकते। जब संपूर्ण राज्य तंत्र ने ही जनसंहार, मार-काट, हत्या करने में सक्रिय रूप से भाग लिया हो तो वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं? जिस राज्य की सरकार के मंत्रियों ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार करने में सक्रिय रूप से भाग लिया हो तो वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं? नरेन्द्र मोदी जी के मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं? वे क्या बता रहे हैं? हमने यह मुद्दा पिछले सत्र में भी उठाया था। यह सुनने में आ रहा है कि गुजरात सरकार सभी राहत शिविरों को बंद करना चाहती थी। उन्होंने आदेश जारी किए कि 1 मई से वहां कोई राहत शिविर नहीं होंगे। लेकिन अभी भी वहां 15 राहत शिविर हैं और उन राहत शिविरों में अभी भी 25000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। वे कहां जाएंगे? जिन लोगों को राहत शिविर खाली करने के लिए मजबूर किया गया है, क्या उनका पुनर्वास किया गया है? उनमें से किसी का पुनर्वास नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री जी ने एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी। *...(व्यवधान)* इसमें कहा गया है कि:

> ''जिन लोगों ने अपना घर, सामान और आजीविका के साधन गंवाये थे, उनका पुनर्वास और सभी दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक कार्यकलाप तत्काल बहाल करना अब राष्ट्र का मुख्य कार्य बन गया है। उन पर यथाशीघ्र, पूरी सूझ-बूझ और सहानुभूति के साथ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। गुजरात में विनाशकारी भूकंप के बाद श्री नरेन्द्र मोदी सहित समाज के सभी वर्गों में सहज रूप से जागी सहायता और भाईचारे की भावना को एक बार फिर से जगाना होगा। इस पुनर्वास पैकेज को व्यापक बनाना होगा जिससे समाज के सभी वर्ग इसके दायरे में आ सके।
>
> मैं इसका क्रियान्वयन करने के लिए गुजरात सरकार को 150 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता देने संबंधी पैकेज की घोषणा करता हूँ।''

यह घोषणा अच्छी है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह हमें इस बारे में बतायें। इस 150 करोड़ रुपये की राशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई है? कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है? कितने घरों का पुनर्निर्माण किया गया है? कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है?

महोदय, इस समय मेरे पास राहत और पुनर्वास के संबंध में एक रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने अभी-अभी तो इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया है।

अध्यक्ष महोदय: आपको इस मुद्दे पर पहले बोलने से किसने रोका था? आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य: इस चर्चा की शुरूआत मैंने ही की है। मुझे थोड़ा और समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी को कुल 18 मिनट का समय दिया गया है। मैं पहले ही आपको 25 मिनट दे चुका हूं। मैं क्या कर सकता हूं?

श्री बसुदेव आचार्य: मैं आधे घंटे का समय लूंगा। मैं कई रिपोर्ट लेकर आया हूं। यदि मुझे उन्हें पूरा करना है तो मुझे समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यहां और भी कई सदस्य हैं जिनके पास अनेक कागज हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे मालूम है। आप समय बढ़ा सकते हैं। हम छह बजे के बाद भी बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस बात का निर्णय सभा लेगी।

श्री बसुदेव आचार्य: यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए कृपया हमें और समय दीजिए।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर आपके लिए पांच मिनट और बढ़ा देता हूं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: अध्यक्ष महोदय, रिहैबिलिटेशन पर चर्चा के लिए इतना समय बीत गया, उसके बाद सब्जैक्ट पर आने में क्या इतनी देर लगती है। अब तक क्या वह राजनीति कर रहे थे। इन्होंने रिहैबिलिटेशन पर बात करनी थी, लेकिन 18 मिनट हो गये, अब तक जो बोला, वह क्या था...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप बैठिये और शांति से सुनिये। *...(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: गुजरात पर इस तरह से राजनीति करके आप हाउस और दुनिया को मिसलीड नहीं कर सकते।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सर, जो डिस्कशन इनीशिएट करता है, उसे थोड़ा अधिक समय मिलना चाहिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, मैं एक मिनट का समय लूंगा। माननीय सदस्य बार-बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसलिए, मुझे सभा के ध्यान में यह बात लानी होगी कि सरकार और विपक्षी दल भी इस बात पर सहमत हो गये हैं कि गुजरात से संबंधित अन्य मुद्दे भी सभा में उठाये जा सकते हैं। इसलिए, विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ दल के बीच हुए समझौते के अनुसार ही मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। मुझे बस चिंता इस बात की है कि उन्हें जितना समय दिया गया है वह उतने समय में ही अपना भाषण समाप्त कर लें। मैं उनसे पुन: अनुरोध करुंगा कि वह पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: जुलाई, 2002 की "कम्युनलिज्म काम्बैट" पत्रिका में यह उल्लेख किया गया है:

"शिविर 28 फरवरी, 2002 से शुरू हुआ था और उस समय शिविर में कुल 1738 शरणार्थी रह रहे थे, 31 मई, 2002 तक इनकी संख्या घटकर 1678 रह गई। ये लोग वतवा क्षेत्र के हैं जिनके घर पूरी तरह नष्ट हो गये हैं और वे अपने-अपने घरों को वापस जाने से बहुत डरते हैं। घरों की मरम्मत के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अलावा दंगा पीड़ितों को प्रति दिन प्रतिव्यक्ति 7 रुपये की दर से भुगतान किया जाना अभी बाकी है। शिविर आयोजकों को अनुमानत: कुल 7,07,128.50 रुपये देने हैं।

4 जून, 2002 से जिला समाहर्तालय के अत्यधिक दबाव के कारण शिविर आयोजक शिविर बंद करने के लिए जिला समाहर्ता को एक पत्र लिखने के लिए बाध्य हो गए।..."

"और सभी दंगा पीड़ितों को शिविर छोड़ने के लिए कहा गया है। जिला समाहर्त्ता के कार्यालय ने शिविर का निरीक्षण करते समय शिविर आयोजकों अर्थात् मुझे यह धमकी दी थी कि यदि राहत शिविर को सिर्फ इसलिए बंद नहीं किया जाता कि वहां कुछ शरणार्थी उपस्थित नहीं थे तो वे मुझे किसी दांडिक अपराध में फंसा देंगे।

मैंने समाहर्त्ता को स्पष्ट किया कि चूंकि निरीक्षण 4, 5 और 6 जून, 2002 को लगभग 45 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में किया गया था, इसलिए शरणार्थियों के लिए दोपहर में शिविर में रहना संभव नहीं था और वे पेड़ों के नीचे और आस-पास के घरों में बैठे हुए थे। शिविर आयोजकों को सूचित किए बिना ही यह निरीक्षण किया गया था।

समाहर्तालय ने मुझे अर्थात् शिविर आयोजक को यह भी बताया कि यदि मैं शिविर को बंद करने का पत्र उन्हें दे दूं तो वे पिछले तीन हफ्तों के खाद्यान्नों का बकाया कोटा दे देंगे। इन्हीं सब दबावों के कारण मैं राज्य सरकार को शिविर बंद करने संबंधी पत्र लिखने के लिए मजबूर हो गया। यह पत्र लिखने पर खाद्य पदार्थों के स्टाक की आपूर्ति की गई और शिविर को बंद घोषित कर दिया गया है।

अनेक दंगा पीड़ितों के घर पूरी तरह जल गये हैं और इसलिए उनके लिए अपने-अपने घरों में वापस जाकर रहना संभव नहीं है अभी भी 600 लोग निजी पार्टियों पर निर्भर कर रहे हैं जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। यदि यही स्थिति चलती रही, तो निजी दाताओं के लिए भी पैसा खर्च करके दंगापीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था करना असंभव हो जाएगा। मेरे शिविर में किसी भी शरणार्थी को बर्तन खरीदने के लिए 2500 रुपये नहीं मिले। इसके अलावा, पूरी तरह नष्ट घरों के लिए मुआवजे की राशि अभी तक किसी शरणार्थी को नहीं दी गई अंतिम बात, चूंकि शिविर को बंद घोषित कर दिया गया है, इसलिए नगर निगम ने भी स्वच्छता बनाये रखने की ओर ध्यान नहीं दिया और पानी की आपूर्ति तक रोक दी है। सभी दंगा पीड़ित खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और मानसून आने की संभावना से डरे हुए हैं।"

गुजरात में अब ऐसी स्थिति है। दंगा पीड़ित लोग अब तक अपने घरों को नहीं गये हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसे ऑथेन्टिकेट नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह आपको अभी बोलने का अवसर नहीं देना चाहते हैं कृपया अपने स्थान पर जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, दंगा पीड़ित लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में ठहरे हुए हैं और उनमें से ज्यादातर लोग अन्य राज्यों में चले गये हैं। यदि गुजरात के हजारों लोग राज्य के बाहर चले जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग न करें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? मैं माननीय गृहमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे आठ या नौ महीने तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते क्योंकि मार्च 2003 में गुजरात में चुनाव होने तय हैं। वे मार्च 2003 तक

इंतजार क्यों नहीं कर रहे? जल्दी किस बात की है? जब गुजरात में स्थिति सामान्य नहीं है, वे वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे करा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, आप इस पर काफी बोल चुके हैं कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, रथ यात्रा शांतिपूर्वक निकाली जाये इसके लिए कितने हजार सैनिकों, अर्ध सैनिक बलों के जवानों तथा राज्य पुलिस के जवानों को तैनात किया गया? गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गौरव यात्रा का आयोजन करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की आपत्ति के कारण ऐसी नहीं कर पाये।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी आपके दल को दिये समय से दुगना समय आपने लिया है। अब आपको समाप्त करना होगा। अब मैं श्री किरीट सोमैया को बोलने के लिए पुकार रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अगर गौरव यात्रा का आयोजन किया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक हमारे गृहमंत्री द्वारा निकाली गयी रथ यात्रा का अनुभव हमें हैं। कितने दंगे हुए और कितने लोग मारे गये हम देख चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप आरम्भ कर सकते हैं, श्री किरीट सोमैया जी।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरे राज्य का एक जिला पुरलिया है जो शांति के लिए जाना जाता है।

अध्यक्ष महोदय: निर्धारित समय से कुछ ज्यादा ही समय मैंने आपको दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं, श्री आचार्य जी, आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: रथ यात्रा के प्रवेश करते ही दंडे शुरू हो गये। रथ यात्रा के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के चौदह लोग मारे गये। हमारी मांग है कि श्री नरेन्द्र मोदी को हटाया जाए। ये वहां कैसे रह सकते हैं क्योंकि वहां कामचलाऊ सरकार है? उनका क्या उत्तरदायित्व है? वहां विधान सभा नहीं है, उनकी क्या जिम्मेदारी है?

अध्यक्ष महोदय: यह सब आप कह चुके हैं, इसे क्यों दुहरा रहे हो?

श्री बसुदेव आचार्य: इसलिए उनको हटा दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए और तय अवधि के अनुसार मार्च 2003 में चुनाव कराये जाने चाहिए।

अनुच्छेद 355 के निर्देशों के संबंध में राज्य सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था। इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमैया जी, अब आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या कार्यवाही की गयी? इस संबंध में सदन को बताया जाना चाहिए। नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार को तुरंत हटाया जाना चाहिए और सितम्बर माह में चुनाव नहीं कराये जाने चाहिए। तय अवधि के अनुसार ही चुनाव कराये जाने चाहिए। वे जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, आपके दल के लिए निर्धारित समय से दुगना समय मैं आपको दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे कई बार अनुरोध कर चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं केवल एक मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: सर क्या आपने अभी श्री बसुदेव आचार्य जी को बोलने के लिए और समय दिया है?

अध्यक्ष महोदय: जी हां। एक मिनट का समय और दिया है।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: सर, इस प्रकार से तो फिर माननीय सदस्य एक मिनट की जगह पांच मिनट का समय ले लेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति का शासन लागू कर वे जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि चुनावों के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों।

लेकिन गुजरात के मामले में 2,000 लोग मारे गए। संवैधानिक

[श्री बसुदेव आचार्य]

तंत्र वहां पूरी तरह असफल हो गया है। गुजरात राज्य में धर्मनिरपेक्षता की भावना नष्ट हो चुकी है। वहां अनुच्छेद 356 क्यों नहीं लगाया गया? वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया गया? श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार को हटाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री किरीट सोमैया जी के भाषण शुरू होने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। समय के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। वाद-विवाद चर्चा पांच घंटे तक चलेगी। एक घंटे का भोजनावकाश रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक घंटा और 39 मिनट तथा कांग्रेस दल को एक घंटा और 2 मिनट दिये जाएंगे। सीपीआई-एस को 18 मिनट दिये गये हैं। लेकिन उन्होंने पहले ही 36 मिनट ले लिए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने अपने दल का समय नहीं लिया है। हमारे नेता बोलेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: टी.डी.पी. को 16 मिनट, समाजवादी पार्टी को 15 मिनट, शिव सेना को 8 मिनट, बी एस पी को 8 मिनट, डीएमके को सात मिनट, जेडी (समता) को सात मिनट, एआईएडीएमके को छह मिनट, बीजेडी को छह मिनट, एआईटीसी को पांच मिनट, एनसीपी को चार मिनट, जनता दल (यू) को तीन मिनट, आईएनएलडी को तीन मिनट, जम्मू और कश्मीर, एन सी को तीन मिनट, पीएमके को तीन मिनट, एम डी एम के/आर एल डी/एस ए डी/एम एस सी पी/आई एन डी, इन चारों को कुल मिलाकर 6 मिनट। कुल मिला कर 14 मिनट हुये इसमें से उन्हें छह मिनट मिल सकते हैं। छोटे दलों, आर एस पी, ए बी टी सी, ए आई एफ बी, जे डी (एस) आदि को कुल 13 मिनट। एकल दल के 16 निर्दलीय उम्मीदवार हैं और मैंने उन्हें आठ मिनट दिये हैं। उन सबको आधा मिनट मिलेगा। सभी दलों के लिए समय का विवरण इस प्रकार किया गया है।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): क्या इसमें श्री रामदास आठवले को सम्मिलित किया गया है?

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले को विशेष रूप से समय दिया गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, व्यवधान से उत्पन्न समय का भी ध्यान रखना होगा।

अध्यक्ष महोदय: हां।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में गत चार महीने में तीसरी बार गुजरात के ऊपर विस्तृत चर्चा हो रही है। पहली बार 11 मार्च, 2002 को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा हुई। दूसरी बार माननीय विपक्ष को लगा कि हम लोक सभा में बहुमत के साथ प्रस्ताव मंजूर करवा सकते हैं इसलिए उन्होंने 30 अप्रैल, 2002 को नियम 184 के अन्तर्गत मतदान के द्वारा चर्चा कराई। उसका रिजल्ट क्या आया, सबको मालूम है कि वह प्रस्ताव 100 से ज्यादा वोटों से गिर गया था।

आज की चर्चा में जो विषय है, उसमें लिखा है कि गुजरात के दंगा पीड़ित लोगों के पुनर्वास और राहत के बारे में चर्चा होगी। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, कि इस विषय को ध्यान में रखकर गुजरात से संबंधित अन्य विषयों का भी इसमें उल्लेख किया जाएगा। श्री बसुदेव आचार्य जी का भाषण मैं सुन रहा था। अन्य राजकीय पक्षों के अलग-अलग जगह निवेदन आते हैं। मेरे पास गुजरात कांग्रेस ने राज्यपाल को जो निवेदन दिया, उसके संबंध में कुछ मुद्दे हैं। मुझे लगा कि यह चर्चा जो दंगा पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए हो रही हैं, क्या सिर्फ गुजरात के विभिन्न चुनावों में चाहे वह 1999 में लोक सभा के चुनाव हुए या फिर गुजरात में विधान सभा के चुनाव हुए। जिन पक्षों का वहां पर जनता ने सफाया कर दिया, वे पक्ष अपने पुनर्वसन के लिए इस गुजरात के विषय का उपयोग कर रहे हैं, इस पर मैं सोचने का प्रयत्न कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): पंचायत के चुनाव में क्या हुआ?...*(व्यवधान)* उसमें जनता का मजाक नहीं हुआ?...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: श्री मणि शंकर अय्यर जी को मैं बता दूं कि पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट बी.जे.पी. को ही मिले हैं।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: श्री मणि शंकर अय्यर जी का मुद्दा बहुत महत्व का है। मैं श्री मणि शंकर अय्यर जी से एक वाक्य और जानना चाहूंगा। पंचायत के चुनाव का रिजल्ट क्या आया, वह तो भावना बेन ने बता दिया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंचायत के चुनाव गोधरा की घटना और बाकी दंगों के पश्चात् अप्रैल और मई, 2002 में हुए।...*(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज): वहां नगर पंचायत के चुनावों में क्या रिजल्ट आया?...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहां जो नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं, उनमें तीन नगर पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा है और एक नगर पंचायत में बी.जे.पी. का कब्जा है।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: माननीय शंकर सिंह वाघेला जी के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं

उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जब पंचायत के चुनाव हुए, वहां 70 प्रतिशत वोटिंग हुई, माननीय शंकर सिंह वाघेला ने अभी-अभी वहां प्रदेश अध्यक्ष का पद प्राप्त किया है। अब यह पुनर्वसन किसका हुआ? यह पुनर्वसन माननीय शंकर सिंह वाघेला जी का हुआ या श्री शंकर सिंह वाघेला द्वारा कांग्रेस गुजरात में अपना पुनर्वसन करना चाहती है। मैं कोट करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने गुजरात के राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है।

महोदय मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा।

दुर्भाग्यपूर्वक वर्तमान सरकार ने अपयश ही अर्जित किया है....

[हिन्दी]

मेरे ख्याल से कांग्रेस के सब लोग सहमत होंगे। निवेदन कांग्रेस का है। अगर श्री बसुदेव आचार्य ने इस निवेदन को कोट किया होता तो अच्छा होता। गुजरात सरकार के समय में कांग्रेस ने जो निवेदन दिया है, मैं उसे पढ़ रहा हूं। गुजरात सरकार की नोटोरियस रैपुटेशन है फिर भी कांग्रेस वाले साथ नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उससे भी ज्यादा बदतर स्टेटमैंट आपके चीफ मिनिस्टर ने दी है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: अध्यक्ष महोदय, जब इनका बोलने का समय आएगा, ये तब बोलें, अभी बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जब भाषण करेंगे तब बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया: मैं उस निवेदन को और कोट करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी के बारे में इस प्रकार की भाषा यूज़ करना क्या शोभा देता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं यह भी उद्धृत करना चाहूंगा

"यह सरकार न केवल बदनाम, अकुशल, कमजोर, निरंकुश और सनकी है..."

मैं आगे और कोट करना चाहूंगा।

"राज्य सरकार सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार हैं।"

आगे उन्होंने लिखा है-

"चौबीस लघु विद्युत संयंत्र चौबीस पसंदीदा आंबटियों को दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी विद्युत संयंत्रों को निजी कंपनियों को बेचने संबंधी सरकार की मंशा के बारे में घोषणा की है। यह सर्वाधिक भ्रष्ट निर्णय है।"

आगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है-

"खानों लिग्नाइट कोयले की खुदाई के लिए ठेका देने के संबंध में अपने एक निकटतम मित्र को ठेका दिलाने में मुख्यमंत्री ने अनावश्यक दिलचस्पी दिखाई है।"

आगे लिखा है:

"लगभग 200 करोड़ रुपये के ठेके कुछ इंजिनियरों को आवंटित...."

बहुत कुछ लिखा है। आगे लिखा है-

"इन परिस्थितियों में सरकार से हमारा विश्वास उठ गया है हमारे पास इनसे समर्थन वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

यह ज्ञापन 1997 में अमर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में राज्यपाल को दिया गया था। महोदय, उस समय मुख्यमंत्री माननीय श्री शंकर सिंह वाघेला...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): ये समझे नहीं, इनकी ही सरकार थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अपनी गलतियों को स्वीकार करने ले लिए धन्यवाद। इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में था। मैं आपका आभारी हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: और भी ऐलीगेशन्स होंगे।...*(व्यवधान)* सब ऐलीगेशन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिए हैं। साढ़े चार सालों से बी.जे.पी. की सरकार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं हुआ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): मेरा पहला वाक्य ही यह था कि शंकरसिंह वाघेला जी के प्रति मेरा बहुत स्नेह है। मैं जब बहुत छोटा था, तब से यह मुम्बई में आते रहते हैं।

[अनुवाद]

यह ज्ञापन कांग्रेस दल की ओर से राज्यपाल को भेजा गया था और कांग्रेस के नेता के रूप में श्री अमर सिंह चौधरी ने इस पर हस्ताक्षर किये थे। उस वक्त श्री शंकर सिंह वाघेला भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे थे।

अंतिम पैरा में कहा है:

"कांग्रेस पार्टी ने शंकरसिंह वाघेला सरकार का समर्थन किया। कुछ महीनों के पश्चात हमारा विश्वास उन पर से उठ गया और हमारे पास समर्थन वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। शंकरसिंह वाघेला के नेतृत्व में वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं रह सकती है। उनके पास केवल 45 विधायक है।"

[हिन्दी]

आपकी जानकारी के लिए मैं आगे भी कहना चाहूंगा कि इसके पश्चात भी, इतने आरोप कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाने के पश्चात भी वहां पर किसकी सरकार आई थी, उसके पश्चात भी कांग्रेस पार्टी के कारण जो एन.जी.पी. पार्टी बनी थी, उस पार्टी के नेता, उसके मुख्यमंत्री पर इतने भयंकर आरोप लगाये, समर्थन वापस लिया और उसके बाद किसकी सरकार बनी थी, वह कौन सी पार्टी की सरकार थी? उसके पश्चात वापस इसी कांग्रेस पार्टी ने उसी पार्टी की दूसरी सरकार बनने दी, कहा कि इन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया है, अभी किसी दूसरे को, दिलीप भाई पारीख को चांस दो तो वे मुख्यमंत्री बन गये।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आप शंकर सिंह वाघेला जी से क्यों डरे हुए हो। आपको शंकर सिंह वाघेला से अब डर लग गया?...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: माननीय मुलायम सिंह जी, मैंने यही प्रश्न उठाया कि कौन किसका पुनर्वसन करने की चर्चा कर रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: इसका मतलब है कि आपको इनसे डर लग रहा है, आप इनसे भयभीत हो गये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: वर्तमान में पीड़ित लोगों के बारे में विचार करें मित्र, आप उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अगर पुनर्वसन की चर्चा करनी हो तो मैं यही कहूंगा कि गुजरात से उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा हो सकता है। जिस 26 जनवरी को कच्छ में कुदरत ने, प्रकृति ने विनाश का तांडव नृत्य किया, आज डेढ़ साल के अन्दर कच्छ की प्रजा के लिए लोगों ने कहा कि पुनर्वसन का काम एक गुजरात कर सकता है और अब यह बात गुजरात वाले नहीं कहते, आज वर्ल्ड बैंक से लेकर यूनीसेफ तक और अनेक विभिन्न संस्थाओं के लोग आकर कहते हैं, जी हाँ, आपने यह कर लिया है। आप यह कर सकते हैं। केवल गुजरात सरकार ही यह कर सकती है और गुजरात सरकार ने यह कर लिया है। बसुदेव आचार्य जी ने पुनर्वसन का जो मुद्दा और जो बिन्दु उठाये हैं, मैं उन पर भी जाऊंगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि एक ओर प्रकृति का तांडव था और दूसरी ओर आतंकवाद का तांडव था। हम जब गोधरा की चर्चा करते हैं और गोधरा के पश्चात दोनों विषयों की जो चर्चा करें, उसको समान भाव से देखें। गुजरात में जो गोधरा के पश्चात हुआ, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। उस समय वहां मनुष्य जल रही थी, मानवता जल रही थी, लेकिन गोधरा की बोगी में जलने वाले क्या इंसान नहीं थे? क्या गोधरा की आप कल्पना कर सकते हों...*(व्यवधान)* मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी देर मेरी बात सुनिए। मैं मुम्बई का हूं, मैं गुजराती हूं। मेरे पूर्वज गुजरात के थे, आज भी मेरे रिश्तेदार गुजरात में रहते हैं, मेरी बहन, मेरे चाचा की लड़की उस समय अहमदाबाद में थी, वहां उसका विवाह हुआ है। श्री बसुदेव आचार्य क्या आप जानते हैं? जब गाड़ी के डिब्बे के जलने का चित्र जब रेडियो और न्यूज चैनल पर आ रहा था, उस समय पर मुम्बई का एक-एक गुजराती परिवार चिन्तित था कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा चाचा कहीं उसमें जल तो नहीं गया होगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उस घटना की निंदा सभी ने की है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इसकी निन्दा तो सब ने की है, इसको आप क्या कह रहे हैं। गोधरा में जो कुछ हुआ, उसकी निन्दा हमने की है। लेकिन हम उसकी ज्यादा निन्दा करते हैं, जो

अहमदाबाद में हुआ है, वह ज्यादा निन्दा करने लायक है, वह ज्यादा जघन्य अपराध है।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैं माननीय मुलायम सिंह जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मैं आपके वक्तव्य का ही नहीं, आपकी भावना की भी कद्र करता हूं। लेकिन माननीय बसुदेव आचार्य जी ने गोधरा का उल्लेख करते समय...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमने उसे कण्डेम किया है।

श्री किरीट सोमैया: माननीय बसुदेव आचार्य जी, जी हां, आप रिकार्ड चैक कर सकते हैं। आप गोधरा की घटना की निन्दा करते समय कहते हैं कि पैट्रोल अन्दर से आया या बाहर से आया, इस प्रकार का उल्लेख करते हो।

अपराह्न 1.00 बजे

क्या यह चर्चा का विषय है? जब आप निंदा की बात कहते हैं...*(व्यवधान)* आप गुजरातियों का अपमान करते हैं। क्या गुजरात में रहने वाले इन्सान नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात न करें। बसुदेव आचार्य जी आप बैठ जाएं।

श्री किरीट सोमैया : आप वहां की जनता की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): गोधरा में जो कुछ हुआ, उसमें बी.जे.पी. का हाथ है, यह भी साबित हो गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री किरीट सोमैया, आपको बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मैं सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित करता हूं। सभा अपराह्न 2 बजे समवेत होगी।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

नियम 193 के अधीन चर्चा

गुजरात में दंगा पीड़ितों के लिए राहत और उनका पुनर्वास

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, भोजनावकाश के पहले जिस विषय पर चर्चा चल रही थी। वास्तव में मैंने जैसे कहा कि यहां चर्चा तीसरी बार गुजरात पर हो रही है और बाहर नारेबाजी हो रही है, वह किस विषय के संबंध में है। नरेन्द्र मोदी को हटाओ, कांग्रेस बचाओ, क्या यही इसके पीछे कल्पना है।

महोदय, मैं अपने मित्रों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, गुजरात में कहावत है - "बावा न बेव बगड़िया, गाढव ही गेल आणई ब्रह्मचर्य ही गेल।" इसका अर्थ है कि प्याज भी खाई और जूते भी खाए। कांग्रेस पार्टी के लोग कभी कहते हैं कि श्री शंकर सिंह वाघेला और बाकी सब लोग बहुत भ्रष्ट, करप्ट एवं कम्युनल हैं। उनके खिलाफ मेमोरंडम देते हैं। फिर अपना पुनर्वसन करने के लिए दूसरा उद्देश्य सुझाते हैं। नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती है तो डरते हैं और दूसरी ओर जाकर कहते हैं कि - बापू शंकर सिंह बापू, आपके सिवा हमारा कोई चारा नहीं है। उसको पकड़ कर लाते हैं। उसका अर्थ यह होता है कि दोनों आपके लिए जाते हैं। मराठी में एक अन्य कवाहत है, मैं उसे बताना चाहूंगा - तालू वरचे लोणी खाऊ नये।" जो मृत होते हैं, जिनकी चिता जलाई जाती है, उनके ऊपर का मक्खन खाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

आज क्या चल रहा है। बसुदेव आचार्य जी, यहां नहीं बैठे हैं। जब वह भाषण दे रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि क्या गुजरात की प्रजा की कोई भावना नहीं है। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। लोक सभा में गुजरात के ऊपर पुनर्वसन के संबंध में चर्चा का प्रारम्भ होती है और वह प्रारम्भ विपक्ष की तरफ से किया जाता है। विपक्ष में पहले बोलने वाले नेता कहते हैं कि गुजरात में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि गुजरात के लोगों की भावनाओं को समझिए। गुजरात में पौने पांच करोड़ लोग रहते है, उनकी भावनाओं का भी विचार करिए। हजारों महिलाओं पर बलात्कार हुए, यह महिलाओं का भी अपमान है और गुजरात में रहने वाली जनता का भी अपमान है। इस प्रकार के वाक्य नहीं बोलने चाहिए। क्या उनकी कोई भावना नहीं है। मैं उन्हें कहने वाला था कि आपको लगता है तो आप एक काम करो कि उन 500 की लिस्ट दे

[श्री किरीट सोमैया]

दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि इसकी ठीक से इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यह गुजरात की जनता की अस्मिता का सवाल है। क्या वे भारतीय एवं हिन्दुस्तान नहीं हैं।...*(व्यवधान)* जो महिलाओं के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, उनके वोट बटोरने के लिए, वोट बैंक की रक्षा करने के लिए, इस प्रकार से गुजरात के लोगों का अपमान हम सहन नहीं करने वाले हैं। मैं बसुदेव आचार्य जी का नाम ले रहा हूं, लेकिन बाकी भी वही बात कह चुके हैं। ''गुजरात का संपूर्ण प्रशासन और पुलिस बल सांप्रदायिक और राजनीतिमय है।''

आप किस के ऊपर आरोप कर रहे हो - आप नरेन्द्र मोदी के ऊपर आरोप करो, हम समझ सकते हैं। आप मेरे ऊपर आरोप करो कि मैं बीजेपी के लिए बोलता हूं तो मैं मान सकता हूं, लेकिन होल एडमिनिस्ट्रेशन, जो चाहे उस प्रकार से करेंगे। क्या गवर्नर और राज्यपाल के खिलाफ कहेंगे, गुजरात में दो आरएसएस के प्रचारक बैठे हैं - नरेन्द्र मोदी ने ऐसा किया। क्या लोकतंत्र का हमने निर्माण किया। लोक सभा का अपना अधिकार है, लेकिन हमें अधिकार के साथ मर्यादा भी नहीं भूलना चाहिए। विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, वे भी आप और मेरे जैसे ही लोगों द्वारा चुने हुए हैं। क्या विधानसभा के प्रतिनिधि को अपना मुख्य मंत्री चुनने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें विधान सभा को भंग करने का अधिकार नहीं है? क्या राज्यपाल के ऊपर ऐसा बन्धन नहीं है? कहा जाता है कि 355 और 356 का मिसयूज रोको। हम इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं। यहां कहा गया कि वहां हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इसके लिए वहां की पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। बात करने से पहले आप सोचो। वहां ''गौडसे नू गुजरात'' जैसे बैनर लगाए जाते हैं यानी पूरी गुजरात गौडसे का है। क्या गुजरात में रहने वाला हरेक गुजराती गौडसे है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। ऐसा कभी भी नहीं कहा गया...*(व्यवधान)* यह सर्वथा गलत है। माननीय सदस्य झूठा वक्तव्य दे रहे है...*(व्यवधान)* मैं इसे चुनौती देता हूं। गुजरात और गोडसे को लेकर कभी भी यह वक्तव्य नहीं दिया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: महोदय, मैं यह बार-बार कहूँगा। मेरा कहना यह है कि यह वक्तव्य कभी भी नहीं दिया गया...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे इसे उद्धृत कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहूँगी। मेरे और मेरे दल के विरुद्ध लगाए गए इस आरोप पर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, विपक्ष के नेता की बात सुनिए। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्रीमती सोनिया गांधी: जब मैं गुजरात गई थी, तो मैंने यह कहा था:

[हिन्दी]

'कितने अफसोस की बात है कि आज कुछ गांधी जी के गुजरात को गोडसे का गुजरात बनाना चाहते हैं'' मैंने ''कुछ लोगों'' कहा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं ''कुछ लोग'' पर जोर देना चाहूँगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों में यही लोग आते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष की नेता ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, सोनिया जी कभी गोधरा का गुजरात कहती हैं और कभी गौडसे का गुजरात कहती है। वह गलत बात कह रही हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष की माननीय नेता ने अपने कथन को स्पष्ट कर दिया है। यदि इस पर आपको आपत्ति है तो जब आप

बोलेंगे तब आप निश्चय ही इसका खंडन कर सकते हैं। खंडन करने से आपको कोई नहीं रोकेगा किन्तु इन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। श्री किरीट सोमैया, आगे कहिए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष की नेता की भावना की कद्र करता हूं। गुजरात गोधरा का भी नहीं हो सकता, गौडसे का भी हो सकता। गुजरात गुजरातियों का है। गुजरात की प्रजा को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): हम गुजरात के हैं और आप मुम्बई के हैं। आप लोग गुजरात की बात क्या करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैं आपकी नेता के विचारों का समर्थन कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं गुजराती हूँ। हम गुजरात के हैं। आप मुम्बई जा चुके हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमेशा गलत बात कहने की रही है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गुजरात के लोगों को गुजरात पर अभिमान है और यह बात कहना कोई गलत बात नहीं है। आपको भी इस पर अभिमान होगा।

...(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया: मैं आपकी भावना और विचारों का स्वागत और कद्र करता हूं। यह बात सही है कि गुजरात गौडसे का नहीं हो सकता और उसे गोधरा की घटना के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। गुजरात में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, ऐसा गलत बात कह कर गुजरातियों का अपमान करना अच्छा नहीं है। *...(व्यवधान)* आप शांति से मेरी बात सुनिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा मैं उसका स्वागत करता हूं। माननीय कमल नाथ जी कभी-कभी बहुत अच्छा काम करते हैं और जब अच्छा करते हैं तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए। जब गुजरात सरकार द्वारा बोर्ड्स और सैकेण्डरी इंस्टीट्यूशन्स के एग्जाम्स डिक्लेयर हुये तो उसका स्वागत किया गया लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि एग्जाम्स नहीं होने चाहियें...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: महोदय, एक मिनट। गृह मंत्री कहां हैं? वे यहां उपस्थित नहीं हैं...*(व्यवधान)* श्री आडवाणी कहां हैं?...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में चर्चा चल रही है...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: कृपया उन्हें बुलाइए। अथवा हम सभा-भवन के बाहर चले जाएंगें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जानते ही हैं कि कभी-कभी...

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ: वे यहां बैठे थे। अब वे कहां हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है वे आ ही रहे होंगे। बात केवल इतनी है कि...

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ: तो, जब वे यहां लौटेंगे तब बोलेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आमतौर पर ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं पर गृह मंत्री स्वयं उपस्थित रहते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने गृह राज्य मंत्री से भाषणों का नोट लेने का अनुरोध किया है। वे आ ही रहे होंगे।

...(व्यवधान)

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, राज्य सभा में भी इसी मुद्दे पर साथ-साथ चर्चा चल रही है। वे वहां उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, संविधान के अनुसार प्राथमिक तौर पर मंत्री परिषद ही लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और सह मंत्रालय के प्रभावी उप-प्रधान मंत्री ही जवाबदेह हैं और भाषणों को नोट करना व उत्तर देने के लिए वे बाध्य हैं। महोदय, सुबह हम सहमत हुए थे किन्तु मुझे खेद है कि वे यहां नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: कृपया सभा को आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दीजिए। यदि वे मध्याह्न भोजन ले रहे हैं या फिर सो रहे है तो उन्हें खाना खाने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कमल नाथ जी, कल मेरी मौजदूगी में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी यहां विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता उपस्थित थे और आज के लिए चर्चा को निर्धारित करने में कठिनाई की। कठिनाई यह थी कि गृह मंत्री एक ही समय में दो

[अध्यक्ष महोदय]

जगह उपस्थित नहीं रह सकते। यह स्वीकार कर लिया गया था कि हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे और वे कभी राज्य सभा में रहेंगे अरे कभी यहाँ उपस्थित रहेंगे: किन्तु उत्तर के लिए गृह मंत्री अवश्य ही यहां आएंगे। यह मामला दलों के बीच आपसी समझ-बूझ से निपटाया जा सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष जी, जैसा मैने कहा श्री कमल नाथ जी कभी-कभी अच्छा मुद्दा उठाते हैं। गुजरात में जब इस तरह का वातावरण पैदा होने लगा तो उस समय कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कमल नाथ जी ने उन कुछ लोगों से कहा जिन लोगों पर उनका शायद अधिकार होगा या उन्हें रैस्पैक्ट दिया हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय एग्जाम्स शुरु हुये और उन एग्जाम्स में 95 परसेंट से ज्यादा लोग उपस्थित रहे लेकिन गुजरात हाई कोर्ट में अनेक प्रकार की पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन्स दाखिल की गई महोदय, में उच्च-न्यायालय की टिप्पणी को उद्धृत करना चाहूँगा।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: निर्णय देने की तिथि क्या है? यह मुकद्मा किसका है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम तो तारीख पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। उसमें यदि कोई कुछ कर रहा है तो आप नर्वस मत होइये, आप क्यों इनका हाथ पकड़ना चाहते हैं?

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष जी, या तो मेरे बोलने में गलती हुई है या उनके सुनने में गलती हुई है कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिये, इसके लिए कुछ लोग प्रत्यन्न कर रहे थे लेकिन कमल नाथ जी का उसके खिलाफ मत नहीं था कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिये।

श्री कमलनाथ: मैने ऐसा नहीं कहा क्योंकि मैं उस दिन अहमदाबाद में था। जब यह बात उठी तो मैंने प्रैस कांफ्रेंस में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने ऐसा कहा तो वह गलत है। ऐसा अखबार में छपा। अगर इन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं यह जानकारी दे रहा हूँ।

श्री किरीट सोमैया: कमल नाथ जी, मैने भी यही कहा कि बोड्र्स के एग्जाम्स होने चाहिये। मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। किन्तु उससे क्या पता चलता है? यदि स्थिति सामान्य है तो लोग परीक्षा देने के लिए जाना चाहते हैं और इनका आकलन सही था।

[हिन्दी]

श्री कमलनाथ: आप यह बात इलैक्शन कमीशन को समझाइये कि अब तो एग्जाम्स हो गये और सब नार्मल हो गया।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: करीब 95 प्रतिशत छात्र उपस्थित थे और कुछ लोग कोर्ट चले गए। एक स्थिति पर न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

"तीव्र प्रतिक्रिया का कोई कारण नहीं है। यह मानने का भी, कोई कारण नहीं है कि जहां परीक्षाएं होनी हैं वहां स्थिति परीक्षाएं कराने के लिए सही नहीं है।"

"तीव्र प्रतिक्रिया का कोई कारण नहीं है। राज्य सरकार ने परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाएं कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। अत: इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग से सहमत होने का कोई औचित्य नहीं है।"

एक अन्य व्यक्ति ने जाकर लोकहित याचिका दाखिल कर दी। इसी प्रकार न्यायालय ने कहा:

"रिपोर्ट पढ़ने पर प्रथम दृष्टतया: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह महसूस किया गया कि प्रशासन ने कैंप के निवासियों का समुचित ध्यान रखा गया है।"

[हिन्दी]

सर, मैं आपको कोर्ट के पब्लिक लिटीगेशन के और भी ऑब्जर्वेशंस पढ़कर सुना सकता हूँ। इस तरह का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिचुएशन नॉर्मल है, सिचुएशन नॉर्मल थी और सिचुएशन और अधिक नॉर्मल होने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रही है। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यदि गुजरात में परिस्थिति खराब थी, इससे कौन इनकार कर रहा है, लेकिन आज कितने विस्थापित लोग निराश्रित कैम्पों में हैं, मेरे ख्याल से लगभग 12 हजार के करीब लोग हैं और बाकी लोग अपनी-अपनी जगहों पर जा रहे हैं और ये जो 12 हजार लोग हैं व भी बाई एंड लार्ज अहमदाबादज सिटी में हैं। वहां उनके घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके पास में कैम्पों में वे जाते हैं और वहां कंस्ट्रक्सन मॉनीटर करते हैं, सुपरविजन करते हैं और वापस अपने घरों को आ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह नहीं कहना चाहिए कि तनाव के कारण यह चुनाव नहीं

हो सकता। मेरे ख्याल से हिन्दी में एक कहावत है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: वहाँ 760 मौते हुई है और कई हजार लोग मिसिंग हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: केवल दिल्ली में ही 3,000 से अधिक लोग मारे गए थे। हुआ क्या? 45 दिनों के भीतर ही चुनाव घोषित कर दिया गए।

[हिन्दी]

श्री कमलनाथ: बिल्कुल थे। किन्तु उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय कोई मोदी यहां नहीं था और यही अंतर है। यह बोल-बोलकर आप अभी दिल्ली में दो महीने पहले हारे थे।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मोदी नहीं थे, लेकिन जो थे वह क्या थे। केवल दिल्ली में ही 3,184 लोग मार डाले गए थे। दिल्ली से 4,50,000 से भी अधिक लोग पलायन कर गए थे।...*(व्यवधान)* मेरा कहने का मतलब यह है कि पंजाब में चुनाव हुआ, आसाम में चुनाव हुआ, उस आतंकवाद के कारण विरोधी पक्ष ने कहा कि यह समय चुनाव के योग्य नहीं है। लेकिन मतदान कराया गया और कितना पोलिंग हुआ,

[अनुवाद]

वह व्यक्ति जीत गया क्योंकि उसे 98 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। एक ही राजनैतिक दल के कई उम्मीदवारों ने काग्रेंस पार्टी की लोकप्रियता देखी जिसने डाले गए कुल मतों के 98 प्रतिशत मत प्राप्त किए। डाले गए मतों की संख्या 208, 178, 139 थी। मेरे काबिल मित्रों के लोकतांत्रिक मूल्य और उनकी लोकप्रियता देखिए।

[हिन्दी]

इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि नरेन्द्र मोदी क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हां, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक हूं लेकिन हमें उसका अभिमान है। मैं आर.एस.एस. का समर्थक हूं। हमें वहां से संस्कार और प्रेरणा मिलती है कि देश सबसे पहले होता है। अपने राज्य के वोटों के लिए इस प्रकार की चर्चा करके जहां पर शांति पैदा रही है, वहां अशांति हमें पैदा नहीं करनी है। हमें वीर सावरकर का अभिमान है। आज माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं है। महाराष्ट्र के किसी गांव में जाकर सावरकर जी का नाम लीजिए, छाती गर्व से ऊपर हो जाती है। सावरकर जी सिर्फ राष्ट्रीय क्रांतिकारी ही नहीं थे, उन्होंने सामाजिक सुधार का भी काम किया। क्या ये सावरकर जी का नाम लेकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं, ऐसा करके आप खुद नीचे हो रहे हो। अगर वह हमें कहते हैं कि आप सावरकर जी के आदर्शों का पालन करते हो तो हमें उसका अभिमान है। लेकिन हमें दुख होता है कि काश प्रभु इन लोगों को सद्बुद्धि दो कि जो सावरकर जी का अभिमान करते है। वह गुजरात की प्रजा को राष्ट्र की प्रजा कहते हैं। प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दो।

[अनुवाद]

मैं आपको गुजरात सरकार द्वारा किए गए पुर्नवास उपायों के कुछ उदाहरण देना चाहूँगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सब आंकड़े पढ़ना नहीं चाहूँगा। लेकिन वहां क्या नहीं किया। आज अगर वहां शांति नहीं होती स्थिति कंट्रोल में नहीं होती तो वहां 70 से 75 प्रतिशत मतदान नहीं होता। अप्रैल और मई महीने में गुजरात में मौहर्रम के एक हजार जुलूस निकले। और अभी स्वर्ण रथ निकली। अहमदाबाद जी जो रथ यात्रा थी, वह कितनी विशाल थी! लोगों का उत्साह देखा। लेकिन हमारे मित्र को किसी को लगा कि जनता कर्फ्यू है। मुस्लिम एरिया में गए। हमने नहीं कहा। क्योंकि हम गुजरात की जनता के बारे में सोचते हैं और हम भारत की जनता के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा जनता कर्फ्यू था। तो जनता कर्फ्यू जो दरियापुर इलाके में जनता कर्फ्यू है तो मुस्लिम एरिया कमालपुर भी था, शाहपुर भी था। वहां अभूतपूर्व स्वागत हुआ। दरियापुर कर्फ्यू 1992 से जब से कांग्रेस का प्रशासन था, तब से चालू है। आज वहां पर नॉर्मलसी है। लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं, जी रहे हैं, अभिमान के साथ नॉर्मलसी पर आ रहे हैं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपको गुजरात में दंगा पीड़ितों के पुर्नवास से संबंधित कुछे आंकड़ें देना चाहूँगा। दंगों में घायल हुए 2395 लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। राशन कितने लोगों को दिया गया? गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 27,01,000 लोगों की पहचान की गई है। कितना राइस और शुगर दिया गया? 3 लाख, 21 हजार क्विंटल चावल वितरित किया गया। कितने फुल हाउसेज डैमेज हुए? पूर्ण रूप से नष्ट 5584 घरों के लिए 7,89,000 रुपये दिए गए। मैं आपको अनेक इस प्रकार के किस्से बता सकता हूँ कि राज्य सरकार ने क्या-क्या मीजर्स लिए हैं? पूरी डीटेल है मेरे पास। राज्य मे पुर्नवास की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसीलिए लोग अपने घरों में चले गए हैं। लोगों में विश्वास का वातावरण है इसलिए लोग वापस अपने घरों को गए हैं।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि आज गुजरात में आवश्यकता है एक विश्वास का वातावरण निर्माण करने की। आज गुजरात को अपनी अस्मिता वापस दिलाने की आवश्यकता है। हम हार-जीत की बात न करें, आज प्रश्न है मानवता की। कौन जीते, वह विषय महत्व का नहीं है क्योंकि विधान सभा का चुनाव अनेक बार हुआ है। जब माननीय शंकर सिंह जी की सरकार का कांग्रेस से समर्थन वापस लिया गया उसके पश्चात वापस उन्हीं की सरकार को समर्थन दिया, उस समय भी केयरटेकर गवर्नमेंट उसी पार्टी की थी। उस समय जब केयरटेकर गवर्नमेंट चल सकती है, बाकी राज्यों में चल सकती है तो फिर गुजरात में क्यों नहीं? मुद्दा नरेन्द्र मोदी हटाओ का है या कांग्रेस बचाओ का है यह बताएँ।

अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आज विषय मानवता का है। जीत मानवता की होनी चाहिए, लोकतंत्र की होनी चाहिए, जीत एकता की होनी चाहिए, जीत हिन्दुस्तान की होनी चाहिए, जीत गुजरात की अस्मिता की होनी चाहिए। जीत गुजरात की होगी, और गुजरात की अस्मिता की होगी। जो लोग इस प्रकार से गलत प्रयत्न करके एक दूसरे का राजनीतिक पुनर्वसन करके अपनी रही सही इज्जत बचाने का प्रयत्न करेंगे तो गजुरात की जनता के मूल्य पर राजनैतिक सामजस्य को गुजरात की जनता सहन नहीं करेगी।

अंत में मैं इतना ही कहूँगा:-

"आओ मिलकर हाथ बढ़ाएँ, एक सुन्दर सुदृढ़ मजबूत गुजरात बनाएँ।

आओ मिलकर हाथ बढ़ाएँ, एक सुन्दर सुदृढ़ मजबूत हिन्दुस्तान बनाएँ।"

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से में इस चर्चा में भारी मन से भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। किंतु विषय में जाने से पहले, मैं एक बार फिर अपने दल की ओर से, पिछले सप्ताह राज्य में हुए दंगों में मारे गए लोग भले ही वे हिन्दू हों या मुस्लमान के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सोचकर मुझे दुख होता है कि गुजरात विधान सभा के ही चुनाव, इस समय जनता की वास्तविक इच्छा है भी या नहीं। यह सोचकर मुझे दुख होता है कि इस समय आपको राज्य में शांति व सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है या हमें यह निर्णय करना है कि चुनावों के माध्यम से सत्ता कौन प्राप्त करेगा।

महोदय, यही महान संसद है जिसने कई अवसरों पर राष्ट्र के समक्ष आई चुनौतियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भले ही वह पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण हमने एक साथ मिलकर लोकतंत्र, धर्मनिपरेक्षता और भारत के संविधान की मूल भावना को बचाने का संकल्प लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दंगों के पीड़ितों पर ही नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री के विदाई भाषण पर भी दुख: हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सभा, लोक सभा के संरक्षक हैं। संविधान के अनुसार राज्य के मामलों के संबंध में निर्णय लेने के मामले में राज्य का विधान उच्चतम होता है। हम गुजरात सहित सभी राज्यों के विधान का और उसके जन-प्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। हम दोनों पक्षों के सदस्यों का समान सम्मान करते हैं जो संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरु के दिनों से लेकर अब तक हम पिछले कई वर्षों से लेकर अब तक हम पिछले कई वर्षो से यह तर्क करते आए हैं कि राष्ट्र की नीतियों को बनाने के मामलों में संसद सर्वोच्च है। यदि संसद की गरिमा को चुनौती देने का प्रयास किया जाता है या संसद की निंदा की जाती है, या उस पर कोई आरोप लगाया जाता है तो हम किस पर प्रहार करते हैं, किसका अपमान करते हैं, किसे नष्ट करते हैं? संभवत: लोकतंत्र की नींव को।

अध्यक्ष महोदय, इस सभा में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं एक बार कहा था:

[हिन्दी]

"महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुआ है, महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल आया था। उसने महिलाओं की बात की। उन्होंने एक शर्त लगाई-हमारी आपकी बात तब होगी जब यहां कोई अखबार वाला नहीं होगा। मैंने उनसे बात की थी।"

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ने घटना के बारे में बताया। यह उन्होंने लोक सभा में कहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, में कांग्रेस प्रतिनिधि का उदाहरण नहीं दूंगा बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) के सदस्य का उदाहरण दूंगा। मेरे प्रिय मित्र और मुम्बई के स्टाक बाजार विशेषज्ञ श्री किरीट सोमैया, जिन्होंने गुजरात की घटना को अपने ढंग से प्रस्तुत किया, इस बात को ध्यानपूर्वक सुने। उस समय तृणमूल कांग्रेस एनडीए का सदस्य था। कुमारी ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेता ने कहा:

"हम एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और हम इस सरकार के पक्ष में और इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करेंगे क्योंकि

हम स्थिरता चाहते हैं। परन्तु इसके साथ ही मैं भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम युवा पीढ़ी के लोग हैं, हम देश का भविष्य भी हैं। किसी और प्रकार से नहीं बल्कि एक बहन के रूप में मैं आपसे कहूँगी। यदि आप राजनीतिक कारणों से कई राज्यों में अपना नेतृत्व परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप इस देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं करते?''

आपकी बहन और एनडीए के एक सहयोगी ने यह कहा है न कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने। उन्होंने आगे कहा:

''देश किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए परेशान क्यों हो?'' यह एनडीए का सहयोगी, तृणमूल कांग्रेस या जिसने लोक सभा में यह बात कही है न कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने यह बात की है।''

अब मैं एनडीए के सूत्रधार, एनडीए का सबसे मजबूत स्तम्भ तेलगु देशम पार्टी, जो एनडीए का भार अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से उठा रही है, के बारे में कहना चाहूँगा। मेरे प्रिय सहयोगी और मेरे सबसे अच्छे मित्र तेलुगु देशम संसदीय पार्टी के नेता श्री येरननायडु यहां उपस्थित हैं। निर्धारित समय से पूर्व चुनाव करने के बारे में उन्होंने कहा।

''यहां तक कि भाजपा कार्यकारिणी, जिसकी हाल ही में गोवा में बैठक हुई थी, ने भी चुनाव करने का निर्णय किया है। परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि यह राज्य में चुनाव कराने का उचित समय नहीं है क्योंकि हजारों की संख्या में लोग अभी भी राहत शिविरों में है।''

उन्होंने आगे कहा:

''इसलिए तेलुगु देशम पार्टी ने केन्द्र सरकार से गुजरात में चुनाव न कराने का अनुरोध किया है।''

अंतत: उन्होंने यह कहा:

''नेतृत्व में परिवर्तन समय की आवश्यकता है। दूसरी मांग उदार पुनर्वास सहायता है; तीसरी मांग किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। सामान्य स्थिति के बहाल होने तक हमें वहां चुनाव नहीं कराना चाहिए।

चर्चा की समाप्ति पर प्रधानमंत्री की बात सुनने के पश्चात् श्री येरन नायडू ने यह कहा:

''चूंकि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।''

और वे सभा भवन से बाहर चले गए। मैं यह नहीं जानता कि सभा में पुन: कब लौटे। यह सब हमारी कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है। ये टिप्पणियां संसद में तेलुगु देशम पार्टी के नेता द्वारा की गई है इस समय जो यहां पर बैठे भी हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रतिनिधि और एनडीए के एक जिम्मेवार सहयोगी ने यह कहा:

[हिन्दी]

''मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, गोधरा कांड से अभी तक समाज का माहौल बिगड़ा है। उसे रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हिंसा थमी नहीं है। इसलिए यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है''

वे अन्त में क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस की बात नहीं बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं-

''यहां धारा 356 लागू नहीं हो सकती, क्यों? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धारा 356 लागू हो और केन्द्र सरकार प्रशासन की बागडोर संभाले।''

यह मैंने नहीं कहा। इसी पार्लियामेंट में कहा गया है।

[अनुवाद]

अब मैं नेशनल कांफ्रेंस के बारे में कहना चाहूंगी। इस पार्टी के सरकार में मंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने कहा। यह देश सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। साम्प्रदायिक सद्भाव और लोकतंत्र के इस विशिष्ट क्षेत्र में उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में अत्याधिक पीड़ा का अनुभव किया।

महोदय, मैं समय की कमी को बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगी। परन्तु उन्होंने यह कहा:

''हम पल भर के लिए यह मान लें कि गोधरा नरसंहार में विदेशी ताकतों की भूमिका होने की अवधारण सही है। क्या हम अपनों के ही कट्टर दुश्मन नहीं हैं? क्या हम उन लोगों के हाथों में कठपुतली नहीं बन गए जिन्होंने गोधरा में अपराध को भड़काया है? क्या हमने उसी तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है जैसाकि वे चाहते थे? वे तो केवल हिन्दू-मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे...इन्हीं प्रश्नों का वे उत्तर नहीं दे पाए थे। हां, वे आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के एक हिस्से के रूप में खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मामले हम कहां ठहरते हैं?''

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

वे बहुत आशंकित थे और उन्होंने भारतीय स्थिति के बारे में कहा:

"आज, दुर्भाग्यवश हम बचाव कर रहे हैं। हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि आज भारत पीछे हटकर लड़ रहा है।"

[हिन्दी]

क्या हम लोगों ने कहा है? एनडीए के ही मिनिस्टर ने ही कहा है।

[अनुवाद]

आज वे सभी उपस्थित हैं।

अंतत; माननीय गृह मंत्री, श्री आडवाणी, जो अब माननीय उप-प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है ने कहा। यह श्रीमती सोनिया गांधी ने नहीं कहा है; बसुदेव आचार्य ने कहा है; श्री देवेगौडा ने नहीं कहा था। बल्कि इसे गृह मंत्री ने भी स्वीकार किया था।

सभी लोगों ने देश में यह अभियान चलाया है और हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। हमें उनके सीमापार आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ इसके अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। परन्तु श्री एल.के. आडवाणी ने क्या स्वीकार किया है?

भावना चीखलीया जी मैं आपका सम्मान करता हूं। यदि किसी महिला का अपमान होता है तो हम इसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे। यह आरोप कोई नहीं लगा सकता है कि गुजरात के लोग बहुत बुढ़े हैं। भारत ने इतिहास में हमें इस पर गर्व है। महात्मा गांधी, जिन्होंने गुजरात का गठन किया, ने देश को नेतृत्व प्रदान किया। विशिष्ट महिला कस्तूरबा गांधी गुजरात की थी। मीराबाई के भजनों की शुरुआत गुजरात में हुई और इसके बाद इसका अन्य क्षेत्रों में प्रचार हुआ। हम उस महान वास्तुकार को नहीं भूल सकते जिन्होंने भारतीय संस्कृति के विरासत को सोमनाथ मंदिर में संजोया है। हम गुजरात के इतिहास के किसी भी हिस्से, गुजरात के लोगों और उनके योगदान से इनकार नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि "मैं अपने भाई सत्येन ठाकुर (जो आईसीएस अधिकारी और अहमदाबाद में कलेक्टर थे) के साथ रहा। यदि मैं गुजरात में नहीं रहा होता तो यह नहीं जान पाता कि भारत क्या है।" और अपनी एक प्रसद्धि कहानी 'हंगरी स्टोन' की रचना की।

यहां कोई गुजरात की बुराई नहीं चाहता है। वस्तुत: जब गत वर्ष गुजरात में विनाशकारी भूकम्प आया तो पूरा देश गुजरात के साथ रहा। सभी सदस्यों ने अपना विनम्र योगदान किया यद्यपि यह गुजरात के लिए पर्याप्त नहीं था। परन्तु, सभी दलों ने हर संभव सहायता की। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। हमने गुजरात के लोगों के लिए भारी सहायता उपलब्ध करायी है। हम अभी राज्य सरकार को सहायता उलपब्ध करा रहे हैं। यह नहीं कि हम यहां समर्थन के मुद्दे पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। गुजरात के लोगों की बुराई कौन करने जा रहा है। कोई नहीं। गुजरात के लोग सभी मामले में महान हैं। हम गुजरात अथवा गुजरात के लोगों और उनके समुदायों को अपमानित करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वे महान हैं। उन लोगों ने अच्छे अथवा बुरे दोनों ही अवसरों पर देश का साथ दिया है। गुजरात की बुराई करने की हमारी कोई मंशा नहीं है।

परन्तु आडवाणी जी ने क्या स्वीकार किया? माननीय गृह मंत्री गांधी नगर के हैं। यह कांग्रेस द्वारा लगाया गया आरोप नहीं हैं। यह किसी दल का आरोप नहीं है। गुजरात राज्य सरकार के खिलाफ यह आरोप गृह मंत्री ने लगाया है। उन्होंने 30 अप्रैल, 2002 को एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तो उमर अब्दुल्ला द्वारा कही गई बात पर उत्तर देते हुए गुजरात राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है। जब श्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि हमारी कार्यवाही बचाव संबधी हैं; हम पीछे हटकर लड़ रहे हैं। धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र साम्प्रदायिक सद्भाव का हमारा अभियान पूरे विश्व में अब अपनी चरण सीमा पर पहुंच गया है, श्री आडवाणी ने कहा:

[हिन्दी]

"11 सितम्बर को जब वहां काण्ड हो गया, न्यूयार्क में और वांशिगटन में, उन्होंने उसको भुगता तो उसके बाद एक जबरदस्त परिवर्तन आया, विश्व जनमत में, जिसके कारण हमारा शत्रु, जिसने प्रॉक्सी वार छेड़ रखी थी, वह एक प्रकार से कोर्नर हो गया था।"

[अनुवाद]

सितम्बर, 2001 के बाद पाकिस्तान पर हमारा ध्यान केन्द्रित किया गया। परन्तु श्री एल.के. आडवाणी ने दूसरे वाक्य में बताया:

[हिन्दी]

"मैं मानता हूँ कि इन दोनों में जो कुछ हुआ, गोधरा और गुजरात में, उसके कारण सबसे अधिक किसी को आनन्द प्राप्त हुआ है तो उनको हुआ है।..."

मतलब पाकिस्तान को है। किसके लिए पाकिस्तान को फायदा मिला, आडवाणी जी के कमिटमेंट में, गुजरात की घटनाओं के लिए, यह इल्जाम सोनिया गांधी जी ने गुजरात की जनता पर नहीं लगाया, यह इल्जाम हमने नहीं लगाया, यह आडवाणी जी ने लगाया है। गुजरात की घटनाओं से पाकिस्तान को फायदा हुआ।

प्रधान मंत्री जी ने लाओस और कम्बोडिया जाने से पहले गुजरात की धरती पर, अहमदाबाद में खुद यह कहा था कि मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। यह सोनिया जी ने नहीं बोला। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि यह हमारे लिए कलंक की बात है।

[अनुवाद]

मेरे मित्र श्री किरीट सोमैया यह महसूस करते हैं कि हम इस प्रकार की बाते क्यों कर रहे हैं। परन्तु गृह मंत्री की आंतरिक भावना, प्रधान मंत्री की अभिव्यक्ति और श्री जार्ज फर्नान्डीज की अभिव्यक्ति से यह सब प्रकट होता है।

[हिन्दी]

सबसे बड़ी गाली गुजरात की किसने दी, जब महिलाओं का इश्यू आया तो जार्ज साहब ने कहा। आडवाणी जी ने जवाब दे रहे थे कि गुजरात में आज जो कुछ हो रहा है, वह कोई नई बात नहीं है। 55 साल से वहां वही चलता आया है। गुजरात की जनता 55 साल से महिलाओं से छेड़छाड़ करने का इल्जाम इस साइड से नहीं लगाया गया, जार्ज साहब ने खुद उसकी पुष्टि की। तब आडवाणी जी ने सही कहा था कि जो कुछ हो रहा है, नई बात नहीं, लेकिन मैं स्वीकार करुंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा उससे ऐसा आभास होता है कि मानों कोई सहज बात नहीं है। यह इसलिए हो सकता है कि उनका प्रस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव 50 साल का है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। आज जो कुछ गुजरात में हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रस्पेक्टिव छोटा है, सिर्फ चार साल का है।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि जार्ज फर्नान्डीज का अनुभव 55 वर्ष का हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव केवल 4 वर्ष का है।

माफ कीजिए, गुजरात के लोगों के साथ किसने ज्यादातियां की। गुजरात के लोगों को किसने हानि पहुँचाई। क्या वे आपके रक्षा मंत्री हैं। प्रधान मंत्री ने बड़े विनम्र भाव से स्वीकार किया कि क्या गलत हुआ है। श्री आडवाणी जी ने स्वीकार किया कि गलत हुआ है। लेकिन श्री किरीट सोमैया जी हम पर आरोप लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, दासमुंशी हिन्दी के भाषण का अर्थ समझें तो मैं उन्हें समझाउं कि उन्होंने गुजरात की जनता का अपमान नहीं किया।...*(व्यवधान)* गुजरात की घटनाओं की हमने भी निंदा की है। आडवाणी जी ने या प्रधान मंत्री अटल जी ने कभी भी गुजरात की जनता का अपमान नहीं किया। उसके पीछे जो आतंकवाद है, उनका अपमान किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं कार्यवाही वृत्तान्त से ही उद्धृत कर रहा हूँ...*(व्यवधान)* मैंने यह नहीं कहा कि गृह मंत्री ने गुजरात के लोगों के बारे में कुछ बुरा कहा। मैंने यह भी नहीं कहा कि प्रधान मंत्री ने गुजरात के लोगों के बारे में बुरा कहा है। प्रधान मंत्री ने गुजरात में जो कहा उसे ही उद्धृत कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* महोदय, क्या मैं बोल सकता हूं...*(व्यवधान)*

मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया कि गुजरात की जमीन पर जो हुआ वह कलंक है और वह अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। मैंने उसे ही उद्धृत किया है जो श्री आडवाणी ने कहा कि जार्ज फर्नान्डीज को गुजरात को समझने का अनुभव 55 वर्ष का हो सकता है, लेकिन मैंने केवल चार वर्षों से ही जाना है।

यही इसका सटीक अनुवाद है। मैं केवल कार्यवाही वृत्तान्त से उद्धृत कर रहा हूं न कि किसी प्रैस वक्तव्य से।

यह सब लोक सभा में कुमारी ममता बनर्जी, श्री उमर अब्दुल्ला, श्री येरननायडू, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री जार्ज फर्नान्डीज, उप-प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री द्वारा कहा गया।

[हिन्दी]

मुख्य मंत्री ने जो गुजरात में फैयरवैल स्पीच दी, उसका कुछ अंश मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं अब गुजराती में बोल रहा हूं, चूंकि मैंने पहले वह बंगाली में लिखी थी.

"दिल्ली मां गुजरात की चौटाया सरकार ने हटावा। लोकसभाना समारान गणवा फेरवी दे दी। दिसुदी लोक समाना चलावा दे दी। इतिहास मा पहली बार लोक सभाया गुजरात सरकार ने पक्ष में मतदान करै। सत्ता भूखे तत्व होवे परि, दीदा, काकां पाचवा गुजरात ने तम चलाए रखो"

[अनुवाद]

अत: ऐसा कर नरेन्द्र मोदी ने लोक सभा का अपमान किया है, जिसे यहां हर व्यक्ति जानता है।

अध्यक्ष महोदय: वह कार्यवाही वृत्तान्त से वक्तव्य उद्धृत कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मैं इसे प्रमाणित करूं और सभा पटल पर रखूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि इसे सबने पढ़ा होगा, आपको उन्हें सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसलिए वे हमारे वक्तव्य नहीं थे। अगर हम किसी विषय पर बोल रहे हैं और अपने विचार प्रकट कर रहें हैं तो क्या हमारी आलोचना की जायेगी? हम विधान सभा में प्रकट किए गए विचारों की आलोचना नहीं कर सकते हैं। गुजरात विधान सभा का हम सम्मान करते हैं। सभी विधायक सम्मानित हैं संसद की तरह ही उन्हें किसी भी विषय की आलोचना करने का अधिकार है। संसद संप्रभु संस्था है और इस संप्रभु संसद पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। संप्रभु न्यायपालिका पर विश्व हिन्दू परिषद (वी.एच.पी.) और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) प्रश्नचिह्न लगा रहा है। संसद के बारे में श्री नरेन्द्र मोदी ने संदेह व्यक्त किया है। उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी ने उस बात को स्पष्ट किया जो उन्होंने गुजरात में कहा उन्होंने कहा कि मुझे दुख है, इससे मुझे पीड़ा हुई है। अटल जी ने कुछ कहा है और मैं इसे विशेषाधिकार मानता हूं। अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री का भी आभारी हूं। उन्होंने गुजरात में जो भी कहा वह उनके साहस का परिचायक है और संसद में उन्होंने जो कहा वह भिन्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह गोवा के बारे में है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं उनका धन्यवाद करता हूं, गुजरात में सोनिया जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा वह कार्यवाही वृत्तान्त में है। इसे उपग्रह चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह यदि सोनिया जी के उस भाषण को जिसमें उसने गुजरात के लोगों के 'गोडसे' कह कर गाली दी है को प्रस्तुत करें तो हम लोग यहां से चले जाएंगे। लेकिन उन्हें आर.एस.एस. को ऐसा दुष्प्रचार करने की इजाजत नहीं देनी जानी चाहिए जिसे गोबह की भाषा में कहें तो झूठ को सच बनाया जा सकता है और लोगों का ध्यान हटाया जा सकता है। हम लोग इसे बर्दास्त नहीं करेंगे। मैं इसे पुन: उद्धृत करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

इस धरती पर हिंसा और नफरत की आग देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। क्या यह वही गुजरात है, जिसने सारी दुनिया को प्रेम और अहिंसा का सन्देश दिया था? क्या यह वही गुजरात है, जिसने प्रगति और विकास की नई मिसाल कायम की थी? कितने अफसोस की बात है कि आज कुछ लोग गांधीजी के गुजरात को गोड्से का गुजरात बनाना चाहते हैं। इस व्याख्यान को बदल दिया और कहा कि सोनिया गांधी जी ने पूरे गुजरात की पांच करोड़ जनता को गोड्से बोला।

बहुत अच्छा, तुम अपने ही जाल में फंस गए। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमारा हिन्दुत्व विवेकानन्द हिन्दुत्व है, बाकी मैं नहीं मानता हूं। इसका मतलब है, प्रधान मंत्री जी ने अपने प्रोटैक्शन के लिए कहा–ग्लोबल थ्योरी आन हिन्दुत्व मैं नहीं मानता हूं। अब वे विवेकानन्द पर आ गए। ठीक है, मैं उनका आदर करता हूं, इस बात को कहने के लिए।

[अनुवाद]

अत: लोक सभा का सम्मान सर्वोच्च है। यदि इस सम्मान पर ऐसे चोट की जाती है तो संपूर्ण सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। हम लोग चाहे हिन्दू हों या मुस्लिम सभी लोगों की एकता चाहते हैं। मेरा हृदय खून के आंसू रोता है, मैं भी एक हिन्दू धर्म का अनुयायी हूँ अमरनाथ यात्रा के शिकार कौन लोग थे। अमरनाथ तीर्थ-यात्री हिन्दू थे। सरकार उनकी रक्षा क्यों नहीं कर पायी? क्या उनकी रक्षा की जिम्मेवारी श्रीमती सोनिया गांधी या सोमनाथ चैटर्जी की थी? क्या ये उनके उप-प्रधान मंत्री थे जो कश्मीर में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की रक्षा करने में असफल रहे। रघुनाथ मंदिर पर आक्रमण क्यों किया गया? गोधरा में कितने हिन्दू मारे गये? अब तक सरकार ने उन 60 लोगों के नाम क्यों नहीं बताये? कितने मृत व्यक्तियों का डी.एन.ए. टैस्ट कराया गया? कितने लोगों को क्षतिपूर्ति दी गयी? डोडा और किश्तवार में कौन लोग मारे गये? मैं साबित कर सकता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार और अब श्री आडवाणी की उप-प्रधान मंत्री सरकार के बाद हिन्दुओं पर आतंकवादी हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह सरकार हिन्दुओं की केवल बात कर सकती है लेकिन हिन्दुओं की रक्षा नहीं कर सकती। वे इन सब की बात करते हैं। हम इन सब की बात नहीं करते। गुजरात के मामले में भी मेरे पास सूची है और मैं सभा पटल पर रख सकता हूं। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो श्री आडवाणी जी मेरी बात को काटे और मैं उनसे माफी मांग लूंगा। मुझे बताया गया है कि 265 दरगाहों, 18 से भी ज्यादा मस्जिदों, 16 या उससे ज्यादा मंदिरों और तीन गिरजाघरों को हानि पहुंचाई गयी थी और उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। क्या यह जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की नहीं थी? अनुच्छेद 355 के अंतर्गत गुजरात का किसने ध्यान दिलाया है? राष्ट्र की प्रभुसत्ता-सम्पन्न सरकार ने अनुच्छेद 355 के अंतर्गत गुजरात की और ध्यान दिलाया है। अनुच्छेद 355 इस संबंध में क्या कहता है? वे शब्द बुरे शब्द नहीं है, उनका अर्थ

है। अनुच्छेद 355 कहता है:-संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह ''बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करें''

आतंरिक अंशांति के दौर में हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। राहत और पुर्नवास के लिए प्रधान मंत्री ने 150 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। क्या पूरी धनराशि लगा दी गयी है या लगाने जा रहे हैं? अगर वह खर्च नहीं की गयी और पुर्नवास कार्य सरकार के अनुसार संतोषजनक नहीं है तो श्री वाजपेयी जी का कर्तव्य नहीं था कि वह सारे विश्व को बतायें कि कौन सत्ता में रह पायेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है लोगों को उनके घर वापस लाना, उन्हें उनके कारोबार में मदद देना तथा बच्चों में विश्वास जगाना चाहे वो गोधरा घटना के शिकार हिन्दू व्यक्ति के पोते हों या साबरकांठा, बड़ौदा के किसी हिस्से में घटी घटना के शिकार मुस्लिम के पोते हों।

हमारी सरकार पंजाब में थी और हमारी सरकार असम में भी। जब असम में अप्रिय घटनाएं हो रही थी, तो ए.एस.यू. के लोग राजीव गांधी के पास आये और वहां क्या हो रहा है उसके बारे में बताया। राजीव गांधी ने उस समय के असम के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा किसे सत्ता मिलती है यह महत्वपूर्ण नहीं; लेकिन मैं शांति चाहता हूं, इसलिए आपको इस्तीफा देना होगा और श्री सैकिया को इस्तीफा देना पड़ा।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, किस नियम के तहत वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, क्या यह सही नहीं है कि जब पंजाब में अप्रिय घटनाएं हो रही थी तब तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री श्री दरबारा सिंह से शांति के लिए उनसे इस्तीफा मांगा था। मिजोरम में जब श्री लाल डेंगा ने मुख्यधारा में शामिल होना चाहा तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने एकता के लिए श्री ललथनवाला को हटने के लिए कहा था। जब राष्ट्र की एकता और मजबूती का प्रश्न आता है तो भारत सरकार यह नहीं देखती कि कौन सी पार्टी सत्ता में आयेगी। प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा: यह देश के लिए कलंक है, अगर प्रधान मंत्री जी मान गये हैं कि कलंक खत्म हो गया है, मिट गया है, तो मुझे कुछ नहीं कहना। चुनाव का सामना करने से कांग्रेस पार्टी घबराती नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात में कौन सत्ता में आएगा यह महत्वपूर्ण नहीं। लोगों का मतदान में भाग लेना महत्वपूर्ण है? क्या उन्हें विश्वास है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर पायेंगे? क्या उन्हें विश्वास है कि मतदाता सूची में उनका नाम मिलेगा? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यह चुनाव आयोग का कर्तव्य है और इसमें न ही श्री आडवाणी जी और न ही मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। संप्रभु संसद ने उन्हें ही शक्ति प्रदान की है कि वे चुनाव के द्वारा निर्णय दें कि किसी विशेष राज्य में किसे सत्ता सौंपनी है। जब श्री नरसिंहराव सत्ता में थे, चुनाव आयुक्त जम्मू-कश्मीर गये और उन्होने कहा कि चुनाव के लिए यहां स्थिति सामान्य नहीं है। श्री नरसिंहराव कुछ नहीं कर पाये और चुनाव बाद में कराये गये।

निर्वाचन आयोग को निर्णय लेने दें कि वहां चुनाव कल होंगे या परसों किन्तु एक दल के रूप में हमारी यह मांग है कि वहां पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाएं। प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने, मतदाता-सूची में अपना नाम दर्ज करवाने और पहचान पत्र प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनावों का परिदृश्य क्या है? कितने लोगों को पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं? गृह मंत्री को इस सभा को इस बात से अवश्य अवगत करना चाहिए कि पहचान पत्र धारकों का प्रतिशत क्या है। मुझे बताया गया है कि यह 32 प्रतिशत भी नहीं है। बाकी जनता अभी भी अंधेरे में है। उनकी पहचान कौन करेगा? क्या यह सच नहीं है कि गुजरात में आठ जुलाई तक राहत पैकेज उपलब्ध कराए गए और उस तिथि तक अकेले अहमदाबाद में ही 13,553 लोग शिविरों में रह रहे थे? क्या यह सच नहीं हैं-जैसा कि समाचार पत्रों में व्यापक रूप से बताया गया है-कि अपने घरों में लौटने वाले लोगों की हत्याएं की गई। क्या यह सत्य नहीं है कि लोग स्थानीय विरोध के चलते अपने छोटे-छोटे घरो और सिर ढ़कने की जगहों का पुनर्निर्माण नहीं कर सके। ठेकेदारों को वापस लौटा दिया गया क्योंकि वे कुछ नहीं कर सके। क्या यह भी सच नहीं है कि स्वयं सरकार ने इस बात को माना है कि हिंसा की आशंका के कारण मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों की मरम्मत नहीं की गयी? जब अल्पसंख्यक आयोग का एक दल वहां गया तो धारा 144 लगा दी गई। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना निर्देश दिया तथा 1 अप्रैल, 2002 के अपने आदेश में निम्नलिखित बातें कहीं:

> ''इस प्रकार, आयोग इस ठोस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले में 'रैस इप्सा लोकुईनुर' का सिद्धांत लागू होता है तथा राज्य सरकार, 27 फरवरी, 2002 को हुए गोधरा कांड से लेकर अगले कई सप्ताहों तक जारी हिंसा के दौरान गुजरात

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

की जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में व्यापक रूप से विफल रही है।''

यह हमारी टिप्पणी नहीं है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा की गयी टिप्पणी है, जो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रभुत्व-सम्पन्न निकाय है। क्या हम उनकी टिप्पणी को थोड़ा महत्व भी नहीं देंगे? क्या हम मीडिया की टिप्पणी को कोई महत्व नहीं देंगे? क्या हम वहां जाने वाले महिला शिष्टमंडल, जिन्होंने प्रधान मंत्री से मुलाकात की, द्वारा की गयी टिप्पणी का सम्मान नहीं करेंगे? क्या हम कम से कम अभी भी परिस्थिति की गम्भीरता को नहीं समझेंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे पूर्व-नियोजित था। मुख्यमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया था, ने विधान सभा भंग करने के ठीक पांच दिन पहले 26 पुलिस अधिकारियों का उनके संबंधित जिलों से तबदला कर दिया था। इस कार्यवाही के पीछे क्या मंशा थी? यदि वे विधान सभा भंग करने के प्रति इतने आश्वस्त थे तो फिर वे ऐसा कैसे कर सकते थे? वह कौन-सा स्थान है जहां हम पुर्नवास पैकेज पर चर्चा कर सकते हैं? राज्य विधान सभा इसका उचित मंच था। हां, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो पुनर्वास के मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हो सकती है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी अपने उत्तर में हमें यह बताएं कि श्री नरेन्द्र मोदी अब किसके प्रति उत्तरदायी हैं? क्या वह राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। क्या वह संसद के प्रति उत्तरदायी है? निश्चित तौर पर, नहीं। इस प्रकार, हमारी स्थिति क्या है?

उस राज्य में विधान सभा अस्तित्व में नहीं है जिसने प्रधान मंत्री को यह कहने के लिए विवश किया कि 'यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है; जिस राज्य ने श्री एल.के. आडवाणी को यह कहने के लिए मजबूर किया कि 'इस घटना से पाकिस्तान प्रसन्न हैं; जिसने श्री राम विलास पासवान को दु:खी होकर मंत्रिमंडल छोड़ने पर विवश किया तथा जिस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी को यह कहने के लिए मजबूर किया कि 'यह सही समय नहीं है। ' अभी भी वह व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है और आप संसद से यह कहते हैं कि वह मूकदर्शक बनी रहे, को हस्तक्षेप न करे तथा सरकार को किसी प्रकार का दिशा निर्देश और राय न दे।

राज्य में 356 लागू करने का यह उचित समय है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद वहां के प्रशासन पर दिल्ली का नियंत्रण रहेगा परन्तु कम से कम उसकी संवैधनिक मान्यता तो होगी। यदि कुछ अप्रिय घटित होता है तो इस पर हम संसद में चर्चा कर सकते हैं तथा यदि कुछ अच्छा घटित होता है तो हम साथ मिलकर खुशी मना सकते हैं। अन्यथा, इस समय किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा राष्ट्र के प्रति कौन उत्तरदायी होगा? क्या यह एक महत्वपूर्ण मामला नहीं है। क्या गृह मंत्री इस मामले में चुप रह सकते हैं? क्या उन्हें पार्टी का ध्यान न रखते हुए राष्ट्र की शांति, एकता एवं अखण्डता के हित में एक नया आधार नहीं रखना चाहिए? हम गुजरात राज्य को लापरवाही से एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ सकते हैं जो राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होने में विफल रहा हो, जिसे जनता ने मात्र छ: महीने पहले एक प्रतिज्ञा के आधार पर निर्वाचित किया कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा। वह विधान सभा में उपस्थित होने तक के लिए उत्तरदायी नहीं है। और आप कहते हैं कि हमें विधान सभा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हां, मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं कि विधान सभा संबंधी मुद्दों की यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। परन्तु मुख्य मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के आचरण की चर्चा कहां होगी? अगले एक, दो अथवा तीन महीने में चुनाव हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान उनका जो कुछ भी कार्यकलाप रहता है उसके बारे में हमें बताने की जवाबदेही किस पर होगी? यह मात्र एक संवैधानिक प्रश्न नहीं है बल्कि वैसे समय के लिए एक राजनीतिक नैतिकता का भी प्रश्न है जब प्रधान मंत्री यह महसूस करते हों कि गुजरात में जो कुछ भी घटित हुआ वह राष्ट्र के लिए शर्म की बता है।

बहुत ही अच्छे लोगों द्वारा दो चुने हुए जिलों का सर्वेक्षण कराया गया था। उनकी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने पंचमहल और दाहोद के दो जिलों को चुना था तथा मात्र कुछ दिन पहले, 8 जुलाई से 11 जुलाई तक आंकडे एकत्रित किए थे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि चार दिनों के दौरान 3,500 परिवारों के मुखियाओं का साक्षात्कार लिया गया तथा आंकड़ों की छंटाई के पश्चात् 3261 मामलों का विश्लेषण किया गया। यह संख्या राहत शिविरों में पंजीकृत परिवारों की 60 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी बताया कि 478 मिलियन रुपये की संपति की क्षति हुई है और पीड़ितों को दी जाने वाली क्षति पूर्ति मात्र 5 प्रतिशत है। दंगा पीड़ित लोगों के लगभग 27 करोड़ रुपये की चल सम्पति का नुकसान हुआ है और प्रति परिवार अनुमानित औसत हानि लगभग 90,244 रुपये है। क्या श्री एल.के. आडवाणी इस सभा को बता सकते हैं। कि गुजरात दंगों के पीड़ित प्रत्येक परिवार के दी गयी औसत क्षति पूर्ति राशि, सरकारी रिकार्डों के अनुसार, 20,000 रुपये से अधिक है?

अपराह्न 3.00 बजे

ये मुद्दे हैं जिनका उत्तर सरकार को देना चाहिए।

अंत में, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। हम सभी सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सरकार के

साथ हैं। हम पाकिस्तानी अभियान का मुकाबला करने के लिए एकजुट हैं। गृह मंत्री और प्रधान मंत्री बहुत चिन्तित हैं जब वे कहते हैं कि इस देश में आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए विदेशों से किए जा रहे सभी प्रकार के वित्तपोषण बंद किए जाने चाहिए। चाहे वे अलकायदा, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जमाते इस्लामी अथवा किसी अन्य गुट के लिए हो। यह सुनिश्चित करने के लिए हम सरकार के साथ हैं कि इसे देश से समूल नष्ट किया जाए। परन्तु 22 जुलाई, 2002 के 'आउटलुक' में छपी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो सरकार से इसमें आचरण को स्पष्ट करने तथा लगाए गए अरोप पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग करती है। शीर्षक है "डिफ्लेक्शन्स टु द राइट।"

> "दी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम' ने गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा पर एक बैठक की तथा अमेरिका ने इस पर अपना जवाब दिया। इसमें साक्ष्य देने वालों में से एक रार्बट एम. हेथावे थे।"

महोदय, मैं अपने सहयोगी, श्री कमल नाथ का समय नहीं लूंगा और जल्दी ही इस मुद्दे से आगे बढ़ूंगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि दो भारतीयों द्वारा गठित 'इंडियन डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड (आई.डी.आर.एफ.) नामक एक संगठन ने भारी धनराशि एकत्रित की और यह धनराशि भारत भेजी गयी। श्री येरननायडू, सावधान हो जाइए और अपने मुख्यमंत्री से बात कीजिए। आई.डी.आर.एफ. ने पिछले चार वर्षों में 'सेवा भारती मध्य क्षेत्र' तथा हैदराबाद स्थित एक अन्य संगठन 'केशव सेवा समिति' को 2,50,000 डालर की राशि दान दी है और अंततः यह स्वीकार किया है कि ये निधियां राष्ट्रीय सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद को कट्टरपंथी गतिविधियां को जारी रखने के लिए हस्तांतरित की गयी है। इसमें यह कहा गया है कि:

> "मुझे यह जानकारी है कि कुछ संगठनों का जिनका हम वित्तपोषण करते हैं आर.एस.एस. और विहिप के साथ संबंध हैं।" तत्पश्चात् उन्होंने इन संबंधों को मुद्दा न मानने से इनकार कर दिया।"

कौन? इस वित्तपोषण के पीछे जिस भद्र व्यक्ति का दिमाग था वह श्री विनोद प्रकाश है। वह और उनकी पत्नी संभवतः कुछ राहत कार्य के लिए भारत आए और उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी एक चेक दिया। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक खूबसूरत फोटो है। परन्तु भारतीयों में जिन्होंने इस विधि में योगदान दिया है, ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। आपने हमसे देश के किसी अच्छे कार्य के लिए पैसा लिया तथा हम यह जानना चाहते हैं कि वह पैसा कहां गया। धन इस तरह से आया है। मैं गृह मंत्री से मांग करता हूं वो हमें इन तीन संगठनों द्वारा प्राप्त की गई दानराशि वह प्रयोजन जिसके लिए यह खर्च की गई का ब्यौरा तथा लेखा परीक्षित रिपोर्ट उपलब्ध करावें। ये संगठन हैं-'सेवा भारती मध्य क्षेत्र', हैदराबाद स्थित 'केशव सेवा सीमति' तथा विश्व हिन्दू परिषद द्वारा हाल ही में शुरू किया गया संगठन, 'एकल विद्यालय।' ये सभी बातें आयोग के समक्ष आरोप के रूप में आ रही हैं। यह बताया गया है कि इसका संबंध गुजरात में हुई हिंसा से भी है।

अंत में, मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह यह स्पष्ट करें कि गोधरा में जो रेल डिब्बा जला, उसके संबंध में फारेंसिक रिपोर्ट वस्तुतः क्या है। इसे सभा पटल पर रखा जाए। सभा को इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। हम किसी गुट पर किसी तरह का आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। हम निष्पक्ष जांच करते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आग अंदर से लगी थी अथवा बाहर से, इस संबंध में फारेंसिक एजेन्सी की टिप्पणी क्या है। जांच में फारेन्सिक एजेन्सी को श्रीमती सोनिया गांधी ने शामिल नहीं किया। जांच कार्य की निगरानी तो गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार कर रही है। ऐसा श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा अथवा श्री चन्द्रबाबू नायडू की सलाह पर नहीं किया गया। आपको सभा को उत्तर देना होगा। क्या फारेंसिक जांच से कोई ऐसी बात सामने आयी है जिसके व्यापक और सनसनीखेज परिणाम निकलते हों। आखिरकार, चाहे कोई हिन्दू हो या मुसलमान, हम सब गुजरात की जनता में पूर्ण एकता चाहते हैं।

चुनाव जब होने होंगे वे हो जाएंगे। हम सभी उसमें भाग लेंगे। हम प्रजातांत्रिक संस्थाओं को स्वीकार करेंगे। परन्तु इसके नाम पर, धर्म के नाम पर और साम्प्रदायिक कटुता के नाम पर वाहवाही लूटने का प्रयास न करें। इससे एक दल सत्ता में तो आ जाएगा, परन्तु इससे संप्रभुता संपन्न प्रजातंत्र संकट में पड़ जाएगा। प्रजातंत्र में निहित सद्भावना को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जा रही है जिसका सपना और आर.एस.एस. का स्वप्न एक ही है अर्थात् न्यायपालिका व संसद का कोई अर्थ नहीं, सिर्फ हिन्दुत्व सर्वेसर्वा है। 'हिन्दुत्व' शब्द हिन्दू दर्शन और धर्म की गरिमा को मिटा नहीं सकता। हजारों और करोड़ों गुजरातवासियों ने धर्म को प्रेम और स्नेह के लिए अपनाया। वे धर्म को उस तरीके से नहीं अपनाते जिस तरीके को श्री मोदी निर्देशित करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की एक रथ यात्रा से श्री मोदी का पाप धुल नहीं सकता। उन्हें जाना होगा और सरकार को गुजरात में अनुच्छेद 356 लागू करना होगा।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नियम 193 के अधीन श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रारंभ की गई चर्चा गुजरात में दंगा पीड़ितों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के बारे में है। गुजरात मुद्दे को हम एक सभा में दो बार नियम 193

[श्री के. येरननायडू]

के अधीन और नियम 184 के अंतर्गत उठा चुके हैं। दोनों ही बार टी.डी.पी. के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था और हमने अपने विचार भी रखे थे।

गोधरा कांड वाले दिन, मेरे मुख्यमंत्री श्री चन्द्र बाबू नायडू ने सभा में चर्चा आरम्भ होने से पहले भी इस घटना की निंदा की थी। उन्होंने गुजरात में तत्पश्चात् घटी हिंसा की भी निंदा की थी। गुजरात में हुई हत्याओं की सभी राजनैतिक दलों ने सभा में दोबारा निंदा की थी। ये घटनाएं निंदनीय हैं। ये घटनाएं बर्बर प्रवृति की हैं और ये बहुत ही घृणित अपराध हैं। टी.डी.पी. एक ऐसा दल है जो धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक न्याय के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है।

अपराह्न 3.07 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

उस समय टी.डी.पी. ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लिया था। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री अहमदाबाद गए, उन्होंने पूरी स्थिति की समीक्षा की और निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो कुछ भी हुआ वह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। माननीय प्रधानमंत्री का यह आंकलन था। संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट होना चाहिए। हमें अहमदाबाद और गुजरात के अन्य भागों में, दंगा पीड़ितों की सहायता करनी होगी। नियम 184 के अंतर्गत टी.डी.पी. की ओर से हमने यह मांग की थी कि गुजरात में कानून-व्यवस्था को नियंत्रण में लाया जाना चाहिए; शांति और सामान्य स्थिति बहाल होनी चाहिए तथा दंगों पीड़ितों को राहत तुरंत उपलब्ध करायी जानी चाहिए और इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। इस मांग पर, जिसकी अन्य दलों ने भी मांग की थी, माननीय प्रधानमंत्री ने राहत हेतु 150 करोड़ रुपये की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार अब तक 95 प्रतिशत पुनर्वास कार्य पूरा हो गया है किन्तु उन्होंने मात्र 62 करोड़ रुपये ही व्यय किए हैं। भारत सरकार ने 150 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। समाचार पत्रों की रिपोर्ट कहती है कि लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। उन्हें राहत व पुनर्वास सुविधाएं तत्काल नहीं मिल रही हैं। लोग अभी भी बेघर हैं। रिपोर्टों के अनुसार लोग अभी भी बेघर हैं। कुछ लोग अस्पतालों में रह रहे हैं। कुछ लोग जबरन घरों को भेज दिए गए हैं। प्रतिदिन यही रिपोर्टें पढ़ी जा रही हैं। वर्तमान स्थिति में, चुनाव कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। गुजरात विधान सभा के दसवें चुनाव कराने के लिए हमारे पास और सात महीने बाकी हैं। मेरे दल का विचार है कि राहत व पुर्नवास कार्य तुरन्त उपलब्ध कराना समय की मांग हैं। हमें लोगों में विश्वास पुन: कायम करना होगा। हमें सहानुभूतिपूर्वक राहत कार्य करने चाहिए।

चुनाव निर्णायक होते हैं। यदि हम चुनाव कराना चाहते हैं तो पूरे राज्य में शांति व सौहार्द स्थापित होना चाहिए। हमें लोगों को राहत उपलब्ध करानी चाहिए। सामान्य स्थिति बहाल होनी चाहिए। लोग बेखौफ आने-जाने चाहिए। वे खुश होने चाहिए। चुनाव आने पर लोग प्रसन्न होने चाहिए। उन्हें बेखौफ होकर अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। उन्हें अपने मत का उपयोग करना चाहिए। अत: इस स्थिति में मेरा दल यह महसूस करता है कि इस समय विधान सभा को भंग करना और चुनाव कराना गुजरात में प्राथमिकता नहीं है। यह मेरे दल की राय है। खैर, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने अपना त्याग पत्र दिया और गुजरात की विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। माननीय राज्यपाल ने भी उसे मंजूर कर लिया। अब निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है। हमें निर्वाचन आयोग पर दवाब नहीं डालना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग यह निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है कि स्थिति चुनाव कराए जाने योग्य हैं या नहीं; क्या चुनाव स्थिति की मांग है; क्या मतदाताओं के पास पहचान पत्र हैं; क्या वे प्रसन्न हैं; क्या राहत व पुनर्वास कार्य पूरा हुआ है या नहीं। अत:, यह पता करने के लिए उनके पास बहुत ही एजेंसियां हैं। यह एक निर्णायक दौर है जब चर्चा चल रही है। मेरे विचार से राहत व पुर्नवास कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमने पहले ही इसकी मांग की है। हमने उदार राहत जैसी कई मांगें की थी। हमने यह मांग भी की थी कि कानून-व्यवस्था को नियंत्रण में लाया जाना चाहिए और स्थिति सामान्य करने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी प्रकार, नियम 184 के अंतर्गत भी हमने कई मांगे की थी। अब स्थिति भिन्न है।

आमतौर पर हम चुनावों को रोक नहीं सकते हैं। प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के उपरांत चुनाव कराए जाने होते हैं किन्तु अभी, हमारे पास समय हैं। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें राहत व पुनर्वास कार्य प्रारंभ करना चाहिए। हमें जनता को प्रसन्न रखना होगा। जनता ही चुनावों की मांग करें। उन्हें चुनावों के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए कि हम एक जुट हैं, हम बहुत खुश हैं; और हम एक साथ चलेंगे। जनता की ओर से ऐसा संदेश आना चाहिए। इसीलिए, हमारे विचार से चुनाव प्राथमिकता नहीं है। किन्तु फिर भी, संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसलिए यह हम निर्वाचन आयोग पर छोड़ रहे हैं। इस बीच, हम खामियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। गुजरात सरकार द्वारा राहत व पुनर्वास के कौन से कार्य किए गए हैं? राहत व पुनर्वास के संबंध में भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? हम यह महसूस करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए हमें सभी एहतियाती उपाय करने होंगे। प्रभावित लोगों को राहत व पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए हमें सभी कदम उठाने होंगे। इसलिए हमें इसे निर्वाचन आयोग पर छोड़ देना चाहिए। अत: मेरा दोनों ही पक्षों से इसे ध्यान में रखने का अनुरोध है। हर कोई निर्वाचन आयोग जाकर अपना-अपना प्रत्यावदेन

दे रखा है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। यह संप्रभु निकाय है। यह देश में 1952 से चुनाव करा रहा है। अत: देश, गुजरात और गुजरात की जनता के हित में यह अपनी राय दे सकता है। इसलिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार को किन्ही और शिकायतों का इंतजार किए बिना राहत तथा पुनर्वास संबंधी आवश्यक कदम तुरन्त उठाने चाहिए। चाहे मानवाधिकार आयोग हो या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो या फिर सर्वदलीय शिष्टमण्डल हो, गुजरात में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वहां की स्थिति से संतुष्ट होना चाहिए। किसी को भी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। राहत उपलब्ध कराने व पुनर्वास व्यवस्था करने के लिए सभी को कदम उठाने चहिए। हमें इसे निर्वाचन आयोग पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि चुनाव करवाने के लिए वही बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

जब गुजरात पर यह चर्चा स्वीकार की गई थी तो उस समय असल सवाल था पुनर्वास का। लेकिन इसी बीच में गुजरात विधान सभा भंग हुई और नई परिस्थितियाँ पैदा हो गई। कल अध्यक्ष जी ने दोनों पक्षों से बात करने के बाद यह सुनिश्चित किया कि गुजरात के सभी पहलुओं पर आज चर्चा हो जाए।

कहां चले गए किरीटी सोमैया-उन्होंने बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया। मैं इनकी भावनाओं का बुरा नहीं मानता क्योंकि असत्य बोलने में जितने ये माहिर हैं, दुनिया में उतना कोई और नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: उपाध्यक्ष महोदय, किरीट जी ने जो भी कहा है, यदि ये उसे गलत साबित कर दें...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, हर बात के लिए क्या इस प्रकार से इनका बीच में उठना जरुरी है।...*(व्यवधान)* आप हाउस को व्यवस्थित कीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने पत्थर के गणेश जी को पूरे हिन्दुस्तान में दूध पिला दिया। इस मामले में ये जितने माहिर हैं, दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। गोधरा की घटना हुई, जिस दिन यह घटना हुई और फिर साम्प्रदायिक तनाव हुआ, उसी दिन से सत्तापक्ष द्वारा यह कहा जाता है कि प्रतिपक्ष ने गोधरा कांड की निंदा नहीं की थी। यह सही नहीं है। इस बारे में इनका भ्रम दूर हो जाना चाहिए। गोधरा कांड में जो कुछ हुआ वह बहुत दुखद है। जिन लोगों ने यह कांड किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गोधरा के बाद पूरे सूबे में साम्प्रदायिकता का जो नंगा नाच हुआ, बेगुनाहों की जान ली गई, बेगुनाहों को मारने का काम किया गया, यह कहां तक न्यायसंगत है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां जो खून-खराबा हुआ उसे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जनाकृष्णमूर्ति जी ने जस्टीफाई किया। उन्होंने कहा कि मंदिर आन्दोलन से हिन्दुओं में जो जागृति उपजी है, उसी का परिणाम गुजरात का साम्प्रदायिक दंगा है। एक नहीं इनके तमाम नेताओं ने यह दोहराया है कि मंदिर आन्दोलन से हिन्दुओं में जो जागृति पैदा हो गई है, उसने गुजरात में बेगुनाहों की जान लेने का काम किया।

महोदय, गुजरात में जब के.पी.एस. गिल को भेजा गया, उन्होंने वहां के आल्हा अफसरान से चर्चा की और पूछा कि 27 तारीख की घटना के बाद प्रशासन इतना निष्क्रिया क्यों रहा। वहां के बड़े अफसरों ने बताया कि 27 तारीख की रात को गुजरात के मुख्य मंत्री ने एक बैठक की और हमें जो आदेश दिए, उन्हीं का हमने पालन किया था यानी आल्हा अफसरान के मुताबिक प्रशासन इसलिए निष्क्रिया रहा क्योंकि वहां के मुख्य मंत्री ने ऐसा करने को कहा।

अब कहा जा रहा है कि गुजरात में शांति बहाल हो गई है, गुजरात में पुनर्वास हो गया है और ये बहुत खुश हैं। मैं 14 तारीख को अहमदाबाद गया था। जो कैम्प थे उन्हें जबरिया बन्द किया गया है। लोग कैंप छोड़कर अपने घरों को जाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं स्वैच्छिक संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर उन्होंने मदद नहीं की होती और राहत के लिए खाली सरकार के भरोसे रहते, तो एक भी शिविर नहीं चल सकता था। उस काम में वहां के एन.जी.ओज. ने मदद की थी। आज जो कैम्प चल रहे हैं वे सरकार अपनी मर्जी से नहीं चला रही है बल्कि न्यायालय के फैसले के अनुसार चल रहे हैं। दरिया खान गुम्मद कैंप स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है। वहां अभी भी 2112 लोग हैं। दूसरा कैंप दानी लिमड़ा है जहां 512 लोग हैं और एक कैम्प कालूपुर हज हाउस में है जहां 2500 लोग हैं। ये वे लोग हैं जो कैम्प बन्द करने के बाद किसी भी हाल में अपने घरों को जाने को तैयार नहीं हैं। कहा जाता है कि लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। इससे असत्य दुनिया में और कोई बात नहीं हो सकती। जिस माहौल और जिस परिस्थिति में कैम्पों में लोग रह रहे हैं,

[श्री रामजीलाल सुमन]

मैं समझता हूं कि वह नर्क से ज्यादा खराब जगह है। अधिकांश कैम्प स्कूलों में थे, कुछ कब्रिस्तान में और कुछ मस्जिदें में थे। किस तरह से लोगों को शौच के लिए, नहाने के लिए, पीने के पानी के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था रही होगी, उसकी कल्पना की जा सकती है। ये लोग दौलत देने की बात कहते हैं, प्रति व्यक्ति कैम्प में एक आदमी को खाने के लिए 7.50 रुपये दिये गये हैं। जिन कैम्पों में संख्या भी ज्यादा थी, उस संख्या के हिसाब से वहां गल्ले का आबंटन नहीं हुआ, बहुत कम आबंटन गल्ले का उन कैम्पों में हुआ। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके मार्फत कहना चाहूंगा, क्या यह बात सही नहीं है कि जो लोग शिविरों से वापस जा रहे थे, उनका कत्ले आम हुआ। कोई दिन ऐसा नहीं है, जिस दिन गुजरात में कहीं न कहीं किसी के मारे जाने की घटना अखबारों में न छपी हो। क्या यह सही नहीं है कि कैम्प बन्द कर दिये गये हैं तो अधिकांश लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा पा रहे। ईंट, पत्थर मारकर तमाम लोगों को गांवों से भगाया गया है। तमाम लोगों से माफीनामा लिखवाया गया है, तमाम मुसलमानों से कहा गया है कि आप गांव में रह सकते हो, लेकिन जोर से अजान नहीं पढ़ोगे, बाहर से मौलवी तुम्हारे यहां नहीं आयेगा और हमारे गांव में तुम मुसलमान बनकर नहीं, हिन्दू बनकर रह सकते हो। उस परिस्थिति में यह कहा जाये कि गुजरात में भरोसा कायम हो गया है, विश्वास बहाल हो गया है, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा शर्म की बात कोई दूसरी हो सकती है।

प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा कि हम गुजरात में पीड़ित लोगों के लिए 150 करोड़ रुपये देंगे। मैं नहीं जानता कि पुनर्वास कहां हो रहा है, मैं कुछ नमूने आपके सामने पेश करना चाहता हूँ या कितने लोगों को पुनर्वास के नाम पर चैक मिले हैं, उनकी प्रतियां मेरे पास हैं और इनमें मुनीरभाई टीबाभाई, बापूनगर का पूरा मकान ध्वस्त हो गया और यह 50 रुपये का चैक इस आदमी को पुनर्वास के नाम पर मिला है। क्या इससे ज्यादा शर्म की बात कोई दूसरी हो सकती है?...*(व्यवधान)* ये चैक रखे हैं, आप पढ़ लेना। आप मुझसे चैक ले लेना, ये चैक मेरे पास हैं। मैं इन्हें सदन के पटल पर रख दूंगा।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: यह पैसा मकान का नहीं है, जो कैम्प में दिया गया है, यह पैसा उसका है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हैं। उत्तर देते समय वे इसे सही कर देंगे। आप क्यों चिंतित हैं?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: यह किसी का भी चैक हो, ये पुनर्वास के नाम पर मिले हैं। इससे ज्यादा कोई बड़ा मजाक हो सकता है। दूसरा, नूर मौहम्मद, बापूनगर का है, इनको 350 रुपये का चैक मिला है, इनका पूरा मकान ध्वस्त हो गया। 212 रुपये का चैक पन्ना स्टोर, बापूनगर को मिला है, इनका पूरा मकान ध्वस्त हो गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए यहां हैं। वे सही पाठ उपलब्ध काराएंगे। आप चिंतित क्यों हैं?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: कोई भी जगह हो, 50 रुपये की राज्य सरकार द्वारा मदद देना, इमदात देना, इससे ज्यादा क्रूर मजाक कोई दूसरा हो सकता है क्या?

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: इसका मंत्री जी जवाब देंगे, उससे मना नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने अहमदाबाद का दौरा किया है, इन्होंने भी किया है और यह सारी जानकारी ये भी रखते हैं। आप कुछ भी कैसे कह सकते हैं, इनीशियली पहले जो सहायता दी गई थी, ये उसके चैक हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती ठक्कर, अब व्यवधान उत्पन्न न करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने के बाद इन चैकों की प्रति सदन के पटल पर रख दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास समय नहीं है। महोदया, क्या आप सुनेंगी?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: इन्हें क्यों चिन्ता हो रही है, आप कुछ करोगे भी नहीं और सुनना भी नहीं चाहेंगे। इतना नहीं, यह मौ. शफीक वल्दियत अब्दुल हमीद शेख मालिक शैवान दरगाह,

बापूनगर को 100 रुपये का चैक मिला है। प्रधानमंत्री वहां कहकर आये थे कि किसी को मकान बनाने के लिए 50 हजार रुपये से कम नहीं मिलेगा और वित्तीय संस्थाएं बड़े उदार भाव से आपको मदद देंगी, इमदाद देंगी। क्या मदद दी जा रही है, वह मैं पढ़ना चाहूंगा। बैंक से ऋण देने को सोने की चांदपोल, अहमदाबाद ने मना कर दिया। लघु कुटीर उद्योग विभाग से 1.90 लाख रुपये का ऋण मंजूर हुआ और जब ऋण मंजूर हुआ तो उससे कहा गया कि 60 परसेंट आप एफ.डी. जमा करिये और दो सरकारी मुलाजिमों की गवाही दीजिए। तब जाकर आपको ऋण मिल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, उदार भाव से वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं मिलेगा, लोगों के साथ पुनर्वास के नाम पर मजाक किया जाएगा, लोगों में दहशत का वातावरण है और ये कहते हैं वहां स्थिति शांतिपूर्ण है। प्रियरंजन दासमुंशी जी, हम देवता नहीं हैं कि चुनाव में कुछ भी परिणाम आ जाएं। चुनाव सबसे बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन चुनाव से भी अहम् सवाल है लोगों में भरोसा कायम हो। मैं आरोप लगाना चाहता हूं गुजरात में जो वातावरण तैयार किया गया है, वह सिर्फ यह है कि गुजरात के मुसलमानों में इतनी दहशत पैदा कर दी जाए कि वे चुनावों में भाग ही न ले सकें। सत्ता पार्टी जो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसको चुनाव जीतने का मौका मिल जाए। इतनी ही बात है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, सत्य कड़वा होता है, ये सही बात नहीं सुनना चाहते। गुजरात में स्थिति सामान्य नहीं है। अब ये गौरव यात्रा निकालने वाले थे। उसको गृह मंत्री जी हरी झंडी देने वाले थे। इनका जो पुराना धंधा था, जिसकी वजह से बी.जे.पी. की ताकत में इजाफा हो गया और ये जीत गए, उसी कार्य को ये फिर शुरु करना चाहते थे। लोगों में तनाव पैदा करने का काम ये फिर कर रहे हैं। आडवाणी जी की प्रमोशन भी इसी वजह से हुई थी। उत्तर प्रदेश में इनके अध्यक्ष भी इसी लिहाज से बनाए गए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी जो तब्दीली होगी, शायद उमा जी को अध्यक्ष बनाया जाए। भूख, प्यास और लाचारी के सवाल पर ये कुछ नहीं करेंगे। इनके पास अब सामाजिक तनाव पैदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये गौरव यात्रा निकालने वाले थे, किस बात का गौरव, कौन से गौरव का काम वहां के मुख्यमंत्री ने किया है, यह समझ में नहीं आता। इस हिन्दुस्तान में क्या अक्लियतों में दहशत फैलाना गौरव की बात है, क्या मुसलमानों को मार जलाना गौरव की बात है? आप देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। यह राष्ट्रीय दुष्कर्म है, जो आप करना चाहते हैं। तनाव पैदा करना इस देश में किसी की बपौती नहीं है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनी थी। उसमें हिन्दू, सिख, ईसाई और मुसलमान सभी लोगों ने देश के लिए अपना खून बहाया था। तब हम आजाद हुए थे। यह आजादी हमें कोई विश्व हिन्दू परिषद या आर.एस.एस. की वजह से नहीं मिली थी। आजादी मिली थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब हर वर्ग के लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, तब आजादी मिली। आज ये लोग हिन्दू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। इनके द्वारा इस देश में हिन्दुत्व का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा ये मुसलमानों के ही दुश्मन नहीं हैं, ये हिन्दुओं के भी दुश्मन हैं। गुजरात में सारा कारोबार ठप हो गया है। वहां के सामाजिक तनाव से जो लोग बेघर हुए हैं, उनका धंधा भी चौपट हुआ है। छः हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आपको अच्छा लग रहा है चुनाव में जाना, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी, कोई अच्छा परिणाम इस चुनाव में निकलने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपस में बात न करें।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री लिंगदोह का एक अंग्रेजी पत्रिका में साक्षात्कार छपा है, उसमें उन्होंने कहा है कि गुजरात में जल्द चुनाव कराना कुछ मूर्ख लोगों की कयासबाजी हो सकती है। यह चुनाव आयुक्त का दृष्टिकोण है, वहां चुनाव कराने में। लेकिन इनको बहुत जल्दी है वहां चुनाव कराने की। गुजरात में क्या हो रहा है, यह सब जानते हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इन्होंने गुजरात में जाने से मना कर दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवाधिकार से सम्बन्धित एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने प्रार्थना की थी कि गुजरात में हालात क्या हैं, हम उसको वहां जाकर देखना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने अनुमति नहीं दी। आपका क्या कुकर्म है, क्या पाप हैं, जिनको आप छिपाना चाहते हैं, गुजरात में आपने जो कुछ किया है, उसकी जानकारी दुनिया को न होने पाए, यह कुकर्म भी आप लोग कर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। सदन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह जी बैठे हैं और समाजवादी पार्टी सिद्धान्ततः धारा 366 के खिलाफ है इस समय गुजरात में जो वातावरण बना हुआ है, उसके चलते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री नहीं हैं, नरेन्द्र मोदी एक तानाशाह है। नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा गुजरात में प्रायोजित ढंग से दंगा हुआ है। नरेन्द्र मोदी अगर कोई है, तो दंगाई है, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। आप लोग पोटा की बड़ी वकालत कर रहे थे, उसी पोटा के अन्दर श्री वैको को जेल में बन्द कर दिया। आप नरेन्द्र मोदी के खिलाफ पोटा प्रयोग करें और पोटा यूज करें विश्व हिन्दू परिषद के खिलाफ, विश्व हिन्दू परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि आस्था के सामने कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। आप पोटा इनके खिलाफ क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? ये देश को

[श्री रामजीलाल सुमन]

तोड़ने वाले लोग, जिनके खिलाफ पोटा का इस्तेमाल होना चाहिए, उनके खिलाफ सरकार पोटा यूज नहीं कर रही है। भाजपा के नए अध्यक्ष, श्री वेंकैयानायडु जी ने कहा है–मेरे एक हाथ में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन का एजेंडा होगा और दूसरे हाथ में भाजपा का झण्डा होगा। प्रभुनाथ सिंह जी, न इनके हाथ में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन का एजेण्डा होगा और न बीजेपी का झण्डा होगा, आपने आर.एस.एस. और विश्व हिन्दू परिषद की गुलामी की है और उन्हीं के कार्यक्रमों को लागू करना तुम्हारी मजबूरी होगी। इस बात को पूरी दुनिया जानती है।

महोदय, आज को परिस्थितियों में गुजरात का वातावरण किसी भी तरह से चुनाव के पक्ष में नहीं है। जहां तक सरकार का सवाल है, कल इसी सदन में इस विषय पर व्यवधान हुआ था। हम लोग व्यवधान करना नहीं चाहते हैं। यह बात सही है, तीन-चार बार गुजरात के सवाल पर सदन में चर्चा हुई है, लेकिन चर्चा से कोई सार्थक हल निकले, सरकार का रवैया सकारात्मक हो, तो हमें कोई शौक नहीं है कि एक ही सवाल पर हम सदन में बार-बार चर्चा करें। लेकिन बहुमत के बल पर यह दादागिरी किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं की जाएगी। गुजरात में जो कुछ हो रहा है, उसको देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार का कोई अर्थ नहीं है, चुनाव आयोग क्या सोचता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, राज्य सभा में क्या कहा है उसका कोई-कोई अर्थ नहीं है, लोक सभा में क्या कहा है उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपके द्वारा विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, यह दादागिरी नहीं है, तो और क्या है। इस प्रकार के काम बराबर ये लोग करे रहे हैं, ये जानते हुए कि चुनाव आयोग की क्या सीमायें हैं और उसको क्या अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार आयोग को पूरा हक है राज्य में चुनाव कराने का कौन सा समय उचित है। यह काम चुनाव आयोग का है कि वह समय तय करे। इसका अधिकार न नरेन्द्र मोदी को है और न अटल बिहारी वाजपेयी जी को है। गुजरात में इस समय चुनाव कराना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। वास्तव में देखा जाए, तो गुजरात में इस समय चुनाव कराना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। वास्तव में देखा जाए, तो गुजरात में चुनाव कराना एक प्रयोग है। गुजरात में ये प्रयोग के तौर पर चुनाव कराना चाहते हैं, जबकि इनके पास न कोई नीति है, न कई सिद्धान्त है और न कोई कार्यक्रम है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए और न पूरे देश के विकास के लिए इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। गुजरात के चुनाव को ये एक प्रयोग के तौर पर भविष्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।

महोदय, सरकार द्वारा गुजरात में चुनाव कराने का जो प्रयास हुआ है, इसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। हम चाहते हैं कि गुजरात में चुनाव राष्ट्रपति शासन लगाकर कराए जायें, जिससे गुजरात की जनता में विश्वास हो और निष्पक्ष चुनाव हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन श्री बसुदेव आचार्य और श्री रामजीलाल सुमन जी ने सदन में गुजरात में दंगा पीड़ितों के लिए राहत और उनके पुनर्वास के बारे में चर्चा उठाई हैं। मैंने आज सुबह श्री बसुदेव आचार्य जी का भाषण सुना और अभी श्री रामजीलाल सुमन जी का भाषण सुना। नियम 193 के अंतर्गत जो विषय है, उस सब्जैक्ट को पूरा छोड़कर उसकी राजनीतिक चर्चा बसुदेव आचार्य जी और रामजीलाल सुमन ने की है। अगर हाउस में 193 के आधीन यह चर्चा होती, कि गुजरात में दंगा-पीड़ितों को कैसे राहत दी जाए, उनके पुनर्वास के लिए क्या किया जाए, ऐसी कोई सूचना ऊधर से मिलती तो अच्छा होता, लेकिन यह नहीं हुआ। पूरी चर्चा राजनीतिक हुई, यह अच्छा नहीं हुआ।

महोदय, गुजरात के ऊपर अब तक इस सदन में दो-तीन बार चर्चा हुई है। गोधरा, गुजरात में घटना हुई, उसके बाद साम्प्रदायिक दंगे भड़के। गुजरात में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उसमें न हिन्दू मरे, न ईसाई और न ही मुसलमान मरे, अगर वहां कोई मरा है तो गुजरात और हिन्दुस्तान की इंसानियत मरी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस लोक सभा में जो बयान रखना था, वह उसके पहले दो-तीन बार चर्चा में रखा गया है। अगर गोधरा कांड न होता तो गुजरात की कभी ऐसी हालत न होती। अगर गोधरा एक एक्शन है तो उसके बाद गुजरात में जो हुआ वह रिएक्शन है और अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा ही।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): यह मानसिकता है। ...*(व्यवधान)* नेताओं ने स्वीकार किया कि यह गलत है, हम ऐसा नहीं सोचना चाहते। फिर वही बातें दोबारा हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: मैंने सब लोगों का भाषण सुना है, अब हमें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* गोधरा की घटना दर्दनाक और शर्मनाक हुई है।...*(व्यवधान)* एक्शन हो तो रिएक्शन होता ही है।...*(व्यवधान)* आप कड़वा सत्य सुन लीजिए।

महोदय, गोधरा में साबरमती एक्सप्रैस पर जो हमला हुआ, उसका पहुंचने का टाइम सुबह 7 बज कर 43 मिनट था और डिपार्चर टाइम सात बजकर 48 मिनट के लगभग था। मैं एम्पावरमेंट ऑफ वूमैन कमेटी का सदस्य हूं। मैंने गुजरात में विजिट किया है। साबरमती एक्सप्रैस ट्रेन को एक किलोमीटर दूरी पर रोका गया। 2000 लोगों की एक भीड़ आई उनके हाथ में पत्थर पैट्रोल, डीजल और कैरोसिन के डिब्बे थे। बोगी नम्बर एस 6 को पूरी

तरह जलाया गया, खत्म कर दिया गया। उनका क्या कसूर था? बेबस महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों को जलाया गया।...*(व्यवधान)* मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से सवाल है। हमने आपका भाषण सुना, वह मुस्लिम वोट लेने के लिए था गोधरा हत्याकांड में 26 महिलाएं, 12 बच्चे और 20 आदमी मारे गए थे। इन बेकसूर लोगों को क्यों जलाया गया, यह मेरा आपसे सवाल है। गुजरात सरकार ने क्या किया? गुजरात में 59 लोग विक्टिम हुए। उनमें से 42 लोगों को मदद दी गई लेकिन 17 लोग अभी तक आइडैंटिफाई नहीं हुए। इसके बाद गुजरात बंद का ऐलान हो गया। दो जुलाई को एम्पावरमैंट कमेटी ने लूनावाढ़ा कैम्प का दौरा किया था। हमने वहां लोगों से पूछा कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। सब ने यही कहा कि वातावरण अच्छा है लेकिन हम घर जाना चाहते हैं। पंढरवाला में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संभुपगी जो आदिवासी आदमी था, उसे और उसके भाई को काट दिया लेकिन इसकी चर्चा किसी ने नहीं की। मैंने लूनावाढ़ा कैम्प में विजिट किया था। एम्पावरमैंट कमेटी जिस की चेयरमैन अल्वा जी हैं, वह इस बारे में बताएंगी।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं असलियत बता रहा हूं जिस ये लोग सुनना नहीं चाहते। मैंने लूनावाढ़ा कैम्प में जब विजिट किया तो बुराण भाई और सौज मोहम्मद से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि रिलीफ कैम्पस में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। 7 मार्च से वहां रिलीफ कैम्प चल रहा है और वहां बहुत से लोग रहते थे। 30 जून को वह रिलीफ कैम्प बंद हुआ। हमने 2 जुलाई को वहां विजिट किया था। लूनावाढ़ा कैम्प में 2400 लोग रहते थे। कैम्प में रहने वाले लोगों से जब पूछा कि क्या यहां पानी, दवा की कमी और टॉयलट की समस्या तो नहीं है तो सब ने यही कहा कि सब इंतजाम अच्छा है और किसी बात की कोई कमी नहीं है। बुराण भाई जो खानपुर के रहने वाले हैं उन्हें 50 हजार रुपए मिले। अभी रामजीलाल सुमन रह कह रहे थे कि उन्हें 50-100 रुपए का चैक मिला है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसके अलावा सोज मोहम्मद को 25 हजार रुपए मिले जो खानपुर के रहने वाले थे।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): डिप्टी स्पीकर साहब, जब ये इतने बड़े अमांउट का जिक्र कर रहे हैं तो जिनको 2 रुपये का चैक दिया गया, उनका नाम भी बताना चाहिये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, इन्हें उस समिति का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जिसके कि ये सदस्य हैं। समितियों का सभा में कभी भी उल्लेख नहीं किया गया। यदि वे अभी भी ऐसा करते हैं तो वह विशेषधिकार का विषय होगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष जी, मैं जो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, वह बिल्कुल सही है...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना): उपाध्यक्ष जी, जब जाधव जी बोल रहे हैं तो बीच में अम्बेडकर जी क्यों टोक रहे हैं, आप मना भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी बीच में बोले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश रामराव जाधव, अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष जी, श्री सुमन जी ने इस सदन को गुमराह किया है, मैं उन बातों का उत्तर दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर, आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर, यह क्या है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश रामराव जाधव, आप 11 मिनट से भी अधिक समय ले चुके हैं। कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष जी, संभु पगी, एस.टी. है और पंढरवाड़ा का रहने वाला है...*(व्यवधान)* हमने एक सवाल किया, जो श्री बसुदेव आचार्य ने कहा, वह बिलकुल असत्य है और गलत है। खुपरा बीबी लुनावड़ा कैम्प में थी। जब हमने रिलीफ कैम्प विजिट किया और उससे पूछा कि क्या उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया तो मुझे बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला गया। माननीय

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

सदस्य ने न केवल सदन बल्कि इस देश को गुमराह करने का काम किया है। यह अच्छी बात नहीं है। दरियापुर रिलीफ कैम्प में हमने 3 तारीख को विजिट किया। यहां कहा गया कि रिलीफ कैम्प नहीं है लेकिन हमने विजिट किया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष जी, ये लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं। मैरी एस.डी.एम. राठौड़ से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 500 हिन्दू भाग गये हैं और 139 आदिवासी परिवार हैं। उन लोगों के लिये कोई रिलीफ कैम्प नहीं है। दरियापुर में 7 हजार लोग रहते थे। मेरी चालक इनुमल से बात हुई, हासमत बीबी, महमूद बाघोरी और शाहपुपर की रमजान बीबी से बात हुई। मुझे बताया गया कि वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जो इन्तजामात किये हैं, वे बहुत अच्छे हैं। पीने का पानी, दवायें, टायलेट सब ठीक है। सुमन जी ने गलतबयानी की है। मिक्सडे हैड एक्सपैंडिचर्स में 7 रुपये प्रति व्यक्ति बताया है। हमने खुद आंखों से देखा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश रामराव जाधव अब आपको भाषण समाप्त करना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: मैंने शाहपुर में बात की है। लोगों ने बताया है कि किसी चीज की कमी नहीं और सब सुविधा मिल रही है। कोई शिकायत नहीं है। गुजरात सरकार ने सब काम ठीक किये हैं और पुनर्वास के लिये गुजरात सरकार ने कारगर ढंग से काम किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता हैं–श्री पी.एच.पंडियन। वे उपस्थित नहीं हैं। श्री कमलनाथ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष जी, मैंने कुछ एन.जी. ओज से बात की है। लेकिन गुजरात सरकार ने अभी तक जो काम किया है वह सराहनीय काम किया और...

उपाध्यक्ष महोदय: सुरेश जाधव जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: ये कहते हैं हम गुजरात में राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि वहां प्रेसीडेन्ट रुल लगाना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। गुजरात में अभी ग्राम पंचायत के इलैक्शन हुए।

[अनुवाद]

75 प्रतिशत मतदान के साथ 1,700 गांवों में ग्राम पंचायत के चुनाव सामान्य ढंग से सम्पन्न हुए और कहीं से भी किसी प्रकार की हिंसा की रिपोर्ट नहीं मिली।

[हिन्दी]

पंचायत चुनावों में कोई हिंसा नहीं हुई। गुजरात में 1,32,000 हजार लोगों में से 1,19,353 लोग अपने घरों को लौट गये हैं। अगर वहां अशांति होती, अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर खतरे में होता तो ये लोग अपने घरों को वापस क्यों जाते। वे साबरमती, महसाना, बडोदरा और पंचमौला जिलों अपने घरों में वापिस लौट गए। अभी गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा शांति से निकली, मौहर्रम के जुलूस शांति से निकले, एच.एस.सी. और एस.एस.सी. की परीक्षाएं शांति से सम्पन्न हुई। अगर वहां सब कुछ शांति से चल रहा है तो गुजरात में प्रेसीडेन्ट रूल लगाने की क्या जरूरत है। यह आने वाला वक्त बतायेगा कि श्री नरेन्द्र मोदी गलत है या सही है। उन्होंने वहां बिल्कुल सही काम किये। आने वाले असैम्बली के इलैक्शन में विपक्ष का पर्दाफाश हो जायेगा। गुजरात के मुख्य मंत्री ने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत वहां की विधान सभा को भंग करवाया है। जो संविधान के अंतर्गत है। गुजरात में संवैधानिक परिस्थितियों को कोई खतरा नहीं है इसलिए वहां प्रेसीडेन्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय बतायेगा कि गुजरात में सही क्या है और गलत क्या है, यह गुजरात की जनता तय करेगी। ये सब लोगों क्यों घबरा रहे हैं। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ (छिन्दवाडा): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के संबंध में आज तीसरी अथवा चौथी चर्चा है और मुझे श्री किरीट सोमैया और मेरे पिता, श्री सुरेश जाधव-मेरे ख्याल से वह शिवसेना के हैं, का भाषण सुनने का अवसर मिला।

जब हमने पहले गुजरात पर चर्चा की तो उस समय हमने इस मुद्दे पर गम्भीरता और संजीदगी से चर्चा की। जब हमने इस मुद्दे पर दोनों सभाओं में दूसरी बार चर्चा की तो यह इसलिए नहीं कि कोई अन्य कार्य नहीं था बल्कि इसका कारण यह है कि हमारी आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जब हमारे समाज की नींव, वह आधार जिस पर यह गणतंत्र देश टिका हुआ है, को हिलाने की कोशिश की गई क्योंकि हमारे समाज के सौहार्द पर प्रहार, हमारे समाज और स्वरूप पर प्रहार करने जैसा है। हमने विध्वंस पर चर्चा की, हमने दंगों पर चर्चा की जिसे राज्य द्वारा प्रायोजित बनाया गया, हमने पुनर्वास पर चर्चा की हमने उन्हें श्रद्धांजलि और सांत्वना दी। परन्तु हमें आज क्या देखने को मिलता है? आज मैंने श्री किरीट सोमैया को 'एक कहावत है' कहते हुए सुना है। उन्होंने 'पांच कहावतें' सुनाई।

यह गम्भीरता थी अथवा मजाक था? क्या ये गुजरात के मामले को इस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं? पांच माह बीत चुके हैं। क्या यह सभा, गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा लोक सभा का किए गए अपमान-जिसका मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उल्लेख किया है-का इस प्रकार से जवाब देगी?

महोदया, मैं लगभग 22 वर्षों तक इस सभा में का सदस्य रहा हूं। बीतने वाला हरेक मिनट हम पर भारी था। कल यह सभा उद्वेलित रही और हमने, पूरी सभा ने और अध्यक्षपीठ ने आज इस मुद्दे पर चर्चा करने का विवेकपूर्ण निर्णय किया। पिछले सत्र में अनुच्छेद 355 को लागू करने के निर्णय को सर्व सम्मति से पारित कर दिया। हम इस सत्र की शुरुआत में यह मंशा लेकर आए थे कि सरकार हमें उसका ब्यौरा देगी जिसे राज्य सभा ने पिछले सत्र में सर्व सम्मत्ति से पारित कर दिया है जबकि हम पिछले सत्र में इस सरकार पर भारी जिम्मेदारी छोड़ गए थे।

अपराह्न 3.56 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

राज्य सभा ने सरकार को अनुच्छेद 355 लागू करने के लिए प्राधिकृत किया है। हम सरकार से और माननीय उपप्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं और जिन्होंने अनुच्छेद 355 को कार्यान्वित किया है, से यह सुनने आए हैं कि उन्होंने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं। परन्तु हमने यह क्या देखा? हमने यह देखा कि माननीय उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यह वक्तव्य दे रहे हैं कि अनुच्छेद 355 को लागू करने की उनकी व्याख्या चुनाव कराने की है। हम लौटने या इस सत्र के आरम्भ के दिनों से ही यह देखते हैं कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी गई है और चुनाव की घोषणा की गई है। मेरे मित्र प्रियरंजन दासमुंशी ने यह सारी बातें पहले ही कह दी हैं जिसे तृणमूल कांग्रेस, टीडीपी और नेशनल कांग्रेस ने कहा है। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। यह चिंता दलगत राजनीति के कारण व्यक्त नहीं की गई है। वे उनके सहयोगी हैं, वे उनके समर्थक हैं और वे उनके वैसाखी हैं। यह दलगत राजनीति नहीं है। परन्तु आज अपनी महत्व बढ़ाने की कोशिश की गई है।

मैं दो दिनों के लिए गुजरात गया था। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने घटना के 48 घंटे के भीतर ही मुझे गुजरात भेज दिया था। मैंने वहां की पीड़ा देखी है। मैं वहां कई बार जा चुका हूं। मैं आज ही लौटा हूं। पिछले दो दिनों से मैं गुजरात में था। ज्योंहीं मुझे पता चला कि इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है त्यों ही मैं सभा में यह बताने के लिए लौट आया कि वहां क्या हो रहा है, हमें वहां धकेला जा रहा है और हम क्या करना चाहते हैं। तेरहवीं लोक सभा की अवधि दो वर्षों में अथवा इस तरह पूरी ही जाएगी। इसके बाद चौदहवीं लोक सभा आएगी। हम अपने लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं? हम अपनी परम्पराओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं?

मैं इस सरकार की बाध्यताओं को समझ सकता हूं; मैं चुनाव चाहने वाले श्री नरेन्द्र मोदी की बाध्यताएं कौन-सी है? वे यह चुनाव क्यों चाहते हैं? क्या यह लोकतंत्र के प्रति लगाव से प्रेरित हैं अथवा वे लोगों के पास वापस जाना चाहते हैं? नहीं। वे चुनाव चाहते हैं क्योंकि वे इस समय का लाभ उठाना चाहते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया और मेरे मित्र ने इसे सभा पटल पर रखने की मांग की है। इसमें कुल चौंकाने वाली बात हो सकती है। इस प्रकार समय बीत रहा है। इसलिए वे चुनाव कराना चाहते हैं। समय बीतता जा रहा है अभी वे गोधरा रेलवे स्टेशन पर उन सवारी डिब्बों में मारे गए लोगों के नाम बताने वाले हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि चुनाव हो। इसके ब्यौरे के बारे में पता चलने के बाद आठ माह बीतने पर वे चुनाव के लिए लोगों के पास कैसे जा पाएंगे।

विधानसभा की कार्याविधि अगले वर्ष 18 मार्च तक रही। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम सत्ता के लिए उत्सुक हैं। हमने कभी भी भाजपा सरकार से इस्तीफे की मांग नहीं की है। हमने यह कहा कि श्री के. येरननायडू और श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने भाषण दिया, तो उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि भा.ज.पा. की सरकार सत्ता छोड़े। मैंने भी यह वक्तव्य दिया था कि श्री नरेन्द्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दें। भा.ज.पा. के पास सदस्यों का स्पष्ट बहुमत था। वे अपने स्थान पर बने रहते। हमे तो सिर्फ यही कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी इस्तीफा दें। सरकार, जो पांच वर्षों के लिए निर्वाचित हुई है, अपने स्थान पर बनी रहे। सभा का कार्यकाल अगले वर्ष 18 मार्च तक था।

[श्री कमलनाथ]

अपराह्न 4.00 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, वह मजबूरी, जिसका श्री दासमुंशी ने पुन: उल्लेख किया, यही है। उन निधियों से क्या हुआ जो भूकम्प राहत कार्य के लिए प्राप्त हुई थी? लोग भूकम्प राहत कार्य के लिए संग्रहीत निधियों के लेखों की मांग कर रहे हैं। लोग कई तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। अत: सबसे अच्छा बचाव का रास्ता क्या है? वह है चुनाव की घोषणा करना, विधान सभा को भंग करना और मंत्रिमंडल को बनाए रखते हुए विधान सभा को निष्क्रय रखना। यही मजबूरी है उसके साथ। उनके मत लोगों के प्रति कोई लगाव नहीं था। इसलिए वे चुनाव को चाहते हैं। उन दंगों के आर्थिक परिणाम भी रहे। महोदय, पूरे तेरह परिवार और लगभग 300 लोगों ने आत्महत्या की है। मैं आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों से मिल चुका हूं। आर्थिक प्रभाव के कारण किसी नाई को कोई ग्राहक नहीं मिलता है और एक नाई अपनी दुकान में भी नहीं जा सकता है। आर्थिक प्रभाव को दिन-प्रतिदिन महसूस किया जा रहा था। लोगों को श्री मोदी और भा.ज.पा. का असली मुखौटा देखने को मिला। श्री मोदी ने सात पृष्ठों में त्याग पत्र दिया और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री को सात पृष्ठों में त्याग पत्र दिया हो। उन्होंने क्या मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए उत्सुक है। यदि हम सत्ता के लिए लालायित होते तो हम विधान सभा को भंग करने की मांग करते।

महोदय, वे कहते हैं कि कोई मजबूरी नहीं थी, परन्तु महोदय, उन मजबूरियों, जिनका मैंने उल्लेख किया था, के कारण उन्हें चुनावों की घोषणा विधान सभा को भंग करना पड़ा ताकि उन्हें किसी के प्रति जवाबदेह न होना पड़े। आज श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं और मंत्रियों के रूप में लोगों का समूह घूम रहा है जोकि न तो किसी के प्रति और न ही विधान सभा संसद के प्रति जवाब देह है।

कल रात के एक टेलीविजन कार्यक्रम में श्री तोगडिया ने श्री मोदी की पीठ को थपथपाया। क्या श्री तोगाडिया राज्य की बागडोर सम्भालने वाले हैं? वे तो श्री शंकरसिंह वाघेला के बारे में बात कर रहे थे। मैं यह नहीं जानता कि श्री किरीट सोमैया कहां चले गए। श्री शंकरसिंह वाघेला ने ही श्री तोगडिया को गिरफ्तार कराकर लाकअप में रखवाया था। इसीलिए वे इस ओर हैं और न कि उस ओर...*(व्यवधान)* महोदय, वे चुनाव चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस समय गम्भीर चर्चा चल रही है। उस ओर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ: महोदय वे ऐसे समय पर चुनाव चाहते थे जब 50 प्रतिशत लोगों के पास पहचान पत्र नहीं था। इसलिए वे चुनाव चाहते थे। वे इसलिए चुनाव चाहते थे क्योंकि अभी मतदाता सूची संशोधित नहीं की गई है। वे चुनाव आयोग को इस बात का अंदेशा हुए बिना ही यह कार्य थोड़े ही दिनों में करा लेना चाहते थे क्योंकि वे तो यह जानते थे कि चुनाव आयोग थोडे ही दिनों में मतदाताओं की संशोधित सूची की मांग करेगा। अत: वे जानते थे कि यह चुनाव कराने का नहीं बल्कि धोखाधड़ी से चुनाव कराने का उचित समय है। वे अपने लिए अनुकूल समय के अनुसार चुनाव की घोषणा करके गुजरात के लोगों के साथ धोखाधड़ी करना चाहते हैं।

महोदय, इससे पहले उन्होंने क्या किया? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनकी मंशा दुर्भावनापूर्ण है? महोदय, पिछले 60 दिनों में उन लोगों ने 22 कलक्टरों (जिलाधाशों) 24 सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है। जून और जुलाई में 85 उप-जिलाधीशों (उप-कलक्टरों) का तबादला किया है जिनमें से 75 रिटर्नीग अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है। 18 अपर जिलाधीशों, जो चुनाव प्रभारी होंगे, उन्हें जून महीने में तैनात किया गया है। अत: जब उन लोगों ने अप्रैल महीने में चुनाव कराने की मांग की तो यह ऐसे ही नहीं की। वे राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुप्त रूप से वे इंतजार कर रहे थे और योजना बना रहे थे। उन्हें पता था कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, और वे उन पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे। क्या इन तथ्यों के लिए किसी शोध का अध्ययन की जरूरत है? उन लोगों ने कितनों का तबादला किया। जून में एस.पी. स्तर के 32 पुलिस आयुक्तों का तबादला किया, 30 जुलाई को उन लोगों ने 30 एस.पी. स्तर के पुलिस अधिकारियों का तबादला किया, और जून में डी.एस.पी. स्तर के 58 अधिकारियों का तबादला किया गया था। यह सब क्यों किया गया था? क्या चुनाव में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त सरकार ऐसे ही कार्य करती हैं। क्या ऐसे ही अन्य सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है? यह पहला अवसर नहीं है जब एक राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल की अवधि पूरी कर ली है। अन्य राज्य सरकारों ने भी अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस के मेरे मित्र भी श्री ज्योति बसु को इस संदर्भ में दोष नहीं देंगे। यदि वे उन पर आरोप लगाते हैं तो मैं उनका साथ दूंगा, लेकिन वे उन पर आरोप नहीं लगाएंगे।

जब वे ऐसा करेंगे और जब वे यह कहेंगे कि वे जनता के बीच जायेंगे, तो क्या इस बात में कोई वजन लगता है...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): क्या आप इसका यह अर्थ लगा रहे हैं कि यह सभी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचायेंगे? इससे आपका क्या तात्पर्य है?

श्री कमलनाथ: जब आपको अवसर मिलेगा तब जो कुछ आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री कमलनाथ: जिन्हें समझना है, वह समझ जायेंगे। उन लोगों ने चुनाव की घोषणा की है और चार दिन पहले विधान सभा भंग कर दी है। दस दिन पूर्व क्या घटना घटी। उनका कहना है कि स्थिति सामान्य है। यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि गृहमंत्री या जो भी राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं वे हमारी बात को काटे। 12 जुलाई को अहमदाबाद में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पकड़े गये। सरकार के रिकार्डों के अनुसार 1500 लोगों की हत्या करने का षडयंत्र था। 15 जुलाई को पंचमहल जिले में एक बम विस्फोट किया गया था। हमारे शिव सेना के मित्र कहा हैं जो गोधरा और पंचमहल की बात कर रहे थे? पुन: 15 जुलाई को गुजरात पुलिस द्वारा भावनगर में बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। आई.एस.आई. जिसने पूरे गुजरात राज्य को हिलाकर रख दिया। मैं स्वयं भावननगर गया था, वहां लोग आंतकित थे यह घटना दो माह या एक माह पूर्व नहीं घटी थी। 15 जुलाई को गुजरात पुलिस ने एक बड़े आई.एस.आई. गिरोह का पर्दाफाश किया जिसने पूरे गुजरात राज्य को हिला कर रख दिया। आप इस घटना की गम्भीरता और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी को समझें। यह गुजरात की पुलिस का विषय है यह कांग्रेस सरकार की कर्नाटक पुलिस नहीं थी जिन्होंने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। 18 जुलाई से कुछ दिन पूर्व विराम गांव में जो कि अहमदाबाद के काफी नजदीक है वहां सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हो गयी थी। परसों क्या घटना घटी? अहमदाबाद के जुहापुरा क्षेत्र से बड़ी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद पकड़े गये थे। कल क्या हुआ? बड़ौदा से एक विशेष समुदाय के लोगों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पकड़े गये, और अहमदाबाद में एक दूसरे समुदाय के लोगों के घरों से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार पकड़े गए। भविष्य में हम किस प्रकार का टकराव करने जा रहे है, इन हथियारों से क्या होने जा रहा है? यही स्थिति है और यह उनकी बाध्यता है। उनकी बाध्यता यह है कि वे भाग जाए और अपना चेहरा छुपा लें। वे कहते है कि वे लोगों का सामना करना चाहते है। वे किन लोगों का सामना करने की बात कर रहे है? क्या वे उन लोगों की बात कर रहे है जो आर्थिक कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं। वे गुजरात की गौरव की बात कर रहे है, क्या वे उस गुजरात की बात कर रहे है जहां पूरे देश से लोग नौकरी ढूढ़ने आते है अब मुंबई की अंधेरी में, लगभग 250 लोग शरणार्थी है। जब मैं हवाई यात्रा पर था तो कुछ लोगों ने हवाई अड्डे पर बताया कि लगभग 200 लोग गुजरात से भाग कर यहां आ गये हैं। वे कहते है कि वहां अब कोई शरणार्थी कैंप नहीं चल रहा है। महोदय मै उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो केवल कैंपों मे ही रह रहे हैं। लोग कैंपों से आ गये है। उन लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यह उन लोगों की संख्या का प्रश्न नहीं है जो केवल कैंपों में रह रहे है। यह उन लोगों की संख्या का प्रश्न नहीं है जिन्हे 15 या 20 रूपये के चैक दिया गया है। यह लोगों के बेघर होने का प्रश्न है ऐसा हो सकता है कि लोग रोजी-रोटी की तलाश में अहमदाबाद से सूरत या भोपाल गए है, वे किसी कैंप में नहीं हैं लेकिन वे अहमदाबाद में मतदाता हैं। वे किसी कैंप में नहीं है। लेकिन वे खुशी से कैंपों की संख्या के आंकड़े देते है। वे किसको धोखा दे रहे है? यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और साथ ही यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि इसे किस गम्भीरता से लिया जा रहा है।

महोदय अब उन्हें चुनाव कराने की मजबूरी है। वे जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। वे गुजरात में किसी भी कीमत पर चुनाव कराना चाहते हैं। माननीय उपप्रधानमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं उनका कहना है कि समस्या का समाधान जल्दी चुनाव कराना है। जैसा कि मैंने कहा है कि उनके अनुसार यह धारा 355 की व्याख्या है। लेकिन वास्तविकता क्या है? माननीय उपप्रधानमंत्री गुजरात राज्य से लोक सभा के लिए चुने गए। क्या यह उत्तरदायी सरकार है। महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो इसे ऐसे हल्के रूप में लिया जा रहा है मानो यह एक अन्य या दूसरा सामान्य चुनाव है। गुजरात राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुये क्या वहां चुनाव होने चाहिए? क्या राज्य में चुनाव हो सकता है? मैंने अहमदाबाद में यह बात कही है कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हम लोग वहां यह चुनाव करा सकते है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेरी भाषा समझ लीजिए।

[अनुवाद]

महोदय जब मैं कहता हूँ कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं तो इसका अर्थ है कि हम राजनीति तौर पर तैयार हैं। लेकिन क्या गुजरात चुनाव का बोझ उठा सकता है? वहां क्या हो रहा है? लोग वहां दंगे और हिंसा के ही शिकार नही हैं बल्कि उन लोगों मे गम की भी भावना फैल रही है। लोग वहां से वापस जा रहे हैं।

[श्री कमलनाथ]

[हिन्दी]

आप उनसे माफीनामा लिखवाते हैं।

[अनुवाद]

लेकिन यह अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है। ये लोग अल्पसंख्यकों के बीच डर की भावना फैला कर उन्हे आतंकित कर रहे हैं। इसलिए जब कमजोर वर्ग एक समुदाय पर अत्याचार होते देखते हैं

[हिन्दी]

कि इनके साथ तो यह करते हैं, आपको भी दिखाएंगे। उनसे माफीनामा लिखवाते हैं कि हमें माफ करिये, आगे से हम आपके कहने के मुताबिक रहेंगे।

[अनुवाद]

मैंने माफीनामा देखा है। क्या सरकार इसको झुठला सकती है? क्या माननीय गृहमंत्री जी इससे इनकार कर सकते हैं? क्या खुफिया विभाग ने आपको वह माफीनामा नहीं दिखाया? खुफिया विभाग के आपको लोगों ने क्या वह आपको नहीं दिखाया, अगर नहीं दिखाया तो आप मुझसे कहें। मैं आपको वह माफीनामा दिखाऊंगा। सरकार इसे जानती है। अत: क्या गुजरात में चुनाव कराने जाने की स्थिति है। तो क्या तेरहवीं लोक सभा इतिहास में लोकतंत्र को इस देश से समाप्त करने वाली लोक सभा मानी जाएगी? हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मै ऐसा करता हूं तो मैं आपकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करता हूं यह सब मैं विनम्र भाव से कह रहा हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: महोदय, मैं उनकी बात नहीं सुन रहा।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय सिर्फ एक मिनट। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में होने वाले चुनाव का आप समर्थन करते है या नहीं?...*(व्यवधान)*

जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराये जाने का समर्थन कर रहे है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब तक श्री कमलनाथ उनकी बात नहीं सुनते कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ....*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कमलनाथ: महोदय मेरे मित्र अब जम्मू व कश्मीर की बात करने लगे हैं। परन्तु हम यहां गुजरात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम जम्मू व कश्मीर के बारे में भी चर्चा करेंगे। कृपया उसके बारे में परेशान मत होइए। आप जम्मू व कश्मीर के बारे में भी हमारे विचार सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कमलनाथ, चूंकि आप सहमत नहीं हैं, अत: वह जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया आप अपनी बात जारी रखें।

श्री कमलनाथ: महोदय, मैं यह कह रहा था कि गुजरात राज्य की स्थिति वहां चुनाव कराने के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। कितने लाख लोगों को पुन: उनके घरों में वापस लौटाया गया है तथा कितने लाख लोग विस्थापित हुए हैं? क्या इस संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध है? कितने लोग शहर के एक भाग से दूसरे भाग में चले गए हैं। कितने लोगों ने एक गांव से भागकर दूसरे गांव में शरण ली है।...*(व्यवधान)*

इसे मजाक के रूप में न लें। हम मतदाताओं के बारे में बात कर रहे हैं। वे आपके भी मतदाता हो सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: जम्मू व कश्मीर के लगभग एक लाख शरणार्थी दिल्ली में हैं। कांग्रेस सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए आज तक क्या कदम उठाए है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य आपकी बात से सहमत नहीं हैं। सभा का समय बर्बाद न करें।

श्री कमलनाथ: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं जिस गम्भीरता के साथ कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे आप हल्के रूप में ले रहे है। इसे हल्के रूप में न लें। हो सकता है आप इसे अपने जीवन के किसी चरण में समझेंगे। मैं यह कह रहा था कि परिस्थिति....

उपाध्यक्ष महोदय: आपके दल से दो वक्ता और बाकी हैं।

श्री कमलनाथ: महोदय, मैं मात्र चार मिनट और लूंगा।

मैं कह रहा था कि परिस्थिति अनुकूल क्यों नहीं है। हम पहचान पत्रों की बात करते है। चुनाव आयोग ने कहा कि पहली बार गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। उप-चुनावों में उनका इस्तेमाल किया जा चुका है। परन्तु अब सभी 182 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। चुनाव आयोग ने पहचान के लिए 16 या 17 मदों को निर्दिष्ट किया है। ये मद कौन से हैं? एक

पहचान-पत्र है। पचास प्रतिशत मतदाताओं के पास पहचान-पत्र नहीं है। आज आपको पहचान-पत्र प्राप्त करने के लिए 25 रुपये देने पड़ेंगे। गुजरात सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों से जिस प्रकार से राज्य को चलाया है, कोई भी व्यक्ति आज इस स्थिति में नहीं है कि वह इस राशि का भुगतान तक कर सके। दूसरा मद राशन कार्ड है। पिछले चार वर्षों के दौरान कोई नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए मतदाता के पास राशनकार्ड नहीं है। दूसरा भूमि संबंधी कागजात है। भूमि संबंधी कागजातों में परिवार के अन्य वारिसों के नाम का उल्लेख नहीं होता। भूमि का स्वामित्वाधिकार परिवार के मुखिया का नाम होता हैं। इस प्रकार मतदाता मतदान नहीं कर सकेगा। वह मतदाता आपका भी हो सकता है। मतदाता सूची को संशोधित नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

यही कारण है कि यदि वे कहते हैं कि स्थिति सामान्य है तो इस पर हम चुप नहीं रह सकते हैं। मेरी गृह राज्यमंत्री से एक छोटा सा अनुरोध है। मैं जानना चाहता हूं कि मई-जून 2001 और मई-जून 2002 के कानून और व्यवस्था के आंकड़े क्या हैं? वहां कितनी हत्याएं हुई हैं? कितने हथियार जब्त किए गए हैं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप अपने उत्तर में इस सभा को ये सूचनाएं दें तथा इसकी एक प्रति मुझे उपलब्ध करायें। यदि आपके पास ये सूचनाएं नहीं हैं तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जब कभी आप उत्तर देते हैं तो मुझे बताइए कि आप इन्हें प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे हैं और तब मैं आपको जिम्मेवारी के साथ यह सूचना उपलब्ध कराऊंगा। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आपको मई-जून 2001 और मई-जून 2002 के कानून और व्यवस्था के आंकड़े दूंगा जिसे मैंने नहीं बल्कि आपके अपने पुलिस विभाग ने दिया है। चुनाव आयोग को वहां की उस स्थिति के चौंकाने वाले आंकड़ो से अवगत कराया जाना चाहिए जिसे आप एक सामान्य स्थिति होने का दावा करते हैं।...*(व्यवधान)*

आज तक कितनी पंचायतों और कितनी नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराए गये हैं। ये चुनाव क्यों नही कराए गए? जब हम कहते हैं कि परिस्थिति चुनाव के अनुकूल नहीं है तो आप कहते हैं,

[हिन्दी]

गुजरात का अपमान कर रहे हैं। गुजरात प्राइड की बात की करेंगे, आप पहले केशुभाई का सम्मान तो कर लें, तब आप दूसरों को पाठ पढ़ाएं।

[अनुवाद]

हमने श्री सोमैया को कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण के बारे में बात करते हुए सुना। आप कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति कोई अलग बात कह रहा है वह साढ़े पांच करोड़ गुजरातियों के हित में नहीं है। यह क्या है? यह किस प्रकार की राजनीति है। यह किस प्रकार का दल है? श्री मोदी किस प्रकार के व्यक्ति है? यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कुछ कह रहा है तो आप कहते है कि यह पांच करोड़ गुजरातियों का अपमान है। मेरे विचार में श्री मोदी स्वयं ही गुजरात की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप यह बात नहीं कहेंगे। मुझे पता है कि आप अंतर्मन से ऐसा महसूस नहीं करते हैं। परन्तु आप ऐसा कहने लिए विवश हैं। मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूँ। परेशान मत होइए। मुझे पता है कि आपमें से अधिकांश क्या महसूस करते हैं।

मुझे यह कहने के लिए विवश न करें। यदि आप मुझे विवश करते हैं तो भी मैं नहीं...*(व्यवधान)*

परन्तु बात यह है कि वे कुछ भी कह सकते हैं। दूसरे दिन एक प्रेस वक्तव्य में जब उनसे यह पूछा गया कि "आपने चुनाव की घोषणा क्यों की?" तब उन्होंने कहा "क्योंकि श्री कमलनाथ यहां हैं और वे चुनाव के लिए तैयार हैं।"

आप सभी श्री मोदी को हमसे बेहतर जानते हैं। क्या हम सचमुच कह सकते हैं कि वह आपके राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं? मैं यह बात आप में से उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो गुजरात के है। में गुजरात जाता रहा हूँ। गुजरात में मेरी कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है परन्तु देश में मेरी रुचि है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब हम कहते हैं कि स्थितियां प्रतिकूल हैं तो ये कहते हैं कि हम चुनाव से डर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम चुनाव से क्यों डरेंगे? पिछले एक वर्ष में हमने सभी चुनाव जीते हैं। यहां उपस्थित हमारे दल के श्री मधुसूदन मिस्त्री ने साबरकंठा उप-चुनाव जीता है। श्री नरहरि अमीन ने भी साबरमती से चुनाव जीता है जो श्री आडवानी का चुनाव क्षेत्र है। हम चुनाव से क्यों भागेंगे? हमने पंचायत चुनाव तथा नगर पालिका चुनाव जीते हैं। इस बात को याद रखें। कृपया चुनाव आयोग को तिथि का निर्णय करने दीजिए। आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। उन्हें अपने निर्णय लेने दीजिए। हम चुनाव पुन: जीतेंगे और यहां पर दुबारा आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने गलतियां कीं। हम न केवल विधान सभा चुनाव जीतेंगे बल्कि गुजरात से यहां उपस्थित आप सभी लोगों को वापस गुजरात भेज देंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन गुजरात में दंगा पीड़ितों के लिए राहत और उनके पुनर्वास के बारे में जो चर्चा उठाई गई है उसमें मौका देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और अपनी पार्टी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे गुजरात से संबंधित होने के नाते बोलने के लिए मौका दिया गया।

महोदय, 27 फरवरी को जब गोधरा से गुजरी साबरमती एक्सप्रैस में निर्दोष लोगों, जिनमें महिलायें और बच्चे भी थे, जिन्दा जलाकर जो जघन्य अपराध किया, उसकी निन्दा करने के बजाए, सदन में जिस तरह से राजनीति की जा रही है, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। गुजरात की पांच करोड़ जनता इस स्थिति को देख रही है और समझ भी रही है यहां चर्चा क्यों हो रही है ...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: पांच करोड़ जनता की बात आप कह रही हैं, पांच करोड़ जनता का अपमान हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: मैं सौ करोड़ जनता की भी बात कहूंगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कमलनाथ, आप अपनी बात कह चुके हैं। हमें उनकी बात सुनने दें। कृपया व्यवधान पैदा न करें।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: मैं हिन्दुस्तान की सौ करोड़ जनता की भी बात कहूंगी। श्री बसुदेव आचार्य जी ने अपने भाषण के शुरू में कहा कि गुजरात हिन्दुत्व की प्रयोगशाला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि गुजरात हिन्दुत्व की प्रयोगशाला ही नहीं है, बल्कि हिन्दुत्व का आदर्श राज्य है। गुजरात ने हमेशा इस देश को और दुनिया को सही दिशा बताई है और आज भी महात्मा गांधी के गुजरात के बारे में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि गांधी के गुजरात को गोड्से का गुजरात बनाना चाहते हैं। मैं जनना चाहती हूं गोड्से कहे जाने वाले कौन से लोग हैं? ...*(व्यवधान)*

मैं बताना चाहती हूं कि 55 साल की इस देश की आजादी में 47 साल कांग्रेस ने राज किया है। इस देश की दुर्दशा अगर हुई है तो मैं साफ कहना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार के कारण हुई है।

यह इनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है- मुसलमान, हिन्दु, ईसाई। आपको याद होगा कि डांग में कुछ नहीं हुआ है और पूरे विश्व में गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई। अभी कल ही मैंने पढ़ा फ्रांसवा गोतिए एक विचारक हैं, उन्होंने लिखा है कि सितम्बर के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान को कहा और उसके कारण साम्प्रदायिक युद्ध की जो शुरूआत हुई वह गोधरा नरसंहार से हुई। उसमें साजिश करने वाले लोग पाकिस्तान की आईएसआई संस्था के लोग, असामाजिक तत्व गुजरात में जो पल रहे हैं, ऐसे लोग थे। दूसरे वे है जो आज भी जेल में हैं, कांग्रेस के गोधरा नगर पंचायत के प्रमुख थे—मोहम्मद हुसैन कलोटा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: नहीं यह गलत है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज भी जेल में हैं। गुजरात को मानो रंग-मंच बना दिया गया। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया हुई। यह प्रतिक्रिया उसकी मानसिकता है, यह प्रक्रिया, प्रतिक्रिया होती रहती, लेकिन उसे हवा कौन दे रहे हैं।

महोदय, हाउस में आदि इस विषय पर तीसरी बार चर्चा हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है और एक ही विषषय पर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ वोटों की राजनीति करने वाले लोग, कांग्रेसी लोग अपनी मानसिकता बता रहे हैं। अभी कमलनाथ जी कह रहे थे कि गुजरात में सामान्य परिस्थिति नहीं है। ये कहते हैं कि लोग चुनाव पर जबाव डाल रहे हैं। उन पर किसी का दबाव नहीं चलता है। जम्मू काश्मीर में तीन लाख से ज्यादा पंडित वापस आना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आपकी गलत नीतियों के कारण वे लोग दिल्ली में रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां इलैक्शन हो सकते हैं और गुजरात में नहीं हो सकते। आप मेरे साथ चलिए और देखिए कि वहां कितनी सामान्य परिस्थिति है। वहां कोई भी महिला रात को 12 बजे अकेली जा सकती है। वहां अच्छा माहौल है, सामान्य परिस्थिति है, लेकिन ये लोग वहां चुनाव नहीं चाहते, इस कारण साढ़े पांच करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, गुजरात में कुछ जगह पर अगर दंगा होता है तो इसका मतलब यह नहीं है पूरे गुजरात में अशांति है। मैं जूनागढ़

से चौथी बार चुन कर आई हूं। वहां कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं लोगों को परेशानी नहीं है। वहां सामान्य परिस्थिति है। मुंशी जी कह रहे थे कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। यह भारतीय संस्कृति और परम्परा है कि यहां महिलाओं का सम्मान होता है। हमारे यहां पेड़-पौधों को भी पूजा जाता है, यह हमारी संस्कृति है। हम लोग नदी, नालों और तालाबों की भी पूजा करते है, यह हमारी संस्कृति, संस्कार और धर्म है।

भारतीय और हिन्दुत्व की संस्कृति के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में कोई भी धर्म और जाति के आधार पर नहीं है। जो भी हिन्दुस्तान में रह रहा है, वह हिन्दुस्तानी है। यहां से कोई भी मुस्लिम अगर पाकिस्तान किसी से मिलने या व्यापार के लिए जाता है तो उन्हें मुसलमान होने पर भी हिन्दु कहा जाता है। यह हिन्दु परम्परा है। हमारी एक जीवन शैली है। विश्व ने हमारी जीवन पद्धति को मानना शुरू कर दिया है।

यहां विपक्ष ने कहा कि वहां हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। मैं चाहती हूं कि ऐसे केस सामने लाए जाएं। ऐसी गलत बात कह कर गुजरात के लोगों और हिन्दुस्तान की महिलाओं का अपमान किया गया है। गुजरात में सामान्य परिस्थिति पैदा हो, इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कांग्रेस के एक विधायक श्री खुर्शीद हैदर पीरजादा की अध्यक्षता में एक सद्भावना सम्मेलन किया। वोटों की राजनीति कैसे होती है? यहां लोग हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि "नरेन्द्र मोदी हटाओ देश बचाओ" मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहती हूं कि आपने अपने विधायक को क्यों हटाया? मुझे इसका जबाव चाहिए। ये लोग साम्प्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं लेकिन खुद ही साम्प्रदायिकता फैलाते हैं।

श्री कमलनाथ: आप कहें तो हम उन्हें वापस ले लें।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: हम भारत को माता कहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि "तेरा वैभव अमर रहे, हम रहें न रहें चार दिन" गुजरात के लोगों ने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा पहल की।

दास मुंशीजी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हिन्दु संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज अयोध्या मसले पर बहुत हंगामा होता है। अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल नहीं होते तो सोमनाथ मंदिर का भी यही हाल होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह राजेन्द्र प्रसाद जी से कहा था कि अगर आप वहां जाएंगे तो हिन्दु और मुसलमानों के बीच दंगे होंगे लेकिन राजेन्द्र बाबू जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। आज हमें उनके ऊपर गर्व है। सरदार पटेल और राजेन्द्र प्रसाद जी के नाम से हमारा माथा गौरव से ऊंचा होता है।

मैं गुजरात के बारे में बहुत ऐसे आंकड़े कि गुजरात सरकार ने क्या किया, देना चाहूं तो दे सकती हूं लेकिन उसमें दो घंटे लग जाएंगे। अभी वहां 11 कैम्पस चल रहे रहे हैं क्यों कि बारिश के दिन हैं। सहायता कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है। 13 हजार लोग इन कैम्पस में रह रहे हैं लेकिन इस मामले में गलत इन्फर्मेशन देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है।

आज कांग्रेस की तरफ से सोमैया जी के लिए कहा जा रहा था कि आप गुजरात से चले गए हैं। और आप मुंबई में रह रहे हैं। हमारे यहां कहावत है कि—जहां-जहां एक गुजराती, पूरा गुजरात वहां। ज्यां-ज्यां पसे अेफ गुजराती सदाफाल गुजरात— सोमैया जी ने कहा कि यदि मैं गुजराती हूं तो मैं गुजरात के बारे में कहूंगा इसमें आपको क्या आपत्ति है। पूरे विश्व में जहां गुजरात के लोग हैं, वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अपना-अपना विश्वास बनाया है लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी लोग बाहर से गुजरात में काम करने के लिए आये है और पिछले 20 साल से रह रहे हैं, वे सब गुजराती होकर रह गये हैं। साथ ही साथ वे गुजराती भाषा भी सीख रहे हैं। अगर गुजरात में उनकी बदनामी करना चाहेंगे तो गुजरात के लोग नहीं मानेंगे। विपक्ष कह रहा है कि गुजरात में नरेन्द्र मोदी को हटाओ और राष्ट्रपति शासन लागू करो। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि श्री नरेन्द्र मोदी संविधान के अंतर्गत काम कर रहे हैं और संविधान के अंतर्गत दी हुई ताकत के आधार पर उन्होंने काम किया है। अभी श्री बसुदेब आचार्य कह रहे थेकि एक प्रचारक राज्यपाल और दूसरा प्रचारक मुख्यमंत्री। मैं यह बताना चाहूंगी कि कि अभी कमलनाथ जी गुजरात आये थे और उन्होंने घोषणा की कि श्री शंकर सिंह वाघेला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होंगे। क्या आप लोगों को पता है कि वे भी आर.एस.एस. के प्रचारक रह चुके हैं। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि एक प्रचारक कांग्रेस अध्यक्ष हो गये।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि जब-जब बाहर से आतंकवादी आये, हिन्दुओं ने मार खाई है लेकिन आर.एस.एस के कारण हिन्दुओं में जागृति आयी है, उसका आत्म-सम्मान बढ़ा है कि हम हिन्दु हैं—उसमें क्या गलत है। इस देश की 100 करोड़ आबादी में 85 करोड़ हिन्दु हैं। अगर इन लोगों की आस्था और श्रद्धा है तो इसमें गलत क्या है?

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): क्या आप कहना चाहती हैं कि गुजरात में एक प्रचारक राज्यपाल, दूसरा प्रचारक मुख्यमंत्री और तीसरा कांग्रेस अध्यक्ष है?

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: उपाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस में हमारे लोग पहुंच रहे हैं जहां हिन्दुत्व, राष्ट्रवाद और देशभक्त की बात होगी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस सदन और इस देश को मानना पड़ेगा कि

[श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया]

बाहर से आने वाले आतंकवादी हमारे यहां रहे राष्ट्रद्रोही आतंकवादी हमेशा लोगों को ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। उपाध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस में आज एक भी नेता दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन जिसने 20 साल तक सोनिया जी को अपना नेता नहीं माना आज वह प्रदेशाध्यक्ष बन गये हैं। अभी बताया गया है कि गोड्से का गुजरात, गोधरा का गुजरात लेकिन हम उसे विदेशियों का गुजरात नहीं बनने देंगे। उपाध्यक्ष जी मेरी आपसे विनती है कि हाउस में इस तरह की गलतबयानी नहीं होने पाये और हुई है तो उसे रिकार्ड से निकाल दीजिये। गुजरात सरकार ने दंगा पीड़ितों को राहत, पुर्नवास के लिए क्या किया -मेरे पास आंकड़ों से भरपूर यह पुस्तक है जिसे मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रख रही हूं।*

इन्ही शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करते हुये कहूंगी कि गुजरात हमेशा गौरव और समृद्धि के कारण आगे रहा है लेकिन कांग्रेस की मानसिकता के कारण जो साजिश है, गुजरात के लोग उसे कभी पनपने नहीं देंगे। जिसका उत्तर आने वाले विधान सभा चुनावों में जनता देगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने हमें याद दिलाया, यह सच है कि हमने इन सभा में गुजरात मुद्दे पर अनेक बार चर्चा की है। परन्तु मुझे उम्मीद है कि मेरी अनन्य साथी भावनाजी ने अपने आप से यह प्रश्न किया होगा कि आखिर गुजरात पर इस सभा में इतनी बार चर्चाएं क्यों की जा रही हैं। क्या इस सदन के सभी पक्षों के सदस्यों में से कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि वे उसे गुजरात में हुई घटनाओं पर गर्व है? एक भारतीय के रूप में क्या आप गर्व करते हैं? किसी को भी इन पर गर्व नहीं है। यह बहुत ही दु:खद परिस्थिति है। हमने यहां यही बात महसूस की है।

मुझे इस खूबसूरत राज्य का दौरा करने का एक अर्थ में दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। यह बहुत समृद्ध परम्परा वाला राज्य है तथा इस देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में इसकी काफी योगदान रहा है। मैं जानता हूं गुजरात ने महामानव पैदा किए हैं और क्यों नहीं? किन्तु परेशानी यह है कि कुछ लोग महामानव बनने के बजाय बौने हो गए हैं। हम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? इसलिए कि सबसे पुरानी सभ्यता अर्थात, भारतवर्ष को आज एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रह है जिसमें निर्दोष लोगों की बुरी तरह हत्या की जा रही है क्योंकि वे दूसरे धर्म के अनुयायी हैं चाहे वह कोई भी धर्म हो। जब मैं वहा गया था तब मैंने महसूस किया कि यह भारतवासियों का अमानवीकरण है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने आदमीयता का त्याग कर दिया है। जो घटनाएं घटित हुई हैं वे इस भावना का प्रमाण हैं। लोग जो दया की भीख मांग रहे थे उन्हें जिन्दा जला दिया गया, एक बच्चे को उसके मां-बाप के सामने जला दिया गया, एक मां की हत्या उसके पुत्र के सामने कर दी गयी तथा इसी प्रकार के अन्य अमानवीय कृत्य किए गए। हम इसे भूल जाना चाहते हैं। परन्तु क्या इतनी आसानी से भारत के दामन पर लगे इस दाग को धो पाएंगे?

मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं सर्वप्रथम एक भारतीय हूं। इस देश का तथा इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले भारतीय है। इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। वास्तव में यही तथ्य हम लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। परन्तु जब कभी हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारी महान परम्परा को नकारा जाता है, हमारी सहनशीलता पूरी तरह खत्म हो जाती है और लोग निर्दोष व्यक्ति की हत्या करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को हम यहां रखते रहे हैं तथा संभवत: मैंने यहां इस बात को एक बार पहले भी कहा है।

अपने पहले दौरे के दौरान मैंने कुछ स्थान देखे जहां हिंसा हुई थी तथा कुछ कैंप और कुछ अस्पताल भी देखे। एक पत्रकार द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि हम सभ्य देश में रह भी रहे हैं या नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या यह तीखी प्रतिक्रिया थी किन्तु यह केवल वह है जो मैंने ईमानदारी से महसूस किया। यह खेद की बात है और इसलिए हम गुजरात पर कई बार चर्चा करने से खुश नहीं हैं।

किन्तु कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी भी दिये जाने हैं। राज्य सभा में सदस्यों के गणित को देखते हुए सरकार ने अपना पक्ष रखा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करना स्वीकार कर लिया। मैं, माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत कौन से कदम उठाए गए हैं जो केन्द्र सरकार ने वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए उचित समझे।

जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग एवं अन्य निकायों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की। इस पर कौन से अनुवर्ती कार्यवाही की गई? दुर्भाग्यवश मुझे जून के मध्य में कैम्पों में जाना पड़ा। हम वाम मोर्चे के शिष्टमण्डल में वहां कुछ निधियां वितरित करने गए थे जो हम पश्चिम बंगाल से जुटा पाए थे। यह पश्चिम बंगाल के लोगों का योगदान था। शिविरों में स्थिति अभी भी सोचनीय है। यह कोई भी प्रश्न कर सकता है कि हम वाकई प्रगतिशील देश हैं या नहीं। हम विकसित देश हैं या विकासशील? महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोग बिना किसी छत के सूर्य की झुलसती गर्मी में रह रहे हैं। वहां संघर्ष लगभग नगण्य है। यहां

* अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की, अत: दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

तक कि वहां पेय जल की आपूर्ति भी ठीक नहीं है। वहां शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। श्रीमती भावना क्या इन सबसे आप इनकार सकती हैं? मैं आपसे अनुरोध करूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: मैंने इसलिए कहा कि अगर मैं वह पढ़ती तो उसमें सब आ जाता। एक समिति बनी जिसमें सभी पक्ष के सभी मुख्य अधिकारियों की एक समिति बनी और उसमें जो भी कमी थी, वह सब पूरी की है।...*(व्यवधान)*

श्री सवशीभाई मकवाना (सुरेन्द्र नगर): वह कागजी कमेटी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं कि मैं यहा उपस्थित किसी भी माननीय सदस्य की सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ किन्तु जर्मीनी सच्चाई को भी देखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि दंगों के बाद गुजरात कितने सदस्य गए। मैं कहता हूं कि कुल मिलाकर यह सब अच्छी बातें नहीं हैं। वहां की स्थिति देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। कम से कम मैं तो विचलित हुआ ही हूं। एक साधारण विनम्र भारतीय के रूप में मैं इससे विचलित हूं कि इस देश के निरपराध लोग ही कठिनाई में हैं। महिलाएं और बच्चे कष्ट में हैं। क्या आज यही कहा जायेगा है कि सब ठीक है? वे कहा टिकेंगे? श्रीमती भावना, कितने घर नष्ट किए गए तथा पुन: बनाए गए हैं? क्या सभी घरों को पुन: बनाया गया है? उस दिन यह खबर मिली है कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार अंजली इला मेनन और एक सज्जन ने यह कहा कि अल्पसंख्यक किराएदार तथा नष्ट हुए वाले सभी समस्याग्रस्त हैं। अब अन्य समुदाय का मकान मालिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर रहा है क्योंकि किराएदार कोई दस्तावेज या पेपर नहीं दिखा सकता। वहां कुछ भी नहीं है। नष्ट हुए घरों हेतु दी जा रही क्षतिपूर्ति की राशि अब वहां पर मकान मालिक ले रहे हैं। ऐसा एक अवसर पर नहीं बल्कि कई अवसरों पर किया जा रहा है। इसलिए श्री शांता कुमार बोल पड़े। हालांकि वे वचनबद्ध हैं किन्तु फिर भी वे उद्वेलित हो गए संभवत: आपको रुकने के लिए और यह सब सुनने के लिए कहा गया है क्योंकि आप भाजपा या आर.एस.एस. की नजरों में अड़ियल हैं क्यों कि आप जो भी दिल में आता है, कह देते हैं और आपको उस ओर बैठे अपने मित्रों द्वारा किए गए गुणगान सुनने की आदत है। वे अपने द्वारा कहे गए एक भी कथन से न तो मुकरे हैं और न ही उसे वापिस लिया है। इसलिए यह कहना कि वहां स्थिति सामान्य है यह स्थिति की या तो अतिश्योक्ति है या फिर उसे कम आंकना है। मुझे क्षतिपूर्ति राशि के 50, 100, तथा 150 रुपये के चेक दिखाए गए हैं। घर नष्ट होने पर मुझे क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में 81 रुपये का चेक दिखाया गया और व्यापार नष्ट होने पर मात्र 250 रुपये दिये जाते हैं। मैं समस्या ग्रस्त लोगों की तुलना नहीं कर रहा हूँ। एक ओर उन्हें इतना रुपया प्राप्त हो रहा है जबकि दूसरी ओर जनता को कितना रुपया मिल रहा है। क्या आप इन चीजो से इंकार कर सकते हैं? आप प्रसन्न है कि वहां हिन्दुत्व सा है। हिन्दुत्व की जागृति हुई, आपने कहा। हिन्दुत्व में क्या जागृति हुई? हिन्दुत्व में क्या समस्या है? हिन्दुत्व में क्या दिक्कत है? कृष्ण जी बोलिए। आप तो उनको सपोर्ट करते हैं। समस्या वहां है? भारत में हिन्दुत्व खतरे में कहां हैं? क्या हिन्दु भारत में कहीं खतरे में है? हिन्दुत्व की प्रयोगशाला के रूप में उन्होंने गुजरात का ही चयन क्यों किया? हिन्दुत्व जागृति क्या है? हिन्दुत्व की जागृति हुई है। यह आपने ही तो बोला था?

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: नही, मैंने नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हर चीज को एक प्रकार ही से न लीजिए। यह ठीक नहीं है। देश की चेतना विवेक नाम की भी कोई चीज होती है। क्या गुजरात के मेरे सम्मानित मित्र कह सकते हैं कि वहां असुरक्षा की भावना नहीं है? क्या आप ईमानदारी पूर्वक यह कह सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी: काश! मैं वह स्वीकार कर सकता। मिनिस्टर साहब बोलिए। क्या आप सोचते है कि वहां पूर्ण विश्वास की भावना व्याप्त है और वहां असुरक्षा की भावना नहीं है? आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि अपने कार्यों में जुटे रहने वाले और अपना व्यवसाय करने वाले लोग लोकतंत्र में नागरिकों को मौलिक अधिकार अर्थात स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों में भाग ले सकेंगे। आप उनसे ऐसा करने की आशा कैसे कर सकते हैं? मतदाता सूचियों से नाम हटा दिए गए हैं। जैसा कि श्री कमलनाथ ने सही कहा कि पहचान ही कायम नहीं की जा सकती। उन्होंने यह हमसे भी कहा। वहां राशन कार्ड पहचान-पत्र और मतदाता पर्चियां इत्यादि नहीं हैं। वहां कुछ भी नहीं हैं। सब कुछ नष्ट हो गया है। आप कह रहे हैं कि मतदान से उन्हें बहुत खुशी होगी।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

गुजरात की शान के बारे में आप ठीक ही कह रहे थे। मुझे भी ऐसे देश का होने पर गर्व है जहां गुजरात है। किन्तु यहां गांधी जी ने गोड्से और गोड्से से नरेन्द्र मोदी तक थोड़ा मंथन तो हुआ है। स्थिति यह है। अब निशाने पर कौन है? इस सरकार का लक्ष्य क्या है? चुनाव समय से पहले क्यों कराने की आवश्यकता है? किसी एक भी माननीय सदस्य ने हमें यह नहीं कहा कि चुनाव पहले क्यों होने चाहिए। क्यों? कारण क्या है? यह कोई नहीं कह सकता कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है। मुकदमे पूरी तरह से दिखावा मात्र हैं। कैसे आरोप-पत्र गढ़े गए हैं? श्री कमलनाथ ने हस्तांतरणों के सम्बंध में सही कहा। पंचमहल के कलैक्टर और पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है। यदि आप गोधरा गए हो तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने कर्त्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कितनी तत्परता से किया है। केवल इसलिए कि 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो संसद के स्थानीय सदस्य को पसन्द नहीं था अत: दोनों का स्थानांतरण कर दिया गया। सेवा के मनोबल को क्या हो गया है। अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने के लिए उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। भावना जी, मुझे विश्वास है कि आप गोधरा गई होंगी। भावना जी, क्या आप गोधरा गई थीं, आप नहीं गईं। आपने उस युवा कलैक्टर से बात नहीं की।...*(व्यवधान)* उनमें से कोई नहीं गया। जी, हां उस महिला का स्थानांतरण किया गया। कलैक्टर दयंती रवि और पुलिस अधीक्षक राजू भार्गव दोनों को स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि भावना जी उन्हें पसंद नहीं करती।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफर होने की एक प्रक्रिया है। ट्रांसफर तो होते रहते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया को लागू करने से आप जल्द ही इतिहास के गर्त में डाल दी जाओगी। यह प्रक्रिया होनी चाहिए कि आपको भी जाना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर):...*(व्यवधान)* आप चुनाव क्यों नहीं चाहते? यदि सभी लोग हमारे खिलाफ हैं तो श्री सोमनाथ चटर्जी आपको चुनाव की मांग करनी होगी। आप चुनाव की मांग क्यों नहीं करते? आप चुनाव क्यों नहीं चाहते हैं? आपको पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा ...*(व्यवधान)* आप हँसकर टाल नहीं सकते हैं। आप सिर्फ हंसना जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मुझे हंसने की आवश्यकता नहीं है। श्री स्वाईं आप तो इससे भी नीचे के स्तर पर हैं। मैं अपनी हंसी आपके लिए बर्बाद करना नहीं चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब तक श्री सोमनाथ चटर्जी अपना स्थान नहीं ग्रहण करते हैं तब तक किसी भी बात को कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, यदि आप कुछ बोलेंगे तो कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएंगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वे सभा में स्थान नहीं ग्रहण कर रहे हैं इसलिए कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं और श्री आठवले अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं बोलने जा रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जब तक श्री सोमनाथ चटर्जी बैठ नहीं जाते किसी भी सदस्य की बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी। मैं इसे गम्भीरता से ले रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले आप मुसीबत मोल ले रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण क्या आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे? कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने स्थान नहीं ग्रहण किया है। इसलिये कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: गुलबर्गा सोसायटी में हुई घटना, जो आप सभी जानते हैं, में हमारे पूर्व सहयोगी श्री अहसन जाफरी और 38 लोग मारे गए थे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जैसा कि मैंने कहा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने स्थान नहीं ग्रहण किया है। अत: दोनों सदस्य की बात को एक साथ कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र से उद्धरण दे रहा हूं। इसमें यह कहा गया है कि 20,000 लोगों की भीड़ पर श्री जाफरी द्वारा गोली चलाए जाने के बाद ही वो मारे गए।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): हमने अखबार में इसे दो महीने पहले पढ़ लिया है। आप बार-बार वही बाते कहकर हाउस का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं।*...(व्यवधान)* अगर आपको कोई नई बात कहनी है तो वह आप कहिए।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या प्रश्न उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री छत्रपाल सिंह: हमको भी अपनी बात कहनी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो कुछ भी हो परन्तु यह असंसदीय नहीं है। अपने मामले की दलील देने के लिये वे इसका उद्धारण दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: इस सभा में माननीय सदस्य व्यवधान डालने वाले माननीय सदस्य कितने हैं? यह मैं नहीं जानता हूं। महोदय मुझे तो आपने बोलने की अनुमति प्रदान की है। क्या वे मेरे भाषण में व्यवधान डाल सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: दुर्भाग्यवस यही समस्या है। वरिष्ठ सदस्य भी इस प्रकार पेश आते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आरोप पत्र में यह कहा गया है कि श्री जाफरी द्वारा 20,000 लोगों की भीड़ पर गोली चलाने के बाद ही यह घटना घटी और वे मारे गए।

अपराह्न 05.00 बजे

महोदय, मैं इस प्रश्न में नहीं जा रहा हूं कि श्री ईशान जाफरी ने गोली चलायी अथवा नहीं बल्कि इस आरोप पत्र की हास्यास्पद स्थिति पर तो गौर कीजिए। इसमें यह कहा गया है कि श्री ईशान जाफरी और 38 अन्य लोग इसलिए मारे गए क्योंकि गोलियां चलीं थीं। अत: जिम्मेवारी दूसरे पक्ष की है न कि आरोपी की।

इसके पश्चात् नरोदा पाटिया के संबंध में आरोप पत्र यह कहता है कि हिन्दुओं पर हुए कतिपय आक्रमण के कारण 83 लोग मारे गए।

महोदय, एक सुविख्यात जज, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश—मैं उनका उद्धरण दे रहा हूं: यह मेरा कथन नहीं है, यह भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश का कथन है- वे कहते है कि: "इस व्यवसाय में अपने लम्बे सेवाकाल में मैंने ऐसा आरोप पत्र नहीं देखा जो बचाव पक्ष को अनुकूल रास्ता इंगित करता हो।" वहां कि पुलिस इस प्रकार कार्य कर रही है। कतिपय मामलों में आरोपियों को पहले ही मुक्त कर दिया गया है क्योंकि इनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई आगे नहीं आया। उन पीड़ितों में जो अभी भी जीवित हैं में हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर शक्तिशाली लोगों के खिलाफ गवाही दें। पुलिस उनकी बात सुन रही है। वहां कानून और व्यवस्था और सुरक्षा की भावना नहीं है। वहां ऐसी स्थिति विद्यमान है।

अत: हमारी यह मांग है कि वहां पर जीवित प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुचित राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। क्या यह मांग गलत है? भारत के नागरिक के रूप में क्या मैं यह नहीं कह सकता कि इस देश के नागरिक पर धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचार का शिकार न होना पड़े। क्या धर्म निरपेक्षता केवल संविधान की प्रस्तावना में रखने के लिए है? क्या इस देश में व्यवहार में लाया नहीं जा सकता है। और क्या लोग इससे दूर भाग सकते हैं? इसके बाद यह गलत आरोप लगाया गया कि किसी ने गोधरा की घटना की निंदा नही की। हम यह कहते रहे हैं और यह रिकार्ड में भी है। हम अभी कुछ नया नहीं कह रहे हैं। यदि हम सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे, कुछ संसद सदस्य अथवा कुछ राजनीतिक दल दिल्ली में समुचित कार्यवाही नहीं करेंगे तो क्या इस मार-काट को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। क्या आप इसे जैसे को तैसा कह सकते हैं?

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय, समस्या यह है कि कुछ लोग शर्मिन्दगी भी महसूस नहीं करते हैं। वे अपने राज्य में हुई घटनाओं के लिए शर्मिन्दा नहीं हैं। ऐसा माहौल बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में साहस और विश्वास की भावना पुन: जागृत हो सके। ऐसी स्थिति में क्या कार्यवाही करने का प्रयास किया जा रहा है? लोगों की मुसीबतों का लाभ उठाने के लिए उनके साथ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। वे लोगों की लाशों पर तथाकथित सत्ता का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे है। यही तो आपत्ति है। वहां अनुगृहीत करने वाले राज्यपाल साहिब और अत्यधिक सक्रिय मुख्यमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव के खत्म हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें उप-प्रधानमंत्री और भाजपा के जोशीले अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त है। वे आजकल बहुत सोचते हैं। आज भाजपा और एन.डी.ए. के सहयोगी दलों के हमारे मित्रों को क्या हो रहा है? वे पिछले माह अथवा इसके आस-पास से ही इस देश और इस सरकार की नहीं बल्कि भाजपा की छवि सुधारने में लगे हुए हैं। श्री वाजपेयी और श्री आडवानी की एकमात्र चिंता केवल भाजपा की छवि सुधारने की है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सही है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मेरे सभी मित्र केवल सिर हिलाकर अपना समर्थन और स्वीकृति दे रहे हैं। यदि आप लोगों की हत्या करते हैं, चलो मरो। यह ठीक है। यदि जब वे देश की सारी सम्पत्ति बेच रहे हैं। तो वह भी ठीक है, बेच दो। यदि वे रेलवे जोन तथा एक नया डिवीजन बना रहे हैं तो यह भी ठीक है। बात-चीत करके हल करो। अत: श्री प्रभुनाथ सिंह मुझे विश्वास है कि कम से कम आपकी अंतर्रात्मा तो बची होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आपकी बात को जब सही कहते हैं, तो हमारी सही बात को भी आप सही कह दीजिए न।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी, आपने बार-बार कहा कि कांग्रेस कम्युनल है तो भी आपने सोनिया गांधी को सपोर्ट दिया तो क्यों दिया? आपने यह बात बार-बार इसी पार्लियामेंट में कही।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे श्रीमती सोनिया गांधी से इतना क्यों डरते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: हम लोग नही डरते, लेकिन हम महिलाओं का आदर करते हैं। आपने उनको सपोर्ट किया, आपने कहा कांग्रेस कम्युनल है। आप 1993 में कांग्रेस के खिलाफ नो कान्फीडेंस मोशन लाये थे, तब भी आपने कहा था, कांग्रेस को कुड़ेदान में डाल दिया जाये।'' ऐसा आपने कहा था, तब भी आपने सपोर्ट किया तो क्यों किया?

श्री सोमनाथ चटर्जी: पूछिये न?

[अनुवाद]

आप इस बारे में अपने कारण बताइए कि आपने इसका समर्थन क्यों किया है। किसने उनका समर्थन किया है? आप क्या बात करते हैं। आपकी अपनी अंतरात्मा तो होगी—चाहे गिरवी ही रखी हुई हो। परन्तु मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप कृपया इस बात पर विचार कीजिए कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं? आपकी गुप्त कार्यसूची कहां है? जम्मू एवं कश्मीर में क्या हो रहा है? अत:, '370' उनकी वास्तविक कार्यसूची को लाया जा रहा है...*(व्यवधान)* यह देश की विडम्बना है कि इसका सत्ता सुख भोगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आपने अवसरवादितापूर्ण अपवित्र गठबंधन किया है। वे आप लोगों-छोटी पार्टियों का शीघ्र ही सफाया कर देंगे। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। आप सभी लोगों जिसमें श्री राशीद अल्वी के नेता और आपकी 'अम्मा' शामिल हैं। का सफाया हो जाएगा। वे आप सभी को खत्म कर देंगे।

परन्तु इस देश को बने रहना है। यह सुनिश्चित करना हमारी बाध्यता और परम कर्तव्य है कि इन साम्प्रदायिक ताकतों को इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में हटाया जाये। हम यह कहते हैं कि हमें इस पार्टी को और इस सरकार को और गुजरात में सरकार को देश के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें इस देश में साम्प्रदायिकता की आग में धधकने का मौका नहीं देना चाहिए हम इसका भरसक विरोध करेंगे। इसलिए हम यह कहते हैं कि इस सरकार अथवा इस पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए संविधान का दुरूपयोग नहीं किया जा सकता। अत: हम इसका विरोध करते हैं। मैं आशा करता हूं कि चुनाव आयोग इस सरकार जो जनता और राष्ट्र का विरोधी है, के जाल में नहीं फैंसेगा। ये जितनी जल्दी सत्ता से हटेंगे देश का उतना ही भला होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, लोग ठीक ही कहते हैं कि इधर के लोग भी एकपक्षीय वकालत करते हैं और उधर के लोग

भी एकपक्षीय बोल रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल निष्पक्ष बोलेंगे, यह हम आपको बता दें।

गुजरात पर चर्चा चल रही है, वैसे यह चर्चा पुनर्वास के सम्बन्ध में चलनी थी, लेकिन बीच में गुजरात में गुजरात में घटना घट गई, जिसके चलते पुनर्वास के साथ-साथ सरकार के पक्ष और विपक्ष में कि वहां राष्ट्रपति शासन हो या नहीं हो, इन सवालों पर भी चर्चा चल रही है। जिस समय गुजरात में घटना घट रही थी उससे सारा देश चिन्तित था, सरकार भी काफी चिन्तित थी। इसका प्रमाण भी है। अगर सरकार चिन्तित नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री चिन्तित नहीं होते तो यह नहीं कहते कि यह घटना देश के लिए कलंक है। वे नहीं कहते कि विदेश में हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। उनका वक्तव्य यह प्रमाणित करता है कि इस घटना से देश के प्रधानमंत्री काफी चिन्तित थे। गुजरात की घटना और गोधरा की प्रतिक्रिया में गुजरात की घटना की चर्चा चली तो भावना जी बोल रही थीं। गोधरा में घटना घटी तो किसी ने उस पर अफसोस जाहिर नहीं किया, किसी ने दुख व्यक्त नहीं किया। भावना जी, मैं बताना चाहता हूं इस देश में चाहे कहीं भी कोई घटना घटे, यह देश शांतिप्रिय देश है।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: 27 तारीख को घटना घटी थी, उसी दिन निंदा करनी चाहिए थी, बाद में सभी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: भावना जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, वे ईल्ड करें, तभी आप बोल सकती हैं, ऐसे खड़े होकर न बोलें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: रिकार्ड के लिए, उन्हें बताने दें कि कौन-कौन से दलों ने उस दिन निंदा नहीं की थी। पहली निंदा कांग्रेस से श्रीमती सोनिया गांधी ने की और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने...*(व्यवधान)* पहले दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी निंदा नहीं की थी, पहले दिन श्रीमती सोनिया गांधी ने इसकी निंदा की थी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, गोधरा की घटना की देश के सभी लोगों ने निंदा की है। यह देश शांतिप्रिय देश है। यह देश सद्भावना में विश्वास रखता है। इस देश में चाहे गांव में रहने वाले लोग हों या शहरों में रहने वाले लोग हों, कभी अशांति में विश्वास नहीं करते और न अशांति की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इसलिए निंदा नहीं की या किसी ने गम्भीरता से नहीं लिया, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। इसकी चर्चा सदन में भी हुई। हर पक्ष के लोगों ने गोधरा की घटना की निंदा की थी। यह भी सही है कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जो घटना गोधरा में हुई, किसी साजिश के तहत या सोचे-समझे, सुनियोजित षडयंत्र के तहत हुई या अपने आप में वह घटना घटी, इस बारे में अखबारों में तरह-तरह की चर्चाएं आई हैं। बहुत से लेख लिखे गए हैं। अभी प्रयोगशाला से सम्बन्धित लेख भी आया है। इन सब चीजों को देखने से हमारे मन में एक शंका पैदा होती है। अगर पहले से ही उस गाड़ी में पेट्रोल रखा था या ऐसा सामान था, जिससे आग लग सकती थी, क्या यह साजिश की तरफ इशारा नहीं करता। सरकार को बताना चाहिए कि अगर पेट्रोल रखा था तो साजिश किन लोगों ने की थी। ठीक है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। क्या इस कार्य में वे लोग शामिल नहीं थे, जो यह काम करना चाहते थे। उस घटना से गुजरात में और देश के दूसरे स्थानों में एक गलत मैसेज गया और उसकी प्रतिक्रिया हुई।

हम लोग भी गुजरात में चुनावों के दिनों में और अन्य दिनों में वहां के देहातों में भाषण देने जाते थे। हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी मित्रता है। इसको बदनाम किया जाता है, इसे साम्प्रदायिक कहा जाता है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन कहीं से भी कोई घटना साम्प्रदायिकता की नहीं घटी है। लेकिन एक ही घटना ऐसी घटना कि हम कहीं इस पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यह भी सच्चाई है। इस घटना का लाभ और हानि भारतीय जनता पार्टी ले ले, लेकिन देश की जनता इस घटना को अच्छा मानने को तैयार नहीं है।

एक बार भागलपुर में घटना घटी। वहां पांच हजार से ज्यादा लोग मारे गए। उस समय देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। कांग्रेस के कई पुराने और वरिष्ठ सदस्य इस समय सदन में बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उस घटना के बाद से कांग्रेस पार्टी की यह दुर्गति शुरू हुई कि वह आज तक उधर से इधर नहीं आ सकी। हो सकता है गुजरात में इनको लाभ मिले, लेकिन गुजरात में हमारे भी कई नजदीकी लोग रहते हैं। बिहार बेरोजगारी का भंडार है। वहां से लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं। गुजरात में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। उनसे हमारी दूरभाष पर बात होती है। बहुत सी बातों को लेकर, गुजरात की घटना को जानने के बाद हम महसूस कहते हैं कि आप हिन्दुत्व के नाम पर हिन्दुत्व की चर्चा करते हैं। हिन्दू धर्म को पढ़िए, उसमें भाईचारा सिखाया गया है। उसमें किसी व्यक्ति की हत्या और इस तरह की घटना की निंदा की गई है। लगता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हिन्दुओं के ठेकेदार बन गए हैं। हम यह मानने को तैयार नहीं हैं।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को हमारी बात बहुत बुरी लग रही है। घबराइए, मत हम इस हैसियत में तो नहीं हैं कि आपको जिता सकें, लेकिन 5-10 हजार वोट का नुकसान करने में हम कमजोर नहीं हैं। देश का ऐसा कोई शहर नहीं हैं, जहां बिहारी मौजूद नहीं हैं। इसलिए वाह-वाही करने की जरूरत नहीं है। वाह-वाही करने का रिजल्ट जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा, तो पता लग जाएगा। खाता भी खुलने वाला नहीं है, देश में, चिन्ता मत करिए।...*(व्यवधान)* यदि प्रश्न करेंगे, तो उत्तर तो देना होगा। ...*(व्यवधान)* गुजरात में जो घटना घटी है, उसे हम सरकार की विफलता या वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों की विफलता कहें, तो इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी और प्रतिक्रिया हुई। लेकिन प्रतिक्रिया के बाद लम्बे समय तक गुजरात में घटना घटती रही। हम गुजरात नहीं गए हैं। गुजरात के बारे में लोगों से बात हुई और टीवी के चैनल्स पर जलते हुए लोगों की तस्वीर देखते रहे हैं। आज वहां की स्थिति ऐसी बनी हुई है, बाप के कन्धे पर बेटे की लाश जाती है, तो कहते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा, बूढ़े बाप के रहते हुए, हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार जलाने या मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार दफनाने का अवसर भी गुजरात में नहीं मिल सका है। अब जो गुजरात में घटना घट रही है, उस पर नियंत्रण है, लेकिन उसको पूर्ण नियंत्रण नहीं कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी के मन से दहशत समाप्त हो चुकी है। लोगों के मन में भय का वातावरण है और दहशत का वातावरण है तथा चुनाव बहुत करीब है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब सब कुछ आपके पक्ष में है, तो चुनाव कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों? बाद में चुनाव करा लेते, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी, इतने बेचैन क्यों हुए कि विधान सभा को भंग करना पड़ा? इसका मतलब यह है कि देश में हर जगह हिन्दू-मुस्लिम दंगा कराकर आप चुनाव कराना पसन्द करेंगे। जो भारतीय नागरिक होगा, वह इसको पसन्द नहीं कर सकता है।

महोदय, धारा 356 की बात कही जा रही है। हम सोनिया जी और सोमनाथ चटर्जी जी से कहेंगे, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप एक बात का उत्तर दें। कलकत्ता में शहीद मीनार मैदान में जब ज्योति बाबू और लालकृष्ण आडवाणी जी एक साथ मंच पर खड़े हो कर कह रहे थे कि राजीव हराओ, तो उस वक्त आप किस साम्प्रदायिकता के साथ दोस्ती कर रहे थे? हम आपसे इस बारे में जानना चाहते हैं। सोमनाथ चटर्जी जी, हम राजनीति मुद्दे और सिद्धान्तों को छोड़ रहे हैं। जिसका जहां स्वार्थ बनता है, बिगड़ता है, चाहे कांग्रेस के लोग हों या सीपीएम के लोग हों, राजनीति करते हैं। हम लोग तो रोज गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आप लोग हैं। इसलिए जिस सिद्धान्त और मुद्दे की बात आप कह रहे हैं, आप उसकी बात मत करिए...*(व्यवधान)* हमें आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। गिरगिट की तरह रंग बदलने की भूमिका आप लोग छोड़ दीजिए, सिद्धान्त की बात कीजिए।

जहां तक धारा 356 की बात है, संविधान में धारा 356 का प्रावधान इसलिए है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा होता है, तो केन्द्रीय सरकार इस कानून का उपयोग करती है। आप गुजरात के लिए परेशान हैं, लेकिन जब बिहार में धारा 356 लग रही थी, तो आप भी कूद रहे थे और सोनिया जी भी कूद रही थीं। आप उस दिन कहां थे? उस दिन क्यों धारा 356 का इस्तेमाल नहीं किया? बिहार से ज्यादा बदतर हालत गुजरात की नहीं है। यदि वहां पर धरा 356 नहीं लगीं, तो गुजरात में धारा 356 की जरूरत क्यों है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक बात जानना चाहते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री आपका है और राष्ट्रपति शासन के दौरान भी आप ही का आदमी बैठा होगा, तो लगा दीजिए धारा 356—चित्त भी आपकी और पट भी आपकी। लेकिन यह समाधान नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं एक प्रस्ताव रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन में निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो कश्मीर में जब राष्ट्रपति शासन लगा, तो उस समय भी रिगिंग हुई। अगर यह मानसिकता है कि राष्ट्रपति शासन में निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो मैं आपके माध्यम से सोनिया जी से निवेदन करना चाहता हूं। सोनिया जी, इस सदन की दो बड़ी पार्टियां हैं—एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आप। बहुत से मामलों में जब आप दोनों मिल जाते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता है, बहुत से मामले पास हो जाते हैं, एक बार इस सवाल पर भी मिल जाइए। इस बात पर मिल जाइए कि जब भी राज्यों के चुनाव हों तो चुनाव होने के एक महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप प्रस्ताव कीजिए और सरकार उसे स्वीकार करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): हम भी इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उसमें यह भी फैसला कीजिए कि जिस दिन से राष्ट्रपति शासन की अवधि होगी, उससे दो महीने पहले कोई स्थानांतरण, पदस्थापन करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसा कर दीजिए तो निष्पक्ष चुनाव होने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में रोज ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है, उसकी चर्चा यहां नहीं हुई, अगर गुजरात में ट्रांसफर और पोस्टिंग हो गई तो क्या हो गया। चुनाव में जो रहता है वह भी गड़बड़ी करता है। बंगाल में भी चुनाव में गड़बड़ी होती है। सोनिया जी के यहां कई

राज्यों में होती है। भारतीय जनता पार्टी ठीक से सब काम करती है, यही सच्चाई है। इसलिए हमने कहा कि हम किसी के पक्ष में नहीं, बिलकुल निष्पक्ष बोल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आप देश में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो विपक्ष की तरफ से चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव रखिए और सत्ता पक्ष की तरफ से इसे स्वीकार कीजिए, हम ताली बजा कर आपका समर्थन कर देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, समर्थन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): महोदय, गुजरात के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यूपी में जितने ट्रांसफर हुए, वे एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट ऑफ व्यू से हुए।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर इस हाउस में गुजरात के बारे में चर्चा हो रही है। जब गुजरात का नाम आता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जितने वाकयात इस मुल्क में हुए, फिरकेवाराना फसाद होना बुरी बात है, लेकिन जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो झगड़े हो जाते हैं। इससे ज्यादा बुरी बात यह है कि ऐसे फसादात के अंदर अगर हुकूमत शामिल हो जाए तो वह दुशवारी की बात हो जाती है। गुजरात के वाकयात को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इसमें कोई शुबहा नहीं है कि गुजरात में जो कुछ हुआ इसमें हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर था। जिस तरीके के वहां वाकयात हुए। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये हिन्दुस्तान के माथे पर कलंक का टीका है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हम शकल दिखाने के काबिल नहीं रहे। यह बात मैं दोहराऊं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के अल्फाज मैं जरूर दोहरा सकता हूं। अगर प्रधानमंत्री जी के जज्बात यह हैं तो आगे कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता है।

27 तारीख को गोधरा का वाकया हुआ। हमारे दोस्त ने कहा कि उन्हें हम कंडेम करते हैं, यकीनन हमारे पास उन्हें कंडेम करने के अल्फाज नहीं हैं। मैंने दिन में दो बजे हिन्दुस्तान के वजीरेदाखिला, होम मिनिस्टर को कंटेक्ट करने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि गोधरा में इस तरह के बाकयात हो चुके हैं, इसका रिएक्शन अहमदाबाद में हो सकता है। अहमदाबाद में लोगों ने मुझे कहा कि साढ़े तीन बजे गाड़ी यहां पहुंचेगी और उसके बाद यहां कोई कयामत बरपा हो सकती है। मैं यह बात सरकार को बताना चाहता था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। अगर मेरे जैसे मामूली आदमी को दो बजे यह पता चलता है कि अहमदाबाद के अंदर चंद घंटों के बाद कयामत बरपा होने वाली है। यह कैसे मुमकिन है कि सरकार को इस बात का पता न चला हो चाहे गुजरात की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो और उसे इस बात का इलम न हुआ हो कि गोधरा का रिएक्शन अहमदाबाद और दूसरे इलाकों में होने वाला है। यकीनन सरकार को कदम उठाने चाहिए थे। उसे एक कदम आगे बढ़ते हुए कदम उठाने चाहिए थे। गोधरा जो एक सैंसटिव इलाका है पिछले दस साल में दो बार वहां इस तरीके के बाकयात हुए। अगर सरकार की इंटैलिजेंस ठीक तरीके से काम करती तो ऐसे वाकयात नहीं होते और वे लोग जो अयोध्या से गोधरा वापस आ रहे थे, उसी समय सरकार को यह अन्दाजा हो सकता था कि ऐसे वाकयात हो सकते हैं। अगर गोधरा में यह कदम उठा लिया जाता तो ऐसे वाकयात नहीं होते। मैं इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। अहसान जाफरी साहब का वाकया बार-बार यहां आ चुका है। हाईकोर्ट के ऑफिशियल जज अपना मकान छोड़कर 90 साल की अपनी मां को कंधे पर उठा कर चले गए। ऐसे दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट के जज को इस खतरे से मार दिया जाएगा, वह अपने ऑफिशियल मकान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह छुप जाएं। मैं जब अहमदाबाद डैलिगेशन के साथ गया था और जिस में मोहतरमा सोनिया जी भी गई थी, जब वहां के चीफ सैक्रेटरी और सारा अमला मौजूद था उनसे इस बारे में पूछा तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को यह बात मालूम नहीं थी। सलीम नाम का एक डीआईजी का कसूर इतना था कि वह मुसलमान था। दूसरों को सिक्योरिटी देने वाले आदमी के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। जब कमीश्नर से पूछा क्या यह वाकया ठीक है, शर्म से कमीश्नर ने गर्दन झुका ली। डीआईजी के अपने पुलिस वाले उसे घर छोड़ने और लेने जाते थे। अगर डीआईजी वहां महफूज नहीं रह सकता तो एक आम आदमी कैसी महफूज रहेगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती।

आज वहां की असेम्बली को डिजॉल्व करके इलैक्शन हो रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री संवैधानिक तौर पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यह काम कर सकते हैं। यह बाकया इस मुल्क में पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी कोई राजनीतिक दल या सियासी जमात सत्ता में आती है इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वह मुल्क के हालात को गौर न करके और अवाम के म्फादात को मद्देनजर न रख कर अपनी मफात को पेशेनजर करती है। कानूनन यह बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया वैसे फैसले पहले भी कई बार किए गए हैं। दुनिया में अगर तारीख के पन्नों को पलटें चाहे जम्हूरियत हो या बादशाही, जो आदमी जब भी इतदार रहा उसने हमेशा अपने फायदे के लिए फैसले किए तारीख में ऐसी पचासों मिसालें मिल जाएंगी कि बादशाहों ने अपने भाइयों को मरवाया, अपने बाप को कैद में बंद कर दिया ताकि वे सत्ता में रह सकें। यह नया काम नहीं हुआ है। मैं ऑपोजिशन खास तौर पर कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो

[श्री राशिद अलवी]

अपने राजनीतिक इंटरस्ट को सैक्रिफाइज करे। हर पार्टी चाहे बीजेपी हो या दूसरी कोई पार्टी हो आज इस मुल्क में इस मुल्क में सबसे बड़ी चीज ताकत है, सत्ता है। आज आइडॉलोजी नहीं है। मेरे दोस्त जो चले गए हैं उन्होंने ठीक कहा कि आज सिद्धांत की राजनीति नहीं हो रही है, आज सत्ता की राजनीति हो रही है कि कैसे सत्ता में आए। आज उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। यह एक सैकुलर मुल्क है। 15 अगस्त 1947 को जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय के नेताओं ने इस मुल्क को हिन्दू राष्ट्र बना दिया होता तो शायद इस मुल्क पर कोई ऊंगली उठाने वाला नहीं था। उस समय हिन्दुस्तान का मुसलमान डरा हुआ था। पाकिस्तान बन चुका था। अक्लियत घबरायी थी और वह अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं थी।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): हम उस समय भी जिन्दा थे और अब भी जिन्दा हैं। हम नहीं मरेंगे।

श्री राशिद अलवी: उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान बना, अकलियतों के अंदर घबराहट हुई और वे अंदर दरवाजो में कुंडा लगाकर बैठ गये। अगर उस समय हिन्दू राष्ट्र बन जाता तो किसी को ऐतराज नहीं होता। जब पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि वह इस्लामिक देश है लेकिन उस वक्त के हमारे नेताओं ने तय किया कि हिन्दुस्तान सिर्फ सैकुलर मुल्क सरवाइव कर सकता है। इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मजहब, कल्चर और भाषा के लोग रहते हैं। इस मुल्क को सैकुलर मुल्क ही बनाया जा सकता है। आज अगर कोई हिन्दू-मुसलमान की राजनीति करता है, वह देश के हित की राजनीति नहीं करता। जो मुसलमान कम्युनल पौलिटिक्स करता है या हिन्दू कम्युनल पौलिटिक्स करता है, वह देश के मफाद में नहीं कर सकता उसकी फोरसाइटनैस बहुत कमजोर है। आने वाला कल यह साबित कर देगा कि ऐसे तमाम लोग जो इस देश में फिरकापरस्ती पैदा करना चाहते हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर यह मुमकिन होता कि इस मुल्क में हिन्दुत्व की बात करके सरकार में आ जाते या मुसलमान फिरकापरस्ती करके सरकार में आ जाते, उपाध्यक्ष जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन इस बात को नोट किया जाये कि जो राजनैतिक दल मुस्लिम फिरकापरस्ती करते हैं, वे इस मुल्क के किसी हिस्से की सरकार में नहीं आ सकते। यू.पी. में सरकार के अंदर नहीं आये। पिछले 52 सालों से अकेले सरकार नहीं बना पाये। यह मुल्क सैकुलर है और 85 प्रतिशत लोग हिन्दू ब्रौड माइंडेड हैं। हिन्दू कभी फंडामैंटलिस्ट नहीं रहा। जाती तौर से बहकाने से वह बदल सकता है, थोड़ी-बहुत कम्युनल बात करता है, लेकिन इस देश में मैजोरिटी सेकुलर लोगों की है। वह इस देश में सैकुलरिज्म दिखाना चाहता है और उसे मजबूत करना चाहता है।

उपाध्यक्ष जी, मेरी बात साबित होगी कि इस मुल्क में जो लोग सेकुलरिज्म की राजनीति करेंगे, वे सरवाइव करेंगे। सियासत के अंदर सभी फायदा उठाना चाहते हैं। आज गुजरात में चीफ मिनिस्टर फायदा उठाना चाहते हैं। मैं यह कहकर उन्हें क्रीटिसाइज नहीं कर रहा हूं। यहां सबको अख्तियार है कि वह अपने हिसाब से राजनीति करे। अगर श्री नरेन्द्र मोदी असेम्बली के चुनाव कराना चाहते हैं तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई राजनैतिक दल इस बात को महसूस करता है कि यह गलत है तो उसे लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिये। इसमें क्रिटीसाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुजरात में जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रखना चाहिये। अगर गुजरात की जनता यह समझती है कि हिन्दुत्व इस देश में सरवाइव कर सकता है, इस देश के अंदर कम्युनल ताकतें सरकार में आ सकती हैं तो जनता के फैसले की रैस्पैक्ट करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मेरा यकीन है कि इस देश के अंदर केवल सैकुलरिज्म ही सरवाइव कर सकता है और वह ही इस देश को ताकत दे सकता है। चुनाव आयोग को इस बात का अख्तियार है कि वह कब और कैसे चुनाव कराये। गुजरात विधानसभा का अंतिम सत्र 5 अप्रैल को हुआ था और 5 अक्तूबर तक असैम्बली मीट कर सकती है। संविधान के आर्टिकल 174 के मुताबिक 6 महीने के अंदर सैशन होने चाहिए लेकिन डिजाल्व असैम्बली का क्या होना चाहिए, इसका कोई फैसला आर्टिकल 174 में नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर के रोल के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं सदन में कांग्रेस और बी.जे.पी. के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि उन दोनों को ईमानदारी के साथ बैठकर सोचना चाहिए कि गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए। आज तक इस देश के अंदर गवर्नर सैंट्रल गवर्नमेंट के एजेन्ट के रूप में राज्य में काम करता आया है। राज्य में कभी किसी दल की और कभी किसी दल की सरकार आती है। भविष्य में उसका रोल क्या होना चाहिए, इस बारे में कोई न कोई फैसला करना चाहिए। इकबाल ने राजनीति को डिफाइन करने के लिए एक शेर कहा है:

इस खेल में तय्युने मरातीब है जरूरी,
शातिर की इनायत से तू फर्जी में प्यादा,
बेचारा प्यादा तो है मोहरा-नाचीज,
फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा।

इसलिए प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर एम.पी. का रुतबा तय करना जरूरी है।

तू वजीर है, मैं पैदल हूं, यह खेल जो शातिर खेल रहा है, उसकी मर्जी से है। इस बात पर इतराने की जरूरत नहीं है कि तू चीफ मिनिस्टर बना है या तू मिनिस्टर बना है शातिर जो खेल खेल रहा है यह निर्णय कौन कर रहा है कि कौन क्या है।

इस खेल में तय्युने मरातीब है जरूरी,
शातिर की इनायत से तू फरजी मैं प्यादा,
बेचारा प्यादा तो है मोहरा ए नाचीज,
फरजी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा।

अफसोस मैं तो पैदल हूं, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन शातिर जो खेल खेल रहा है, इसका न तुझे पता है न मुझे पता है। वह अपने इंटरैस्ट में अगली बार तेरी गरदन कटवायेगा या मेरी गरदन कटवायेगा, इसका फैसला न तू कर सकता है, न मैं कर सकता हूं। ऐसा केवल शातिर ही करेगा। जो खेल खेल रहा है। इस राजनीति के अंदर गुजरात में जो शातिर है, जो खेल खेल रहा है, उसका क्या इंटरैस्ट है, इसका फैसला वह करेगा, कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन चीफ मिनिस्टर नहीं है, आने वाली राजनीति क्या करेगी, उसके अख्तियार के अंदर कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात लम्बी न करके इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कोई भी राजनीति हो, कोई भी पार्टी की सरकार आये, कोई भी पार्टी कुछ करे, उसे देश के हितों का ख्याल रखना चाहिए। अगर गुजरात के अंदर हाउस डिसॉल्व हुआ है, उसे मैं क्रीटिसाइज नहीं करता हूं। लेकिन अगर गुजरात में हाउस इसलिए डिसॉल्व हुआ है कि वहां पर कम्युनल रॉयट्स हुए थे, हिन्दू-मुस्लिम फसाद हुए थे, इसलिए उसका फायदा उठाकर राजनीति कर ली जाए, यह सही है कि आपने कांस्टीट्यूशन के मुताबिक अपने हर इक्दामात उठाये, अगर वे इक्दामात उन फायदों के लिए हैं कि वहां जो फसादात हुए, उन फसादात का फायदा उठाना है तो उससे ज्यादा कन्डैम कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। मैं आपकी नीयत पर शुबहा नहीं कर रहा हूं। अगर आप ईमानदारी के साथ इलैक्शन में जाना चाहते हैं, जनता की राय लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी नीयत यह है कि इस तरीके के फसादात से फायदा उठायें तो इससे ज्यादा...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप इतना लेकिन क्यों लगाते हैं, आप अपना एनालैसिस कीजिए। आप गुजरात गए हैं। आपका क्या आकलन है?

श्री राशिद अलवी: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। दासमुंशी साहब को पता है कि मैं लेकिन क्यों लगा रहा हूं, मुझे लेकिन लगाने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह आपके लिए एक कठिन प्रश्न है। क्या नहीं है?

श्री राशिद अलवी: हां, महोदय....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वह किसी के कंट्रोल में नहीं है, न आपके कंट्रोल में है और न मेरे कंट्रोल में है। उसका फायदा उठाने के लिए अगर इस तरह का फैसला हुआ है तो उससे ज्यादा बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है। इंसान की लाशों पर राजनीति नहीं की जा सकती है। मैं इस शेर के साथ एक मैसेज देकर अपनी बात खत्म करूंगा–

अपराह्न 5.38 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

जो लोग इक्तदारे में हैं, उन्हें इक्तदारे में रहकर यह नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा इक्तदारे में रहेंगे, उन्हें हमेशा दूसरों के जज्बात पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

शोहरत की बुलंदी तो एक पल का तमाशा है,
जिस शाख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): अध्यक्ष महोदय, नियम 193 के तहत यहां चर्चा चल रही है। जब से चर्चा शुरू हुई तब से अब तक मैं शांति से सुनती और देखती आ रही हूं कि चर्चा जिस विषय को लेकर शुरू की गई है, उस विषय को रखने वाले ने जिस विषय पर आना चाहिए था और जिस पर चर्चा चलनी थी, उस विषय पर आते हुए, समय समाप्त हो चुका था, तब तक उस विषय को छुआ तक नहीं गया था विषय रखा गया है गुजरात में असरग्रस्तों को उनके पुनर्वसन, रिहैबिलिटेशन के लिए गुजरात सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, इस बात पर चर्चा शुरू हुई। मैं देख और सुन रही हूं। जिस किसी ने भी बात की, उसने पुनर्वसन की चिंता कम की, असरग्रस्तों को जो सहायता मिल रही है उसकी जानकारी कम ली और राजनीति ही ज्यादा की। हमारे एक सदस्य ने कहा कि सरकार द्वारा मृतकों पर राजनीति की जा रही है। मैं कहना चाहती हूं कि मृतकों पर राजनीति करने का स्वभाव न गुजरात का है, न गुजरात के लोगों का है, न गुजरातियों का है और न ही उसे संभालते हुए हमारे मुख्यमंत्री का है। जो राहत कैम्प चलाए गए, उसकी ऑथेन्टिक रिपोर्ट मैं आपको दे सकता हूँ। पूरी रिपोर्ट यहां रखी गई है। उन कामों में भी किसको ज़िम्मेदारी सौंपी गई? जिन लोगों ने गुजरात में जाकर राहत कैम्पों का दौरा किया, वे जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के जाने-माने लोगों को जो उसी कैम्प से ताल्लुक रखते हैं, उसी कौम का नेतृत्व करते हैं, सारी राहत सामग्री जो हजारों क्विंटल में जा रही है और 455.38 लाख रुपये भी मिसलेनियस खर्च के लिए दिए गए, उन्हीं के हाथों में दिए गए ताकि कोई शको-शुबह की

[श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर]

गुंजाइश न रहे। कल कोई यह बात न कहे कि राहत कार्य शिविरों में अच्छा नहीं हो रहा है। राहत कार्यों में उनके स्वास्थ्य की चिन्ता बराबर की जा रही है। इसके लिए कोई तैनात किया है तो वह और कोई नहीं, बल्कि अहमदाबाद की महानगर पालिका हैं और उनके द्वारा ही ये सब काम किए जा रहे हैं। कैसे इंकार कर सकते हैं कि वहां जो सहायता दी गई, सफाई काम की या आरोग्य की, उनकी चिन्ता ठीक नहीं हो रही है?

गुजरात में दंगा होना कोई नया विषय नहीं है। गुजरात की जनता इस बात की भुक्तभोगी है। छोटी सी बात पर भी दंगा होना और उसका बहुत लंबे समय तक चलते रहना नियति बन गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से जो दंगा पीड़ित होने का दुर्भाग्य गुजरात भोग रहा है, आज इस वक्त मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पहली बार राज्यपालश्री के नेतृत्व में इन दंगा पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और वह भी सभी पार्टियों के लोगों को साथ लेकर पहली बार गठन किया गया। आज तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। राहत शिविरों की बात मैं कहूँगी तो उसको भी ऑथेन्टिकली कहना चाहूँगी कि राहत शिविर इतनी मात्रा में, इतने लोगों को, इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ पहले कभी नहीं दिए गए। अच्छा होता कि राजनीति करने वाले लोग इस विषय पर बात करते, जानकारी लेते और हमारा गुजरात जो बिल्कुल सीधा-सादा शांत गुजरात है, संस्कारमय गुजरात है, उद्योग की इकाइयों पर खड़ा हुआ गुजरात है, वह इस हालत में न जाता। गुजराती कभी किसी को मारना पसंद नहीं करता, चींटी को भी मारता नहीं है क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव नहीं है और इसलिए मैं यह भी कहूँगी कि हमारे यहां होने वाले उत्सवों में नवरात्रि से लेकर जगन्नाथ यात्रा तक के उत्सव अच्छी तरह से धूमधाम से मनाए जाते हैं और हमारी युवा बहनें भी आराम से पूरी रात-रात तक गहनों से लदी हुई घूम सकती हैं, यह गुजरात है। उसकी गरिमा तोड़ने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए या कोई अच्छा नेतृत्व उसे दे रहा है तो उसे नीचा दिखाने के लिए, जो राजनीति की जा रही है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ उन राजनेताओं से कि ऐसी राजनीति करने की जो प्रवृत्ति है, उसे थोड़ा अपने आप में संभालकर रखें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे श्री राशिद अलवी जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने अपने पक्ष को रखते हुए यह कहा कि जो अच्छी बातें थीं, जब उनको यहां बताने का प्रयत्न किया गया, तो टोका गया। हमारे यहां एक कहावत है जिसका भावार्थ यह है कि दर्द हो रहा है पेट में और कूट रहे हैं माथे को। यहां वही बात हो रही है कि तकलीफ हमें है और सिर दूसरों का कूटा जा रहा है।

महोदय, यहां चर्चाएं की जा रही हैं। चर्चा होना स्वाभाविक है। चर्चा करने और उसमें भाग लेने का संसद सदस्य का अधिकार है, लेकिन यदि बार-बार एक ही बात को कहते रहें और सच्चाई को न सुनें और गुजरात के दंगा पीड़ितों को जो घाव लगे हैं उन पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने का जो काम हो रहा है उस पर हमारी ही नहीं पूरे गुजरात की आपत्ति है। मरहम लगाने वाले लोग बार-बार गांधी का गुजरात और गौडसे का गुजरात बोल रहे हैं। जब से वे वहां होकर आए हैं, उसके बाद दूसरे दिन से ही बार-बार गांधी का गुजरात कह रहे हैं और तब से अब तक कम से कम 15 बार गुजरात का नाम ले चुके हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मन में कहीं न कहीं चोर है और यही चोर उनसे बार-बार गांधी का गुजरात और गौडसे का गुजरात बुलवा रहा था।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि हां, हमारा गुजरात है और रहेगा। इसके लिए किसी को प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है। हमारा गुजरात अपने आप में स्वयं संपूर्ण है और वह अपने विवेक से, अपनी नियति को तय करने वाला गुजरात है। इस देश को दिशा-दर्शन देने वाले गुजरात को किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है और न किसी के यह कहने से कि वह विपथगामी हो गया है, वह विपथगामी होगा। वह अपनी समस्या का अपने आप स्वयं समाधान करने में सक्षम है। बार-बार जब ऐसी समस्याओं का सामना गुजरात को करना पड़ा, तो उसने अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त किया। अपने आप में एक ट्रैडीशन खड़ी की है। वही गुजरात का गौरव है और रहेगा। किसी भी राजनीतिक दल को उसके बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

महोदय, यहां पुनर्वास की बात हो रही थी। मैंने राहत केन्द्रों के बारे में कुछ ब्यौरा दिया है। मैंने बताया है कि करोड़ों टन अनाज के रूप में गेहूं, चावल के रूप में दिया गया है और खाने का तेल, मिल्क पाउडर आदि सामान दिया गया है। उसके अलावा 455.37 लाख रुपए भी राहत कैम्पों के निर्वाह खर्च के लिए किए गए हैं। वे लोग हताहत हुए हैं उनमें उनकी हताहत होने की प्रतिशतता के अनुसार नकद सहायता राशि दी गई है। हातहतों की चिन्ता इस हद तक की गई है कि जो जितना ज्यादा हताहत हुआ है उसको उतनी ज्यादा धनराशि दी गई है। जिनको 10 प्रतिशत इजा हुई है उन्हें 5000 रुपए दिए गए हैं। जिनको 20 प्रतिशत इजा हुई है उन्हें और ज्यादा धन दिया गया है। पहले 10 प्रतिशत इजा वालों को 2000 रुपए दिए गए थे, लेकिन जब हमारे प्रधान मंत्री वहां गए और उन्होंने हालत देखकर अपनी राहत निधि से धन देने का ऐलान किया, तो हताहत लोगों की सहायता राशि को और बढ़ाया गया। इसकी जांच कोई ऐरे-गैर व्यक्तियों को नहीं सौंपी गई है बल्कि गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन के सचिव, कलैक्टर एवं अन्य राजस्व अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। अहमदाबाद में तो

रुलिंग पार्टी के साथ-साथ विपक्ष के लोग भी इस जांच में शामिल हैं, फिर आप इससे कैसे मना कर सकते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जो गलत है, वह तो है ही, लेकिन जो सही है, उसे भी सही कहने की सामर्थ्य लोगों में नहीं है और सदन को गुमराह करने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस सदन को आधार बना रहे हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे कामों के लिए कम से कम इस सदन को आधार नहीं बनाना चाहिए।

जिन मकानों की क्षति हुई, उनका भी सर्वे कराया गया। मेरा कहना है कि सचिव लेवल के लोगों को प्रभारी बनाकर सर्वे का काम सौंपा गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूं कि हमारे या आपके व्यक्ति इस काम को नहीं कर रहे हैं। यह जो सर्वे हुआ, उसके आधार पर 21,362 मकानों को अंशत: नुकसान हुआ और उनके लिए 1829.37 लाख रुपये दे दिये गये हैं। जहां मकानों का सम्पूर्ण नुकसान हुआ, ऐसे 5,584 मकानों का सर्वे हो चुका है। इन मकानों के लिए भी 790 लाख रुपये दे दिये गये हैं। जिन लोगों के रोजगार छीन लिये गये, यह किसने किया और कैसे हुआ, किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी जांच के लिए एक कमीशन वहां बैठाया गया। वहां जो भी नुकसान हुआ, उन लोगों ने उसका सर्वे किया। इस संबंध में 4,197 अर्जियां आई थीं। उसमें भी जो केस मंजूर हुए, उनके लिए 510.28 लाख रुपये दिये गये। यह सारा काम किसी और ने न करके गुजरात सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें अगर मैं एक भी राजनेता के मुंह से सुनती तो मुझे अच्छा लगता लेकिन इस बात की राजनीति करना ठीक परम्परा नहीं है। हमें इसे छोड़ना चाहिए। अभी यहां पर किसी ने बताया कि गुजरात में किसी को 20 रुपये या 50 रुपये का चैक दिया गया है और वह चैक यहां दिखाया गया है। मेरा कहना है कि जिसको 50 हजार रुपये का चैक मिला है, उसको भी ढूंढ़कर यहां लाते और बताते तब मैं आपके बैलेंस्ड व्यक्तित्व को या प्रतिनिधित्व को सलाम करती लेकिन यह नहीं हुआ है। क्यों यह सब किया जा रहा है? किसी को बदनाम करना है या कोई काम कर रहा है तो उसको रोकना है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि 110 राहत शिविरों में से लोग वापिस गये हैं। कैसे गये हैं? उनके मन में इत्मीनान हुआ तभी वे वापिस गये हैं। इन लोगों ने जाना है वहां एक दिन में नहीं गये हैं। राहत शिविरों में रहते हुए लोग बार-बार...*(व्यवधान)* मुझे टोका न जाये। आप बाद में बोलिये। ....*(व्यवधान)* मैं यील्ड नहीं कर रही हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, यहां पर 20 रुपये और 50 हजार रुपये चैक की बात की जा रही है। अगर 50 हजार रुपये का एक-आध चैक यहां दिखा दिया जाये। ...*(व्यवधान)* मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। यहां पर बात विश्वसनीयता की है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: मैं एक-आध की बात नहीं कर रही हूं। मैं लाखों-करोड़ों का हिसाब दे रही हूं। क्या आप चैलेंज कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, सवाल विश्वसनीयता का है। अगर 20 रुपये का चैक दिखाया गया है तो आप 50 हजार रुपये की जो बात कर रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: अध्यक्ष महोदय, मैं यील्ड नहीं कर रही हूं।...*(व्यवधान)* मैं आपका संरक्षण चाहूंगी।...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी: उस चैक की फोटो कापी भी दिखा दी जाये तो आपकी बात की विश्वसनीयता सिद्ध हो जाएगी। ...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि यह पूरी बात गलत और बनावटी है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: आपके प्रमाण-पत्र की कोई जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री दीपक पटेल (आनन्द): वहां चैक दिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी: यहां 20 और 40 रुपये का चैक दिखाया गया है। आप भी वह चैक दिखा दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री दीपक पटेल: हम आपको वह चैक दिखा देंगे। यह मैं वचन देता हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इतना अच्छा काम करने के बाद उन्होंने खुद खड़े होकर गुजरात की प्रजा और गुजरात के लोगों के बीच यह बात रखी, अभी लोग कह रहे थे कि मोदी जी को राजीनामा दे देना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राजीनामा आप क्या मांगेंगे। हमारी गोवा की राष्ट्रीय कमेटी मीटिंग में उन्होंने खुद राजीनामा दे दिया था जो स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन लोगों ने वहां सिर्फ राजनैतिक रोटियां सेकने वाली बात नहीं दिखाई थी। उन्होंने यह भी देखा कि वहां बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब गुजरात सरकार डिज़ाल्व हो गई है, उसके बाद भी कहा जाता है कि श्री मोदी वहां नहीं होने चाहिए। वहां कौन होना चाहिए, यह गुजरात की प्रजा तय करेगी। गुजरात की प्रजा इतनी समझदार, इतनी विवेकपूर्ण और अपनी नीयती को निश्चित करने वाली है कि वह खुद तय करेगी कि कौन उसका नेता होना

[श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर]

चाहिए, कौन मुख्य मंत्री होना चाहिए। गुजरात या देश को अगर कोई चला सकता है तो वह गुजरात से निकला हुआ नेतृत्व ही चला सकता है। उसमें एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने इसे देश का मार्गदर्शन किया। गुजरात खुद अपना भाग्यविधाता है। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे ही हमारे बापू गुजरात की चिन्ता अच्छी तरह करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। वे भी बापू हैं, वे भी प्रचारक हैं।...*(व्यवधान)* अगर श्री नरेन्द्र मोदी प्रचारक होने पर आपको आपत्ति है तो हमारे बापू भी प्रचारक रह चुके हैं।...*(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): देश का बापू एक ही रहने दें। ...*(व्यवधान)* जितनी नृशंस हत्याएं कराईं, करवा दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: गिरिजा जी, आपको चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास: बापू गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, बापू को यहां रिपीट न करें।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इसे एक्सपंज करवाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया जाए। माननीय संसद सदस्य स्वयं की तुलना स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी से कैसे कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: वे हमारे ग्रापू हैं, हम कहेंगे, उसमें आप आपत्ति नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास: आप भारतीय जनता पार्टी का बापू बोलो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जयाबेन, आप एक मिनट रुकिए, मैं इनकी बात सुनना चाहता हूं।

डा. गिरिजा व्यास: महिला होने के नाते बहुत देर से मैं इनकी बात सुन रही थी। मैं बिल्कुल पड़ोस में रहती हूं, दस किलोमीटर से हमारी सीमा शुरू हो जाती है। जो आंकड़े बताए गए हैं, वे पूरी तरह सही नहीं हैं। कृपा करके आंकड़े ठीक करें।

हमारा दूसरा ऑब्जैक्शन है, जो आप सबका होगा, कि वे अपने नेता का नाम किसी तरह भी कहें लेकिन गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता है, इसलिए मेहरबानी करके वे उस नोन नाम को यहां किसी और के नाम के साथ जोड़कर न बताइएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: कमलनाथ जी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में बताया। जैसे यहां फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात रखी जाती है, वहां दो हजार लोगों की भीड़ तलवार के साथ आई थी, पैट्रोल और डीजल के साथ उन्होंने जो हमला किया, गाड़ियों के डिब्बे जलाए गए, उसके पीछे कैनवस को तलवार से चीर कर अंदर आकर उन्होंने पैट्रोल छिड़का—ये भी उनमें पकड़े गए लोगों द्वारा दिए हुए बयान हैं।

सायं 6.00 बजे

यह भी आथेण्टिक है, जो गुजरात सरकार से आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो यह क्या बात हुई। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट को यहां बताया जाता है और उसकी अनुशंसा दी जाती है तो यह भी एक बात है कि जो लोग पकड़े गये हैं, उनमें जो नाम आये हैं, वे हाजी बिलाल और कनकट्टा के हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, चुने हुए लोग हैं, जिनका नाम आता है। उसका आपके पास क्या जवाब है? वे कांग्रेस के काउंसलर हैं और जिल्ले के वाइस प्रेसीडेंट हैं। यह आपके ऊपर आरोप है, गुजरात की जनता आपसे इसका जवाब मांगेगी, जवाब मांगेगी क्या, बल्कि जवाब दे देगी।

मैं फिर से कहूंगी कि दुख देने वाली उन घटनाओं को, जो गोधरा काण्ड के दिन हुईं या उसके बाद हुई, इनको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए था। उसके पीछे हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, ऐसे सुझाव आते तो ठीक था, लेकिन जिनके भी भाषण सुने, सिर्फ राजनीति, सिर्फ राजनीति, 100 राजनीति सुनी और राजनैतिक आधार पर ही इस चर्चा को लिया जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है, न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे सदन को दुख होना चाहिए और गुजरात की जनता को तो दुख है ही।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं नियम 193 के अधीन गुजरात में दंगा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के संबंध में इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय संसद सदस्यों द्वारा गोधरा कांड और गुजरात की स्थिति पर बहुत कुछ कहा जा चुका है।

मैं, गुजरात गए दलों के नेताओं के साथ वहां गया और स्थिति का आंकलन किया। हम चार या पांच माह पूर्व ही गुजरात की स्थिति पर इस सदन में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। गोधरा में साबरमती एक्सप्रैस पर हुए हमले के तुरंत बाद मेरी नेता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, डॉ. पुरातच्ची थैलेवी जयललिता ने इस घटना की निंदा की थी।

अब गुजरात की परिस्थितियां चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरित हो गई हैं। सभी संसद सदस्य पुन: इस हत्याकांड की घटना को इस सदन में स्पष्ट कर चुके हैं। मैं इसे पुन: दोहरा कर समय नष्ट नहीं करना चाहता। जहां तक चुनावों का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि इस बात का निर्णय चुनाव आयोग को करना है कि चुनाव कब होने चाहिए और यह निर्णय गुजरात के लोगों को करना है कि वे राज्य पर शासन करने हेतु किसे मत देते हैं।

हम सभी यह जानते हैं कि चुनाव आयोग के पास चुनावों को स्थगित करने या समय से पहले चुनाव कराने की शक्ति है। उसके पास संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत इस बात का पूर्ण अधिकार है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात् पूर्व प्रधानमंत्री श्री आई. के. गुजराल ने चुनाव स्थगित करने के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, उन्होंने इस आधार पर चुनौती दी थी कि चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सुनवाई की थी। न्यायाधीश इस मामले पर आपस में मतभेद होने के कारण किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे। एक न्यायाधीश का कथन था कि चुनाव आयोग चुनाव स्थगित कर सकता है जबकि दूसरे न्यायाधीश ने इसके विपरीत टिप्पणी की थी।

उच्चतम न्यायालय ने 1978 में मोहिन्दर सिंह गिल बनाम भारतीय संघ के मामले में एक निर्णय सुनाया था। शायद श्री सोमनाथ चटर्जी इसके बारे में जानते होंगे।

चुनाव आयोग को तिथि निर्धारित करने और उसे स्थगित करने का अधिकार है। वह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व जो कुछ भी संभव हो कर सकता है, केवल चुनाव याचिकाएं रह जाती हैं। इस प्रकार, इस मामले में मेरी यह ठोस राय है— परिस्थितियों का आकलन करना चुनाव आयोग का कर्त्तव्य है। चुनाव आयोग ने पहले भी एक संवैधानिक निकाय होने के नाते, एक प्रभुसत्ता सम्पन्न निकाय होने के नाते बहुत से स्वतंत्र निर्णय लिए हैं। अत: तिथि का निर्णय करने का कार्य चुनाव आयोग का है।

महोदय, सदन के एक वर्ग को आशंका है जबकि सत्ताधारी दल की अपनी आपत्तियां हैं। हमारी वैधानिक आधार पर अपनी अपनी अलग राय है क्योंकि अब वहां की समस्या का एकमात्र हल गुजरात में चुनाव कराना ही है। इससे पीड़ितों सहित गुजरात के लोगों को राहत भी मिलेगी।

महोदय, हमने गुजरात का दौरा किया था। हमने अस्पतालों में घायलों को देखा। हमने शिविरों का भी दौरा किया था। फिर शिविरों और अस्पतालों से मिले सारे ब्यौरे को एकत्र करके हम इस सदन में आए और हमने उस पर विस्तार से चर्चा की।

महोदय, सत्ताधारी दल के अनुसार चुनाव समीप हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं कहा है। चुनाव कराने के बारे में विपक्ष की अपनी अलग राय है।

महोदय, गोधरा जिला एक कलेक्टर के अधीन है। उस कलेक्टर ने हमारे प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और कार्यवाही की। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने एस.पी. से इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। महोदय, गोधरा की घटना मानवता के प्रति अपराध है; यह सभ्यता के प्रति अपराध है, कोई भी सभ्य व्यक्ति इस प्रकार की घटना को सहन नहीं करेगा।

महोदय, मैं पुन: कहता हूं कि जो कुछ हो चुका वह हो चुका। हमारे भारतीय समाज के एक वर्ग पर हमला किया गया और शायद उसकी प्रतिक्रिया में, हम नहीं जानते, हमारे भारतीय समाज के दूसरे वर्ग पर भी हमला किया गया।

परन्तु, महोदय, अब हमें यह प्रतीज्ञा लेनी चाहिए कि हम समाज को विभाजित नहीं करेंगे, हमें यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि प्रत्येक समस्या के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। हम गुजरात के लोगों से अपील करेंगे कि वे चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करें।

महोदय, मैं कहूंगा कि गुजरात के लोगों के साथ भाग्य ही खिलवाड़ कर रहा है। वहां बाढ़ आई; वहां सूखा पड़ा; वहां भयंकर भूकंप आया; और वहां गोधरा में हमला हुआ। अत: गुजरात में यह घटनाचक्र चल रहा है।

महोदय, एक कहावत है। सौभाग्य अकेला आता है; दुर्भाग्य समूह में आता है। गुजरात में दुर्भाग्य समूह में आ रहा है। अत: गुजरात में सही नजरिये वाले लोगों और राजनैतिक दलों पर चुनाव की इस घड़ी में राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा करने और उसे बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है।

जब एक बार विधानसभा भंग हो गई तो फिर क्या रह जाता है? फिर केवल चुनाव बचते हैं। अब गुजरात में कोई विधानसभा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 174 वहां प्रभावी नहीं है। यदि वहां विधानसभा होती तभी वहां अनुच्छेद 174 प्रभावी होता।

[श्री पी.एच. पांडियन]

अतः, अब चुनाव आयोग का काम स्थिति का आकलन करना मात्र है और फिर यह उन पर है कि वे इस बारे में एकमत से अंतिम निर्णय लें क्योंकि श्री राजीव गांधी की मृत्यु के बाद चुनाव आयोग ने एकमत से चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया था। उसने किसी राजनैतिक दल से परामर्श नहीं किया था। चुनाव आयोग के पास स्थिति का आकलन करने हेतु तंत्र है।

मैं यह भी कहूंगा कि चुनाव से पूर्व ही दंगा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास का कार्य भी तुरंत हो जाना चाहिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता सन्निहित है और संविधान द्वारा जीवन के अधिकार की गारंटी दी गई है। उन्हें आश्रय दिया जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं कि लोगों ने अपने रिश्तेदार खोए हैं।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि कुछ रह गए हों तो गुजरात के लोगों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य की व्यवस्था की जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, गृहमंत्री जी इस बहस का उत्तर कब देंगे?

अध्यक्ष महोदय: वे मात्र उत्तर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आज यह चर्चा समाप्त की जा सकती है और गृह मंत्री जी कल इसका उत्तर दे सकते हैं।

महोदय, वे इस बहस का उत्तर कब देंगे?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको कुछ मिनटों में बताऊंगा।

अब, श्रीमती कृष्णा बोस।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): अध्यक्ष महोदय, आज, गुजरात में दंगा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास विषय पर चर्चा होनी थी। कई अन्य विषय उठाए गए और मैं जोर देकर कहूंगी कि उनमें से कुछ इस संदर्भ में बहुत प्रासंगिक थे।

गुजरात की घटना के तुरंत बाद ही मुझे कुछ देशों की यात्रा पर जाना पड़ा। मैंने वहां देखा कि कैसे गुजरात की घटना से भारत के गौरव को धक्का पहुंचा। गुजरात की घटनाओं से विश्व की मुख्यधारा में भारत पिछड़ गया। हम चाहे किसी भी पक्ष से हों परन्तु वास्तविकता यही है और हम इसे नहीं नकार सकते। यह सत्य है कि गुजरात के कारण भारत शर्मिन्दा हुआ है।

खैर, मैंने हाल ही में गुजरात का दौरा किया और वहां मुझे बहुत से शिविरों को देखने का अवसर मिला। मुझे उन शिविरों में जाकर बहुत दुखद अनुभव हुआ। जब हम वहां पहुंचे तो अधिकांश शिविरों को समाप्त किया जा रहा था। अभी भी उनमें से कुछ वहां हैं। मुझे याद है कि हमने वहां पंचमहल स्थित लूनावाड़ा कैम्प में एक बहुत कार्यक्षम महिला कलेक्टर को देखा। मुझे तब बहुत अफसोस हुआ जब हमारे वहां रहते ही उन्हें किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज दोपहर, मेरे बोलना आरंभ करने से पूर्व, मैंने अध्यक्षपीठ को बताया था कि मध्याह्न भोजन से पूर्व, यहां गृहमंत्री श्री आडवाणी थे; और मैंने कहा था कि यदि वे दोपहर के बाद भी उपस्थित रह सकें तो यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें उपस्थित रहना चाहिए—यह अच्छा होगा। हमें माननीय गृह राज्य मंत्री ने सूचित किया था कि वे राज्य सभा में थे। हमें इस पर गुमराह किया गया। वे राज्य सभा में नहीं थे। अगले दो घंटे तक यह जारी रहा। हमारा विश्वास था कि वे राज्य सभा में हैं, उन्होंने पूरे सदन को बताया कि वे राज्य सभा में है। मैं वहां गया और मैंने वहां देखा कि वे राज्य सभा में नहीं थे। अब, हम यहां देखते हैं कि उप-प्रधानमंत्री की बात तो जाने दें यहां कोई गृहमंत्री भी उपस्थित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमें ऐसा क्यों बताया गया। हमें इस प्रकार गुमराह क्यों किया गया? वस्तुतः, मैंने प्रस्ताव किया था कि हम आधे-घंटे के लिए स्थगित कर देते हैं; और गृह मंत्री जी की सुविधानुसार हम चर्चा जारी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां कोई गृह मंत्री उपस्थित नहीं है। क्या इम बहस से निपटने का यही तरीका है?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं आपकी बात पर विचार करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ: हमें बताया गया था कि वे राज्य सभा में हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरा करने दीजिए। अभी मैं गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री को उनको पता लगाने और यहां आने का निवेदन करने के लिए भेज रहा हूं, अगर वे वहां उपस्थित हैं तो। मैंने अभी-अभी उनको भेजा है। इसके अलावा यहां दो कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। कुछ ही देर में चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री कमलनाथ: लेकिन हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हमें उस समय क्यों बताया गया कि वे राज्य सभा में हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसी बात की जांच-पड़ताल कर मैं आपको बताऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: मंत्री महोदय उत्तर कब देंगे?

अध्यक्ष महोदय: हमें आज ही मिल जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: रिप्लाई कल करिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आप हर बार हरेक का रिप्लाई करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल हम एक महत्वपूर्ण विषय सूखे पर चर्चा करेंगे। बहुत लम्बे समय से अनेक माननीय सदस्य इसकी मांग कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि सायं 6.30 बजे उत्तर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा बोस: मैं शिविरों के अपने अनुभव की बात कर रही थी, जो बहुत बुरा था। पंचमहल के अलावा मैं दरिया खान, गुम्मोत और शाह-ए-आलम शिविर भी गयी। गुजरात में गम्भीर किस्म की मानवीय त्रासदी हुई है और इस भयंकर विनाश को देखते हुए इसके अनुसार ही राहत और पुनर्वास कार्य किया जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि सभी गैर-सरकारी संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे सामर्थ्य से बढ़कर कार्य कर रहे हैं। हमें उनका एहसान मानना चाहिए।

जहां तक गुजरात सरकार का संबंध है वह दो तरह की बात करती है। एक ओर तो वह कहती हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है और अगर कुछ हुआ भी है तो 72 घंटों के अंदर उस पर काबू पा लिया गया। दूसरी ओर उन्हें वास्तविक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लोग बेघर हो गये हैं। मृतकों की अधिकारिक संख्या एक हजार बतायी गयी है जबकि अनाधिकारिक तौर पर हमें बताया गया है कि 2000 से ज्यादा लोग मारे गये हैं। मैं समझता हूं राहत और पुनर्वास कार्यों में इससे उन्हें कठिनाई हुई होगी। पुनर्वास से आपका क्या तात्पर्य है?

राहत और पुनर्वास, विशेषकर पुनर्वास क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी को रहने का स्थान और थोड़े से चावल दे दो। यह पुनर्वास नहीं है। पुनर्वास का अर्थ है सामान्य स्थिति बहाल करना, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना तथा सुरक्षा प्रदान करना, जो तहस-नहस हो चुकी है। इस चर्चा में मुद्दा यह है कि क्या ऐसा किया गया या नहीं।

इन लोगों से जब हम शिविरों में मिले विशेषकर महिलाओं से, जिनसे हम बात कर सकते हैं वे कैम्पों से वापस जाना नहीं चाहते। क्यों? दो कारणों से ऐसा है। एक है डर की भावना। उन्होंने वहां बड़ी भयानक स्थिति देखी है। वह उनके लिए दु:स्वप्न था और इससे वे फिर से नहीं गुजरना चाहते। उन्हें डर है कि कहीं वह सब फिर से न हो जाये। दूसरा उनके पास कहीं और जाने का कोई स्थान नहीं। उनके मकान अभी तक नहीं बनाये गये। हम हजारों रुपयों के मुजावजे के पुराने आंकड़ों की बात सुनते हैं। जैसा कि मेरे कुछ साथियों ने कहा कि हमें 200 रुपये या 250 रुपये के चैक दिखाये गये। मैं नहीं जानता उन्हें वह क्यों दिये गये। उन भोले-भाले गांव वालों के बैंक खाते ही नहीं है। उस कागज के टुकड़े का क्या अर्थ है उन्हें नहीं मालूम। अगर कुछ लोगों को मकान बनाने का मुआवजा दे भी दिया गया तो घर नहीं बनाये गए। जो महिलाएं हमसे बात कर रही थी उनकी बाहों में बच्चे थे और उनमें से ज्यादातर बच्चे वहीं कैम्पों में पैदा हुए थे। वे हमसे पूछ रही थी कि मानसून के आगमन पर वे कहां जायेंगी। उन्होंने हमें बताया कि उनके पास जाने का कोई स्थान नहीं।

कैम्पों में रह रहे लोगों के अलावा मुझे कुछ दंगा पीड़ित लोगों से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जो अपने मित्रों और रिश्तेदारों के घरों में ठहरे हुए थे। वे समाज के पढ़े-लिखे, कुलीन, उच्च मध्यम श्रेणी के मुस्लिम थे। वे अपना घर-बार खो चुके थे और अब अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे थे। वे समाज के समृद्ध लोग थे, उनमें से कुछ का व्यवसाय था तथा अन्य शिक्षा से जुड़े लोग थे जो बड़ोदा था अहमदाबाद के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों पर थे।

जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वे बहुत कुछ जानते हैं। वे प्रशासन और पुलिस में बहुत से लोगों को जानते हैं। उन्होंने बार-बार मदद की गुहार की लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। जब मैं उनसे मिलने गयी तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों से उनका कोई भी हिन्दू मित्र उनसे मिलने और यह जानने नहीं आया कि वह क्या कर रहे हैं। लेकिन यह गुजराती लोग हैं और उन्हें अपने गुजराती होने पर गर्व हैं। मैं गुजरात अस्मिता की बात सुन रही हूँ। वे भी उसका हिस्सा हैं। उन्हें भी गुजराती होने का बहुत गर्व है। वे वहां पैदा हुए हैं तथा वहीं पले-बढ़े हैं। अब वे अपने को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। उनसे बात करते समय मुझे डर लगा क्योंकि मैंने उनके अंदर दबा हुआ आक्रोश

[श्रीमती कृष्णा बोस]

देखा और उनके मन की अलगाव की भावना देखी। पुनर्वास का अर्थ है कि हमें उन्हें मान-सम्मान तथा सुरक्षा की भावना प्रदान करनी होगी क्योंकि अलगाव की भावना ही भविष्य में आतंकवाद को जन्म देती है। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा।

महोदय, विभिन्न दलों ने इस सदन में बार-बार चुनावों का उल्लेख किया है। चूंकि मैं वहां गयी थी, मेरा विचार है कि गुजरात में चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है। वहां चुनाव नहीं कराये जा सकते। लेकिन चुनाव कराये जाएं या नहीं मैं इसे चुनाव आयोग पर छोड़ती हूँ। विधान सभा भंग कर दी गयी है और चुनाव आयोग को अब निर्णय करना है। मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग विवेक से वह निर्णय लेगा जो राष्ट्र के हित में होगा। मैं जानती हूं कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम लोकतंत्र के मूल की बात कर रहे हैं न कि बाह्य लोकतंत्र की।

महोदय, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात अनेक लोगों ने की। वास्तव में मैं अपने कुछ साथियों से सहमत हूँ, जो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन ठीक है। हम जानते हैं कि पहले भी चुनाव आयोग का यह विचार रहा है कि जैसे ही चुनावों की घोषणा हो, प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय और राष्ट्रपति शासन लागू रहते ही चुनाव कराये जाने चाहिए, चाहे वह जम्मू और कश्मीर हो, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। ऐसा करने से हम बहुत खुश होंगे।

उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कोयला और खान मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजन अवकाश के पश्चात उपस्थित न रहने के लिए, मैं सभा से माफी चाहूंगा। मेरे साथी यहां थे और मेरे अन्य साथी दूसरे सदन में थे। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं दूसरे सदन में हूँ। इसीलिए उन्होंने यह कह दिया कि राज्य सभा में हूँ। लेकिन सच यह है कि मैं दोनों सदनों की कार्यवाही से अवगत होने की कोशिश कर रहा था, ताकि व्यक्तिगत तौर पर मैं दोनों वाद-विवाद चर्चा में भाग ले रहे महत्वपूर्ण वक्ताओं को सुन सकूं। लेकिन मुझे खेद है कि मैं यहां उपस्थित नहीं था।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ: हमने सोचा था कि हमें गुमराह किया जा जा रहा है। लेकिन उन्होंने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने माफी मांग ली है।

...(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, उनके द्वारा 'इधर के महत्वपूर्ण वक्ताओं तथा उधर के महत्वपूर्ण वक्ताओं' का संदर्भ देना सदन की अवमानना है। प्रत्येक सदस्य जो यहां बोलता है वह महत्वपूर्ण है साथ ही उसके बोलने का विषय भी तर्कसंगत होता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला भी महत्वपूर्ण हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं आपसे और संसदीय कार्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस तरह के परीक्षण मुझ पर न किये जायें। मुझे बताया गया कि आज दोनों सदनों में चर्चा का उत्तर देना होगा हालांकि दूसरा सदन सायं 6.00 बजे स्थगित हो चुका है। अगर मुझे ज्ञात होता कि मुझे केवल इस सदन में ही उत्तर देना है तो मैं इस सदन में उपस्थित रहता।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। गुजरात में जो दंगे हुए, उसकी हम सभी निन्दा करते हैं विशेषकर हमारा दल आरएसपी इसकी पुरजोर निन्दा करता है। गुजरात की घटना के बाद राहत सामग्री और पुनर्वास की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की थी लेकिन वहां की सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री की नियत में खोट था, ऐसा मुझे लगता है। यही कारण है कि उन्होंने प्रतिक्रिया की बात कही है। मैं समझता हूं कि गुजरात का जो घटना चक्र हुआ, वह देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, इसकी निन्दा देश के सभी नागरिकों को करनी चाहिए। गोधरा की घटना के प्रतिक्रिया के रूप में जो घटनायें घटीं, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया, इसकी हम लोग निन्दा करते हैं। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया। न उन्होंने वहां की जनता की परवाह की, न विधायकों की बात सुनी, न किसी राजनैतिक दल की परवाह की और न पार्लियामेंट के सांसदों की परवाह की। उनके मन में केवल एक ही बात थी कि जब तक आर.एस.एस. उनके पक्ष में है, तब तक उन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें संभाले रखना है और उनकी जैसी इच्छा होगी, वैसे राज्य को चलाना चाहिए। उन्हें साम्प्रदायिक दंगों की चिन्ता नहीं थी, इसलिए उन्होंने गौरव यात्रा निकालने का निर्णय किया। इस यात्रा को निकालने से पहले देशभर में उनकी निन्दा की गई। यहां तक कि मानवाधिकार आयोग ने भी कहा कि यह गौरव यात्रा नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि इससे साम्प्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। इसलिए जो घटनायें गुजरात में हुईं, उनकी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री पर डालना चाहता हूं। यदि उनकी नीयत साफ होती तो गोधरा के बाद प्रतिक्रिया के रूप में जो

घटनायें घटित हुई और जिसका नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया, उससे असंख्य लोगों की जानें गई, लोग बेघर हो गये, ऐसा न होता। मैं स्वयं ने राहत शिविरों को देखा है। उन शिविरों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हालत देखी। मुझे ऐसा लगा कि हमारा देश साम्प्रदायिक दंगों को पसंद नहीं करता क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। वह साम्प्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहन देना चाहता है। गुजरात में हुई घटनाओं के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि मैं इस कलंकित स्थिति में दूसरे देश को क्या मुंह दिखाऊंगा और मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करने के लिए सलाह दी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि विधानसभा को ही भंग कर दिया। उनकी प्राथमिकता चुनाव रह गई है जबकि उनकी प्राथमिकता रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पर होनी चाहिए थी। इसलिए हम सरकार की निन्दा करते हैं। वहां चुनाव कब और कैसे हों, इसका निर्णय चुनाव आयोग करे। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, आज गुजरात पर चर्चा हो रही है। गोधरा घटना को लेकर सभी दलों ने शुरू में ही उसकी भर्त्सना की है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि इससे हमारा साम्प्रदायिक सद्भाव कलंकित हुआ, इन्सानियत और मानवता के इतिहास में निश्चित रूप से यह निन्दनीय घटना है। लेकिन उसके बाद गुजरात या अहमदाबाद में जो घटनाएं घटीं वे अत्यन्त निंदनीय हैं, क्योंकि महोदय इन घटनाओं से साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समरसता में इतना बिगाड़ हुआ है कि केवल राहत कार्य चलाने से और दंगा पीड़ितों का पुनर्वास करने से तुरंत सामान्य स्थिति नहीं आयेगी। इसमें वर्षों लग सकते हैं। एक प्रक्रिया के तहत इसमें लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जो सामाजिक समरसता और साम्प्रदायिक सद्भावना का बिगाड़ हुआ है, वह बहुत गहरा हो गया है। इसलिए इसे रिस्टोर करने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां कई तरह की बहस हो जाती है कि यह केवल राज्य की कानून और व्यवस्था का सवाल है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। यह राज्य की कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है। क्योंकि जो हमारा धर्म निरपेक्ष सिद्धांत है, हमारा बहुधर्मी, बहुजातीय, बहुसम्प्रदाय और बहुभाषी देश है। इस देश में इस तरह के कलंक का काम करने के पीछे जो भी ताकतें रही हों, क्या गोधरा की घटना के 24 घंटे बाद तक गुजरात की सरकार चुप नहीं रही। मैं राज्य के विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यह बात सही है कि 24 घंटे तक गुजरात की सरकार, चाहे वहां मोदी की सरकार हो, वह सरकार चुपचाप टकटकी लगाये देखती रही।

अध्यक्ष महोदय, 1974 में इमरजेन्सी के वक्त, उस समय के कुछ नेता इस पार भी बैठे हैं और उस पार भी बैठे हैं, जब इमरजेन्सी लगी थी तो सबसे पहले जो बंद का कौल देने वाला संगठन होता था, जो बंद का आह्वान करता था, चाहे वह छात्र संघर्ष समिति हो या चाहे जो भी संगठन हो, उसे तुरंत बैन किया जाता था। उसके नेताओं को गिरफ्तार किया जाता था। 1974-75 में इमरजेन्सी में सबसे पहले कौल देने वाले या बंद करने वाले संगठन को रेखांकित करके बंद किया जाता था। क्या इसमें हमें यह बताया जायेगा कि गुजरात में जो संगठन थे, जिन्होंने बंद का आह्वान किया था, क्या ऐसे संगठन को चिह्नित किया गया, उन्हें बंद किया गया, क्या उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया। यहां दंगों के बारे में जो भी बातें हो रही हैं, उसमें इस तरह की राहत की इतनी जरूरत नहीं होती, यदि उसी दिन सावधानी बरती जाती। यदि उसी दिन बंद करने वाले संगठनों के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता तो बाद में हुए इन दंगों में नौ सौ बेगुनाह लोगों का कत्ल नहीं होता। जो 57 लोग मारे गये, वह दुखद घटना है। लेकिन उसके बाद वहां की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन उसे कंट्रोल नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि मैं इसे बारे में शुरू से ही अलग मत रखता हूँ। पिछले बार भी जब यहां बहस हुई थी तो मैं एन.डी.ए. में रहते हुए भी उससे बिल्कुल सहमत नहीं रहा। चूंकि यह एक राष्ट्रीय सवाल है। साम्प्रदायिकता को फैलाना एन.डी.ए. के एजेंडा में नहीं है। साम्प्रदायिकता पर काबू पाना एन.डी.ए. के एजेंडा में है। इसलिए हम जो भी बात बोल रहे हैं वह एन.डी.ए. एजेन्डा के एग्रीड सिद्धांत के तहत बोल रहे हैं। चूंकि आज राजनीति संख्या बल की हो रही है। आज राजनीति सिद्धांत बल की नहीं, संख्या बल की बदौलत राजनीति हो रही है। लेकिन हिन्दुस्तान के साम्प्रदायिक सद्भाव के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को छूने या इस पर आघात करने की इजाजत किसी तत्व या शक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। इससे हमारे देश का नक्शा दूसरी दिशा में चलेगा। गुजरात गांधी का प्रदेश, गांधी जी की धरती है, गांधी जी पूरे देश के बापू थे। गांधी जी की धरती ने सम्पूर्ण दुनिया को अहिंसा और सत्य का मैसेज दिया था। लेकिन आज वह धरती कलंकित है, लहूलुहान है। वहां इंसानियत और मानवता लहूलुहान हो गई है। क्या यह कलंक की बात नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भारत सरकार में धारा 355-356 पर बहस होती है। लेकिन नागरिकों की जान-माल की रक्षा और दंगा पीड़ितों को राहत देने का काम, उनके पुनर्वास करने के सारे काम की जिम्मेदारी कांस्टीट्यूशन हैड होने के नाते सरकार की होती है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यहां पर लम्बे अरसे तक साम्प्रदायिक दंगों का जो सिलसिला चल रहा है, उसने निश्चित रूप से धर्म निरपेक्षता की नींव को झकझोर दिया है, उस नींव को हिलाकर रख दिया है। इसलिए हम कुछ ऐसे प्रश्न रखना चाहते हैं कि जो घटनाएं घटी हैं, कहा गया कि गोधरा की घटना की प्रतिक्रिया हुई। यदि प्रतिक्रिया होती तो 2-3 दिन, एक-दो सप्ताह तक चलती। लेकिन इतने महीनों तक प्रतिक्रिया

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

नहीं हो सकती है। इसके पीछे जरूर कोई संगठन या तत्व लगे हुए हैं, जिसकी पारदर्शिता इसमें झलकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब रेल दुर्घटना होती है तो उसमें मृतकों की सूची होती है। जो लोग साबरमती एक्सप्रैस में सफर कर रहे थे, जो लोग गोधरा में मारे गये, उन मृतकों की सूची आज तक प्रकाशित क्यों नहीं की गई। मैं जानना चाहता हूँ कि रेल दुर्घटना जब भी होती है तो डिब्बों पर आरक्षित यात्रियों का नाम होता है और उनका नाम मृतकों में प्रकाशित होता है। बताया जाए कि जब मृतकों की लिस्ट ही प्रकाशित नहीं हुई तो कौन लोग मारे गए?...*(व्यवधान)* अब तो सब चीजें प्रकाशित होंगी।

श्री मुलायम सिंह यादव: रिजर्वेशन किसके नाम से था यह भी प्रकाशित होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: रिजर्वेशन जो रेलवे में होता है, सबका चार्ट बना हुआ है। जो लोग जिन्दा जलाए गए उनके पास कुछ पेट्रोल था या ज्वलनशील पदार्थ था जैसी फोरेन्सिक लैबोरेटरी की रिपोर्ट आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और सदन को बताना चाहिए कि क्या रहस्य था। यात्रियों की लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई, मृतकों की लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई लेकिन उनकी प्रतिक्रिया गोधरा में हो गई और फिर अहमदाबाद में भी हिंसा फैल गई। यह बात समझ में नहीं आ रही है। यह युक्तिसंगत बात नहीं लगती। माननीय प्रधान मंत्री कह चुके हैं, वे कांस्टीटयूशनल हैड हैं, उससे बड़ी बात हम नहीं कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गुजरात के दौरे पर गए तो कैम्पों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह क्रूरता हुई है, यह राष्ट्रीय शर्म की बात है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊंगा। संवैधानिक प्रमुख होने की हैसियत से एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने भारत के संवैधानिक पमुख होने की हैसियत से वहां के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने नसीहत दी। क्या कहा—राजधर्म को याद रखो। इससे भड़ी बात क्या हो सकती है? राजधर्म का क्या मतलब है। राजधर्म का मतलब है कि सभी जाति धर्म और वर्ण के लोगों को बिना भेदभाव के समान न्याय मिले। यह संकेत काफी है माननीय प्रधान मंत्री जी का। बाद में जिस तरह का वातावरण तैयार किया गया, उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने जो बात याद दिलाई मुख्य मंत्री को, वह काफी है।

मैं ज्यादा न कहते हुए अंत में राहत पर कहना चाहता हूँ कि राहत किसकी? जो हजार लोग अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से यदि 900 लोग भी मारे गए तो गोधरा के हत्यारों को, गोधरा के दोषियों को सजा देने के नाम पर 900 निर्दोष बेगुनाह बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को मार देने वालों के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए कौन सा कानून का कटघरा बनेगा, यह सवाल हम सदन से पूछना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बेगुनाह हैं, उनको भी न्याय चाहिए क्योंकि वे निर्दोष हैं। 57 लोगों को सजा देने के नाम पर 900 लोगों को जिन्दा जला देना, घर से बेघर कर देना, उसके लिए न्याय का कौन सा कटघरा स्थापित होगा, सरकार इसको स्पष्ट करे।

जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव तो चुनाव आयोग करेगा क्योंकि गुजरात में विधान सभा भंग हो चुकी है। चुनाव आयोग अपने विवेक और बुद्धि से काम करेगा, लेकिन कोई तो मानदंड तय होने चाहिए। आज सदन को इस पर विचार करना चाहिए। हम समझते हैं कि सदन में बहुत से माननीय सदस्यों का एक समान विचार आया है। विचार यह है कि चुनाव से पहले चाहे कोई भी राज्य हो, वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन भी तो आडवाणी साहब और केन्द्र सरकार का रहेगा, क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही चुनाव हों ताकि वहां भय खत्म हो और मतदाता में किसी प्रकार का भय न रहे। मतदाता निर्भीक होकर वोट करें, निष्पक्ष चुनाव हों, स्वतंत्र चुनाव हों इसकी भी गारंटी करना सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। जहां तक राहत और पुनर्वास की बात है, बड़े दुख की बात है कि एक माननीय सदस्य ने 20 रुपये और 50 रुपये का चैक सदन में दिखाया है। यह शर्मनाक बात है। जब 150 करोड़ रुपये का पैकेज था माननीय प्रधान मंत्री जी का तो उसमें 20 रुपये और 50 रुपये का चैक मिल रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि कहां गड़बड़ हो रही है। राहत देने का काम सिर्फ उनको कैम्पों से भगा देना नहीं है, उनको पुनर्वासित करना है, फिर से बसाना है, यथास्थिति कायम करना है, समान स्थिति बहाल करने की गारंटी सरकार को देनी चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ठीक है, क्या आज ही ढहा देना है?

अध्यक्ष महोदय: क्या कहा आपने?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैंने कहा क्या आज ही ढहा देना है?

अध्यक्ष महोदय: मैंने बराबर सुना नहीं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, जब गुजरात विधान सभा भंग हो गई, तो सदन में सवाल उठाया गया। नहीं, तो गुजरात पर हम बहस कर चुके थे और जो कहा-सुनी करनी थी वह पूरी हो चुकी थी, लेकिन चूंकि विधान सभा भंग कर दी गई, तो लोगों का चौकन्ना होना ठीक था कि इसमें क्या पेंच है, इसमें क्या भेद है, उसका भंडाफोड़ करना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के बयान की चर्चा सब लोगों ने की और कहा जैसे ही गुजरात में दंगा हुआ, प्रधान मंत्री जी

ने कहा कि देश के माथे पर कलंक है और हम विदेश में क्या मुंह दिखाएंगे। सभी लोगों ने यह महसूस किया और उन्होंने राजधर्म की भी भी शिक्षा दी। फिर गोवा में भाषण हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्र शेखर जी की 75वीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि यदि गोधरा कांड की निन्दा की होती, तो साम्प्रदायिक हिंसा नहीं होती और संसद में वे स्वयं खड़े होकर गोधरा कांड की निन्दा कर देते, तो फिर दंगा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, माना जाता है कि प्रधानमंत्री उदारपंथी हैं। अब वे हैं या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन उदारपंथी दिखते हैं। जब उन जैसे उदारपंथी का यह बयान है, तो उनके कट्टरपंथी का क्या बयान होगा, यह समझा जा सकता है। अब सवाल उठाया गया है कि गोधरा के लोग कहते हैं कि गोधरा कांड की निन्दा नहीं की गई। मैं कहना चाहता हूं कि गोधरा कांड की सब लोगों ने निन्दा की। चूंकि सब लोगों ने सवाल उठाया और फारेंसिक जांच में यह बात आ गई है कि बोगी के भीतर ही पैट्रोल रखा था और भीतर से ही आग लगी, तो अब पोल खुल रही है। ट्रेन में रिजर्वेशन भी होता है। जो लोग आरक्षण कराके ट्रेन में सवार हुए, उनके नाम क्यों प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब कोई रेल दुर्घटना हो जाए, कोई बोगी जल जाए या टूट जाए, तो उसे कितने दिन बाद मौके से हटाकर दुरुस्ती हेतु कारखाने या वर्कशाप में पहुंचाया जाता है, इस बारे में क्या कानून है क्योंकि हमने देखा कि जो बोगी जली उसकी नुमाइश लगाकर रखा गया। एक महीने के बाद प्रधानमंत्री गए, तो वे भी उसे जली हुई बोगी को देखने पहुंचे। मुझे लगता है कि यह काम षडयंत्र करके पत्थर के गणपति की मूर्ति को दूध पिलाने वालों ने किया है।

महोदय, देश भर के कट्टरपंथियों ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी को हटाओ, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया। देश भर के कट्टरपंथियों की बात छोड़ें, इनके अपने मंत्री, शान्ता कुमार जी ने कहा कि जो कुछ गुजरात में हुआ, वह ठीक नहीं हुआ और यदि मैं मुख्य मंत्री होता, तो मैं इस्तीफा दे देता। नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य आयोगों ने, एक से एक बुद्धिजीवियों ने कहा कि गुजरात की घटना देश के लिए कलंक है। इसलिए नरेन्द्र मोदी जी को हटाना चाहिए, लेकिन जिसने राष्ट्रीय कलंक का काम किया, उसे ही बनाकर रखा जा रहा है। वह कैसे रह सकता है।

महोदय, आर्टीकल 174 की बात कही जा रही है। वह तो चलती हुई विधान सभा के लिए है। गुजरात विधान सभा तो भंग हो चुकी है। वह नियम भंग विधान सभा पर कैसे लागू होगा। चुनाव आयोग जब उचित समझेगा और जब वहां चुनाव कराने की परिस्थितियां होंगी तब चुनाव होंगे। वहां वोटर लिस्ट नहीं हैं, लोगों के चुनाव पत्र नहीं हैं। जल्दी चुनाव कैसे हो सकते हैं।

महोदय, रिलीफ की बात कहते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा यदि रिलीफ रीहैबिलिटेशन के बारे में कोई माई का लाल मेरी बात का जवाब दे दे कि क्या असैम्बली में यह घोषणा नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नहीं की गई कि गोधरा में जो लोग मारे गए हैं उन्हें राहत के रूप में मुआवजे के बतौर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसके बाद जो दंगे हुए उनमें जो मारे गए उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेशर्मी की हद हो गई। इसको देखकर मैं बेशर्मी की हद की बात नहीं कहूंगा।...*(व्यवधान)* बाद में जब अंगुली उठी तो जो तथाकथित कारसेवक थे, उनसे लिखवाया गया कि हमें एक लाख रुपये चाहिए।...*(व्यवधान)* असेम्बली में यह घोषणा हुई थी या नहीं?...*(व्यवधान)* मैं चुनौती देता हूं।...*(व्यवधान)* इसी तरह सरकार ने एक भी रिलीफ शिविर चलाने का काम नहीं किया। सरकार ने लोगों को एक लाख रुपये की जगह केवल 20 या 50 रुपये ही देने का काम किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: अध्यक्ष महोदय, वे ठीक कह रहे हैं...*(व्यवधान)* गोधरा हादसे के शिकार लोगों को पहले राहत के रूप में मुआवजे के बतौर 2 लाख रुपये की घोषणा की गयी थी...*(व्यवधान)* वे चाहते हैं कि सबको 2 लाख रुपये मिले...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। रघुवंश जी, जो बता रहे हैं, वह गलत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वर्मा जी, जब आप बोलेंगे तब अपनी बात कहिये।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम था कि गुजरात में दंगे रुकने वाले नहीं हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने छः महीने तक का हिसाब जोड़ लिया और उन छः महीनों के अंदर वे इन दंगों से लाभ उठाना चाहते हैं, लाश की राजनीति करना चाहते हैं...*(व्यवधान)* दंगों की लहर में वोट लेना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वहां के गवर्नर जो आर.एस.एस. बैकग्राउंड के हैं, उनको वापिस बुलाया जाये और श्री नरेन्द्र मोदी को हटाया जाये।...*(व्यवधान)* वहां प्रेजीडैंट रूल का क्या होगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारा कहना है कि वहां प्रेजीडैंट रूल लगाकर निष्पक्ष चुनाव कराये जायें। वहां लोकतंत्र का गला घोटकर वोट नहीं डालने देना चाहिए।...*(व्यवधान)* वहां विश्व हिन्दू परिषद लोकतंत्र का गला घोट देगा इसलिए देश के लोग सावधान हो जायें। गुजरात में लोकतंत्र की स्थापना हो, उसको बचाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): अध्यक्ष महोदय, हम पहली बार गुजरात की स्थिति पर इस सभा में चर्चा नहीं कर रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में धर्म-निरपेक्ष प्रजातांत्रिक स्वरूप में, गुजरात चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। इसलिए, इस सभा में गुजरात की परिस्थिति पर बार-बार चर्चा किया जाना स्वाभाविक है। यहां तक कि आज भी गुजरात की स्थिति को सामान्य और शांतिपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

महोदय, यह बताया जाता है कि गुजरात में रथयात्रा शांतिपूर्ण रही। मैं इस बात से सहमत हूँ कि रथयात्रा शांतिपूर्ण रही, परन्तु यह सिर्फ तभी संभव हो सका क्योंकि पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा अप्रत्याशित सुरक्षा प्रदान की गयी थी। इसलिए, परिस्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। हजारों लोगों का अभी तक समुचित पुनर्वास नहीं हुआ है। दंगा प्रभावित लोग अभी अपने घरों को वापिस नहीं गए हैं तथा उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है। अभी तक अनेक जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। यहां तक कि पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि हालांकि हत्याएं कमोवेश रुक गयी हैं, शांति अभी भी बहाल नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में गुजरात विधान सभा भंग कर दी गयी है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसे भंग क्यों किया गया है। गुजरात के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं तथा वह अब सर्वेसर्वा बन गए हैं। सिलिए ऐसी कार्यवाहक सरकार के हाथों राहत और पुनर्वास का कार्य सुरक्षित नहीं है। मेरे विचार में, गुजरात में पुनर्वास कार्य तथा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना आवश्यक है। गुजरात में वहां के लोगों के लाभ के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो।

जहां तक मेरे दल का सवाल है, चुनाव आयोग को एक अनुकूल परिस्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु धारा 324 के तहत स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। अतएव, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव निष्पक्ष हों, श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को हटाया जाना चाहिए तथा वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए।

मनु संहिता के अनुसार राजधर्म का अर्थ है: 'साम', 'दाम', 'दंड' और 'भेद'। परन्तु मुख्यमंत्री श्री मोदी ने इस अर्थ से सिर्फ 'भेद' को लिया है। 'भेद' का अर्थ है आम लोगों के बीच से दोषियों और अपराधियों को अलग करना। किन्तु वह साम्प्रदायिक आधार पर लोगों को अलग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां कोई चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए, मैं पुरजोर मांग करता हूं कि वहां शांति और सामान्य स्थिति बहाल होनी चाहिए तथा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। जहां तक राहत और पुनर्वास कार्य का संबंध है, इसे सिर्फ राष्ट्रपति शासन के दौरान ही प्रभावपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, पुनर्वासन करने के बारे में यहां चर्चा की शुरुआत हुई लेकिन पुनर्वासन के बदले गुजरात कांड को चर्चा में लिया गया। मैं शुरू में विनती करता था कि गुजरात में पूर्ण रूप से शान्ति है लेकिन वही पुरानी बातों को याद दिलाने से कहीं पुन: शान्ति भंग न हो जाए। आप जानते हैं कि गुजरात बहुत सैनसिटीव है। यह पहला दंगा नहीं है। गुजरात में 1970 से लेकर आज तक 440 दंगे हुए। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 1969 के दंगे में 660 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद 1985 के दंगों में 208 लोग मारे गए। वह दंगा 18 मार्च से 18 जुलाई तक चला था। यह दंगा लम्बा नहीं हुआ। गुजरात में दो-तीन सिटीज जैसे अहमदाबाद, बड़ोदरा, में यदि दंगे होते हैं तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री ने वहां के दंगों को सिर्फ 72 घंटों में कंट्रोल कर दिया और वहां शान्ति स्थापित हो गी। कुछ गिने-चुने लोग शान्ति स्थापित करना नहीं चाहते थे। उसके बाद धीरे-धीरे दंगे बढ़ते गए जिसके परिणामस्वरूप लम्बे समय तक मुसीबत हुई। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि 1992 और 1999 के रॉयट्स में 441 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब रॉयटिंग नहीं है, वातावरण अच्छा हो गया है और वहां परीक्षा अच्छी तरह हुई। वहां एक करोड़ से सवा करोड़ विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। पंचायत के चुनाव भी अच्छी तरह हुए, साढ़े सत्रह सौ गांवों में चुनाव शान्ति से हुए। उसके बाद सबसे बड़ा त्यौहार-रथ यात्रा हुआ। यहां ऐसी विनती की गई थी कि रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, दबाव डाला गया था। लेकिन गुजरात की जनता और मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि रथ यात्रा निकले, हम उनका सहयोग करते हैं। ताजिया कमेटी की ओर से रथ यात्रा का सम्मान किया गया।...*(व्यवधान)* आप टी.वी. में रिपोर्ट देखिए, ताजीया कमेटी की ओर से जगन्नाथ मंदिर के महंत को प्रैजेंट दिया गया। आपके अहमदाबाद के मेयर/महापौर की हाजिरी में, अमर सिंह चौधरी की हाजिरी में और गुजरात के कांग्रेस के दूसरे लीडर्स की हाजिरी में यह हुआ। मैं वहां फिजीकली प्रेजेंट था और आप

असत्य बोलने के लिए बोल रहे हैं, दो घण्टे से असत्य बोल-बोल कर आपने पब्लिक को गलत मैसेज दिया है और जो वास्तविक बात कर रहा है, उसे आप कहते हैं कि असत्य बोल रहे हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मैं सहमत नहीं हूं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, वह धन्धुका निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा अभी भी वहां कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कल दो लोगों की हत्याएं हुई हैं। आप उनसे पूछें कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था। मेरे क्षेत्र के अन्दर धौलका, वीरमगाम और धुंधका में से वीरमगाम के अन्दर आई.एस.आई. के साथ सम्बन्ध रखने वाले लोग रहते हैं। वीरमगाम में बाहर से हथियार आते हैं और वीरमगाम से हथियार बाहर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के सहयोग के कारण आज तक न उनके हथियार पकड़े गये, न वे लोग पकड़े गये और हर बार ये लोग अफवाह फैलाते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मुझे दूसरी बात कहनी है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्होंने कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस और आई.एस.आई. में गुप्त गठजोड़ है, माननीय गृह मंत्री इस सभा में इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मुझे यह बात नहीं कहनी थी, लेकिन सम्माननीय राष्ट्रपाल जी के भाई के लड़के को उनके घर के सामने किसने मारा? उनके भतीजे की हत्या हो गई, उसे किसने मारा? क्या वे आर.एस.एस. के लोग थे? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: इस घटना का एकमात्र कारण विहिप द्वारा 15 मार्च को वहाँ आरती कार्यक्रम का आयोजन था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: उनको मारने वाले कौन थे, उनके नजदीक रहने वाले लोग थे। आज माननीय राष्ट्रपाल जी जिस मौहल्ले में रहते हैं, वे वहां नहीं रह सकते, सब घर छोड़कर भागने लगे हैं। उनका भागना शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है—कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा समय तो उन्होंने ले लिया। आपने मुझे समय दिया, लेकिन उन्होंने ले लिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को 7.00 बजे उत्तर देना है, कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: इसके साथ आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो रथयात्रा पूरी शान्ति से हुई। आज गुजरात के सभी लोग चुनाव चाहते हैं। पहले ये कहते थे कि नरेन्द्र मोदी को हटाओ, लेकिन जब नरेन्द्र मोदी खुद हट गये, उन्होंने स्वयं रिजाइन कर दिया, जनता का आदेश सबसे बड़ा है, इसलिए जनता के बीच में नरेन्द्र मोदी जाने के लिए तैयार हैं, पूरे गांव वाले तैयार हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हों और गुजरात में फिर से स्थिरता बने। गुजरात के बारे में विभिन्न तरह के निवेदन आने के बाद गुजरात के अन्दर आज जो इतना बड़ा इन्वैस्टमेंट हो गया, बाहर से उद्योग आये, इण्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जो प्रोडक्शन 10 साल में नहीं हुआ था, उससे डेढ़ गुना ज्यादा प्रोडक्शन गुजरात में हो रहा है। वहां इण्डस्ट्रीज चल रही हैं, इण्डस्ट्रियलिस्ट्स खुश हैं और सारे कामगार लोग खुश हैं और आज हिन्दू मुसलमान भाई-भाई बनकर रह रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी चुनाव हों, जिससे गुजरात में सही बात बाहर आ जाये कि कौन सही है, कौन गलत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको मात्र तीन मिनट का समय दे सकता हूँ।

श्रीमती मार्गेट आल्वा (कनारा): मात्र तीन मिनट, तब मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं हमारे दौरे तथा गुजरात दंगों के परिणामस्वरूप

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

महिलाओं के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से महिला आयोग की रिपोर्ट के बारे में बोलने जा रही हूँ जिस पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला है। मैं समय के संबंध में आपके धैर्य की अपेक्षा करती हूँ।

अध्यक्ष महोदय: कृपया शुरू कीजिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं यहाँ बहस में बाजी मारने अथवा इसे सत्ता या विपक्ष का मुद्दा बनाने नहीं आयी हूँ। मैं यहां एक महिला के रूप में खड़ी हूँ और मैं वैसे एक मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहती हूँ जो पूरी बहस के दौरान अनछुआ रह गया है। यह हजारों महिलाओं की मानसिक पीड़ा के बारे में है जो गुजरात में हुए इस पूरे सर्वनाश के दौरान जीती और मरती रही हैं और वह भी इस वजह से नहीं कि वे इसमें शामिल होना चाहती थी अथवा किसी अन्य के साथ राजनीति खेलना चाहती थीं।

उन्होंने इन शिविरों में बच्चों को जन्म दिया है। उन्होंने अपने बच्चों को जला देखा है, उन्होंने अपने पतियों को मरते हुए देखा है, उन्होंने अपने घरों को जलकर राख होते हुए देखा है तथा वह भी इस वजह से नहीं कि वे राजनेता थीं अथवा हिन्दू विरोधी या मुस्लिम समर्थक थीं।

सायं 7.00 बजे

ये भारतीय महिलायें थीं, बुजुर्ग व्यक्ति और बच्चे थे जो इस मानसिक संघात से गुजरे।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहती हूँ। कृपया मुझे जल्दीबाजी करने के लिए न कहें। ये गुजरात सरकार के सरकारी आंकड़े हैं जिन्हें मुझे दिया गया है। मैं उनको उद्धृत कर रही हूँ। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा की बात कही है। सरकार के पास महिलाओं पर किए गए हमलों के 149 मामले और बच्चों पर किए गए हमलों के 44 मामले दर्ज हैं; उनके आंकड़ों के अनुसार 145 महिलाओं और 65 बच्चों की हत्याएं हुई हैं तथा बलात्कार की 11 घटनाएं दर्ज की गयी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: छः मामले...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: ये सरकारी आंकड़े हैं। मैंने यहां गुजरात सरकार की सरकारी रिपोर्ट प्राप्त की है। मैं इन्हें गृहमंत्री जी को दे दूंगी। इसके अलावा कि ये सरकारी आंकड़े हैं, वहां कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के पास अलग आंकड़े हैं।

मैं उनके द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा को भी बताना चाहती हूँ। सरकार ने ग्रुप काउन्सिलिंग के तहत 1186 लोगों को भर्ती किया तथा 84 पुरुष, 134 महिलायें और 39 बच्चे चिकित्साधीन हैं। उनका कहना है कि वे उनका इलाज कर रहे हैं।

इसके बाद मैं पुनर्वास के लिए चिन्हित लोगों की संख्या पर आती हूँ। महोदय, 4,675 महिलाओं ने जीविकोपार्जन व अपने परिवारों का भरण-पोषण करने हेतु किसी न किसी प्रकार के पुनर्वास की माँग की है।

तत्पश्चात्, व्यापार और वाणिज्य को पुनः बहाल करने तथा तत्संबंधी की गई कार्रवाई की बात आती है। महोदय, 20,800 लोगों का सर्वेक्षण किया गया था जिस में से 12,184 लोगों को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। मैं यह ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि वाणिज्य और व्यापार पुनः बहाल करने के लिए गुजरात में सर्वेक्षण उस वक्त किया गया था जब लोग राहत शिविरों में थे। वे सर्वेक्षण और तत्संबंधी मूल्यांकन के वक्त वहां उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार, तत्संबंधी मूल्यांकन उन लोगों की अनुपस्थिति में हुआ है जो सचमुच प्रभावित हुए हैं। स्व-रोजगार के लिए 1,527 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 308 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके बाद 8,835 इकाइयों को मुआवजा के लिए चिह्नित किया गया है और 510 इकाईयों को तत्संबंधी स्वीकृति दी जा चुकी है। बीमा दावों की संख्या 2,373 है और 411 दावों को निपटाया जा चुका है। मेरे पास उपलब्ध आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं हैं बल्कि ये गुजरात सरकार के आंकड़े हैं। मैं जिस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ वह यह है कि गुजरात सरकार द्वारा घोषित पुनर्वास का पूरा पैकेज जिसका ब्यौरा मेरे पास उपलब्ध है, बहुत अच्छा पैकेज है। मैं यह अवश्य बताना चाहूंगी कि इस पैकेज की निगरानी प्रधान मंत्री कार्यालय कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि स्थानीय स्तर पर कुछ नहीं होगा। यह जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है,. अधिकारियों को प्रधान मंत्री कार्यालय बुलाया जाता है। इससे परिलक्षित होता है कि कार्य सम्पन्न कराने के संबंध में श्री मोदी की क्षमता पर प्रधानमंत्री का कितना विश्वास है। किन्तु मैं इस पहलू की ओर नहीं जा रही हूँ।

मैं यहाँ किसी समिति के सभापति के रूप में उपस्थित नहीं हूँ। हम चारों तरफ गए। लोगों ने विभिन्न शिविरों तथा उन स्थानों का जिक्र किया है जहां वे गए थे। महोदय, मैं यह बताना चाहती हूँ कि राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास पैकेजों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि मुआवजा क्या है तथा वे कितने मुआवजा के पात्र हैं। अनेक लोग लापता हैं। उनके परिवार के लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। लोगों से मृत्यु प्रमाण-पत्र अथवा दंगे में मारे जाने का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कोई मुस्लिम महिला, जिसके पति या पुत्र की उसकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई है, किस प्रकार ऐसा प्रमाण दे सकती है? वह इस प्रमाण के लिए कहां जाएगी कि

उसका पति दंगे का शिकार हो गया? उससे कहा जाता है : ''मुआवजे के लिए प्रूफ लाओ, अब कहां जाए?''

दूसरा मुद्दा बलात्कार के मामलों के संबंध में है। मुझे पता है मेरे सहयोगी यह कहेंगे कि किसी ने हमारे पास ऐसी शिकायत दर्ज नहीं करायी। स्वाभाविक है कोई भी मुस्लिम लड़की अथवा महिला सामने आकर यह नहीं कहेगी कि हमको कुछ किया। इस मामले में कुछ शिष्टता का भाव होता है। परन्तु लड़कियां, महिलाएं और माताएं हमसे मिली और रो-रोकर कहा: ''ऐसा हुआ है।'' महोदय, उनसे क्या कहा जा रहा है? एफ.आई.आर. रजिस्टर्ड नहीं की गयी। बलात्कारी की पहचान करो, उनकी पहचान करो, जिन्होंने आकर तुम्हारा बलात्कार किया। ''पहचान तो कराओ, नहीं तो एफ.आई. आर. कैसे फाइल करेंगे। यह सच है कि नाम दें तभी एफ.आई.आर. फाइल करेंगे।''...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: यह सही नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आप कुछ भी कह सकते हैं, आप हमें बोलने नहीं देना चाहते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश जाधव, कृपया उनकी बातों में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रतिलाल वर्मा, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं इसका उल्लेख करना भी चाहती हूं। मैंने रिपोर्ट को उद्धृत नहीं किया। मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है...*(व्यवधान)* जब आपने बोला तब मैंने कोई टोका-टाकी नहीं की। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे बोलने के बाद उत्तर दे सकते हैं। आप बात सुनिए। यदि उत्तर देना है, तो बाद में दे दीजिए।...*(व्यवधान)* यहां मेरे पास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टें है। मैं कुछ भी उद्धृत नहीं कर रही हूं। अन्य रिपोर्टें भी हैं। एक का शीर्षक है: ''गुजरात नरसंहार, एक स्वतंत्र तथ्यान्वेषी मिशन।''

किंतु सबसे महत्वपूर्ण है: ''गुजरात नरसंहार ने अल्पसंख्यक महिलाओं को कैसे प्रभावित किया'' यह बात महिलाओं के तथ्यान्वेषी पैनल ने किया। उन सबके नाम यहां हैं। यह शुरूआत अहमदाबाद के नागरिकों ने की। यह सब वहां गए बाहरी लोगों का काम नहीं था। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि वहां महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा तो इस रिपोर्ट को आप सभी को पढ़ना चाहिए। जन स्वास्थ्य संकट की यह रिपोर्ट वहां काम करने वाले स्वतंत्र डाक्टरों ने प्रस्तुत की है। यह प्रकाशित रिपोर्ट है। न तो यह किसी राजनैतिक दल की है और नहीं उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है जिसके लिए आप हमेशा शोर मचाते हैं। यह डाक्टरों के उस दल की रिपोर्ट है जो वहां कार्य करने के लिए गये थे।

महोदय, आपके देखने से मैं विचरित हो रहा हूं। कृपया मुझे पांच मिनट का समय दीजिए।

यहां मैं अपनी रिपोर्ट उद्धृत नहीं कर रहा हूं। मैं अपने सहयोगियों को विशेषकर उस ओर बैठी महिलाओं को यह बताना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय महिला आयोग की है। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है जो सार्वजनिक दस्तावेज है और जिसे परिचालित भी किया गया है। मैं इनमें से उनके ही कुछ तथ्यों को उद्धृत करूंगा क्योंकि वे मेरी बात को चुनौती देंगे। मैं यह रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है कि:

> ''एफ.आई.आर. दर्ज करने या राहत व मुआवजे हेतु आवश्यक फार्म भरने में पीड़ितों और निवासियों को कोई सहायता नहीं की गई है। भले ही वे शिविरों के अंदर हों या बाहर उन्हें कोई कानूनी मदद उपलब्ध नहीं कराई गई है। समिति को जिला अधिकारियों से न इन मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए अनुरोध करने हेतु अत्यधिक प्रयास करना पड़ा।''

आगे कहा गया है कि, ''महिलाओं के प्रति न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए।'' यह राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। इसके अनुसार:

> ''महिलाओं के प्रति अपराध होने की स्थिति में, विधि प्रवर्तक एजेंसियों के सभी स्कंधों द्वारा तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है। एफ.आई.आर. जांच तथा आरोप-पत्र को निर्धारित अवधि के भीतर ही दाखिल किया जाना चाहिए और एफ.आई.आर. की प्रतियां पीड़ितों को दी जानी चाहिए।''

महोदय, निशुल्क विधि सहायता के लिए वह ठीक है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा:

> ''विशेष न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता है। गंभीर दंगों की स्थिति होने पर तथा उसके बाद पुलिस की ज्यादतियों या उसकी निष्क्रियता की शिकायतें मिली हैं। दोषी पुलिस अधिकारियों को अब तक दण्डित नहीं किया गया है।''

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

मैं अन्य बातों की चर्चा नहीं कर रही हूं। मैं केवल इतना कह रही हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट है। दंगा पीड़ित महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने में, इसमें पूर्ण असफलता दर्शायी गयी है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मैं उठाए गए दो या तीन मुद्दों का उत्तर देना चाहूंगी। जहां तक परीक्षा का संबंध है, हां, उन्होंने जानबूझकर अपने बच्चों को नहीं भेजा। अभिभावकों ने कहा कि उनके पास पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं। वे जल गई हैं। वहां रोशनी की भी व्यवस्था नहीं है जहां पढ़ा अथवा अन्य कुछ भी किया जा सके। वहां केवल भय व्याप्त था। अभिभावकों को यह भय था कि यदि उनके बच्चे बाहर गए तो संभवत: वे ना लौटें, यदि उन पर हमला किया गया। अत: उन्होंने विरोध किया। सरकार ने बाद में परीक्षाएं आयोजित की। कोई समस्या ही नहीं हुई। सभी गए।

[हिन्दी]

आप लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए कहा था, क्यों नहीं गए। मैं आपको बतला रही हूं, घर में जो लौट रहे हैं, वहां खून हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप जानते हैं कि गुजरात में बहुत से लोगों के हाथ निर्दोष जनता के खून से रंगे हुए हैं। मैं यहां आज यह कहना चाहती हूं। इसका जिम्मेदार कौन है? आपके हाथों में प्रशासन है। माननीय उप-प्रधानमंत्री और गुजरात के सांसद के हाथों में कानून व व्यवस्था है। मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ चलने दो। दोषी को पकड़ना, सजा देना और यदि उसने हत्या की है तो उसे फांसी दे देना आपका संवैधानिक कर्त्तव्य है, भले ही वह किसी भी दल के हों। किंतु इन अपराधियों को आल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय की श्रेणी में न रखें और ये लोग और वो लोग कहकर इन्हें वर्गीकृत न करें।

शिविर बंद हो रहे हैं। वे बंद हो गए हैं। दरअसल, जब हम वहां गए तो हमें बताया गया कि अंतिम चार शिविर ही खोले गए थे। मैं कहना चाहती हूं कि आज ये लोग अपने घरों में जाने से डरते हैं। वे आंतकित हैं। किराएदारों को उनके मकान वापिस नहीं दिए जा रहे हैं। जिनके पति और बच्चे खो चुके हैं वे कहीं नहीं जा सकती। जीवित रहने का उनके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। वे संरक्षण की मांग कर रहे हैं और उन्हें घर जाने के लिए कहा जा रहा है। अपने क्षेत्रों में लौटने पर उनसे कहा जाता है कि: "सभी शिकायतें लो, क्षतिपूर्ति न मांगों; तभी हम तुम्हें यहां रहने देंगे।"

मैं एक बाजार में वेश बदलकर गई। मैंने वहां देखा कि लूटे गए घरों के दरवाजे, खिड़कियां यहां तक कि बालकनियां भी बाजार में बेची जा रही हैं। कोई भी यह सामान जब्त करने या बेचने वालों को बंदी बनाने के लिए नहीं आया। वे पास ही के मुसलमान मोहल्ले के थे।

महिलाओं और बच्चों की तकलीफ मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी। मेरे सामने एक लड़के और एक लड़की को नंगा कर उनकी पीठ और हाथों को जला दिया गया। उनकी मां और दो बड़े बच्चे मारे जा चुके थे। उनका पिता हमारे सामने रो रहा था। मेरे सहयोगिवों ने भी देखा। डाक्टर उपचार करने के लिए 2,500 रुपये ले रहे थे। मैं यह सहन नहीं कर सकी इसलिए, मैंने रुपये निकालकर, उन्हें डाक्टर के पास जाने के लिए दिए। आज वहां यह स्थिति है।

शिविरों में शिशुओं ने जन्म लिया है किंतु वहां बिस्तर नहीं हैं। मैंने रैडक्रास सोसाइटी फोन कर उन्हें तुरंत छोटे बिस्तर भेजने के लिए कहा। नवजात शिशुओं को वहां जमीन पर रखा हुआ है। घर जला दिए गए हैं और बारिश होने पर उनके सिरों पर कोई छत नहीं होती। वे कहां जाएं? राहत उपलब्ध कराने के लिए आप करोड़ों रुपयों की घोषणा कर सकते हैं किन्तु करोड़ों रुपये के पैकेज से मानव अस्तित्व की समस्या का समाधान नहीं होता। हृदय में सद्भाव रखिए। इन महिलाओं और असहाय बच्चों के बारे में सोचिए। कृपया भगवान के लिए जिस किसी भी भगवान को आप पूजते हों, दया-दृष्टि डालिए और स्वयं में मानवीयता जगाइए। यह केवल वोट बैंक और चुनाव ही नहीं हैं। सरकार के गठन या अपने मुख्य मंत्री को पुन: सत्ता दिलाने के अलावा भी जीवन है। मैं जानती हूं कि आपके पास वृहद योजनाएं हैं किंतु रक्त और निर्दोष लोगों की तकलीफों पर अपने वोट बैंक नहीं बनाइए। मैं केवल यही कहना चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, हम सब लोक एक गंभीर विषय, गुजरात इश्यु पर इस हाउस में तीसरी बार चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे लिए कोई बहुत अभिमान की बात नहीं है, जो मानवता की हत्या हुई है, यह दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस पर हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं - चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, दलित, सिख, जैन या ईसाई हो। किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन हम सब लोग भारत के नागरिक हैं। भारत के ही एक नागरिक की दूसरे को ध्वस्त करने की जो नीति एवं भावना है, इसे खत्म करने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगर जलाना ही है तो

उन्हें जलाओ, जो अपने लिए दूसरों को जला रहे हैं, जो देश के लिए जल रहे हैं उन्हें जलाने से क्या फायदा। अगर डुबाना ही है तो उन्हें डुबाओ, जो अपने लिए देश को डुबो रहे हैं, जो देश के लिए खुद डूब रहे हैं, उन्हें डुबाने से क्या फायदा। आडवाणी साहब और प्रमोद महाजन जी, अगर रक्षा करनी है तो गुजरात की जनता की करो, नरेन्द्र मोदी की रक्षा करने से क्या फायदा।

महोदय, हमारा इतना ही कहना है कि गोधरा में जो कुछ हुआ, यह बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। उसी तरह अहमदाबाद और पूरे गुजरात में हुआ है। अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि इसके पहले भी दंगे-फसाद हुए हैं। तब तीन महीने तक दंगे चले, अब आप चार महीने चलाना चाहते हो। मुझे गुजरात के बारे में इसलिए अभिमान है, क्योंकि गुजरात के लोग जहां भी जाते हैं, व्यापार में गुजरात की जनता ने अपने भारत का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, दंगा करने वाला गुजरात भी है। दुनिया को मालूम हो गया है कि वहां तीन महीने तक दंगे हुए। हम कई दिनों से यह बात कह रहे हैं कि नरेन्द्र मोदी जी को हटाओ। हम लोगों द्वारा इतना हंगामा करने के बाद भी आपने श्री नरेन्द्र मोदी से इस्तीफा नहीं लिया। अटल जी और आडवाणी जी, आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। भारतीय रेलवे के नाम पर समता और ममता के बीच झगड़ा करवा दिया। अटल जी और आडवाणी जी, आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। अटल जी, आपने बहुत सारे मंत्रियों को इधर से उधर कर दिया। ऐसा करके लाल कृष्ण आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बना दिया। अटल जी आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। सभी तरफ से नरेन्द्र मोदी जी को हटाने की मांग करने के बाद अटल जी चाहते थे कि नरेन्द्र मोदी जी को हटना चाहिए। अटल जी ने आडवाणी जी को कहा कि मोदी जी को हटाना जरूरी है लेकिन आडवाणी साहब ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी मेरा आदमी है, वह नहीं हटेगा, वह हटेगा तो आप भी हटेंगे। आप दोनों में काम्प्रोमाइज हो गया और आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए जो एक अच्छी बात है लेकिन नरेन्द्र मोदी जी को हटाना चाहिए था। अब वह खुद हट गए हैं। वह अब इलैक्शन कराना चाहते हैं। इलैक्शन जब होंगे तब होंगे लेकिन आप जो कुछ सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। 3-4 महीने तक दंगा करवाने के बाद अब सत्ता हमारे हाथ में आएगी लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं कहिए।

श्री रामदास आठवले: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा राजनीति आप कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है? इलैक्शन के बाद मुख्यमंत्री बनेगा तो इधर का आदमी बनेगा।...*(व्यवधान)* मुख्यमंत्री कहां गए? लोकतंत्र में सत्ता पर सभी को अधिकार है और हमें भी इसका अधिकार प्राप्त है लेकिन गुजरात की जनता आपके साथ नहीं है। गुजरात की जनता हमारे साथ रहेगी और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। यदि आप अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयत्न करेंगे तो हम उसका पूरा विरोध करने वाले हैं। हम सभी को एक साथ आना चाहिए। यदि हम एक साथ आएंगे तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। यदि एक साथ नहीं आते हैं तो हमें नुकसान होगा। सोमनाथ चटर्जी, सोनिया जी, मुलायम सिंह जी, पवार साहब आदि सभी हमारे साथ हैं। यदि हम सब एक साथ आएंगे तो हमें लाभ होगा। पांडियन जी कभी इधर आ जाते हैं और कभी उधर चले जाते हैं। पहले पांडियन जी उधर थे। एक-डेढ़ साल वहां रहने के बाद समर्थन वापस ले लिया। ...*(व्यवधान)* सैकुलरिज्म की इस देश में विजय होने वाली है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान की विजय होने वाली है। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं शिरोमणि अकाली दल की संपूर्ण शक्ति या प्रतिनिधि हूं। जैसा कि शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता श्री तिरलोचन सिंह तुड़ ने आपको लिखित में दिया, मैं शिरोमणि अकाली दल की एकीकृत शक्ति की ओर से बोलूंगा। मेरे यहां बोलने से एन.डी.ए. सरकार को दिए शिरोमणि अकाली दल के समर्थन पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। इसका समर्थन जारी रहेगा हालांकि मैं न तो कांग्रेस के साथ हूं और न ही एन.डी.ए. के साथ।

मैं इस सभा के ध्यान में अल्पसंख्यकों की वेदना और उनकी पीड़ा लाना चाहता हूं क्योंकि मेरा दल भारत में बहुत उत्साही अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करता है और 1947 से हम पर व्यवस्थित ढंग से और लगातार नरसंहार, सामूहिक नरसंहार, हत्याएं और जातिसंहार के भीषणतम अपराध किए गए, भले ही सरकार कांग्रेस की हो अथवा भाजपा नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार हो। 'द हिन्दू' नामक प्रतिष्ठित समाचार-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर आप देखेंगे कि उसकी रिपोर्टों में कहा गया है कि गुजरात में सब कुछ व्यवस्था के अनुसार नहीं है। इसमें लिखा है: ''एमनेस्टी को वीजा देने से मना किया गया''। इटली की एक महिला डू पौट और भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला परमिन्दर प्रभा को गुजरात जाना था किंतु एमनेस्टी इंटरनेशनल की इन दो सदस्यों को भारत आने के लिए वीजा नहीं दिया गया क्योंकि वे गुजरात जाना चाहती थी। मेरे ख्याल से कांग्रेस तथा भाजपा सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल और रैडक्रास के अंतर्राष्ट्रीय आयोग को व्यवस्थित ढंग से पंजाब और कश्मीर में आने नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से हम अपनी स्थिति की अंतर्राष्ट्रीय संवीक्षा नहीं चाहते हालांकि हमारा विश्वास

[सरदार सिरमनजीत सिंह मान]

है कि हमारा लोकतंत्र जागृत है। यहां निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहां पारदर्शिता है, यहां विधि की सत्ता है और हम जवाबदेह हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए, आपका समय पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, मैं अकाली दल के सभी सदस्यों की ओर से बोल रहा हूं। कृपया मुझे केवल दो मिनट बोलने दीजिए।

हम स्वयं को खुला समाज कहते हैं किंतु मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भारत, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित मानवीय कानूनों का आदर नहीं करता। भारत ने संविधि पर न तो हस्ताक्षर किए न उसका समर्थन किया। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(1) जाति संहार के अपराध को रोकने और दण्ड देने पर 1948 में हुआ कंवेंशन।

(2) शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 में हुआ कंवेंशन।

(3) राज्यविहीन व्यक्तियों की स्थिति पर 1954 में हुआ कंवेंशन।

(4) उपनिवेश देशों व उनके लोगों की स्वतंत्रता की 1960 में की गई घोषणा।

(5) दलगत भेदभाव के सभी प्रकारों की समाप्ति हेतु 1965 में हुआ अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन।

(6) सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों पर हुए अंतर्राष्ट्रीय करार पर 1966 का वैकल्पिक नयाचार।

(7) शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1967 का नयाचार।

(8) यंत्रणा सहित अन्य अत्याचारों, अमानवीयता, अपमान या दण्ड के विरुद्ध 1984 का कंवेंशन।

(9) मृत्युदण्ड का सामना करने वालों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी गारंटी और संरक्षण प्रदान करने संबंधी 2001 का कंवेंशन।

(10) 2001 की रोम संविधि जिसके कारण हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थापित किया गया।

मेरे विचार से यदि भारत इन सभी कंवेंशन को मान्यता प्रदान करे, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।

एन.डी.ए. सरकार के सहयोगी श्री उमर अब्दुल्ला जो एन.डी.ए. सरकार में माननीय मंत्री हैं, ने श्रीनगर में नेशनल कांफ्रेंस की अध्यक्षता संभालते हुए कहा कि उनके पिता श्री फारूख अब्दुल्ला का भारतीय राज्य ने इस्तेमाल किया। उन्हें जिनेवा में मानवाधिकार आयोग में भेजा गया तथा भारत के पक्ष में सभी प्रकार की बातें करने को कहा गया। यह कैसा लगता है?

इसलिए, महोदय, मेरे विचार से हम जो कर रहे हैं और सरकार जो कर रही है, वह अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है।

जहां तक कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रपति शासन की मांग का संबंध है, मेरे विचार से यह दोहरे मानदंड अपना रही है क्योंकि 1992 में यदि यह पार्टी बाबरी मस्जिद को ढहाने से रोकना चाहती तो बड़ी आसानी से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर ऐसा कर सकती थी।...*(व्यवधान)* हमारी पार्टी न तो गुजरात अथवा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चाहती है और न ही गुजरात में शीघ्र चुनाव कराना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय: सरदार सिमरनजीत सिंह मान, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, कृपया मुझे अपनी बात पूरे करने दें। मैं अकाली दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण पार्टी है और जो सिख राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करिए। सायं 7.30 बजे माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर देना है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि कुछ लोग हिन्दुत्व चाहते हैं और वे हिन्दू राष्ट्र चाहते हैं। लेकिन हम धार्मिक कट्टरता और राजनैतिक उत्पीड़न का सामना करना अच्छी प्रकार चाहते हैं। हम विगत में इसका सामना कर चुके हैं और भविष्य में भी ऐसा करेंगे। जैसाकि ब्रिटेन के इतिहासकार कन्निघम ने कहा है कि, "सिक्ख साहस करेंगे और टिके रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे।"

श्री मधुसुदन मिस्त्री (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर ने कहा कि यह चर्चा गुजरात में राहत कार्यों के बारे में है और मैं राहत कार्यों के संबंध में ही इस चर्चा में भाग लूंगा। अपने भाषण में उन्होंने शिकायत की कि सुबह से किसी भी अन्य सदस्य ने राहत और पुनर्वास कार्यों के बारे में कुछ नहीं बोला और लोग बस राजनीति का फायदा

उठा रहे हैं। मैं राहत और पुनर्वास संबंधी पहलुओं के बारे में कहना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्य श्री किरीट सोमैया जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने संपूर्ण मानवता के मुद्दे की बात की है। यही ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, सबसे पहले मुझे गुजरात में पुनर्वास कार्य के बारे में कहना है। मैं दूसरी ओर बैठे सदस्यों से केवल एक बात पूछना चाहता हूं। एक एकड़ ऐसी कोई भूमि दिखा दो जो शिविरों में रहने वाले उन लोगों को दी गई हो जो अभी तक अपने घर और गांव वापस नहीं जा सके। आज सुबह ही वे बहीखाते दिखा रहे थे। एक भी ऐसा मामला बता दें जहां आपने अभी तक दंगों के पांच महीने बाद भी दंगापीड़ितों को एक एकड़ भूमि तक दी हो। इतना ही नहीं यह भूमि जानबूझकर नहीं दी जा रही क्योंकि मुख्य मंत्री जी नहीं चाहते कि वहां मौजूद दक्षिणपंथी उन्हें इस बात के लिए दोषी ठहरायें कि वह दंगा प्रभावित लोगों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों का पक्ष ले रहे हैं अथवा उनकी सहायता कर रहे हैं।

राहत संबंधी पहलू पर भी आपने गोधरा के दंगा प्रभावित जले हुए लोगों का ब्यौरा दिया है। आपने उनकी संख्या 60 बताई है। आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक 41 लोगों को मुआवजा दिया गया है। बाकी 19 लोगों का क्या हुआ? उनके नाम क्यों नहीं घोषित किए जा रहे? मुझे इस संपूर्ण मामले की जांच कर रहे अधिकारी से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि ये 19 लोग दूसरे राज्यों के हैं और वे उन्हें तब तक पैसा नहीं देना चाहते जब तक कि डी एन ए जांच-परीक्षण पूरी नहीं हो जाती और कोई भी व्यक्ति यह बताने को तैयार नहीं है कि वे लोग कहां गये हैं।

आप शिविर में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। वस्तुतः, 30 जून को उन्होंने प्रत्येक समाहर्त्ता और मामलातदार को ये अनुदेश दिए हैं कि वे शिविरों में न जायें। ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद में शिविरों में केवल 13000 लोग ही हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र साबरकांठा में इदर, हिम्मतनगर, वदली, मोदासा और विजयनगर में 4500 लोग ऐसे हैं जो राज्य प्रशासन से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त किए बिना सिर्फ इसलिए शरण लिए हुए हैं क्योंकि गुजरात सरकार कोई राशन नहीं देती। क्या इसका यह अर्थ है कि शिविर छोड़ दिया गया है? क्या इसका यह अर्थ है कि लोग शिविरों में नहीं रह रहे हैं? क्या इसका यह अर्थ है कि सभी बातों का समाधान किया जा रहा है? लोग गोधरा शिविर में रह रहे हैं जोकि रेलवे लाइन के काफी नजदीक है और उन्हें अपने घर जाने के लिए बाध्य किया गया था। आपकी उन्हें छह महीने का राशन देने की योजना है जोकि केवल उन्हीं लोगों को दिया गया है जो शिविर में रह रहे हैं लेकिन जो लोग अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, उन्हें राहत नहीं दी गई। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य मुआवजों का उल्लेख करूंगा। आपने 20 रुपये अथवा 50 रुपये आदि देने की बात कही थी। जहां लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, वहां लोगों को 2000 अथवा 5000 रुपये का चेक दिया गया है। मानवता की बात कहां गई?

मानवता का क्या हुआ? ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके पास कोई कापी नहीं है, स्कूल के बस्ते नहीं हैं और स्कूल ले जाने के लिए किताबे नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्हें मानवता से कुछ लेना-देना नहीं है। मेरे विचार से, वे ऐसे लोग हैं जो दिलो-दिमाग से इतने कठोर हैं कि वे इन लोगों को बस देखना ही नहीं चाहते। कांडला में उनकी मानवता को क्या हुआ? कांडला में आये तूफान में 1200 लोग मारे गये और 1700 लोग अभी तक लापता हैं। उनका कोई रिकार्ड नहीं है और अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही उनका पुनर्वास किया गया है। सूरत में बाढ़ के कारण 500 से 600 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ। केन्द्र ने उस समय कोई सहायता नहीं की। सूखे की स्थिति में क्या हुआ? उसी सरकार के शासन में 15-16 लोग भूख से मर गये लेकिन उस समय मानवता कहां चली गई थी? उन्हें इस प्रकार मानवता की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

महोदय, ये ऐसी बातें हैं जिनके लिए वे जनता के पास नहीं जा सकते। ये वो लोग हैं जो हेरा-फेरी करते हैं और झूठे वायदे तथा घोषणायें करते हैं। पिछले साढ़े चार वर्षों में उन्होंने विभिन्न विभागों के संबंध में अभी तक 1863 घोषणायें की हैं। मैंने उनका अध्ययन किया है और लिखा है कि गुजरात में भाजपा के साढ़े तीन वर्षों के शासन के दौरान 1445 घोषणायें की गई जिनकी संख्या बढ़कर लगभग 1863 हो गई है। प्रत्येक विभाग इन वायदों को पूरा नहीं कर सका। नर्मदा योजना को ही लीजिए। उद्योगों के मामले को लीजिये। उनके शासनकाल में गुजरात में 44,000 उद्योग बंद हो गये।...*(व्यवधान)* जरा रुकिए।...*(व्यवधान)* मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दे रहा हूं।...*(व्यवधान)* एक मिनट भी नहीं।...*(व्यवधान)* गुजरात में 44,000 उद्योग बंद पड़े हैं। दो लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गये हैं। ऐसे दस लाख लोग हैं जो सरकार के पास पंजीकृत हैं।

वे घोषणा करते हैं कि जो कोई भी परीक्षा देगा अथवा साक्षात्कार के लिए जाएगा, वे उसे निःशुल्क पास देंगे। अस्सी हजार लोगों को नौकरियां दी गई और उन्होंने केवल 8,000 लोगों को ही पास दिए हैं। आप उनकी किसी भी घोषणा को ले लीजिए। इससे पता चलता है कि इस सरकार का काम केवल घोषणा करना ही है, वस्तुतः यह सरकार बेईमान सरकार है। इस दंगे में गुजरात को 14000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्हें यह बात तो छिपानी थी। उनके पास इसके सिवाय और कोई

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

विकल्प नहीं था। वस्तुत: यदि आप इस देश के खाद्य मानचित्र को देखें, जो कि स्वामीनाथन केन्द्र ने तैयार किया है, तो पायेंगे कि गुजरात कुपोषित राज्यों में से एक है। यह बात को छिपाना चाहते हैं। इस बात का वे सामना नहीं कर सकते। वे सत्ता में यह कहकर आये कि "हमें एक अवसर दो।" उनका कहना था कि:

[हिन्दी]

"भय, भूख और भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे।" भय उनका दूर नहीं हुआ और भ्रष्टाचार बढ़ा। आज सुबह श्री किरीट सोमैया कच्छ में तूफान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की बात कर रहे थे। कच्छ के अंदर उधर से माल निकालने में भ्रष्टाचार हुआ।...*(व्यवधान)* गढ़वी जी, आप मना करें, मगर आपके राज में हुआ। आपकी सरकार में हुआ। आपने ऐसा किया। कृपया बैठ जाइये। मैं आपको बताता हूं कि कपड़े में भ्रष्टाचार हुआ। इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुए। भुज में ऐसा हुआ कि

[अनुवाद]

उनकी सरकार केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए खाद्यान्नों तक को न उठा सकी। मैं यह कह रहा हूं। मोदी जी राहत और पुनर्वास कार्यों में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका कारण यह है कि भाजपा सरकार गुजरात की जनता का सामना नहीं कर सकती क्योंकि उनका लगभग साढ़े चार वर्षों का रिकार्ड इतना निराशाजनक है कि उनके पास वास्तव में हिन्दुत्व की बात करने के सिवाय और कोई विकल्प ही नहीं था।

यदि गोधरा की घटना नहीं घटी होती तो कुछ और हुआ होता क्योंकि वर्ष 1992 से 1995 तक उन्होंने गुजरात में दंगों की राजनीति खेली है। प्रत्येक शहर में दंगे हुए थे। उन्होंने समुदाय को हिन्दु और मुसलमानों के बीच विभाजित किया और वोट एकत्र किए। अब तक उनकी यही नीति रही है।

श्री मोदी को गुजरात क्यों भेजा गया? वे श्री शंकरसिंह वाघेला के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने श्री केशुभाई पटेल को हटा दिया। इसका क्या कारण था? वे सभी उपचुनावों में हार गए। 23 जिला पंचायतों में से 22 जिला पंचायतों में उनकी हार हुई और ये कांग्रेस की जीत हुई। अभी चुनाव होने हैं। वे अब तक 1,700 ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह गुजरात में कुल पंचायतों का दस प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला अंतिम वक्ता हैं। इनके बाद माननीय मंत्री उत्तर देंगे?

श्री मधुसूदन मिस्त्री: ये नगर पालिकाओं तथा अन्य निकायों के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं?

मैं चाहता हूं कि उप प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी जगह राहत और पुनर्वास पैकेज पूर्णत: लागू हो। सरकार द्वारा गठित समिति से दो वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है इसलिए कि सरकार की राहत और पुनर्वास पैकेज में दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता हूं कि वे ऐमनेस्टी इंटरनेशनल की अद्यतन रिपोर्ट को पढ़ें। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने उन उपायों का सुझाव दिया है जो सरकार को उठाने चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुजरात पर ऐमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पूर्णत: क्रियान्वित की जाए और वस्तुत: लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

आपकी पार्टी ऐसी है जो सच नहीं बोलती है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब उन्होंने मुझे ईसाई बना दिया था।

[हिन्दी]

मुझे आपने मेरे इलैक्शन में क्रिश्चियन बना दिया। आपकी सरकार प्रपोगेंडे के ऊपर, एनाउंसमेंट के ऊपर मैनीपुलेशन के ऊपर चलने वाली है और ऐसी गवर्नमेंट कभी सत्ता के अन्दर नहीं आ सकती है, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। आने वाले चुनाव में आपको सही स्थिति पता चल जाएगी, चाहे वह नरेन्द्र मोदी हों या कोई हो।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): जनाब स्पीकर सर, गुजरात के अल्मनाक सूरते हाल पर बहस हो रही है। एक अरसे से कोशिश जारी थीं, साजिश जारी थी कि इस किस्म का सूरते हाल बरपा किया जाए। अफसोस कि आखिरकार यह खतरनाक सूरते हाल गुजरात के अन्दर बरपा कर दी गई। कई पहलू, सैवरल आस्पैक्ट्स काबिले गौर हैं। गोधरा सानहा में काबिले मजम्मत है इस सनाहा के बारे में हमारे पास फारेंसिक लेबोरेट्री की रिपोर्ट आ चुकी है जो इस बात को साफ जाहिर करती है कि आग कंपार्टमेंट के बाहर से नहीं लगाई गई बल्कि ट्रेन के अन्दर से लगाई गई थी और और आतिशगीर माद्दा, इनफ्लेमेट्री लिक्विड ट्रेन के अन्दर मौजूद था।

मिस्टर स्पीकर सर, यह बतलाया गया था कि ट्रेन के तीन दरवाजे खुले थे, लेकिन आज तक यह मालूम नहीं हो सका कि इन तीन दरवाजों में से कौन निकल गया और वे कौन थे जो ट्रेन के अन्दर जिन्दा जला दिए गए। यह बात साफ जाहिर हो गई कि एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत गोधरा का काहिले मजम्मत सनाही बरपा किया गया और उसका बहाना बनाकर गुजरात के अन्दर मुस्लिम अक्लीयत की नस्लकशी की, सरकार की सरपरस्ती की जैनोसाइड बरपा की गई।

सर, इस जैनोसाइड के बारे में जितना और जिस कद्र कहा जाए, कम है। इसलिए कि ये सरकार की सरपरस्ती में यह की गई। सरकार और उनके तंत्र के संरक्षण में यह नरसंहार हुआ था। कई रिपोर्टें आ चुकी हैं, लेकिन हद तो यह है कि किसी रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बस अपना ही राग, जो सच से दूर है, अलापा जा रहा है। मायनारिटी कमीशन की रिपोर्ट आ गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आ गई, कितनी ही रिपोर्ट आई, महिला कमीशन की रिपोर्ट आ गई, कितनी ही इंडिपेंडेंट इन्क्वाइरीज की रिपोर्टस आ गई, लेकिन किसी भी रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस किस्म की हठधर्मी दरअसल आज हकीकत में पहली बार हमारी मुल्क के अन्दर देखी जा रही है।

साहब, वहां के जो हालात हुए हैं, मैं उनका बयान नहीं करना चाहता हूं। इससे पहले मैंने बहस में हिस्सा लिया है। चन्द बाते मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन रिलीफ, आबादकारी का जहां तक मसला है, रिलीफ आबादकारी रीहैबिलिटेशन एक महज का आमेज तरीके पर किया जा रहा है।

इतनी कलील रकम, बेतुकी राशि इतनी कलील और महजका खेज रकम रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के नाम पर दी जा रही है। यहां बताया जा चुका है कि किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये किसी को 100 रुपये और किसी को 350 रुपये का चैक उनके मकानात बनाने और उनकी आबादकारी के सिलसिले में दिया गया है। यह हिन्दुस्तान के साथ और हिन्दुस्तान के नागरिकों के साथ मजाक किया जा रहा है। ऐसा वाक्या भी हुआ कि जब तबाह-हाल के साथ में चैक आया और उसने 50 या 100 रुपये की रकम देखी तो उसके दिल को धज्जका हुआ और वहीं गिरकर उसने दम तोड़ दिया। जो रायट्स में नहीं भरा, जो कानरेज और जेनोसाइड में नहीं मरा, उसको आपके रिलीफ के चैक ने मार डाला। यह हालात भी हमारे सामने आये हैं।

चूंकि वक्त कम है और आपने पहले घंटी बजा दी है। लेकिन मैं एक ही बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। प्रश्न यह है कि आज बजाए इसके लिए आर्टिकल 355 के तहत जो कुछ भी डायरेक्शन हुकूमत की तरफ से दी गयी, उसको पूरा करने के बजाय चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। असेम्बली डिजॉल्ब हो गयी और इलैक्शन जल्द से जल्द कराने की तैयारियां की जाने लगी। हकीकत में फसादात और खून को बरपा करके इलैक्शन के जरिये सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने यह कहा कि ऐसा तो हमेशा तो होता रहता है कि जो इख्तेदार पर है और जो हुकूमत पर है, वह अपनी हुकूमत को कायम रखने की कोशिश करेगा। किसी तरह की हिम्मत नहीं, जरूरत नहीं, इस कांस्टीटूएशन के मिसयूज की, इसके नाजायज इस्तेमाल, उसके गैर इखलाकी इस्तेमाल की मजम्मत अल्फाज में की जाये। मैं कहूं कि जो खूनी हाथों को ये मजबूत बना रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक अमल इस दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। जो इन खूनी हाथों को मजबूत बना रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं खत्म कर रहा हूं। आज हजारों हाल लोग बेघर हैं। वहां कैसे इलैक्शन होगा? कितने मिसिंग हैं, इन हालात में कैसे इलैक्शन होगा? पहले हालात को नार्मल बनाया जाये। दावा किया जा रहा है कि गुजरात के अवाम को इंकलाबी फैसले, मेनडेट का मौका दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि गुजरात हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन पर खोटे इल्जामात लगाये गये हैं। गुजरात की तौहीन की गयी है। इसलिए इलैक्शन के जरिये अवामी राय (जनमत) का मौका दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि गोधरा का भयानक हादसा और गुजरात में मुस्लिम अकलियत की नस्लकशी करके जबरजस्त कत्लेआम और हजारों लोगों को बेघर करके मौजूदा डर, खौफ और इनसिक्योरिटी का माहौल तारी करके कि लोग अपने घरों में वापिस नहीं जा सकते। भयानक कांसपिरेसी, साजिश की जा रही है कि मुस्लिम अकलियत इंसाफ पसंद सेक्युलर लोग वोट से महरूम रह जायें। यह कांसपीरेसी करके फासिस्ट फिरकावाराना को कायम करने की कोशिश की जा रही है। जम्हूरियत और सेक्युलरिज्म के साथ धोखा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह यह मुल्क और इसकी अवाम इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेंगी। जरूरत इस बात की है कि मजलूमों की दादरसी हो, जरूरत इस बात की है कि मजलूमों को बसाया जाये।

हालात को नार्मल बनाया जाए, अमन-ओ-सलामती कायम हो। हालात नार्मल नहीं हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि इलेक्शन की की जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले हालात को नार्मल बनाओ ताकि इलैक्शन सही मायने में इलैक्शन कहलाए जा सकें। जरूरत इस बात की है कि कान्सीट्यूशन में जो टाइमफ्रेम मुकरर किया है, उस टाइमफ्रेम के अंदर अगर इलैक्शन नहीं हो सकते तो सदर-राज और प्रैजीडैंट रूल को नाफिज करना इंतहाई जरूरी होगा।

अभी कई बातें और पहलू तिशना रह गए लेकिन मैं इस बात को वाजे करता चलूं कि जमहूरियत और सैकुलरिज्म को धोखा देने की जो कोशिश की जा रही है, यह कोशिश इंशा-अल्लाह कामयाब नहीं होने पाएगी और इलेक्शन कमीशन भी इस पर पूरी-पूरी तवज्जो दे।

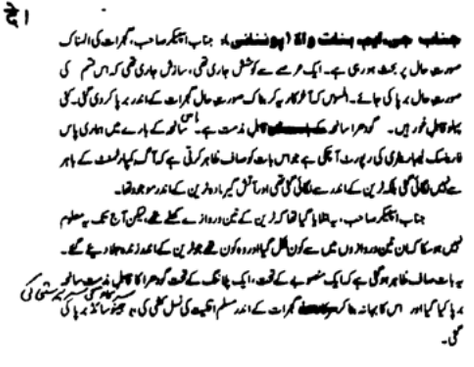

[श्री जी.एम. बनातवाला]

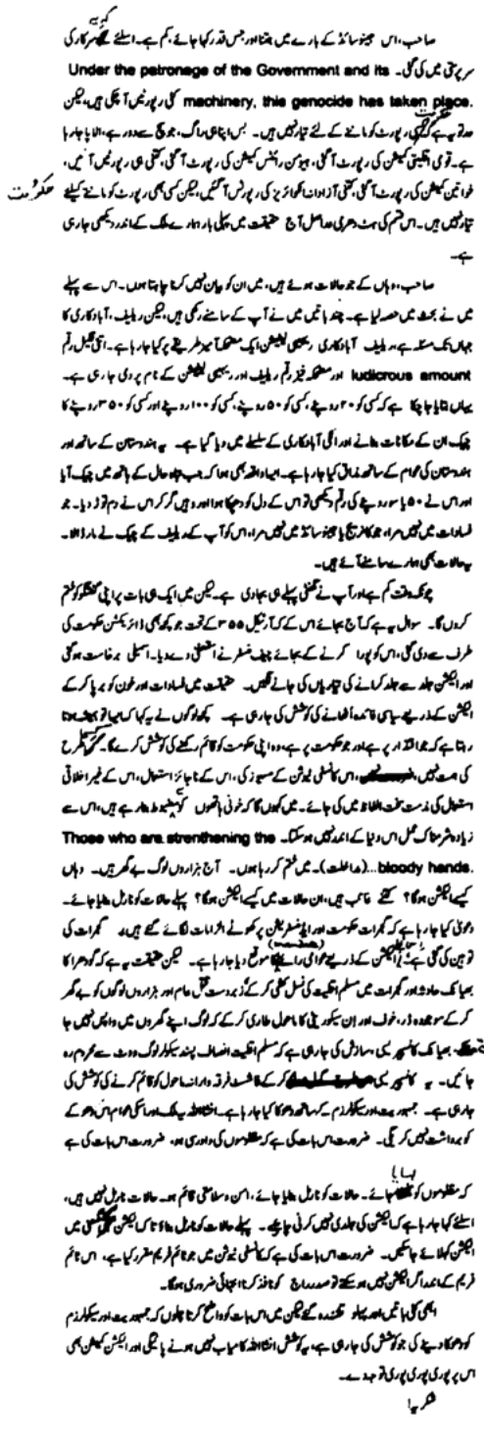

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार महीनों में आज तीसरी बार गुजरात पर सदन में चर्चा क रहे हैं। 27 फरवरी को गोधरा की घटना हुई। 27 फरवरी के बाद अहमदाबाद में, गुजरात के अन्य भागों में साम्प्रदायिक हिंसा हुई और तब से लेकर तीसरी बार हम इसी विषय पर चर्चा करते आए हैं। इस बात को हम सब स्वीकार करें कि इस बार की तीसरी चर्चा, उसकी प्रेरणा, मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा को विसर्जित करने का प्रस्ताव और राज्यपाल द्वारा उसे स्वीकार किया जाना—स्वाभाविक है कि सीधे तौर पर औपचारिक प्रस्ताव बनाकर उस पर चर्चा नहीं हो सकती थी क्योंकि वह संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का अधिकार था, संविधान के अनुसार राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। इसलिए विपक्ष और सरकार दोनों ने यह तय किया कि हम गुजरात के रिलीफ, रीहैबिलिटेशन के प्रस्ताव के आधार पर चर्चा करें लेकिन किसी पर बंधन नहीं होगा कि वह उसे छोड़कर और किसी राजनैतिक विषय को न उठाए।

जब श्री बसुदेव आचार्य ने शुरू किया, जैसे ही उन्होंने कोई राजनैतिक विषय उठाया तो इधर से, जिनको इस अनौपचारिक समझौते की जानकारी नहीं थी, उन्होंने टिप्पणी की कि प्रस्ताव रिलीफ, रीहैबीलिटेशन का है और ये कहां की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे गुजरात के संदर्भ में जो-जो जिसके मन में था, सब बाते कहीं गई। मुझे इतना जरूर लगा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और सरकार को भी उनके बारे में जो कुछ कहना था, वह कह चुकी है। गोधरा में क्या हुआ, गोधरा के बाद सरकार ने कदम उठाए या नहीं, गोधरा के संदर्भ में इन सब बातों को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी-अभी श्री बनातवाला और पहले कुछ सदस्यों ने फोरैंसिक रिपोर्ट की चर्चा की। मैं उससे अलग कहूंगा। वैसे मैंने फोरैंसिक रिपोर्ट पूरी नहीं देखी, उसके कुछ अंश देखे हैं, कुछ अखबारों में छपा भी है, कुछ गुजरात सरकार ने भी हमको जानकारी दी है क्योंकि गुजरात सरकार का कहना है कि फोरैंसिक रिपोर्ट जांच आयोग को दी गई है। जो इस मामले में पूरी छान-बीन करके अपनी जूडीशियल इन्क्वारी कमीशन के नाते रिपोर्ट देने वाली है। उनका कहना है कि शायद उसमें से ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कई लोग गोधरा गए हैं, मैं गया हूं वहां जो-जो गए और जिन्होंने वह कम्पार्टमेंट देखा, जो कम्पार्टमेंट जलाया गया था, उसको किसी फोरैंसिक रिपोर्ट की जरूरत नहीं है।

यह निष्कर्ष निकालने के लिए इसको अंदर से जलाया गया, लेकिन जब अंदर से जलाया गया यह बात कही जाती है तो ऐसे कहा जाता है, जैसे मानो जो लोग मरे, उन्होंने खुद को ही जलाया या उनमें से किसी ने तय करके वहां पर जलाया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे तो वहां देखकर साफ दिखाई देता है कि बाहर से किसी ने फेंका नही है, उसके लिए किसी लैबोरेट्री की फोरैंसिक रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। फोरैंसिक रिपोर्ट ने यह जरूर कहा कि लगता है कि किसी ने एक तरफ खड़े होकर 60 लीटर इनफ्लेमेबल फ्यूल फेंका। अब इनफ्लेमेबेल फ्यूल क्या था, कोई नहीं कह सकता, इसका पता लगेगा, रिपोर्ट में से आयेगा, लेकिन वहां पर सारा का सारा फेंका, जिसके कारण अंदर के सारे के सारे लोग क्षण भर में जल गये। इस घटना को ही इस तरह

से प्रस्तुत किया गया है मानो कि गोधरा के बारे में जो कुछ कहा जाता है कि यह केवल कारसेवकों को मारने के लिए था और जिसकी प्रतिक्रिया वहां पर थी। यह तो बेसिक थ्योरी ही गलत है। फिर उसमें से मेरे बहुत से मित्र ऐसे हैं, जो कहते है कि यह तो जान-बूझकर इनका इस तरह का षडयंत्र है। इन्होंने तय किया कि गोधरा में इस प्रकार से लोगों को, स्त्रियों को और बच्चों को जला दिया जाये, जिससे इसकी प्रतिक्रिया हो। ऐसा मैंने आज भी सुना। इस सदन में भी किसी ने इस प्रकार की बात कही।

मैं मानता हूं कि इस प्रकार की बातें करने से हम साम्प्रदायिक सौहार्द नही बढ़ते। हम उसमें एक प्रकार से जो विकृतियां आ रही हैं, उनको बढ़ाते हैं। हमें एक-एक शब्द तौलकर बोलना चाहिए। बसुदेव आचार्य जी बहुत प्रमुख नेता हैं, उन्होंने जिस समय कहा कि हजारों स्त्रियों का बलात्कार हुआ तो मुझे उससे धक्का पहुंचा। जहां तक हमारी प्रतिक्रिया है, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे मेरी हो, ऐसी लगी कि मानो हमारे पक्ष को जवाब देने के लिए हो। हमारे दासमुंशी जी का उससे बढ़िया कौन सा अपमान हो सकता है, आप कहते हैं कि हमने अपमान किया है, अपमान तो आपके आडवाली जी ने किया है, वाजपेयी जी ने किया है। यह अपमान नहीं है अपमान उसमें से निकलता है, जब कोई कहता है कि गुजरात के इन दंगों में हजारों स्त्रियों का बलात्कार हुआ तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। बलात्कार हुआ है और मैं यह कहता हूं कि एक महिला का भी हुआ है तो भी हमारे लिए शर्म की बात है। यहां पर तो एक से ज्यादा का हुआ है। कोई छः कहेगा, बसुदेव जी कहते हैं कि नहीं 11 का हुआ। मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको इतना जरूर कहा कि अगर कोई इस प्रकार की घटना है तो इसके लिए एफ.आई.आर. हम कैम्प्स में भी दर्ज करने को तैयार हैं। अगर पहले दर्ज नहीं हुई है तो एफ.आई.आर. बहुत दिन बाद में भी दर्ज की हैं।

मैं सोचता हूं कि इन बातों का बार-बार उल्लेख करना और उसका बार-बार सरकार की ओर से जवाब देने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इस बार की जरूरत जरूर है जो दो-तीन बातें हैं। एक-कि हम हमेशा लोकतंत्र के पक्षधर हैं, इसीलिए हमने चुनाव को हमेशा एक अंतिम हथियार माना। इस मामले में तो आपको जानकारी होगी कि चुनाव की संभावना पिछले चार महीने से चली है। अप्रैल के महीने में जब गोवा में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई थी, तब उन्होंने स्वयं ने कहा कि सारे देश में यह मांग हो रही है, हमारे कुछ सहयोगी दल भी मांग कर रहे हैं कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए और फिर आप यहां कार्यसमिति में गुजरात पर चर्चा करने वाले हैं, मैं अपना इस्तीफा देता हूं।

श्री रामदास आठवले: आपने इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया, आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, पेश किया, अध्यक्ष को कहा कि मैं त्यागपत्र देता हूं। आप हमारी आलोचना कर सकते हैं कि हमारी कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से कहा कि आपको त्याग-पत्र नहीं देना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि 1970 से लेकर आज तक गुजरात में 440 दंगे हुए हैं, बहुत से लोगों ने इनका जिक्र किया है।

उसमें 460 लोग मारे गए, उसमें इतने मारे गए और उसमें इतने मारे गए। एक भी ऐसा दंगा नहीं हुआ जब सरकार ने इतनी कठोरता का आचरण किया हो, प्रतिक्रिया की हो कि वहां पुलिस की गोलियों से 201 लोग मारे गए हों। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में और किसी भी राज्य में ऐसे दंगे का स्मरण मुझे नहीं आता, जिसमें इतनी तत्परता दिखाई गई हो। इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है, यहां पर सोमनाथ जी नहीं हैं, और कई मित्र भी जेनोसाइड का प्रयोग करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: जी हां, लगभग 2000 लोग मारे गए थे। क्या यह नरसंहार नहीं है?...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे दुःख हुआ है।

दिल्ली में 1984 में जो हुआ था, वो मैंने देखा था। लेकिन मैं इसे नरसंहार नहीं कहूंगा। मैं नहीं...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: यह नरसंहार था ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप ऐसा कह सकते हैं...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: आपने श्रीमती इंदिरा गांधी का भी समर्थन किया था। आपने कहा था कि ऐसा छह माह पूर्व होना चाहिए था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं उसकी निंदा करता हूं। कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। मैंने उसके लिए कमीशन आफ इन्क्वायरी बिठाया है, जो इसकी जांच कर रहा है। मेरा निवेदन है कि यह बात सही है कि एक ही संप्रदाय के लोग मारे

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं, तो भी जेनोसाइड कहना, दुनिया भर में एक संदेश जाता है। यहां पर जो दंगा हुआ, उसमें दोनों संप्रदायों के लोग मरे। किसी के ज्यादा मरे, किसी के कम मरे, यह सवाल नहीं है।

श्री जी.एम. बनातवाला: सैंकड़ों गांवों में मुसलमानों का सफाया कर दिया। यह क्लिनसिंग नहीं है तो क्या है?

जनाب جی۔ایم۔ بنات واله (پوننانی): سینکڑوں گاؤں میں مسلمانوں کا صفایا کر دیا۔ کلینزنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟

अध्यक्ष महोदय: बनातवाला जी, आप बैठ जाएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: बनातवाला जी, इस बात को कभी मत भूलिए, सही कहते हैं, किसी ने बीच में कहा कि इस देश में आम जनता सम्प्रदायिक नहीं है। यहां पर जो बहुमत है, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: मुट्ठी भर लोग फासिस्ट हैं।

جناب جی۔ایم۔ بنات واله (پوننانی): ماسسٹ مٹھی بھر لوگ ہیں۔

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जिनको यह कह सकते है कि थियोक्रेटिक राज्य की कल्पना को अस्वीकार करता है। यह देश है जिसने 1947 में जब विभाजन हुआ, इस आधार पर कि हिन्दुओं का बहुमत कहां है, मुसलमानों का बहुमत कहां है। जिस समय हजारों लाखों मारे गए, कत्ल हुए, लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए। उस समय भी इस देश ने सेक्युलरिज्म को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

श्री जी.एम. बनातवाला: आज लीडरशिप में हिम्मत नहीं है कि फासिज्म को चैलेंज करें, और जो ताकतें सिर उठा रही हैं, उनसे सख्ती से निपटे।

جناب جی۔ایم۔ بنات واله (پوننانی): آج لیڈر شپ میں ہمت نہیں ہے کہ فاسزم کو چیلنج کرے اور جو طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں، ان سے سختی سے نپٹے۔

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: बनातवाला जी एप्रिशिएट करें, यह देश है जहां सेक्युलरिज्म स्वाभाविक है। इसमें किसी को थोपना नहीं पड़ता। किसी का भी राज आए, किसी का भी शासन आए, यहां पर सेक्युलरिज्म बना रहेगा, हर हालत में बना रहेगा क्या आप इसे नरसंहार कहेंगे। आखिरकार नरसंहार क्या है? क्या आप जानते हैं कि नरसंहार क्या है...*(व्यवधान)*

चुनाव निकट हैं इसलिए थोड़ी बहुत गर्मी समझ में आती है, अन्यथा जो शब्द मैंने तब कहे थे, जिसको दासमुंशी ने कोट किया कि इससे तो पाकिस्तान खुश होगा, सही बात है। अगर केवल गोधरा होता तो बात दूसरी होती, लेकिन गोधरा के बाद जिस तरह की घटनाएं वड़ोदरा और अहमदाबाद में हुई, उसमें भी मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव की बात आई है, कुल मिलाकर सारे गुजरात में आज भी अशांति बनी हुई है, सामान्य स्थिति नहीं है, यह जो कहा जाता है तो इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि गुजरात में विधान सभा की 182 सीट हैं। उनमें से 103 सीटें ऐसी हैं, जहां पर कुछ भी नही हुआ। जहां पर पहले दिन से लेकर आज तक साम्प्रदायिक शांति रही, कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई। 79 सीटें ऐसी थीं, जो प्रभावित थीं, वे जो प्रभावित थीं वे भी 31 मार्च तक और उनमें से भी 52 में पूरी शांति हो गई। 27 में फिर भी बचीं। उनमें से भी 30 अप्रैल तक आते-आते केवल 14 रह गई।

रात्रि 8.00 बजे

मैं 14 विधान सभा सीटों का उल्लेख कर रहा हूं। 14 विधान सभा सीटों में कुछ घटनायें हुई हैं जो लगभग मई महीने के अंत तक पहुंचते-पहुंचते पूरी शांति हो गई। आज कोई घटना हो गई है, कहीं बारूद निकल गया और उसके आधार पर कोई कहे कि नार्मेल्सी नहीं है, तो शायद हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में भी चुनाव नहीं करा सकेंगे। आज हम यह नहीं सोचते हैं कि कश्मीर में चुनाव मत कराइए। आपको याद करना चाहिए कि ऐसी स्थिति असम में पैदा हो गई, तो लोगों ने कहा हम किसी को वहां पर वोट नहीं देने देंगे। वोट कोई देगा, तो परिणाम भुगतना होगा। तीन-चार परसेंट का वोट वहां असम में पड़ा, तो क्या किसी ने कहा कि असम में चुनाव नहीं करवाना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव कराने का आग्रह होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: मैं तथ्य में सुधार करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: श्री कमलनाथ, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: असम में, कार्यकाल समाप्त हो गया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई प्रश्नकाल नहीं है कि आप बीच-बीच में मंत्री जी को रोकें।

श्री प्रमोद महाजन : आप उत्तर नहीं सुनेंगे और बीच में बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अप्रैल के महीने में गोवा में जब कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, तो नरेन्द्र मोदी का स्तीफा अस्वीकार किया। उसी समय हमने कहा कि आज लगातार आपके ऊपर प्रहार हो रहा है, लगातार आपको कहा जा रहा है, "आप इस हिंसा को बढ़ावा देने के दोषी है"। मैं हिंसा के लिए शर्मिन्दा हूं साम्प्रदायिक हिंसा के लिए शर्मिन्दा हूं। किसी महिला के साथ, किसी बहन के साथ किसी प्रकार से बलात्कार हुआ है, मुझे शर्म आती है। लेकिन मैं इस आरोप को सर्वथा निराधार मानता हूं

[अनुवाद]

कि यह राज्य प्रयोजित आतंकवाद अथवा राज्य समर्थन प्राप्त कार्यवाही है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: राजतंत्र इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल था...*(व्यवधान)* आपको पता है कि मानवाधिकार आयोग ने क्या कहा है? ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा था कि यह राज्य प्रायोजित साम्प्रदायिक दंगे थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक है, तो मैं उसकी जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियों में जो प्रशासन के अधिकारी हैं या जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनका कहीं-न-कहीं दोष हो सकता है। इस समय जो कमीशन बैठा हुआ है, जिस कमीशन में पहले तो केवल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे । लेकिन सब लोगों की इच्छा थी कि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के ज भी हों, तो हमने उनको इसमें शामिल किया है। वह जो कमीशन बैठा हुआ है, वह निश्चित रूप से इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कहां गलती हुई है। अगर आप आर्गेनाइज्ड तरीके से आरोप लगायेंगे, तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर सरकार इसमें शामिल होती तो 201 लोगों को गोली से मारा जाता। मुझे याद आता है, जब 1984 में दिल्ली में घटनायें हुई थीं, एक बार भी लाठीचार्ज नहीं हुआ और तीन हजार लोग मरे। मैं टीवी पर देख रहा था। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि श्रीमती इंदिरा का शरीर तीन मूर्ति में रखा हुआ है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्यू में नागरिक आ रहे थे। क्यू टूटने पर लाठी चार्ज हुआ था। मुझे याद है, बहुत कष्ट हुआ, यहां पर लोग मारे गए, तब किसी ने कोई गैस नहीं छोड़ी, किसी ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। इसलिए अगर आप इस तरह के आरोप लगायेंगे, बिना जानकारी के, यह सब हिंसा नरेन्द्र मोदी ने करवाई है, तो फिर हमको वह याद करना पड़ेगा। मैं याद नहीं करना चाहता हूं। कमीशन आफ इन्क्वायरी बैठा हुआ है। कमीशन-आफ-इन्क्वायरी निश्चित रूप से सारी स्थितियों को देखेगा और कोई भी हमारा व्यक्ति अपराधी होगा, तो निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा।

मैं यह बात जरूर मानता हूं कि गुजरात में केवल शांति स्थापित हो गई, इस कारण हम संतुष्ट हो जाएं यह नहीं चलेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि अलबत्ता कभी-कभी इलैक्शन पर सबका ध्यान जाता है तो उसमें तनाव कम होता है और लोग उसी में लग जाते हैं। हरेक अपने इस काम में लग जाता है कई ऐसे मौके आए जब हिंसा हुई। इस केस में अधिक से अधिक इतनी बात थी कि फरवरी में चुनाव होने वाले थे। लेकिन हमने कहा कि शांति स्थापित हो जाए, इसके बाद चुनाव करवा सकते हैं। हम अप्रैल में चुनाव करवाना चाहते थे। हमने औपचारिक रूप से चुनाव कराने की सलाह भले ही दी लेकिन उन्होंने चुनाव करने नहीं दिए। वास्तव में चुनाव उस समय हो रहे हैं, जब वहां शांति स्थापित हो गई है।

आज की चर्चा जिस बात लेकर शुरू हुई वह आर्टिकल 174 बिल्कुल साफ है। हमने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में देखी है। इस मामने में संविधान के विद्वान और बसु जी की कमैन्ट्री का कहना है कि आर्टिकल 174 में गवर्नर को विधान सभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। अगर मुख्यमंत्री इस बारे में सलाह देता है तो उसकी वह सलाह बाइंडिंग है। यदि उसके पास बहुमत नहीं है तो गवर्नर अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। कुछ केसिज ऐसे हुए, जहां बहुमत नहीं था लेकिन उन्होंने सलाह मान ली। यहां बहुमत था, इसलिए मानना पड़ा। बहुमत है तो उसे मानना ही पड़ेगा। कई केसिज में जहां बहुमत नहीं था वहां भी कभी-कभी बात मान ली गई। मुझे उस समय अफसोस होता है जब कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री भी आरएसएस का और वह भी आरएसएस के यानि दोनों ने मिलकर ऐसा किया। यह बिल्कुल गलत है, उन पर दोष लगाना बहुत अनुचित है। आज कुल मिलाकर ऐसी स्थिति है कि इन्हें आरएसएस के सिवाय दूसरी कोई बात मिलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को भी आरएसएस वाला ही मिलता है।...*(व्यवधान)* हम ऐसी बहस नहीं करना चाहते हैं। श्री वाघेला हमारे साथ थे,

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

वाघेला जी ने हमसे संबंध तोड़ दिया और वह आपके साथ मिल गए, कोई बात नहीं। इसे होने दो। उनके आने के बाद, उनका समर्थन करने के बाद और उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद अभी क्या-क्या उनके बारे कहा, इस बारे में आज सुबह किरीट जी बता रहे थे। मैं उस समय सोचने लगा कि स्पीकर साहब, प्रमोद जी और विपक्ष के बीच जो समझौता हुआ चाहे उसमें केवल रिलीफ रिहैबिलिटेशन लिखा हो लेकिन हम गुजरात के बारे में कोई भी चर्चा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसका फायदा दासमुंशी जी को हुआ या किरीट जी को और इसकी परेशानी मुझे हुई या शंकर जी को हुई, मुझे नहीं पता?...*(व्यवधान)*

आपको नहीं हुई, यह बहुत अच्छी बात है।...*(व्यवधान)* हमारा इस समय ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि चुनाव ठीक प्रकार से हों। वे कब हों, इस मामले में गुजरात की सरकार इलैक्शन कमीशन के सामने अपना पक्ष पेश कर रही है। इलैक्शन कमीशन इसे देखेगा और उसे जो कानूनी ठीक लगेगा, वह उसके हिसाब से चलेगा। हमें इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ साथियों ने अपना मत दिया। गुजरात सरकार इसका जवाब देगी लेकिन निर्णय इलैक्शन कमीशन ही करेगा और निश्चित रूप से कानूनी तौर पर करेगा हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि चुनाव निष्पक्ष हों, मुक्त रूप से हों, बिना किसी भय के वातावरण में हों।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: पहचान-पत्रों का क्या हुआ? मैंने जो प्रश्न पूछे, आप उनका जवाब दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पहचान-पत्रों की दायित्व चुनाव आयोग का है मुझे बताया गया है अभी भी प्रक्रिया चल रही है। जिनके आइडैंटिटी नहीं बन सके हैं, वे उन सब को आइडैंटिटी कार्ड देंगे। जहां-जहां नहीं दे सके और ऐसा भी हुआ है और उन्होंने कहा कि पहचान-पत्र अनिवार्य नहीं होंगे और कुछ अन्य व्यवस्था हमेशा की जाती है।...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: यही समस्या है मैं आपको यही बताना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुनिये, मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी हमारी जिम्मेदारी है और हम मानते हैं कि वोटर्स का नाम वोटर्स लिस्ट में होना चाहिये। उन लोगों के पास या तो आइडैंटिटी कार्ड पहुंच जायें या अगर नहीं पहुंचता है तो आइडैंटिटी कार्ड न होते हुए भी उन्हें अधिकार है कि वे वहां जाकर वोट दे सकें। कई स्थानों पर ऐसा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है फिर भी हम इलैक्शन कमिश्नर से बात करेंगे।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: क्या आप इसके बारे में सभा को आश्वासन दे रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जहां तक भारत सरकार का संबंध है यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह अपना मत दे पाए। हमारा यही प्रयास रहेगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: इन क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों के राशन कार्ड या तो जला दिए गए हैं अथवा गुम हो गए हैं। जब ये वापस जाएंगे तो उनके पास अपने निवास की कोई पहचान नहीं होगी। सरकार को उनकी सहायता करने हेतु कोई तरीका निकालना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: गुजरात जैसी स्थिति में चुनाव आयोग इन सभी कारकों पर ध्यान देगा और हम उसे ऐसा करने हेतु राजी करेंगे।

[हिन्दी]

मैं एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि यहां श्रीमती कृष्णा बोस ने एक बात का जिक्र किया है और उसके पहले शायद समता पार्टी के श्री प्रभु नाथ सिंह ने भी कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करो। इस प्रकार की मांग की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में संविधान इसकी परमीशन नहीं देता। वे कहते हैं कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है- 'जहां संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है।'

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा अन्य लोगों ने भी यही कहा है। यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह एक अलग बात है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह कहा गया कि यदि वहां सरकार बनी रहेगी तो फ्री एंड फेयर इलैक्शन नहीं होंगे और यदि राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो फिर सरकार क्या करेगी?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): यह कैसे हुआ? इसके पूर्वोदाहरण हैं। तब राष्ट्रपति शासन लगा था।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप मेरी बात सुनिए तो सही।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: आप जिम्मेदार हैं। लेकिन वे किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री आडवाणी, कृपया उनकी जवाबदेही के बारे में हमें आश्वस्त कीजिए। अगले 15 दिनों अथवा अथवा 15 महीनों में श्री नरेन्द्र किसके प्रति जवाबदेह होंगे? क्या वे विधान सभा अथवा संसद के प्रति जवाबदेह हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: विपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं मैं विपक्षी दलों को याद दिलाना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था और कहा था कि वे उस मत के हैं कि हिन्दुस्तान में जब कभी भी विधान सभा के चुनाव हों, वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये और राष्ट्रपति शासन के अधीन...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य मैं आपको सम्बोधित नहीं कर रहा हूं मैं यहा पार्टी को सम्बोधित कर रहा हूं। श्री प्रभुनाथ सिंह ने यह बिल्कुल सही कहा है।

[हिन्दी]

प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर दो राजनीतिक दल-कांग्रेस और बी.जे.पी.-एग्री कर लें तो वे हमारी चिंता नहीं करते और दोनों मिलकर कुछ भी कर लेते हैं।

[अनुवाद]

मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं क्योंकि यह प्रस्ताव गुजरात के संदर्भ में किया गया है। मैं तो कहूंगा कि यदि हम आज सहमत हों तो हमारे पास एक प्रस्ताव है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें प्रस्ताव पूरा करने कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: उन्होंने प्रस्ताव के बारे में सुना भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मेरा भी यही कहना रहा है। आप उस प्रस्ताव के बारे में क्यों नहीं सुन रहे हैं जो मंत्री महोदय प्रस्तुत करना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: चुनाव सुधारों के संबंध में कुछ दिन पहले एक सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों की एक आम राय बनी थी। नि:संदेह यह किसी अन्य मामले से संबंधित थी। लेकिन उसी प्रकार यदि हम इस बात पर सहमत हों कि सभी विधान सभा चुनावों के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू होगा...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: गुजरात के मुख्यमंत्री को आठ माह पूर्व चुनावों के बारे में कहना चाहिए था। अब यदि मुख्यमंत्री गुजरात जैसी स्थिति में ऐसा कहते हैं तो यह एक अलग मामला है ...*(व्यवधान)* क्षमा करें, इन दोनों स्थिति के बीच तुलना मत कीजिए। दोनों स्थिति में तुलना नहीं की जा सकती है...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं समझ सकता हूं ...*(व्यवधान)* मैं इसीलिए इस पर विचार करने को सहमत हूं अन्यथा नहीं होता।

जहां तक गुजरात का संबंध है, मेरे विचार से उन्होंने जो कुछ किया वह संविधान के दायरे में किया। उन्होंने जो कुछ किया वह राजनैतिक तौर पर सही है। आप मुख्यमंत्री को लगातार भला-बुरा कहते हैं और उसके बाद आशा करते हैं कि वह जनता के पास भी न जाए। आपने उन्हें जनता के पास जाने के लिए बाध्य किया। उन्हें जनता के पास जाने दीजिए....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्हें जनता के पास एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री की शक्ति के बगैर जाने दीजिए। वहां आपके राज्यपाल हैं...*(व्यवधान)* उन्हें मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि वे पद छोड़ दें...*(व्यवधान)* आप उन्हें मुख्यमंत्री के पद का दुरूपयोग किस तरह करने दे सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुख्यमंत्री को आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है मुख्यमंत्री को गुजरात की जनता की प्रमाणपत्र की आवश्यकता है जो वह लेने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 24 जुलाई 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 24 जुलाई, 2002/2 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 23 जुलाई,2002 /1 श्रावण 1924 (शक)
का
शुद्धि - पत्र

कॉलम संख्या	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़िए
27	30	प्रश्न सं. 24	प्रश्न संख्या 124
382	20	श्री सुल्ताल सल्लाऊद्दीन ओवेसी	श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी

पी.एल.एस.–48/26/7/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।